वार्षिक रिपोर्ट 2015-16
ANNUAL REPORT

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

उज्ज्वल भविष्य के लिए अनंत अवसर

PROVIDING OPPORTUNITIES FOR A BETTER FUTURE

निदेशक मंडल BOARD OF DIRCETORS

श्री हरविंदर सिंह, श्री नीरज भाटिया, श्री आर. पी. मराठे (कार्यपालक निदेशक), श्री मेलविन रेगो (प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ), श्री आर. एल. बिश्नोई, श्री जी. पद्मनाभन (अध्यक्ष), श्री आर. ए. शंकरनारायणन (कार्यपालक निदेशक), श्री बि. पी. शर्मा (कार्यपालक निदेशक), श्रीमती आर. सेबैस्टियन, सुश्री ऐना रॉय, श्री संजीव कुमार अरोरा

Shri. Harvinder Singh, Neeraj Bhatia, R. P. Marathe (ED), Melwyn Rego (MD & CEO), R. L. Bishnoi, G. Padmanabhan (Chairman), R. A. Sankaranarayanan (ED), B. P. Sharma (ED), Smt. R. Sebastian, Ms. Anna Roy, Sanjiv Kumar Arora

बैंक ऑफ इंडिया / Bank of India

(भारत सरकार का उपक्रम),
(A Government of India undertaking),

प्रधान कार्यालय:
स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा(पूर्व),
मुंबई - 400 051.
फोनः 022 - 6668 44 44
ई-मेल: headoffice.share@bankofindia.co.in
वेबसाइटः www.bankofindia.com

HEAD OFFICE:
Star House, C-5, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai - 400 051.
Phone: 022 - 6668 44 44
E-mail: headoffice.share@bankofindia.co.in
Website: www.bankofindia.com

महत्वपूर्ण सूचनाएँ		Important Information	
ई-वोटिंग तिथियां	11 जुलाई, 2016 सुबह 10:00 बजे से 13 जुलाई, 2016 शाम 05:00 बजे तक	E- Voting dates	11th July, 2016 10 Am to 13th July, 2016 Till 05:00 Pm
लेखाबंदी तिथि	11 जुलाई, 2016 से 14 जुलाई, 2016	Book Closure	11th July, 2016 to 14th July, 2016
वार्षिक आम बैठक तिथि एवं समय	गुरुवार, 14 जुलाई, 2016 अपराह्न 03:00 बजे	Date & Time of Annual General Meeting	Thursday 14th July, 2016 at 3 Pm
वार्षिक आम बैठक का स्थान	बैंक ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.	AGM Venue	Bank of India Auditorium, Star House, C-5, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

विषय सूची

Contents

अवलोकन Overview

2 सांविधिक लेखा परीक्षक
2 महाप्रबंधक
3 अध्यक्ष का संबोधन
6 प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संबोधन

2 Statutory Auditors
2 General Managers
3 Chairman's Statement
6 Managing Director & CEO's Statement

सांविधिक रिपोर्ट Statutory Reports

12 निदेशक रिपोर्ट
18 प्रबंधन विचार - विमर्श एवं विश्लेषण
30 कार्पोरेट सामाजिक दायित्व रिपोर्ट
43 कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट
61 सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण
61 मुख्य कार्यपालक अधिकारी की घोषणा
168 बासेल-III (स्तंभ 3) - प्रकटन
229 आम बैठक की सूचना

15 Directors' Report
31 Management Discussion & Analysis
42 Corporate Social Responsibility Report
43 Corporate Governance Report
61 CEO/CFO Certificate
61 Declaration by CEO
199 Basel-III (Pillar 3) - Disclosures
229 Notice of Annual General Meeting

वित्तीय विवरण Financial Statements

64 तुलनपत्र
65 लाभ एवं हानि खाता
66 नकदी प्रवाह विवरण
74 महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ
85 लेखे पर टिप्पणियां
121 स्वतंत्र लेखा परीक्षको की रिपोर्ट
125 समेकित वित्तीय विवरण

64 Balance Sheet
65 Profit & Loss Account
66 Cash Flow Statement
74 Significant Accounting Policies
85 Notes Forming Part of Accounts
121 Independent Auditor's Report
125 Consolidated Financial Statements

सांविधिक लेखा परीक्षक Statutory Auditors

मेसर्स एम एम निस्सीम एंड कं	M/s. M. M. Nissim and Co.
मेसर्स जे. पी. कपूर एंड उबेराय	M/s. J. P. Kapur & Uberai
मेसर्स डी. सिंह. एंड कं.	M/s. D. Singh & Co.
मेसर्स ग्रोवर लल्ला एण्ड मेहता	M/s. Grover Lalla & Mehta
मेसर्स बी रतन अँड एसोशिएटस	M/s. B Rattan & Associates
मेसर्स जी डी आपटे अँड कंपनी	M/s. G D Apte & Co.

महाप्रबंधक General Managers

मनोज जैन (सीवीओ)	MANOJ JAIN (CVO)	वरदाचारी कुमार	VARADACHARI KUMAR
राज कमल वर्मा	RAJ KAMAL VERMA	राजकुमार सिंह चौहान	RAJKUMAR SINGH CHOUHAN
प्रमोद कुमार पट्टनायक	PRAMODA K. PATTANAIK	दिनेशकुमार पूनमचंद गर्ग	DINESHKUMAR GARG
राधानाथ कर	RADHA NATH KAR	ब्रजेश कुमार मोहांती	BRAJESH KUMAR MOHANTY
रमेशचंद्र बलिआरसिंह	R. C. BALIARSINGH	इंदर मणि मलिक	INDER MANI MALIK
अनिल कुमार भल्ला	ANIL KUMAR BHALLA	पी एल रामचंद्रन अय्यर	P L RAMCHANDRAN IYER
गोपाल मुरली भगत	GOPAL MURLI BHAGAT	अज्ञेय कुमार आज़ाद	AGYEY KUMAR AZAD
भालचंद्र वासुदेव उपाध्ये	B. V. UPADHYE	चैतन्य गायत्री चिंतपल्ली	CHAITANYA GAYATRI C.
संजय पवार	SANJAY PAWAR	सुरेशचंद्र षडंगी	SURESH CHANDRA SARANGI
शंकरदास गुप्ता	SHANKARDAS GUPTA	रमन कुमार शर्मा	RAMAN KUMAR SHARMA
जैन भूषण	JAIN BHUSHAN	प्रकाश काशीनाथ वर्तक	PRAKASH KASHINATH VARTAK
शिवजी राम मीणा	SHEOJI RAM MEENA	राम कृष्ण सिन्हा	RAM KRISHNA SINHA
कुल भूषण जैन	KUL BHUSHAN JAIN	मृत्युंजय कुमार गुप्ता	MRITYUNJAY KUMAR GUPTA
सुधाकर तन्नीरू	SUDHAKAR TANNIRU	कुरुप्पत रविंद्रन नायर	KURUPPATH RAVINDRAN NAIR
सुशील कुमार कासलीवाल	SUSHIL KUMAR KASLIWAL	श्याम सुंदर बनिक	SHYAM SUNDAR BANIK
सुभाषचंद्र मोदी	SUBHASH CHANDRA MODI	अरविंद कुमार साहू	ARVIND KUMAR SAHU
निखलेश भार्गव	NIKHLESH BHARGAVA	रमेश चन्द्र ठाकुर	RAMESH CHAND THAKUR
कृष्ण लाल शर्मा	KRISHAN LAL SHARMA	सुरिंदर कुमार अगरवाल	SURIENDER KUMAR AGGARWAL
सेंगोड गौंडर पलनिवेल	S. PALANIVEL	अमिताभ रस्तोगी	AMITABH RASTOGI

अध्यक्ष का संबोधन
Chairman's Statement

प्रिय शेयरधारकों और पणधारकों,

1. वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्थाएं मंदी के दौर से गुज़र रही हैं। वर्तमान में प्रमुख केन्द्र बिन्दु हैं 1) यूएस फेड द्वारा दर में संभाव्य मात्रा, विस्तार और गति में वृद्धि 2) अनुकूल वैश्विक पण्य मूल्य जो फिलहाल उर्ध्वमुखी दर्शा रहा है 3) प्रतिस्पर्धात्मक बने रहने के लिए कुछ देशों द्वारा मुद्रा में मूल्यह्रास और 4) कुछ विकसित देशों में अत्यंत खुली मौद्रिक नीतियां और केन्द्र बैंकों द्वारा नकारात्मक ब्याज दर। एक और ध्यान देने योग्य विशिष्टता है कि विश्व व्यापार में वृद्धि (2.8%) विश्व उत्पादवृद्धि (3.5%) से कम है। मौद्रिक अवमूल्यन प्रयासों के बावजूद इसका निर्यात निर्भरशील अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव होगा।

2. घरेलू पक्ष में नवीनतम तिमाही कारपोरेट परिणाम ने राजस्वऔर लाभप्रदता मानदण्डों में बेहतर कार्यनिष्पादन दर्शाया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुमानित वृद्धि 7.6% है जो भारत को निर्विवाद रूप से विश्व की सबसे तेजी से बढ़नेवाली अर्थव्यवस्था बनाती है। सन् 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए एकबार नई आईआईपी श्रृंखला जारी हो जाने पर विश्वसनीय वृद्धिचिन्ह स्पष्ट होंगे जो उद्योग आंकड़ों को अधिक प्रामाणिकता देंगे। फिलहाल पण्य के गिरते मूल्यने चालू खाता घाटे को भी नियंत्रण में रखा है जो हमारी वृद्धि में सहायक है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखा गया है। कीमत के मामले में पण्य मूल्य में कमी के कारण मुद्रास्फीति में कमी बनी हुई है जिससे मूल्य स्थिरता में विश्वास की मात्राबढ़ी है। दो सालों से लगातार सूखे की स्थिति रहने के बाद 'लंबी अवधि औसत' से अधिक बारिश होना अपेक्षित है। इससे कृषि में वृद्धि होगी और खाद्य मूल्य भी संभलेगा। इस परिस्थिति में कोई अप्रत्याशिल घटना न होने पर विदेशी निधियों का आगमन बढ़ेगा।

3. वित्तीय वर्ष 2016 को भारतीय बैंकिंग उद्योग और खासकर पीएसयू बैंकों के लिए ''रुपांतरण'' कहा जा सकता है। परिवर्तन का विस्तार बहुत व्यापक है

Dear Shareholders and Stakeholders,

1. Globally, economies are passing through a sluggish phase. Major focal issues presently being 1) The possible quantum, extent and pace of rate hikes by the US Fed, 2) Benign global commodity prices that have,of late, started reflecting upward bias, 3) currency depreciation by some countries to stay competitive and 4) Ultra loose monetary policies and negative interest rates being professed by Central banks of some developed countries. Another notable feature is world trade growth (2.8%) lagging behind global output growth (3.5%). This would have adverse consequences for export dependent economies, despite a series of currency devaluation efforts.

2. On the domestic front, latest quarterly corporate results show improved performance in revenue and profitability parameters. Growth for FY 2015-16 is estimated at 7.6%, making India the undisputed fastest growing economy in the world. A credible growth print would emerge once the new IIP series with 2011-12 base year is released which would render greater credibility to industry data. Meanwhile, falling commodity prices has kept Current Account Deficit also under check giving support to our growth. Fiscal deficit has been kept under check. On the price front, low inflation has been sustained due to low commodity prices with enhanced level of confidence in price stability. Monsoons are expected to be above "long period average", after having witnessed two consecutive drought like situations. This will boost agriculture growth and also moderate food prices. Given the scenario, inflows from overseas are set to increase, but for some unforeseen development.

3. Financial Year 2016 could be termed "transformational" for the Indian Banking industry and particularly for PSU

जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद को विभाजित करके यथा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं सीईओ बनाने से आरंभ हुआ है।यह पी.जे. नायक समिति की रिपोर्ट की सिफारीशों में से एक था और इसका उद्देश्य कारपोरेट शासन प्रणाली को मजबूत बनाना था। बैंक बोर्ड ब्यूरो क्रियाशील हो गया है। अत: पीएसयू बैंक के शासन प्रणाली और परिचालन में व्यवहार कुशल सुधार लाने की जमीन तैयार हो गई है।

4. लंबे अंतराल के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो यूनिवर्सल बैंकों को लाइसेंस दिया है जिन्होंने परिचालन आरंभ किया है। हमेशा से भुगतान और धनप्रेषण बैंकों की मुख्य गतिविधियां रही हैं। भुगतान बैंकों को लाइसेंस दिए जाने और अन्य भुगतान संस्थाओं के उभरने और प्रौद्योगिकी के बलबूते पर भुगतान समाधान पर ध्यान केन्द्रित करने के कारण बैंकों के परिचालन के अब तक के चुनौती विहीन मूल कार्य क्षेत्रों में भी अतिक्रमण हो रहा है। छोटे बैंक जिनका लक्ष्य अब तक पहुँच के बाहरवाले संभाव्य ग्राहकों को वित्तपोषित करना है वे भी पारंपारिक बैंकों को इस क्षेत्र में चुनौती प्रदानकरने वाले हैं। हमें प्रतिस्पर्धा के लिए रणनीति बनानी होगी और इसके साथ सहयोग भी करना होगा।

5. प्रौद्योगिकी का तेज गति से विस्तारहो रहा है। नई संभावनाएं उभर रही हैं। नए आगतुंकों के कारण हमारे कार्यक्षेत्र में हिस्सेदारी की चुनौतियां है साथ ही वृद्धि के लिए नई संभावनाएं सामने आ रही हैं। उभरती प्रौद्योगिकी और बैंकिंग के पहलुओं को तेजी से पकड़ने की जरूरत है। बैंक कुछ प्रसिद्ध आईटी विशेषज्ञों की सहायता ले रहा है।

6. वर्ष के दौरान आस्ति गुणवत्ता पर जो अत्यधिक दबाव पड़ा वह मुख्य रूप से स्वदेशी एवं वैश्विक बृहत स्तर की परिस्थितियों की वजह से था और इसके फलस्वरूप बहुत अधिक प्रावधान करना पड़ा। इस समय एकाग्र चित्त होकर कार्य करने के साथ-साथ, प्रावधान करने में प्रयुक्त पूंजी की भरपाई करने की अत्यधिक ज़रूरत है। वैसे, बासेल-III पूंजी मानकों के कार्यान्वयन से, बैंकों को यथा 31.03.2016,जोखिमभारित आस्तियों के 0.625% दर से कैपिटल कन्जर्वेशन बफ़र (CCB) हेतु अतिरिक्त पूंजी रखनी होगी और यथा 31.03.2017 को ऐसी ही राशि फिर जुटानी पड़ेगी। आस्ति गुणवत्ता पर दबाव से होने वाली प्रावधानीकरण संबंधी आवश्यकताओं की वजह से पूंजी संवर्धन की आवश्यकता और भी ज़रूरी हो गयी है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, कि प्रबंधन इन सभी मुद्दों से भली-भांति परिचित है और इनके लिए सभी संभव कदम उठा रही है। हमें भारत सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन और पूंजी प्राप्त हो रही है, फिर भी हम पूंजी संवर्धन के लिए अन्य उपायों पर भी विचार कर रहे हैं। गैर-कोर आस्तियों की बिक्री और निवेश, ऐसा ही एक संभव उपाय है। बैंक RAROC (पूंजी पर जोखिम समायोजित प्रतिफल) पर ध्यान केन्द्रित करते हुए पूंजी के युक्तिकरण हेतु भी कदम उठा रहा है। इस प्रक्रिया में, संविभाग मिश्रण के रूप में तुलनपत्र के पुनर्संतुलन की संभावना है।

7. सरकार द्वारा शुरू किए गए पहलू जैसे पीएमजेडीवाई के अंतर्गत बेसिक बचत खाते खोलना, अटल पेंशन योजना के तहत खाता धारकों का नामांकन करना, मुद्रा के तहत लघु उधारकर्ताओं को ऋण सहायता प्रदान करना, और स्वच्छ भारत पहलू में आपका बैंक सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है।

banks. The spectrum of changes is wide, beginning with splitting of the post of Chairman and Managing Director i.e. Chairman, and Managing Director & CEO. This was one of the recommendations of PJ Nayak Committee report and is intended to strengthen the corporate governance. Banks Board Bureau has become operational. Hence stage has been set for introducing visionary reforms in governance and operations of PSU Banks.

4. After a long gap, the Reserve Bank licensed two universal banks that started operations. Payment and Remittance services have historically been prime activities of the Banks. With the licensing of Payment banks and emergence of other Payment entities focussing on payment solutions deriving their strength from technology, Banks now face intrusion into one of their so long unchallenged core areas of operations. Small banks targeting financing of hitherto unserved potential customers are also set to challenge the traditional banks that were not able to take such potential customers into their fold. We need to strategise to compete as well as to co-operate.

5. Technology has been evolving at a fast pace. New possibilities are emerging. While there are challenges in sharing our domain with new entrants, new possibilities are opening up space for growth. We need to catch up fast with the evolving technology and facets of banking. Bank is taking help of some renowned IT experts.

6. Stress on asset quality that surfaced during the year, primarily because of macro level conditions- domestically as well as globally, has been immense warranting significant amount of provisioning. The need of the hour is not only to work in a focussed way, for recovering the stressed assets but also to replenish the capital used up in making provisions. As such, with implementation of Basel III capital norms, Banks are required to maintain additional capital for Capital Conservation Buffer (CCB) at the rate 0.625 % of the Risk Weights as on 31.3.2016 and again similar amount needs to be carved out as on 31.3.2017, the provisioning requirements emerging from stress on asset quality are making the need for augmentation of capital more pressing. Let me assure you, the management is seized of the issues and taking all possible steps for the same. While, thankfully, we have been getting full support and infusion of capital from the Government of India, we are also exploring other possible means to augment capital. Sale of non-core assets and investments is one of such possible steps. Bank is also taking steps for optimising the capital by focussing on RAROC (Risk adjusted return on capital).In the process, the balance sheet is likely to undergo rebalancing in terms of portfolio mix.

7. Your Bank has been actively participating in all initiatives launched by the Government including opening of basic savings bank accounts sunder PMJDY, enrolling account holders under Atal Pension Yojna, extending credit help to small borrowers under MUDRA and Swachh Bharat initiatives.

8. बैंकिंग गतिविधियों के लिए मानव संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्हें उत्पादों और बैंक द्वारा तैयार की गई कार्यनीतियों की जानकारी प्रदान करना बहुत जरुरी है। उभरती चुनौतियों के लिए हमारे स्टाफ सदस्यों को तैयार करने हेतु बैंक उनके कौशल-उन्नयन हेतु सभी संभव कदम उठा रहा है। बेहतर परिणाम पाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।

9. जैसा आप जानते हैं, विगत समय में जब भी हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, आपके बैंक ने समुत्थान-शक्ति का प्रदर्शन किया है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि बोर्ड और बैंक ऑफ़ इंडिया की टीम जो, देश भर में सभी राज्यों से 5000 से अधिक शाखाओं के माध्यम से और वैश्विक स्तर पर सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से कार्य कर रही है, वर्तमान चुनौतियां का सामना करने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम फिर से उठेंगे और अधिक शक्तिशाली होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका सहयोग सदैव हमारे साथ रहेगा।

जी. पद्मनाभन

8. For banking activities human resources are most critical. Keeping them fully equipped with product knowledge and strategies formulated by the Bank is of utmost importance. In order to equip our staff members for facing the emerging challenges, Bank is taking all possible steps for upgrading their skills. Use of technology is being leveraged to achieve better results.

9. As you know, whenever we have weathered difficult times in the past,your Bank has shown resilience. Let me assure you that the Board and the Team Bank of India, operating from over 5,000 branches domestically from all states and globally from all major economies,are fully geared up to face the current challengesas well. We are determined, we will rebound and emerge stronger. I trust you will keep extending your support.

G. Padmanabhan

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संबोधन
Managing Director & CEO's Statement

प्रिय शेयरधारक और पणधारक,

1. आपके बैंक की 20वीं वार्षिक आम बैठक में आप सबका स्वागत है। मैंने अगस्त 2015 के मध्य में बैंक ऑफ़ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में कार्यग्रहण किया है। वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक रिपोर्ट में तुलन-पत्र को मजबूत बनाने की कार्यनीति का पालन करते हुए चुनौतियों से उबरने के लिए आपके बैंक द्वारा की गई पहल और दर्ज की गई कतिपय उपलब्धियों का ब्यौरा दिया गया है। यह मेरा सौभाग्य है कि आपके समक्ष बैंक का 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं।

2. घरेलू के साथ-साथ वैश्विक बाजार में वृहत् स्तर की चुनौतियां वित्तीय वर्ष 2016 के अधिकतर हिस्से में जारी रही जिसमें केवल चौथी तिमाही में ही सुधार के संकेत मिलते हैं। कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने अपने संबंधित अर्थव्यवस्था की सहायता के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक सुलभता जारी रखी है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत मजबूत शहरी उपभोग और सार्वजनिक निवेश की सहायता से सबसे अधिक वृद्धि का साक्षी रहा है। इस वर्ष बाद के हिस्से में गैर खाद्य क्रेडिट में वृद्धि की संभावना है।

3. आपके बैंक का करीब 5,000 से अधिक शाखाओं का बड़ा शाखा नेटवर्क है जिसमें से 66% ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में है और शेष 34% महानगर और शहरी क्षेत्रों में है। इसके अतिरिक्त बैंक का 5 महाद्वीपों के 22 देशों में 61 आउटलेट हैं जिसमें अनुषंगियों की शाखाओं के साथ संयुक्त उद्यम और प्रतिनिधि कार्यालय शामिल हैं। बैंक के पास 40 वर्ष की औसत आयु का समर्पित कार्यबल है और इसमें 35 वर्ष से कम आयु के 54% स्टाफ है।

बैंक का कार्यनिष्पादन

4. सभी संस्थाओं और बैंकों में उतार-चढ़ाव हैं और बैंक ऑफ़ इंडिया अपवाद नहीं है। बैंक ने आस्ति गुणवत्ता पर दवाब के कारण काफी उच्चतर प्रावधानीकरण की आवश्यकता हेतु वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान हानि दर्ज की है। मेरी राय है कि प्रतिकूल स्थिति सकारात्मक बदलाव लाती है और

Dear Shareholders and Stakeholders,

1. I extend a very warm welcome to each one of you to the 20th Annual General Meeting of your Bank. I have taken over as Managing Director and CEO of Bank of India in mid- August 2015. Details of the initiatives taken by your Bank to overcome the challenges and certain achievementsregistered, while pursuing the strategy tostrengthen the balance sheet,are provided in the Annual Report for the year 2015-16. It gives me great pleasure to place before you the annual report of your Bank for the year ended March 31, 2016.

2. Macro level challenges, in domestic as well as global markets, have continued during most part of the FY 2016 with signs of improvement becoming visible only in Q 4. Many developed economies have continued with quantitative and qualitative easing to support their respective economies. India has witnessed highest growth amongst all major economies supported by robust urban consumption and public investment. Non-food credit growth is likely to pick up in the later part of the year.

3. Your Bank has a large branch network of a little above 5,000 branches of which about 66% are in rural and semi-urban areas and the balance 34% in metro and urban areas. In addition, the Bank has global presence in 22 countries covering 5 continents with 61 outlets including the branches of subsidiaries as also, joint ventures and representative offices. Bank has a committed and dedicated work force with average age of about 40 years and having 54% staff less than 35 years of age.

BANK'S PERFORMANCE

4. All institutions and banks have had their ups and downs and Bank of India is no exception. Bank has registered loss during FY-16 owing to significantly higherprovisioning requirements

पुरानी प्रक्रिया और प्रणालियों को पुन: देखने का अवसर देती है। किस तरह से कार्य हो रहा है उस पर यह प्रश्न उठाता है और त्वरित बदलते परिचालन परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में जल्द से जल्द बदलाव लाने के लिए सोच की प्रक्रिया का उत्प्रेरक बनता है। निश्चित रूप से विभिन्न नई पहलों को आरंभ करने का यही कारण था जो मैं विस्तार से बताऊंगा।

5. वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए बैंक ने तीन मुखी कार्यनीति आरंभ की है यथा एनपीए प्रबंधन, कासा में संवर्धन और रिटेल संविभाग के पक्ष में अग्रिमों का पुन: तुलन। इस कार्यनीति को "मिशन स्टार वन'' कहा जाएगा।

एनपीए प्रबंधन

6. यह वर्ष विशेषकर बैंकिंग उद्योग के साथ-साथ बैंक ऑफ़ इंडिया के लिए चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा है। मैं संक्षेप में वही कारण बताऊँगा जो हमारे बैंक से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं आरबीआई ने दिसम्बर 2015 में मौद्रिक नीति समीक्षा में 31 मार्च 2017 तक बैंकों के तुलन पत्रों के शुद्धिकरण की बात कही है। यथा 31 मार्च 2015 के आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (AQR) के परिणामस्वरूप कतिपय कमजोर खातों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया है। तदनुसार दिसम्बर 2015 में एक्यूआर सूची आंशिक रूप से कार्यान्वित की गई और मार्च 2016 में शेष भाग को पूर्णत: कार्यान्वित किया गया है। अधिकतर बैंकों में एनपीए स्तर दबाव में था। एनपीए में वृद्धि अग्रिम स्तर में यथा 31 मार्च 2015 में रु.4.11 लाख करोड़ से घटकर यथा 31 मार्च 2016 में रु.3.82 लाख करोड़ हो जाने के परिणामस्वरूप सकल एनपीए अनुपात जो यथा 31 मार्च 2015 में 5.39% यथा बढ़कर सितम्बर 2015 में 7.55%, 31 दिसम्बर 2015 में 9.18% और यथा 31 मार्च 2016 में 13.07% हो गया। चूंकि वित्तीय वर्ष 2016 में नए बैंकिंग करने योग्य कारपोरेट क्रेडिट प्रस्तावों की कमी के कारण अग्रिम में 7.30% कमी आई है जिसके कारण कुल क्रेडिट की तुलना में एनपीए प्रतिशत में वृद्धि उभरकर दिख रही है। वसूली और अपग्रडेशन/राइट ऑफ हेतु किए गए सम्मिलित प्रयास से जो वित्तीय वर्ष 2015 में ₹ 3,483 करोड़ था 3 गुणा बढ़कर वित्तीय वर्ष 2016 में ₹ 10,921 करोड़ हो गया। ₹ 49,879 करोड़ के कुल समग्र एनपीए में से एक्यूआर खातों में ₹ 10,052 करोड़ है।

7. मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि वर्ष के दौरान हमने एनपीए की पहचान को पूर्णत: स्वत: परिचालित प्रणाली में ले गए हैं। फिलहाल एनपीए का जल्द से जल्द समाधान बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है और अपेक्षित परिणाम पाने के लिए कौशल उन्नयन के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना सहित एक वसूली वर्टिकल बनाई गई है। एनपीए प्रबंधन पर एक ई-लर्निंग मोड्यूल बनाई गई है, कर्मचारियों को इस ऑनलाइन टेस्ट को उत्तीर्ण करके अपने को त्वरित वसूली प्रक्रिया हेतु तैयार करना पड़ता है। एनपीए का आरंभिक स्तर में समाधान करने के लिए एनबीजी स्तरों में वर्धित प्रत्यायोजन के साथ समिति बनाई गई है। डाउनग्रेड करने के पश्चात वसूली/समाधान की प्रक्रिया को डिजिटाइज किया गया है ताकि एस्कलेशन के प्रयास समयानुसार और गलती मुक्त हो।

कासा में संवर्धन

8. हमने कासा के क्षेत्र में काफी अच्छा किया है। वित्तीय वर्ष 2016 में बचत जमाराशियों में 12.5% और चालू जमाराशियों में करीब 8% वृद्धि दर्ज हुई है। सम्पूर्ण कासा ने वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर करीब 12% वृद्धि दर्ज की है जबकि वित्तीय वर्ष 2015 के दौरान 8.46% वृद्धि दर्ज की गई थी, अर्ध शहरी और ग्रामीण शाखाओं में कासा में वृद्धि 15% प्रतिवर्ष रही। हमारी दो-तिहाई शाखा यहीं हैं। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर ₹ 10,000 शेष वाले बचत

on account of stress on asset quality. My view is that adversity brings about positive changes and provides an opportunity to have a re-look at age old process and systems. It questions the way things are being done and catalyses the thought process for bringing about quick changes in the light of the fast changing operating environment. This is precisely the reason for various new initiatives which have been introduced which I shall elaborate upon.

5. In order to overcome the present challenges, Bank had embarked upon a three pronged strategy i.e. NPA Management, Augmentation of CASA and Rebalancing of Advances in favour of retail portfolio. This strategy has been christened "Mission Star One".

NPA MANAGEMENT

6. This year has been a particularly challenging year for the banking industry, as well as for Bank of India. I will briefly mention the reasons for the same inasmuch as it pertains to our Bank. As you are aware, the RBI in their Monetary Policy Review in December 2015 mentioned about cleaning up of Balance Sheets by the banks by March 31, 2017. The Asset Quality Review (AQR) as of March 31, 2015 has resulted in certain weak accounts being classified as NPAs. Accordingly, the AQR list was partially implemented in December, 2015 and remaining part has since been fully implemented in March, 2016. NPA levels in most banks have been under pressure. As a result of increase in NPAs and drop in Advances level from ₹ 4.11 lac crore as on March 31, 2015 to ₹ 3.82 lac crore, as on March 31, 2016, the gross NPA ratio which was at 5.39% as on March 31, 2015 increased to 7.55% in September 2015, to 9.18 % as on December 31, 2015 and to 13.07 % as on March 31, 2016. Since during FY 2016, the Advances have de-grown by 7.30 % mainly because of lack of fresh bankable corporate credit proposals, the increase in NPA percentage to total credit has become more pronounced. Due to concerted efforts put in, the recovery and up-gradation / write off which was ₹ 3,483 crore in FY 2015 increased by over 3 times to ₹ 10,921 crore in FY 2016. Out of total gross NPA of ₹ 49,879 crore, ₹ 10,052 crore is on account of AQR accounts.

7. I would also like to mention that during the year we have moved to fully automated system of identifying NPAs. Accelerated resolution of NPAs is currently the most critical requirement and to achieve the desired results, a separate Recovery Vertical has been set up with necessary infrastructure in place for skill up-gradation. An e-learning module on NPA Management has been prepared and employees would need to pass an online test which would equip them to fast forward the recovery process. Committees with enhanced delegation have been formed at the 8 NBG levels for resolving NPAs at early stages. The recovery / resolution process to be followed post downgrading has also been digitized to ensure timely and error free escalation of the efforts.

AUGMENTATION OF CASA

8. We have done quite well on the CASA front. Saving deposits have shown a growth of 12.5 % and Current deposits have grown by about 8% in FY 2016. While overall CASA has registered a Y-o-Y growth of about 12% as against growth

खातों में 11.5% वृद्धि दर्ज की गई है और ₹ 1 लाख और अधिक शेष सहित चालू खातों में वर्ष-दर-वर्ष 9.12% वृद्धि दर्ज हुई है। कासा की वृद्धि के लिए हमारे सम्मिलित प्रयास के परिणामस्वरूप मार्च 2015 में 29.48% से कासा अनुपात बढ़कर मार्च 2016 में 34.18% हो गया। वित्तीय वर्ष 2017 में कासा वृद्धि में खिचाव जारी रहना अपेक्षित है।

9. देयता प्रोफाइल में स्थिरता, संक्रेन्द्रण जोखिम में कमी प्राप्त करने के साथ उच्च मूल्य जमाराशियों पर निर्भरता, ₹ 1 करोड़ से कम की मीयादी जमाराशियों में वृद्धि को प्रोत्साहित किया गया। ₹ 1 करोड़ और उससे कम की मीयादी जमाराशियों की हिस्सेदारी में वर्ष-दर-वर्ष 12% की वृद्धि हुई है और अब कुल मीयादी जमा राशियों का यह 71% है जबकि यथा 31 मार्च 2015 को 58% था।

रिटेल के पक्ष में क्रेडिटसंविभाग का पुन: तुलन:

10. वर्ष-दर-वर्ष आधार पर हमारी वैश्विक क्रेडिट संविभाग ने करीब 7.30% की नमारात्मक वृद्धि दर्ज की है। अंतरराष्ट्रीय परिचालन में 7.47% की नकारात्मक वृद्धि खरीदार के क्रेडिट संविभाग को कम करने के निर्णय के कारण हुआ है क्योंकि इसमें स्प्रेड बहुत कम है। घरेलू क्रेडिट संविभाग में करीब 7.23% की नकारात्मक वृद्धि हुई है जिसका कारण नए बैंकिंग योग्य कारपोरेट क्रेडिट प्रस्तावों की कमी है। रिटेल क्षेत्र में अच्छे कारोबार से संविभागों का पुन: संतुलन भी प्राप्त किया गया है जिससे संकेन्द्रण जोखिम को कम करने में सहायता मिली है। रिटेल और कृषि संविभाग ने अच्छी वृद्धि दर्ज की है और अब ये कुल घरेलू क्रेडिट संविभाग का क्रमश: 14% और 17% के करीब है। यह कहना उचित होगा कि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 9 ''आवास ऋण'' और ''संपत्ति परऋण'' संविभाग में करीब 19% वृद्धि हुई है। अग्रिम में कुल वृद्धि नकारात्मक रही खासकर कारपोरेट अग्रिम में कमी के कारण, रिटेल संविभाग (शुद्ध रिटेल,कृषि और एमएसएमई) की हिस्सेदारी बढ़कर मार्च 2015 में 44% से मार्च 2016 में 49% हो गई। परिणामस्वरूप कारपोरेट अग्रिम मार्च 2015 में 56% से घटकर मार्च 2016 में 51% हो गया। आगे बढ़ते हुए बैंक कारपोरेट आस्तियों और रिटेल आस्तियों में 45:55 का अनुपात प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।

11. बोर्ड के अनुमोदन से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आपका बैंक वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान भी उक्त कार्यनीति - मिशन स्टार वन को अपनाएगा। अब मैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों का उल्लेख करना चाहूँगा।

पूंजी संरचना:

12. दिनांक 31 मार्च 2016 से, बासेल-III समझौते के कार्यान्वयन के भाग के रूप में आरबीआई द्वारा 0.625% CCB (कैपिटल कन्ज़र्वेशन बफ़र) का रखा जाना अनिवार्य बना दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2015 की तुलना में बैंक को लगभग ₹ 2,200 करोड़ की अतिरिक्त सीईटी-1 रखनी पड़ी है। 31 मार्च, 2017 से, सीसीबी आवश्यकता में जोखिम भारित आस्तियों के 0.625% की वृद्धि होगी और बैंक को सीसीबी का 1.25% रखना पड़ेगा अर्थात लगभग रु.2,200 करोड़ की वृद्धि।

13. वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान सरकार ने 30 सितंबर, 2015 को ₹ 2,455 करोड़ और 31 मार्च, 2016 को ₹ 1,150 करोड़ की इक्विटी पूंजी लगाई है। बीमा कंपनियों ने हमारे अधिमानी इक्विटी निर्गम में ₹ 458 करोड़ या अभिदान किया है। कुल मिलाकर वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान बैंक ने 8.52% प्रतिवर्ष के दर पर बाँड जारी करते हुए ₹ 3000 करोड़ की टियर-II पूंजी और ₹ 4063 करोड़ की सीईटी-1 जुटाई। यथा 31 मार्च, 2016, सीईटी-1, 7.97% रहा, टियर-I 9.03% रहा और सीआरएआर मार्च 2015 के 10.73% की तुलना में 12.01% पर था।

of 8.46% registered during FY 2015, CASA growth in semi-urban and rural branches has been at 15% p.a. This is where we have 2/3rd of our Branches. Savings accounts with balance of ₹ 10,000 and above have registered a growth of 11.5% Y-o-Y and Current accounts with balance of ₹ 1 lac and above have registered a growth of 9.12% Y-o-Y. Our concerted efforts on growth of CASA have resulted in increase in CASA ratio from 29.48% in March, 2015 to 34.18 % in March, 2016. The traction in CASA growth is expected to continue in FY 2017.

9. In order to attain stability in the liability profile, reduce concentration risk as also dependence on high cost deposits, growth of term deposits of less than ₹ 1 crore was encouraged. The share of term deposits of "₹ 1 crore and below" has grown by 12 % Y-o-Y and now constitutes 71 % of total term deposits as compared to 58% as on March 31, 2015.

REBALANCING OF CREDIT PORTFOLIO IN FAVOUR OF RETAIL:

10. On Y-o-Y basis our global credit portfolio has recorded de-growth of about 7.30 %. The de-growth of 7.47% in international operations is largely due to conscious decision taken to reduce buyers' credit portfolio as it carries very thin spreads. The domestic credit portfolio has de-grown by about 7.23 % mainly due to lack of fresh bankable corporate credit proposals. Rebalancing of portfolios has been achieved with good traction in retail segment which has also helped in reducing concentration risk. The Retail and Agriculture portfolios have registered good growth and now constitute about 14 % and 17 % respectively, of the total domestic credit portfolio. It will be pertinent to mention that "Housing Loan" and "Loan Against Property" portfolio have grown by about 19 % Y-o-Y. While the total growth in Advances has been negative mainly as a result of drop in corporate advances, the share of retail portfolio (pure retail, agriculture and MSME) has grown from 44 % in March 2015 to 49 % in March 2016. Correspondingly, the Corporate Advances have reduced from 56 % in March 2015 to 51 % in March 2016. Going forward the Bank is endeavouring to achieve ratio of 45:55 for corporate assets to retail assets.

11. Your Bank will continue to pursue the above strategy – Mission Star One during FY 2017 to achieve the targets set with the approval of the Board. I would now like to mention certain other important developments.

CAPITAL STRUCTURE:

12. From March 31, 2016, maintenance of CCB (Capital Conservation Buffer) of 0.625% has been made effective by RBI as a part of implementation of Basel III accord. This has resulted in additional need of CET-1 of about ₹ 2,200 crore for the Bank as compared to March 31, 2015. From March 31, 2017, CCB requirement will increase further by 0.625 % of RWA and Bank will have to maintain CCB of 1.25% i.e. another increase of about ₹ 2,200 crore.

13. During FY 2016, Government has infused equity capital of ₹ 2,455 crore on September 30, 2015 and ₹ 1,150 crore on March 31, 2016. Insurance companies have subscribed ₹ 458 crore to our preferential issue of equity. In all, during FY 2016, Bank raised CET-1 of ₹ 4,063 crore and Basel III

14. बैंक ने मौद्रीकरण हेतु कुछ गैर-कोर आस्तियों और निवेशों का चयन किया है। इससे पूंजी में वृद्धि होगी।

लाभप्रदता

15. वित्तीय वर्ष 2016 के लिए परिचालन लाभ ₹ 6,036 करोड़ है, जो कि वित्तीय वर्ष 2015 के लिए ₹ 7,488 करोड़ था, जो ₹ 1,450 करोड़ की गिरावट को दर्शाता है। इसके प्रमुख कारण से मैं आपको अवगत कराता हूँ। पेन्शन देयताओं के लिए पर्याप्त प्रावधान करने हेतु बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान पुराने एलआईसी टेबल (94-96) के स्थान पर आईएएलएम 2006-08 टेबल का अनुपालन करना शुरू किया है जो उच्चतर आयु-संभाविता को ध्यान में रखता है। इस प्रकार आईएएलएम टेबल 2006-2008 में पदांतरण की वजह से, वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान ₹ 1,412 करोड़ का निवल एकबारगी प्रभाव पड़ा है। यह प्रावधान बीमांकिक परिकलन यथा 31 मार्च, 2016 का प्रबंध करता है जो वित्तीय वर्ष 2016 के प्रारंभ में किया गया था और विगत वर्षों को भी कवर करता है। यह एक गैर-आवर्ती व्यय है और बाद के वर्षों में इसका प्रभाव न्यूनतम होगा। इसके अलावा बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015 के दौरान एआरसी को बेचे गए कुछ एनपीए खातों के लिए ₹ 773 करोड़ का प्रावधान भी किया है जिसके लिए, आरबीआई से विशेष छूट प्राप्त करने के पश्चात, प्रावधान को वित्तीय वर्ष 2016 के लिए आस्थगित किया गया था। इस प्रकार उक्त कुल गैर-आवर्ती व्यय ₹ 2185 करोड़ है जो कि परिचालन लाभ में ₹ 1450 की कमी से अधिक है। इन कारणों के मद्देनज़र, यह स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2015 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान ऋण बही में 7.30% की नकारात्मक वृद्धि के बावजूद, व्ययों को नियंत्रित करने, विशेष रुप से जमाराशियों पर ब्याज व्ययों को नियंत्रित में बैंक सफल रहा है।

16. वित्तीय वर्ष 2015 के दौरान ₹ 1709 करोड़ के लाभ की तुलना में बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान ₹ 6089 करोड़ की हानि दर्ज की। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान हुई हानि में, कुछ एनपीए खातों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2015 से संबंधित विनियामक द्वारा दी गई कुछ छूट और एआरसी को बेची गई आस्तियों के कारण ₹ 1,482 करोड़ का प्रावधान शामिल है। इनका उल्लेख वित्तीय वर्ष 2015 के लिए लेखों पर टिप्पणियों में किया गया है। इसके अलावा, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, पेन्शन देयताओं के लिए पर्याप्त प्रावधान करने हेतु बैंक ने पुराने एलआईसी टेबल (94-96) के स्थान पर आईएएलएम 2006-08 टेबल का अनुपालन किया है जो उच्चतर आयु-संभाव्यता को ध्यान में रखता है। इस प्रकार आईएएलएम टेबल 2006-08 में पदांतरण की वजह से वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान निवल एकबारगी प्रभाव ₹ 1412 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने एक्यूआर खातों पर रु.4073 करोड़ का प्रावधान किया है। कुछ असामान्य मदों पर ₹ 298 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष की रु.6089 करोड़ की हानि की तुलना में उक्त कारणों से वित्तीय वर्ष 2016 हेतु गैर-आवर्ती प्रकृति का कुल प्रभाव ₹ 7,265 करोड़ है।

वित्तीय समावेशन

17. भारत सरकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत आपके बैंक ने विभिन्न पहल, विशेषकर वित्तीय समावेशन पहल किए हैं। वित्तीय समावेशन के प्रयासों में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है और उसके पीएमजेडीवाई के तहत 121 लाख खाते जोड़े हैं और ₹ 1,695 करोड़ की राशि संग्रिह की है। मुद्रा योजना के तहत आपके बैंक ने मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु ₹ 2752 करोड़ की राशि संवितरित की है। आपके बैंक का हमेशा यह प्रयास रहा है

compliant Tier II capital of ₹ 3,000 crore by issuing bonds at 8.52 % p.a. As on March 31, 2016, the CET-1 stood at 7.97 %, Tier I at 9.03 % and CRAR at 12.01 % against 10.73 % in March 2015.

14. The Bank has identified certain non-core assets and investments for monetisingthe same. This will help in shoring up the capital.

PROFITABILITY

15. The Operating Profit for FY 2016 is ₹ 6,036 crore, as against ₹ 7,488 crore registered during FY 2015, thereby reflecting a decline of about ₹ 1,450 crore. I will give you the main reasons for this. For adequately providing for pension liabilities, the Bank has switched from the old LIC table (94-96) to the IALM 2006-08 table during FY 2016 which considers the higher life expectancy. The net one time annual impact of this movement to the IALM table 2006-2008 is ₹ 1,412 crore during FY 2016. This provision takes care of the actuarial calculations as on March 31, 2016 which was done at the beginning of FY 2016 and covers previous years as well. This is a non-recurring expense and its impact in subsequent years will be minimal. Besides, Bank has also made provision, of ₹ 773 crore on account of certain NPA accounts sold to ARCs during FY 2015, for which provision was deferred to FY 2016 under special dispensation of RBI. The above non-recurring expenses thus aggregate to ₹ 2,185 crore, which is more than the decline of ₹ 1,450 crore in operating profits. Considering these factors, it is evident that the Bank has controlled the expenses, in particular, interest expenses on deposits to achieve better operating efficiency, despite negative growth of 7.30 % in the loan book during FY 2016 over FY 2015.

16. Bank has incurred loss of ₹ 6,089 crore during FY 2016 as compared to profit of ₹ 1,709 crore booked during FY 2015. The loss during FY 2016 includes provision of ₹ 1,482 crore covering certain specific dispensation given by the Regulator pertaining to FY 2015 in respect of certain NPA accounts as also sale of assets to ARCs. The same has been mentioned in the notes to the accounts for FY 2015. In addition, for adequately providing for pension liabilities, as I have mentioned earlier, the Bank has switched from the old LIC table (94-96) to the IALM 2006-08 table which considers the higher life expectancy. The net one time annual impact of this movement to the IALM table is ₹ 1,412 crore during FY 2016. Further on AQR accounts bank has made provisions of ₹ 4,073 crore. A provision of ₹ 298 crore was made on certain unusual items. The total impact on account of the above factors, which are non-recurring in nature, for FY 2016 is ₹ 7,265 crore as against loss for FY 2016 at ₹ 6,089 crore.

FINANCIAL INCLUSION

17. Your Bank has undertaken various initiatives under Social Security programmes of the Government of India especially financial Inclusion initiatives. Bank has been playing a key role in financial inclusion efforts and added 121 Lakhs accounts and has mobilized ₹ 1,695 crore under PMJDY. Under MUDRA Yojana, your Bank has disbursed ₹ 2,752 crore for the year ended March 2016. Your Bank constantly endeavors to be a pioneer in financial inclusion

कि वह वित्तीय समावेशन प्रयासों में अग्रणी रहे। इसके अलावा आपके बैंक ने सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वनय में सक्रिय भूमिका निभाई है जिनमें जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, कौशल उन्नयन और रो. जगार सृजन शामिल हैं।

18. नए पहल

कारोबार प्रक्रिया पुनर्विन्यास - बैंक ने एक स्वतंत्र महाप्रबंधक के नेतृत्व के अधीन बीपीआर कार्यों को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। एक समकालीन निधि अंतरण मूल्यनिर्धारण तंत्र स्थापित किया जा चुका है। अगला कदम, ग्राहक एवं उत्पाद की लाभप्रदता को मापने हेतु तंत्र विकसित करना है। बुनियादी स्तर पर स्टाफ सदस्यों को RAROC अवधारणा के बारे में अवगत कराया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके स्तर पर सही मायनों में पूंजी की लागत का तात्पर्य समझा जा सके। इससे पूंजी के प्रभावशाली उपयोग में मदद मिलेगी।

रिटेल खण्ड में प्रॉडक्ट ओनर्शिप सृजित करने पर बैंक अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा है और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रॉडक्ट चौम्पियन्स की अवधारणा शुरू की जा रही है। प्रॉडक्ट चैम्पियन लगातार बाज़ार को स्कैन करेंगे और उत्पादों के श्रेष्ठतम विशेषताओं/प्रथाओं की पहचान करेंगे ताकि हमारे उत्पादों को अधिक उपभोक्ता-अनुकूल बनाया जा सके। ग्राहकों की आवश्यकताओं की पहचान करने और बाज़ार की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक नया उत्पाद समूह बनाया जा रहा है।

चूंकि बाज़ार परिदृश्य निरंतर परिवर्तित हो रहा है और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। बैंक भविष्य के लीडरों की पहचान करने हेतु कदम उठा रहा है जिसके लिए बाहर के व्यक्तियों की सहायता ली जाएगी। इसे संरचित प्रतिपालन कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाएगा जिसमें अनुभवी बैंकरों की सहायता ली जाएगी। इसके साथ ही अतिविशिष्ट कार्य निष्पादन करने वालों को प्रोत्साहित करने और मैरिट को बढ़ावा देने के वातावरण के सृजन हेतु सुस्पष्ट कैरियर पाथ सहित पदारोहण योजना तैयार की जा रही है।

आने वाली चुनौतियां का सामना करने और डिजिटल युग द्वारा प्रस्तुत अवसरों का पूर्ण लाभ उठाने के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसमें, प्रौद्योगिकी में अग्रणी रहने हेतु दक्षता बढ़ाना और विशेष रूप से डिज़िटैज़ैशन शामिल होगा। बैंक ईडब्ल्यूडी, सीआरएम और साथ में परिणामी डाटा विश्लेषण जैसी परियोजनाएं शुरू करने हेतु अपनी क्षमता बढ़ाना चाहता है जिससे बैंक को क्रॉस सेलिंग बढ़ाने हेतु ग्राहक-व्यवहार-अध्ययन में सुविधा होगी।

सहायक कंपनियां एवं अनुषंगियां

19. पूंजी अनलॉक करने के उद्देश्य से कुछ गैर-कोर अनुषंगियों को डाइवेस्ट करने पर विचार कर रहे हैं। विदेशों में हमारी अच्छी उपस्थिति है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2016 में विदेशी कारोबार में गिरावट आई है, फिर भी यूएस और यूके जैसे विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में किसी सुधार का हम लाभ उठा पाएंगे।

पुरस्कार एवं सम्मान

20. बैंक को नवंबर, 2015 में ईटी ब्यूरो द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ''दूसरा सबसे विश्वसनीय ब्रैंड'' घोषित किया गया है।

21. इंडियास मोस्ट इन्फ्लुएन्शिएल ब्रैंड्स 2015 पर आईपीएसओएस के एक सर्वे में सभी भारतीय ब्रैंडों में बैंक को 23वां और पूरे बैंकिंग उद्योग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है जो कि एसबीआई के बाद का अगला स्थान है।

efforts. Besides, your Bank has played an active role in implementation of various social security schemes of Government covering life and accident insurance as also in skill up-gradation and employment generation.

18. NEW INITIATIVES

- Business Process Re-engineering - Bank has decided to rejuvenate the BPR functions under exclusive General Manager. A contemporary fund transfer pricing mechanism has already been put in place. The next step would be to develop systems to measure customer and product profitability. Staff at grass root level are being made aware about RAROC concept to ensure that cost of capital is understood at their level in true sense. This will help in making more efficient use of capital.
- In order to create a product ownership in the retail segment, an area where the Bank is focusing upon, the concept of Product Champions is being introduced. The Product Champions would scan the market on an on-going basis to identify best features/practices of products to make our products more competitive as also user friendly. A new product group is also being formed for identifying customer needs and developing products to meet the emerging needs of the market.
- Given the fast changing market scenario and emerging competition, the Bank is taking steps to identify leaders for the future for which purpose the assistance of outside experts would be taken. This would be dovetailed to a structured mentorship programme where the assistance of experienced bankers would be taken. Concurrently, a succession plan is also being drawn up along with a clear career path to encourage outstanding performers and create an environment of meritocracy.
- We are making concerted efforts to meet the challenges as also to leverage the opportunities thrown up by the Digital Age. This would include increasing efficiencies in the existing process flowto remain at the cutting edge of technology with digitization being the key. The Bank also proposes to build up capacity to undertake projects, such as, EDW, CRM, with resultant data analytics which would facilitate Bank to study customer behaviour for enhancing cross sell.

ASSOCIATES AND SUBSIDIARIES

19. We are focusing on certain non-core subsidiaries to divest with an aim to unlock capital. We also have a fairly good presence overseas. Though overseas business has shown de-growth during FY 2016, we would be able to take advantage of any upturn in world economy especially key markets such as US and UK, as and when it happens.

RECOGNITION& AWARDS

20. Bank has been rated by ET Bureau as the “Second Most Trusted Brand” in India among the PSU banks in November, 2015.

21. The Bank was also ranked 23rd amongst all Indian brands and 2nd in the entire banking sector, next only to SBI in an IPSOS Survey on India’s most influential brands 2015.

22. I wish to place on record the valuable contributions made by the Directors on your Bank’s Board including those

22. मैं, वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान पद से निवृत्त हुए आपके बैंक के बोर्ड के निदेशकों जैसे श्रीमती वी.आर अय्यर (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक), श्री अरुण श्रीवास्तव -कार्यपालक निदेशक, श्री अनूप वधावन - सरकारी नामिती निदेशक, श्री ए.एम. परेरा - कामगार कर्मचारी निदेशक, श्री डी. हरीश - शेयरधारक निदेशक द्वारा दिए गए मूल्यवान योगदान को भी कलमबंद करना चाहूंगा। बैंक को भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और अन्य विनियामक प्राधिकरणों से उत्तम सहयोग और बहुमूल्य मार्गदर्शन मिलता रहा है जिसके लिए बैंक उनके प्रति आभारी है। मैं, बैंक की ओर से तथा अपनी ओर से अपने कारोबारी सहयोगियों, ग्राहकों, शेयरधारकों और स्टेकधारकों, वित्तीय संस्थाओं तथा प्रतिनिधि बैंकों के हमारे प्रति विश्वास, भरोसे और सक्रिय सहयोग हेतु उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ और उनके सतत संरक्षण, मार्गदर्शन एवं सहयोग की कामना करता हूँ। अंत में मैं अपने प्रतिबद्ध स्टाफ सदस्यों के ईमानदार और निष्ठापूर्ण प्रयासों की सराहना करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित,

मेलविन रेगो
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

14 जून, 2016

who have demitted office during FY2016 viz. Mrs V R Iyer (Chairperson & Managing Director), Shri Arun Shrivastava - Executive Director, Shri Anup Wadhawan- Government Nominee Director, Shri A M Pereira- Workman Employee Director, Shri D. Harish- Shareholder Director.The Bank also thanks the Government of India, Reserve Bank of India, SEBI and other regulatory authorities, who have provided excellent support and valuable guidance. On behalf of the Bank and on my personal behalf I would like to thank our Business Associates, Customers,Shareholders and Stakeholders,Financial Institutions and Correspondent Banks for their trust, faith and active association and look forward to their continued patronage, guidance and support. Last, but not the least, I also place on record my appreciation for the sincere and unstinted efforts put in by our committed staff members.

With warm regards,

Melwyn Rego
Managing Director & CEO

June 14, 2016

निदेशक रिपोर्ट

निदेशक मण्डल 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की लेखापरीक्षित लेखा विवरण और नकदी प्रवाह विवरण के साथ वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है ।

कार्यनिष्पादन

घरेलू कारोबार:

- कासा जमाराशियों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 11.84% की वृद्धि हुई, एसबी जमाराशियों में 12.54% और सीडी जमाराशियों में 8.04% की वृद्धि हुई। घरेलू जामाराशियों में कम लागत की जमाराशियों की हिस्सेदारी जो यथा 31.03.2015 को 29.48% थी, बढ़कर 31.03.2016 को 34.18% हो गई।
- उच्च लागत वाली जमाराशियों को कम करने की हमारी कार्यनीति के फलस्वरूप घरेलू जमाराशियां 5.20% घटकर रु 3,98,000 से रु.3,77,309 करोड़ हो गई।कुल मीयादी जमाराशियों में रु 1 करोड़ से कम की मीयादी जमाराशियों (रिटेल जमाराशियों) की हिस्सेदारी वर्ष दर वर्ष आधार पर 56% से बढ़कर 71% हो गई।
- अग्रिम ने 7.23% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए रु.2,89,515 करोड़ से रु.268,579 करोड़ हो गई क्योंकि दबावग्रस्त आस्तियों की वसूली और अप-ग्रेडेशन पर और रिटेल आस्तियों के पक्ष में बहियों के पुन:तुलन पर ध्यान दिया गया। रिटेल आस्तियों की हिस्सेदारी वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 44% से बढ़कर 49% हो गई जबकि कारपोरेट ऋण अपेक्षानुसार 56% से घटकर 51% हो गया।
- प्राथमिकता क्षेत्र उधार, समायोजित निवल बैंक ऋण का 35.78% और समायोजित निवल बैंक ऋण में कृषि ऋण की हिस्सेदारी 17.27% है।
- योजनाबद्ध रिटेल ऋणों में 10.61% वृद्धि हुई और वह ₹ 34,153 करोड़ से बढ़कर ₹ 37,777 करोड़ हो गए।
- समग्र रूप में, घरेलू कारोबार में 6.05% की कमी आई है और वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान रु 6,87,515 करोड़ से ₹ 6,45,888 करोड़ पर पहुँच गया है

विदेशी कारोबार:

पिछले वर्ष के 13.65% की वृद्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान विदेशी कारोबार में 2.87% की कमी आई है।

वैश्विक कारोबार:

- पिछले वर्ष के 10.60% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान वैश्विक कारोबार में 5.19% की गिरावट आई है। कुल कारोबार मिश्र (जमा+अग्रिम) ₹ 8,94,667 करोड़ पर पहुँच गई जिसमें ₹ 48,966 करोड़ की कमी आई।
- कुल जमाराशि यथा 31.03.2015 को ₹ 5,31,907 करोड़ से घटकर यथा 31.03.2016 को ₹ 5,13,005 करोड़ हो गई जो 3.55% कम है।
- अग्रिम यथा 31.03.2015 को ₹ 4,11,726 करोड़ से घटकर यथा 31.03.2016 को ₹ 3,81,662 करोड़ हो गई जो 7.30% वृद्धि में कमी है।

वित्तीय मानदण्ड:

- परिचालन लाभ ₹ 6,036 करोड़ और निवल हानि ₹ 6,089 करोड़।
- बासेल III अनुपात: सीईटी1 तथा सीसीबी 6.125% के न्यूनतम निर्धारित स्तर की तुलना में 7.97% पर रहा,टियर1 7.625% के न्यूनतम निर्धारित स्तर की तुलना में 9.03% रहा और पूंजी पर्याप्तता अनुपात आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट (बासेल III के तहत) 9.625% की तुलना में 12.01% रहा।
- निवल मालियत ₹ 20,172 करोड़ पर रही ।
- प्रति शेयर बही मूल्य यथा 31.03.2016 को ₹ 262.77 रही ।
- यथा 31.03.2016 को सकल एनपीए अनुपात 13.07% रहा।
- यथा 31.03.2016 को निवल एनपीए अनुपात 7.79% रहा।
- वर्ष 2015-16 के लिए बैंक के वित्तीय कार्यनिष्पादन का संक्षेप नीचे दिया गया है।

(राशि करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	वृद्धि (%)
निवल ब्याज आय	11344	11724	3.35
गैर-ब्याज आय	4233	3653	-13.70
परिचालन व्यय	8089	9342	15.48
परिचालन लाभ	7488	6036	-19.39
प्रावधान / आकस्मिकताएं	5779	12125	109.81
निवल लाभ	1709	-6089	-456.29
प्रति शेयर आय (₹)	26.57	-83.01	-412.42
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	398.02	262.77	-33.98
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	6.70	-25.39	
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (%)	0.27	-0.94	

प्रमुख वित्तीय अनुपात

(प्रतिशत) (%)

मानदण्ड	2014-15	2015-16
अग्रिम पर आय	8.36	8.28
निवेश पर आय	8.08	7.81
निधियों पर आय	7.13	6.87
जमा राशियों की लागत	5.70	5.25
निधियों की लागत	5.27	4.95
निवल ब्याज मार्जिन	2.11	2.11
परिचालन व्ययों के प्रति गैर ब्याज आय	52.33	39.10
औसत कार्यशील निधि के प्रति अन्य आय	0.66	0.57
औसत कार्यशील निधि के प्रति परिचालन व्यय	1.33	1.54
औसत कार्यशील निधि के प्रति स्टाफ व्यय	0.82	0.88
औसत कार्यशील निधि की तुलना में अन्य परिचालन व्यय	0.51	0.66
आस्ति उपयोग अनुपात	1.23	0.99
कुल आय की तुलना में गैर-ब्याज आय	8.88	8.04
निवल आय की तुलना में गैर-ब्याज आय	27.17	23.75
निवल आय अनुपात पर लागत	51.93	55.72

कारोबार पहल:

- भारत सरकार के ''द्वद्ध के लिए आवास (शहरी)'' मिशन पहल जो 2015-2022 के दौरान कार्यान्वित की जा रही है जिसमें वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू करके बैंक ने सहभागिता की।
- भारत सरकार के कौशल विकास पहल को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने प्रधानमंत्री कौशल ऋण योजना (कौशल ऋण योजना) आरंभ की है।
- प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत बैंक ने रु.65 करोड़ सीमा सहित 1,108 खातों को मंजूरी दी।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत बैंक ने 3,76,486 खाते खोले हैं और योजना के अंतर्गत रु.2,752.28 करोड़ संवितरित की गई।
- वर्ष के दौरान 17,998 लाभार्थियों को मुद्रा कार्ड भी दिये गए
- स्टैण्ड अप इंडिया कार्यक्रम के तहत बैंक ने अब तक 32 खाते खोले हैं जिसकी मंजूरी सीमा रु.546 लाख है।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के अंतर्गत छात्रों/प्रशिक्षुओं के खाते खोलने के लिए बैंक ने पीएमकेवीआई ऑनलाइन पोर्टल आरंभ किया है।
- छात्रों के लिए शिक्षा ऋण हेतु सिंगल विंडो सोल्यूशन देने के लिए भारत सरकार की एक पहल विद्या लक्ष्मी पोर्टल के साथ हमारे परिचालन सिस्टम को एकीकृत करने वाला हमारा बैंक पहले कुछ बैंकों में से एक है।
- बैंक ग्रामीण स्व नियोजन प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) के जरिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशील पूंजी की व्यवस्था के जरिए अधिक रोज़गार सृजन के लिए उद्यमी के रूप में एससी/एसटी युवाओं का हैण्डहोल्डिंग/वित्तपोषण और बढ़ावा दे रहा है।
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) परियोजना के लिए बीसी नेटवर्क का प्रयोग।
- बैंक का महाराष्ट्र सेल्स टैक्स विभाग और टी बोर्ड, पश्चिम बंगाल के साथ राज्यों में क्रमश: सेल्स टैक्स/वैट के संग्रह और चाय थोक की नीलामी के लिए टाई-अप व्यवस्था है।
- बीओआईङ ईज़ी पे - व्यक्ति से व्यक्ति पेमेण्ट सोल्यूशन - 01.04.2015 से आरंभ की गई।
- रुपे प्लेटिनम कार्ड शुरू किए गए ।
- एम्स भुवनेश्वर और पटना के लिए प्रीपेड क्लोस्ड यूज़र ग्रुप (सीयूजी) सुविधा शुरू की गई।
- नई विशिष्टताओं के साथ प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड शुरू किए गए।
- एनआरआई और जो लोग आईटी विवरणी नहीं दे सकते उनके लिए सिक्युर्ड क्रेडिट कार्ड सुविधा (प्रिविलेज और प्रिविलेज प्लस) आरंभ किया।
- वर्धित विशिष्टताओं के साथ विज़ा नेटवर्क के अंतर्गत बिज़नेस डेबिट और क्रेडिट कार्ड आरंभ किए गए ।
- रिलायन्स मनी एक्सप्रेस (यूफर्स्ट) के साथ मिलकर को ब्रैण्डेड प्री-पैड कार्ड-गिफ्ट कार्ड, सामान्य प्रयोजन का कार्ड, कारपोरेट गिफ्ट कार्ड आरंभ किए गए।
- मई 2015 में एम-विज़ा एक मोबाइल से मोबाइल भुगतान समाधान - व्यक्ति से मर्चेन्ट पेमेन्ट सोल्यूशन आरंभ की गई। जल्दी ही दो महानगरों में आरंभ की जाएगी।
- कार्ड के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की गई।
- एसएमएस आधारित मोबाइल रिचार्ज सुविधा आरंभ करना प्रक्रियाधीन है।

बैंक ने वर्ष के दौरान शाखाओं में ग्राहक सेवा को उन्नत करने के लिए निम्नलिखित पहल किए हैं:

- शिकायत निवारण में प्रतिक्रिया समय कम करने और समय से सुधारात्मक कदम उठाने में मदद करने हेतु ऑपरेशनल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज्मैंट (थ्र्ण्श) आरंभ की गई है जिसमें शिकायत वेब/मेल में डाला और अपनेआप समीक्षात्मक रिपोर्ट जेनरेट किया जाता है।
- शाखाओं में प्रदर्शित नोटिस बोर्ड में वेसिक बचत बैंक जमा खाता/छोटा खाता खोलने के लिए उपलब्ध सुविधा और आवश्यक न्यूनतम दस्तावेज़ की सूचना प्रदर्शित की जाती है।

पूंजी

- वर्ष के दौरान, बैंक ने सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटन आवश्यकताएँ)विनियमन, 2009 के विनियम 76(1) के अनुसरण में रु 10 प्रत्येक के 15,16,43,949 इक्विटी शेयर का अधिमानी आबंटन किया है जिसका ब्योरा निम्नानुसार है :

आबंटन की तारीख	शेयरधारक के नाम	इक्विटी शेयर की संख्या	प्रति शेयर प्रीमियम	राशि
30.09.2015	भारत सरकार	12,70,04,655	183.30	2,455.00
05.01.2016	भारतीय जीवन बीमा निगम	2,00,00,000	122.06	264.12
30.03.2016	जनरल इन्शुरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	46,39,294	76.22	40.00
	कुल	15,16,43,949		2,759.12

इसके अतिरिक्त बैंक ने भारत सरकार से रु1150 और भारतीय जीवन बीमा निगम से ₹ 153.65 शेयर आवेदन राशि हेतु प्राप्त किया है जो अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयरों का सबस्क्रिप्शन है जिसका आबंटन 04 मई 2016 को किया गया था। आरबीआई के परिपत्रों के अनुसार इसे सीआरएआर के प्रयोजन से यथा 31.03.2016 को सीईटी1 पूंजी मानी जाएगी।

पूँजी पर्याप्तता

- बासेल-III की रूपरेखा के अनुसार, बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात 12.01% था जो 9.625 -% की विनियामक आवश्यकता से अधिक था।
- पूँजी पर्याप्तता (बासेल II और बासेल III) का ब्योरा निम्नानुसार है:-

पुरस्कार एवं सम्मान:

- इकॉनोमिक टाइम्स द्वारा वर्ष 2015 में पीएसयू बैंकों में से बैंक ऑफ़ इंडिया को ''सेकन्ड मोस्ट ट्रस्टेड ब्रैण्ड'' माना गया।
- आईपीएसओएस सर्वे - भारत के सबसे अधिक प्रभावकारी ब्रांड के अंतर्गत

सभी ब्रांडो में बैंक ऑफ इंडिया को 23वां स्थान और एसबीआई के बाद दूसरा।

- ईलेट्स मिडीया - सर्वश्रेष्ठ वित्तीय समावेशन पहल के लिए बीएफएसआई लीडरशिप अवार्ड।
- आईडीआरबीटी बैंकिंग एक्सलेंस अवार्ड - भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा वर्ष 2015 के लिए बड़े बैंकों में वित्तीय समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग हेतु दिया गया।
- सीआईएमएसएमई - बैंकिंग एक्सलेंस अवार्ड - 2015, नई दिल्ली -
- बृहत बैंकों में वित्तीय समावेशन के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक - दूसरा स्थान
- बृहत बैंकों प्रधानमंत्री जन-धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक - दूसरा स्थान
- वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत संपूर्ण कार्यनिष्पादन हेतु तृतीय स्थान।
- आईबीए अवार्ड 2015 - सर्वश्रेष्ठ वित्तीय समावेशन पहल - बृहत बैंक - दूसरा स्थान
- बैंक को आईडब्ल्यूपी (इन्सपायरिंग वर्क प्लेस 2015) दिया गया - मुंबई में 15 दिसबंर 2015 को बैंकिंग फ्रान्टियर्स द्वारा 'पीएसयू' श्रेणी के तहत 'श्रेष्ठ एचआर प्रौद्योगिकी अवार्ड'
- स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड - 'टेक्नॉलजीस् फॉर डिजिटल इंडिया" के तहत वित्तीय समावेशन के लिए स्मार्ट टेक्नॉलजी अवार्ड 2015
- इनोवेटिव सीईओ अवार्ड 2015
- विशेष श्रेणी में रुपे कार्ड के श्रेष्ठ जारीकर्ता के लिए नेशनल पेमेन्ट्स एक्सलेंस अवार्ड 2015
- एनएफएस उत्पाद के लिए बड़े बैंको की श्रेणी में विशेष अवार्ड - नेशनल पेमेन्ट्स एक्सलेंस अवार्ड 2015
- इन्फोसिस द्वारा फिनैकल इनोवेशन अवार्ड
- आईबीए सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक अवार्ड 2015, बड़ा बैंक - पीएमएमवाई के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए - विजेता
- सिंगापुर में 11 अगस्त 2015 को आयोजित छठवें सीएमओ एशिया अवार्ड के दौरान सीएमओ एशिया द्वारा ब्राण्ड एक्सलेन्स इन-हाउस जर्नल के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार।
- 25 दिसंबर 2015 को श्रेष्ठ गृह पत्रिका श्रेणी में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ़ इंडिया (PRSI) द्वारा नैशनल अवार्ड 2015 (द्वितीय पुरस्कार)
- 6 जून 2015 को आयोजित आईसीई इन-हाउस कम्यूनिकेशन एक्सलेंस अवार्ड 2015 में श्रेष्ठ विशेष संख्या के लिए शैलेजा नायर फाउन्जेशन (ICE) ने हमारी पत्रिका को द्वितीय पुरस्कार दिया।
- एसोशिएशन ऑफ बिज़नेस कम्यूनिकेटर्स ऑफ इंडिया (ABCI) से मुंबई में 27 फरवरी 2015 में फीचर्स (लैग्वेज़), स्पेशल कॉलम (लैग्वेज़) जैसी श्रेणियों में दो पुरस्कार।
- आउटलूक मनी अवार्ड -2015 से श्रेष्ठ शिक्षा ऋण प्रदाता के विजेता
- माइ एफ़एम 94.3 द्वारा स्टार्स ऑफ इंडस्ट्री अवार्ड 2015-16 में होम लोन बैंकिंग में श्रेष्ठता अवार्ड
- इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज़, कारपोरेट 'विजिलेन्स एक्सलेंस अवार्ड 2015-16' - 5वां स्थान

निदेशक उत्तरदायित्व विवरण

निदेशक पुष्टि करते हैं कि मार्च 31, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों को तैयार करने में:

क लागू लेखा मानकों का पालन किया गया और महत्त्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई, के लिए उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

ख भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाई गई लेखा नीति सतत लागू की गई। उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए गए ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्यकलापों के संबंध में तथा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ हानि खाते के बारे में सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत की जा सके;

ग बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए एवं धोखाधडी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं उन्हें रोकने के लिए भारत में कार्यरत बैंकों पर लागू कानून के अनुरूप पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रखरखाव के लिए उचित एवं उपयुक्त सावधानी;

घ वार्षिक लेखे कार्यशील संस्था आधार पर तैयार किए गए हैं;

ङ बैंक द्वारा अनुसरण की जानेवाली आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को स्थापित किया गया है और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से परिचालन में हैं;

च समस्त लागू कानून के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित सिस्टम बनाया गया है और यह कि ऐसे सिस्टम पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से परिचालन में हैं।

DIRECTORS' REPORT

The Board of Directors have pleasure in presenting the Bank's Annual Report along with the audited statement of accounts and the cash flow statement for the year ended 31st March 2016.

Performance:

Domestic Business:

- CASA deposits increased by 11.84% on Y-o-Y, SB deposits grew by 12.54% and CD by 8.04%. Share of low cost deposits (CASA), in domestic deposits improved from 29.48% as on 31-03-2015 to 34.18% as on 31.03.2016.
- Domestic deposits decreased by 5.20% from ₹ 3,98,000 crore to ₹ 3,77,309 crore as a result of our strategy to shed high cost deposits. Share of Term Deposits of less than ₹ 1 Crore (Retail deposits) in total term deposits, increased to 71 % from 56 % Y-o-Y.
- Advances registered a negative growth of 7.23% from ₹ 2,89,515 crore to Rs.2,68,579 crore, as the focus was more on recovery and up-gradation of stressed assets, and on re-balancing of books in favour of Retail Assets. Share of Retail Assets increased to 49 % from 44 % Y-o-Y, while that of Corporate Loans decreased from 56 % to 51 % as desired.
- Priority Sector lending constituted 35.78% of Adjusted Net Bank Credit and the share of Agricultural Credit to Adjusted Net Bank Credit was 17.27%.
- Schematic Retail Credit grew by 10.61% from ₹ 34,153 crore to ₹ 37,777 crore.
- Overall, Domestic business has de-grown by 6.05% from ₹ 6,87,515 crore to ₹ 6,45,888 crore during FY 2016.

Overseas Business:

- Overseas business has de-grown by 2.87% during FY 2016 compared to last year growth of 13.65%.

Global Business:

- Global business has de-grown by 5.19% during FY 2016 compared to last year growth of 10.60%. Total Business mix (Deposits + Advances) reached at ₹ 8,94,667 crore, a de-growth of ₹ 48,966 crore.
- Total deposits decreased by 3.55% from ₹ 5,31,907 crore as on 31.03.2015 to ₹ 5,13,005 crore as as on 31.03.2016.
- Advances decreased by 7.30% from ₹ 4,11,726 crore as on 31.03.2015 to ₹ 3,81,662 crore as on 31.03.2016.

Financial Parameters:

- Operating profit was ₹ 6,036 crore and Net loss was ₹ 6,089 crore.
- Basel III ratios: CET 1 plus CCB was at 7.97% as against minimum prescribed level of 6.125% , Tier I was at 9.03% as against minimum prescribed level of 7.625% and Capital Adequacy Ratio stood at 12.01% as against 9.625% prescribed by RBI (under Basel III).
- Net Worth as on March 31, 2016 stood at ₹ 20,172 crore.
- Book value per share was ₹ 262.77 as on 31.03.2016.
- Gross NPA ratio stood at 13.07% as on 31.03.2016.
- Net NPA ratio was 7.79% as on 31.03.2016.
- The Financial performance of the Bank for the year 2015-16 is summarised below:

(Amount in crore)

Particulars	2014-15	2015-16	Growth (%)
Net Interest Income	11,344	11,724	3.35
Non-Interest Income	4,233	3,653	-13.70
Operating Expenses	8,089	9,341	15.48
Operating Profit	7,488	6,036	-19.39
Provisions / Contingencies	5,779	12,125	109.81
Net Profit	1,709	-6,089	-456.29
Earnings per share (₹)	26.57	-83.01	-412.42
Book Value per share (₹)	398.02	262.77	-33.98
Return on Equity (%)	6.70	-25.39	
Return on Average Assets (%)	0.27	-0.94	

Key Financial Ratios are presented below

(Percentage) (%)

Parameters	2014-15	2015-16
Yield on Advances	8.36	8.28
Yield on Investment	8.08	7.81
Yield on funds	7.13	6.87
Cost of Deposits	5.70	5.25
Cost of funds	5.27	4.95
Net Interest Margin	2.11	2.11
Non-Interest Income to Operating Expenses	52.33	39.10
Other Income to Average Working Fund	0.66	0.57
Operating Expenses to Average Working Fund	1.33	1.54
Staff Expenses to Average Working Fund	0.82	0.88
Other Operating Exp. to Average working Fund	0.51	0.66
Asset Utilization Ratio	1.23	0.99
Non-Interest Income to Total Income	8.88	8.04
Non-Interest Income to Net Income	27.17	23.75
Cost to Net Income Ratio	51.93	55.72

Business Initiatives:

- During the year, Bank has introduced Prime Minister Awas Yojana to participate in Government of India (GOI) initiative under "Housing for All (Urban)" Mission, being implemented during 2015-2022.
- Bank has introduced Pradhan Mantri Kaushal Rin Yojana (Skill Loan Scheme) to provide fillip to Skill Development initiatives of the GOI.
- Under Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP), the Bank has sanctioned 1,108 accounts with limit of ₹ 65 crore.

- Under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), the Bank has opened 3,76,486 accounts and ₹ 2,752.28 crore has been disbursed under the scheme.
- MUDRA cards have also been given to the 17,998 beneficiaries during the year.
- Under Stand-Up India programme, the Bank has so far opened 32 accounts with a sanctioned limit of ₹ 546 lakhs.
- Bank's PMKVY Online Portal has been launched for opening of Students/Trainees accounts under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) Scheme.
- The Bank is also one of the 1st few banks to have integrated its operating system with Vidya Lakshmi Portal, an initiative of the GOI to provide single window solutions to students for availing Education loans.
- The Bank is also promoting and handholding/financing SC/ST youth as an entrepreneur to generate employment by extending training programme through Rural Self-Employment Training Institute (RSETI) and arranging working capital requirements.
- Use of BC network for National Skill Development Corporation (NSDC) project.
- Bank has tie-up arrangement with Maharashtra Sales Tax department and Tea Board, West Bengal for collection of Sales Tax / Vat and auction of tea lots respectively in the states.
- BOI Eazy Pay – a person to person payment solution – Rolled out on 01.04.2015.
- Introduced RuPay Platinum Cards.
- Rolled out Closed User Group (CUG) Pre-paid Cards for AIIMS Bhubaneswar and Patna.
- Introduced Platinum Credit Cards with enhanced revamped features.
- Rolled out Secured Credit Cards (Privilege and Privilege Plus) for NRI and individuals who are not able to furnish IT Returns.
- Business Debit & Credit Cards with enhanced features launched under Visa network.
- Co-branded Pre paid Cards - Gift Cards, General Purpose Cards and Corporate Gift Cards in partnership with Reliance Money Express (YouFirst) rolled out.
- mVisa - a mobile to mobile payment solution - individuals to merchant payment solution was launched in May 2015. Being rolled out, shortly, in two Metros.
- Implemented Fraud Risk Management system for cards.
- Introduction of SMS based Mobile Recharge facility is under process.

The Bank took the following initiatives during the year to enhance Customer service at Branches:

- Operational Customer Relationship Management (OCRM) was introduced to lodge Web/Mail based complaints automatically to generate analytical reports to help reduce turnaround time in grievance redressal & initiate remedial steps in time.
- Notice Board displayed at Branches about facility available for opening Basic Savings Bank Deposit account/Small Accounts and the minimum documents required.

Capital:

- During the year, the Bank has made preferential allotment of 15,16,43,949 Equity Shares of ₹ 10 each in accordance with the regulation 76(1) of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, the details of which are as under:

(₹ in crore)

Date of Allotment	Name of the Shareholder	No. of equity shares	Premium per share (in ₹)	Amount
30.09.2015	Government of India	12,70,04,655	183.30	2,455.00
05.01.2016	Life Insurance Corporation of India	2,00,00,000	122.06	264.12
30.03.2016	General Insurance Corporation of India	46,39,294	76.22	40.00
	Total	**15,16,43,949**		**2,759.12**

The Bank has received ₹ 1,150 crore from Government of India and ₹ 153.65 crore from the Life Insurance Corporation of India towards share application money for subscription to equity shares on preferential basis, the allotment of which has been made on 4th May, 2016. The same is treated as CET1 capital for CRAR purpose as on 31.03.2016 in accordance with RBI circulars.

Capital Adequacy:

- As per Basel III framework, the Bank's Capital Adequacy Ratio was 12.01% which is higher than the regulatory requirement of 9.625%.
- Details of Capital Adequacy (BASEL II & III) are :

(₹ in crore)

Particulars	BASEL – II				BASEL – III			
	31.03.2015		31.03.2016		31.03.2015		31.03.2016	
	Amount	CRAR (%)	Amount	CRAR (%)	Amount	CRAR (%)	Amount	CRAR (%)
CET 1 Capital					26,091	7.18	27,385	7.97
Additional Tier I Capital					3,618	1.00	3,662	1.06
Tier I Capital	29,864	8.23	25,509	7.57	29,709	8.17	31,047	9.03
Tier II Capital	11,554	3.19	15,097	4.48	9,289	2.56	10,242	2.98
Total Capital	41,418	11.42	40,606	12.05	38,998	10.73	41,289	12.01
Risk Weighted Assets	3,62,726		3,36,943		3,63,523		3,43,754	

Awards & Accolades:

- Bank of India has been rated as the '' Second Most Trusted Brand'' in India among PSU banks in 2015 by Economic Times.
- Bank of India ranked 23rd amongst all the brands and 2nd next to SBI amongst Banks under IPSOS survey, India's most influential Brands 2015.
- Elets Media -BFSI Leadership Award for best Financial Inclusion initiatives.
- IDRBT BANKING EXCELLENCE AWARDS – Best Bank Award under category "Use of Technology for Financial Inclusion among large Banks for the year 2015, conferred by Governor, Reserve Bank of India.
- CIMSME – BANKING EXCELLENCE AWARDS – 2015,

  Best Bank for Financial Inclusion "LARGE BANK" - Runners up.

  Best Bank for PM JAN DHAN YOJANA "LARGE BANK"- Runners up.
- Third Rank in overall performance under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Govt of India.
- IBA Award 2015 - Best Financial Inclusion Initiative - LARGE BANK - Runners up.
- Bank conferred with IWP (Inspiring Work Places 2015) – 'Best HR Technology Award' under PSU category by Banking Frontiers at Mumbai on 15th December 2015.
- Skoch Order-of-Merit Award – Smart Technology Awards 2015 for Financial Inclusion under "Technologies for Digital India".
- Innovative CIO Awards 2015.
- National Payments Excellence Awards 2015 for top issuer of Rupay card in Special category.
- National Payments Excellence Awards 2015 - Special award in large Banks category for NFS product.
- Finacle Innovation Award by Infosys.
- IBA Best MSME Bank Award 2015, Large Bank- For finance under PMMY-Winner.
- International award For Brand Excellence In-House Journal by CMO Asia during 6th CMO Asia Awards held at Singapore on 11th August, 2015.
- Public Relations Society of India (PRSI) NATIONAL AWARDS 2015 (2nd Prize) under Best In-House Magazine category on 25th December, 2015.
- Shailja Nair Foundation (ICE) has awarded Bank's magazine with '2ND RUNNER UP' for Best Special Edition at ICE In-house Communication Excellence Awards 2015 held on 6th June, 2015.
- Two awards from Association of Business Communicators of India (ABCI) on 27th February 2015 at Mumbai in categories i.e. Features (Language), Special Column (Language).
- Winner in Best Education Loan Provider from Outlook Money Awards-2015.
- Award for Excellence in Home Loan Banking by Stars of the Industry Award 2015 by MY FM-94.3.
- Institute of Public Enterprise, Corporate 5th Best "Vigilance Excellence Award 2015-16".

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2016:

a) The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any,

b) The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied. Reasonable and prudent judgments and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for the year ended March 31, 2016,

c) Proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities,

d) Annual accounts have been prepared on a going concern basis,

e) Internal financial controls system to be followed by the Bank were laid down and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively,

f) Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

प्रबंधन विचार - विमर्श एवं विश्लेषण

संपूर्ण कारोबार परिदृश्य

वैश्विक मुद्दे:

- पूरे विश्व में वृद्धि की गति मंद है। आईएमएफ द्वारा जारी नवीनतम वर्ल्ड इकानॉमिक आउटलूक के अनुसार वर्ष 2016 के लिए वैश्विक वृद्धि 3.2% और वर्ष 2017 के लिए 3.5% अपेक्षित है। एशिआई अर्थव्यवस्था के बीच चीन की वृद्धि वर्ष 2016 के लिए 6.9% हो गई और वर्ष 2017 में 6.5% होना अपेक्षित है। यह अपेक्षा की जा रही है कि उभरते बाज़ार और विकासशील अर्थ व्यवस्था (EMDE) की सम्पूर्ण विकास को नीचे की ओर ले जाएगा। निर्यात पर निर्भरशील देशों पर और माल उत्पादकों पर भी विपरित प्रभाव होगा। अन्य विशिष्टता है वैश्विक व्यापार वृद्धि (2.8%) वैश्विक आउटपुट वृद्धि (3.5%) से पीछे है।

घरेलू आर्थिक परिदृश्य:

वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान जीडीपी 7.6% अपेक्षित है और वित्तीय वर्ष 2017 के लिए वृद्धि का पूर्वानुमान 7.90% है। तथापि हाई फ्रीक्वेन्शी इंडिकेटर जैसे इंडेक्स ऑफ इन्डस्ट्रीयल प्रोडक्शन (आईआईपी), बैंक क्रेडिट की वृद्धि और उद्योग द्वारा क्षमता का प्रयोग संतुलन दर्शा रहा है। पण्य के मूल्य में गिरावट ने चालू खाते में घाटे को नियंत्रित रखा है जो वित्तीय वर्ष 16 के लिए जीडीपी का 1.3% अपेक्षित है।

सीपीआई और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति अच्छी है। पण्य के मूल्यों में कमी के कारण मुद्रास्फीति कम रही। यह अपेक्षा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2017 के लिए सरकार राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 3.5 प्रतिशत पूरा करेगा। मुद्रास्फीति कम रहने और राजकोषीय समेकन के प्रयास के कारण अप्रैल 2016 में रेपो रेट को 0.25% घटाकर 6.50% किया गया और रेपी-रिवर्स रेपो- एमएसएफ कॉरोडोर के बीच बैण्ड को 2% से कम करके 1% किया गया ताकि ब्याज दर में अस्थिरता न्यूनतम हो।

वास्तविक क्षेत्र में पॉवर, कोयला, खनन, बिजली और सीमेंट खण्ड में प्रभावपूर्ण कदम उठाए गए है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मानदण्ड को उदारीकृत किया गया है और कारोबार को आसानी से करने के लिए जोरदार प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत 200 मिलियन के अधिक लोगों के लिए बैंक खाता बनाया गया है।

बैंकिंग क्षेत्र:

जहाँ तक बैंकिंग उद्योग का संबंध है वित्तीय वर्ष 2016 में सुधार के बाद वाला काल अत्यधिक चुनौतिपूर्ण वर्ष रहा है। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने कारोबार में 10-11 प्रतिशत वृद्धि में कमी दर्ज की है। बैंक के आस्ति गुणवत्ता पर विभिन्न कारणों से बुरा असर हुआ है जैसे वैश्विक आर्थिक मंदी, निर्यात में कमी, आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण रूकी हुई आधारभूत और सड़क परियोजना, विनियामक सहनशीलता की कमी और आरबीआई द्वारा आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) आरंभ करना तथा कारोबार में आत्मविश्वास की कमी।

एक तरफ लाभप्रदता के पक्ष में बैंक के कार्यनिष्पादन में कमी आई है दूसरी तरफ नीतियों में काफी संख्यक परिवर्तन हुए हैं। सरकार ने इन्द्र धनुष कार्यक्रम के तहत परिवर्तन शुरू किए और बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना की जिसका कार्य बोर्ड शासन प्रणाली में सुधार करना , समेकन ,एनपीए समाधान और बैंक के दैनंदिन कार्य में और स्वतंत्रता देना है। ह्रासित आस्ति के जल्द से जल्द समाधान के लिए बहु प्रतिक्षित बैंकरप्टसी कोड आरंभ किया गया है। डीआरटी और सरफेसी अधिनियमों को और प्रभावी बनाने के लिए आशोधित किया जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेमेन्ट एण्ड स्माल फिनैन्स बैंकों को लाइसेंस जारी किया है। यूनिवर्सल बैंकों को भी नए लाइसेंस दिए जा रहे हैं। भुगतान और निपटान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एनपीसीआई ने यूनिफाइड इंटरफेस शुरू किया है और भारत बिल पेमेन्ट सिस्टम आरंभ किया है। आरबीआई ने सीआरएआर की गणना के लिए पूंजी के रूप में माने जाने के लिए कतिपय मदों में परिवर्तन आरंभ किया है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2016 में 0.625% का पूंजी संरक्षण बफर (Capital Conservation Buffer) आरंभ किया है। समस्त रूप से वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान बैंकों की परिचालन परिस्थिति काफी चुनौतीपूर्ण रही। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी लगाने, स्व-शासन आदि के मामले में पूर्ण सहयोग देने का वादा किया है साथ ही यह अपेक्षा की है कि बैंक अपने परिचालन दक्षता और लाभप्रदता में सुधार लाएंगे।

बैंकिंग क्षेत्र - समस्याएं और चुनौतियां:

- भारत में बैंकों ने 1 अप्रैल 2016 से निधि आधारित उधार दरों पर सीमांत लागत (MCLR) अपनाया है। यह अपेक्षित है कि उधारकर्ताओं के लिए उधार लागत कम होगा।
- नवीनतम बैंकिंग सिस्टम डाटा के अनुसार संकलित जमाराशियां ₹ 97 लाख करोड़ और समग्र अग्रिम ₹ 75 लाख करोड़ है। पिछले कुछ पखवाड़ों में जमाराशि की वृद्धि, क्रेडिट की वृद्धि से कम रही।
- यूनिफाइड पेमेन्ट इंटरफेस (UPI) के आने से प्रौद्योगिकी ने एक लम्बी छलांग ली है जिसमें निर्बाध राशि अंतरण और धनप्रेषण सेवाएँ दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त छोटे वित्तपोषण और भुगतान बैंकों के आ जाने से बैंकिंग के क्षेत्र में प्रतिभागी बढ़ जाएंगे।
- बैंको की नई श्रेणी जैसे होलसेल बैंक और कस्टोडियन बैंको का आना प्रस्तावित है जबकि टैप पर यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेस विचाराधीन है।
- जीडीपी की तुलना में बैंक क्रेडिट और जमाराशि का अनुपात चीन जैसे अन्य वित्तीय प्रमुखों की तुलना में भारत में कम है। इसके अतिरिक्त टॉप 10 वैश्विक बैंको में से अभी भी हमारा कोई बैंक नहीं है।
- अनुभवी वरिष्ठ कार्मिकों की सेवानिवृत्ति के कारण मानव संसाधन प्रबंधन को चुनौती। कुशल कार्मिको को बनाए रखने की चुनौती इसे और पेचीदा बना रही है।
- बदलते प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों के साथ तालमेल रखने की आवश्यकता है। बैंक, खासकर पीएसबी में हानिकारक प्रौद्योगिकियों को छोड़कर नवोन्मेश पर ध्यान देना होगा।
- विश्लेषणात्मक फ्लैटफार्म में निवेश धोखाधड़ी से बचने में मदद करेगा।

दृष्टिकोण:

अच्छी वर्षा ऋतु और उद्योग पुनरुज्जीवन से वित्तीय वर्ष 2017 के लिए बेहतर वृद्धि अपेक्षित है। ब्याज दर का परिदृश्य अच्छा है। वास्तविक अर्थ व्यवस्था में कोयला, खनन, सीमेंट और बिजली के क्षेत्रों में सकारात्मक दृष्टिकोण है जबकि पण्य में हानि हो रही है। बैंकों की दबावग्रस्त आस्तियों का अनुपात अधिक होना अपेक्षित है।

कारोबार समीक्षा:

1. जमा:

बैंक की बचत राशि में 12.54% वृद्धि हुई जबकि चालू जमाराशि में 8.04% वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान बैंक की कुल जमाराशियाँ (घरेलू + विदेशी) ₹ 18,902 करोड़ घटकर ₹ 5,13,005 करोड़ हो गई। घरेलू जमाराशियाँ यथा 31 मार्च 2016 को ₹ 3,77,308 करोड़ थी।

कासा:

बचत और चालू जमाराशि को शामिल करते हुए कासा जमाराशि कुल जमाराशियों का 34.18% था। कासा जमाराशि में 11.84% वृद्धि हुई है।

बैंक की अधिकतर बचत बैंक खातों में स्वत: फ्री ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंश कवर बना हुआ है। बैंक ई-मेल और एसएमएस के जरिए चालू खाता धारकों को नियमित रूप से लाभ/प्रोत्साहन/छूट/ प्रभारों में छूट और बैंक द्वारा दी जा रही अन्य सुविधाओं के बारे में अद्यतन जानकारी देता रहता है । इससे ग्राहकों के साथ संपर्क करने और बातचीत करने का मौका मिलता है।

सहकारी बैंक के खण्ड को भी कम लागत जमाराशियों के लिए लक्षित किया गया है। सहकारी बैंक के खातों को एटीएम उप सदस्यता सुविधा, पीओएस मशीन और आईएमपीएस सुविधा दी जा रही है।

2. अग्रिम

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक के सकल अग्रिम ने 7.30% कमी दर्ज की। सकल घरेलू ऋण ने 7.23% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2015 को ₹ 289515 करोड़ से 31.03.2016 को ₹ 268579 करोड़ हो गया। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान जोखिम को बांटने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और रिटेल संविभाग की ओर ध्यान केन्द्रित किया गया।

i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम:

बैंक हमेशा से ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं के अपने बृहत नेकवर्क एवं समर्पित कार्मिकों के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों और कृषि क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने में अग्रणी रहा है। बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ₹ 1,04,656 करोड़ का बकाया स्तर दर्ज किया है।

यथा 31 मार्च 2016 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का ब्रेक अप निम्नानुसार है-

(₹ करोड़ में)

	यथा 31.03.2016 को रकम बकाया
कृषि	50,508
लघु मध्यम उद्यम	39,466
शिक्षा	3,093
आवास	10,314
अन्य	1,275
कुल	1,04,656

* रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट फ़ंड (आरआईडीएफ़) सहित

बैंक विशेष कृषि क्रेडिट योजना के अंतर्गत वर्ष के दौरान ₹ 27,253 करोड़ संवितरित कर सका।

केंद्रित जिलों में केंद्रीय प्रसंस्करण केन्द्र:

कृषि ऋण में वृद्धि और ऋण प्रस्तावों की मंजूरी / संवितरण में टर्नअराउंड समय को कम करने के उद्देश्य से अंचलों में 43 केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र कार्यरत हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड:

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य कृषकों को उनकी कृषि आवश्यकताओं के साथ-साथ गैर-कृषि गतिविधियों को पूरा करने के साथ यह भी उद्देश्य है कि उन्हें ऋण उपयोग के बारे में लचीला तथा परिचालनात्मक स्वतंत्रता मिल सके। वर्ष के दौरान बैंक ने कुल ‘ 4,632 करोड़ की कुल सीमा वाले 3,977,43 नए किसान कार्ड जारी किए। बैंक द्वारा अब तक 8.36 लाख किसान क्रडिट कार्ड (संचयी) जारी किए गए हैं।

विभेदक ब्याज दर:

बैंक द्वारा विभेदक ब्याजदर (डीआरआई) नामक योजना के अंतर्गत उत्पादक उद्यमों हेतु चयनित कम आय समूहों को 4३ की रियायती दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष के दौरान बैंक ने डीआरआई योजना के तहत 5,012 मामलों को मंजूरी दी है।

अल्पसंख्यक समुदाय:

अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण हेतु ध्यान केन्द्रित है। बैंक विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों को वित्त प्रदान कर रहा है। वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने अल्प संख्यक समुदाय को ₹ 4,846 करोड़ का वित्तपोषन किया है और यथा मार्च, 2016 को ‘ 13,468 करोड़ का बकाया स्तर दर्ज किया है।

स्वर्णजयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना :

बैंक सक्रिय रूप से स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना (जीजेआरएचएफएस) के कार्यान्वियन में शामिल है। वर्ष के दौरान स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के अंतर्गत बैंक ने 242 मामलों को मंजूर किया।

सौर उर्जा घर में प्रकाश प्रणाली:

बिजली की कमी की समस्या को कम करने के लिए बैंक ने सोलर एनर्जी होम लाइटिंग सिस्टम योजना आरंभ की है। बैंक सोलर एनर्जी होम लाइटिंग सिस्टम खरीदने और स्थापित करने के संभाव्य उधारकर्ताओं को वित्तीय सहायता देता है। बैंक ने 3,687 इकाइयों की मंजूरी दी है जिसका वित्तीय परिव्यय ₹ 16.10 करोड़ है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मंजूर	संवितरित
2014-15	29.12	22.69
2015-16	23.25	18.49

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मंजूर	संवितरित
2014-15	4,503	4,456
2015-16	2,367	2,963

ii) रिटेल बैंकिंग :

बैंक ने वर्ष 2015-16 के दौरान अच्छा रिटेल क्रेडिट पोर्टफोलियों को बनाने की नीति का अनुसरण किया है। बैंक का रिटेल क्रेडिट पोर्टफोलियों ₹ 34,153 करोड़ से बढ़कर यथा 31 मार्च, 2016 को ₹ 37,777 करोड़ हो गया है। अग्रिम संविभाग को रिटेल उधार के पक्ष में झुकाना और कारपोरेट ऋण संविभाग को कम करना अपनाया जा रहा है। टियर-I और टियर-II शहरों को कवर करते हुए पूरे देश में बैंक के 49 रिटेल कारोबार केन्द्रों (आरबीसी) का रिटेल आवास ऋण/संपत्ति के निमित्त ऋण/वाहन ऋण/शिक्षा ऋण के प्रस्तावों के प्रसंस्करण में मुख्य भूमिका निभाया जाना जारी है।

वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नानुसार नए आवास ऋण उत्पाद आरंभ किए हैं :

i) आवास ऋण ग्राहकों के लिए टॉप अप ऋण

ii) निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत फ्लैटों/मकानों के वित्तपोषण के लिए रीवैम्पड् आवास ऋण योजना

iii) शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बढ़ावा दी जा रही योजनाओं में ईएमडी के भुगतान के वित्तपोषण के लिए रीवैम्पड् योजना ।

आवास ऋण खण्ड वर्ष के दौरान ₹ 16,664 करोड़ से 17.97% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 19,658 करोड़ पर पहुच गया। लीड जेनरेट करने के लिए बैंक का साबित ट्रैक रिकार्ड वाले प्रतिष्ठित बिल्डरों के साथ टाई-अप व्यवस्था है। बैंक द्वारा निधिक प्रतिष्ठित रिहायशी परियोजनाओं के साथ टाई-अप व्यवस्था को विशेष तरजीह दी जाती है। वर्ष के दौरान बैंक ने 'सभी के लिए आवास (शहरी)' मिशन के लिए सहभागिता करने हेतु जो 2015-2022 के दौरान कार्यान्वित की जा रही है प्रधानमंत्री आवास योजना आरंभ की है।

बैंक की एक लोकप्रिय उत्पाद संपत्ति पर ऋण जिसमें आकर्षक विशेषताएँ है जैसे कम ब्याज दर, लम्बी चुकौती अवधि और लचीली चुकौती अवधि ने प्रशंसनीय वृद्धि दर्ज की है। संपत्ति पर ऋण संविभाग ने वर्ष के दौरान 21.96% वृद्धि रिकार्ड की है और ₹ 4,144 करोड़ से ₹ 5,054 करोड़ पर पहुँच गई है।

वर्ष के दौरान शिक्षा ऋण संविभाग 7.71% वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 2,918 करोड़ से ₹ 3143 करोड़ हो गया। बैंक ने भारत सरकार के विभिन्न ब्याज सब्सिडी योजनाओं में सक्रिय रूप से सहभागिता किया है; i) ब्याज सब्सिडी पर केन्द्रीय योजना, ii) पढ़ो परदेश योजना (अल्प संख्यक समुदाय के छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए ब्याज सब्सिडी), iii) ब्याज सब्सिडी के लिए डॉ अम्बेडकर सेन्ट्रल सेक्टर योजना (विदेशों में पढ़ाई करने हेतु ओबीसी/ईडब्ल्यूसी के छात्रों के लिए)। बैंक की विशेष योजना है यथा बीओआई स्टार विद्या ऋण जिसका लक्ष्य देश की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं यथा आईआईटी/आईआईएम/एनआईडी और प्रसिद्ध व्यवसायिक संस्थान में प्रवेश प्राप्त करना चाह रहे छात्रों की मदद करना है।

वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार के कौशल विकास पहल को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल ऋण योजना आरंभ की है। कौशल ऋण के तहत सबसे पहला मंजूरी पत्र दिनांक 15 जुलाई 2015 को कौशल ऋण योजना के शुभारंभ के दौरान माननीय प्रधानमंत्री के हाथों से बीओआई लाभार्थी को दिया गया। हमारे बैंक उन गिने चुने बैंकों में से है जिन्होंने सबसे पहले विद्या लक्ष्मी पोर्टल के साथ अपने परिचालन सिस्टम को एकीकृत किया है जो छात्रों को शिक्षा ऋण पर जानकारी प्राप्त करने तथा एकल/बहु बैंकों में ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सिंगल विंडो सोल्यूशन प्रदान करने हेतु भारत सरकार की एक पहल है।

बैंक के वाहन ऋण खण्ड में भी वर्ष के दौरान 5.82% वृद्धि दर्ज करते हुए यह ₹ 2,733 करोड़ से ₹ 2,892 करोड़ हो गया। बैंक ने प्रतिष्ठित ऑटो निर्माताओं जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुन्डाई मोटर्स और महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा के साथ टाई-अप व्यवस्था की है और वाहन ऋण पोर्टफोलियों में वृद्धि हेतु अच्छे रिटेल लिड्स उपलब्ध करवाती है।

बैंक ने पीएसयू/पीएसई/प्रतिष्ठित कारपोरेट्स/संस्थाओं के कर्मचारियों को व्यक्तिगत ऋण देने के लिए नियोजक से ऋण वसूली हेतु टाई-अप व्यवस्था की है।

iii) एसएमई:

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान एमएसएमई खण्ड के तहत बैंक का कार्यनिष्पादन :

- एमएसई विनिर्माण क्षेत्र यथा मार्च 2015 में ₹ 21,595 करोड़ से घटकर यथा मार्च 2016 में ₹ 19,938 करोड़ हो गया (वर्ष-दर-वर्ष 7.67% नकारात्मक वृद्धि)
- एमएसई के तहत माइक्रो क्षेत्र की हिस्सेदारी मार्च 2015 में 43% से बढ़कर मार्च 2016 में 44% हो गई।
- माइक्रो खातों के संख्या में वृद्धि - 2015-16 के दौरान माइक्रो क्षेत्र के अंतर्गत 1,79,524 खातों को मंजूरी दी गई जो 10% के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में 31.03.2015 से वर्ष 2015-16 के दौरान 40% की वृद्धि है।
- सीजीटीएमएसई के अंतर्गत कार्यनिष्पादन - वर्ष 2015-16 के दौरान सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत 68,869 नए खाते जोड़े गए जिसमें ₹ 2,628 करोड़ का एक्सपोज़र कवर किया गया। पीएसयू बैंकों में योजना के अंतर्गत कुल कवरेज में बैंक की स्थिति एक नम्बर में है, मार्च 2016 में 2,69,604 खातों के स्तर पर पहुँच गया है जिसका कुल एक्सपोज़र ₹ 15,738 करोड़ है।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान 1,108 खातों में ₹ 65 करोड़ की सीमा मंजूर की गई है।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत कुल 3,76,486 खाते खोले गए हैं और योजना के तहत ₹ 2,752.28 करोड़

संवितरित किया गया है। वर्ष के दौरान कुल 17,998 मुद्रा कार्ड लाभार्थियों को दिया गया।

iv) कार्पोरेट ऋण:

प्रमुख शहरों में 10 बृहद कारपोरेट शाखाएं स्थित हैं जो देश के प्रमुख कारपोरेट - मुंबई(3 शाखाएँ), नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नै, बंगलुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद तथा पुणे को सेवाएं प्रदान करती हैं। शेष प्रमुख कारोबार केन्द्रों में 33 मिड कार्पोरेट शाखाएँ और 30 एसएमई सिटि सेंटर कार्य कर रही हैं ।

कुल घरेलू अग्रिम में बृहद कार्पोरेट शाखाओं के जरिए यथा 31.03.2016 को अग्रिम का शेयर 38% है। एलसीबी के द्वारा कार्पोरेट क्षेत्र में अग्रिम 31.03.2015 को ₹ 1,19,675 करोड़ से घटकर 31.03.2016 को ₹ 1,05,133 करोड़ हो गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% नकारात्मक वृद्धि है ।

यथा मार्च,2016 के दौरान मिड कार्पोरेट शाखाओं के अंतर्गत कुल ऋण ₹ 33,128 करोड़ था

V) आधारभूत संरचना वित्तपोषण

वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान बैंक ने निधिक आधारित सीमा में ₹ 5737 करोड़ और गैर-निधिक आधारित सीमा में ₹ 1762 करोड़ मंजूर किए हैं जिसे पॉवर, दूर संचार, मार्ग, पत्तन और अन्य आधारभूत को कवर करते हुए आधारभूत संरचना परियोजनाओं के अंतर्गत नए और मौजूदा खातों में मंजूर किया गया है। यथा 31 मार्च 2016 को आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बकाया ऋण ₹ 45,935 करोड़ रहा।

3. वित्तीय समावेशन:

देश के दीर्घकालिक विकास तथा विस्तृत विकास प्रक्रिया का वित्तीय समावेशन एक अनिवार्य पक्ष है। वित्तीय समावेशन को व्यवहार्य कारोबारी प्रस्ताव समझते हुए विपणन अभिमुख पहल को अपनाते हुए वित्तीय समावेशन की कार्यनीति में परिवर्तन हैं। प्रतिमान नि:संदेह ''सीएसआर'' से ''आर्थिक व्यवहार्यता'' में परिवर्तित हुआ। वित्तीय क्षेत्र द्वारा आवश्यक सुरक्षित और प्रभावशाली ढंग से कम लागत लेनदेन आईसीटी आधारित सॉल्यूशन की उपलब्धता से संभव हो सका है।

अगस्त 2014 में प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) आरंभ होने से वित्तीय समावेशन अभियान को गति मिली। मिशन मोड प्लान के प्रत्येक घर में एक बैंक खाता उपलब्ध करने के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया और अब आर्थिक बेहतरी के लिए इस प्रक्रिया के दौरान सृजित आधारभूत संरचना का प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। बैंक इस संभाव्य बैंकिंग सेवा के यूज़र को दायित्व के बदले अवसर के प्रिज्म से देख रहा है।

आईसीटी समर्थित कारोबार संपर्की मॉडल के जरिए बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बैंक प्रतिबद्ध है। नागरिकों को अन्य बैंकिंग सेवाओं के अलावा दी जा रही सेवाओं में बिल्ट इन ओवर ड्राफ्ट सुविधा सहित सामान्य बचत बैंक जमा खाता खोलना है तथा उनके तत्काल उपयोग की आवश्यकताओं, जीविका अर्जित करने के लिए योग्य व्यक्तियों को उद्यमी ऋण, प्रवासी मजदूरों/स्व-नियोजितों को मोबाइल आधारित धनप्रेषण सुविधा ताकि वे परिवार के सदस्यों को धनराशि भेज सकें और माइक्रो बीमा और पेंशन सहित बैंक के तृतीय पक्ष उत्पादों तक पहुँच है। बैंक, आवश्यक भुगतान और अन्य आधारभूत संरचना सहायता देते हुए केन्द्र/राज्य सरकारों के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना को प्रभावी ढ़ंग से पूरा कर रहा है।

वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत प्रगति निम्नानुसार हैं :

- खोले गए बेसिक बचत बैंक खातों की संख्या : 221.56 लाख
- बीएसबीडी खाते में कुल संग्रहित जमाराशि : ₹ 2909 करोड़
- जारी जीसीसी/केसीसी : 20.83 लाख
- लगाए गए कारोबारी संपर्की : 7591
- लगाए गए चैनल मैनेजमेंट पार्टनर : 51
- गांवों की संख्या जहां 100% वित्तीय समावेशन प्राप्त : 4404
- आईसीटी-बीसी के जरिए संव्यवहारों की संख्या: 155.37 लाख
- संव्यवहरित रकम की मात्रा : ₹ 5,396.88 करोड़
- बैंक ने यथा 31.03.2016 को 2000 से अधिक जनसंख्या वाले आबंटित 4404 सभी गावों में 100% वित्तीय समावेशन प्राप्त किया है।
- पर्याप्त जोखिम प्रशामकों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं वाली बेहतरीन परिचालन प्रणालियाँ बनायी गई हैं और अमल में लायी जा रहीं हैं।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई):

- खोले गए बेसिक बचत बैंक जमा खातों की संख्या :113.50 लाख
- खोले गए बीएसबीडी खातों में शेष राशि : ₹ 1442.93 करोड़
- जारी किए गए रुपे कार्ड की संख्या :104.48 लाख

प्रधानमंत्री बीमा और पेंशन योजना :

- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत एनरोल व्यक्तियों की संख्या : 34.27 लाख
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना(पीएमएजेजेबीवाई) के अंतर्गत एनरोल व्यक्तियों की संख्या : 12.56 लाख
- अटल पेंशन योजना के अंतर्गत एनरोल व्यक्तियों की संख्या : 0.95 लाख

स्टार स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटि)

देश के अधिकतर युवा उद्यमता, विनिर्माण या छोटे, सूक्ष्म या लघु स्तर पर भी व्यावसायिक गतिविधियों में पर्याप्त कौशल की कमी के कारण बेरोजगार रहते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में दीर्घकालिक जीविका उपलब्ध करवाते हुए आर्थिक समृद्धि लाने के लिए कौशल विकास महत्वपूर्ण है। कौशल विकास के जरिए लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपने संबंधित अग्रणी जिलों में आरसेटि खोलने का निदेश दिया है।

बैंक ने झारखंड, ओडिशा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में 43 आरसेटि खोले हैं। सब मिलाकर आरसेटियों ने 3,934 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

किए हैं और 1,11,390 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया है और इन केन्द्रों से 59,995 प्रशिक्षुओं को लाभकारी रोजगार के लिए क्रेडिट लिंकेज दिया गया है।

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्शी केंद्र (एफएलसीसी):

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों के बीच वित्तीय साक्षरता का प्रसार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एफएलसीसी/एफएलसी स्थापित किए गए हैं। वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी) उन सभी जिलों में खोलना है जहाँ बैंक के पास अग्रणी बैंक का दायित्व है।

बैंक को दिए गए सभी 51 अग्रणी जिलों में 51 एफ़एलसी कार्यरत है। आपदाग्रस्त उधारकर्ताओं के लिए मामला दर मामला आधार पर सुधारात्मक परामर्श देने के अतिरिक्त मीडिया, कार्यशाला और सेमीनार के जरिए निवारक परामर्श भी दिए जाते हैं। अब तक 8,85,575 मामलों में परामर्श दिए गए और जल्द से जल्द निपटाए गए ताकि परेशान लोगो के चेहरे खिल जाए।

4. अग्रणी बैंक दायित्व:

पांच राज्यों यथा झारखण्ड (15), महाराष्ट्र (14), मध्य प्रदेश (13), उत्तर प्रदेश (7) तथा ओडिशा (2) में फैले 51 जिलों के अग्रणी बैंक दायित्व की जिम्मेदारी बैंक के पास है। बैंक इन सभी जिलों में अग्रणी बैंक की भूमिका निभा रहा है। वार्षिक क्रेडिट प्लान के तहत बैंक की उपलब्धि ₹ 23,403.87 करोड़ है जो ₹ 19,224.24 करोड़ के प्लान आउटले की तुलना में एसीपी का 121.74% है। झारखण्ड राज्य में एसएलबीसी में हमारा बैंक ''अग्रणी बैंक संयोजक'' है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी):

बैंक के 4 (चार) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) आर्यवर्त ग्रामीण बैंक (उत्तर प्रदेश राज्य), नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक (मध्य प्रदेश), विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक (महाराष्ट्र राज्य) तथा झारखंड ग्रामीण बैंक (झारखण्ड राज्य) में प्रायोजित किए हैं। ग्रामीण बैंकों की सभी शाखाएं और प्रशासनिक कार्यालय अब सीबीएस प्लेटफॉर्म पर हैं। ये बैंक आरटीजीएस, एनईएफटी और एटीएम सेवाएं देने में समर्थ हैं। समस्त आरआरबी 61 जिलों में फैले हैं और शाखा विस्तार 1,557 है जिन्होंने ₹ 40,126 करोड़ का मिश्रित कारोबार किया है।

5. ऋण निगरानी:

वित्तीय वर्ष 2016 में आस्ति गुणवत्ता फ्रंट पर चिंताएं बढ़ी हैं जिसके लिए ऋण आस्तियों की अनुशासित दृष्टिकोण से निगरानी करने की जरूरत है।

बैंक का शाखा, अंचल, नैशनल बैंकिंग समूह और प्रधान कार्यालय स्तर पर ऋण संविभाग की निगरानी के लिए संरचित सेट अप है जो प्रारंभी दवाब/संभाव्य चूक/दोष वाले खातों की पहचान करता है और समयोचित सुधारात्मक कार्रवाई लेते हुए ऋण संविभाग की गुणवत्ता का संरक्षण/सुधार करता है। क्रेडिट संविभाग की निगरानी में निम्नलिखित शामिल है :

- प्रारंभिक स्तर पर खाते में कमजोरी/संभाव्य चूक/प्रारंभिक रूग्नता की पहचान करना। साप्ताहिक आधार पर जेनरेट किए गए एमआईएस रिपोर्ट उन खातों को दर्शाती हैं जिसमें ध्यान देने की आवश्यकता है।
- खाते में दवाब की समयोचित पहचान।
- विपत्ति या चूक के जोखिम वाले उधारकर्ताओ की पहचान होने पर उसे कम करने की कार्रवाई समय से शुरू करना। आरबीआई फ्रेमवर्क के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में विपत्तिपूर्ण आस्तियों के पुररूद्धार के लिए प्रारंभिक दवाब वाले खातो की पहचान स्पेशल मेंशन एकाउंट (एसएमए) वर्गीकरण।
- ज्वाइंट लेंडर फोरम (जेएलएफ) बनाने सहित स्पेशल मेंशन खातों (एसएमए) की निगरानी/अनुवर्ती कार्रवाई और संघीय व्यवस्था/एमबीए खातो के मामले में जल्द समाधान के लिए करेक्टिव एक्शन प्लान (सीएपी) तैयार करना।
- आस्ति वर्गीकरण में स्लिपेज बचाना और वसूली में सुधार के लिए कम करने के उपाय के जरिए क्रेडिट रेटिंग में बहिष्कार।
- खातों के आवधिक समीक्षा के लिए अनुवर्ती कार्रवाई और मंजूरी निबंधन एवं शर्तों के साथ संवितरण पश्चात शर्तों/अनुबंध का अनुपालन जो क्रेडिट प्रोसेस अडिट (सीपीए) द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार बैंक को प्रभारित आस्तियों की गुणवत्ता को बचाने के लिए सभी योग्य खातों में एम्पैनल सनदी लेखाकार द्वारा आवधिक स्टॉक एण्ड रिसीवैबल अडिट किया जाएगा।
- प्रौद्योगिकी की सहायता से बैंक के बडे एक्सपोज़र और क्रेडिट संविभाग की बेहतर निगरानी करना।

6. एनपीए प्रबंधन एवं वसूली

बैंक ने वर्ष 2015-16 में भी एनपीए प्रबंधन क्षेत्र में अपने कार्य निष्पादन को सुधारने में सतत ध्यान केंद्रित किया है और प्रयास किए हैं। एनपीए में कमी को बैंक में सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है और आर्थिक परिवेश और परिस्थिति के कारण निरंतर महत्व बढ़ा है। वसूली बढ़ाने एवं एनपीए घटाने के लिए पर्याप्त उपाय आरंभ किए गए हैं। दबावग्रस्त आस्तियों में वसूली के प्रयास को जारी रखने और गति देने के लिए तीन महाप्रबंधकों की तैनाती की गई है। बट्टे खाते लिखे गए खातों में तथा एनपीए खातों में अप्रभारित/अप्राप्त ब्याज की अधिकतम वसूली के लिए प्रयास किए गए हैं जो बैंक के लाभ में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देते हैं।

परिचालन में रोक,पुन: संरचना,एकबारगी निपटान के अतिरिक्त बैंक ने एनपीए प्रबंधन के लिए निम्नलिखित कार्यनीति अपनाई है -

- खाते को अपग्रेड करने के लिए समस्त अतिदेय की वसूली;
- व्यवहार्य इकाइयों के मामले में लचीली चुकौती अनुसूची, अनुकूल भागीदार का प्रवेश, कार्यनीतिक ऋण पुन:संरचना के जरिए पुन:संरचना प्राप्त करने का प्रयास;
- डीआरटी में वसूली प्रमाणपत्र के लिए अनुवर्ती कार्रवाई और जल्द निपटान के लिए अधिवक्ता को बोलना जिसमें उधारकर्ता/गारंटीकर्ता के व्यक्तिगत आस्तियों का अभिग्रहण शामिल है;
- नेम एण्ड शेम - एनपीए उधारकर्ताओं का फोटो प्रकाशन;
- इरादतन चूककर्ताओं और एफआईआर दर्ज करना तथा निधि के गलत प्रयोग के मामलों में फॉरेन्सिक आडिट;

पिछले 3 वर्षों में बैंक ने आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को ₹ 7,720 करोड़ के एनपीए की बिक्री की जिसमें प्रतिभूति रसीद (एसआर) निवेश ₹ 4,239 करोड़ जिसमें प्रतिदान 4.17% पर है।

7. अंतरराष्ट्रीय

समस्त टाइम ज़ोन में फैले हुए 22 देशों में बैंक की 28 शाखाएं, 5 प्रतिनिधि कार्यालय, 5 अनुषंगी और 1 संयुक्त उद्यम हैं।

बैंक के वैश्विक कारोबार और लाभ में विदेशी परिचालनों का योगदान कई वर्षों से महत्त्वपूर्ण रहा है। यथा 31.03.2016 को वैश्विक कारोबार में विदेशी शाखाओं का हिस्सा करीब 28% रहा।

मुख्यतया साधारण आर्थिक गिरावट के कारण बैंक के अंतरराष्ट्रीय परिचालनों ने आस्ति गुणवत्ता पर दबाव का अनुभव किया है। बैंक की विदेशी शाखाएं संबंधित देश की स्थानीय बैंकों की तुलना में आकार एवं स्केल के संबंध में छोटी हैं। उन्हें मुद्रा प्राधिकरणों की आवश्यकताओं के विनियामक अनुपालन के अध्यधीन कार्य करना होता है और ये प्राधिकरण पिछले कुछ वर्षों से सख्त हो गए हैं।हम इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।

जहाँ बैंक उपस्थित है ऐसे अधिकांश केंद्रों पर भारतीयों का आधिक्य है। बैंक निरंतर भारतीयों की उपस्थिति वाले प्रदेश और/अथवा भारत के साथ व्यापक व्यापार के अवसरों की खोज एवं मूल्यांकन करता है। इसमें ऐसे प्रदेश भी शामिल हैं जहाँ उच्च आर्थिक विकास की संभावना है, भले ही वहाँ भारतीयों की उपस्थिति उल्लेखनीय हो।

विदेशी कारोबार

आयातकों एवं निर्यातकों की घरेलू एवं विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करना हमारे बैंक का एक प्रमुख क्षेत्र है। अब तक देशभर में बैंक की 217 शाखाएं विदेशी विनिमय कारोबार करने एवं आयातकों एवं निर्यातकों के ऋण/विदेशी विनिमय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राधिकृत डीलर हैं।

बुलियन बैंकिंग

नवम्बर 1997 में बैंक द्वारा बुलियन बैंकिंग का आरंभ किया गया। प्रारंभ में इस योजना को सीप्ज़ और अहमदबाद शाखा में शुरु किया गया था और बाद में अन्य शाखाओं में भी शुरु किया गया। आज की तारीख में, नौ शाखाएं बुलियन कारोबार के लिए प्राधिकृत हैं। आभूषणों के निर्यातकों एवं घरेलू जौहरिओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परेषण आधार पर सोना प्राप्त किया जाता है।

8. कोषागार परिचालन:

फॉरेक्स कारोबार

बैंक द्वारा किए गए फोरेक्स कारोबार में अच्छी खासी वृद्धि परिलक्षित हुई है। वर्ष 2015-16 के दौरान, मर्चेंट और इंटर बैंक टर्नओवर क्रमश: ₹ 6,28,652.95 करोड़ और ₹ 1,58,337.02 करोड़ था। बैंक फॉरेक्स कारोबार में अब भी अग्रणी है। वर्ष के दौरान बैंक के फॉरेक्स कारोबार का कुल टर्नओवर ₹ 7,86,989.97 करोड़ था।

निवेश:

बेंचमार्क 10 वर्ष सरकारी प्रतिभूति पर आय जो 31 मार्च, 2015 को 7.74% थी यथा दिनांक 31.03.2016 को सुधरकर 7.69% हो गयी। हमारे बैंक ने ब्याज आय तथा बाजार जोखिम के बीच संतुलन कायम रखते हुए निवेश के उच्च स्तर बनाए रखे। हमारे बैंक ने समय-समय पर विनियामक ज़रूरतों से अधिक एसएलआर बनाए रखा है ताकि अतिरिक्त एसएलआर का उपयोग, रेपो/ सीबीएलओ विंडो से उधार के लिए, किया जा सके। यथा 31.03.2016, एसएलआर आवश्यकता, निवल मांग एवं मीयादी देयताओं का 21.50% है। कुल एसएलआर निवेश ₹99,787 करोड़ (कुल निवेश का ₹ 88.63%) तथा गैर एसएलआर निवेश ₹15,392 करोड़ (कुल निवेश का 13.37%) रहा। इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक नीति के अनुरूप निवेश किए गए हैं। बाजार की गतिविधियों / विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप नीति की आवधिक समीक्षा की जाती है.

ट्रेजरी परिचालन

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने बाजार के सभी क्षेत्रों अर्थात मनी मार्केट, फॉरेक्स तथा नियत आय में सक्रिय भूमिका निभाई है। सरकारी प्रतिभूतियों की दर गतिविधि से लाभ लेते हुए बैंक ने अपने निवेश संविभाग को सुधारा तथा प्रतिभूतियों की बिक्री एवं व्यवसाय से लाभ अर्जित किया। बैंक ने विविध बाजार क्षेत्रों के मध्य अंतरपणन अवसर का लाभ उठाया है ।

9. सूचना प्रौद्योगिकी:

- तकनीकी समर्थित सेवाओं के साथ बैंकिंग मानकों का पुनर्नवीकरण :
- इंटरनेट बैंकिंग में नई विशेषताएं ऑनलाइन नामांकन सुविधा के साथ मीयादी जमाराशि खोलने की सुविधा, पीपीएफ खाते में ऑनलाइन राशि जमा करने की सुविधा, संपर्क ब्योरे को ऑनलाइन अद्यतन करने की सुविधा।
- यूटीलिटी बिलों का भुगतान, बीमा प्रीमियम, विनिर्दिष्ट बैंकों के क्रेडिट कार्ड भुगतान, निर्दिष्ट नगर पालिकाओं के संपत्ति करों के भुगतान के लिए बीओआई ई-पे।
- इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड का उपयोग कर डेबिट-सह-एटीएम कार्ड के पिन का हॉट लिस्टींग /रिसेट/अनब्लॉक/परिवर्तन करना।
- शाखाओं में डिजिटल साइनेज प्रदर्शन बोर्ड।
- सभी प्रमुख शाखाओं में ई-गैलरी जिसमें पासबुक प्रिंटिंग किओस्क, नकद स्वीकार करने की मशीन, एटीएम और बल्क नोट एक्सेप्टर मशीन उपलब्ध है
- बीओआई स्टार संदेश- एटीएम वित्तीय संव्यवहारों एवं इंटरनेट बैंकिंग फंड अंतरण, मीयादी जमाराशि रसीदों के लिए ऑन-लाइन एसएमएस अलर्ट
- एसबी/सीडी/ओडी खातों में शेषराशि जानने के लिए मिस्ड कॉल सुविधा और अब इस सुविधा को पीएमएसवीवाई/पीएमजेबीवाई खातों के लिए भी उपलब्ध करा दी गई है।
- डेबिट कार्ड धारकों के साथ-साथ क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को कवर करने हेतु बीओआई स्टार रिवार्ड कार्यक्रम को विस्तारित किया गया है।
- शाखाओं के माध्यम से भी आईएमपीएस सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- एसएमएस के माध्यम से चेक बुक अनुरोध स्वीकार करने की सुविधा
- शीघ्र निपटान के लिए ग्राहक संबंध प्रबंधक (सीआरएम) पोर्टल कार्यान्वित।
- पीएमकेवीवाई योजना के तहत ऑनलाइन खाता खोलने हेतु पोर्टल कार्यान्वित।

10. संव्यवहार बैंकिंग:

बैंक की डिपॉजिटरी सेवाएं:

भारत की सभी शाखाओं द्वारा बैंक के ग्राहकों को डिपॉजिटरी सेवाएं दी जा रही है। बैंक दोनों यथा एनएसडीएल तथा सीडीएसएल डिपॉजिटरी सेवाओं को प्रदान कर रहा है। परिचालन को मुंबई में केन्द्रीकृत किया गया है।

हमारे डीपी में सक्रिय डीमैट खातों की संख्या यथा 31.03.2016 में 96,450 हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने सकल आय ₹ 346 लाख की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान अर्जित सकल आय ₹ 351 लाख है। कुल 3210 नये खाते वित्तीय वर्ष 2015-16 में खोले गए हैं।

स्टार शेयर ट्रेड (शेयर की ऑन लाईन ट्रेडिंग):

हमारे ग्राहकों की ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग (ओएलएसटी) की बढ़ती मांग को पूरा करने और उन्हें माउस की क्लिक पर ट्रेडिंग की सहूलियत उपलब्ध करवाने हेतु, फोन पर सौदे करने की सुविधा देने के विचार से बैंक ने तीन स्टॉक ब्रोकरों मेसर्स असित सी. मेहता इनवेस्टमेंट इन्टरमीडियेट्स (एसीएमआईआईएल) लि., मेसर्स अज्कोन ग्लोबल सर्विसेस लि., मेसर्स जीईपीएल कैपिटल के साथ गठजोड़ व्यवस्था कर अपने ग्राहकों के लिए बैंक खाता, डीमेट खाता एवं ट्रेडिंग खाता को एकीकृत कर स्टार शेयर ट्रेड (आनलाइन ट्रेडिंग सुविधा) प्रारंभ की है। यह सुविधा हमारे एनआरआई ग्राहकों को आईपीओ भरने के लिए भी उपलब्ध है।

ऐप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लाक्ड एमाउंट (एएसबीए):

बैंक सेबी में स्वयं प्रमाणित सिंडीकेट बैंक (एससीएसबी) के रुप में पंजीकृत है और एएसबीए के अंतर्गत प्राप्त आईपीओ आवेदन (प्रत्यक्ष आवेदन) हमारी नामित शाखाओं द्वारा संसाधित किए जाते हैं। आसबा के तहत हमारी सभी शाखाएँ एएसबीए के तहत आवेदन स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत हैं। बैंक की स्टॉक एक्सचेंज शाखा आसबा की नोडल शाखा के रुप में कार्य कर रही है। उपर्युक्त नामित शाखाओं के अतिरिक्त अन्य सभी शाखाओं के ग्राहक जिन्होंने इन्टरनेट बैंकिंग सुविधा ली है वे स्टार कॉनेक्ट रिटेल इंटरनेट बैंकिंग से एएसबीए आईपीओ में ऑनलाइन बिड सह आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बैंक ने निदेशकों के सिंडिकेट आसबा आवेदन स्वीकार करना आरंभ किया है जो पूरे देश में स्थित 23 शाखाओं के जरिए 14 केन्द्रों में ब्रोकर द्वारा विधिवत बिड किया जाता है।

11. थर्ड पार्टी उत्पाद:

जीवन बीमा हेतु टाई-अप:

बैंक ने अपने जीवन बीमा उत्पादों की बिक्री हेतु बैंक के संयुक्त उद्यमी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टार यूनियन दाई-ची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के साथ अपनी कॉर्पोरेट एजेन्सी व्यवस्था को जारी रखा। बैंक के लगभग 4667 आईआरडीए उत्तीर्ण कर्मचारी हैं जो विभिन्न केन्द्रों पर बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए ..... के रूप में कार्य करते हैं।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 554.03 करोड़ (पॉलिसियों की संख्या करीब 3.33 लाख) का प्रीमियम संग्रह किया और संयुक्त उद्यम कंपनी के कुल नए कारोबार में 43% से अधिक का योगदान दिया।

बैंक ग्रुप पॉलिसी के तहत अपने स्टार होम लोन और स्टार एज्यूकेशन लोन के उधारकर्ताओं सहित बैंक के रिटेल ऋण उधारकर्ताओं को ऑप्शनल लाइफ इंश्योरेंस कवर की पेशकश कर रहा है जहां जीवन बीमा के लिए उधारकर्ता को कम प्रीमियम देना होगा।

बैंक अपने चालू तथा बचत बैंक खाता के ग्राहकों को प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर ₹ 1 लाख से 5 लाख तक की बीमांकिक राशि के लिए सुड लाइफ ग्रूप टर्म इश्योरेंस प्लान भी दे रहा है।

बैंक का एक को-ब्रैंडिड उत्पाद है - बीओआई नैशनल स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कि एक परिवार फ्लोटर मेडिक्लेम बीमा कवर है जो बैंक ऑफ़ इंडिया खाता धारकों के लिए बहुत ही कम प्रीमियम पर उपलब्ध है। यह एक लोकप्रिय उत्पाद है और यथा 31.03.2016 को करीब 190000 लाख से अधिक बीओआई खाताधारकों ने यह पॉलिसी ली है ।

जनरल इंश्योरेंस (नॉन लाइफ) हेतु टाई-अप:

सामान्य बीमा उत्पाद बिक्री करने के लिए बैंक का नैशनल इंश्योरेंस कं. लि. (NICL) के साथ कारपोरेट एजेंसी समझौता है। बैंक स्टैण्डर्ड फायर एवं स्पेशल पेरिल, मेरिन, मोटर इंश्योरेंश जैसे विभिन्न प्रकार के सामान्य इंश्योरेंस कवर की सुविधाएं दे रहा है।वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने एनआईसीएल के साधारण बीमा पॉलिसी के लिए कुल ₹ 196.55 करोड़ का प्रीमियम इकट्ठा करते हुए ₹ 19.79 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है।

म्यूचुअल फंड उत्पाद:

बैंक 10 आस्ति प्रबंधन कंपनियों के विविध म्युचूअल फंड उत्पादों की बिक्री कर रहा है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान म्युचूअल फंड कारोबार के वितरण से ₹ 4.54 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है।

12. कारोबार प्रक्रिया पुनर्विन्यास

पुनर्गठन के हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश, ओडिसा, बिहार, तेलंगाणा और आंध्र प्रदेश राज्य में अंचलों को फिर से संगठित किया गया। कारोबार विकास क्लस्टर को पुन: परिभाषित किया गया और बीडीएम की भूमिका/स्थिति को और मजबूत बनाया गया।

भविष्य की शाखा (BOTF) परियोजना:

इस मॉडल के अंतर्गत अब तक कुल 306 शाखाओं का रूपांतर किया गया है। शाखाओं के अभ्यंतरों को सुरूचिपूर्ण ढंग से तैयार किया गया है जहां ग्राहकों के लिए काफी जगह छोड़ी गई है और पर्याप्त बैठने की व्यवस्था की गई है। शाखा के विभिन्न प्रकार के किऑस्क जैसे पासबुक किऑस्क (PBK), क्यू प्रबंधन प्रणाली (OMS) ,अटोमेटेड टेलर मशीन (ATM), कैश डिपॉजिट किऑस्क (CDK), की सुविधा दी गई है और इन शाखाओं में कार्य करने वाले स्टाफ को बेहतर ग्राहक प्रबंधन और क्रॉस सेलिंग का प्रशिक्षण दिया गया है। सभी शाखाओं में सभी किऑस्कों के प्रयोग, ग्राहकों को वैकल्पिक डिलिवरी चैनलों के लिए प्रेरित करना, विभिन्न मानदण्डों पर निष्पादन की कड़ी निगरानी की जा रही है।

इतिहास और संग्रहालय परियोजना:

वर्ष 2011 के दौरान यह परियोजना आरंभ की गई जिसका दोहरा लक्ष्य था बैंक का इतिहास लिखना और आरंभ से बैंक के कार्य को दर्शाते हुए बैंक का संग्रहालय स्थापित करना। बैंक के विस्तृत इतिहास को लिखने के लिए प्रतिष्ठित इतिहासकार श्री अभिक राय की सेवाएं ली गई। आरबीआई के उप गवर्नर श्री एस एस मुन्द्रा द्वारा 29 मई 2015 को इतिहास की पुस्तक का विमोचन और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया।

13. विपणन और प्रचार :

विपणन :

विपणन बैंक का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो वर्तमान ग्राहकों की सेवा करता हुआ नए ग्राहकों का अभिग्रहण करता है और मूल्यवर्धन के लिए ग्राहक केन्द्रिक प्रक्रियाओं का निर्माण करता है।

बैंक की विपणन स्थापना जमाराशि संग्रहण (सरकारी जमाराशि तथा ट्रस्ट, एसोसिएशन, क्लब एवं सोसायटी), रिटेल अग्रिम, वैकल्पिक प्रस्तुति माध्यम (एडीसी), उत्पाद और तृतीय पक्ष उत्पादों की बिक्री आदि व्यवसाय विकास गतिविधियों पर केंद्रित है। पुनर्गठित विपणन सेट-अप में विपणन कर्मचारियों को पुन: संगठित प्रक्रिया के अनुसार शाखाओं/आरबीसीस से नियुक्त/सहबद्ध किया है और ये आंचलिक कार्यालय के विपणन प्रमुख (उप आंचलिक प्रबंधक) के अंतर्गत कार्य करते हैं। विपणन के प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए बैंक के पास 609 विपणन एक्ज्यूकिटिव हैं।

प्रचार गतिविधियां

अखिल भारतीय स्तर पर हमारे बैंक की छवि तथा बैंक के विभिन्न उत्पादों की दृश्यता में वृद्धि के लिए बैंक के प्रचार तथा जनसंपर्क विभाग ने विभिन्न मल्टी मीडिया कॉरपोरेट अभियान आरंभ किया। मीडिया योजना को कार्यान्वित करने के लिए, हमारे प्रचार वाक्य और थीम के आधार के रूप में ‘‘रिश्तों की जमापूंजी‘‘ जारी रहेगा। विभिन्न रेडियो चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बैंक के उत्पादों के विज्ञापन का कार्य बड़े स्तर पर किया गया है। प्रिंट मीडिया अर्थात प्रमुख राष्ट्रीय/क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रों और विभिन्न प्रचलित पत्रिका और ओओएच गतिविधियों अर्थात होर्डिंग/बिल बोर्ड/गैंट्रीज़ आदि में बैंक के उत्पादों का खूब प्रचार किया गया। सीएसआर का प्रायोजन और ब्रांडिंग गतिविधियाँ भी की जाती हैं।

14. जोखिम प्रबंधन

बैंक द्वारा की जानेवाली प्रत्येक कारोबार गतिविधि में जोखिम निहित है। बैंकिंग गतिविधियां हमें बड़ी संख्या में जोखिम में रखती है जैसे ऋण, विपणन, नकदी, परिचालनात्मक कार्यनीति, अनुपालन, प्रतिष्ठा का जोखिम आदि। बैंक को इन जोखिमों को संभालना पड़ता है तथा लंबी अवधि के परिणामों को व्यापकता प्रदान करने के लिए आस्तियों की समग्रता तथा अर्जन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना पड़ता है।

बैंक ने व्यापक जोखिम प्रबंधन बनाया है जो जोखिमों की पहचान करता है, मापता है और देखभाल करता है तथा इन सभी प्रयासों पर पर्याप्त रिपोर्ट तैयार करता है ताकि घटे जोखिम का विस्तार परिचालन की निरंतरता को खतरे में न डाले ।

बैंक ने ऐसी कार्यप्रणाली स्थापित की है जिसमें व्यक्तिगत आधार पर और बैंक की सम्पूर्ण जोखिम स्थिति से संबंधित जोखिम का अविरत मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाता है। विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए शीर्ष कार्यपालकों की परिचालनात्मक स्तरीय समिति द्वारा समर्थित शीर्ष स्तर पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति सहित बैंक जोखिम प्रबंधन के समग्र जोखिम स्थिति बोर्ड चालित कार्य है। जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया विभिन्न चरणबद्ध है जैसे पहचान, मापन, निगरानी तथा नियंत्रण जो बृहद उद्यम जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम प्रबंधन, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन, डेरिवेटिव, एएलएम, विदेशी विनिमय तथा डीलिंग रूम परिचालन को कवर करती है। परिचालनात्मक स्तरीय जोखिम समिति तथा टास्क फोर्स द्वारा सभी गतिविधियों तथा उत्पादों में पहचान, मापन, निगरानी तथा न्यूनीकरण के सभी संभावित जोखिमों विस्तृत विश्लेषण तथा विविक्षा की जाती है। तिमाही आधार पर बैंक के जोखिम की पहचान की जाती है। जोखिम पहचान के निर्धारण/मापन के लिए विभिन्न साधन तथा प्रणाली हैं जैसे विवेकपूर्ण सीमाएं, नया बेसल शिकायत ऋण निर्धारण मॉडल, ऋण लेखा, बाज़ार जोखिम के लिए वीएआर मॉडल, परिचालनात्मक जोखिम के लिए प्रमुख जोखिम संकेतक का पता लगाने सहित स्वंय-निर्धारण प्रक्रिया।

बैंक का ब्रॉंड, साख तथा आस्तियों को बनाए रखने के लिए आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करते हुए बैंक कारोबार में गतिवर्धन में धोखाधड़ी जोखिम से बचने के लिए बैंक ने स्पष्ट उद्देश्यों सहित धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है। वास्तविक समय सुरक्षा प्रयासों/घटनाओं की 24x7 आधार पर निगरानी के लिए बैंक ने कई सूचना सुरक्षा परियोजनाओं को बैंक में लागू किया है। बैंक ने कैप्टिव सुरक्षा परिचालन केन्द्र (एसओसी) को आरम्भ किया है।

15. निरीक्षण तथा लेखा परीक्षा

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ड्राफ्ट दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा, जोखिम आधारित प्रबंधन लेखा परीक्षा (घरेलू), संगामी लेखा परीक्षा, सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा और विदेशी शाखाओं की लेखा परीक्षा की नीतियों की समीक्षा/उचित संशोधन किए गए और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के दिशानिर्देशों के द्वारा पिछले एएफआई में बताए गए क्षेत्रों को कवर/स्पष्ट किया गया।

वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग द्वारा घरेलू और सभी विदेशी शाखाओं, करेंसी चेस्ट, डिपॉजिटरी सहभागिता कार्यालय में जोखिम आधारित लेखा परीक्षा, सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा तथा राजस्व लेखा परीक्षा की गई और प्रधान कार्यालय विभागों, आंचलिक कार्यालयों, आंचलिक लेखा परीक्षा कार्यालयों, स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालयों, एमडीआई, एलडीएम कार्यालय, आरआरबी में जोखिम आधारित प्रबंधन लेखा परीक्षा की गई। एफसीए द्वारा 765 शाखाओं, ट्रेजरी शाखा, डाटा सेंटर, प्रधान कार्यालय कार्ड उत्पाद विभाग,संपदा और अन्य प्रधान कार्यालय के विभागों की संगामी लेखा परीक्षा की गई तथा 27 विदेशी शाखाओं। दिनांक 31.03.2016 तक बैंक के कुल वैश्विक अग्रिम का 85.95% तथा कुल ग्लोबल जमा का 69.83% संगामी लेखा परीक्षा द्वारा पूरा किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार यह कवरेज कुल जमा राशि का 50% और बैंक के कुल ऋण और जोखिम निवेश का 50% से अधिक है।

स्टार बूस्ट योजना बैंक में लागू की गई है और लेखा-परीक्षा के तहत शाखाओं की लेखा-परीक्षा अपवाद रिपोर्ट (एईआर) निकाली गई हैं और लेखा-परीक्षा आरंभ होने से पहले शाखाओं को भेजी गई हैं जिससे शाखाएं आवश्यक सुधारात्मक उपाय शुरू कर सकें, जिससे उन्हें अच्छी लेखा परीक्षा श्रेणी प्राप्त करने में सुविधा होती है।

बैंक के उच्च प्रबंधन द्वारा विभिन्न अंचलों में संगामी लेखा परीक्षकों/आंतरिक

लेखा परीक्षकों की बैठक का आयोजन किया जाता है और उनके द्वारा गुणवत्ता और लेखापरीक्षा निष्कर्ष की समय पर रिपोर्टिंग और रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। सभी महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष परिणामों पर निर्धारित अनुसार निर्धारित उच्च प्रबंधन, कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति नियमित रिपोर्टिंग और बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को नियमित रिपोर्टिंग की जाती है और उनके निदेशों का अनुपालन किया जाता है।

16. विधि एवं सूचना का अधिकार अधिनियम(आरटीआई):

बैंक का विधि विभाग एक मददकर्ता के रूप में कार्य करता है तथा प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों से उभरे विभिन्न मामलों में सलाह, प्रलेखीकरण, मुकदमे आदि कार्यों को करता है, इसके अतिरिक्त विभिन्न एनबीजी/अंचलों, भारतीय शाखाओं/विदेशी शाखाओं तथा बैंक के अनुषंगियों के विभिन्न निर्दिष्ट मामलों के कार्य करता है। विशेषीकृत विभागों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी/अन्तर्राष्ट्रीय/कोषागार/कार्ड उत्पाद आदि के विशिष्ट कार्यों जैसे विभिन्न संविदा के प्रलेखों/सेवा स्तर समझौता (एसएलए), सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर खरीदने, विभिन्न प्रकार की टाई अप व्यवस्था/नए उत्पाद, आदि की ड्राफ्टिंग/संविक्षा (वेटिंग) भी विभाग द्वारा की जाती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम समाज में प्रमुख भूमिका निभा रहा है तथा विभिन्न स्तरों से बैंक को अनेकों आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। बैंक ने विभिन्न अंचलों/एनबीजी में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा अपील प्राधिकारी का चयन किया है। विधि विभाग, प्रधान कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक को बैंक के सीपीआईओ के रूप में पदनामित किया गया है और विधि विभाग, प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक अपील प्राधिकारी हैं जिसमें सभी विभागों से वांछित सूचना प्राप्त की जाती है तथा 30 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के अन्दर आवेदक को प्रदान की जाती है तथा विशिष्ट बिंदुओं पर अन्य अंचलों/एनबीजी को दिशानिर्देश प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्टाफ के बीच जागरूकता निर्मित करने के दृष्टिकोण से विधि विभाग द्वारा संविधि पर संशोधनों और नए कानूनों के बारे में एनबीजी/अंचलों को परिपत्र एवं दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने सूचना का अधिकार अधिनियम2005 के अंतर्गत 3925 आवेदन प्राप्त किए। केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) द्वारा निर्धारित 30 दिनों के अंदर इनका निपटान किया गया। सीपीआईओ के निर्णय के विरुद्ध 619 आवेदकों ने अपील की और इन अपीलों का भी निपटान 30 दोनों की निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर अपील प्राधिकारी द्वारा किया गया।

17. अनुपालन :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक की अनुपालन कार्यनीति बैंक के बोर्ड द्वारा अपनाई गई है। बोर्ड अनुमोदित अनुपालन कार्य नीति (बोर्ड द्वारा दिनांक 26.02.2016 को आयोजित बोर्ड बैठक में अनुमोदित) है। बैंक में महाप्रबंधक की श्रेणी के मुख्य अनुपालन अधिकारी के नेतृत्व में स्वतंत्र अनुपालन विभाग कार्य कर रहा है। बैंक की सांविधिक, विनियामक एवं आंतरिक दिशानिर्देशों का अनुपालन, बैंक के घरेलू और विदेशी दोनों में अनुपालन कार्य का परिचालन कार्य क्षेत्र है। विभाग ने शाखा बैंकिंग के निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए अनुपालन नियम तैयार किया है:

जिस क्षेत्र के नियम है	आवृत्ति	नियमों की सं.
अपने ग्राहक को जानिए/धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध	मासिक	७१
जमाराशियाँ व सेवाएँ	तिमाही	६१
अग्रिम	तिमाही	६३
एफईएमए	तिमाही	१५५

विभाग पूरे भारत में चयनित शाखाओं में अर्ध वार्षिकी अनुपालन परीक्षण कर रहा है और इसके निष्कर्ष सुधार हेतु सुझाव सहित उच्च प्रबंधन को प्रस्तुत किए जाते हैं। संबंधित अंचल के लिए अनुपालन अधिकारी की पहचान की गई है। कई मासिक रिपोर्टों/प्रमाणपत्रों के जरिए बोर्ड/बोर्ड की अडिट समिति/उच्च प्रबंधन/प्रधान कार्यालय के विभागों को सूचित की जाती है।

विभाग द्वारा आरबीआई के अनुसार प्रत्येक अर्धवार्षिक में 10 से 15% शाखाओं का अनुपालन परीक्षण किया जाता है। सीआर-12, सीआर-13, सीआर-14, सीआर-15 और ट्राँचे III के संदर्भ में लिए गए खातों का नमूना जांच(करीबन जोड़े गए नए कारोबार का 10%) किया जाता है जैसा कि आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट अनुपालन नियम है। इसी प्रकार विदेशी शाखाओं के तिमाही अनुपालन परीक्षण के लिए पृथक सिस्टम है जो संबन्धित केन्द्रो/शाखाओं के अनुपालन अधिकारियों द्वारा किया जाता है ।

केवाईसी/एएमएल/सीएफटी:

विभाग को बैंक में अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी)/धनशोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्त पोषण का प्रतिरोध (सीएएफटी) दिशानिर्देशों को लागू करने/निगरानी रखने की जिम्मेदारी भी दी गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार विभाग ने सभी वर्तमान खातों में केवाईसी मानदण्ड के अनुपालन को सुनिश्चित करने का काम गंभीरता से लिया है। फिनेकल सिस्टम में प्रत्येक खाते में केवाईसी स्थिति को नोट करने के लिए अलग अनिवार्य फील्ड डाली गयी है।

धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएल अधिनियम) के उपबंधों के अनुसार और इसके अतिरिक्त संशोधनों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और केवाईसी के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार शाखाएं ग्राहकों के सही पहचान के लिए नवीनतम फोटोग्राफ, पहचान का प्रमाण तथा वर्तमान पते का प्रमाण प्राप्त कर रही है। ''छोटे खाते'' के व्यक्तियों का खाता खोलने की सुविधा दी गई है। सभी ग्राहकों को जोखिम धारणा के आधार पर उच्च, मध्यम व न्यून जोखिम प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा प्रत्येक छह महीने में की जानी चाहिए। खातों की जोखिम प्रवर्गीकरण की समीक्षा को प्रधान कार्यालय में केन्द्रीयकृत कर लिया गया है। बैंक ने धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों और उसके संशोधनों को कार्यान्वित किया है।

विभाग प्रधान कार्यालय के विभागों के समन्वय से आरबीआई द्वारा जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) की देखभाल करती है। आरबीएस रिपोर्ट की जांच की जाती है और आरबीआई को अनुपालन प्रस्तुत किया जाता है।सभी

विनियामक एजेंसियों के लिए अनुपालन विभाग ही एक संपर्क बिंदु है जिसके माध्यम से बैंक द्वारा बातचीत की जाती है।

18. सतर्कता:

वित्त मंत्रालय तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सहमति से नियुक्त महाप्रबंधक श्रेणी के मुख्य सतर्कता अधिकारी बैंक की सतर्कता व्यवस्था के प्रमुख है। सभी सतर्कता मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारियों/नियंत्रक प्राधिकारियों को सलाह देने के लिए सीवीओ को ऐसे अधिकारियों की सहायता प्राप्त है जिन्हें अन्वेषण और अनुशासनिक कार्रवाई के मामलों के साथ-साथ बैंकिंग का ज्ञान/ इन क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव है। सतर्कता विभाग, निवारक सतर्कता उपायों के प्रचार-प्रसार का भी ध्यान रखता है। इस संबंध में सतर्कता मामलों पर कार्य करने के लिए बैंक द्वारा पाँच स्वतंत्र सतर्कता इकाई बनाए गए हैं। सतर्कता विभाग द्वारा बैंक के प्रायोजित चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा भेजे गए सतर्कता के मामलों में भी सीवीओ की सलाह दी जाती है।

19. राजभाषा:

बैंक के प्रधान कार्यालय में एक सुस्थापित राजभाषा विभाग है जो बैंक में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी भारत सरकार के दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।

वर्ष के दौरान विभाग ने निम्नलिखित कदमों की पहल की:

- बैंक ने विभिन्न अंचलों एवं प्रशिक्षण महाविद्यालयों में वर्ष के दौरान कुल 194 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जिनमें 4838 स्टाफ सदस्यों (2514 अधिकारी एवं 2324 लिपिक) के हिन्दी भाषा-कौशल को विकसित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- नए भर्ती राजभाषा अधिकारियों के लिए संसदीय राजभाषा प्रश्नावली के संबंध में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए 25.08.2015 को नई दिल्ली/एनसीआर में ''कारोबार विकास में भाषा की भूमिका'' विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विभाग द्वारा एक ई-पत्रिका निकाली गई जिसमें विभिन्न त्यौहारों, प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्म दिवस एवं अंतरराष्ट्रीय दिवसों पर लेखों का संकलन था। 15 अगस्त से 14 सितंबर 2015 तक प्रधान कार्यालय और सभी अंचलों में हिन्दी माह का आयोजन किया गया। हमारे विदेशी केन्द्रों यथा जौहन्सबर्ग, मोम्बासा, सिंगापुर, ग्लैस्गो आदि में भी हिन्दी दिवस मनाया गया।

20. मानव संसाधन और अध्ययन एवं विकास:

मानव संसाधन विकास लोगों को सशक्त बनाने और उनके ज्ञान, कौशल और क्षमता का प्रयोग संगठन के साथ-साथ खुद के विकास के लिए करने हेतु मदद करता है। एचआर नीति में वे प्रक्रियाएं शामिल है जिसके जरिए कर्मचारी अपना सर्वश्रेष्ठ कारपोरेट उद्देश्य पूरा कर सके।

नीतियां, भर्ती और पदोन्नति:

बैंकिंग जैसे सेवा आधारित उद्योग में, त्वरित और दक्षतापूर्ण सेवा पर ही सफलता निर्भर होती है जिसे सही प्रतिभावान व्यकतियों की भर्ती, विकास और सही तैनाती से हासिल किया जा सकता है। तथापि पिछले कुछ वर्षों में चुनौती का मुकाबला करने हेतु ठोस कदम उठाए गए है और बैंक ने लिपिक और अधिकारी वर्ग में बैंक निर्दिष्ट भर्ती प्रक्रिया के जरिए और सही स्टाफ बल बनाए रखेने के लिए आईबीपीएस द्वारा सामान्य भर्ती प्रक्रिया के जरिए कर्मचारियों की भर्ती की है।

बैंक ने वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न स्केल में सामान्य बैंकिंग और विशेषज्ञ श्रेणी में 2,117 अधिकारियों और 4,476 लिपिक संवर्ग में भर्ती की है।

आरक्षण नीति का अनुपालन:

बैंक भारत सरकार की आरक्षण नीति का पूर्णत: अनुपालन कर रहा है। प्रधान कार्यालय/आंचलिक कार्यालयों में विशेष भर्ती और एससी/एसटी कक्ष आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने और एससी/एसटी /ओबीसी कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए कार्यशील है।

लिपिक संवर्ग से सामान्य बैंकिंग अधिकारी संवर्ग और अधिकारी संवर्ग के अंतर्गत स्केल I से II और स्केल II से स्केल III के एससी/एसटी उम्मीदवारों/स्टाफ के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। बैंक ने प्रधान कार्यालय में क्रमश: ओबीसी और एससी/एसटी के लिए मुख्य संपर्क अधिकारियों के रूप में महाप्रबंधक के रैंक के अधिकारियों को पदनामित किया है। आंचलिक कार्यालयों में एससी/एसटी/ ओबीसी श्रेणी के अधिकारियों को संपर्क अधिकारी/कक्ष अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रधान कार्यालय/आंचलिक कार्यालयों में रखे गए पद आधारित आरक्षण रोस्टर का वार्षिक निरीक्षण किया जाता है। प्रधान कार्यालय और आंचलिक कार्यालयों में स्थापित एससी/एसटी कक्ष अन्य श्रेणियों जैसे भूतपूर्व कर्मचारी/विशिष्ट रूप से सक्षम व्यक्ति के संबंध में आरक्षण के कार्यान्वयन से भी संबद्ध है।

आतंरिक प्रकाशन (तारांगण एवं बीओआई गाइडिंग स्टार):

पिछले 51 वर्षों से बैंक की गृह पत्रिका 'तारांगण" बैंक के आंतरिक संसूचना हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह बैंक में कर्मचारी की वचनबद्धता को बढ़ावा देने का माध्यम है। यह एक ऐसा मंच है जिसमें लेखों, कविताओं, अनुभागों, कार्टुनों और अन्य माध्यम से कर्मचारी की सृजनशीलता को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा पत्रिका में बैंक के ग्राहकों की सफलता की कहानी, ग्राहकों की विशेष उपलब्धियों के साथ अंचल/शाखाओं/भारत/विदेश के कार्यालयों की अन्य गतिविधियां और स्टाफ सदस्यों और उनके बच्चों की उपलब्धियां प्रकाशित की जाती है। गाइडिंग स्टार एक कारपोरेट ज्ञान की पत्रिका है।

अध्ययन एवं विकास:

अध्ययन एवं विकास प्रभाग अपने लगातार प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रमों तथा ई-लर्निंग मोड्यूलों के जरिए कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि और विभिन्न खण्डों में ग्राहकों के नित बदलने वाली कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें सही कौशल और ज्ञान से परिपूर्ण करने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। प्रशिक्षण नीति की समीक्षा की गई और दिनांक 12.03.2015 को बोर्ड द्वारा परिशोधित नीति को अनुमोदित किया गया।

वर्ष के दौरान हमारे बैंक के 22,424 स्टाफ सदस्यों और अन्य संस्थाओं

और आरआरबी के 690 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। नए भर्ती 4,472 लिपिकों और 2,111 डीआरओ के लिए दो सप्ताह का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। सतर्कता प्रशासन, निवारक सतर्कता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य विशेषज्ञ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पहली बार नए पदोन्नत सहायक महाप्रबंधकों के लिए इन-हाउस कार्यपालक विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाहर की संस्थाओं जैसे मणिपाल ग्लोबल और बैंकर्स क्वोशन्ट अकादमी में क्रेडिट मूल्यांकन, रिटेल बैंकिंग और पहली बार शाखा प्रबंधकों के लिए विशेष रुप से तैयार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। एचआरएमएस के जरिए सभी कर्मचारियों के लिए बैंकिंग विषयों पर 100 ई-लर्निंग मोड्यूल्स विकसित किए गए। दैनंदिन बैंकिंग से संबंधित विषयों पर नियमित रूप से ऑनलाइन नॉलेज टेस्ट आयोजित किए जाते हैं। बैंक प्रबंधन के छात्रों को समर इन्टर्नशिप/ऑन द जॉब प्रशिक्षण देता है।

21. परिचालनात्मक श्रेष्ठता:

ग्राहकों के प्रति वचनबद्धता:

बैंक भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (BCSBI) का 2006 में उसकी शुरूआत से ही स्वैच्छिक सदस्य रहा है। इसके पीछे बैंक का मकसद रहा है कि वह एक पारदर्शी तरीके से उच्च स्तर की सेवा मुहैया कराने की अपनी ग्राहक उन्मुखता और वचनबद्धता पर बल दे और ग्राहकों को निर्णय लेने के आवश्यक जानकारी मुहैया कराएं।

बैंक ने ग्राहकों को पूरी तन्मयता से सेवाएँ देने के लिए ग्राहक अधिकार नीति, कस्टमर एक्सेप्टेन्स, केयर एण्ड सेवेरेन्स और शिकायत निवारण नीति को परिशोधित किया है और अपनाया है।

22. शाखा नेटवर्क एवं विस्तार:

बैंक के शाखा नेटवर्क का ब्योरा निम्नानुसार है:

	31.03.2015		31.03.2016	
महानगरीय	863	17.64	873	17.40
शहरी	821	16.78	835	16.64
अर्धशहरी	1317	26.92	1350	26.91
ग्रामीण	1891	38.65	1958	39.03
कुल घरेलु शाखाएं	4892	100	5016	100
विदेशी	60		61	
कुल शाखाएं	4952		5077	
इनमे से विशेषीकृत	271		271	

23. बैंक की अनुषंगियां/सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम:

इंडो ज़ाम्बिया बैंक लि. (आईजेडबी):,

आईजेडबी तीन भारतीय बैंकों यथा बैंक ऑफ़ इंडिया, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया और ज़ाम्बिया सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। प्रत्येक भारतीय बैंक के पास 20% शेयर पूंजी धारिता है, जबकि जाम्बिया सरकार की शेयर पूंजी धारिता 40% है।

पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके:

बैंक ने पीटी बैंक स्वदेशी टीबीके में 76% हिस्सा अर्जित किया था जो अब बदलकर पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके हो गया है। वर्ष 2015-16 के लिए निवल हानि ₹ 262.38 करोड़ (हमारी हिस्सेदारी: ₹ 199.41 करोड़)।

बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लिमिटेड:

बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लिमिटेड बैंक की पूर्ण स्वामित्व अनुषंगी है जिसने दिनांक 16 जून, 2008 से दार-ए-सलाम में पहली शाखा के साथ परिचालन आरंभ किया है। बैंक का निवेश ₹ 50.12 करोड़ है। वर्ष 2015-16 का निवल लाभ ₹ 10.71 करोड़ है।

बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैण्ड) लि.:

बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैण्ड) लि. बैंक की पूर्ण स्वामित्व अनुषंगी है जिसमें ₹ 176.90 करोड़ का निवेश हैं और 6 अक्तूबर 2011 से परिचालन आरंभ किया। वर्ष 2015-16 का निवल लाभ ₹ 2.63 करोड़ है।

बैंक ऑफ़ इंडिया (बोतस्वाना) लि: .

बैंक ने ‘‘बैंक ऑफ़ इंडिया (बोतस्वाना) लि.‘‘ के नाम से अनुषंगी स्थापित की है। वर्ष 2013-14 में दिनांक 09.08.2013 से जिसने परिचालन आरंभ किया है और इसकी पहली शाखा गेबोरोने, बोतस्वाना में खोली गई। बैंक का निवेश भारतीय रुपए 33.82 करोड़ है। वर्ष 2015-16 के लिए निवल हानि ₹ 0.12 करोड़ है।

बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.:

बैंक ने “बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.’’ बैंक की पूर्ण स्वामित्व अनुषंगी है जो जून 2012 से परिचालन में है। बैंक का निवेश ₹ 57.74 करोड़ है। वर्ष 2015-16 का निवल लाभ ₹ 4.41 करोड़ है।

बीओआई शेयर होल्डिंग लि. (बीओआईएसएल):

स्टॉक एक्सचेंज के समाशोधन गृह की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए बैंक ने 1989 में बीएसई के साथ ‘बीओआई शेयरहोल्डिंग लि. (बीओआईएसएल)’ नामक संयुक्त उपक्रम स्थापित किया। कंपनी द्वारा समाशोधन गतिविधि बंद की गई है। पहले बैंक के पास ₹ 2 करोड़ की अपनी प्रदत्त पूंजी का 51% हिस्सा था । वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान बैंक ने बीएसई से 49% शेयरधारिता प्राप्त की और बैंक का 100% अनुषंगी बन गया है। वर्तमान में कंपनी में ₹ 8.86 करोड़ का निवेश है।

बीओआईएसएल नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लि., (एनएसडीएल) एवं सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि., (सीडीएसएल) दोनों डिपॉजिटरियों का डिपॉजिटरी सहभागी (डीपी) भी है और यह समाशोधन सदस्यों एवं निवेशकों को डिपॉजिटरी सेवाएँ उपलब्ध कराता है। बीओआईएसएल ने वर्ष 2015-16 में ₹ 3.89 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया है।

बीओआई अक्सा इन्वेस्टमेंट मैनजर्स प्रा.लि. और बीओआई ट्रस्टी सर्विसेज़ प्रा.लि:

ये कंपनियां म्युचुअल फंड और पोर्टफोलियो प्रबंधन का कारोबार कर रही हैं। बैंक ऑफ़ इंडिया की दोनों कंपनियों में 51% शेयरधारिता है।

बीओआई मर्चेन्ट बैंकर्स लि. (बीओआईएमबी):

दिनांक 31.10.2014 को शामिल की गई बीओआईएमबी को मर्चेन्ट बैंकिंग का कार्य करने के लिए उन्नत किया गया था जो मुख्यत: सिंडिकेट ऋण, बांड और डिबेन्चर की व्यवस्था पर केन्द्रिकृत है। यह पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है जिसकी ₹ 10 करोड़ की प्रदत्त पूंजी है। कंपनी ने वर्ष 2015-16 में अपने परिचालन के प्रथम वर्ष के दौरान ₹ 1.48 निवल लाभ अर्जित किया है।

एसटीसीआई फिनैंस लि: .

एसटीसीआई फिनैंस लि 1994 में स्थापित एनबीएफ़सी है जिसकी प्रदत्त पूंजी ₹ 380 करोड़ है, बैंक ऑफ़ इंडिया 29.96% धारिता के साथ सबसे बड़ा

एकल शेयरधारक है। यह कंपनी लेखांकन मानक 23 (एएस-23) के अनुसार बैंक की सहयोगी कंपनी है।

एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लि. (एसटीसीआईपीडी), एसटीसीआई फिनैंस लि की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है जिसने अपना परिचालन 25 जून, 2007 से शुरू किया और देश की प्रमुख प्राइमरी डीलरों में से एक है।

स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. (एसयूडी लाइफ)

बैंक ऑफ़ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया एवं दाई-इची म्यूचुअल लाईफ इंश्योरेंस कंपनी, जापान ने वृद्धिशील बीमा बाजार का लाभ लेने तथा देश में चारों और फैले अपने ग्राहकों को विश्वसनीय गुणवत्ता बीमा उपलब्ध कराने के लिए ''स्टार यूनियन दाई-इची लाईफ इंश्योरेंस कंपनी'' गठित की है। कंपनी ने फरवरी, 2009 से बीमा कारोबार प्रारंभ किया है। कंपनी की ₹ 250.00 करोड़ का प्रदत्त पूंजी में बीओआई का 48% अंश है, यूनियन बैंक का हिस्सा 26% तथा दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की धारिता 26% है। परिवर्तित एफ़डीआई मानदण्डो के अनुसार दाई-इची लाइफ इश्योरेंस लि. को हम हमारे स्टेक का 18% बिक्री करने की प्रक्रिया में है। तत्पश्चात बीओआई की शेयरधारिता 30% होगी।

महत्वपूर्ण निवेश/गठज़ोड़

सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल)

यह कंपनी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई द्वारा बैंक ऑफ़ इंडिया व अन्य बैंकों के साथ 1997 में प्रवर्तित की गई थी। सीडीएसएल को प्रवर्तित करने का मुख्य उद्देश्य स्क्रिप्स के डिमेटीकरण की गति में वृद्धि व पूंजी बाजार में निवेशकों की सहभागिता बढ़ाने और देश की द्वितीय डिपॉजिटरी के रूप में एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्मित करना था। सीडीएसएल की ₹ 104.50 करोड़ की प्रदत्त पूंजी में बैंक का हिस्सा 5.57% है।

एएसआरईसी (इंडिया) लि.

कंपनी को यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया के विनिर्दिष्ट उपक्रम के रूप में प्रतिभूतिकरण और आस्ति पुनर्रचना कार्यकलाप करने के लिए प्रवर्तित किया गया था। वर्तमान कंपनी की ₹ 98 करोड़ की इक्विटी पूंजी में बैंक की 26.02% की धारिता है।

ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लि. (सीआईबीआईएल)

ऋण आसूचना ब्यूरो देश का पहला ऋण आसूचना ब्यूरो है, जिसे बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र को ऋण सूचना और जोखिम विश्लेषण सेवाएँ देने के लिए अगस्त 2000 में प्रवर्तित किया गया। कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में बैंक की 5% की धारिता है।

नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेस लि. (एनसीएमएसएल)

नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेस लि. को नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज लि. (एनसीडीईएक्स) द्वारा प्रवर्तित किया गया है। इसको दिनांक 28.09.2004 को प्रतिभूतियों एवं कमोडिटीज हेतु सुरक्षा, प्रबंधन तथा नियंत्रण के लिए कोलेटरल प्रबंधन सेवाएं प्रोन्नत करने तथा प्रदान करने हेतु निगमित किया गया था। यह पण्य बाज़ार पर व्यापार के विकास हेतु विभिन्न सेवाएं तथा प्रतिभूतियों एवं पण्यों इत्यादि के मूल्यांकन ग्रेडिंग, बीमा , सुरक्षा , भंडारण , वितरण , समाशोधन एवं अग्रेषण का कार्य करता है। बैंक की कंपनी इक्विटी पूंजी में 10.17% हिस्सेदारी है। इस तरह यह बैंक को एनसीएमएसएल के साथ अपने संबंधों के चलते उनके सदस्यों और ग्राहकों को क्रेडिट देने का अवसर प्राप्त होता है।

स्वीफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेस प्रा.लि

स्वीफ्ट और बैंक ऑफ़ इंडिया सहित 8 प्रमुख बैंको द्वारा एक नया संयुक्त उद्यम प्रोन्नत किया गया है। स्वीफ्ट के पास इक्विटी की 55% धारिता है और शेष 45% की धारिता 8 प्रमुख बैंको के पास है। कंपनी में बैंक ऑफ़ इंडिया की ईक्विटी स्टेक 5% है। कंपनी ने फरवरी 2015 से परिचालन आरंभ किया है।

एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ़ इंडिया लि. (एसएमईआरए)

एक प्रमुख ऋण स्तरांकन एजेन्सी डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के सहयोग से सिडबी द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान एसएमईआरए की स्थापना की गई। एसएमईआरए का प्रमुख उद्देश्य एक व्यापक, पारदर्शी और विश्वसनीय स्तरांकन प्रदान करना है जिससे एसएमई क्षेत्र को बड़ी मात्रा में और आसानी से ऋण उपलब्ध होगी। बैंक की कंपनी की इक्विटी पूंजी में नाममात्र 4% धारिता है।

अन्य महत्वपूर्ण निवेश

उपर्युक्त सूचीबद्ध मुख्य महत्वपूर्ण निवेश के अलावा बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. (₹ 49.97 करोड़), सीईआरएसएआई (₹ 2.15 करोड़) इक्वीफैक्स क्रेडिट इन्फार्मेशन सर्विसेस लि. (₹ 4.73 करोड़), यूवी एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कं. लि. (₹ 15 लाख), क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (₹ 0.50 करोड़), एग्रीक्ल्चरल फायनेंस कार्पोरेशन लि. (₹ 1.26 करोड़), सिडबी (₹ 45.30 करोड़), टूरिज्म फायनेंस कार्पोरेशन लि. (₹ 8.59 करोड़), सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन लि. (₹ 1.11 करोड़), लॉस डाटा कॉन्सार्टियम सीओआरडीईएक्स (₹ 1 करोड़), एसबीआईडीएफएचई (₹ 6.34 करोड़) में भी बैंक का महत्वपूर्ण निवेश है।

24 कारोबार दायित्व रिपोर्टिंग 2015-16

सेबी सूचीकरण विनियमन - 2015 का क्लाज 34(2) (एफ)। इसका टेक्स्ट हमारी वेबसाइट www.bankofindia.com में उपलब्ध है।

आभार

बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रति उनके यथोचित मार्गदर्शन तथा सहायता के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। बोर्ड वित्तीय संस्थाओं एवं संपर्ककर्ता बैंकों के प्रति भी उनके सहयोग एवं सहायता के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है। बोर्ड ग्राहकों, कारोबार सहयोगियों एवं शोयरधारकों की असीमित सहायता हेतु आभार व्यक्त करता है। साथ ही बोर्ड बैंक के समग्र निष्पादन के लिए स्टाफ सदस्यों के प्रति भी उनकी समर्पित सेवाओं और सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

बोर्ड के निदेशकों के लिए एवं उनकी ओर से

ह/-
(मेलविन रेगो)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक :14 जून 2016

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

बैंक ऑफ़ इंडिया, देश का एक प्रमुख वित्तीय संस्था होने के कारण हमारे प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञों के स्वप्नों का सहभागी है कि कोई भी भारतीय भूखा न रहे, कुपोषण न रहे तथा बुनियादी आवश्यकताएं उपलब्ध हों तथा वहन करने योग्य शिक्षा हो, स्वास्थ्य सुविधाएं रहे, परिवेश को सशक्त बनाते हुए बराबर अवसर हो जिससे सामाजिक तथा आर्थिक असमानता में कमी आए। बैंक ऑफ़ इंडिया का विश्वास है कि जिस समाज ने बैंक को कालान्तर में एक विशाल आकार में वृद्धि के लिए सहायता प्रदान किया वह समाज अपने विकास के लिए बदले में कुछ प्राप्त करने का अधिकार रखता है। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में पिछले कुछ वर्षों में संपूर्ण देश में बैंक ने उदारतापूर्वक योगदान दिया है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत गठित कंपनियों के लिए कंपनी अधिनियम 2013 में सीएसआर के अंतर्गत व्यय का आदेश नया प्रावधान है। यद्यपि बैंक ऑफ़ इंडिया इस प्रवर्ग के अंतर्गत नहीं आता है तथापि एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक होने के कारण नेक कारणों के लिए स्वेच्छा से सीएसआर गतिविधियों में सहभागी हो रहा है।वर्ष 2015-16 के दौरान अनेक सीएसआर परियोजनाओं को बैंक ऑफ़ इंडिया ने अनुमोदित किया है जिनका या तो उपयोग किया गया है या उपयोग के प्रक्रिया में है।

बैंक ने निम्नलिखित के अंतर्गत सीएसआर परियोजनाओं में सहायता की है:-

- स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सहभागिता
- प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पीड़ित व्यक्तियों को सहायता
- पर्यावरण सुरक्षा की पहल
- प्रशिक्षण तथा कौशल विकास पर पहल
- गरीबों/सुविधा से वंचितों को स्वास्थ सेवा प्रदान करना
- कैंसर रोगियों को सहायता
- नि:शक्तजन व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना
- मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए सहायता
- नेत्रहीन व्यक्तियों के कल्याण के लिए योजना
- लड़कियों/महिलाओं की देखभाल, अनाथालय के लिए हॉस्टल भवन का निर्माण और गांधी आश्रम और छात्र गृह का नवीकरण और मरम्मत
- ग्रामीण विकास की पहल और स्व रोजगार के लिए बेहतर रोज़गार के अवसर हेतु कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करवाकर ग्रामीण युवा को सशक्त करना; और
- एससी/एसटी/ओबीसी और समाज के पिछड़े तबके का कल्याण

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

OVERALL BUSINESS ENVIRONMENT

Global Developments:

Growth is sluggish across the globe. According to the latest World Economic Outlook released by IMF, global growth is expected to be 3.2% for 2016 and 3.5% for 2017. Among Asian economies, growth in China moderated to 6.9% for 2016 and growth for 2017 is expected to be 6.5%.This is expected to pull down overall growth for Emerging Markets and Developing Economies (EMDEs). Countries dependent on exports would be adversely impacted and so will commodity producers. Another notable feature is world trade growth (2.8%) lagging behind global output growth (3.5%).

Domestic Economic Scenario:

GDP is estimated at 7.6 % during FY 2016 and growth projection for FY 2017 is at 7.90%. However, high frequency indicators such as Index of Industrial Production (IIP), bank credit growth and capacity utilization by industry show moderation. Falling commodity prices kept Current Account Deficit under check which is expected to be 1.3% of GDP for FY 2016.

Both CPI and WPI inflation are benign. Low inflation has been sustained due to low commodity prices. Government is expected to meet its fiscal deficit target of 3.5 per cent of GDP for FY 2017. Due to comfort on inflation front and efforts at fiscal consolidation, repo rate has been reduced by 0.25% to 6.50% in April 2016 and the band between repo-reverse repo-MSF corridor has been narrowed to 1% from 2% to minimize volatility in interest rates.

In the real sector, impressive strides are being made in power, coal, mining, electricity and cement segments. Foreign direct investment norms have been liberalized and vigorous efforts have been undertaken to improve the ease of doing business. Bank accounts for over 200 million people under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana have also been opened.

Banking Sector:

As far as banking industry is concerned, FY 2016 has been one of the most challenging year in the post reforms era. The business of all Scheduled Commercial banks' recorded a lower growth of 10-11 percent. Asset Quality of banks suffered on account of variety of factors like global economic slowdown, lower exports, infra and road projects getting stalled for lack of necessary approvals, withdrawals of regulatory forbearance and Asset Quality Review (AQR) by RBI.

While the performance of banks was adversely impacted on profitability front, there have been a slew of policy changes. Under the Indra Dhanush programme of Government of India, Bank Boards Bureau was set up and entrusted with the task of improving Board Governance, consolidation, NPA resolution and providing more autonomy to banks in their day to day functioning. The much awaited Bankruptcy Code has been introduced for faster resolution of impaired assets. The DRT and SARFAESI Acts are also being modified to make them more effective. The Reserve Bank of India issued licenses to Payment and Small Finance banks. New licenses are also being offered to universal banks. On payment and settlement technology front, NPCI launched a unified interface and also introduced the Bharat Bill Payment system. RBI introduced certain changes in items which could be reckoned as capital for calculation of CRAR. At the same time the Capital Conservation Buffer of 0.625% was introduced starting from FY 2016. Overall, the operating environment for Banks has been quite challenging during FY 2016. The Government of India has pledged its full support to public sector banks in terms of capital infusion, autonomy etc. and at the same time, expecting banks to improve their operational efficiency & profitability.

Banking Sector-Issues and Challenges:

- Banks in India transitioned to Marginal Cost of Funds Based Lending Rates (MCLR) system with effect from April 1, 2016. This is expected to lower borrowing costs for borrowers.
- Aggregate deposits are at ₹ 97 Lakh crore and Gross Advances at ₹ 75 Lakh crore, according to latest banking system data. Deposit growth has lagged behind credit growth for the last couple of fortnights.
- A big leap is expected on the technology front with the ushering in of Unified Payment Interface (UPI) enabling seamless money transfer and remittance services. Moreover, with the entry of small finance and payment banks, the number of players in the banking space is set to increase.
- New categories of banks like Wholesale Banks and Custodian Banks are also proposed while universal banking licenses on tap is on the anvil.
- The ratio of bank credit and deposits to GDP is low in India against other financial majors like China. Moreover, we still do not have a bank among the top 10 global banks.
- Human resource management is an area of focus due to retirement of experienced senior personnel. This is complicated by the challenge to retain skilled personnel.
- There is a need to keep pace with changing technological trends. Banks, especially PSBs, need to embrace disruptive technologies and focus more on innovation.
- Investing in analytics platforms will help prevent frauds.

Outlook:

With good monsoons and industry revival, growth during FY 2017 is expected to be better. Interest rates outlook is benign. On the real economy front, coal, mining, cement and electricity sectors would have a positive outlook while commodities continue to be subdued. Stressed asset ratio of banks is expected to be moderated.

BUSINESS REVIEW:

DEPOSITS:

Savings Deposits grew by 12.54%, whereas Current deposits grew by 8.04%. Overall, Bank's total deposits (domestic + overseas) reduced by ₹ 18,902 crore to ₹ 5,13,005 crore during the year. The domestic deposits stood at ₹ 3,77,309 crore as on March 31, 2016.

CASA:

CASA deposits comprising Savings & Current deposits stood at 34.18% of total deposits. CASA deposits have grown by 11.84%.

Majority of Bank's Savings account schemes have in-built feature of automatic Free Group Personal Accidental Death Insurance Cover. The Bank is sharing updates with the customers on the benefits/ incentives/ discounts / waiver of charges & other facilities extended by the Bank, via e-mail and SMS. This gives scope to connect and interact with customers.

The Cooperative banks segment have also been targeted for low cost deposits. The accounts of Cooperative banks have been extended the ATM sub-membership facility, POS machines and IMPS facilities.

ADVANCES:

Bank's gross advances during the FY 2016 registered de-growth of 7.30%. Gross Domestic Credit registered a negative growth of 7.23% from ₹ 2,89,515 crore on 31.03.2015 to ₹ 2,68,579 crore on 31.03.2016. The focus during FY 2016 was on increasing the Priority Sector & Retail portfolio and to diversify the risk.

2.i) Priority Sector Advances:

The Bank has always been one of the leaders in servicing to the priority and agriculture sectors, with its vast network of rural and semi-urban branches and committed work force. The Bank has registered an outstanding level of ₹1,04,656 crore under Priority Sector.

The breakup of Priority Sector as on 31st March, 2016 is as under:

(₹in crore)

	Amount O/s as on 31-03-2016
Agriculture *	50,508
SME	39,466
Education	3,093
Housing	10,314
Others	1,275
Total	1,04,656

*including Rural Infrastructure Development fund (RIDF)

Under Special Agricultural Credit Plan, Bank branches could disburse ₹ 27,253 crore during the year.

Centralized Processing Centres in Focused Districts:

There are 43 Rural Centralized Processing Centres operating in zones with the objective of augmenting agriculture credit and reducing Turnaround Time (TAT) in sanctioning/disbursing credit proposals.

Kisan Credit Cards:

Kisan Credit Card Scheme aims at providing need based and timely credit support throughout the year to the farmers for their cultivation needs as well as non-farm activities with an objective to bring about operational freedom and flexibility in credit utilization. During the year, Bank has issued 3,97,743 new Kisan Credit Cards with aggregate limit of ₹ 4,632 crore. The Bank has so far issued 8.36 lakhs Kisan Credit Cards (cumulative).

Differential Rate of Interest:

A scheme for extending financial assistance at concessional interest rate of 4% to selected low income groups for productive endeavors under the name Differential Rate of Interest (DRI) Scheme is being implemented by the Bank. The Bank has sanctioned 5,012 cases under DRI Scheme during the year.

Minority Communities:

There is focused attention for the welfare of minority communities. Bank has been extending finance to the minority communities. During the year 2015-16, Bank has financed ₹4,846 crore to the minority communities and registered an outstanding level of ₹ 13,468 crore as on March 2016.

Golden Jubilee Rural Housing Finance Scheme:

The Bank has been actively involved in implementation of the Golden Jubilee Rural Housing Finance Scheme (GJRHFS). During the year, Bank has sanctioned 242 cases under GJRHFS.

Solar Energy Home Lighting System:

To address the issue of electricity paucity in the country, the Bank has launched a scheme on Solar Energy Home Lighting System. The Bank extends financial assistance to the prospective borrowers for purchase and installation of Solar Energy Home Lighting System. The Bank has sanctioned 3,687 units with financial outlay of ₹ 16.10 crore.

National Rural Livelihood Mission (NRLM) :

(₹ in crore)

Year	Sanctioned	Disbursed
2014-15	29.12	22.69
2015-16	23.25	18.49

National Urban Livelihood Mission (NULM) :

(₹ in crore)

Year	Sanctioned	Disbursed
2014-15	4,503	4,456
2015-16	2,367	2,963

ii) Retail Banking:

During the year 2015-16, bank pursued the policy of building up a healthy Retail Credit portfolio. The retail credit portfolio of the Bank increased from ₹ 34,153 crore to ₹ 37,777 crore as on 31st March, 2016. A strategy of rebalancing advances portfolio in favour of retail lending and to reduce the Corporate loans portfolio has been adopted. Bank's 49 Retail Business Centers (RBCs), across the country covering Tier-I &Tier-II cities, continue to play a key role in processing of Retail Home Loans/Loan against Property /Vehicle Loans/ Education Loan proposals.

During the year bank introduced new housing loan products as under:

(i) Top Up Loan for Home Loan customers, (ii) Revamped Home Loan Scheme for financing of flats/house for under construction projects (iii) Revamped Scheme for financing of payment of EMD in schemes promoted by the Urban Development Authorities..

The Home Loan segment recorded a growth of 17.97% from ₹ 16,664 crore to ₹ 19,658 crore during the year. Bank has tie-up arrangement with reputed builders with proven track records across the country for lead generation. Special preference is given for tie-up arrangement with reputed residential projects funded by the Bank. During the year, Bank has introduced Prime Minister Awas Yojana to participate in Government of India (GOI) initiative for "Housing for All (Urban)" Mission, being implemented during 2015-2022.

Loan Against Property (LAP), one of the popular products of the Bank with attractive features of low rate of interest, longer repayment period and flexible repayment options has registered appreciable growth. LAP portfolio registered a growth of 21.96% from ₹ 4,144 crore to ₹ 5,054 crore during the year.

Education Loan portfolio recorded a growth of 7.71% from ₹ 2,918 crore to ₹ 3,143 crore during the year. Bank has participated in various interest subsidy schemes of Government of India; (i) Central Scheme for Interest Subsidy, (ii) Padho Paradesh Scheme(Interest subsidy for students of Minority communities for pursuing studies abroad), (iii) Dr. Ambedkar Central Sector Scheme for Interest Subsidy(for students of OBC/EWC for pursuing studies abroad). Bank also has a special scheme viz., BOI Star Vidya Loan aimed to cater to students seeking admission to Premier Educational Institutions in the country viz IITs/IIMs/NIDs and other professional institutes of repute.

During the year, Bank has also introduced Pradhan Mantri Kaushal Rin Yojana (Skill Loan Scheme) to provide fillip to Skill Development initiatives of the GOI. The first ever sanction letter under Skill Loan was handed over to BOI beneficiary by Hon'ble Prime Minister of India, during the launch of Skill Loan Scheme on 15th July 2015. The Bank is also one of the 1st few banks to have integrated its operating system with Vidya Lakshmi Portal, an initiative of the GOI to provide a single window solution to students, to access information on Education Loan and also apply on-line for loan to single/multiple banks.

The Bank's Vehicle Loan segment also recorded growth of 5.82% from ₹ 2,733 crore to ₹ 2,892 crore during the FY 2016. Bank has tie-up arrangements with reputed auto manufacturers Maruti Suzuki, Tata Motors, Hyundai Motors and Mahindra and Mahindra and to provide healthy retail leads to augment Vehicle Loan portfolio.

Bank also extends Personal Loans to employees of PSUs/PSEs/Reputed Corporates/Institutions under tie up arrangement with employers for loan recovery.

iii) SME:

Performance of the Bank under MSME Segment:

- MSE manufacturing sector has declined from ₹ 21,595 crore as on March 2015 to ₹ 9,938 crore as on March 2016. (Y-O-Y de-growth of 7.67%).
- Share of Micro sector within MSE has increased to 44% as at March 2016 from 43 % as at March 2015.
- Growth in number of Micro accounts – 1,79,524 accounts have been sanctioned under Micro segment during 2015-16 registering growth of 40 % over 31.03.2015 against the mandatory target of 10%.
- Performance under CGTMSE - 68,869 new accounts added under CGTMSE scheme during 2015-16 covering exposure of ₹ 2,628 crore. Bank continues to maintain number one position amongst PSU banks in terms of total coverage under the scheme which has reached the level of 2,69,604 accounts with total exposure of ₹ 5,738. crore as on March 2016.
- Under Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), Bank has sanctioned 1,108 accounts with limit of ₹ 65 crore during FY 2016.
- Under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), Bank has opened 3,76,486 accounts and ₹ 2,752.28 crore has been disbursed under the scheme. MUDRA cards has also been given to 17,998 beneficiaries during the year (FY 2016).

iv) Corporate Credit :

There are 10 Large Corporate Branches (LCBs) located at major cities catering to all the major corporates across country – Mumbai (3 branches), New Delhi, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad and Pune. Further, 33 Mid Corporate Branches and 30 SME City Centres cover the rest of major business centers.

The advances through LCBs constituted 38% share in total domestic advances as on 31.03.2016. Advances to Corporate segment has declined from ₹ 1,19,675 crore as on 31.03.2015 to ₹ 1,05,133 crore as on 31.03.2016, showing a negative growth of 12% over last year.

As on March, 2016, outstanding credit under Mid Corporate Branches stood at ₹ 33,128 crore.

v) Infrastructure Finance :

During the FY 2016, the Bank has sanctioned Fund Based Limits of ₹ 5,737 crore and Non Fund Based Limit of ₹ 1,762 crore under infrastructure projects in new and addition to existing accounts covering Power, Telecommunication, Roads, Ports and other infrastructure. As on March 31, 2016 outstanding credit to infrastructure sector stood at ₹ 45,935 crore.

3. FINANCIAL INCLUSION:

Financial Inclusion is integral to the inclusive growth process and sustainable development of the country. There has been a strategic shift in sustainable financial inclusion to the adoption of market oriented approach viewing financial inclusion as a viable business proposition. The paradigm has decidedly shifted from "CSR" to "economic viability". It has been made possible with the availability of ICT based solution to support, secure and undertake sufficiently low cost transactions required by the financial sector.

The launch of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY) in August 2014, the financial inclusion drive has gained momentum. The Mission mode plan aimed at providing a bank account to each house-hold was achieved successfully and now focus is on for ensuring the effective utilization of the infrastructure for the betterment of the economy. Bank is viewing these prospective banking service users through a prism of opportunity rather than obligation.

Bank is committed to provide banking services in unbanked rural areas through ICT led Business Correspondents model. Services offered to citizens include opening of Basic Savings Bank Deposit Account with inbuilt overdraft facilities to take care of their urgent consumption needs, entrepreneurship credit to eligible persons to earn their livelihood, mobile based remittance facility to help mainly the migrant labour/ self-employed to remit money to their family members and access to Bank's third party products including Micro

Insurance and pension besides other Banking services. Bank has effectively pursued the Direct Benefit Transfer scheme of the Central / State Governments for transfer of benefits directly to the account of beneficiary by providing the requisite payment and other infrastructural supports.

Progress under Financial Inclusion:

- Number of Basic Savings Bank Deposit Accounts opened : 221.56 lakhs,
- Balance outstanding in BSBD accounts opened: ₹2,909 crore,
- GCC/KCC issued: 20.83 lakhs,
- Number of Business Correspondents engaged: 7,591
- Channel Management Partners engaged: 51
- Number of Villages where 100% FI achieved:4,404,
- Number of transactions through ICT-BC : 155.37 Lakhs,
- Volume of Amount transacted : ₹5,396.88 crore,
- Bank has achieved 100 % Financial Inclusion in all 4,404 allotted villages with population above 2,000 and total 23,058 villages covered as on 31.03.2016,
- Robust operational systems with adequate risk mitigants and best practices have been built up and are being pursued.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) :

- Number of Basic Savings Bank Deposit Accounts (BSBD) opened: 113.50 lakhs
- Balance outstanding in BSBD accounts opened: ₹1,442.93 crore
- Number of Rupay card Issued : 104.48 lakhs

PM's Insurance & Pension scheme:

- Number of person enrolled under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) : 34.27 lakhs
- Number of person enrolled under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY): 12.56 lakhs
- Number of person enrolled under Atal pension Yojna : 0.95 lakhs

Star Swarojgar Prashikshan Sansthan (RSETIs):

Majority of the youth of the country remain un-employed for want of adequate skills either in entrepreneurship, manufacturing or in professional activities even in small, micro or tiny levels. Skill development is a key to bring economic prosperity by way of providing sustainable livelihood, particularly in rural sector. In order to provide the opportunity to have gainful employment through skill development, Government of India has directed all public sector Banks to open RSETIs in their respective Lead Districts.

Bank has opened 43 RSETIs in the states of Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra and West Bengal. In all, Bank's RSETIs have conducted 3,934 training programs and imparted training to 1,11,390 candidates and credit linkage of 59,995 trainees has been provided from these centres to help them for their gainful employment.

Financial Literacy and Credit Counseling Centres (FLCC):

In order to extend financial education among people in rural and urban areas, FLCC/FLCs are established as per Reserve Bank of India guidelines. In terms of extant guidelines, Financial Literacy Centres (FLCs) are to be opened at the district locations where Bank is having Lead Bank responsibilities.

Bank's 51 FLCs are functional in all 51 Lead districts assigned to the bank. In addition to remedial counselling on case to case basis for the distressed borrowers, preventive counselling through media, workshops and seminars are also undertaken. So far 8,85,575 cases of counselling were taken up and disposed off quickly bringing smiles on the faces of the distressed people.

4. LEAD BANK RESPONSIBILITY:

The Bank has Lead Bank responsibility in 51 districts spread across five states of Jharkhand (15), Maharashtra (14), Madhya Pradesh (13), Uttar Pradesh (7) and Orissa (2). The Bank has been discharging its duties of Lead Bank in all these districts. The achievement of the Bank under Annual Credit Plan (ACP) is ₹ 23,403.87 crore which is 121.74% of ACP against the plan outlay of ₹ 19,224.24 crore for the Bank. Bank is designated as the "Lead Bank Convener" in SLBC in the state of Jharkhand.

Regional Rural Banks:

Bank has sponsored 4 (four) Regional Rural Banks (RRBs) namely Gramin Bank of Aryavart-GBA (Uttar Pradesh State), Narmada Jhabua Gramin Bank -NJGB(Madhya Pradesh State) , Vidarbha Konkan Gramin Bank –VKGB (Maharashtra State) and Jharkhand Gramin Bank-JGB (Jharkhand State). All Branches and administrative offices of the Gramin Banks are on CBS platform. These banks are enabled on RTGS, NEFT and ATM platforms. These RRBs cover 61 districts with a network of 1,557 branches and have garnered a business mix of ₹ 40,126 crore.

5. CREDIT MONITORING:

The FY 2016 has seen rising concerns on asset quality front, calling for a regimented approach to monitoring of credit assets.

The Bank has a structured set up for monitoring of the credit portfolio at Branch, Zone, National Banking Group (NBG) and Head Office levels, for identifying accounts with signs of incipient stress/potential default/delinquencies and to take timely corrective action to preserve/improve the quality of its credit portfolio..

Monitoring of the credit portfolio encompasses:

- Identification of weakness/potential default/incipient sickness in the account at an early stage. MIS Reports generated regularly on weekly basis reflect accounts with aberrations which warrant attention.
- Timely Recognition of stress in the account.
- Initiation of timely mitigating actions upon identification and recognition of borrowers at risk of distress or default. Under the RBI framework for Revitalizing Distressed Assets in the Economy, accounts with incipient stress are identified under Special Mention Account (SMA) categories.

- Monitoring/follow up of Special Mention Accounts (SMA) including formation of a Joint Lenders' Forum (JLF) and formulation of Corrective Action Plan (CAP) in the case of consortium/MBA accounts, for early resolution.
- Prevention of slippage in the Asset Classification and relegation in Credit Rating through mitigating steps for rectification or recovery.
- Follow up for periodic review of accounts and for compliance of sanction terms and conditions including post disbursement terms/covenants by conduct of Credit Process Audit (CPA). Similarly, periodic conduct of Stock & Receivable Audit by empanelled Chartered Accountants in all eligible accounts to safeguard quality of assets charged to the Bank.
- Leveraging technology to achieve better traction in monitoring Bank's large exposures and credit portfolio.

6. NPA MANAGEMENT & RECOVERY:

NPA Management

The Bank continued its drive and focus on improving performance in the area of NPA Management in the year 2015-16 as well. NPA Reduction has been given topmost priority in the Bank and this function has steadily grown in importance considering the economic climate and conditions. Measures have been initiated to augment recovery and contain slippages and NPAs. Three General Managers are posted to drive and continue recovery efforts in stressed assets aggressively. Efforts have also been made to maximize recovery in written off accounts and uncharged/unrealized interest in NPA accounts, which contributes to the Bank's profits significantly.

Besides, Holding on Operations, Restructuring, One Time Settlement, the Bank has adopted the following strategies for NPA management.

- Recovery of entire over dues to upgrade the account;
- In case of viable units, explore restructuring through flexible repayment schedule, induction of strategic partner, strategic debt restructuring;
- Follow up for Recovery Certificate at DRTs and pursuing advocates for quick disposal, including attachment of personal assets of Borrowers/Guarantors ;
- Name and Shame – Photo Publication of NPA Borrowers ;
- Willful Defaulters & filling of FIR and Forensic Audit in cases of misutilisation of funds.

During last 3 years, Bank sold NPA of ₹ 7,720 crore to Asset Reconstruction Companies (ARCs) with Security Receipts (SRs) investment of ₹ 4,239 crore wherein the redemption is at 4.17%.

7. INTERNATIONAL:

The Bank has 28 Branches, 5 Representative Offices, 5 Subsidiaries and 1 Joint Venture spread over 22 countries and across all time zones.

The contribution of foreign operations towards Bank's global business and profits has been significant over the years. As on 31.03.2016, the share of foreign branches in the global business is around 28%.

Bank's International operations have experienced stress on asset quality mainly due to general economic slowdown. The Bank's overseas branches are comparatively small in size and scale in respect to local banks of host countries. They are subject to the regulatory compliance requirements of monetary authorities which have become stringent over the past years. We are well positioned to meet these challenges.

In most of the Centres where the Bank is present, there is a large Indian diaspora. Bank is continuing to explore and assess new territories with Indian presence and/or opportunities of large external trade with India. It also includes those territories where high economic growth is foreseen, even if Indian presence is not very significant.

Foreign Business:

Meeting the domestic and foreign currency needs of import and export clients is one of the bank's key priority areas. Bank's has 217 branches functioning as Authorised Dealers across the country which are undertaking foreign exchange business opportunities and catering to the credit / foreign exchange needs of importers and exporters.

Bullion Banking:

Bullion banking was introduced by the Bank in November 1997. Initially the scheme was introduced at SEEPZ and Ahmedabad branches and was subsequently introduced at other branches. As on date, nine branches are authorized to undertake bullion business. Gold is procured on consignment basis for catering to the needs of jewelry exporters and domestic jewelers.

8. TREASURY OPERATIONS:

Forex Business:

The foreign exchange business handled by the Bank has been stable during the year. Merchant and Interbank turnover was ₹1,58,337.02 crore and ₹ 6,28,652.95 crore respectively. The Bank continues to be one of the leading players in the forex market. The aggregate turnover of Bank's Forex Business during the year was ₹ 7,86,989.97 crore.

Investments:

The yield on benchmark 10 year G sec which was 7.74% as on 31st March 2015 has softened to 7.69% as on 31st March 2016. The Bank has maintained a higher level of investments keeping a balance between interest income and market risk. The Bank has maintained SLR investments in excess of the regulatory requirement from time to time and excess SLR is utilized for borrowing from Repo /CBLO windows for money market operations. As on 31.03.2016, SLR is required to be maintained at 21.50% of Net Demand and Time Liabilities. The gross SLR investments were ₹ 99,787 crore (86.63 % of total investments) and Non SLR investments were ₹15,392 crore (13.37 % of total investments). The investments are made in accordance with the comprehensive policy in this regard approved by the Board. The policy is reviewed periodically to respond to market developments/regulatory requirements.

Treasury operations:

The Bank continued to play an active role in all segments of the market- Money Market, Forex and Fixed Income during FY 2015-16. Taking advantage of the G sec rate movements, Bank has churned its Investment portfolio and earned profit from trading of securities. Bank has taken advantage of arbitrage opportunity within various market segments.

9. INFORMATION TECHNOLOGY:

The Bank has been focusing on IT with emphasis onTechno Enabled Services:

- New features in Internet Banking –Opening of Term Deposit facility with online nomination facility, Online Deposit in PPF A/c and Facility of Online updation of contact details.
- BOI e-Pay Payment of Utility Bills, Insurance Premium, Credit Card payments of Specified Banks and Property Tax of Specified Municipal Corporations.
- Hot listing / reset / unblock / change of Debit-cum-ATM Card pin using Internet Banking Password.
- Digital Signage at branches.
- E- Galleries with Passbook Printing Kiosks, Cash Acceptor Machines, ATMs and Bulk Note Acceptors in all major branches.
- BOI Star Sandesh – SMS based alerts for ATM financial transactions, Funds Transfer and Term Deposit Receipts.
- Missed call facility for balance confirmation in SB/CD/OD accounts and facility also extended now for PMSBY /PMJBY accounts.
- Extension of BOI Star Rewards Program to cover Credit Card customers in addition to Debit card holders.
- IMPS facility made available through Branches.
- Facility of acceptance of cheque book request through SMS.
- Implemented Customer Relationship Manager (CRM) portal for quick resolution of issues.
- Portal for Online account opening under PMKVY scheme.

10. TRANSACTION BANKING:

Depository Services:

Depository Services are also offered by the bank to customers from all the Branches across India. The Bank is offering the Depository Services of both NSDL and CDSL depositories. The operations are centralized at Mumbai.

The active Demat Accounts with the DP are 96,450 as on 31.03.2016. During the year 2015-16 the Bank earned a gross Income of ₹ 351 lakhs as against ₹ 346 lakhs earned during 2014-15. In all 3,210 new Accounts were opened in FY 2015-16.

Star Share Trade (Online Share Trading):

With a view to meet the growing needs of Online Share Trading (OLST) to Bank's customers and in order to provide comfort of trading in securities on a mouse click, Bank had launched Star Share Trade (Online Share Trading) facility by integrating Bank Account, Demat Account and Trading Account of the customers under Tie-up arrangement with three leading Stock Brokers M/s Asit C Mehta Investment Intermediates Limited (ACMIIL), M/s Ajcon Global services Ltd (AGSL) and M/s GEPL Capital. The facility has also been made available to the NRI clients for subscribing to IPOs.

Application supported by Blocked Amount (ASBA):

Bank has registered with SEBI as a Self – Certified Syndicate Bank (SCSB) and IPO applications received under ASBA (Physical application). All Branches are authorized to accept the applications under ASBA. Bank's Stock Exchange Branch, Mumbai is the nodal Branch for ASBA. In addition to the above designated Branch, customers of all branches who have availed Internet Banking facility also have access and can avail the facility of Online Bid cum Application for ASBA IPO through Star connect Retail Internet Banking facility. Bank has started accepting the SYNDICATE ASBA applications of investors duly bid by brokers across 14 centers through 23 branches located across the country.

11. THIRD PARTY PRODUCTS:

Tie-up for Life Insurance:

Bank has continued its Corporate Agency arrangement with Bank's Joint Venture life Insurance Company Star Union Dai-ichi Life Insurance Co Ltd. for sale of their life insurance products. Bank has 4667 IRDAI qualified employees to act as 'Specified Person' for sale of insurance products at various branches.

During the current financial year, Bank collected premium of ₹ 554.03 crore (Number of Policies 3.33 lakhs) and contributed to 43 % of the total new business of the Joint Venture company.

Bank continues to offer optional life insurance cover to Bank's Retail Loan Borrowers including Star Home Loan and Star Education Loan borrowers under Group Insurance Policy wherein the borrowers pay discounted premium for life cover.

Bank also offers SUD Life Group Term Insurance plan for Sum Assured from ₹ 1 lakh to ₹ 5 lakh at competitive rates to Bank's C/ D and S/B A/c customers.

Bank also has a co-branded health insurance product - BOI National Swasthya Bima, which is a Family Floater Mediclaim Insurance Cover available only for Bank of India account holders, at a very low premium. It has been a popular product and as on 31.03.2016, around 1,90,000 Bank of India Account holders have availed of this policy.

Tie-up for General Insurance (Non-life):

Bank also has Corporate Agency agreement with National Insurance Co. Ltd. (NICL) to sell their General Insurance Products. Bank offers various types of General Insurance cover for Standard Fire & Special perils, Marine and Motor insurance facilities to customers. The total premium collected by the Bank for NICL general insurance policies during financial year 2015-16 was ₹ 196.55 crore and the commission earned was ₹19.79 crore.

Mutual Funds Products:

Bank undertakes distribution of Mutual Fund products of 10 Asset Management Companies. Bank has earned a commission of ₹ 4.54 crore from distribution of Mutual Fund business during FY 2016.

12. BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING:

As part of re-organization, realignment of Zones were carried out in the States of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Odisha, Bihar,Telangana and Andhra Pradesh. Business Development Clusters have been re-defined and the role / position of Business Development Managers (BDM) strengthened.

Branch of the Future (BOTF):

A total of 306 branches have been transformed under this model till date. The interiors of these branches have been aesthetically laid out creating large customer area with sufficient seating arrangement. In addition, provision of Pass Book kiosk (PBK), Queue Management System (QMS), Automated Teller Machines (ATM), Cash Deposit Kiosk (CDK), training for better customer management and cross selling has been provided to staff working at these branches. All these branches are being closely monitored in the area of usage of all the Kiosks, inducing customers to avail alternate delivery channels.

History & Museum Project:

Initiated during 2011, this project was launched with the twin objective of writing the Bank's history and establishing a museum for showcasing the Bank's working from its inception. The Bank's history was detailed by noted historian, Mr Abhik Ray. The Book was released and the Museum was inaugurated by Dy. Governor of RBI, Shri S S Mundra on 29th May 2015.

13. MARKETING & PUBLICITY:

Marketing:

Marketing has been one of the thrust areas of the Bank for acquisition of new customers, servicing the existing customers and creation of customer centric processes for enhancing value.

The Bank's Marketing set-up focuses on business developmental activities of mobilizing Deposits (including Government. Deposits and Trusts, Association, Societies & Clubs) , Retail Advances, Alternate Delivery Channel (ADC) Products and sale of Third Party Products (TPP). Under the reorganized marketing set–up, marketing staff are placed / attached to the branches / RBCs and are working under the Head, Marketing (DZM) at Zonal Office. The Bank has 609 marketing executives for focused marketing efforts.

Publicity Activities:

Bank's Publicity & Public Relation Department executes multi- media corporate campaigns to enhance the visibility of Bank's Image and promote bank's various products down the line across the country. In order to execute the media plan, the foundation of Bank's tagline & theme "Relationships beyond banking" has been continued. Advertisement of Bank's Products on various Radio channels and digital platform has been undertaken in a big way. The promotion of Bank's product through print media i.e. in major national/regional dailies and various top magazines and OOH activities i.e. Hoarding/Bill boards/Gantries is undertaken. Sponsorship of CSR and branding activities is also undertaken.

14. RISK MANAGEMENT:

Risk is inherent in any business activity that a Bank undertakes. Banking activities are exposed to Credit, Market, Liquidity, Operational, Strategic, Compliance, Reputational risks. Bank must manage these risks to maximize its long-term results by ensuring the integrity of the assets and the quality of earnings.

Bank has built a comprehensive risk management culture which identifies, measures and handles risks and prepares adequate reports on all these efforts so that the extent of risks, which have occurred, should not endanger the continuity of operations.

The Bank has established mechanism which ensures the ongoing assessment of relevant risks on an individual basis and also of the overall risk position of the Bank. There is a Risk Management Committee of the Board at the apex level supported by operational level committees of top Executives for managing various risks. The process of risk management consisting of various stages i.e. identification, measurement, monitoring and control, is covered in the policies for Enterprise Wide Risk Management, Credit Risk Management, Operational Risk Management, Market Risk Management, Derivatives, ALM, Foreign Exchange and Dealing room operations. The identification, measuring, monitoring & mitigation of all potential risks, in all activities and products is done through detailed analysis and vetting the same by the operational level risk committees and task forces. Risk profiling of the bank is also done on a quarterly basis. Various tools and systems like prudential limits, new Basel Compliant credit Rating Models, Credit Audit, VaR models for market risks, Self-assessment exercise coupled with tracking of Key Risk Indicators for operational risk have been introduced for assessing/measuring the identified risks.

Bank has well established Fraud Risk Management System with clear objectives to obviate fraud risk in the face of acceleration in Bank's business by strengthening internal controls to protect brand, reputation and assets of the Bank. Bank has implemented various information security projects for monitoring of real time information security attempts/ incidents/events on 24x7 basis. Bank has put in place Captive Security Operation Centre (SOC).

15. INSPECTION & AUDIT:

Policy on Risk Based Internal Audit, Risk Based Management Audit (Domestic), Concurrent Audit, Information System Audit and Audit of Foreign Branches, were reviewed/ revised suitably to comply with the Guidelines issued by the Department of Financial Services, MOF, GOI and covers/ elaborates the areas mentioned in the RBI AFI report, MOF guidelines and also as per the directions of Audit Committee of the Board.

During the year 2015-16, the Department undertook Risk Based Internal Audit, Information System Audit & Revenue Audit at domestic and all foreign branches, Currency Chests, Depository Participant Offices and Risk Based Management Audit at HO Departments, Zonal Offices, Zonal Audit Offices, Staff Training Centres, Management Development Institute, LDM Offices and RRBs. Concurrent Audit covers 765 Branches, Treasury Branch, Data Centre, Card Products, Estate and other HO Departments by FCAs and 27 Foreign

Branches. The coverage of Concurrent Audit in the Bank is 69.83% of Global Deposits and 85.95% of Global Advances as on 31.03.2015. This coverage is in excess of RBI guidelines of 50% of total deposits and 50% of total credit and risk exposure of the Bank.

The project STAR BOOST has been implemented in the bank and Audit Exception Reports (AERs) of branches under audit are generated and sent to the branches in advance to enable them to initiate necessary corrective measures for a meaningful audit.

The Bank's top management team regularly conduct meetings of concurrent auditors/internal auditors across Zones to emphasize the need for quality and timely reporting of audit findings and also timely submission of reports and compliances. Regular reporting on all important Audit findings are made to Top Management, Audit Committee of Executives and Audit Committee of the Board as prescribed and the directions thereof are being complied with.

16. LEGAL & RIGHT TO INFORMATION ACT (RTI):

Legal Department of the Bank acts as support department and attends to various matters of Opinion, Documentation, Litigation, emanating from various functional departments at Head Office, besides attending to referral matters of various NBGs/Zones, Indian Branches/Foreign Branches and Bank's subsidiaries. Department also caters to the specific need of specialized Departments like Information Technology/ International/Treasury/Card Products/Transaction Banking by Drafting /Vetting of documents of various contracts/ Service Level Agreements (SLAs), Software/Hardware procurement, Service Level Agreements, various types of tie-up arrangements /new products.

Under the Right to Information Act, Bank has identified a Central Public Information Officer and an Appellate Authority at various Zones / NBGs. Asstt. General Manager (Law) of Legal Department, Head Office is designated CPIO of the Bank, and the General Manager, Legal Department is the Appellate Authority. It involves collecting the desired information from various Departments and supplying the same to the applicant within the fixed time frame of 30 days and also to guide the other Zones / NBG on specific points. Moreover, with a view to create awareness among the staff, Legal Department issues circulars and guidance to NBGs/ Zones on the amendments on Statutes and new legislations.

During the financial year 2015-16, the Bank has received 3925 applications under Right to information Act, 2005. The same were disposed of by the Central Public Information Officer (CPIO) within the stipulated period of 30 days. 619 Applicants preferred appeals against the decision of the CPIO and the appeals were also disposed off by the Appellate Authority within the stipulated timeframe of 30 days.

17. COMPLIANCE:

Compliance Function Policy for the Bank was adopted by the Board as per Reserve Bank of India guidelines. A Board approved Compliance Function Policy (approved at Board Meeting held on 26.2.2016) is in place. An independent Compliance Department, headed by a Chief Compliance Officer of the rank of General Manager, is functioning at Head Office. Compliance of statutory, regulatory and internal guidelines of the Bank is the scope of operation of the compliance function of the Bank both for Domestic and Overseas operations. The department has drafted and put in place Compliance Rules in the following areas of branch banking:

Area to which Rules pertain	Frequency	No. of Rules
Know Your Customer/ Anti-Money Laundering/ Combating of Financing of Terrorism	Monthly or as required	71
Deposits & Services	Quarterly	61
Advances	Quarterly	63
FEMA	Quarterly	155

The department is conducting half-yearly compliance testing at select branches all over India and the findings are submitted to the Top Management with suggestions of areas for improvement. Compliance Officer has been identified for monitoring of the respective Zone.The Board / Audit Committee of the Board / Top Management / Head Office departments are appraised through several monthly reports/certificates.

The department carries out a Compliance testing exercise every half year for 10 to 15 % branches as stipulated by RBI. A sample check (approximately 10% of the new business added) of the accounts is undertaken with reference to the CR-12, CR-13, CR-14, CR-15 and the Tranche III compliance rules prescribed by RBI. Similarly, a separate system of quarterly Compliance testing for the Overseas branches is also in place and is conducted through the Compliance Officers at the respective centers / branches.

KYC /AML / CFT:

The department is also vested with the responsibility of implementation/ monitoring of Know Your Customer (KYC)/Anti Money Laundering (AML) Measures/ Combating Financing of Terrorism (CFT) Guidelines in the Bank. The department has taken up earnestly the task of ensuring compliance with KYC norms in all the existing accounts, as directed by RBI. A separate mandatory field is provided in the Finacle system to facilitate noting of KYC status in each account.

As per the provisions of Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PML Act) and Amendments thereto and the Rules made there under as well as the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) on KYC, branches are properly identifying every customer by obtaining recent photograph, proof of identity and proof of current address for KYC compliance. Opening of accounts of persons under "Small Account" has been facilitated. All the customer accounts have been classified into High, Medium or Low Risk category based on the Risk perception. As per extant RBI guidelines, the review of the Risk categorisation is to be undertaken once every six months. The review of the Risk categorisation of accounts has been centralised at Head Office. The Bank has implemented the provisions of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 and Amendments thereto.

The department handles the Risk Based Supervision (RBS) of RBI by co-ordinating with Head Office departments. The RBS reports are scrutinised and compliance is submitted to the RBI. The Compliance department is the single point of contact for all the Regulatory agencies.

18. VIGILANCE:

The Bank's Vigilance Department is headed by the Chief Vigilance Officer (CVO) appointed with concurrence of the Ministry of Finance and the Central Vigilance Commission. The CVO is assisted by officers having knowledge/ background of investigation and disciplinary action matters as well as banking, for tendering advice to Disciplinary Authorities / Controlling Authorities in all vigilance cases. Vigilance Department also focuses on initiation and dissemination of preventive vigilance measures. In this regard, Bank has eight separate "Vigilance Units" to deal with the vigilance matters. The Vigilance Department also tenders advice of the CVO in Vigilance cases referred by the Bank's sponsored four Regional Rural Banks (RRB).

19. OFFICIAL LANGUAGE:

Bank has a well-established Official Language Department at Head Office to ensure implementation of GOI guidelines with regard to progressive use of Hindi in the Bank.

During the year the department has initiated the following measures:

- Conducted 194 Hindi workshops across the zones and training colleges during the year in which 4,838 staff members (Officers - 2,514 / Clerks - 2,324) were imparted training to improve their Hindi language skills,
- A special training program for new appointed Official Language Officers on questionnaire related to parliamentary committee on official language was organized,
- A seminar on "Role of language in Business development" was organised for senior executives of the Bank in New Delhi/NCR on 25.08.2015. An E-magazine consisting of articles on various festivals, birth anniversaries of eminent personalities, International days was released by the department. Hindi month was celebrated at Head Office and all the zones from 15th August to 14th September 2015. Hindi day was also celebrated in our foreign centers at Johannesburg, Mombasa, Singapore and Glasgow.

20. HUMAN RESOURCES AND LEARNING & DEVELOPMENT:

Human Resources Development (HRD) is engaged in empowering people and enabling them to use their knowledge, ability and competency for development of the Organization as well as self-actualization. HR Policy involves the use of processes through which the employees are prepared to give their best for Corporate Objectives.

Policies, Recruitment & Promotion:

In a service-oriented industry like Banking, success depends on prompt and efficient customer service, which can be achieved by recruiting right talent, grooming and right placement. Bank has recruited employees both in Clerical and Officer Cadre through Bank Specific recruitment process and common recruitment processes conducted by IBPS which has helped in maintaining the required staff strength.

Bank has recruited 2,117 officers in General Banking & Specialist cadres in various scales and 4,476 in clerical cadre in financial year 2015-16.

Compliance with Reservation Policy:

The Bank is complying with the reservation policy of the Government of India. Special Recruitment and SC/ST Cells at Head Office / Zonal Offices are functioning to monitor the implementation of the reservation policy and redress of grievances relating to SC/ST/OBC Employees.

Pre-Promotion Training from Clerical cadre to General Banking Officers cadre and within the Officer cadre from Scale - I to II and Scale II to III is imparted to SC/ST candidates / staff. The Bank has designated an officer of the rank of General Manager as Chief Liaison Officer for OBCs and SCs/STs respectively at the Head Office. Officers belonging to SC/ST/OBC categories are designated as Liaison Officers / Cell Officers at Zonal Offices. In terms of the Government guidelines, Post-based Reservation Rosters maintained at Head Office/ Zonal Offices are inspected annually. SC/ ST Cells established at the Head Office and Zonal Offices are also associated with implementation of reservations in respect of other categories like Ex-servicemen / Persons with different ability.

In-house Publications (Taarangan & BOI guiding star):

Since last 51 years, Bank's in-house Journal 'Taarangan' has been playing a significant role of internal communication in the Bank. It is also one of the medium of promoting employee engagement in the bank. It has developed as a platform where the employees express their creativity through articles, poems, experiences, cartoons and other means. The house journal also contains success stories of Bank's customers, customer special achievements including details of social, promotional and other activities undertaken by Zones/Branches/ offices in India/ abroad along with achievements of staff members and their children. Guiding Star is a corporate knowledge magazine.

Learning & Development:

Learning & Development Division through its continuous training and development programmes and e-learning initiatives act as a catalyst in augmenting the competencies of employees and equip them with right skills and knowledge for meeting ever-changing business needs of customers in different segments. The Training Policy was reviewed and the revised policy was approved by Board on 12.03.2015.

During the year, 22,424 staff members of the bank and 690 participants of other institutes and RRBs were provided training. Induction Training of two weeks was conducted for newly recruited 4,472 clerks and 2,111 DROs. Training programs on Vigilance Administration, Preventive Vigilance and other specialized programs were conducted. Executive Development Programmes for newly promoted AGMs were conducted in-house for the first time. Exclusive customized training programmes on Credit Appraisal, Retail Banking and First Time Branch Managers were also conducted at outside institutes, Manipal Global and Bankers Quotient Academy. 100 e-learning modules on banking topics are developed and made available to all the employees through HRMS. Online knowledge tests on day-to-day banking related subjects are regularly conducted. Bank also imparts Summer Internship/ on the job training for management students.

21. OPERATIONAL EXCELLANCE:

Commitment towards Customers:

The Bank has been a voluntary member of the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) since its inception in 2006, to emphasize Bank's customer orientation and commitment to provide service of a high order in a transparent manner, supplying and updating the customer with necessary information to take an informed decision.

The Bank has policies on Customer Right Policy, Customer Acceptance, Care and Severance and Grievance Redress Policy for rendering services to the customers.

22. BRANCH NETWORK & EXPANSION:

Composition of Bank's Branch Network is:

Category	31.03.2015		31.03.2016	
	No. of Brs.	% to Total	No. of Brs.	% to Total
Metropolitan	863	17.64	873	17.40
Urban	821	16.78	835	16.64
Semi-Urban	1317	26.92	1350	26.91
Rural	1,891	38.65	1958	39.03
Total Domestic Branches	4,892	100	5016	100
Overseas	60		61	
Total Branches	4,952		5,077	
Of which Specialised	271		271	

23. BANK'S SUBSIDIARY / ASSOCIATES / JOINT VENTURES:

Indo Zambia Bank Ltd. (IZB):

IZB is a joint venture of three Indian Banks viz., Bank of India, Bank of Baroda, Central Bank of India and Government of Zambia. Each of the Indian Bank holds 20% of the share capital, whereas Government of Zambia holds 40% of the share capital.

PT Bank of India Indonesia Tbk:

Bank acquired a stake of 76 % in PT Bank Swadeshi Tbk which now stands changed to PT Bank of India Indonesia Tbk. Net Loss for 2015-16 is ₹ 262.38 crore (our share: ₹ 199.41 crore).

Bank of India (Tanzania) Ltd:

Bank of India (Tanzania) Ltd. is a wholly owned subsidiary of the Bank and commenced operations on 16th June 2008 with first branch at Dar-E-Salam. Bank's investment is ₹ 50.12 crore. Net profit for 2015-16 is ₹ 10.71 crore.

Bank of India (New Zealand) Ltd:

Bank of India (New Zealand) Ltd. is a wholly owned subsidiary of the Bank with investment of ₹ 176.90 crore and commenced operations on 06th October, 2011. Net profit for 2015-16 is ₹ 2.63 crore.

Bank of India (Botswana) Ltd:

Bank has established a subsidiary in the name of "Bank of India (Botswana) Ltd." In the year 2013-14 which commenced operations w.e.f. 09.08.2013 with its first branch at Gaborone, Botswana. Bank's investment is ₹ 33.82 crore. Net loss for 2015-16 is ₹ 0.12 crore.

Bank of India (Uganda) Ltd:

Bank of India (Uganda) Ltd. is a wholly owned subsidiary of the Bank operating since June 2012. Bank's investment is ₹ 57.74 crore. Net profit for 2015-16 is ₹ 4.41 crore.

BOI Shareholding Ltd. (BOISL):

Bank set-up "BOI Shareholding Ltd (BOISL)", joint venture with BSE, in 1989, to manage the clearing house activities of the Bombay Stock Exchange. The clearing activity has since been discontinued by the company. Earlier Bank was holding 51% of its paid up capital of ₹ 2 crore. During FY 2016, the Bank has acquired the shareholding of 49 % from BSE and the company has become 100 % owned subsidiary of the Bank. Currently, the investment in the company is ₹ 8.86 crore.

BOISL also acts as Depository Participant (DP) of both the Depositories-- the National Securities Depository Ltd. (NSDL) and the Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL). BOISL also provides depository services to the clearing members and investors. BOISL earned a net profit of ₹ 3.89 crore for 2015-16.

BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd. and BOI AXA Trustee Services Pvt. Ltd:

These subsidiaries are in the business of Mutual Fund and Portfolio Management. Bank of India is holding 51% stake in both the companies.

BOI Merchant Bankers Ltd. (BOIMB):

BOIMB incorporated on 31.10.2014 was promoted to undertake merchant banking business including arranging of Syndicated Loans, Bonds and Debentures. It is a wholly owned subsidiary with paid up capital of ₹10 crore. The Company has made a net profit of ₹ 1.48 crore in first full year of its operation during 2015-16.

STCI Finance Limited:

STCI Finance Ltd. is an NBFC, established in 1994. Bank of India with 29.96% holding is the single largest stakeholder of the company having Paid Up Capital of ₹ 380 crore. The Company is an associate company of the Bank in terms of Accounting Standards (AS-23).

STCI Primary Dealer Ltd. (STCIPD) is a wholly owned subsidiary of STCI Finance Limited. STCIPD commenced its operations from 25th June 2007 and is one of the leading primary dealers in the country.

Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd. (SUDLife):

Bank of India, Union Bank of India and Dai-ichi Life Insurance Company, Japan have formed "Star Union Dai-ichi Life Insurance Company" to provide quality assured life insurance services to its clients spread across the length and breadth of the country. The company commenced insurance business in February 2009. Out of the paid up equity of ₹ 250 crore of the company, BOI holds 48%, UBI holds 26%, and Dai-ichi Life Insurance Company holds 26%. We are in the process of selling 18% of our stake to Dai-Ichi Life Insurance Ltd. with the change in FDI norms. BOI's stake will be 30% thereafter.

Strategic Investment / Alliances:

Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL):

The Company was promoted in 1997 by the Bombay Stock Exchange and Bank of India along with other Banks. The main objective of promoting CDSL, was to accelerate the pace of dematerialization of scrips, bring wide participation of investors in the capital market and to create a competitive environment as country's second depository. Bank now holds 5.57% stake in the

paid up capital of ₹ 104.50 crore of CDSL.

ASREC (India) Ltd:

The Company was floated by the Specified Undertaking of the Unit Trust of India (SUUTI) to undertake securitization and asset reconstruction activities. Currently, the Bank holds 26.02% stake, in the equity capital of the company which is ₹ 98 crore.

Credit Information Bureau (India) Ltd. (CIBIL):

CIBIL is the first credit information bureau in the country, incorporated in August 2000 for providing credit information and risk analysis services to the Banking and Financial service sectors. Bank holds a stake of 5% in the equity share capital of the company.

National Collateral Management Services Ltd. (NCMSL):

National Collateral Management Services Ltd. is promoted by the National Commodity and Derivatives Exchange Ltd. (NCDEX). It was incorporated on 28.09.2004 to promote and provide collateral management services for securing, managing and controlling securities and commodities. It offers various services for the development of trades on commodity exchange such as valuation, grading, insuring, securing, storing, distributing, clearing and forwarding of securities and commodities. Bank holds stake of 10.17% in the equity capital of the company, thus providing opportunities to the bank to harness its association with NCMSL for credit lines to its members and clients.

SWIFT India Domestic Service Pvt. Ltd:

The new joint venture company is promoted by SWIFT and 8 major Banks including Bank of India. SWIFT is holding 55 % equity and remaining 45% is held by 9 major Banks. Bank of India has an equity stake of 5 % in the company. The company began its operations in February 2015.

SME Rating Agency of India Ltd. (SMERA):

SMERA was set up during FY 2005-06 by SIDBI in association with Dun & Bradstreet, one of the leading credit rating agencies. SMERA's primary objective is to provide comprehensive, transparent and reliable ratings which would facilitate greater and easier flow of credit to SME sector. Bank has a nominal stake of 4% in the equity capital of the company.

Other Strategic Investments:

Apart from the above listed major Strategic Investments, Bank also has strategic investments in Bombay Stock Exchange Ltd. (₹49.97 crore), CERSAI (₹2.15 crore), Equifax Credit Information Services Ltd. (₹ 4.73 crore), U.V. Asset Reconstruction Co. Ltd. (₹ 15 lakhs), Clearing Corporation of India (₹ 0.50 crore), Agricultural Finance Corporation Ltd. (₹ 1.26 crore), SIDBI (₹ 45.30 crore), Tourism Finance Corporation Limited (₹ 8.59 crore), Central Ware Housing Corporation Ltd. (₹ 1.11 crore), Loss Data Consortium CORDEX (₹ 1 crore) and SBIDFHI (₹6.34 crore).

24. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORTING 2015-16

Clause 34(2) (f) of SEBI Listing Regulation – 2015. The text of the same is available on our

Website – www.bankofindia.com

Acknowledgement:

The Board expresses its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and Securities and Exchange Board of India and other regulatory authorities for their valuable guidance and support. The Board also thanks financial Institutions and correspondent banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers, business associates and shareholders. The Board also wishes to place on record its appreciation of staff members for their dedicated service and contribution for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Melwyn Rego)
Managing Director & CEO

Place – Mumbai
Date – 14th June, 2016

Corporate Social Responsibility (CSR):

Bank of India, being a premier financial institution of the country shares the dream of eminent statesmen in a positive manner that every Indian should be free from hunger, malnutrition and should have the basic necessities and be entitled to affordable education, healthcare facilities and equal opportunities in an enabling environment thereby resulting in reduction of social and economic disparity. Bank of India believes that society, which has helped the Bank to grow to such an enormous size over the years deserves to get back something in return for its development. The Bank has generously contributed to CSR activities over the last few years throughout the length and breadth of the country. A new provision in Companies Act, 2013 has mandated expenditure under CSR for the companies formed under the Act. Even though Bank of India does not come under this category, as a responsible corporate citizen, the Bank has been participating in CSR activities for worthy causes. Bank of India has approved various CSR projects during the year 2015-16, which have either been utilized or are in process of utilization.

During the FY 2016 Bank has assisted CSR projects as under:

- Participation under Swachha Bharat Mission,
- Relief to people suffering during natural calamities,
- Initiative to protect environment,
- Initiatiatives on Training and Skill development,
- Extending healthcare to poor/under-privileged,
- Assistance to cancer patients,
- Extending assistance to differently abled persons,
- Assistance to mentally retarded children,
- Assistance for welfare of blind,
- Construction of Hostel building for an Orphanage,
- Renovation and Repair of Gandhi Ashram and student home,
- Initiatives for rural development and empowering rural youth by providing skill training in order to create better employment opportunities for self-employment and
- Welfare of SC/ST/OBC and the backward strata of the society.

कार्पोरेट शासन प्रणाली

शासन प्रणाली कूट पर बैंक का दर्शन :

अपने कारोबार संचालन में नैतिक परिपाटी के प्रति अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता पर बैंक की कार्पोरेट शासन प्रणाली दर्शन संरचित है जबकि प्रयास शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि है। बोर्ड, कार्यपालकों तथा अन्य पदाधिकारियों का पारस्परिक संबंध इस तरह गठित है कि जिसमें स्पष्टतया उनकी विशिष्ट भूमिकाएं चिन्हित हैं तथा विकसित कार्पोरेट कार्यनिष्पादन है। बैंक उच्च प्रकटन मानकों तथा पारदर्शिता के अनुसरण में भी प्रतिबद्ध है। बेहतर परिपाटी के अनुसरण में बैंक ने कारोबार के प्रत्येक पक्ष की निगरानी करने के लिए बोर्ड की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

बोर्ड के निदेशक :

समय-समय पर संशोधित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत बैंक का गठन किया गया है। सामान्य पर्यवेक्षण, बैंक का कारोबार तथा कामकाज का प्रबंधन तथा निदेशक बोर्ड के निदेशक मंडल के पास है जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगस्त 2015 से बैंक का एक गैर कार्यपालक अध्यक्ष और पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक एवं सीईओ है।

समीक्षागत वर्ष के अंतर्गत बोर्ड का संयोजन निम्नलिखित था :

श्रीमती वी.आर.अय्यर (30.05.2015 तक)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री बि.पी.शर्मा (08.06.2015 से 14.08.2015 तक)	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
श्री जी. पद्मनाभन (14.08.2015 से)	अध्यक्ष
श्री मेलविन ओ रेगो (14.08.2015 से)	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
श्री बि.पी.शर्मा	कार्यपालक निदेशक
श्री अरूण श्रीवास्तव (15.05.2015 तक)	कार्यपालक निदेशक
श्री आर.पी.मराठे	कार्यपालक निदेशक
श्री आर. ए. शंकर नारायणन (15.05.2015 से)	कार्यपालक निदेशक
श्री अनूप वधावन (08.09.2015 तक)	केन्द्रीय सरकार के नामिती
श्रीमती ऐना रॉय (09.09.2015 से)	केन्द्रीय सरकार के नामिती
श्री एस. एस. बरिक	भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती
श्री हरविंदर सिंह	गैर-कामगार कर्मचारी निदेशक
श्री ए एम परेरा (17.07.2015 तक)	कामगार कर्मचारी निदेशक
डॉ आर.एल.बिश्नोई	अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक
श्री नीरज भाटिया	शेयरधारक निदेशक
श्री संजीव कुमार अरोडा	शेयरधारक निदेशक
श्री डी हरीश (30.09.2015 तक)	शेयरधारक निदेशक

CORPORATE GOVERNANCE

Bank's Philosophy on code of Governance :

The Bank's corporate governance philosophy is woven around its total commitment to ethical practices in the conduct of its business, while striving to enhance shareholders' value. The interrelation between the Board, the executives and other functionaries is so configured as to have distinctly demarcated roles and improved corporate performance. The Bank is also committed to following high disclosure standards and transparency. In line with the best practices, the Bank has formed various committees of the Board to monitor every aspect of business.

Board of Directors :

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended from time to time. The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairman. Since August 2015, the Bank has a Non-Executive Chairman and a full time Managing Director & Chief Executive Officer.

During the year under review (2015-16) the Composition of the Board was as under:-

Smt. V. R. Iyer (upto 31.05.2015)	Chairperson & Managing Director
Shri B. P. Sharma (From 08.06.2015 to 14.08.2015)	Managing Director & CEO
Shri G. Padmanabhan (from 14.08.2015)	Chairman
Shri Melwyn O. Rego (from 14.08.2015)	Managing Director & CEO
Shri B.P. Sharma	Executive Director
Shri Arun Shrivastava (upto 15.05.2015)	Executive Director
Shri R. P. Marathe	Executive Director
Shri R. A. Sankara Narayanan (from 15.05.2015)	Executive Director
Shri Anup Wadhawan (upto 08.09.2015)	Nominee of the Central Government
Smt. Anna Roy (from 09.09.2015)	Nominee of the Central Government
Shri S. S. Barik	Nominee of Reserve Bank of India
Shri Harvinder Singh	Non-Workmen Employee Director
Shri A.M. Pereira (upto 17.07.2015)	Workmen Employee Director
Dr. R. L. Bishnoi	Part-Time Non-Official Director
Shri Neeraj Bhatia	Shareholder Director
Shri Sanjiv Kumar Arora	Shareholder Director
Shri D. Harish (upto 30.09.2015)	Shareholder Director

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और कार्यपालक निदेशकों को छोड़कर शेष सभी निदेशकगण बोर्ड के गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निदेशकों के अलावा शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक सेबी (लिस्टिंग ऑबलिगेशन एण्ड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट रेगुलेशन-2015) (सेबी-एलओडीआर) के विनिमय 16 (बी) के अर्थ के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए पहचान कार्यक्रम का ब्योरा हमारी वेबसाइट अर्थात् www.bankofindia.co.in में उपलब्ध है।

हमारे कोई भी निदेशक एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं है।

वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक में कार्यग्रहण करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

श्री जी. पद्मनाभन, अध्यक्ष

श्री जी. पद्मनाभन केरल विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर (फर्स्ट क्लास फर्स्ट) तथा बिर्मिन्घम विश्वविद्यालय, यूके से एमबीए (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्त) डिग्री प्राप्त है। उन्होंने मार्च 1979 में भारतीय रिज़र्व बैंक में कार्यग्रहण किया तथा 4 जुलाई 2011 में कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत हुए और 31 मई 2015 को सेवानिवृत्त हुए। भारतीय रिज़र्व बैंक में अपने सफल कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न चुनौतिपूर्ण दायित्वों को संभाला।

भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री पद्मनाभन सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, भुगतान और निपटान प्रणाली और विदेशी विनिमय विभाग के कार्यों की देखभाल कर रहे थे।

श्री जी. पद्मनाभन को दिनांक 14 अगस्त 2015 से तीन वर्षों की अवधि के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री पद्मनाभन अच्छे खिलाड़ी हैं और टेनिस में विश्वविद्यालय और राज्य का प्रतिनिधित्व किया । वे अभी भी यह खेल खेलते हैं।

श्री मेलविन ओ रेगो, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

श्री मेलविन ओ. रेगो ने पुणे स्थित सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ़ बिज़नेस मैनेजमेंट से एमबीए की डिग्री हासिल की। उनकी नियुक्ति के पहले वे आईडीबीआई बैंक लि. में 30 अगस्त 2013 से उप प्रबंध निदेशक के रूप में पदस्थ थे। वे पेशेवर बैंकर हैं और सन् 1984 से आईडीबीआई बैंक लि. में थे। श्री रेगो ने कॉरपोरेट बैंकिंग, पुनर्वास, वित्त, कोषागार, अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू संसाधन इत्यादि क्षेत्रों में कार्यभार संभाला है।

श्री मेलविन ओ. रेगो की आईडीबीआई द्वारा टाटा होम फाइनैंस लि. का अधिग्रहण किए जाने के बाद सितम्बर 2003 में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में प्रतिनियुक्ति की गई थी और जनवरी 2008 में वे आईडीबीआई लौट आए और बैंक के विदेशी पहलों का नेतृत्व करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग के प्रमुख का कार्यभार लिया। श्री रेगो को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र का व्यापक अनुभव है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूके में अंतरराष्ट्रीय पूंजी मार्केट विषय पर आयोजित कार्यक्रम में वे रैंक होल्डर थे और कई सेमिनारों में सहभागिता की।

श्री मेलविन ओ. रेगो अच्छे खिलाड़ी हैं और संगीत तथा नाटक में उनकी रूची है।

श्री मेलविन ओ. रेगों को दिनांक 14 अगस्त 2015 से तीन वर्षों की अवधि के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री आर. ए. शंकर नारायणन, कार्यपालक निदेशक

श्री आर. ए. शंकर नारायणन लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर हैं। उन्होंने एमबीए और सीएआईआईबी डिग्री हासिल की है। उन्होंने कोषागार और निवेश जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा और कार्मिक प्रबंधन और वित्त प्रबंधन में पी.जी. डिप्लोमा किया है।

वे वर्ष 1983 में बैंक में सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में कार्यग्रहण किया। सितम्बर 2011 में वे महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत हुए और बैंक के अंतरराष्ट्रीय परिचालन के कार्य की देखभाल कर रहे थे। उन्होंने कोषागार परिचालन के प्रमुख, आंचलिक प्रबंधक, महाप्रबंधक राष्ट्रीय बैंकिंग समूह और कॉरपोरेट कार्यालय में कार्य किया तथा

All directors, other than the Managing Director & CEO and the Executive Directors, are non-executive Directors on the Board. The Directors representing shareholders of the Bank other than the Central Government are independent directors within the meaning of Regulation 16 (b) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement Regulations- 2015 (SEBI-LODR)

Details of familiarization programmes imparted to independent directors are available on our website i.e. www.bankofindia.co.in

None of the Directors is a relative of other Director.

Brief Profile of the Directors who joined the Bank during the year - 2015-16

Shri G. Padmanabhan, Chairman

Shri G. Padmanabhan is a post graduate in Economics from the University of Kerala and an MBA (International Banking and Finance) from the Birmingham University, UK. He joined Reserve Bank of India in March, 1979 and was elevated as Executive Director on 4th July, 2011 and he superannuated on 31st May, 2015. During his successful career in RBI, Shri Padmanabhan has handled various challenging assignments in the Reserve Bank of India.

As Executive Director in Reserve Bank of India, Shri Padmanabhan was looking after Department of Information and Technology, Department of Payment and Settlement Systems and Foreign Exchange Department

Shri Padmanabhan has been appointed as Non-Executive Chairman of Bank of India on 14th August, 2015 for a period of three years.

Shri Padmanabhan is a keen sportsman and had represented his University and State in Tennis. He continues to play the game to date.

Shri Melwyn O. Rego, Managing Director & CEO

Shri Melwyn O. Rego is an MBA rank holder in finance from Symbiosis Institute of Business Management, Pune. Prior to his appointment, he was holding the position of Deputy Managing Director, IDBI Bank Ltd., since August 30, 2013 He is a career banker and has been with IDBI Bank Ltd. since 1984. Shri Rego has held assignments in the areas of Corporate Banking, Rehabilitation, Finance, Treasury, International & Domestic Resources, etc.

Shri Melwyn O. Rego was deputed to IDBI Home Finance Ltd. as Managing Director & CEO in September 2003 after IDBI took over Tata Home Finance Ltd. and he returned to IDBI in January 2008 and took over as Head – International Banking Division to spearhead IDBI Bank's overseas initiatives. Mr. Rego has extensive international experience and was a rank holder at a programme on International Capital Markets at Oxford University, UK and also participated in several seminars.

Shri Melwyn O. Rego is a keen sportsman and has a passion for music and dramatics.

Shri Melwyn O. Rego has been appointed as Managing Director & CEO of Bank of India on 14th August, 2015 for a period of three years.

Shri R. A. Sankara Narayanan, Executive Director

Shri R. A. Sankara Narayanan, is a post graduate in Public Administration. He holds an MBA Degree and acquired CAIIB. He also has a Diploma in Treasury & Investment Risk Management and P G Diploma in Personnel Management and Financial Management.

He has joined Bank as a Direct Recruit Officer in 1983. He was elevated as a General Manager of the Bank in September, 2011 and was overseeing the International Operations of the Bank. He has worked as Head of Treasury Operations, Zonal Manager, General Manager, National Banking Group and at Corporate

इसके साथ ही उनकी टोक्यो और सिंगापुर में 2 विदेशी तैनातियों भी रहीं।

उन्होंने 15 मई 2015 से बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

सुश्री ऐना रॉय

सुश्री ऐना रॉय को केन्द्र सरकार द्वारा 09.09.2015 से अगले आदेश तक बैंक के सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें बैंकिंग क्षेत्र में बहुत अनुभव है। बैंक ऑफ़ इंडिया में निदेशक मंडल में नियुक्ति के पहले ये कार्पोरेशन बैंक और देना बैंक की बोर्ड में थी।

सुश्री रॉय, दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकॉनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं और वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली में उप सचिव के रूप में तैनात थीं । मई 1992 में भारतीय आर्थिक सेवा में कार्यग्रहण करने के पश्चात सुश्री राय ने योजना आयोग, आर्थिक कार्य विभाग, औषध विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय)में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया। वर्तमान में वे नीति आयोग में तैनात हैं।

Office etc. besides 2 foreign stints at Tokyo and Singapore

He has taken charge as Executive Director of the Bank w.e.f. 15th May, 2015.

Ms. Anna Roy

Ms. Anna Roy, has been appointed by the Central Government as Government Nominee Director of the Bank w.e.f. 09.09.2015. She has rich experience in banking sector. Prior to her appointment on the Board of Bank of India, she was on the Board of Corporation Bank and Dena Bank.

Ms. Anna Roy, a Post Graduate in Economics from Delhi School of Economics, was posted as Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, New Delhi. Since joining Indian Economic Service in May, 1992, Ms. Roy has worked in various capacities in Planning Commission, Department of Economic Affairs, Department of Pharmaceuticals (Ministry of Chemicals & Fertilizers). She is presently posted at Niti Aayog.

निदेशकों के अन्य विवरण:

OTHER PARTICULARS OF DIRECTORS (As on 31.03.2016)

क्र सं. Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of Directors	श्रेणी (अध्यक्ष / कार्यपालक / गैरकार्यपालक / स्वतंत्र / नामिती) Category (Chair- person/ Executive / Non-Executive/ independent/ Nominee)	बैंक के ईक्विटी शेयरों की धारिता Holding of Bank's Equity shares	निदेशक के रुप में नियुक्ति की तारीख Date of Appointment as Director	विशेषज्ञता क्षेत्र Area of Expertise	अन्य कंपनियों में निदेशक पद Directorships of other Companies	बोर्ड समितियों के सदस्य Member of Board Committees	
							सदस्य Member	अध्यक्ष Chairman
1	श्री जी. पद्मनाभन Shri G. Padmanabhan	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष Non-Executive Chairman	–	14.08.2015	बैंकिंग Banking	सदस्य, इंडिपेंडेंट ओवरसाईट समिति, सदस्य विनियमन, एनएसईआईएल Member, Independent Oversight Committee-Member Regulations, NSEIL	–	–
2	श्री मेलविन ओ. रेगो Shri Melwyn O. Rego	कार्यपालक Executive	–	14.08.2015	बैंकिंग Banking	1. बीओआई मर्चन्ट बैंकर्स लि. 2. एसटीसीआई फायनान्स लि. 3. स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ़ इन्श्योरेंस कं.लि. 4. एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लि. 1. BOI Merchant Bankers Ltd. 2. STCI Finance Ltd 3. Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd. 4. STCI Primary Dealer Ltd.	–	–
3	श्री बि. पी. शर्मा Shri B.P. Sharma	कार्यपालक Executive	–	18.06.2012	बैंकिंग Banking	1. कृषि वित्त निगम 2. बीओआई अक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा. लि. 3. बीओआई शेयरहोल्डिंग लि. 4. बैंक ऑफ इंडिया युगांडा लि. 5. बीओआई (बोत्सवाना) लि. 6. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1. Agricultural Finance Corporation; 2. BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd. 3. BOI Shareholding Ltd. 4. Bank of India Uganda Ltd. 5. BOI (Botswana) Ltd. 6. National Payment Corporation of India	1	–

क्र सं. Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of Directors	श्रेणी (अध्यक्ष / कार्यपालक / गैरकार्यपालक / स्वतंत्र / नामिती) Category (Chair- person/ Executive / Non-Executive/ independent/ Nominee)	बैंक के ईक्विटी शेयरों की धारिता Holding of Bank's Equity shares	निदेशक के रुप में नियुक्ति की तारीख Date of Appointment as Director	विशेषज्ञता क्षेत्र Area of Expertise	अन्य कंपनियों में निदेशक पद Directorships of other Companies	बोर्ड समितियों के सदस्य Member of Board Committees	
							सदस्य Member	अध्यक्ष Chairman
4	श्री आर. पी. मराठे Shri R. P. Marathe	कार्यपालक Executive	725	10.03.2015	बैंकिंग Banking	1. बीओआई अकसा इनवेसटमेंट मैनेजर्स प्रा.लि. 2. बीओआई (न्यूज़ीलैण्ड लि.) 3. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. 1. BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd. 2. BOI (New Zealand) Ltd. 3. National Payment Corporation of India Limited.	2	–
5	श्री आार ए. शंकर नारायणन Shri R. A. Sankara Narayanan	कार्यपालक Executive	1000	15.05.2015	बैंकिंग Banking	1. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंज़ानिया) लि 2. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके 1. BOI (Tanzania) Ltd. 2. PT Bank of India Indonesia Tbk	1	–
6	सुश्री ऐना रॉय Ms. Anna Roy	नामिती Nominee	–	09.09.2015	प्रशासन Administration	1. आईआईएफसीएल लिमिटेड 1. नॅशनल इन्शिुअरन्स कंपनी लि 1. IIFCL 2. National Insurance Company Limited	1	–
7	श्री एस. एस. बरिक Shri S. S. Barik	नामिती Nominee	–	13.03.2014	बैंकिंग Banking	Nil	1	–
8	श्री हरविंदर सिंह Shri Harvinder Singh	नामिती Nominee	200	18.09.2014	बैंकिंग Banking	Nil	-	–
9	डॉ. आर. एल. बिश्नोई Dr. R. L. Bishnoi	गैर-सरकारी Non Official	–	18.10.2013	लेखा Accounting	1. एडीएस ग्लोबल नोलेज अकादमी (प्रा) लि २. एडीएस प्रोजेक्ट अँड सिस्टम (प्रा) लि 3. बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि. 4. सीरा रेटिंग्ज लि. 1. ADS Global Knowledge Academy (P) Ltd. 2. ADS Projects & Systems Pvt. Ltd. 3. BOI Merchant Bankers Ltd. 4. Ceeara Ratings Limited.	–	–
10	श्री. नीरज भाटिया Shri Neeraj Bhatia	स्वतंत्र Independent	100	25.10.2014	लेखा Accounting	ओजस मेडिकल सर्व्हिसेस पी. लिमिटेड Ojas Medical Services (P) Ltd.	–	2
11	श्री संजीव कुमार अरोरा Shri Sanjiv Kumar Arora	स्वतंत्र Independent	150	25.10.2014	लेखा Accounting	1. नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कॉर्प. लि. 2. रैडो टायर्स लि. 1. National Jute Manufactures Corporation Ltd. 2. Rado Tyres Ltd	2	-

* सेबी एलओडीआर विनियम 2015 के खंड 26 के उपखंड-बी के अपनुपालन में, बैंक ने केवल लेखा परीक्षा समिति और शेयरधारक/ निवेशक शिकायत निवारण समिति की अध्यक्षता/सदस्यता पर विचार किया है।

बोर्ड की बैठकों का संचालन :

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, निम्नलिखित तारीखों को बोर्ड की बैठकें आयोजित की गईं:

* In compliance of Sub-Clause B of Clause 26 of SEBI LODR Regulations 2015, the Bank has considered the Chairmanship/ Membership of the Audit Committee and the Stakeholders' Relationship committee only.

Conduct of Board Meetings :

During the FY 2016-17 Board Meetings were held on the following dates:

11.04.2015	15.04.2015	28.05.2015	27.06.2015	16.07.2015	28.07.2015
14.08.2015	08.09.2015	28.09.2015	09.11.2015	19.11.2015	12.12.2015
19.12.2015	16.01.2016	11.02.2016	26.02.2016	28.03.2016	

वित्तीय वर्ष 2016 में बोर्ड बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings in FY 2016 are as follows:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Recorded	अवधि (से - तक) Period (From – To)
श्रीमती वी. आर. अय्यर	Smt. V. R. Iyer	3	3	01.04.2015 से 31.05.2015
श्री जी पद्मनाभन	Shri G. Padmanabhan	10	10	14.08.2015 से 31.03.2016
श्री. मेलविन ओ. रेगो	Shri Melwyn O. Rego	10	10	14.08.2015 से 31.03.2016
श्री. बि. पी. शर्मा	Shri B. P. Sharma	17	15	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री आर पी मराठे	Shri R. P. Marathe	17	16	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री आर ए शंकर नारायणन	Shri R. A. Sankara Narayanan	15	14	15.05.2015 से 31.03.2016
श्री अरुण श्रीवास्तव	Shri Arun Shrivastava	2	2	01.04.2015 से 15.05.2015
श्री अनुप वधावन	Shri Anup Wadhawan	8	3	01.04.2015 से 08.09.2015
सुश्री ऐना रॉय	Ms. Anna Roy	9	7	09.09.2015 से 31.03.2016
श्री एस. एस. बारिक	Shri S. S. Barik	17	11	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री हरविंदर सिंह	Shri Harvinder Singh	17	17	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री आर एल बिश्नोई	Shri R. L. Bishnoi	17	17	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री नीरज भाटिया	Shri Neeraj Bhatia	17	17	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री संजीव कुमार अरोड़ा	Shri Sanjiv Kumar Arora	17	17	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री ए एम परेरा	Shri A. M. Pereira	5	5	01.04.2015 से 17.07.2015
श्री डी हरिश	Shri D. Harish	9	8	01.04.2015 to 30.09.2015

निदेशकों की समितियां

कॉर्पोरेट शासन और जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यनीतिक महत्व वाले विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान देने हेतु बैंक के निदेशक मंडल ने निदेशकों एवं/या कार्यपालकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। ये महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं :-

1. बोर्ड की प्रबंधन समिति
2. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति
3. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
4. शेयर धारक संपर्क समिति
5. शेयर अंतरण समिति
6. जोखिम प्रबंधन हेतु निदेशकों की समिति
7. ग्राहक सेवाओं हेतु निदेशकों की समिति
8. निदेशकों की पारिश्रमिक समिति
9. निदेशकों की नामांकन समिति
10. कारोबार समीक्षा समिति
11. निवेश अनुमोदन समिति
12. बडे मूल्य की धोखाधडियों की निगरानी
13. आईटी कार्यनीति समिति
14. निदेशकों की पदोन्नति समिति
15. एचआर पर बोर्ड की संचालन समिति
16. इरादतन चूककर्ताओं के लिए समीक्षा समिति
17. उच्च मूल्य एनपीए और हानिगत आस्तियों की निगरानी समिति
18. बोर्ड की स्वतंत्र निदेशकों की समिति

Board Committees

The Board of Directors of the Bank has constituted various committees of directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India / SEBI / Government of India Guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The Board Committees are as under:

1. Management Committee of the Board
2. Credit Approval Committee of the Board
3. Audit Committee of the Board
4. Stakeholders' Relationship Committee
5. Share Transfer Committee
6. Committee of Directors for Risk Management
7. Committee of Directors for Customer Services
8. Remuneration Committee of Directors
9. Nomination Committee of Directors
10. Business Review Committee
11. Investment Approval Committee
12. Committee for Monitoring on Large Value Frauds
13. IT Strategy Committee
14. Directors Promotion Committee
15. Steering Committee of the Board on HR
16. Review Committee for Wilful Defaulters
17. Committee for Monitoring High Value NPAs and Loss Assets
18. Independent Directors' Committee of the Board

बोर्ड की प्रबंधन समिति :

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान योजना, 1970/1980 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। प्रबंधन समिति वित्तीय स्वीकृतियों, समझौतों/बट्टा प्रस्तावों, वाद/अपील दायर करने आदि के संबंध में बोर्ड को प्राप्त सभी अधिकारों का प्रयोग करती है। यथा दिनांक 31.03.2016 को इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, 3 कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती और 3 अन्य निदेशक सहित 8 सदस्य शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान बोर्ड प्रबंधन समिति की निम्नलिखित तारीखों को 21 बैठकें हुई :

Management Committee of the Board :

The Management Committee of the Board is constituted as per the provisions of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provision) Scheme, 1970/1980. The Management Committee exercises all the powers vested in the Board in respect of financial sanctions, compromises/write off proposals and filing of suits/appeals etc. As on 31.3.2016, it comprised of 8 members consisting of the Managing Director and CEO, 3 Executive Directors, RBI Nominee Director and 3 other Directors.

The Management Committee of the Board met 21 times during the FY 2016 on the following dates:

11.4.2015	11.5.2015	29.5.2015	26.6.2015	16.7.2015	14.8.2015	8.9.2015
22.9.2015	29.09.2015	12.10.2015	02.11.2015	19.11.2015	04.12.2015	18.12.2015
29.12.2015	15.01.2016	30.01.2016	23.02.2016	14.03.2016	22.03.2016	29.03.2016

उपयोक्त बैठकों में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का अभिलेख निम्नलिखित अनुसार है:

Attendance record of the members in the above meetings are shown below:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	उपस्थिती का अभिलेख Attendance Record	अवधि Period (From – To)
श्रीमती वी.आर.अय्यर	Smt. V. R. Iyer	3	3	01.04.2015 to 31.05.2015
श्री मेलविन ओ. रेगो	Shri Melwyn O. Rego	15	15	14.08.2015 to 31.03.2016
श्री बि. पी. शर्मा	Shri B. P. Sharma	21	18	01.04.2015 to 31.03.2016
श्री. आर. पी. मराठे	Shri R. P. Marathe	21	18	01.04.2015 to 31.03.2016
श्री. आर. ए. शंकर नारायणन	Shri R. A. Sankara Narayanan	19	19	15.05.2015 to 31.03.2016
श्री अरुण श्रीवास्तव	Shri Arun Shrivastava	2	2	01.04.2015 to 15.05.2015
श्री. एस. एस. बारिक	Shri S. S. Barik	21	9	01.04.2015 to 31.03.2016
श्री हरविंदर सिंह	Shri Harvinder Singh	15	15	01.04.2015 to 26.06.2015 29.10.2015 to 31.03.2016
श्री. आर. एल. बिश्नोई	Shri R. L. Bishnoi	14	14	11.05.2015 to 12.10.2015 18.01.2016 to 31.03.2016
श्री नीरज भाटिया	Shri Neeraj Bhatia	12	12	01.04.2015 to 11.04.2015 14.08.2015 to 15.01.2016
श्री ए. एम. परेरा	Shri A. M. Pereira	4	4	11.05.2016 to 17.07.2015
श्री डी हरिश	Shri D. Harish	6	4	01.04.2015 to 11.04.2015 16.07.2015 to 30.09.2015
श्री एस. के. अरोड़ा	Shri S. K. Arora	11	11	25.10.2015 to 31.03.2016

बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति:

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नयी दिल्ली की संसूचना संदर्भ सं.13/1/2006-बीओ.1 दिनांकित 31 जनवरी, 2012, द्वारा जारी निदेशों के अनुसार बैंक ने बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया है। यह ऋण अनुमोदन समिति हमारे बैंक के मामले में रु.400 करोड़ तक के किसी एकल ऋण प्रस्ताव के बारे में बोर्ड के अधिकारों का इस्तेमाल करेगी और ऐसी सीमाओं से अधिक के प्रस्तावों पर प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, वित्त के प्रभारी महाप्रबंधक और जोखिम प्रबंधन के प्रभारी महाप्रबंधक और संबन्धित क्रेडिट के महाप्रबंधक इस समिति के सदस्य हैं। इस समिति की बैठकों की अध्यक्षता बैंक की प्रबंध निदेशक एवं

Credit Approval Committee of the Board:

In terms of the directions of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their communication reference No.13/1/2006-BO.1 dated 31st January 2012, the Bank has constituted the Credit Approval Committee of the Board. The Credit Approval Committee shall exercise the powers of the Board in respect of any single credit proposal upto Rs. 400 crore in case of our Bank and in case of exposure exceeding such limits shall be considered by the Management Committee.

The members of the committee are the Managing Director & CEO, the Executive Directors, The General Manager in-charge of Finance and the General Manager in-charge of Risk Management and the General Manager in charge of Credit

सीईओ करते हैं। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान ऋण अनुमोदन समिति की निम्नलिखित तारीखों को 30 बैठकें हुई :

concerned. The committee meetings are being chaired by the Managing Director & CEO of the Bank. Credit Approval Committee of the Board met 30 times during the FY 2016 on the following dates:

13.04.2015	02.05.2015	23.05.2015	17.06.2015	29.06.2015	22.07.2015	05.08.2015
20.08.2015	26.08.2015	01.09.2015	15.09.2015	22.09.2015	29.09.2015	09.10.2015
26/27.10.2015	13.11.2015	24.11.2015	26.11.2015	03.12.2015	16.12.2015	21.12.2015
30.12.2015	05.01.2016	13.01.2016	20.01.2016	30.01.2016	15.02.2016	09.03.2016
23.03.2016	31.03.2016					

उपरोक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है:

Attendance record of the members in the above meetings are shown below:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उपस्थिति का आभिलेख Attendance Record	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	अवधि Period
श्रीमती वी.आर.अय्यर	Smt. V. R. Iyer	3	3	01.04.2015 to 31.05.2015
श्री मेलविन ओ. रेगो	Shri Melwyn O. Rego	23	23	14.08.2015 to 31.03.2016
श्री बि. पी. शर्मा	Shri B. P. Sharma	30	26	01.04.2015 to 31.03.2016
श्री. आर. पी. मराठे	Shri R. P. Marathe	30	26	01.04.2015 to 31.03.2016
श्री. आर. ए. शंकर नारायणन	Shri R. A. Sankara Narayanan	28	23	15.05.2015 to 31.03.2016
श्री अरुण श्रीवास्तव	Shri Arun Shrivastava	2	2	01.04.2015 to 15.05.2015

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति :

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन भारतीय रिज़र्व बेंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में निदेशक मंडल द्वारा किया गया है। यह एसीबी निदेश देती है तथा बैंक के संपूर्ण लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालन का पर्यवेक्षण भी करती है।

लेखा परीक्षा समिति में 5 सदस्य हैं, अर्थात निरीक्षण विभाग के प्रभारी कार्यपालक निदेशक, सरकार नामिती निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक और 2 अन्य निदेशक। वर्तमान में श्री नीरज भाटिया, सनदी लेखाकर निदेशक बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को लेखा परीक्षा समिति की 13 बैठकें हुई :

Audit Committee of the Board :

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The ACB provides direction and also oversees the operation of the total audit function of the Bank.

The Audit Committee comprises of 5 members viz. Executive Director in charge of Inspection & Audit, Government Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and 2 other directors. Shri Neeraj Bhatia, Chartered Accountant Director is the present Chairman of the Audit Committee of the Board. During the FY 2016, the Audit Committee met 13 times on the following dates:

11.04.2015	11.05.2015	28.05.2015	27.06.2015	28.07.2015	28.09.2015
09.11.2015	19.11.2015	12.12.2015	01.02.2016	04.02.2016	11.02.2016
28.03.2016					

उपरोक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है :

The attendance record of the members in the above meetings are shown below:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Record	अवधि Period
श्री नीरज भाटियाा	Shri Neeraj Bhatia	13	13	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री आर. एल. बिश्नोई	Dr. R. L. Bishnoi	1	1	01.04.2015 से 11.04.2015
श्री बि. पी. शर्मा	Shri B. P. Sharma	5	4	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री आर.पी.मराठे	Shri R. P. Marathe	13	13	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री आर.ए. शंकर नारायणन	Shri R. A. Sankara Narayanan	8	8	28.05.2015 से 31.03.2016

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Record	अवधि Period
श्री अरुण श्रीवास्तव	Shri Arun Shrivastava	2	2	01.04.2015 to 11.05.2015
सुश्री ऐना रॉय	Ms. Anna Roy	8	6	09.09.2015 to 31.03.2016
श्री अनूप वधावन	Shri Anup Wadhawan	5	2	01.04.2015 to 08.09.2015
श्री एस. एस. बारिक	Shri S. S. Barik	13	8	01.04.2015 to 31.03.2016
श्री संजीव कुमार अरोड़ा	Shri Sanjiv Kumar Arora	12	12	11.05.2015 to 31.03.2016

बैंक के गैर-लेखा परीक्षित तिमाही परिणामों और वर्ष के लेखा परीक्षित परिणामों की बोर्ड द्वारा स्वीकार किए जाने हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत करने के पहले बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई।

स्टेक होल्डर संबंध समिति

सेबी-एलओडीआर विनियमन 2015 के विनियम 20 के प्रावधान के अनुरूप कॉर्पोरेट शासन पर सेबी के दिशानिर्देशों के अनुपालन में शेयरों के अंतरण, तुलन पत्र प्राप्त न होने, लाभांश प्राप्त न होने इत्यादि के संबंध में शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण हेतु स्टेकहोल्डर संबंध समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान निवेशकों से अब तक प्राप्त सभी शिकायतों/सदंर्भों का उत्तर दिया गया/निपटाया गया। संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद प्राय:सात दिनों के अंदर निवेशकों की शिकायतें पर कार्रवाई की जाती हैं। इस समिति में कार्यपालक निदेशकगण और दो स्वतंत्र शेयरधारक निदेशक हैं। श्री नीरज भाटिया, शेयरधारक निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं।

श्री राजीव भाटिया, कंपनी सचिव, इस उद्देश्य के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक ने 25 शिकायतें प्राप्त की। इन सभी शिकायतों का निपटान किया गया है और यथा 31.03.2016 को एससीओआरई में कोई शिकायत लंबित नहीं है।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर समिति की 3 बैठकें आयोजित की गई:

27.05.2015	12.10.2015	26.02.2016

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नलिखित है:

Unaudited quarterly results of the Bank and audited results for the year were reviewed by the Audit Committee of the Board prior to the placing before the Board of Directors for approval.

Stakeholders Relationship Committee :

In compliance of Regulation 20 of SEBI-LODR Regulations – 2015, Stakeholders' Relationship Committee, has been constituted, for redressal of the grievances of the shareholders/ investors with regard to the transfer of shares, non-receipt of Balance Sheet, non-receipt of dividends etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied / redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Executive Directors and two independent Directors. It is headed by Shri Neeraj Bhatia, Shareholder Director of the Bank.

Shri Rajeev Bhatia, Company Secretary, is the Compliance Officer of the Bank for this purpose.

During the year 2015-16, Bank has received 25 Complaints. All of these have been resolved and there are no pending complaints at SCORES as on 31.03.2016.

The Committee met 3 times during the FY 2016 on the following dates:

27.05.2015	12.10.2015	26.02.2016

The attendance record of the members is shown below:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Record	अवधि Period
श्री नीरज भाटिया	Shri Neeraj Bhatia	3	3	01.04.2015 to 31.03.2016
श्री बि.पी.शर्मा	Shri B. P. Sharma	3	3	01.04.2015 to 31.03.2016
श्री आर.पी.मराठे	Shri R. P. Marathe	3	1	01.04.2015 to 31.03.2016
श्री आर.ए. शंकर नारायणन	Shri R. A. Sankara Narayanan	3	3	15.05.2015 to 31.03.2016
श्री डी.हरीश	Shri D. Harish	1	0	01.04.2015 to 30.09.2015
श्री संजीव कुमार अरोड़ा	Shri S. K. Arora	1	1	09.11.2015 to 31.03.2016

शेयर अंतरण समिति

इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण और दो अन्य निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 5 बैठक हुई :

Share Transfer Committee

It comprises of Managing Director & CEO, Executive Directors and two other Directors. The Committee met 5 times during the FY 2016 on the following dates:

11.05.2015	14.08.2015	02.11.2015	15.01.2016	26.02.2016

जोखिम प्रबंधन के लिए निदेशकों की समिति

इस समिति का गठन बैंक द्वारा लिए गए समस्त जोखिमों की समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। इस समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण और दो अन्य निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 4 बैठकें हुई :

Committee of Directors for Risk Management

This committee was formed to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank. It comprises of Chairman, Managing Director & CEO, Executives Directors and two other directors. The committee met 4 times during the FY 2016 on the following dates:

27.05.2015	08.09.2015	12.12.2015	26.02.2016

ग्राहक सेवा के लिए निदेशकों की समिति

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का गठन सितम्बर 2004 में किया गया था। समिति का कार्य अविरत आधार पर बैंक द्वारा दिये जा रहे ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाना और ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति के कार्यनिष्पादन की समीक्षा (प्रधान कार्यालय में) करना है। इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, तीन कार्यपालक निदेशकगण ,भारत सरकार नामिती निदेशक और दो अन्य निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 4 बैठकें हुई।

Committee of Directors for Customer Service

As per the RBI guidelines, the Customer Service Committee of the Board was formed in September 2004. The functions of the committee are to bring about improvement in the quality of customer service provided by the Bank on an ongoing basis and to review the performance of the Standing Committee on Customer Service (at the head office). It comprises of Managing Director & CEO, three Executive Directors, GOI Nominee Director and two other directors. The committee met 4 times during the FY 2016 on the following dates:

20.06.2015	08.09.2015	12.12.2015	29.03.2016

निदेशकों की पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। यह प्रोत्साहन विगत वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालन रिपोर्टों पर आधारित स्टेटमेंट ऑफ इन्टेन्ट ऑन गोल्स एण्ड बेंचमार्क के आधार पर कार्यनिष्पादन मूल्यांकन मेट्रिक्स के लिए कतिपय गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक मानदंडों पर आधारित है। उक्त निदेश के अनुपालन के लिए वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन और दी जाने /भुगतान की जाने वाली प्रोत्साहन रकम के लिए बोर्ड की पारिश्रमिक समिति गठित की गई।

इस समिति में अध्यक्ष ,सरकारी नामिती निदेशक, आरबीआई नामिती निदेशक और दो अन्य निदेशक हैं। समिति ने 12.12.2015 को बैठक की।

Remuneration Committee of Directors

Government of India announced Performance Linked Incentive Scheme for Whole Time Directors of Public Sector Banks. The incentive is based on certain qualitative as well as quantitative parameters for Performance Evaluation Matrix on the basis of the Statement of Intent on goals and benchmarks based on various compliance reports during the previous financial year. In compliance of the said directive, a Remuneration Committee of the Board was constituted for evaluation of the performance and to decide on the incentive amount to be awarded / paid during the year. It comprises of Chairman, Government Nominee Director, RBI Nominee Director and two other directors. The meeting was held on 12.12.2015

निदेशकों की नामांकन समिति

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निदेशकों के चयन के लिए व्यक्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रखे गए 'फिट एवं प्रोपर' मानदंड को पूरा करना होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के शर्तों के अनुसार नामांकन समिति में अध्यक्ष, सरकारी नामिती निदेशक और 2 गैर कार्यपालक निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान समिति ने शेयरधारक निदेशकों के 'फिट एवं प्रोपर' स्थिति का पता लगाने के लिए एक बार 02.11.2015 को बैठक की।

Nomination Committee of Directors

Under the provisions of Section 9 (3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Reserve Bank of India has laid down `Fit and Proper' criteria to be fulfilled by the persons to be elected as directors on the Boards of the Nationalised Banks. The Nomination Committee consists Chairman, Govt. Nominee Director and 2 other Non-Executive Directors. During the FY 2016 the committee met once on 02.11.2015 to ascertain the `Fit & Proper" status of Shareholders Directors.

कारोबार समीक्षा समिति

नियामक कैलेण्डर मदों की आवधिक समीक्षा के लिए समिति का गठन किया गया। इस समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण और 02 अन्य निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान निम्नलिखित तारीखों में बैठकें हुई।

Business Review Committee

The Committee was formed to review the regulatory calendar items periodically. This committee consist of the Chairman, Managing Director & CEO, Executive Directors and two other Directors. During the FY 2016, it met on following dates

20.06.2015	14.08.2015	28.09.2015	12.12.2015
30.01.2016	29.03.2016		

निवेश अनुमोदन समिति

निवेश संबंधित निर्णय लेने के लिए निवेश अनुमोदन समिति का गठन किया गया। इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, महाप्रबंधक-जोखिम प्रबंधन और महाप्रबंधक - वित्त हैं। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठक हुई

27.07.2015	20.01.2016

आई.टी. कार्यनीति समिति

आई.टी. कार्यनीतियों पर निर्णय लेने के लिए तथा आई.टी. परियोजनाओं के क्षेत्र में हुए विकास की निगरानी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रेषित दिशानिर्देशों के अनुपालन में यह समिति गठित की गई। इसमें अध्यक्ष, कार्यपालक निदेशकगण, सरकार नामिती निदेशक तथा दो अन्य अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक शामिल हैं। यह तिमाही के अंतराल में मिलती है। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठक हुई -

20.06.2015	08.09.2015	19.12.2015	28.03.2016

निदेशकों की पदोन्नति समिति

इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, सरकार नामिती निदेशक और आरबीआई नामिती निदेशक सदस्य हैं । वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान समिति निम्नलिखित तिथियों को मिली-

02.11.2015	09.01.2016	16.01.2016	19/20.02.2016

विगत वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति

श्री बि.पी.शर्मा, श्री आर.पी. मराठे, श्री आर.ए. शंकर नारायणन, डॉ आर.एल. बिश्नोई, श्री नीरज भाटिया, श्री एस.के. अरोरा एवं श्री हरविंदर सिंह , दिनांक 20.07.2015 को हुई बैंक की पिछली अर्थात उन्निसवी वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

शेयर अंतरण और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

शेयर अंतरण, लाभांश/ ब्याज का भुगतान और निवेशकों से संबंधित अन्य सभी कार्यकलापों पर कार्रवाई हमारे पंजीयक एवं अंतरण एजेंट के कार्यालय में की जाती है। इनमें से किसी दस्तावेज को जमा करने और किसी भी पूछताछ/शिकायत/ कठिनाइयों के संबंध में शेयरधारकों एवं निवेशकों से निम्नलिखित पते पर संपर्क करने का अनुरोध है :

इक्विटी शेयर और बॉन्ड/ डिबेंचर के लिए
बिगशेयर सर्विसेस प्रा.लि
ई-2, अनसा इंडस्ट्रियल एस्टेट, साकीनाका, अंधेरी (पूर्व) मुंबई- 400072
फोन -022-4043200, फैक्स 022-28475207 ई मेल : investor@bigshareonline.com

उपर्युक्त के अलावा, निवेशक निम्नलिखित पते पर बैंक के शेयर विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं:

स्टार हाउस, 8 वीं मंजिल, पूर्वीखण्ड, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051, फोन 022-66684444, फैक्स- 022-66684491,
ई-मेल: headoffice.share@bankofindia.co.in

Investment Approval Committee

The Investment Approval Committee was formed to take investment decisions. It consists of the Managing Director & CEO, Executive Directors, General Manager – Risk Management and General Manager – Finance. During the FY 2016 it met on the following dates:

27.07.2015	20.01.2016

IT Strategy Committee

The committee was formed in compliance of guidelines issued by Reserve Bank of India to take decision on IT Strategies and to monitor the development in the area of IT Projects. IT Strategy Committee consists of Chairman, Executive Directors, Govt. Nominee Director and two other Non-Executive Directors. It meets on quarterly interval. During the FY 2016 it met on the following dates:

20.06.2015	08.09.2015	19.12.2015	28.03.2016

Directors Promotion Committee

The Members of this committee are the Managing Director & CEO, Government Nominee Director and RBI Nominee Director. During the year FY 2016 it met on the following dates:

02.11.2015	09.01.2016	16.01.2016	19/20.02.2016

Attendance of the Directors at the last Annual General Meeting

Shri B. P. Sharma, Shri R. P. Marathe, Shri R. A. Sankara Narayanan, Dr. R. L. Bishnoi, Shri Neeraj Bhatia Shri S K Arora and Shri Harvinder Singh attended the last i.e., Nineteen Annual General Meeting of the Bank held on 20.07.2015

Share Transfers and Redressal of Shareholders`/Investors` Grievances :

Share Transfers, Dividend / interest payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgement of any of these documents and for queries/ complaints /grievances, shareholders and investors are requested to contact

For Equity Shares and Debentures/ Bonds
Bigshare Services Pvt. Ltd.,
E-2, Ansa Industrial Estate, Sakinaka, Andheri (E),
Mumbai 400 072 Phone 022-40430200, Email: investor@bigshareonline.com

Apart from the above, investors may also contact the Bank at its Investor Relations Department at

Star House, 8th Floor, East Wing, C-5, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051, Phone 022-66684444, Fax- 022-66684491,
E-mail: headoffice.share@bankofindia.co.in

आम सभा की बैठकें : General Body Meetings

	बैठक का स्वरूप	Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	विशेष संकल्प Special Resolution
1	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	29.03.2016 पूर्वाह्न 10.30 बजे 29.03.2016 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.	1. प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि 2. नए शेयर और टियर-1 और टियर-2 बॉन्ड/अधिमानी शेयर जारी करना । 3. जनरल इन्श्युरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को शेयर जारी करना । 1. Increase in Authorised Capital 2. Issue of Fresh Shares and Tier-1 and Tier-2 Bonds/ Preference Shares 3. Issue of Shares to General Insurance Corporation of India
2	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	21.12.2015 पूर्वाह्न 10.30 बजे 21.12.2015 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	अधिमानी आधार पर भारत सरकार को शेयर जारी करना Issue of Shares to Life Insurance Corporation of India on preferential basis
3	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	28.09.2015 पूर्वाह्न 10.30 28.09.2015 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	नए शेयर और टियर-1 और टियर-2 बॉन्ड/अधिमनी शेयर जारी करना । Issue of Shares to Government of India on preferential basis
4	उन्नसवीं वार्षिक आम बैठक	Nineteenth Annual General Meeting	20.07.2015 पूर्वाह्न 11.00 बजे 20.07.2015 11.00 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	नए शेयर और टियर-1 और टियर-2 बॉन्ड/अधिमनी शेयर जारी करना । Issue of Fresh Shares and Tier-1 and Tier-2 Bonds/ Preference Shares
5	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	07.03.2015 पूर्वाह्न 11.00 बजे 07.03.2015 11.00 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	अधिमानी आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम और न्यू इंडिया एशुरेंस कार्पोरेशन को शेयर जारी करना Issue of Shares to Life Insurance Corporation of India and New India Assurance Corporation of India on preferential basis
6	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	17.10.2014 पूर्वाह्न 10.30 बजे 17.10.2014 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	शेयरधारकों में से निदेशकों का चुनाव Election of Directors amongst Shareholders
7	अठारहवीं वार्षिक आम बैठक	Eighteenth Annual General Meeting	10.07.2014 अपराह्न 3.00 बजे 10.07.2014 3.00 P.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	नए शेयर और टियर-1 और टियर-2 बॉन्ड/अधिमनी शेयर जारी करना Issue of Fresh Shares and Tier-1 and Tier-2 Bonds/ Preference Shares
8	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	03.12.2013 पूर्वाह्न 11.00 बजे 03.12.2013 11.00 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	अधिमानी आधार पर भारत सरकार को शेयर जारी करना Issue of Shares to Government of India on preferential basis
9	सत्रहवीं वार्षिक आम बैठक	Seventeenth Annual General Meeting	29.06.2013 पूर्वाह्न 11.00 बजे 29.06.2013 11.00 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	

प्रकटन:

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के अंतर्गत बैंक शासित है। सेबी ने यह स्पष्ट किया है कि विनियम 15(2) के अंतर्गत सूचीबद्ध संस्थाएं जो कंपनियां नहीं है किंतु कार्पोरेट निकाय हैं या अन्य संविधि के विनियम के अधीन है कतिपय विनियमन के तहत यथा निर्दिष्ट कारपोरेट शासन प्रणाली के प्रावधान उस सीमा तक लागू है जहां उनके संबन्धित प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा संबंधित संविधि का उल्लंघन न हो रहा हो।

i) निदेशकों का पारिश्रमिक:

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। बैंक अशासकीय निदेशकों को बैठक शुल्क, जो कि निम्नलिखित है, के अलावा अन्य किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता है:

बोर्ड बैठकों के लिए : ₹ 20,000/- प्रति बैठक

समिति बैठकों के लिए : ₹ 10,000/- प्रति बैठक

ii) महत्वपूर्ण संव्यवहारों और आर्थिक संबंधों का प्रकटन

बैंक कारोबार की सामान्य प्रकृति के अलावा बैंक ने कोई महत्वपूर्ण भौतिक संव्यवहार इसके प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों आदि से नहीं किया है जिसका बैंक के हितों से कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास हो सकता हो। बैंक और इसके गैर-कार्यपालक निदेशक के बीच वर्ष के दौरान कोई आर्थिक संबंध अथवा संव्यवहार नहीं हुए हैं।

बैंकिंग में यह सुस्थापित प्रथा है कि निदेशक, मंडल और मंडल की उप समितियों की उन चर्चाओं में भाग नहीं लेते जब उनसे संबंधित या उनके रिश्तेदारों से संबंधित कोई मामला बोर्ड में चर्चाधीन होता हो।

iii) सार्वजनिक निर्गमों, अधिकार निर्गमों, अधिमान्य निर्गमों आदि की आगम राशियाँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पूंजी को बढ़ाने के लिए बैंक ने निम्न ईक्विटी शेयर और टियर-II बॉन्ड जारी किए हैं :-

आबंटन की तारीख	विवरण (इनवेस्टर)	शेकारों की संख्या	प्रति शेयर निर्गम मूल्य	राशि (₹ करोड़ में)
30.09.2015	भारत सरकार	12,70,04,655	193.30	2455
05.01.2016	भारतीय जीवन बीमा निगम	2,00,00,000	132.06	364
30.03.2016	जनरल इंशोरेन्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया	46,39,294	86.22	40
*	भारत सरकार (एप्लिकेशन मनी 30.03.2016 प्राप्त हुई)	10,14,82,527	113.32	1150
*	भारतीय जीवन बीमा निगम (एप्लिकेशन मनी 31.03.2016 प्राप्त हुई)	1,60,00,000	96.03	153.65
31.12.2015	8.52% टियर 2 बॉंड - 2025	30000	10,00,000	3000

* ये शेयर 4 मई 2016 को आबंटित किए गए।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सशक्त करने के लिए तथा बैंक की लंबी अवधि के स्त्रोंतो को विकसित करने के लिए संवर्धित टियर I तथा II के प्राथमिक उद्देश्य सहित निधि बढ़ाई गई तथा इस उद्देश्य हेतु उसका उपयोग किया गया।

iv. किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक पर पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया।

v. सेबी एलओडीआर विनियमन-2015 के विनियम 40 (9) की आवश्यकता के अनुसार किए गए करार के द्वारा अंतरण करने, प्रेषण, उप विभाजन, समेकन, नवीनीकरण एवं प्रस्तुतीकरण के एक माह के भीतर इक्विटी शेयर्स के विनिमय के संबंध में जानकारी के साथ-साथ व्यावसायिक कंपनी सचिव से प्रत्येक छः माह में एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है। यह प्रमाण पत्र जारी होने के 30 दिनों के भीतर बीएसई और एनएसई को जहां इक्विटी शेयर सूचीबद्ध है, के वेब पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं।

vi. सेबी के परिपत्र सं. डी एवं सीसी/एफआईटीटीसी/सीआइआर-16 दिनांक 31 दिसंबर, 2002 की शर्तों के अनुसार विशेषागारों के साथ कुल प्रविष्ट इक्विटी

Disclosures :

The Bank is governed under the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. SEBI has clarified under Regulation 15 (2) that for listed entities which are not companies, but body corporates, or are subject to regulations under other statues the provisions of Corporate Governance, as specified under certain regulations shall apply to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines or directives issued by the relevant authorities.

i) Remuneration of Directors :

The remuneration of the Managing Director & CEO and the Executive Director is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the other directors exceft sitting fees which is as under:

For Board Meeting : ₹ 20,000/- per meeting

For Committee Meeting : ₹ 10,000/- per meeting

ii) Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-a-vis the bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed.

iii) Proceeds From Public issues, Right issues, Preferential issues etc.

During the year under review, the Bank has raised the following capital by issue of Equity Shares and Tier-II Bonds

Date of Allotment	Particulars (Investors)	Number of Shares	Price per Share	Amount (₹ In Crore)
30.09.2015	Government of India	12,70,04,655	193.30	2455
05.01.2016	Life Insurance Corporation	2,00,00,000	132.06	364
30.03.2016	General Insurance Corporation of India	46,39,294	86.22	40
*	Government of India (Application money received on 30.03.2016)	10,14,82,527	113.32	1150
*	Life Insurance Corporation (Application money received on 31.03.2016)	1,60,00,000	96.03	153.65
31.12.2015	8.52% Tier 2 Bonds-2025	30000	10,00,000	3000

* These shares were allotted on 4th May 2016.

The funds were raised with the primary objective of augmenting Tier-I&II Capital for strengthening Capital Adequacy Ratio and for improving the long- term resources of the Bank and the same were utilised for the said purpose.

iv. No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the year under review.

v. As required under regulation 40(9) of the SEBI LODR Regulations-2015, a certificate is obtained every six months from a practising Company Secretary, with regard to, inter alia, effecting transfer, transmission, sub-division, consolidation, renewal and exchange of equity shares within one month of the lodgement. The certificates are uploaded on the web portals of BSE and NSE, where the equity shares are listed, within 30 days of issuance.

vi. In terms of SEBI's circular No.D&CC/FITTC/CIR-16 dated December 31, 2002 a Reconciliation of capital Report is

शेयर पूंजी के समाधान एवं बैंक ऑफ़ इंडिया की कुल जारी/प्रदत्त इक्विटी पूंजी सहित प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत किए जाने के प्रयोजन के साथ-साथ अभ्यासी कंपनी सचिव की फर्म द्वारा तिमाही आधार पर एक सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट की जाती है। इस संबंध में जारी प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं एवं बीएसई एवं एनएसई को प्रेषित किए जाते हैं जहां बैंक ऑफ़ इंडिया के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध रहते हैं।

vii. वर्तमान में बैंक के पास कोई भौतिक अनुषंगी नहीं है।

viii. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक - स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक 28.09.2015 को आयोजित की गयी।

ix. स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण :- वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक के कारोबारी मॉडल तथा उद्योग की प्रकृति से परिचय कराने के लिए निदेशकों को निम्नलिखित प्रशिक्षण प्रदान किया गया -

तारीख	निदेशकों के नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम
27.11.2015 से 28.11.2015	डॉ आर.एल. बिश्नोई	एक्सेलेंट इनेबलर्स	कार्पोरेट शासन प्रणाली समिट 'गेटकिपर्स ऑफ़ गवर्नेंस'
04.07.2015	श्री संजीव कुमार अरोड़ा	आईसीएआई	सीए निदेशकों का राउंड टेबल इंटर फ़ेस..
03.02.2016	श्री संजीव कुमार अरोड़ा	एक्सेलेंट इनेबलर्स	विचारशील निदेशकों का विकास

x. बैंक के वेबसाइट - http://www.bankofindia.co.in/english/codeconduct.aspx पर निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचरण संहिता पोस्ट किया गया है ।

xi. सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसरण में पर्दाफाश करनेवाली नीति बनाई गई है। इसे बैंक के बेवसाइट http://www.bankofindia.co.in/english/SEBI.aspx पर पोस्ट किया गया है।

xii. संबंधित नीति का लेनदेन : संबंधित पक्ष लेनदेन को लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट की जाती है। संबंधित पक्ष के लेनदेन पर बैंक की नीति को बैंक के वेबसाइट http://www.bankofindia.co.in/english/SEBI.aspx पर पोस्ट किया गया है। संबंधित पक्ष के लेनदेन का विस्तृत वर्णन एएस-18 के अंतर्गत है।

xiii. पारिश्रमिक नीति - प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकों की पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। अन्य स्टाफ सदस्यों के वेतन का निर्धारण भारतीय बैंक संघ के साथ त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार होता है।

संचार - साधन :

तिमाही तथा अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम (अलेखापरीक्षित किंतु सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अध्यधीन) तथा लेखापरीक्षित वार्षिक परिणाम अंग्रेजी के इकानामिक टाइम्स/बिज़नेस स्टैंडर्ड/फाइनेन्शियल एक्सप्रेस/बिज़नेस लाइन में, मराठी में(क्षेत्रीय भाषा) सकाल/नवशक्ति/लोकसत्ता/आपला महानगर में तथा हिन्दी में नवभारत टाइम्स/नवभारत में प्रकाशित हुआ। परिणाम को बैंक के वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर भी प्रदर्शित किया गया है। संस्थागत निवेशकों को की गई प्रस्तुतियां भी बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सेबी तथा सूचीबद्ध करार द्वारा आवश्यकतानुसार, बैंक ऑफ़ इंडिया ने स्टॉक एक्सचेंज के वेब पोर्टलों में ऑनलाइन वित्तीय तथा अन्य सूचनाएं फ़ाइल करता है।

वित्तीय कलेंडर : 1 अप्रैल, 2016 से

बैंक ऑफ़ इंडिया का वार्षिक लेखापरीक्षा खाता तथा लाभांश अनुशंसा को विचारार्थ बोर्ड बैठक में प्रस्तुति	24 मई, 2016
20 वीं वार्षिक आम-सभा का दिनांक, समय, स्थान	14 जुलाई, 2016 अपराह्न 3.00 बजे बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडोटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई-400 051
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	18 जून, 2016 तक
बही बंद करने की तिथि	11 जुलाई, 2016 से 14 जुलाई , 2016
परोक्षी फार्म प्राप्ति की अंतिम तिथी	8 जुलाई, 2016
प्रथम तीन तिमाहियों की अलेखापरीक्षित परिणाम के विचारार्थ बोर्ड की बैठ	संबंधित तिमाही के 45 दिनों में।

conducted on a quarterly basis by a firm of practising company secretaries, for the purpose of, inter alia, reconciliation of the total admitted equity share capital with the depositaries and in the physical form with the total issued/paid up equity capital of Bank of India. Certificate issued in this regard is placed before the Board of Directors and forwarded to BSE and NSE, where the equity shares of Bank of India are listed.

vii. At present the Bank does not have any material subsidiary.

viii. Independent Directors Meeting – The separate meeting of Independent Directors was held on 28.09.2015

ix. Training of Non-Executive Directors – During the year 2015-16 the Bank has provided the following training to Directors to familiarize them with the nature of industry and business mode of the Bank –

Date	Name of Directors	Name of Institute	Name of Course
27.11.2015 to 28.11.2015	Dr. R. L. Bishnoi	Excellent Enablers	Corporate Governance Summit 'Gatekeepers of Governance'
04.07.2015	Shri Sanjiv Kumar Arora	ICAI	Round Table Interface of CA Directors
03.02.2016	Shri Sanjiv Kumar Arora	Excellence Enablers	Developing Discerning Directors

x. Code of Conduct for Directors and Senior Management is posted on Bank's website – http://www.bankofindia.co.in/english/codeconduct.aspx

xi. Whistle Blower Policy in terms of CVC guidelines has been formulated. The same is posted Bank's website – http://www.bankofindia.co.in/english/SEBI.aspx

xii. Related Policy transaction – The Related party transactions are reported to Audit Committee. The Bank's policy on Related Party transaction is posted Bank's website – http://www.bankofindia.co.in/english/SEBI.aspx. The details of related party transactions are as detailed under AS-18.

xiii. Remuneration Policy - The remuneration of the Managing Director & CEO, Executive Directors is fixed by the Government of India. Salary of the other staff members is as per the tripartite agreement of the IBA.

Means of Communication :

The quarterly and half-yearly financial results (unaudited but subject to limited review by the Statutory Auditors) and audited Annual results were published in the Economic Times/Business Standard/ Financial Express /Business Line in English, Sakal / Navshakti/Lokmat/ Apla Mahanagar in Marathi (Regional language) and Navbharat Times/Navbharat in Hindi. The results were also displayed on the Bank's website at www.bankofindia.co.in. The presentations made to institutional investors are also available on Bank's website

As required by SEBI and in the Listing Agreements, Bank of India, files its financial and other information online on their web portals of the stock exchange.

Financial Calendar : From 1st April, 2016 :

Board Meeting for considering Annual Audited Accounts of Bank of India and recommendation of dividend	24th , May, 2016
Date, Time, Venue of 20th AGM	14th July, 2016. At 3.00 P.M. Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.
Posting of Annual Report	By 18th June 2016
Book Closure dates	11th July 2016 to 14th July 2016
Last Date for receipt of proxy forms	8th July 2016
Board Meeting for considering Un-audited result for first 3 quarters	Within 45 days of the relevant quarter.

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण :

बैंक के शेयरों का मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लि., नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. में सूचीकरण किया गया है। स्टॉक स्क्रिप कोड निम्नानुसार है:

दि बीएसई लि. (बीएसई)	532149/BANKINDIA
नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. (एनएसई)	BANKINDIA EQ
आईएसआईएन क्रमांक	INE084A01016

उक्त दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

बैंक ने समय-समय पर वचनपत्र/डिबेंचर के रूप में अपरिवर्तनीय बॉंड (टियर I एवं II पूंजी) जारी किये हैं। उनसे संबंधित ब्योरा निम्नानुसार है:

बैंक ऑफ़ इंडिया बॉंड - टियर I एवं टियर II पूंजी स्थिति यथा 31.03.2016

Listing on Stock Exchanges

The shares of the Bank are listed on The BSE Ltd. and The National Stock Exchange of India Limited. The stock scrip codes are as follows:

The BSE Ltd. (BSE)	532149/ BANKINDIA
National Stock Exchange of India Limited (NSE)	BANKINDIA EQ
ISIN Number	INE084A01016

Annual listing fee for 2016-17 has been paid to both of the stock exchanges.

The Bank has issued Non Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes / Debentures (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details thereof are as under:

BANK OF INDIA BOND – TIER I and TIER II CAPITAL POSITION AS ON 31.03.2016

क्र.सं. Sr.No	निर्गम का विवरण	PARTICULARS OF THE ISSUE	कुल मूल्य (₹ करोड़ में) TOTAL VALUE (₹ in Crores)	आईएसआईएन नं. ISIN NO.
1	8.00% बीओआई श्रृंखला - IX - 2016	8.00% BOI SERIES – IX –2016	200.00	INE084A09100
2	9.80% बीओआई श्रृंखला - X - 2023	9.80% BOI SERIES – X - 2023	1000.00	INE084A08037
3	9.80% बीओआई श्रृंखला - XI - 2023	9.80% BOI SERIES – XI – 2023	500.00	INE084A08045
4	8.52% बीओआई श्रृंखला - XII - 2025	52% BOI SERIES XII-2025	3000.00	INE084A08060
5	9.35% अपर टियर II श्रृंखला - I -2016	9.35% UPPER TIER II SERIES–I-2016	732.00	INE084A09118
6	11.15% अपर टियर II श्रृंखला - II - 2018	11.15% UPPER TIER II SERIES–II- 2018	500.00	INE084A09159
7	8.45% अपर टियर II श्रृंखला - III -2019	8.45% UPPER TIER II SERIES–III-2019	500.00	INE084A09175
8	8.50% अपर टियर II श्रृंखला - IV -2019	8.50% UPPER TIER II SERIES–IV-2019	500.00	INE084A09183
9	8.54% अपर टियर II श्रृंखला - V -2020	8.54% UPPER TIER II SERIES–V-2020	1000.00	INE084A09209
10	8.48% अपर टियर II श्रृंखला - VI -2020	8.48% UPPER TIER II SERIES–VI-2020	1000.00	INE084A09217
11	10.55% आईपीडीआई बांड- श्रृंखला I	10.55% IPDI Bonds-Series I	400.00	INE084A09126
12	10.45% आईपीडीआई बांड- श्रृंखला II	10.45% IPDI Bonds-Series II	100.00	INE084A09134
13	10.40% आईपीडीआई बांड- श्रृंखला III	10.40% IPDI Bonds-Series III	155.00	INE084A09142
14	8.90% आईपीडीआई बांड- श्रृंखला IV	8.90% IPDI Bonds-Series IV	400.00	INE084A09167
15	9.00% आईपीडीआई बांड- श्रृंखला V	9.00% IPDI Bonds-Series V	325.00	INE084A09191
16	9.05% आईपीडीआई बांड- श्रृंखला VI	9.05% IPDI Bonds-Series VI	300.00	INE084A09225
17	11.00% अतिरिक्त टियर I श्रृंखला I	11.00% Additional Tier I Series I	2500.00	INE084A08052
	कुल	**TOTAL**	**13,112.00**	

इन सभी बॉंडों का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इं.लि. में सूचीकरण किया गया है तथा बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2015-16 का वार्षिक शुल्क अदा किया है।

All these bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd and the Bank has paid the Annual listing fee for 2015-2016 to the Stock Exchange.

ऋण श्रेणी निर्धारण

एजेंसी	दी गई रेटिंग
आईसीआरए द्वारा कॉर्पोरेट शासन प्रणाली हेतु रेटिंग	सीजीआर - 2
मूडीस इन्वेस्टर सर्विस (मूडीस)	**बीएए3 / पी-3**
स्टैंडर्ड एवं पूअर (एस एंड पी)	सीजीआर - 2
क्रेडिट एनालिसिस एवं रिसर्च लि.(सीएआरई)	सीएआरईएए
सावधि जमा कार्यक्रम हेतु निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (आईसीआरए)	CARE AA-
बॉन्ड हेतु निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (आईसीआरए)	MAA+
सीआरआईएसआईएल (क्रिसिल)लि.- बॉड्स हेतु	SS+
ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्रा.लि.- बॉड्स हेतु	बीड्ब्ल्यूआर एएए+
सीआरआईएसआईएल (क्रिसिल)लि.- जमाराशियों के प्रमाण पत्र हेतु	ए1+

Credit Ratings

Agency	Rating Assigned
Corporate Governance Rating by ICRA	CGR-2
Moody's Investor Service (Moody's)	Baa3 / P-3
Standard & Poor's (S&P)	BB(+)/B
Credit Analysis & Research Limited (CARE)	CARE AA-
Investment Information and Credit Rating Agency (ICRA) for Term Deposit Programme	MAA+
Investment Information and Credit Rating Agency (ICRA) for Bonds	ICRA AA-
CRISIL Limited – For Bonds	AA+
Brickwork Ratings India Pvt Limited-For Bonds	BWR AA-
CRISIL Limited – For Certificate of Deposits	A1+

शेयरों का अमूर्तीकरण:

बैंक के शेयरों का लेन-देन अनिवार्य रूप से केवल अमूर्त (डिमेट) रूप में किया जाता है। बैंक ने शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए दोनों निक्षेपागारों यथा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडील) एवं केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएं (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ करार किया है।

यथा 31/03/2016 को शेयरधारकों द्वारा प्रत्यक्ष एवं अमूर्त रूप से धारित शेयरों का ब्योरा निम्नानुसार है :

Dematerialisation of Shares

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31/03/2016 are as under:

		शेयरधारकों की संख्या	शेयरो की संख्या	शेयरधारिता का %
सीडीएसएल	**CDSL**	71011	574035372	70.30
एनएसडीएल	**NSDL**	124674	222366801	27.23
मूर्त	Physical	102154	20150291	2.47
कुल	**Total**	297839	816552464	100.00

शेयरधारिता का पैटर्न यथा 31.03.2016

Shareholding Pattern as on 31.03.2016

शेकारधारकों का प्रवर्ग	Category of Shareholder	शेयरधारकों की संख्या Number of Shareholders	शेयरों की संख्या Number of Shares	शेयरधारिता % % of Holding	लॉक इन के तहत शेयर Shares under Lock in	लॉक इन के तहत शेयरों का % % of Shares under lock in
केन्द्रीय सरकार (प्रवर्तक)	Central Government (Promoters)	1	555372168	68.01	555372168	68.01
म्यूचुअल फंड/यूटीआई	Mutual Funds / UTI	43	6434935	0.79	–	–
वित्तीय संस्थाएं/बैंक	Financial Institutions / Banks	37	2456003	0.30	–	–
बीमा कंपनियां	Insurance Companies	33	138044889	16.91	24639294	3.02
कारपोरेट निकाय	Bodies Corporate	2062	12970710	1.59	–	–
एकल व्यक्ति	Individuals	293083	60912788	7.46	–	–
अनिवासी भारतीय/ओसीबी	Non Resident Indians/ OCB	2457	3231002	0.40	–	–
विदेशी संस्थागत निवेशक	Foreign Institutional Investors	65	19037450	2.33	–	–
विदेशी पोर्टफोलिओ निवेशक	Foreign Portfolio Investors	47	17646636	2.16	–	–
विदेशी बैंक	Foreign Banks	1	16623	0.00	–	–
ट्रस्ट	Trust	10	429260	0.05	–	–
कुल	**Total**	**297839**	**816552464**	**100**	**580011462**	**71.03**

एकल व्यक्तियों (पब्लिक) की शेयरधारिता जो कुल शेयरों की संख्या में से 1% से अधिक का धारण कर रहे हैं।

Shareholding of persons (Public) holding more than 1% of the total number of shares.

शेयरधारक का नाम	Name of the Shareholder	शेयरों की संख्या Number of Shares	शेयरधारिता % % of Holding
भारतीय जीवन बीमा निगम	Life Insurance Corporation of India	119281603	14.61

शेयरधारिता का संवितरण यथा दिनांक 31 मार्च, 2016 :-

Distribution of Shareholdings as on 31st March, 2016:-

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	No of Equity Shares held	फोलियों Folio		शेयर Shares	
		संख्या Nos.	प्रतिशत % age	संख्या Nos.	प्रतिशत % age
500 तक	Upto 500	280087	94.04	34691656	4.25
501 से 1000 तक	501 to 1000	10775	3.62	8138574	1.00
1001 से 5000 तक	1001 to 5000	5874	1.97	12143487	1.48
5001 से 10000 तक	5001 to 10000	555	0.19	4006401	0.49
10001 एवं इससे अधिक	10001 & above	548	0.18	757572346	92.78
कुल	**Total**	**297839**	**100.00**	**816552464**	**100.00**

शेयर मूल्य/मात्रा :

एनएसई में मासिक रूप से उच्च एवं निम्न भाव (कोटेशन) एवं शेयरों के लेन-देन की मात्रा निम्नानुसार है:-

Share Price/Volume :

The monthly high and low quotation and the volume of Shares traded on NSE are as under:-

अवधि	Period	अधिकतम ₹ Highest ₹	न्यूनतम ₹ Lowest ₹	शेयरों के लेन-देन की मात्रा Volume of Share Traded
अप्रैल, 2015	April, 2015	233.20	194.05	52401280
मई, 2015	May, 2015	225.80	188.00	65614351
जून, 2015	June, 2015	199.00	168.10	53226009
जुलाई, 2015	July, 2015	186.90	147.60	60456141
अगस्त, 2015	August, 2015	188.25	131.40	87317122
सितंबर, 2015	September, 2015	145.70	126.00	70648721
अक्तूबर, 2015	October, 2015	149.00	130.45	43326741
नवंबर, 2015	November, 2015	138.85	123.45	53004205
दिसंबर, 2015	December, 2015	132.20	113.25	45251771
जनवरी, 2016	January, 2016	117.75	90.00	63961698
फरवरी, 2016	February, 2016	105.40	80.10	92009190
मार्च, 2016	March, 2016	100.15	84.05	72505993
यथा 31.03.2016 की लेखा बंदी मूल्य	Closing Price as on 31.03.2016			₹ 97.05 (एनएसई)(NSE)
बाजार पूंजीकरण (कुल शेयरों पर आधारित)	Market Capitalisation			₹ 7924.64 करोड़ Crore

व्यापक आधारित सूचियों की तुलना में कार्यनिष्पादन
Performance in comparison to Broad Based Indices

एनएसई में बैंक ऑफ इंडिया का शेयर
Bank of India Share Price on NSE

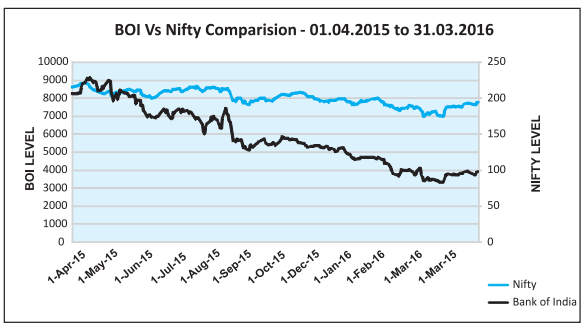

बीएसई में बैंक ऑफ इंडिया का शेयर मूल्य
Bank of India Share Prise on BSE

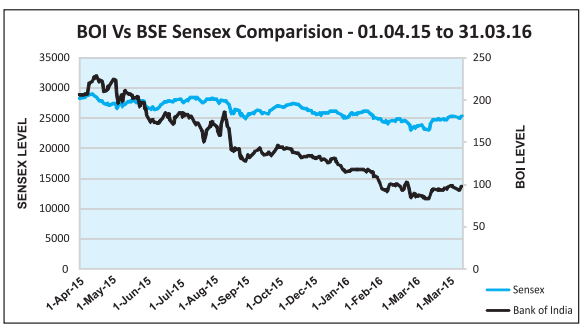

कार्पोरेट शासन के अनिवार्य अनुबंध के अनुपालन का प्रमाणपत्र

स्टॉक एक्स्चेंज के साथ सूचीकरण करार की शर्तों के अनुसार कॉर्पोरेट शासन प्रणाली के अनिवार्य अनुबंध के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है।

अनिवार्य/ गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन

बैंक ने सेबी सूचीबद्ध करार-2015 की अनुसूची II के भाग-ई के तहत उल्लिखित निम्नलिखित अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

Certificate of compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance

The certificate issued by the practising company secretary, regarding compliance of mandatory stipulations of corporate governance in terms of the listing agreement with the Stock Exchange is attached.

Compliance of Mandatory / Non Mandatory Requirements.

The Bank has complied with the following Discretionary Requirement as mentioned under Part –E of Schedule II of SEBI Listing Regulations- 2015.

क्र. सं. Sr. No.	गैर अनिवार्य अपेक्षाएं Non Mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of implementation
1	**बोर्ड** - एक गैर कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय रखने के लिए हकदार। **The Board** - A non executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the company's expense.	अध्यक्ष का पद कार्यपालक का है और बैंक में उनका पृथक कार्यालय है। The Chairman's Position is a Non- Executive and he is having a separate office in the Bank.
2	**शेयरधारकों का अधिकार**- विगत छः महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा शेयरधारकों को भेजी जा सकती है। **Shareholder's Rights-** A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six- months, may be sent to shareholders.	तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरण एवं प्रमुख विशेषताएं एनएसई और बीएसई को भेजी जाती है और अखबारों में प्रकाशित की जाती है तथा बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है। अत: शेयरधारकों को सूचना व्यक्तिश: नहीं भेजी जाती है। The quarterly/year to date/ Annual Financial Results are sent to NSE & BSE & published in Newspapers and placed on Bank's website including highlights. As such, information to Shareholders is not sent individually.
3	**लेखा परीक्षा रिपोर्ट में आशोधित राय(एं)** - सूचीबद्ध संस्था असंशोधित लेखा परीक्षा राय के साथ वित्तीय विवरण की व्यवस्था की ओर अग्रसर हो सकता है। **Modified Opinion (s) in Audit Report** –The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरण असंशोधित लेखा परीक्षा राय के साथ हैं। The bank's Annual Financial Statements are with unmodified audit opinion.
4	**अध्यक्ष एवं सीईओ के पृथक पद** - सूचीबद्ध संस्था अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद के लिए बैंक अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। **Separate Posts of Chairperson and Chief Executive Officer.** The listed entity may appoint Separate persons to the post of Chairperson and Managing Director or Chief executive officer.	बैंक के पास यह पद है। The Bank is having this position.

बोर्ड के निदेशकों के लिए एवं उनकी ओर से

(मलविन रेगो)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक: 14.06.2016

For and on behalf of the Board of Directors

(Melwin Rego)
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : 14.06.2016

कॉर्पोरेट शासन प्रणाली पर प्रमाणपत्र

सदस्यगण
बैंक ऑफ इंडिया
स्टार हाउस ,सी-5,जी ब्लॉक
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बांद्रा (पूर्व)
मुंबई-400 051

हमने 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बी.एस.ई. लिमिटेड (स्टॉक एक्स्चेंज) के साथ हुए सूचीकरण करार के खंड 49 के तहत कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों, जिनका उल्लेख सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17-27, 46 एवं अनुसूची V के प्रावधानों में किया गया है, के अनुपालन के प्रमाणीकरण के प्रयोजन से बैंक ऑफ इंडिया ("दि बैंक कंपनी") के सभी संगत अभिलेखों की जांच की है।

कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी जांच कार्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली तथा उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी । यह प्रमाणपत्र न तो भविष्य में बैंक की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक की दक्षता या प्रभावशीलता से संचालन से संबन्धित है।

हमारी राय में और हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर उल्लेख किए गए सूचीकरण करार और सूचीकरण विनियमों के अनुसार बैंक ने कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों को पूरा किया है।

कृते आर. एस. पडिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
(आईसीएसआई विशिष्ट कोड S2007MH094000)

राजश्री पडिया
एफएससी : 6804
सीपी: 7488

स्थान: मुंबई
दिनांक: 03.05.2016

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

The Members
Bank of India
Star House, C-5, 'G' Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East)
Mumbai 400 051

We have examined all relevant records of Bank of India ("the Bank/Company") for the purpose of certifying compliances of conditions of Corporate Governance under the Clause 49 of the Listing Agreement and the Corporate Governance provisions as specified in the provisions of Regulation 17-27, 46 and Schedule V of the SEBI (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulation,2015 and entered into with National Stock Exchange of India Ltd and Bombay Stock Exchange Limited (Stock Exchanges) for the Financial Year ended 31st March, 2016.

The compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliances of conditions of Corporate governance. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of corporate governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement and Listing Regulations.

For R.S. Padia & Associates
Company Secretaries
(ICSI Unique Code S2007MH094000)

Rajshree Padia
FCS:6804
CP: 7488

Place: Mumbai
Date:03.05.2016

सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल
बैंक ऑफ इंडिया
मुंबई
महोदय,

विषय : वर्ष 2015-16 सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन,2015 की अनुसूची 11 के भाग बी के साथ पढें विनियम 17 (8) के अनुसार हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि :-

क. हमने वर्ष 2015-16 हेतु वित्तीय वितरण और नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

i. इन विवरणों में कोई तात्विक रूप से गलत विवरण नहीं है या इनमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छोड़ा गया है या इसमें कोई ऐसे कथन नहीं हैं तो भ्रम की स्थिति पैदा करती हों।

ii. ये सभी विवरण मिलाकर बैंक की गतिविधियों का सही और उचित स्थिति दर्शाती है और ये वर्तमान लेखांकन मानकों, लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं।

ख हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया है जो धोखाधड़ी पूर्ण हो, अवैध हो अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियम की स्थापना एवं रखरखाव की जिम्मेदारी और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक के आंतरिक नियंत्रण सिस्टम की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना स्वीकार करते हैं और ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन अथवा डिजाइन में कमियों का प्रकटन, यदि कोई हो, लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष किया है जिसके बारे में हमें जानकारी है और इन कमियों को सुधारने के प्रयोजन से हमने कदम उठाए हैं या कदम उठाया जाना प्रस्तावित है।

घ हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समितियों को यह सूचित किया है:-

i. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन

ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनका प्रकटन वित्तीय विवरण कीटिप्पणियों में किया गया है।

iii. ऐसी किसी बड़ी धोखाधड़ी की हमें जानकारी मिली हो और जिसमें प्रबंधन अथवा वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाला कोई कर्मचारी शामिल हो।

कृते बैंक ऑफ इंडिया

ह/	ह/
(जैन भूषण)	**(मेलविन रेगो)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
स्थान : मुंबई	दिनांक 24 मई 2016

CEO / CFO Certification

Board of Directors,
Bank of India,
Mumbai
Dear Sir,

Re: CEO/CFO Certification for the year 2015-16

Pursuant to Regulation 17 (8) read with Part B, Schedule II of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby certify that:

a. We have reviewed financial statement and the cash flow statement for the year 2015-16 and that to the best of our knowledge and belief:
   i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading:
   ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosedto the auditors and the Audit Committee deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.
   i. Significant changes in internal control over financial reporting during the year.
   ii. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements and
   iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Bank of India

Sd/-	**Sd/-**
(Jain Bhushan)	**(Melwyn Rego)**
Chief Financial Officer	Managing Director & CEO
Place: Mumbai	Date: 24th May, 2016

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा घोषणा

बैंक ने सभी निदेशकों और कोर प्रबंधन के लिए अवचरण संहिता निर्धारित की है, जिसका सार बैंक की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है। निदेशक और कोर प्रबंधन ने 31 मार्च 2016 की समाप्ति के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह/	ह/
(जैन भूषण)	**(मेलविन रेगो)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक 24 मई 2016

DECLARATION BY CEO

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the directors and Core Management of the Bank, the text of which is posted on the Bank's website. The Directors and Core Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the financial year ended 31st March, 2016.

Sd/-	**Sd/-**
(Jain Bhushan)	**(Melwyn Rego)**
Chief Financial Officer	Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date:24th May, 2016

यह पृष्ठ खाली छोड़ा गया है
THIS PAGE HAS BEEN LEFT BLANK

बैंक ऑफ़ इंडिया

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2016

एवं

लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु

BANK OF INDIA

BALANCE SHEET

As at 31st March, 2016

&

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

For the Year Ended 31st March, 2016

तुलन-पत्र यथा 31 मार्च, 2016
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2016

(000'छोड़े गए हैं Omitted)

	विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule No.	यथा As at 31-03-2016 ₹	यथा As at 31-03-2015 ₹
I.	पूँजी एवं देयताएं	CAPITAL AND LIABILITIES			
	पूंजी	Capital	1	8,172,916	6,656,476
	आरक्षिती एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	2	301,962,806	307,810,912
	शेयर आवेदन रकम, जो आबंटन हेतु लंबित है	Share Application Money, pending allotment		13,036,480	-
	जमाराशियां	Deposits	3	5,130,045,218	5,319,066,346
	उधार	Borrowings	4	510,831,442	400,571,379
	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other liabilities and provisions	5	135,090,405	152,872,459
	कुल	**TOTAL**		**6,099,139,267**	**6,186,977,572**
II.	आस्तियां	ASSETS			
	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	6	339,616,148	271,700,328
	बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर	Balances with Banks and money at call and short notice	7	651,796,846	455,101,880
	प्राप्य धनराशि	Investments	8	1,188,489,120	1,197,920,482
	निवेश	Advances	9	3,591,889,592	4,020,255,465
	अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	84,803,113	58,855,350
	अन्य आस्तियां	Other Assets	11	242,544,448	183,144,067
	कुल	**TOTAL**		**6,099,139,267**	**6,186,977,572**
	आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	3,538,093,236	3,737,025,949
	वसूली के लिए बिल	Bills for collection		268,975,129	264,123,884
	विशेष लेखा नितियां	Significant Accounting Policies	17		
	लेखे पर नोट	Notes to Accounts	18		

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तुलन-तत्र का अभिन्न अंग है।
The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.
बैंकिंग विनिमयन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म ए के अनुसार तुलन-पत्र तैयार किया गया है।
The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form `A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

जी पद्मनाभन	मेलविन रेगो	बि पी शर्मा	आर पी मराठे	आर ए शंकर नारायणन	जैन भूषण
G Padmanabhan	**Melwyn Rego**	**B P Sharma**	**R P Marathe**	**R A Sankara Narayanan**	**Jain Bhushan**
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chairman	Managing Director & CEO	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

ऐना रॉय Anna Roy
आर सबेस्टीयन R Sebastian
हरविंदर सिंह Harvinder Singh
आर एल बिश्नोई R L Bishnoi
नीरज भाटिया Neeraj Bhatia
संजीव कुमार अरोड़ा Sanjiv Kumar Arora

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते एम एम निस्सीम एंड कं
For M. M. Nissim and Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 107122 डब्ल्यू) (FRN 107122W)
संजय खेमानी Sanjay Khemani
भागीदार Partner
(एम. नं. 044577) M. No. 044577

कृते जे. पी. कपूर एंड उबेराय
For J. P. Kapur & Uberai
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 000593 एन) (FRN 000593N)
अरूण मॅगॉन Arun Magon
भागीदार Partner
(एम. नं. 093323) M. No. 093323

कृते डी. सिंह. एंड कं.
For D. Singh & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 001351 एन) (FRN 001351N)
सिमरन सिंह Simran Singh
भागीदार Partner
(एम. नं. 098641) M. No. 098641

कृते ग्रोवर लल्ला एण्ड मेहता
For Grover Lalla & Mehta
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 002830 एन) (FRN 002830N)
पंकज बंसल Pankaj Bansal
भागीदार Partner
(एम. क्र. 502661) M. No. 502661

कृते बी रतन अँड एसोशिएट्स
For B Rattan & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 011798 एन) (FRN 011798N)
बिशमवर कुमार कर्ण Bishamver Kumar Karn
भागीदार Partner
(एम. क्र. 094790) M. No. 094790

कृते जी डी आपटे अँड कंपनी
For G D Apte & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 100515 डब्ल्यू) (FRN 100515W)
सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe
भागीदार Partner
(एम. क्र. 121546) M. No. 121546

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 24 मई, 2016 / Date : 24th May 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2016

(000's Omitted)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule No.	को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2016 ₹	को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2015 ₹
I. आय	**INCOME**			
अर्जित आय	Interest Earned	13	**417,964,698**	434,647,067
अन्य आय	Other income	14	**36,525,388**	41,979,002
कुल	**TOTAL**		**454,490,087**	**476,626,069**
II. व्यय	**EXPENDITURE**			
व्याय किया गया	Interest expended	15	**300,718,471**	320,862,461
परिचालगत व्यय	Operating expenses	16	**93,415,418**	80,885,870
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions & Contingencies		**121,248,331**	57,788,514
कुल	**TOTAL**		**515,382,220**	**459,536,845**
III. लाभ	**PROFIT**			
वर्ष के लिए निवल लाभ (हानि)	Net Profit/(Loss) for the year		**(60,892,133)**	17,089,224
जोडें : आगे लाया गया लाभ	Add: Profit brought forward		**-**	-
कुल	**TOTAL**		**(60,892,133)**	**17,089,224**
IV. विनियोग	**APPROPRIATIONS**			
सांबंधिक आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		**-**	4,300,000
राजस्व आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Revenue Reserve		**-**	2,404,214
पूंजी आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Capital Reserve		**1,594,680**	887,822
अंतरिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Final Dividend (including dividend tax)		**-**	3,997,188
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	Special Reserve u/s Sec 36(1) (viii) of Income Tax Act,1961		**-**	5,500,000
लाभ हानि खाते में शेष	Balance in Profit and Loss Account		**(62,486,813)**	
कुल	**TOTAL**		**(60,892,133)**	**17,089,224**
महत्वपूर्ण लेखांकित नीतियां	Significant accounting policies	17		
लेखां पर टिप्पणियां	Notes to Accounts	18		
प्रति शेयर आय (मूल एवं तनुकृत)	Earnings Per Share (Basic and Diluted) (₹)		**-83.01**	**26.57**

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तुलन-तत्र का अभिन्न अंग है।
The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.
बैंकिंग विनिमयन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म बी के अनुसार तुलन-पत्र तैयार किया गया है।
The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form `B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

जी पद्मनाभन	मेलविन रेगो	बि पी शर्मा	आर पी मराठे	आर ए शंकर नारायणन	जैन भूषण
G Padmanabhan	**Melwyn Rego**	**B P Sharma**	**R P Marathe**	**R A Sankara Narayanan**	**Jain Bhushan**
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chairman	Managing Director & CEO	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

ऐना रॉय Anna Roy	आर सबेस्टीयन R Sebastian	हरविंदर सिंह Harvinder Singh
आर एल बिश्नोई R L Bishnoi	नीरज भाटिया Neeraj Bhatia	संजीव कुमार अरोड़ा Sanjiv Kumar Arora

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते एम एम निस्सीम एंड कं For M. M. Nissim and Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 107122 डब्ल्यू) (FRN 107122W)	कृते जे. पी. कपूर एंड उबेराय For J. P. Kapur & Uberai सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 000593 एन) (FRN 000593N)	कृते डी. सिंह. एंड कं. For D. Singh & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 001351 एन) (FRN 001351N)
संजय खेमानी Sanjay Khemani भागीदार Partner (एम. नं. 044577) M. No. 044577	अरूण मॅगॉन Arun Magon भागीदार Partner (एम. नं. 093323) M. No. 093323	सिमरन सिंह Simran Singh भागीदार Partner (एम. नं. 098641) M. No. 098641
कृते ग्रोवर लल्ला एण्ड मेहता For Grover Lalla & Mehta सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 002830 एन) (FRN 002830N)	कृते बी रतन अँड एसोशिएटस For B Rattan & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 011798 एन) (FRN 011798N)	कृते जी डी आपटे अँड कंपनी For G D Apte & Co. सनदी लेखाकार Chartered Accountants (एफआरएन 100515 डब्ल्यू) (FRN 100515W)
पंकज बंसल Pankaj Bansal भागीदार Partner (एम. क्र. 502661) M. No. 502661 स्थान : मुंबई / Place : Mumbai दिनांक : 24 मई, 2016 / Date : 24th May 2016	बिशमवर कुमार कर्ण Bishamver Kumar Karn भागीदार Partner (एम. क्र. 094790) M. No. 094790	सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe भागीदार Partner (एम. क्र. 121546) M. No. 121546

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2016

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

	विवरण		Particulars	वर्षान्त/ Year ended 31-03-2016 ₹	वर्षान्त Year ended 31-03-2015 ₹
क.	**परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**	A.	**Cash Flow from Operating Activities:**		
	कर के पहले निवल लाभ		**Net Profit before taxes**	(77,907,669)	17,950,561
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:		**Adjustments for:**		
	निवेशों पर परिशोधन/मूल्यह्रास		Amortisation / Depreciation on Investments	5,825,212	1,637,884
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		Depreciation on Fixed Assets	2,862,628	2,854,180
	आस्तियों की बिक्री पर लाभ		Profit / (Loss) on sale of Fixed Assets	5,239	1,792
	एनपीए के लिए प्रावधान		Provision for NPA	141,019,214	52,274,288
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision for Standard Assets	(1,283,996)	4,085,997
	अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision for Other Assets	(4,978,695)	1,070,851
	गौण बांड्स/आईपीडीआई, अप्पर टियर छ, बांड्स पर ब्याज		Payment / Provision for Interest on Subordinated Bonds, IPDI, Upper Tier II Bonds	11,873,338	10,749,167
	प्राप्त लाभांश		Dividend received	(174,372)	(124,220)
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:		**Adjustments for:**		
	जमाराशियों में बढ़/(घट)		Increase /(Decrease) in Deposits	(189,021,128)	549,325,828
	उधार में बढ़/(घट)		Increase /(Decrease) in Borrowings	86,380,257	(100,983,595)
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में बढ़/(घट)		Increase / (Decrease)in Other Liabilities and Provisions	4,201,829	(28,337,798)
	निवेश में (बढ़)/घट		(Increase) / Decrease in Investments	3,752,380	(55,214,173)
	अग्रिमों में (बढ़)/घट		(Increase)/ Decrease in Advances	287,346,658	(365,194,390)
	अन्य आस्तियों में (बढ़)/घट		(Increase) / Decrease in Other Assets	(46,591,328)	29,483,943
	प्रत्यक्ष कर (भुगतान)/वापसी		Direct Taxes (Paid)/Refund	(3,064,417)	(11,135,046)
	परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क)		**Net Cash Flow from Operating Activities (A)**	**220,245,150**	**108,445,269**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**	B.	**Cash Flow from Investing Activities :**		
	अचल सम्पत्ति की खरीद		Purchase of Fixed Assets	(4,713,632)	(17,168,449)
	अचल सम्पत्ति की बिक्री		Sale of Fixed Assets	4144,167	11,447,349
	प्राप्त लाभांश		Additional investment in Subsidiaries/Joint Ventures/ Associates.	(146,230)	(2,819,823)
	अनुषंगियों के समेकन का प्रभाव		Dividend received	174,372	124,220
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**Net Cash Flow from Investing Activities (B)**	**(4,271,323)**	**(8,416,703)**
ग.	**वित्तपोषण गतिविधयों से नकदी प्रवाह:**	C.	**Cash Flow from Financing Activities:**		
	शेयर पूंजी		Share Capital	1,516,440	226,455
	शेयर प्रीमियम		Share Premium	26,074,760	6,193,545
	शेयर आवेदन रकम		Share Application Money	13,036,480	-
	आईपीडीआई, गौण बांड तथा अप्पर टियर छ बांड (निवल)		IPDI, Subordinated Bonds & Upper Tier II Bonds (Net)	23,879,806	17,279,871
	लाभांश भुगतान		Dividend (Interim & Final) paid	(3,997,188)	-
	आईपीडीआई, गौण बांड अप्पर टियर छ बांड पर ब्याज भुगतान		Interest Paid on IPDI, Subordinated Bonds, Upper Tier II Bonds	(11,873,338)	(10,749,167)
	वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**Net Cash Flow from Financing Activities (C)**	**48,636,960**	**1,2950,704**
	नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (क)+(ख)+(ग)		**Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)**	**264,610,787**	**112,979,270**
	1 अप्रैल को नकदी एवं नकदी समतुल्य का आरंभिक शेष		**Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year**	**726,802,208**	**613,822,938**
	31 मार्च को नकदी एवं नकदी समतुल्य		**Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**	**991,412,994**	**726,802,208**

जी पद्मनाभन
G Padmanabhan
अध्यक्ष
Chairman

मेलविन रेगो
Melwyn Rego
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Managing Director & CEO

बि पी शर्मा
B P Sharma
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

आर पी मराठे
R P Marathe
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

आर ए शंकर नारायणन
R A Sankara Narayanan
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

जैन भूषण
Jain Bhushan
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

ऐना रॉय Anna Roy
आर एल बिश्नोई R L Bishnoi

आर सबेस्टीयन R Sebastian
नीरज भाटिया Neeraj Bhatia

हरविंदर सिंह Harvinder Singh
संजीव कुमार अरोड़ा Sanjiv Kumar Arora

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते एम एम निस्सीम एंड कं
For M. M. Nissim and Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 107122 डब्ल्यू) (FRN 107122W)

संजय खेमानी Sanjay Khemani
भागीदार Partner
(एम. नं. 044577) M. No. 044577

कृते जे. पी. कपूर एंड उबेराय
For J. P. Kapur & Uberai
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 000593 एन) (FRN 000593N)

अरूण मॅगॉन Arun Magon
भागीदार Partner
(एम. नं. 093323) M. No. 093323

कृते डी. सिंह. एंड कं.
For D. Singh & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 001351 एन) (FRN 001351N)

सिमरन सिंह Simran Singh
भागीदार Partner
(एम. नं. 098641) M. No. 098641

कृते ग्रोवर लल्ला एण्ड मेहता
For Grover Lalla & Mehta
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 002830 एन) (FRN 002830N)

पंकज बंसल Pankaj Bansal
भागीदार Partner
(एम. क्र. 502661) M. No. 502661

कृते बी रतन अँड एसोशिएटस
For B Rattan & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 011798 एन) (FRN 011798N)

बिशमवर कुमार कर्ण Bishamver Kumar Karn
भागीदार Partner
(एम. क्र. 094790) M. No. 094790

कृते जी डी आपटे अँड कंपनी
For G.D Apte & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 100515 डब्ल्यू) (FRN 100515W)

सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe
भागीदार Partner
(एम. क्र. 121546) M. No. 121546

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनाक : 24 मई, 2016 / Date : 24th May 2016

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's Omitted)

		As at 31-03-2016 ₹	As at 31-03-2015 ₹
अनुसूची - 1 : पूँजी	**SCHEDULE- 1 : CAPITAL**		
प्राधिकृत	**AUTHORISED**		
300,00,00,000 (पिछले वर्ष 300,00,00,000) ₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	300,00,00,000 (Previous year 300,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10 each	**30,000,000**	**30,000,000**
जारी एवं अभिदत्त	**ISSUED AND SUBSCRIBED**		
प्रत्येक ₹ 10 के 81,77,29,564 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 66,60,85,615)	81,77,29,564 Equity Shares (Previous year ended 66,60,85,615) of ₹ 10 each	8,177,296	6,660,856
कुल	**TOTAL**	**8,177,296**	**6,660,856**
प्रदत्त पूंजी	**PAID-UP CAPITAL**		
प्रत्येक ₹ 10 के 81,65,52,464 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 66,49,08,515)	81,65,52,464 Equity Shares (Previous year ended 66,49,08,515) of ₹ 10 each	8,165,525	6,649,085
जोडें: जब्त शेयरों की राशि	Add: Amount of shares forfeited	7,391	7,391
कुल	**TOTAL***	**8,172,916**	**6,656,476**
उपरोक्त में से केन्द्र सरकार द्वारा धारित ₹ 555.37 करोड़ (पिछले वर्ष की समाप्ति पर ₹ 428.37 करोड़) की पूर्णत: प्रदत्त ₹ 10 प्रत्येक के ₹ 55,53,72,168 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष की समाप्ति पर 42,83,67,51)	* Of the above, 55,53,72,168 Equity Shares (Previous year ended 42,83,67,513) of ₹10 each fully paid up amounting to ₹ 555.37 crores (Previous year ended ₹ 428.37 crores) is held by Central Government;		
अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष	**SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS**		
	I. Statutory Reserve:		
	Opening Balance	70,868,842	66,568,842
	Additions during the year	-	4,300,000
	TOTAL (I)	**70,868,842**	**70,868,842**
I. पूँजी आरक्षितियां :	**II. Capital Reserves:**		
अ. पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति :	A) Revaluation Reserve:		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	35,551,465	37,421,818
जोडें : परिसर के पुनर्मूल्यांकन परवर्ष के दौरान जोड़े गए	Add: Addition during the year on Revaluation of Premises	29,007,004	-
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन	Less: Adjustments during the year	154,114	-
घटाएं : लाभ हानि खाते को अंतरित पुनर्मूल्यांकित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	Less: Depreciation on revalued Fixed Assets transferred to P/L	4,336,725	1,870,353
का कुल	**Total of (A)**	**60,067,630**	**35,551,465**
ब. अन्य	B) Others:		
निवेश आरक्षितियां	i. Investment Reserves		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	9,689,485	8,801,663
वर्ष के दौरान संवर्धन	Additions during the year	1,594,680	887,822
का उप-जोड	**Sub-total of (i)**	**11,284,165**	**9,689,485**
विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिती	ii. Foreign Currency Translation Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	13,976,622	16,381,758
जोड़ें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान संवर्धन समायोजन (निवल)	Add/ (Less) : Additions / adjustments during the year (Net)	4,453,103	(2,405,136)
का उप-जोड़	**Sub-total of (ii)**	**18,429,725**	**13,976,622**
का कुल	**Total of (B)**	**29,713,890**	**23,666,107**
कुल (II)	**TOTAL (II)**	**89,781,520**	**59,217,572**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's Omitted)

		As at 31-03-2016 ₹	As at 31-03-2015 ₹
II. शेयर प्रीमियम :	**III. Share Premium :**		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	62,043,011	55,849,466
जोडें: वर्ष के दौरान संवर्धन	Add: Additions during the year	26,074,760	6,193,545
कुल (III)	**TOTAL (III)**	**88,117,771**	**62,043,011**
अनुसूची - 2 : अरक्षितियां एवं अधिशेष (जारी)	**SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS (contd.)**		
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां :	**IV. Revenue and Other Reserves :**		
i) राजस्व आरक्षिति :	i) Revenue Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	93,981,487	91,577,273
जोडें : वर्ष के दौरान संवर्धन	Add: Additions during the year	-	2,404,214
वर्ष के दौरान कटौतियां	Deductions during the year	-	-
का उप-जोड	**Sub-total of IV(i)**	**93,981,487**	**93,981,487**
ii) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(ग्ग) के अंतर्गत विशेष आरक्षिती	ii) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	21,700,000	16,200,000
जोडें : वर्ष के दौरान संवर्धन	Additions during the year	-	5,500,000
का उप-जोड	**Sub-total of IV(ii)**	**21,700,000**	**21,700,000**
कुल	**TOTAL (IV)**	**115,681,487**	**115,681,487**
V. लाभ-हानि खाते में शेष :	**V. Balance in Consolidated Profit and Loss Account**	**(62,486,813)**	**-**
कुल (I TO V)	**TOTAL (I TO V)**	**301,962,806**	**307,810,912**
अनुसूची - 3 : जमाराशियां	**SCHEDULE - 3 : DEPOSITS**		
ए. I. मांग जमाराशियां :	**A. I. Demand Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	5,642,017	4,844,189
ii) अन्य से	ii) From Others	229,528,722	209,912,303
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**235,170,739**	**214,756,492**
II. बचत बैंक जमाराशियां	**II. Savings Bank Deposits**	**1,092,074,358**	**971,336,707**
III. मीयादी जमाराशियां :	**III. Term Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	694,759,054	613,716,189
ii) अन्य से	ii) From Others	3,108,041,067	3,519,256,958
कुल (III)	**TOTAL (III)**	**3,802,800,121**	**4,132,973,147**
कुल ए (I to III)	**TOTAL A (I to III)**	**5,130,045,218**	**5,319,066,346**
ब. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां	**B.** i) Deposits of branches in India	3,773,083,008	3,979,998,997
ii) भारत से बाहर की शाखाओं की जमाराशियां	ii) Deposits of branches outside India	1,356,962,210	1,339,067,349
कुल (ब)	**TOTAL (B)**	**5,130,045,218**	**5,319,066,346**
अनुसूची - 4 : उधार	**SCHEDULE - 4 : BORROWINGS**		
I. भारत में उधार:	**I. Borrowings in India:**		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक	i. Reserve Bank of India	97,550,000	20,816,844
ii. अन्य बैंक	ii. Other Banks		
ए. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	6,712,000	6,821,000
बी. अपर टियर II पूँजी	b. Upper Tier II Capital	680,000	680,000
सी. प्रतिभूतिरहित गैर-परिवर्तनीय मोचनीय बंधपत्र	c. Unsecured Non-convertible Redeemable Bonds	50,000	510,000
(टियर - II पूँजी के लिए गौण ऋण)	(Subordinated for Tier-II Capital)		
डी .अन्य	d. Others	24,911,880	19,750,762
कुल (ii)	**Total (ii)**	**32,353,880**	**27,761,762**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's Omitted)

		As at 31-03-2016 ₹	As at 31-03-2015 ₹
III) अन्य संस्थाएं और अधिकरण	III) **Other Institutions and Agencies**		
ए . टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	35,088,000	34,979,000
बी. अपर टियर II पूँजीत	b. Upper Tier II Capital	41,640,000	41,640,000
सी. प्रतिभूतिरहित गैर-परिवर्तनीय मोचनीय बंधपत्र (टियर-II पूँजी के लिए गौण ऋण)	c. Unsecured Non-convertible Redeemable Bonds (Subordinated for Tier-II Capital)	46,950,000	23,990,000
डी. अन्य	d. Others	6,061,022	53,822,916
कुल **(iii)**	**Total (iii)**	**129,739,022**	**154,431,916**
कुल (i)	**Total (I)**	**259,642,902**	**203,010,522**
II. भारत के बाहर से उधार	**II. Borrowings outside India**		
ए. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	**5,661,873**	5,323,366
बी. अपर टियर II पूँजी	b. Upper Tier II Capital	**15,970,865**	14,929,566
सी. अन्य	c. Others	**229,555,802**	177,307,925
कुल **(II)**	**Total (II)**	**251,188,540**	**197,560,857**
कुल **(I & II)**	**Total (I & II)**	**510,831,442**	**400,571,379**
ऊपर सम्मिलित प्रतिभूति उधार	**Secured borrowings included in above**	**97,550,000**	**40,306,953**
अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान	**SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**		
I. देय बिल	I. Bills Payable	11,604,917	11,124,084
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter-office adjustments (net)	-	-
III. उपार्जित आय	III. Interest Accrued	22,741,297	26,683,953
IV. आस्थगित कर देयता	IV. Deferred Tax liability	-	6,689,896
V. अन्य (प्रावधान सहित)	V. Others (Including Provisions)	100,744,191	108,374,526
कुल	**TOTAL**	**135,090,405**	**152,872,459**
अनुसूची-6 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद एवं शेषराशि	**SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**		
I. **हाथ में नकदी**	I. **Cash in hand**	**26,310,955**	**22,711,915**
(विदेशी मुद्रा और सोने सहित)	(including foreign currency notes & Gold)		
II. **रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पास शेषराशि :***	II. **Balances with Reserve Bank of India : ***		
i) चालू खातों में	i) In Current Account	313,305,193	248,988,413
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Accounts	-	-
कुल (II)	**TOTAL (II)**	**313,305,193**	**248,988,413**
कुल (I & II)	**TOTAL (I & II)**	**339,616,148**	**271,700,328**
***भारत के बाहर के केंद्रीय बैंकों के पास शेषराशि**	* Including balances with Central Banks outside India		
अनुसूची - 7 : बैंकों के पास शेषराशि और मांग एवं अल्प सूचना पर धन	**SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE**		
I. भारत में :	**I. In India :**		
i) बैंकों के पास शेषराशि	i) Balances with Banks		
ए) चालू खातों में	a) in Current Accounts	1,903,759	3,883,687
बी) अन्य जमाराशि खातों में	b) in Other Deposit Accounts	36,440,250	53,154,710
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धन	ii) Money at call and short notice		
ए) बैंकों के पास	a) With Banks	-	-
बी) अन्य संस्थाओं के पास	b) With Other Institutions	60,000,000	-
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**98,344,009**	**57,038,397**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's Omitted)

		As at 31-03-2016 ₹	As at 31-03-2015 ₹
II. भारत के बाहर :	**II. Outside India :**		
i) चालू खातों मे	i) In Current Accounts	7,059,502	7,679,530
ii) अन्य जमाराशि खातों में	ii) In Other Deposit Accounts	388,873,694	253,681,100
iii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धन	iii) Money at call and short notice	157,519,641	136,702,853
कुल (II)	**TOTAL (II)**	**553,452,837**	**398,063,483**
कुल (I & II)	**TOTAL (I & II)**	**651,796,846**	**455,101,880**
अनुसूची - 8 : निवेश	**SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS**		
I. भारत में निवेश :	**I. Investments in India :**		
i) सरकरी प्रतिभूतियां	i) Government Securities	1,035,861,770	1,019,949,212
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other approved Securities	-	-
iii) शेयर	iii) Shares	8,828,791	12,200,057
iv) डिबेंचर एवं बांड	iv) Debentures and Bonds	55,140,379	77,181,988
v) अनुषंगियां एवं सहायक कंपनियां	v) Subsidiaries and Associates	5,010,064	4,863,834
vi) अन्य (वाणिज्यिक दस्तावेज, म्यूचुअल फंड के यूनिट, पास थ्रू सर्टिफिकेट, प्रतिभूति रसीदें, जोखिम फंड, इत्यादि)	vi) Others (Commercial Papers, Units of Mutual Funds, Pass Through Certificates, Security Receipts, Venture Fund etc.)	31,266,605	34,522,181
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**1,136,107,609**	**1,148,717,272**
सकल	Gross	1,144,755,045	1,153,542,504
घटाएं: मूल्यह्रास एवं परिशोधन	Less: Depreciation and Amortisation	8,647,436	4,825,232
निवल	**Net**	**1,136,107,609**	**1,148,717,272**
II. भारत के बाहर निवेश:	**II. Investments outside India :**		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणाँ सहित)	i) Government Securities (including local authorities)	38,892,709	30,837,307
ii) विदेश में अनुषंगियां और/अथवा संयुक्त उद्यम	ii) In Subsidiaries and/or joint ventures abroad	7,013,247	7,013,247
iii) अन्य निवेश (डिबेंचर एवं बांड)	iii) Other Investments (Debentures, Bonds etc.)	6,475,555	11,352,656
कुल (II)	**TOTAL (II)**	**52,381,511**	**49,203,210**
सकल	Gross	58,329,129	55,062,061
घटाएं: मूल्यह्रास एवं परिशोधन	Less: Depreciation and Amortisation	5,947,618	5,858,851
निवल	**Net**	**52,381,511**	**49,203,210**
कुल (I & II)	**TOTAL (I & II)**	**1,188,489,120**	**1,197,920,482**
अनुसूची - 9 : अग्रिम	**SCHEDULE - 9 : ADVANCES**		
ए. i) खरीदे गए और छूटप्राप्त बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	506,741,523	591,519,311
ii) कैश क्रेड्ट, ओवरड्रफ्ट और मांग पर चुकाने योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	1,442,313,274	1,650,651,887
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	1,642,834,795	1,778,084,267
कुल (ए)	**TOTAL (A)**	**3,591,889,592**	**4,020,255,465**
बी. अग्रिमों का विवरण :	**B. Particulars of Advances :**		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के निमित्त अग्रिमें सहित)	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	2,456,458,128	2,840,995,407
ii) बैंक/सरकरी गारंटी द्वारा कवर किया गया	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	564,085,027	576,630,755
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	571,346,437	602,629,303
कुल (बी)	**TOTAL (B)**	**3,591,889,592**	**4,020,255,465**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's Omitted)

		As at 31-03-2016 ₹	As at 31-03-2015 ₹
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण :	**C. Sectoral Classification of Advances :**		
I. भारत में अग्रिम	**I. Advances in India**		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i) Priority Sector	918,603,215	850,784,313
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	321,043,951	498,881,325
iii) बैंक	iii) Banks	1,514,066	6,588,802
iv) अन्य	iv) Others	1,247,792,671	1,452,545,005
कुल (C-I)	**Total (C-I)**	**2,488,953,903**	**2,808,799,445**
II. भारत के बाहरअग्रिम :	**II Advances outside India :**		
i) बैंकों से ड्यू	i) Due from Banks	354,336,519	289,330,084
II) अन्य से ड्यू	II) Due from others		
ए) खरीदे गए और छूटप्राप्त बिल	a) Bills Purchased and Discounted	101,062,953	206,785,904
बी) समूहजन्य ऋण	b) Syndicated Loans	187,682,606	97,961,129
सी) अन्य	c) Others	459,853,611	617,378,903
कुल **(C-II)**	**TOTAL (C-II)**	**1,102,935,689**	**1,211,456,020**
कुल **(C - I, C - II)**	**TOTAL (C - I, C - II)**	**3,591,889,592**	**4,020,255,465**
अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां	**SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS**		
I. परिसर :	**I. PREMISES :**		
प्रारंभिक शेष, लागत पर	Opening Balance at cost	14,746,006	13,529,516
वर्ष के दौरान जोड / समायोजन	Additions /Adjustments during the year	774,466	1,263,998
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	5,481	47,508
उप-जोड	**Sub-total**	**15,514,991**	**14,746,006**
पुनर्मूल्यांकन के कारण तिथि पर जोड़	Addition to date on account of revaluation	76,065,902	47,212,385
घटाएं : तिथि पर मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकन - पिछले वर्षात ₹ 116,60,921 के कारण ₹159,97,646 सहित	Less : Depreciation to date (including ₹159,97,646 on account of revaluation - Previous year end ₹116,60,921)	20,338,034	15,424,892
कुल -(I)	**TOTAL (I)**	**71,242,859**	**46,533,499**
II. अन्य अचल आस्तियां :	**II. OTHER FIXED ASSETS :**		
(फर्नीचर एवं फिक्स्चर सहित)	**(including Furniture and Fixtures)**		
प्रारंभिक शेष, लागत पर	Opening Balance at cost	25,694,378	21,072,665
वर्ष के दौरान जोड / समायोजन	Additions / Adjustments during the year	3,160,031	16,203,832
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन	Less:Deductions / Adjustments during the year	518,266	11,582,119
उप-जोड	**Sub-total**	**28,336,144**	**25,694,378**
घटाएं: तिथि पर मूल्यह्रास	Less: Depreciation to date	16,681,225	14,498,728
जोड **(II)**	**TOTAL (II)**	**11,654,919**	**11,195,650**
III. निर्माणधीन पूँजीगत कार्य	**III. CAPITAL WORK IN PROGRESS**	**1,905,335**	**1,126,201**
जोड **(I to III)**	**TOTAL (I to III)**	**84,803,113**	**58,855,350**
अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां	**SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS**		
I. अंतर-ऑफिस समायोजन (निवल)	I. Inter Office Adjustment (Net)	21,805,906	3,005,556
II. उपचित ब्याज	II. Interest Accrued	26,460,643	25,083,056
III. अग्रिम में अदा किया गया कर / स्रोत पर काटा गया कर (निवल)	III. Tax paid in advance/tax deducted at source (Net)	39,621,696	53,289,119
IV. स्टेशनरी एवं स्टांप	IV. Stationery and Stamps	44,660	30,683
V. आस्थगित कर आस्तियां (निव)	V. Deferred Tax Assets	27,775,680	1,299,204
VI. अन्य	VI. Others	126,835,863	100,436,449
कुल	**TOTAL**	**242,544,448**	**183,144,067**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's Omitted)

		As at 31-03-2016 ₹	As at 31-03-2015 ₹
अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं	**SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES**		
I. ऋण के ऋप में नहीं माने गए बैंक के निमित्त दावे	I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	11,351,207	11,593,142
II. आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	II. Liability for partly paid Investments	564,701	1,451,123
III. अतिदेय वयदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	2,672,133,451	2,702,362,773
IV. घटकों के पक्ष में दी गई गारंटी:	IV. Guarantees given on behalf of Constituents :		
ए. भारत में	a. In India	206,825,665	199,918,670
बी. भारत के बाहर	b. Outside India	138,056,151	109,859,429
V. स्वीकार, पृष्ठांकन एवं अन्य बाध्यताएं	V. Acceptances, endorsements and other obligations	221,879,503	390,102,564
VI. उपरोक्त III में सूचीबद्ध के अलावा व्यूत्पन्नी संविदाएं	VI. Derivative contracts other than listed at III above	283,574,642	288,018,476
VII. अन्य मदें जिसके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	VII. Other items for which the Bank is contingently liable	3,707,915	33,719,772
कुल	**TOTAL**	**3,538,093,236**	**3,737,025,949**
अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज	**SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED**		
I. अग्रिम/बिल पर ब्याज/छूट	I. Interest/Discount on advances/bills	303,709,040	316,781,622
II. निवेशों पर आय	II. Income on Investments	89,521,346	94,347,019
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि पर ब्याज और अन्य अंतर-बैंक निधियां	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	21,209,422	18,584,465
IV. अन्य	IV. Others	3,524,890	4,933,961
कुल	**TOTAL**	**417,964,698**	**434,647,067**
अनुसूची - 14 : अन्य आय	**SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME**		
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली	I. Commission, exchange and brokerage	14,034,992	16,100,216
II. निवेशों की बिक्री पर घटाएं: निवेशों की बिक्री पर हानि	II. Profit on sale of Investments 7,706,859 9,608,025 Less : Loss on sale of Investments 211,387 298,677	7,495,472	9,309,448
III. जमीन, बिल्डिंग और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ घटाएं:जमीन, बिल्डिंग और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि	III. Profit on sale of land, buildings and other assets Less : Loss on sale of land, buildings and other assets	-	-
IV. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि	IV. Profit on exchange transactions 6,628,424 6,864,157 Less: Loss on Exchange Transactions 7,683 –	6,620,741	6,864,157
V. अनुषंगी/कंपनी और/अथवा संयुक उद्यमों से लाभांश उत्यादि द्वरा अर्जित आय	V. Income earned by way of dividends etc., from subsidiaries / cos. and/or JVs	174,372	124,220
VI. विविध आय	VI. Miscellaneous Income	8,199,812	9,580,961
कुल	**TOTAL**	**36,525,388**	**41,979,002**
अनुसूची - 15 : अदा किया गया ब्याज	**SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED**		
I. जमाराशियों पर ब्याज	I. Interest on Deposits	269,274,739	289,214,084
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधार पर ब्याज	II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	19,176,695	16,140,749
III. अन्य:	III. Others	12,267,037	15,507,628
कुल	**TOTAL**	**300,718,471**	**320,862,461**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000's Omitted)

				As at 31-03-2016 ₹	As at 31-03-2015 ₹
अनुसूची - 16 : परिचालन खर्चे	SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES				
I. कर्मचरियों को भुगतान एवं प्रावधान	I. Payments to and provisions for employees			53,572,386	49,858,217
किराया, कर एवं लाइटिंग	II. Rent, Taxes and Lighting			6,392,883	5,983,489
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	III. Printing and Stationery			770,021	776,414
विज्ञापन एवं प्रचार	IV. Advertisement and Publicity			409,524	1,099,289
बैंक की संपदा का मूल्यह्रास	V. Depreciation on Bank's property	7,199,353	4,724,533		
घटाएं: अचल संपदाओं के पुनर्मूल्यांकन के कारण पूंजी आरक्षिती से समायोजित मूल्यह्रास	Less : Depreciation adjusted from capital reserve on account of revaluation of immovable properties	4,336,725	1,870,383		
				2,862,628	2,854,180
निदेशकों का शुल्क, भत्ते और खर्चे	VI. Directors' fees, allowances and expenses			3,218	1,480
लेखा-परीक्षकों का शुल्क और खर्चे (शाखा के लेखा-परीक्षकों के शुल्क एवं भत्ते सहित)	VII. Auditors' fees and expenses (Including brach Auditors' fees & expenses) A			672,347	515,421
कानून प्रभार	VIII. Law Charges			259,187	282,454
डाक-खर्च, टेलिग्राम,टेलिफोन, इत्यादि	IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.			972,929	841,354
मरम्मत एवं रखरखाव	X. Repairs and Maintenance			630,806	629,512
बीमा	XI. Insurance			3,955,905	3,594,304
अन्य खर्चे **	XII. Other Expenditure **			22,913,584	14,449,756
कुल	**TOTAL**			**93,415,418**	**80,885,870**

**** इस राशि में अनर्जक आस्तियों की बिक्री से हुई हानि ₹ 773.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 99.83करोड़) शामिल है।**

**** The amount includes ₹ 773.14 Crores (Previous Year ₹ 99.83 Crores) of loss due to sale of Non Performing Assets**

अनुसूची - 17:
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1) लेखांकन का आधार

संलग्न समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) प्रचलित विचार धारा का पालन करते हुए, परम्परागत लागत आधार पर तथा भारत में सामान्यत: अपनाए जाने वाले लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) पर तैयार किए गए हैं, जो लागू सांविधिक उपबंधों के अनुरुप भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंड, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) और निर्णय के अनुरुप हैं। विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबंधों तथा लेखांकन पद्धितियों का अनुपालन किया है, सिवाय उनके जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट किया गया है।

2) प्राक्कलन का प्रयोग

वित्तीय विवरण के लेखांकन के लिए यथा दिनांकित वित्तीय विवरणों की आस्तियाँ एवं देयताओं की रिपोर्ट की गई राशि वं रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट की गई आय एवं खर्च के ह्याना में रखते हुए प्रबंधन आकलन एवं अनुमान करता है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण एवं यथोचित हैं। यद्यपि वास्तविक परिणाम अनुमान से भिन्न हो सकता है। अनुमान के लेखांकन में कोई भी परिशोधन चालू एवं भविष्य की अवधियों में दूरदर्शिता से स्वीकृत किया जाता है।

3. राजस्व पहचान

(क) आय/व्यय का लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो। विदेशी कार्यालयों के संबंध में उस संबंधित देश के स्थानीय कानून के अनुसार आय निर्धारित की जाएगी।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सिवाय (ग) अनुत्पादक आस्तियों पर ब्याज के जिसकी वसूली होने पर निर्धारण किया जाता है, समय अनुपात के आधार पर ब्याज आय का निर्धारण किया जाता है।

(ग) बैंक गारंटी और साख पत्र जारी करने पर कमीशन का उपचय बीजी/एलसी के कार्यकाल पर होता है।

(घ) अन्य सभी कमीशन और विनिमय, ब्रोकरेज, शुल्क तथा अन्य प्रभारों के वसूली पर आय के रूप में निर्धारण किया जाता है।

ङ परिपक्वता तक धारित श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज के अलावा) उसके अंकित मूल्य पर प्राप्त छूट पर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।

1. ब्याज देने वाले प्रतिभूतियों पर केवल बिक्री/रीडेम्पशन के समय ही इसका निर्धारण किया जाता है।

2. जीरो-कूपन प्रतिभूतियों पर निरंतर प्रतिफल के आधार पर प्रतिभूति के शेष परिपक्वता काल पर इसका लेखांकन किया जाता है।

च. निवेशों की बिक्री से हुए लाभ अथवा हानि को लाभ तथा हानि खाते में मान्यता दी जाती है। तथापि 'परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के तहत निवेशों की बिक्री में लाभ की स्थिति में करों के निवल और सांविधिक राजस्व में अंतरण के लिए आवश्यक राशि के समान राशि को 'पूंजी राजस्व खाते" में विनियोजित किया जाता है।

SCHEDULE 17:

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1) BASIS OF PREPARATION:

The financial statements are prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform, in all material aspects, to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and accounting practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

2) USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However actual results can differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3) REVENUE RECOGNITION:

(a) Income/Expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In respect of foreign offices, income/expenditure is recognised as per local laws of host country.

(b) Interest income is recognised on time proportion basis except (i) interest on Non-performing Assets, which is recognised on realisation, in terms of the RBI guidelines.

(c) Commission on issue of Bank Guarantee and Letter of Credit is accrued over the tenure of BG/LC.

(d) All other Commission and Exchange, Brokerage, Fees and other charges are recognised as income on realisation.

(e) Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:

1. On Interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.

2. On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

(f) Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss account. However, in case of profit on sale of investments under 'Held to Maturity' category, an equivalent amount, net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves, is appropriated to 'Capital Reserve Account'.

(छ) लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर लाभांश का निर्धारण किया जाता है।

(ज) मूल्यांकन आदेश पास करने के वर्ष में आयकर- रिफंड पर ब्याज का निर्धारण किया जाता है।

(झ) एनपीए खातों से की गई वसूली का विनियोजन पहले उधारकर्ता के खाते में डेबिट किए गए अप्राप्त ब्याज/आय, किए गए व्यय/आउट ऑफ पॉकेट व्यय उसके बाद बकाया मूलधन और अंत में अप्रभारित ब्याज में विनियोजित की जाती है।

4) अग्रिम:

(क) लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसरण में अग्रिम को उत्पादक और अनुत्पादक अग्रिमों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को आगे अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ग) घरेलू शाखाओं के संबंध में एनपीए से संबंधित प्रावधान बैंक की नीति के अनुसार विशेषकर एनपीए का त्वरित प्रावधानीकरण के अनुसार किया गया है जिसका दर निम्नानुसार है

(g) Dividend is recognised when the right to receive the dividend is established.

(h) Interest on Income-tax refund is recognised in the year of passing of assessment order.

(i) The recoveries made from NPA accounts are appropriated first towards unrealised interest/income debited to borrowers accounts, expenditure/out of pocket expenses incurred, then principal dues and lastly towards uncharged interest.

4) ADVANCES:

(a) Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing Advances" (NPAs) in accordance with the applicable regulatory guidelines.

(b) NPAs are further classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets in terms of applicable regulatory guidelines.

(c) In respect of domestic branches, Provisions in respect of NPAs is made as per policy of the bank particularly in accelerated provisioning for NPAs which is at the rate given as under:

एनपीए का श्रेणी	Category of NPAs	% of net outstanding advance
अवमानक आस्ति*	Sub Standard:*	
क) एक्सपोज़र, जो आरंभ से गैर जमानती है	a) Exposures, which are unsecured ab initio	25%
ख) अन्य	b) Others	15%
संदिग्ध :	Doubtful:	
क) जमानती हिस्सा (उस अवधि के लिए जिसके दौरान अग्रिम संदिग्ध श्रेणी में ही रहा)	a) Secured portion (Period for which advance has remained in doubtful category)	
- एक वर्ष से तीन वर्ष तक	- Upto one year	25%
- एक वर्ष से तीन वर्ष तक	- One year to three years	40%
- तीन वर्ष से अधिक	- More than three years	100%
ख) गैर जमानती हिस्सा	b) Unsecured portion	100%
हानि	Loss	100%

* बकाया अग्रिम पर

* on the outstanding advance

(घ) विदेशी शाखाओं के संबंध में, अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण और एनपीए के संबंध में प्रावधान संबंधित विदेशी देश में लागू विनियामक आवश्यकताओं अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार होगी इनमें से जो भी कड़े हो।

(ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार निवल अग्रिम के परिकलन हेतु कुल अग्रिमों में से अनुत्पादक आस्तियां, अवसूलीकृत ब्याज, इसीजीसी दावा निपटान इत्यादि के संबंध में प्रावधान घटाए जाते हैं।

(च) पुनर्निधारित/पुन:संरचित खातों के संबंध में विद्यमान मूल्य स्थिति में आकलित ब्याज पुनर्संरचित अग्रिम के मूल्य में ह्रास के परित्याग के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। निवल अग्रिम के परिकलन हेतु इस प्रावधान को घटाया जाता है।

(छ) आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय आस्तियां बेच देने के मामले में यदि बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो अतिरिक्त राशि को रखा जाता है और एससी/एआरसी को अन्य वित्तीय आस्तियों की बिक्री में होनेवाली कमी/हानि की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाता है। यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से नीचे है (अर्थात् रखे गए प्रावधान से कम बकाया) तो कमी को लाभ एवं हानि खाते में

(d) In respect of foreign branches, classification of advances as NPAs and provision in respect of NPAs is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.

(e) Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims settled, etc., are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.

(f) In respect of Rescheduled/Restructured advances, provision is made for the diminution in the fair value of restructured advances measured in present value terms as per RBI guidelines. The said provision is reduced to arrive at Net advances.

(g) In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price higher than the NBV, the surplus is retained and utilised to meet the shortfall/loss on account of sale of other

नामे किया जाता है। यदि अतिरिक्त राशि उपलब्ध है तो ऐसी कमी को उसमें खपाया जाएगा। 26.02.2014 को अथवा उसके बाद एनपीए की बिक्री से उत्पन्न किसी भी कमी को यदि अतिरिक्त राशि में खपाया नहीं जाता है तो उसे दो वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित किया जाएगा।

एनपीए की बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त प्रावधान को तभी रिवर्स किया जाएगा जब आस्ति का निवल बही मूल्य प्राप्त नकदी (केवल प्रारंभिक प्रतिफल द्वारा/अथवा एसआरएस/पीटीसी का रीडेम्पशन) से अधिक होगा। अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी के उस हद तक सीमित होगी।

(ज) मानक के रूप में वर्गीकृत पुनर्गठित अग्रिमों सहित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। विदेशी शाखाओं के संबंध में मानक आस्तियों हेतु प्रावधान संबंधित देश में प्रचलित अथवा घरेलू शाखाओं को लागू दिशानिर्देश, जो भी सख्त हो, की विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।

(झ) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल निधिक देश के एक्सपो. जर के लिए श्रेणीबद्ध स्केल पर प्रावधान किया जाता है।

5) अस्थायी प्रावधान:

बैंक में अस्थायी प्रावधान का सृजन करने और उसका उपयोग करने की नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सृजित की जाने वाली अस्थायी प्रावधान की प्रमात्रा का निर्धारण किया जाता है। अस्थायी प्रावधान का उपयोग नीति में निर्धारित केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अथवा किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई विशेष अनुमति से ही किया जाता है।

6) डेबिट/क्रेडिट कार्ड रिवार्ड प्वाइंट :

बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में रिवार्ड पॉइंट का प्रावधान बीमांकिक आकलन के आधार किया जाता है और क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट के लिए प्रावधान संचित बकाया पॉइंट के आधार पर किया जाता है।

7) निवेश :

ए) सरकारी प्रतिभूतियों में संव्यवहारों का निपटान दिनांक को निर्धारण किया जाता है और अन्य सभी निवेशों का व्यापार दिनांक को निर्धारण किया जाता है।

बी) निवेशों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 'परिपक्वता तक धारित", 'कारोबार के लिए धारित" और 'बिक्री हेतु धारित" श्रेणियों में किया गया है। भारत में किए गए निवेशों के प्रकटन के उद्देश्य से इन्हें आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार छह वर्गों के तहत वर्गीकृत किया जाता है जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, शेयर, डिबेंचर और बॉंड, अनुषंगियों और सहायक कंपनियों और अन्य में निवेश। भारत के बाहर निवेशों के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार इन्हें चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है जैसे सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित), विदेश में अनुषंगियों/संयुक्त उद्यम और अन्य निवेश।

financial assets to SC/ARC. If the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is to be debited to the Profit and Loss account. However if surplus is available, such shortfall will be absorbed in the surplus. Any such shortfall arising due to sale of NPA on or after 26/02/2014 will be amortised over a period of two years if not absorbed in the surplus.

Excess provision arising out of sale of NPA's are reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SRS/ PTC) is higher then the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

(h) Provision for Standard assets, including restructured advances classified as standard, is made in accordance with RBI guidelines. In respect of foreign branches provision for Standard Assets is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.

(i) Provision for net funded country exposures is made on a graded scale in accordance with the RBI guidelines.

5) FLOATING PROVISIONS

The bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India or on being specifically permitted by Reserve Bank of India for specific purposes.

6) DEBIT/CREDIT CARD REWARD POINTS:

Provision for reward points in relation to the debit card holders of the bank is provided for on actuarial estimates and Provision for Reward Points on Credit cards is made based on the accumulated outstanding points.

7) INVESTMENTS:

A. Transactions in Government Securities are recognised on Settlement Date and all other Investments are recognised on trade date.

B. Investments are categorised under `Held to Maturity', 'Held for Trading' and 'Available for Sale' categories as per RBI guidelines. For the purpose of disclosure of investments in India, these are classified, in accordance with RBI guidelines & Banking Regulation Act 1949, under six classification viz. Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures and Bonds, Investment in Subsidiaries and Associates and Others. In respect of investments outside India, these are classified, in accordance with RBI guidelines, under three categories viz. Government Securities (including local authorities), Subsidiaries/ Joint Ventures abroad and Other Investments.

(क) वर्गीकरण का आधार

निवेश का वर्गीकरण उसके अर्जन के समय किया जाता है।

i) परिपक्वता पर धारित

इसमें ऐसे निवेश हैं जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है। अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में किए गए निवेश को भी परिपक्वता तक धारित के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

ii) कारोबार के लिए धारित

इसमें ऐसे निवेश है जिन्हें अल्प मियादी मूल्य/ब्याज दर के उतार-चढ़ाव का लाभ लेते हुए कारोबार के इरादे से अर्जन किया जाता है। खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर इसका कारोबार किया जाता है।

iii) बिक्री के लिए उपलब्ध

ऐसे निवेश जिनका वर्गीकरण ”व्हृव्ल्ह्द्व्ह तक ह्विंद्व्ह अथवा ‘कारोबार के लिए धारित“ रूप में नहीं किया हैं, उन्हें इस शीर्ष में रखा गया है।

ख) निवेश का अधिग्रहण लागत

i) ईक्विटी निवेश के अर्जन के लिए भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूतियों का संव्यवहार कर इत्यादि लागत में शामिल है।

ii) ब्रोकरेज, कमीशन, ऋण निवेश पर भुगतान/प्राप्त किए गए खंडित अवधि के ब्याज को आय/व्यय के रूप में माना गया है और इसे लागत/बिक्री पर विचार करते समय शामिल नहीं किया जाता।

iii) निवेशों के अभिदान पर प्राप्त ब्रोकरेज और कमीशन को लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।

iv) निवेश की लागत भारित औसत लागत उपाय द्वारा निर्धारित की जाती है।

ग) मूल्यांकन का तरीका

भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और विदेशी शाखाओं में धारित निवेशों का संबंधित विदेशी देश में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार मूल्य के कम पर अथवा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है।

ट्रेज़री बिल और वाणिज्यिक कागजातों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

i) परिपक्वता तक धारित :

1) इस श्रेणी के तहत निवेशों को उनके अर्जन लागत, परिशोधन के निवल, यदि कोई हो, पर लिया गया है। अंकित मूल्य से अधिक अर्जन लागत, यदि कोई हो, को सतत अर्जन प्रणाली का उपयोग कर परिपक्वता की शेष बची अवधि में परिशोधित किया गया है। प्रीमियम का इस प्रकार परिशोधन आय में ‘निवेश पर ब्याज“ शीर्ष के तहत समायोजित की जाती है।

(a) Basis of categorisation

Categorisation of an investment is done at the time of its acquisition.

i) Held to Maturity

These comprise investments that the Bank intends to hold till maturity. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are also categorised under Held to Maturity.

ii) Held for Trading

This comprise investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. These are intended to be traded within 90 days from the date of purchase.

iii) Available for Sale

This comprise investments which do not fall under in “Held to Maturity” or “Held for Trading” classification.

(b) Acquisition Cost of Investment

i) Brokerage, commission, securities transaction tax etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost.

ii) Brokerage, commission, broken period interest paid/ received on debt investments is treated as income/expense and is excluded from cost/ sale consideration.

iii) Brokerage and Commission received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account.

iv) Cost of investments is determined at weighted average cost method.

(c) Method of valuation

Investments in India are valued in accordance with the RBI guidelines and investments held at foreign branches are valued at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

Treasury Bills and Commercial Papers are valued at carrying cost.

i) Held to Maturity

1 Investments included in this category are carried at their acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortised over the remaining period to maturity using constant yield method. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head “interest on investments”.

2 अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों (भारत और विदेश दोनों में) में निवेश को परंपरागत लागत में मूल्यांकित किया जाता है सिवाय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश के जिन्हें रखाव लागत पर (अर्थात् बही मूल्य) पर मूल्यांकित किया जाता है। अस्थायी को छोड़कर प्रत्येक निवेश के लिए अलग अलग ह्रास (ग्स्हलूत्दहे) के लिए प्रावधान किया जाता है।

ii) कारोबार के लिए धारित/बिक्री के लिए उपलब्ध :

1. इस श्रेणी के तहत निवेशों का मूल्यांकन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार मूल्य अथवा उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में प्रत्येक वर्गीकरण में केवल निवल मूल्यह्रास लगाया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि को ध्यान में नहीं लिया जाता है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान पर मार्किंग टू मार्केट के पश्चात एकल प्रतिभूतियों का बही मूल्य अपरिवर्तित रहता है।

2. ”य्ह्रद्ध के लिए ढ्ढंद्वड्ढ और ”त्ह्य्द्ध के लिए ड्ढव्त्ड्ढ प्रवर्ग में कोट किए गए निवेश के मूल्यांकन हेतु बाजार दर/स्टॉक एक्सचेंज भाव/भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई)/ निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्ज) संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है। जिन निवेश के लिए ऐसे दर/भाव उपलब्ध नहीं है उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार है

सरकारी/प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
इक्विटी शेयर्स, पीएसयू और न्यासी शेयर्स	अद्यतन तुलन पत्र (18 महीनों से अधिक पुरानी नहीं) के अनुसार बही मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी रु. 1
अधिमान्य शेयर्स	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
पीएसयू बॉड्स	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
म्यूचुअल फंड के यूनिट	अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित एनएवी पर
उद्यम पूँजी निधि (वीसीएफ)	18 महीनों से पुरानी नहीं ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार घोषित एनएवी अथवा ब्रेक अप एनएवी। यदि एनएवी/लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण 18 महीनों से अधिक हेतु उपलब्ध नहीं है तो रु.1 प्रति वीसीएफ
प्रतिभूति रसीद	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषणा के अनुसार एनएवी पर

घ) प्रवर्गों के मध्य प्रतिभूतियों का अंतरण

प्रवर्गों के मध्य किसी प्रतिभूति के अंतरण का अंतरण दिवस पर अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य इनमें से जो भी कम है के रूप में लेखा किया जाए। ऐसे अंतरण पर मूल्य-ह्रास, यदि है तो पूर्ण प्रावधान किया गया है।

2 Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at historical cost except for investments in Regional Rural Banks, which are valued at carrying cost (i.e. book value). A provision is made for diminution, other than temporary, for each investment individually.

ii) Held for Trading / Available for Sale

1 Investments under these categories are individually valued at the market price or fair value determined as per Regulatory guidelines and only the net depreciation in each classification for each category is provided for and net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.

2 For the purpose of valuation of quoted investments in ”Held for Trading” and “Available for Sale” categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) are used. Investments for which such rates/quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

Government Securities	on Yield to Maturity basis
Other Approved Securities	on Yield to Maturity basis
Equity Shares, PSU and Trustee shares	At break up value as per the latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise Re.1 per company.
Preference Shares	on Yield to Maturity basis
PSU Bonds	on Yield to Maturity basis
Units of Mutual Funds	at the latest repurchase price/NAV declared by the Fund in respect of each scheme
Venture Capital Funds (VCF)	Declared NAV or break up NAV as per audited financials which are not more than 18 months old. If NAV/audited financials are not available for more than 18 months then at Re. 1/- per VCF.
Security Receipts	At NAV as declared by Securitisation Companies

(d) Transfer of Securities between Categories

The transfer of securities between categories is carried out at the least of acquisition cost / book value/ market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

ङ) गैर - निष्पादित निवेश (एनपीआई) और उसका मूल्यांकन

1. निवेशों को निष्पादित और गैर-निष्पादित में वर्गीकृत किया जाता है जो घरेलू कार्यालयों के मामले में आरबीआई और विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित विनियामक द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर आधारित है।

2. गैर-निष्पादित निवेश के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्य-ह्रास हेतु प्रावधान किया जाता है।

च . रेपो/रिवर्स रेपो

रेपो/रिवर्स रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का लेखांकन संपार्श्विक उधार और उधार लेने के संव्यवहार के रूप में किया जाता है। तथापि सामान्य सीधी बिक्री खरीद संव्यवहार के मामले में प्रतिभूतियों का अंतरण किया जाता है और ऐसी प्रतिभूतियां रेपो/रिवर्स रेपो खातों और दुतरफा प्रविष्टियों के प्रयोग से रिफ्लेक्ट होती हैं। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है। लागत तथा राजस्व का लेखांकन जैसा भी मामला हो ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है। रेपो खाते में शेष को उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया और रिवर्स रेपो खाते में शेष को बैंक में शेष, मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

8) व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)

वर्तमान में बैंक ब्याज दर एवं करेंसी व्युत्पन्न का कार्य देखता है। बैंक द्वारा किया जाने वाला ब्याज दर व्युत्पन्न रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, अग्रणी दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर है। बैंक द्वारा किया जा रहा मुद्रा व्युत्पन्न विकल्प, करन्सी स्वैप तथा करन्सी फ्यूचर है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, व्युत्पन्न को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है:

क हैज/नॉन हैज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग से रिकार्ड किए जाते हैं।

ख हैज़िग व्युत्पन्न पर आय/व्यय उपचय आधार पर लेखांकित होती है।

ग फॉरेक्स फॉरवर्ड संविदाओं को बाजार को चिन्हित किया जाता है और परिणामत: लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है।

घ व्यापार उद्देश्य से विनिमय व्यापार व्यूत्पन्न के अलावा ब्याज दर व्यूत्पन्न और मुद्रा व्यूत्पन्न को बाजार को चिन्हित (एमटीएम) किया जाता है और परिणामत: हानि, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि में बताया जाता है। लाभ, यदि कोई हो,पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

ङ व्यापार उद्देश्य से प्रविष्ट विनिमय व्यापार व्यूत्पन्न का विनिमय द्वारा प्रदत्त दरों के आधार पर प्रचलित मार्केट दरों पर मूल्यांकन किया जाता है।

च ट्रेडिंग स्वैप के निरस्तीकरण से लाभ/हानियों को निरस्तीकरण तिथि में आय/व्यय के रुप में रिकार्ड किया जाता है। स्वैप के निरस्तीकरण पर किसी भी लाभ/हानि का स्थगन स्वैप की शेष अनुबंधित कम अवधि अथवा पदनामित आस्तियाँ/देयताओं की बकाया अवधि से संबद्ध किया जाता है।

छ विकल्प संविदा के परिपक्वता काल पर विकल्प शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है।

(e) Non performing Investments (NPIs) and valuation thereof

1 Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices and respective regulators in case of foreign offices.

2 In respect of non performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.

(f) Repo / Reverse Repo

The securities sold and purchased under Repo/Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice.

8) Derivative

The Bank presently deals in Forex Forward Contracts, interest rate, and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

(a) The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.

(b) Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis

(c) Forex forward contracts are Marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account

(d) Interest Rate Derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading purpose are marked to market and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss account. Net Profit if any, is ignored.

(e) Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account

(f) Gains/losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

(g) Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

9. अचल आस्तियां :

क. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामलों के अतिरिक्त जिन्हें पुनर्मूल्यन रकम पर ही बताया जाता है, अचल आस्तियों को परंपरागत लागत में बताया गया है। पुनर्मूल्यांकन से वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित में जमा किया जाता गया है।

ख. लागत में खरीद की लागत तथा आस्ति के उपयोग के पहले जगह की तैयारी संस्थापना लागत, व्यावसायिक शुल्क इत्यादि जैसे किए गए सभी व्यय शामिल है। उपयोग किए जा रहे आस्तियों पर किए गए उत्तरवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाएगा जब ऐसे आस्तियों से अथवा उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य में लाभ में वृद्धि होती है।

ग. परिसर की लागत में स्वयं की एवं पट्टाधारी भूमि की लागत दोनों शामिल हैं।

10. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास :

क) आस्तियों पर मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों को मिलाकर) बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर मूल्यह्रासित बही मूल्य पर प्रभारित किया गया है, कम्प्यूटरों को छोड़कर। कम्प्यूटरों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दर से सीधे रेखा पद्धति से मूल्यह्रास लगाया जाता है।

ख) इसमें परिवर्धन का पूर्ण वर्ष के लिए प्रावधान किया जाता है तथा इसमें आस्ति के उपयोग करने की तारीख को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जबकि किसी आस्ति की खरीद/निपटान के वर्ष में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान नहीं किया जाता है।

ग) आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यन आरक्षित के निमित्त समायोजित किया जाता है।

घ) जहाँ भूमि और भवन की लागत अलग-अलग नहीं की जा सकती है, संपूर्ण लागत पर मूल्यह्रास का प्रावधान, भवन पर लागू दर पर किया जाता है।

ङ) पट्टाधारित भूमि पर प्रदत्त प्रीमियम, पट्टे की अवधि हेतु परिशोधित की जाती है।

च) घरेलू परिचालन के संबंध में आस्तियों पर मूल्य ह्रास के लिए निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

9) FIXED ASSETS:

(a) Fixed assets are stated at historic cost, except in the case of assets which have been revalued, which is stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

(b) Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, professional fees etc. incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

(c) Cost of premises includes cost of land, both freehold and leasehold.

10) DEPRECIATION ON FIXED ASSETS:

a) Depreciation on assets is charged on the Written Down Value at the rates determined by the Bank, except in respect of computers where it is calculated on the Straight Line Method, at the rates prescribed by RBI

b) In respect of additions, depreciation is provided for the full year, irrespective of the date on which the assets were put to use whereas, depreciation is not provided in the year of sale/disposal of an asset.

c) Depreciation on the revalued portion of assets is adjusted against the Revaluation Reserve.

d) Where the cost of land and building cannot be separately ascertained, depreciation is provided on the composite cost, at the rate applicable to buildings.

e) Premium paid on leasehold land is amortised over the period of lease.

f) Depreciation on assets in respect of domestic operations are provided as under:

Sr. No.	विवरण	Particulars	Rate of Depreciation
1.	परिसर	Premises	5.00%
2.	अन्य अचल आस्तियां	Other Fixed Assets	
a)	फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipments	10.00%
b)	एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीनें	Air-conditioning plants, etc. and business machines.	15.00%
c)	मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें	Motor cars, Vans & Motor cycles	20.00%
d)	कम्प्यूटर तथा कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अंगभूत भाग है।	Computers and Computer Software forming integral part of hardware.	33.33%
e)	कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अंगभूत भाग नहीं है।	Computer Software not forming integral part of hardware.	100.00%

छ) भारत के बाहर अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान विनियामक की आवश्यकताओं/अथवा संबंधित देशों/उद्यम में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार किया गया है।

g) Depreciation on fixed assets outside India is provided based on the estimated useful life determined by each centre.

11. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध संव्यवहार :

विदेशी मुद्रा वाले संव्यवहारों का लेखांकन, लेखामानक एएस 11 ''विदेशी विनिमय दरों में प्रभावी परिवर्तन के अनुरुप किया गया है

11) TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates".

ए) **समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:**

भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों का वर्गीकरण समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और ऐसे परिचालन के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

i) विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को रिपोर्टिंग मुद्रा में आरंभिक मान्यता पर रिकार्ड किया जाता है जो भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा सूचित साप्ताहिक औसत क्लोजिंग दर पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को विदेशी मुद्रा रकम पर लगाया जाता है।

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें फेडाई के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती है।

iii) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदें जो परम्परागत लागत के अनुसार की जाती है उसे संव्यवहार की तारीख में विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट की जाती हैं।

iv) विदेशी मुद्रा में रखे गए आकस्मिक देयताओं को फेडाई के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती है।

v) बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और कारोबार के लिए धारित वायदा संविदा का निर्धारित परिपक्वता के लिए फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामत: लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

vi) बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदा जिन पर कारोबार नहीं किया जाएगा। उनका क्लोजिंग स्पॉट दर पर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे वायदा विनिमय संविदा के आरंभ में उत्पन्न प्रीमियम अथवा बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय अथवा आय पर परिशोधित की जाएगी।

vii) मौद्रिक मदों के निपटान में आरंभ में रिकार्ड किए गए दरों से भिन्न दरों के लिए उत्पन्न विनिमय अंतर को उस अवधि के लिए आय के रूप में अथवा व्यय के रूप में माना जाएगा जिस समय यह उत्पन्न हुई।

viii) मुद्रा वादा बाजार में खुली स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसी प्राप्ति/हानि को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

ख) **समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:**

विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहार को आंतरिक विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके वित्तीय विवरणपत्रों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है:

i) आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दरों के आधार पर आंका/स्पष्ट किया जाता है।

ii) आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा सूचित तिमाही औसतन क्लोजिंग दर पर स्पष्ट किया जाता है।

a) **Translation in respect of Integral Foreign operations:**

Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations and foreign currency transactions of such operations are translated as under:

i) Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the daily closing rate as available from Cogencis/ Reuter's page.

ii) Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot rates.

iii) Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms of historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv) Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v) Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting profit or loss is recognised in the Profit and Loss account.

vi) Outstanding Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading are valued at the closing spot rate as advised by FEDAI. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.

vii) Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

viii) Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognised in the Profit and Loss account.

b) **Translation in respect of Non-Integral Foreign operations:**

Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

i) Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI.

ii) Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI.

iii) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को संबंधित विदेशी शाखाओं में निवल निवेशों के निपटान तक एक अलग खाते विदेशी मुद्रा स्पष्टीकरण रिजर्व" में संचित किया जाता है।

iv) विदेशी कार्यालयों के विदेशी मुद्रा में आस्तियां और देयताएं (विदेशी कार्यालयों के स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) को उस देश में लागू स्पॉट दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में आंका जाता है।

12. कर्मचारी लाभ :

i. अल्पावधि कर्मचारी लाभ :

अल्पावधि कर्मचारी लाभों की अनडिस्काउन्टेड रकम जैसे मेडिकल लाभ आदि का भुगतान कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विनिमय में किया जाता है इसे कर्मचारी द्वारा दिए जा रहे सेवा की अवधि के दौरान ही मान्यता दी जाएगी।

ii. नियोजन के पश्चात लाभ :

ए. परिनिश्चित लाभ योजना

ए. उपदान (ग्रैच्युटी)

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रैच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर एक मुश्त भुगतान के रूप में दी जाती है, यह राशि प्रत्येक पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के लिए देय 15 दिनों के बेसिक वेतन के समतुल्य है जो उपदान संदाय अधिनियम 1972 अथवा बीओआई (कर्मचारी) उपदान विनियम में निर्धारित अधिकतम राशि में जो भी अधिक हो के अधीन है। पांच वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर वेस्टिंग होता है। बैंक निधि में आवधिक अंशदान करता है जिसका प्रबंधन ट्रस्ट द्वारा किया जाता है जो वार्षिक रूप में एक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है।

बी. पेंशन

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन देता है। नियत के अनुसार यह लाभ मासिक भुगतान के रूप में होता है और निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर भुगतान किया जाता है।नियमों के अनुसार वेस्टिंग विभिन्न स्तरों पर होती है। बीओआई (कर्मचारी) पेंशन विनियमन के अनुसार बैंक पेंशन निधि में वेतन का 10% मासिक अंशदान करता है। पेंशन की देयता स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है जो वार्षिक रूप में की जाती है और पेंशन विनियमन के तहत भुगतान के लाभों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर निधि में बैंक द्वारा ऐसे अतिरिक्त अंशदान किए जाते हैं।

iii) All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve' till the disposal of the net investments by the bank in the respective foreign branches.

iv) The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

12) EMPLOYEE BENEFITS:

i. Short Term Employee Benefit:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

ii. Post Employment Benefit:

A. Defined Benefit Plan

a) Gratuity

The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum prescribed as per The Payment of Gratuity Act 1972 or BOI (Employee) Gratuity Regulation whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.

b) Pension

The Bank provides pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contribution to the pension fund at 10% of pay in terms of BOI (Employees) Pension regulations. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out annually and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

बी. परिनिश्चित अंशदान योजना :

क) भविष्य निधि

बैंक एक भविष्य निधि योजना चलाती है। सभी पात्र कर्मचारियों को बैंक के भविष्य निधि योजना के तहत लाभ पाने का हक है। बैंक एक निर्धारित दर (वर्तमान में कर्मचारी के बेसिक वेतन के 10% के साथ पात्र भत्ते) पर मासिक अंशदान करती है। यह अंशदान इस उद्देश्य से स्थापित न्यास को प्रेषित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों को उस संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

ख) पेंशन

दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से बैंक में भर्ती हुए सभी कर्मचारी अंशदायी पेंशन के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारी पेंशन योजना में परिनिश्चित दर पर मासिक अंशदान करते हैं। उक्त पेंशन योजना में बैंक भी परिनिश्चित दर पर मासिक अंशदान करता है। ऐसी योजना में हुए व्यय को संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है। यह अंशदान राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम न्यास को अंतरित किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे परिनिश्चत अंशदान तक सीमित है।

iii. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

क) छुट्टी नकदीकरण लाभ जो परिनिश्चित लाभ दायित्व है, एएस 15 कर्मचारी लाभ के अनुरूप बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

ख. अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत, माइलस्टोन एवार्ड, पुनर्स्थापना लाभ, आकस्मिक लाभ इत्यादि परिनिश्चित लाभ दायित्व है जो एएस 15 कर्मचारी लाभ के अनुरूप बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

ग. विदेशी शाखओं और कार्यालयों के संबंध में, प्रतिनियुक्ति पर हैं ऐसे कर्मचारियों के अलावा कार्यरत कर्मचारियों के लाभों का मूल्यांकन किया जाता है और संबंधित प्रदेशों में प्रचलित कानून के अनुसार उनका परिकलन किया जाता है।

13. प्रति शेयर अर्जन:

एएस 20 '"अर्जन प्रति शेयर"" के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर बेसिक एवं डायल्यूटेड अर्जन की रिपोर्ट की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन की उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या द्वारा निवल से भाग कर गणना की जाती है।

प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया तरल संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लेकर गणना की जाती है।

B. Defined Contribution Plan:

a) Provident Fund

The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The bank recognises such annual contributions as an expense in the year to which it relates.

b) Pension

All Employees of the bank, who have joined from 1st April, 2010 are eligible for contributory pension. Such employees contribute monthly at a predetermined rate to the pension scheme. The bank also contributes monthly at a predetermined rate to the said pension scheme. Bank recognises its contribution to such scheme as expenses in the year to which it relates. The contributions are remitted to National Pension System Trust. The obligation of bank is limited to such predetermined contribution.

iii. Other Long term Employee Benefit:

a) Leave encashment benefit, which is a defined benefit obligation, is provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

b) Other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone award, resettlement benefits, Sick leave etc. which are defined benefit obligations are provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

c) In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

13) EARNINGS PER SHARE:

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS 20 "Earnings per share". Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

14. आय पर कर :

क. एएस-22 ''आय पर करों के लिए लेखांकन'' के अनुरूप आयकर में वर्ष के दौरान चालू कर प्रावधान और आस्तियों या देयताओं पर आस्थगित कर में निवल परिवर्तन शामिल है। चालू करों का निर्धारण लेखांकन मानक 22 के प्रावधान और विदेशी कार्यालय के करों का लेखा लेते हुए भारत में लागू कर कानूनों पर किया जाता हैं जो संबंधित अधिकार क्षेत्र के कर कानूनों पर आधारित है। आस्थगित कर समायोजन में अवधि के दौरान आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन शामिल है।

ख. आय तथा व्यय की मदें जो एक समय आती है और जो परवर्ती एक या अधिक वर्षों में रिवर्सल की जा सकती है के संबंध में आस्थगित कर के लिए विवेकपूर्ण विचार करने के अध्यधीन मान्यता है।

ग. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का मापन तुलनपत्र की तिथि पर या बाद में लागू किए गए कर दरों और कर कानूनों पर किया जाता है।

घ. आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में मान्यता दी जाती है और पुनर्मूल्यांकन किया जाता है जो वसूली को समुचित रूप से निश्चित माने जाने हेतु प्रबंधन की राय पर आधारित है। आस्थगित कर आस्तियों को आगे लाए गए अनावशोषित मूल्यह्रास और कर हानियों पर केवल तभी मान्यता दी जाती है जब यह पूर्णत: निश्चित हो कि आस्थगित कर आस्तियों की भविष्य में होने वाले लाभ से वसूली हो सकती है।

15. आस्तियों का ह्रास:

स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यित आस्तियों सहित) पर ह्रासित हानि यदि कोई हो को एएस 28 आस्तियों का ह्रास के अनुरूप लाभ और हानि खाते में प्रभारित की जाती है। तथापि पुनर्मूल्यित आस्ति पर ह्रासित हानि को सीधे आस्ति के लिए किसी पुनर्मूल्यन अधिशेष पर मान्यता उस हद तक है जहां तक एक ही आस्ति के पुनर्मूल्यन अधिशेष में रखी गयी रकम ह्रासित हानि से अधिक न हो।

16. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां:

एएस 29 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां'' के अनुसार मूल बैंक प्रावधानों को भी मान्यता देता है। जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो, यह संभाव्य है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों का बहिर्गमनों की दायित्वों को निपटान करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता हो।

जब तक कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना कम न हो, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप आय निर्धारण की बात आ सकती है जबकि वह कभी भी वसूल नहीं हो पाती।

17. शेयर जारी करने हेतु व्यय :

जिस वर्ष में शेयर जारी की जाती है, शेयर जारी करने के व्यय को लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

14) TAXES ON INCOME:

a) Income Tax comprises the current tax provision and net change in deferred tax assets or liabilities during the year, in accordance with AS 22 "Accounting for Taxes on Income". Current taxes are determined in accordance with the provisions of Accounting Standard 22 and tax laws prevailing in India after taking into account taxes of foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdiction. Deferred tax adjustments comprise of changes in the deferred tax assets or liabilities during the period.

b) Deferred Tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent years.

c) Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

d) Deferred tax assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether realisation is considered reasonably certain. Deferred tax assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realised against future profits.

15) IMPAIRMENT OF ASSETS:

"Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with AS 28 "Impairment of Assets".However, an impairment loss on a revalued asset is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset."

16) PROVISIONS, CONTINGENT LIABLITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

17) SHARE ISSUE EXPENSES:

Share issue expenses are charged to the Profit and Loss Account in the year of issue of shares

अनुसूची 18

जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो सभी आंकडे ₹ करोड़ों में हैं। कोष्ठक में दिए आंकडे पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

खातों के भाग स्वरूप टिप्पणियां।

1. वर्ष के दौरान सेबी(पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2009 के विनियमन 76(1) के अनुरूपमूलबैंक ने अधिमानी आधार पर अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर के 15,16,43,949 इक्विटी शेयर का आबंटन किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

आबंटन की तारीख	शेयर धारक का नाम	इक्विटी शेयर की संख्या	प्रति शेयर प्रीमियम	राशि
30.09.2015	भारत सरकार	12,70,04,655	183.30	2,455.00
05.01.2016	भारतीय जीवन बीमा निगम	2,00,00,000	122.06	264.12
30.03.2016	भारतीय सामान्य बीमा निगम	46,39,294	76.22	40.00
	कुल	15,16,43,949		2,759.12

2. वर्ष के दौरान मूल बैंक को अधिमान्य आधार पर इक्विटी शेयर के लिए सदस्यता स्वरूप शेयर आवेदन की राशि के रूप में भारत सरकार द्वारा प्राप्त ₹ 1150 तथा भारतीय जीवन बीमा निगम 153.65 प्राप्त हुए हैं जिसका आबंटन 4 मई, 2016 को कर दिया गया है जो भारतीय रि. जर्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.12254/21.01.002/2015-16 दिनांक 30 मार्च, 2016 तथा पत्र सं. डीबीआर.सं. बीपी.12711/21.01.002/2015-16 दिनांक 6 अप्रैल, 2016 के अनुसार सीआरएआर प्रयोजनके लिए सीईटी 1 पूंजी के रूप में उपचारित किया जाता है।

3. अनुषंगी बही खातों के संतुलन के बारे में एवं विदेशी शाखाओं , आंतर कार्यालय खातों एवं नोस्ट्रो खातों और उचंत, संदेय ड्राफ्ट समाशोधन अन्तरों, इत्यादि के साथ शेष राशियों की पुष्टि/समाधान का कार्य सतत आधार पर प्रगति पर है। उपरोक्त का लम्बित अंतिम समाशोधन/ समायोजन, विदेशी शाखाओं सहित,खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, प्रबंधनकी राय में महत्वपूर्ण होने की सम्भावना नहीं है ।

4. वर्ष के दौरान मूल बैंक ने अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है और संदिग्ध (प्रतिभूतीकृत अंश)-के रूप में वर्गीकृत एनपीए के संबंध में वर्ष से तीन वर्ष, निवल अतिदेय अग्रिम का प्रावधानीकरण 60% (त्वरित प्रावधान) से 40% (न्यूनतम प्रावधान) किया है जो नियामक न्यूनतम है । यदि पहले की लेखांकन नीति का प्रयोग किया होता,तो वर्ष के लिए एनपीए हेतु प्रावधान ₹ 2835.68 करोड अधिक होता और परिणाम स्वरूप वर्ष के लिए निवल हानि (कर का निवल) ₹ 1854.31 करोड अधिक हुई है ।

SCHEDULE 18:

All figures are in ₹ Crores unless specifically stated Figures in Brackets relate to previous year

NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

1. During the year, the Bank has made preferential allotment of 15,16,43,949 Equity Shares of ₹10 each in accordance with the regulation 76(1) of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, the details of which are as under:

Date of Allotment	Name of the Shareholder	No. of equity shares	Premium per share (in ₹)	Amount
30.09.2015	Government of India	12,70,04,655	183.30	2,455.00
05.01.2016	Life Insurance Corporation of India	2,00,00,000	122.06	264.12
30.03.2016	General Insurance Corporation of India	46,39,294	76.22	40.00
	Total	15,16,43,949		2,759.12

2. During the year, the Bank has received ₹1150 from the Government of India and ₹153.65 from the Life Insurance Corporation of India towards share application money for subscription to equity shares on preferential basis, the allotment of which has been made on 4th May, 2016. The same is treated as CET 1 capital for CRAR purpose in accordance with RBI letter No.DBR. No.BP.12254/21.01.002/2015-16 dated 30th March, 2016 and letter No.DBR.No.BP.12711/21.01.002/2015-16 dated 6th April, 2016.

3. Balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/ reconciliation of balances with foreign branches, Inter-office accounts, NOSTRO Accounts, Suspense, Drafts Payable, Clearing Difference, etc. is in progress on an on-going basis. Pending final clearance/adjustment of the above, the overall impact, if any, on the Financial Statements, in the opinion of the management, is not likely to be significant.

4. During the year, the Bank has changed its accounting policy of provisioning in respect of NPAs classified as doubtful category (Secured Portion) - one year to three years, from 60% (accelerated provision) to 40% (minimum provision) of net outstanding advances which is the regulatory minimum. Had the earlier accounting policy been followed, the provision for NPAs would have been higher by ₹ 2835.68 with consequential increase in Net Loss (net of tax) by ₹1854.31 for the year.

5. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणपत्र के बारे में निम्नलिखित सूचना दी जा रही है:

5.1. पूँजी:

Sr. No.	विवरण	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
i)	**सामान्य इक्विटी टियर1 पूंजी अनुपात (CET1) (%)**	**Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET1) (%)**		
	बासेल-II	Basel-II	NA	NA
	बासेल -III	Basel-III	7.97%	7.18%
ii)	**टियर1 पूंजी अनुपात (%)**	**Tier I Capital ratio (%)**		
	बासेल-II	Basel-II	7.57%	8.23%
	बासेल -III	Basel-III	9.03%	8.17%
iii)	**टियर II पूंजी अनुपात (%)**	**Tier II Capital ratio (%)**		
	बासेल-II	Basel-II	4.48%	3.19%
	बासेल -III	Basel-III	2.98%	2.56%
iv)	**कुल पूंजी अनुपात (CRAR) (%)**	**Total Capital ratio (CRAR) (%)**		
	बासेल-II	Basel-II	12.05%	11.42%
	बासेल -III	Basel-III	12.01%	10.73%
v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	Percentage of the shareholding of the Government of India	68.01%	64.43%
vi)	वर्ष के दौरान प्राप्त इक्विटी पूंजी राशि	Amount of Equity Capital Raised during the year	2759.12	642.00
vii)	शेयर आवेदन के पैसे आबंटन के लिए लंबित	Share application money pending for allotment*	1303.65	0.00
viii)	वर्ष के दौरान टियर-I पूँजी के रूप में प्राप्त राशि (IPDI)	Amount of Additional Tier 1 capital raised during the year i.e. IPDI	0.00	2500.00
ix)	वर्ष के दौरान प्राप्त टियर-II राशि अर्थात डेट कैपिटल इंस्ट्रुमेंट	Amount of Tier-II capital raised i.e. Debt Capital Instruments, during the year	3000.00	0.00

भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी.12254/21.01.002/2015-16 दिनांक 30.03.2016 तथा पत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी.12711/21.01.002/2015-16 दिनांक 06.04.2016 के अनुसार यह राशि सीआरएआर प्रयोजन के लिए सीईटी 1 पूंजी के रूप में उपचारित की जाती है।

टियर I पूंजी बढ़ाने हेतु लिए गए बकाया नवोन्मेष सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई) के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

वर्ष में वर्धित	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना बासेल -III
2006-07	आईपीडीआई	566.19 (यूएसडी 85 मिलियन)	339.71
2007-08	आईपीडीआई	655.00	393.00
2008-09	आईपीडीआई	400.00	240.00
2009-10	आईपीडीआई	325.00	195.00
2010-11	आईपीडीआई	300.00	180.00
2014-15	एटी-1	2500.00	2500.00

टियर II पूंजी बढ़ाने हेतु लिए गए बकाया टियर II लिखतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष में वर्धित	स्वरूप	राशि	सीआरएआरपरिकलनके प्रयोजनहेतुगणना बासेल -III
2005-06	लोअर टियर II	200.00	0.00
2006-07	अपर टियर II	1,597.09 (यूएसडी240 मिलियन)	958.25
2006-07	अपर टियर II	732.00	439.20
2008-09	अपर टियर II	500.00	300.00
2009-10	अपर टियर II	2000.00	1200.00
2010-11	अपर टियर II	1000.00	600.00
2013-14	अपर टियर II	1500.00	1500.00
2015-16	अपर टियर II	3000.00	3000.00

5. The following information is disclosed in terms of guidelines issued by RBI:

5.1. Capital:

* The amount is treated as CET 1 Capital for CRAR purpose as per RBI letter No.DBR.No.BP.12254/21.01.002/2015-16 dated 30.03.2016 and RBI letter No.DBR.No.BP.12711/21.01.002/2015-16 dated 06.04.2016.

Details of outstanding Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)/AT-1 raised to augment Tier I capital are as under:

Raised in the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2006-07	IPDI	566.19 (USD 85 Million)	339.71
2007-08	IPDI	655.00	393.00
2008-09	IPDI	400.00	240.00
2009-10	IPDI	325.00	195.00
2010-11	IPDI	300.00	180.00
2014-15	AT-1	2500.00	2500.00

Details of outstanding Tier II Instruments raisedto augment Tier II capital are as under:

Raised in the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2005-06	Lower Tier II	200.00	0.00
2006-07	Upper Tier II	1,597.09 (USD 240 million)	958.25
2006-07	Upper Tier II	732.00	439.20
2008-09	Upper Tier II	500.00	300.00
2009-10	Upper Tier II	2000.00	1200.00
2010-11	Upper Tier II	1000.00	600.00
2013-14	Upper Tier II	1500.00	1500.00
2015-16	Upper Tier II	3000.00	3000.00

ए) भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर. सं. बीपी. 13018/21.04.048/2015-16 दिनांक 1 मार्च, 2016 के अनुरूप, बैंक ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात यथा 31 मार्च, 2016 के परिकलन में पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती, विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती और आस्थगित कर पर विचार किया है। तद्नुसार, मौजूदा वर्ष के आंकडे/अनुपात की इस संबंध में पिछले वर्ष के आंकडों के साथ तुलना नहीं की जा सकती।

बी) वर्ष के दौरान, बैंक ने अपनी अचल आस्तियों को भागरूप समस्त परिसरों का पुनर्मूल्यांकन किया। ऐसे पुनर्मूल्यांकन से पैदा हुए अधिशेष ₹ 2901 को 'आरक्षिती एवं अधिशेष के तहत पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती' में क्रेडिट किया गया । भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती को सीईटी-1 पूंजी हेतु माना गया है।

5.2 निवेश

क्र. स.	विवरण			यथा 31.03.2016	यथा 31.03.2015
1			निवेश का मूल्य		
	i)		निवेशों का सकल मूल्य	**120308.41**	120860.46
		क)	भारत में	**114475.50**	115354.25
		ख)	भारत के बाहर	**5832.91**	5506.21
	ii)		मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	**1459.50**	1068.41
		क)	भारत में	**864.74**	482.52
		ख)	भारत के बाहर	**594.76**	585.89
	iii)		संक्रामण	**118848.91**	119792.05
		क)	भारत में	**113610.76**	114871.73
		ख)	भारत के बाहर	**5238.15**	4920.32
2			निवेश पर मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों की स्थिति		
	i)		प्रारंभिक शेष	**1068.41**	1095.30
	ii)		जोडें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**350.73**	-
	iii)		घटाएं : बट्टे खाते डालना/वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का राइट-बैक	-	50.40
	iv)		अंतिम शेष	**40.36**	23.51
	v)		जमा शेष	**1459.50**	1068.41

₹ 15,064.56 (पिछले वर्ष ₹ 22509.11) राशि की सरकारी प्रतिभूतियाँ (अंकित मूल्य) को मार्जिन/प्रतिभूति निपटान के पक्ष में आरबीआई, सीसीआइएल, समाशोधन गृह और विनिमयों के पास मार्जिन के रूप में रखा गया है।

वर्ष के दौरान,बैंक ने ₹ 7.84 करोड के लिए बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड में ईक्विटी पूंजी के अतिरिक्त 49% अतिरिक्त प्राप्त किया है और तदनुसार उक्त संस्था बैंक की 100- अनुषंगी हो गई है। तदुपरांत, ₹ 6.78 करोड बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेन्ट मैनेजर्स प्रा. लिए, बैंक की एक अनुषंगी में निवेश किए गए, हालांकी इक्विटी पूंजी (अर्थात् 51%) में बैंक के शेयरऐसे निवेशोंके अनुरूप सातत्य पूर्ण रहें ।

a) Pursuant to RBI circular No. DBR NO. BP. 13018/21.04.048/2015-16 dated 1st March 2016, the bank has considered revaluation reserve, foreign currency translation reserve and deferred tax assets in calculation of Capital Adequacy Ratio as on 31st March 2016. As such, figures/ratios of current year are not comparable with the figures of previous year to that extent.

b) During the year, Bank has revalued all premises forming parts of its fixed assets. Surplus arising on such revaluation aggregating to ₹ 2901 is credited to 'Revaluation Reserves', under 'Reserves & Surplus'. The Revaluation Reserve has been reckoned for CET I capital as per extant RBI guidelines.

5.2. Investments

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2016	As at 31.03.2015
1.	Value of Investments		
	i. Gross Value of Investments	120308.41	120860.46
	a. In India	114475.50	115354.25
	b. Outside India	5832.91	5506.21
	ii. Provisions for Depreciation	1459.50	1068.41
	a. In India	864.74	482.52
	b. Outside India	594.76	585.89
	iii. Net Value of Investments	118848.91	119792.05
	a. In India	113610.76	114871.73
	b. Outside India	5238.15	4920.32
2.	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	i. Opening balance	1068.41	1095.30
	ii. Add: Provisions made during the year	350.73	-
	iii. Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	-	50.40
	iv. Add/(Less): Adjustments on account of exchange difference	40.36	23.51
	v. Closing balance	1459.50	1068.41

Government Securities (Face Value) amounting to ₹15,064.56 (previous year ₹ 22509.11) are kept as margin with RBI, CCIL, Clearing Houses and Exchanges towards margins/security settlement.

During the year, the Bank has acquired additional 49% of equity capital in BOI Shareholding Ltd for ₹ 7.84 and accordingly the said entity has become 100% subsidiary of the bank. Further, ₹ 6.78 was invested in BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd., a subsidiary of the Bank, however, Bank's share in the equity capital (i.e. 51%) has remained constant pursuant to such investment.

5.2.1 वर्ष के दौरान किए गए रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य पर)

5.2.1. Repo Transactions (in face value terms) undertaken during the year:

विवरण	Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily Average outstanding during the year	बकाया यथा 31 मार्च, 2016 Outstanding as on March 31, 2016
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां	Securities sold under repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government Securities	0.00	10723.27	1100.79	9755.00
		(0.00)	(4731.66)	(800.93)	(3131.67)
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate Debt Securities	0.00	35.16	0.10	0.00
		(0.00)	(140.40)	(0.38)	(0.00)
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां	Securities purchased under reverse repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government Securities	0.00	9015.00	1439.19	6000.00
		(0.00)	(4000.00)	(241.77)	(0.00)
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)

इसमें भरतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) अंतर्गत किए गए सौदे शामिल है (मार्जिन को छोड़कर).

The above include transactions undertaken under Liquidity Adjustment Facility (LAF) with RBI (net of margin).

5.2.2. गैर-एसएलआर निवेश संविभाग:

5.2.2. Non-SLR Investment Portfolio:

i. गैर एसएलआर निवेशकों की जारीकर्ता संरचना

i. **Issuer Composition of Non SLR Investments**

Sr. No.	जारीकर्ता / Issuer	राशि Amount	निजी तौर पर शेयर आवंटन Extent of Private Placement	'निवेश ग्रेड से नीचेड़ प्रतिभूति आवंटन Extent of 'Below Investment Grade' Securities*	'अश्रेणीकृत" प्रतिभूति आवंटन Extent of 'Unrated' Securities*	'असूचीबद्ध" आवंटन Extent of 'Un-listed'
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	सार्वजनिक उपक्रम / PSUs	2,030.58	1,519.68	0.00	1202.60	0.00
		(2,946.87)	(1,890.74)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
ii.	वित्तीय संस्थाएं / FIs	1,819.01	1,794.01	0.00	0.00	261.60
		(2,364.98)	(0.00)	(0.00)	(144.90)	(144.90)
iii.	बैंक / Banks	736.94	405.01	17.32	7.32	165.64
		(1,035.92)	(100.00)	(0.00)	(0.00)	(156.25)
iv.	निजी कॉर्पोरेट / Private Corporates	2,371.22	1,923.90	945.20	166.37	142.42
		(2,726.07)	(1,986.27)	(621.01)	(133.67)	(83.57)
v.	अनुषंगियां / Subsidiaries / Joint Ventures**	1204.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		(1,034.60)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
vi.	अन्य Others	8,379.15	4,651.56	106.86	261.80	125.10
		(5,419.02)	(4,160.01)	(0.00)	(142.92)	(19.38)
	उप-जोड Sub-total	**16,541.10**	**10,294.16**	**1,069.38**	**1,638.09**	**694.76**
		(15,527.46)	**(8,137.02)**	**(621.01)**	**(421.49)**	**(404.10)**
vii.	घटाएं: मूल्यह्रास हेतु किए गए प्रावधान Less: Provision held towards Depreciation	1457.77	0.00	0.00	0.00	0.00
		(1,054.79)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	Total	**15,083.33**	**10,294.16**	**1,069.38**	**1,638.09**	**694.76**
		(14,472.67)	**(8,137.02)**	**(621.01)**	**(421.49)**	**(404.10)**

*इक्विटी में निवेश, इक्विटी अभिविन्यस्त म्युचुअल फंड, जोखिम पूंजी, वर्गीकृत आस्ति समचित प्रतिभूति, केंद्र सरकारकी प्रतिभूतियाँ, प्रतिभूति रसीद, इत्यादि को इन श्रेणियों के तहत भिन्न नहीं किया गया है, क्योंकि इन्हें वर्गीकरण/सूचीकरण दिशानिर्देशों से छूट दी गई है।

**अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सहायकों में निवेश को विभिन्न श्रेणियों में पृथक नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें आरबीआई के संबंधित दिशानिर्देशों के तहत कवर नहीं किया गया है।

*Investment in Equity, Equity Oriented Mutual Funds, Venture Capital, Rated Assets Backed Securities, Central Govt. Securities, Security Receipts, etc. are not segregated under these categories as these are exempt from rating/listing guidelines.

** Investment in Subsidiaries/Joint Ventures/Associates have not been segregated into various categories as these are not covered under relevant RBI guidelines.

ii. अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

विवरण	2015-16	2014-15
प्रारंभिक शेष	974.63	810.21
वर्ष के दौरान परिवर्धन	118.48	239.36
वर्ष के दौरान कटौतियां	366.76	74.94
जोडें/(घटाएं): एक्सचेंज अंतर	33.50	0.00
इतिशेष*	759.85	974.63
धारित कुल प्रावधान	648.91	717.50

* विनिमय अंतर शामिल

5.2.3 बिक्री तथा एचटीएम श्रेणी को/से हस्तांतरण:

विवरण	2015-16	2014-15
वर्ष के प्रारंभ मे एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेश के बहि मूल्य के 5% से अधिक मूल्य	शून्य	शून्य

5.3 डेरिवेटिव

5.3.1 वायदा दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2016	यथा 31.03.2015
i)	स्वैप अनुबंध की कल्पित मूल राशि	15778.39	17788.62
ii)	संबंधित पक्षों द्वारा करार के अंतर्गत अपने दायित्व पूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानियां	632.71	552.01
iii)	स्वैप प्रणाली अपनाने पर बैंक को आवश्यक संपार्श्विक प्रतिभूति	स्वैप के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि काउन्टर पार्टी या तो बैंक अथवा प्रीमियर कार्पोरेट है.	
iv)	स्वैप से आए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	वर्ष के दौरान ब्याज दर स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का कोई संकेन्द्रण नहीं है।	
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	14.00	557.02

5.3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव

Sr. No.	विवरण	Particulars	यथा As at 31.03.2016	यथा As at 31.03.2015
(i)	वर्ष के दौरान लिये गये विनिमय व्यापार ब्याजदर डेरिवेटिव की कल्पित मूलराशि (लिखितवार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	यथा 31 मार्च को बकाया विनिमय व्यापार ब्याजदर डेविरेटिव की कल्पित मूलराशि (लिखितवार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March (instrument-wise)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूलराशि और जो ''उच्च प्रभावा'' नहीं हो (लिखितवार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य और जो ''उच्च प्रभावी'' नहीं हो (लिखितवार)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

ii. Non-performing Non-SLR Investments

Particulars	2015-16	2014-15
Opening balance	974.63	810.21
Additions during the year	118.48	239.36
Reductions during the year	366.76	74.94
Add/(Less): Exchange difference	33.50	0.00
Closing balance *	759.85	974.63
Total provisions held	648.91	717.50

* Including Exchange Difference

5.2.3. Sale and transfers of securities to/from HTM Category:

Particulars	2015-16	2014-15
Value in excess of 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year	Nil	Nil

5.3. Derivatives

5.3.1. Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2016	As at 31.03.2015
i)	The notional principal of swap agreements	15778.39	17788.62
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	632.71	552.01
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	No collaterals were required for the swaps as counterparties were either banks or premier Corporate.	
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	There is no concentration of credit risk arising from the interest rate swaps undertaken during the year.	
v)	The fair value of the swap book	14.00	557.02

5.3.2. Exchange Traded Interest Rate Derivatives

5.3.3 डेरिवेटिवमेंजोखिमएक्सपोज़र पर प्रकटन

i. गुणात्मकप्रकटन

बैंक तुलन पत्र की आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए अथवा कारोबारी उद्देश्यों और ग्राहक जरूरतों को पूरा करने के लिए डेरिवेटिव संविदाएं करता है जैसे कि ब्याज-दरअदला-बदली, मुद्राअदला-बदली और मुद्रातथा परस्पर लेन देन की मुद्राका विकल्प या व्यापार के उद्देश्य हेतु ये उत्पाद जोखिम की प्रतिरक्षा, लागत घटाने तथा ऐसे संव्यवहारों से आय बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बैंक इस प्रकार के व्यवहार में जिस प्रकार के जोखिमों का सामना करता है, वे हैं ऋणजोखिम, बाजारजोखिम, परिचालन गत जोखिम आदि।

जोखिम प्रबंधन बैंक के कारोबार प्रबंधनकारकमहत्वपूर्ण भाग है। जोखिम की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने, समुचित जोखिम सीमाए निर्धारित करने और उन जोखिमों और सीमाओंकी निरंतर आधार पर अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों के जरिए देख-रेख करने के लिए बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीतियां तैयार की हैं। जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख नियंत्रण सीमाएं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई हैं और उनकी नियमित आधार पर देख-रेख तथा समीक्षाकी जाती है। बैंक का संगठन जोखिम के प्रबंधन में सहायकर हा है। डेरिवेटिव परिचालन में व्यापार क्रियाकलापोंके ऋण जोखिमों की पर्याप्त जानकारी है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में बैंक के निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति है।

हैज/नान-हैज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहारों को भिन्न रूप से रिकार्ड किया जाता है। हेजिंग व्यूत्पन्नी पर आय/खर्च को उपचित आधार पर लेखांकित किया जाता है।

फोरेक्स फोरवर्ड संविदाओं को बाजार को चिन्हित किया गया है और परिणामत: लाभ और हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है।

व्यापार उद्देश्य से विनिमय व्यापार व्यूत्पन्न के अलावा ब्याज दर व्यूत्पन्न और मुद्रा व्यूत्पन्न को बाजार को चिन्हित किया जाता है और परिणामत: हानि, यदि कोई, को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है। निवल लाभ, यदि कोई, पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

व्यापार उद्देश्य से प्रविष्ट विनिमय व्यापार व्युत्पन्न का विनिमय द्वारा दिए गए दर के आधार पर प्रचलित मार्केट दरों पर मूल्यांकन किया जाता है और परिणामत:लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है ।

व्यापार स्वैप की समाप्ति पर लाभ/हानि को समाप्ति तिथि पर आय/खर्च के रूप में रिकार्ड किया जाता है। स्वैप की समाप्ति पर किसी भी लाभ/हानि का स्थगन स्वैप की शेष अनुबंधित कम अवधि अथवा पदनामित आस्तियों/देयताओं की बकाया अवधि से संबद्ध किया जाता है।

विकल्प संविदा के परिपक्वता काल पर विकल्प शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है ।

बैंक में वरिष्ठ और उच्च प्रबंधन को आवधि क रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की उचित पद्धति है इसके साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित/या परिचालन आवश्यकतानुसार विनियामक प्राधिकारि यों कोभी रिपोर्ट भेजी जाती है। बैंक के पास निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित विभिन्न पहलूओं पर स्पष्ट डेरिवेटिव दिशा-निर्देश है। डेरिवेटिव लेन देन समवर्ती आंतरिक, सांविधिक और नियामक लेखा परीक्षा के शर्तो के अध्यधीन है।

संव्यवहारों के प्रतिपक्ष बैंक प्राथमिक डीलर और प्रीमियर कार्पोरेट्स ईकाइयां हैं। इनमें व्यवहारअनुमोदित ऋण जोखिम सीमा के अंदर किया जाता है। बैंक ने ब्याज दर एवं विदेशी विनिमय डेरिवेटिव लेन-

5.3.3. Disclosures on risk exposure in derivatives

i. **Qualitative Disclosure**

The Bank enters into derivative contracts such as interest rate derivatives, currency swaps and currency options to hedge on balance sheet assets and liabilities or to meet client requirements as well as for trading purpose as per policy approved by the Board. These products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield. In such transactions the types of risks to which the bank is exposed to, are credit risk, market risk, operational risk etc.

Risk management is an integral part of bank's business management. Bank has risk management policies designed to identify and analyse risks, to set appropriate risk limits and to monitor these risks and limits on an on-going basis by means of reliable and up to date management information systems. The risk management policies and major control limits are approved by the Board of Directors and they are monitored and reviewed regularly. The organization of the Bank is conducive to managing risks. There is sufficient awareness of the risks and the size of exposure of the trading activities in derivative operations.

The Bank has a Risk Management Committee of Directors presided over by the Managing Director & CEO.

The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately. Income/expenditure on hedging derivatives is accounted on accrual basis.

Forex forward contracts are marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account.

Interest rate derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading purpose are marked to market and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss account. Net Profit, if any, is ignored.

Exchange traded derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit & Loss account.

Gains/losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

Bank has a proper system of submitting periodical reports to Senior and Top Management and Board as well as regulatory authorities as required by RBI and/or as per operational requirements. Bank has clearly spelt derivative guidelines on various aspects approved by the Board of Director. The derivative transactions are subject to concurrent, internal, statutory and regulatory audits.

The counter parties to the transactions are banks, primary dealers and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The Bank has adopted the Current Exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposures arising on account of interest

देनों के कारण उत्पन्न ऋण जोखिमों के मापन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित वर्तमान ऋण जोखिम विधि अपनाई है। वर्तमानऋण जोखिम विधिमें वर्तमानऋण जोखिम और इन संविदाओं के संभावी आगामी ऋण जोखिम का जोड़ है।

वर्तमान ऋण एक्सपोज़र इन संविदाओं के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य का जोड़ है अर्थात् जब बैंक को प्रतिपक्ष से राशि प्राप्त करनी होती है।

संभावी आगामी ऋण जोखिम का निर्धारण इन संविदाओं के कतिपत मूल राशि, चाहे संविदा का शून्य, सकारात्मक अथवा नकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य हो, के साथ निम्नानुसार संबंधित एड-ऑन तत्वों के अनुसार लिखत के शेष परिपक्वता और स्वैप का गुणा करके प्राप्त किया जाएगा।

	कुल अनुमानित मूल राशि पर लागू परिवर्तन कारक तत्व	
अवशिष्ट परिपक्वता	ब्याज दर संविदा	विनिमय दर संविदा
एक वर्ष या उससे कम	0.50%	2.00%
एक वर्ष से अधिक पांच वर्ष तक	1.00%	10.00%
पाँच वर्ष से अधिक	3.00%	15.00%

ऋण जोखिम की गणना करते समय ''बिक्रीगतविकल्पो'' को वहाँ छोड दिया जाता है जहाँ कहीं प्रीमियम / शुल्क या किसी भी रूप में आय प्राप्त / वसूली होती हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशानुसार के अनुसार संविदा के वर्तमान बाजार मूल्य पर ऋण जोखिम की गणना की जाती हे। इस पर ''मानक'' श्रेणी के ऋण आस्ति पर लागू प्रावधान जरुरतें भी लागू है। वर्तमान में जोखिमवाली आस्तियों पर 0.4% प्रावधान किया जाना है। हमारे खातों में बैंक उपर्युक्त के अनुसार अपेक्षित प्रावधान करते हैं।

rate and foreign exchange derivative transactions. Current exposure method is the sum of current credit exposure and potential future exposure of these contracts.

The current credit exposure is the sum of positive mark to market value of these contracts i.e. when the Bank has to receive money from the counter party.

Potential future credit exposure is determined by multiplying the notional principal amount of these contracts irrespective of whether the contract has zero, positive or negative mark to market value by the relevant add-on factors as under according to the nature and residual maturity of the instrument.

Residual Maturity	Conversion factor applied on Notional Principal Amount	
	Interest Rate Contract	Exchange Rate Contract
One year or less	0.50%	2.00%
Over one year to five years	1.00%	10.00%
Over five years	3.00%	15.00%

While computing the credit exposure, "sold options" are excluded wherever the entire premium/fee or any other form of income is received / realized.

As per the extant RBI guidelines credit exposures computed as per the current Mark to Market value of the contracts, also attracts provisioning requirement as applicable to the loan assets in the "Standard" category, of the concerned counterparty. At present the provision is to be maintained at 0.4% of the risk weighted assets. The Bank makes the requisite provision as aforesaid in the books.

ii. मात्रात्मक प्रकटन

ii. Quantitative Disclosures

Sr. No.	विवरण	Particulars	मुद्रा व्यूत्पन्नी Currency Derivatives		व्याजदर व्यूत्पन्नी Interest Rate Derivatives	
1	डेरिवेटिव (अनुमानित मूलराशि)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	अ) हेजिंग हेतु	a) For hedging	19080.22 (18627.06)		14553.39 (17588.61)	
	क) कारोबार हेतु	b)For trading	3138.34 (2094.09)		1225.00 (200.00)	
2	ब्याज दर परस्थितियां	Marked to Market Positions [1]				
	आस्ति (+)	a) Asset (+)	235.58 (123.19)		636.76 (720.77)	
	देयता (-)	b) Liability (-)	26.17 (196.10)		73.25 (186.98)	
3	क्रेडिट एक्सपोजर [2]	Credit Exposure [2]	911.59 (555.31)		716.72 (275.28)	
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन से होने वाला संभाव्य प्रभाव (100*PV01)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	हेजिंग डेरिवेटवि पर	a) On hedging derivatives	2.48 (2.37)		0.05 (45.81)	
	ट्रेडिंग डेरिवेटवि पर	b) On trading derivatives	0.00 (0.02)		28.80 (0.75)	
5	वर्ष के दौरान पाया गया 100*PV01 का अधिकतम एवं न्यूनतम	Maximum & Minimum of 100*PV01 observed during the year	अधि./Max	न्यू./Min	अधि./Max	न्यू./Min
	हेजिंग पर	a) On hedging	2.26 (2.43)	2.48 (1.81)	45.85 (79.34)	28.80 (45.81)
	ट्रेडिंग पर	b) On trading	0.44 (0.02)	1.43 (0.01)	0.05 (0.92)	0.00 (0.75)

5.4 आस्ति गुणवत्ता
5.4.1 अनर्जक आस्तियां
ए) अनर्जक अग्रिम

5.4. Asset Quality
5.4.1. Non-Performing Assets
(a) Non performing Advances

विवरण	Particulars	2015-16	2014-15
(i) निवल अग्रिमों में से निवल एनपीए (%)	(i) Net NPAs to Net Advances (%)	7.79%	3.36%
(ii) एनपीए (सकल) का उतार-चढ़ाव	(ii) Movement of NPAs (Gross)		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	22193.24	11868.60
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	b) Additions during the year	38606.23	16651.47
ग) वर्ष के दौरान कमी	c) Reductions during the year	10920.34	6326.83
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	49879.13	22193.24
(iii) निवल एनपीएका उतार-चढ़ाव	(iii) Movement of Net NPAs		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	13517.57	7417.23
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	b) Additions during the year	20371.62	10186.17
ग) वर्ष के दौरान कमी	c) Reductions during the year	5892.79	4085.83
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	27996.40	13517.57
(iv) एनपीए के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)	(iv) Movement of provision for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	7434.31	3564.31
ख) वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान	b) Provisions made during the year	16346.05	6327.37
ग) बट्टे खाते में/अतिरिक्त प्रावधान को राइट बैक	c) Write-off/write-back of excess provisions	3786.18	2457.37
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	19994.18	7434.31

(ख) अनर्जक निवेश

(b) Non performing Investments

विवरण	Particulars	2015-16	2014-15
(i) निवल निवेश पर निवल एनपीआई (%)	(i) Net NPIs to Net Investment (%)	0.09%	0.21%
(ii) एनपीआई (सकल) का प्रवाह	(ii) Movement of NPIs (Gross)		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	974.63	810.21
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	b) Additions during the year	118.48	239.36
ग) वर्ष के दौरान कमी	c) Reductions during the year	333.26	74.94
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	759.85	974.63
(iii) निवल एनपीआईका उतार-चढ़ाव	(iii) Movement of Net NPIs		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	257.13	262.28
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	b) Additions during the year	56.18	30.13
ग) वर्ष के दौरान कमी	c) Reductions during the year	202.37	35.28
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	110.94	257.13
(iv) एनपीआई के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव	(iv) Movement of provision for NPIs		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	717.50	547.93
ख) वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान	b) Provisions made during the year	62.30	209.23
ग) राइट बैक/अतिरिक्त प्रावधान को राइट बैक	c) Write-off/write-back of excess provisions	130.89	39.66
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	648.91	717.50

5.4.2 पुनर्गठित खातों के विवरण / Particulars of Accounts Restructured

(क) वर्ष 2015-16 के दौरान पुनर्गठन की शर्त पर ऋण आस्तियों के ब्यौरे (प्रबंधन द्वारा समेकित)

(a) Details of Loan assets subjected to restructuring during 2015-16 (As compiled by the management and relied upon by the Auditors)

(राशि करोड़ में)

क्र. सं. Sr. No	पुनर्गठित खातों के प्रकार Type of Restructuring		सीडीआर मेकेनिजम के तहत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्गठन के तहत Under SME Debt Restructuring					कुल Others					कुल Total				
	आस्तियों का विवरण Assets Classification		वैश्विक Global					वैश्विक Global					वैश्विक Global					वैश्विक Global				
	ब्यौरे Details		मानक Standard	अव-मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-standard	सं-दिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	वित्तीय वर्ष के यथा 1 अप्रैल को पुनर्गठित खाते (प्रारंभिक आँकड़े) Restructured Account As on April 1 of FY (Opening Figure)	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	29 (42)	17 (16)	16 (1)	0 (0)	62 (59)	102 (127)	37 (22)	37 (8)	1 (1)	177 (158)	31847 (28689)	6147 (1225)	509 (396)	7 (1)	38510 (30311)	31978 (28858)	6201 (1263)	562 (405)	8 (2)	38749 (30528)
		बकाया राशि Amount Outstanding	4125.32 (4810.86)	1423.17 (1377.97)	2018.47 (632.08)	0.00 (0.0)	7566.96 (6820.91)	757.93 (816.16)	325.08 (191.11)	343.32 (51.96)	1.72 (1.72)	1428.05 (1060.95)	12352.48 (7930.45)	1838.39 (750.97)	2423.41 (390.97)	223.01 (190.69)	16837.29 (9263.09)	17235.74 (13557.48)	3586.64 (2320.05)	4785.19 (1075.01)	224.73 (192.41)	25832.30 (17144.95)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	343.16 (424.23)	59.93 (108.84)	95.23 (1.96)	0.00 (0.0)	498.32 (535.03)	23.64 (16.16)	2.93 (6.61)	11.18 (3.68)	0.00 (0.0)	37.75 (26.45)	624.48 (436.56)	67.33 (25.19)	90.07 (15.60)	6.97 (0.0)	788.86 (477.35)	991.29 (876.95)	130.19 (140.64)	196.48 (21.24)	6.97 (0.0)	1324.93 (1038.83)
2	वर्ष के दौरान ताज़ा पुनर्गठित Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	3 (10)	0 (5)	7 (9)	0 (0)	10 (24)	5 (43)	1 (8)	1 (1)	0 (0)	7 (52)	16887 (17006)	69 (204)	47 (72)	0.00 (2)	17003 (17284)	16895 (17059)	70 (217)	55 (82)	0 (2)	17020 (17360)
		बकाया राशि Amount Outstanding	142.53 (1633.32)	0.00 (455.62)	1059.90 (1213.84)	0.00 (0.0)	1202.43 (3302.77)	55.36 (456.62)	15.57 (64.54)	29.45 (24.12)	0.00 (0.0)	100.38 (545.28)	2850.12 (7572.83)	975.71 (888.61)	518.61 (636.26)	0.00 (11.25)	4344.44 (9108.95)	3048.01 (9662.77)	991.28 (1408.77)	1607.96 (1874.22)	0.00 (11.25)	5647.25 (12957.01)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	2.40 (73.73)	0.00 (19.11)	17.16 (47.31)	0.00 (0.0)	19.56 (140.15)	0.07 (15.21)	0.00 (1.76)	0.00 (-1.71)	0.00 (0.00)	0.07 (15.26)	88.70 (251.97)	1.37 (29.02)	35.72 (12.58)	0.00 (0.24)	125.79 (293.81)	91.17 (340.91)	1.37 (49.89)	52.88 (58.18)	0.00 (0.24)	145.42 (449.22)
3	Upgradations to restructured standard category during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	0 (4)	0 (-4)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (2)	-2 (-2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	5 (6)	-5 (-4)	0.00 (-2)	0 (0)	0 (0)	7 (12)	-7 (-10)	0 (-2)	0 (0)	0 (0)
		बकाया राशि Amount Outstanding	0 (386.25)	0.00 (-256.93)	-13.68 (0.0)	0.00 (0.0)	-13.68 (129.32)	6.93 (6.71)	-6.93 (-6.51)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.20)	99.02 (63.92)	-105.40 (-65.77)	0.00 (-10.58)	0.00 (0.0)	-6.38 (-12.43)	105.95 (456.88)	-112.33 (-329.21)	-13.68 (-10.58)	0 (0.0)	-20.06 (117.09)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0.00 (32.96)	0.00 (-36.55)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (-3.59)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	3.33 (2.97)	-3.33 (-3.16)	0.00 (-0.42)	0.00 (0.0)	0.00 (-0.61)	3.33 (35.93)	-3.33 (-39.71)	0.00 (-0.42)	0 (0.0)	0.00 (-4.20)

क्र. सं. Sr. No	पुनर्गठित खातों के प्रकार Type of Restructuring		सीडीआर मेकेनिजम के तहत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्गठन के तहत Under SME Debt Restructuring					कुल Others					कुल Total				
	आस्तियों का विवरण Assets Classification		वैश्विक Global					वैश्विक Global					वैश्विक Global					वैश्चिक Global				
	ब्यौरे Details		मानक Standard	अव-मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-standard	सां-दिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
4	ऐसे पुनर्गठित मानक अग्रिम जिन पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्चतर प्रावधानीकरण और/अथवा अतिरिक्त जोखिम भार लगना बंद है और इसीलिए उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में पुनर्गठित मानक अग्रिमों के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	3 (11)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (11)	13 (19)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	13 (19)	13155 (9053)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	13155 (9053)	13171 (9083)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	13171 (9083)
		बकाया राशि Amount Outstanding	447.70 (607.11)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	447.70 (607.11)	52.83 (83.78)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	52.83 (83.78)	1704.33 (653.49)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	1704.33 (653.49)	2204.86 1344.38	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2204.86 (1344.38)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	50.50 (47.62)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	50.50 (47.62)	0.40 (0.24)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.00 (0.0)	0.40 (0.24)	276.71 (16.24)	0.00 (0.00)	0.00 (0.0)	0.0 (0.0)	276.71 (16.24)	327.61 (64.10)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	327.61 (64.10)

क्र. सं. Sr. No	पुनर्गठित खातों के प्रकार Type of Restructuring		सीडीआर मेकेनिजम के तहत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्गठन के तहत Under SME Debt Restructuring					कुल Others					कुल Total				
	आस्तियों का विवरण Assets Classification		वैश्विक Global					वैश्विक Global					वैश्विक Global					वैश्विक Global				
	ब्यौरे Details		मानक Standard	अव-मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-standard	सं-दिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन Downgra-dationsof restructured accounts dur-ing the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Bor-rowers	-15 (-13)	-17 (6)	32 (7)	0 (0)	0 (0)	-29 (-39)	-20 (11)	49 (28)	0 (0)	0 (0)	-1691 (-4780)	1387 (4730)	305 (46)	1 (4)	2 (0)	-1735 (-4832)	1350 (4747)	386 (81)	1 (4)	2 (0)
		बकाया राशि Amount Out-standing	-2938.51 (-945.51)	-1423.17 (265.17)	4361.68 (804.63)	0.00 (0.0)	0.00 (124.29)	-349.21 (-357.28)	-169.45 (98.66)	518.66 (268.39)	0 (0)	0.00 (9.77)	-2213.94 (-1735.14)	-330.97 (506.43)	2635.71 (1506.02)	63.80 (35.01)	154.61 (312.32)	-5501.65 (-3037.93)	-1923.59 (870.26)	7516.05 (2579.04)	63.80 (35.01)	154.61 (446.38)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	-227.43 (-64.15)	-59.93 (-9.41)	287.36 (47.92)	0.00 (0.0)	0.00 (-25.64)	-18.07 (-6.73)	-0.90 (-5.44)	18.97 (9.21)	0.00 (0.0)	0.00 (-2.96)	-91.82 (-85.80)	9.44 (14.76)	82.38 (57.33)	0.00 (0.03)	0.00 (-13.68)	-337.32 (-156.68)	-51.39 (-0.09)	388.71 (114.46)	0.00 (0.03)	0.00 (-42.28)
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों को बट्टे खाते में डालना Write-offs of restructured accounts dur-ing the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Bor-rowers	1 (3)	0 (6)	1 (1)	0 (0)	2 (10)	16 (12)	2 (2)	4 (0)	1 (0)	23 (14)	8 (17)	5 (7)	16 (3)	5 (0)	34 (27)	25 (32)	7 (15)	21 (4)	6 (0)	59 (51)
		बकाया राशि Amount Out-standing	38.92 (1132.13)	0.00 (418.66)	172.15 (632.08)	0.00 (0.0)	211.07 (2182.87)	129.31 (80.50)	20.77 (22.72)	46.49 (1.15)	1.72 (0.0)	198.29 (104.37)	2668.29 (31.09)	31.44 (241.85)	175.52 (34.22)	26.03 (-13.94)	2901.28 (293.21)	2836.52 (1243.72)	52.21 (683.23)	394.16 (667.45)	27.75 (-13.94)	3310.64 (2580.45)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	31.50 (82.91)	0.00 (22.06)	272.50 (1.96)	0.00 (0.0)	304.00 (2106.93)	1.40 (0.76)	1.53 (0.0)	24.66 (0.0)	0.00 (0.0)	27.59 (0.76)	131.39 (26.42)	36.50 (8.66)	149.00 (4.35)	0.27 (0.0)	317.16 (39.43)	164.29 (110.09)	38.03 (30.72)	446.16 (6.31)	0.27 (0.0)	648.75 (147.12)
7	वित्तीय वर्ष के यथा 31 मार्च को पुनर्गठित खाते Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures*)	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Bor-rowers	13 (29)	0.00 (17)	54 (16)	0 (0)	67 (62)	51 (102)	14 (37)	83 (37)	0 (1)	148 (177)	33877 (31847)	7593 (6147)	845 (509)	3 (7)	42318 (38510)	33941 (31978)	7607 (6201)	982 (562)	3 (8)	42533 (38749)
		बकाया राशि Amount Out-standing	840.96 (4125.32)	0.00 (1423.17)	7254.21 (2018.47)	0.00 (0.0)	8095.18 (7566.96)	288.87 (757.93)	143.50 (325.08)	844.94 (343.32)	0.00 (1.72)	1277.31 (1428.05)	6601.95 (12352.48)	2356.47 (1838.39)	5411.55 (2423.41)	267.49 (223.01)	14637.45 (16837.29)	7731.78 (17235.74)	2499.97 (3586.64)	13510.70 (4785.19)	267.49 (224.73)	24009.94 (25832.30)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	29.21 (336.24)	0.00 (59.93)	127.25 (95.23)	0.00 (0.00)	156.46 (491.40)	3.84 (23.64)	0.50 (2.93)	5.49 (11.18)	0.00 (0.0)	9.83 (37.75)	155.15 (563.04)	28.13 (57.15)	49.84 (80.74)	0.00 (0.27)	233.12 (701.20)	188.20 (922.92)	28.63 (120.01)	182.58 (187.15)	0.00 (0.27)	399.41 (1230.35)

5.4.3 आस्ति पुनर्गठन के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठन कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

ए.

Sr. No.	विवरण	Particulars	2015-16	2014-15
(i)	खातों की संख्या	Number of accounts	0.00	20
(ii)	एससी / आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य	Aggregate value (net of provision) of accounts sold to SC/RC	0.00	1847.29
(iii)	कुल प्रतिफल	Aggregate consideration	0.00	1809.24
(iv)	विगत वर्षों में अंतरित खातों में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	16.00	0.00
(v)	निवल बही मूल्य पर कुल आय / (हानि)	Aggregate gain/(loss) over net book value	-117.89	-38.05

बी.

विवरण	Particulars	एनपीए के समर्थन से अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/ एनबीएफसी द्वारा बेचा गया Backed by NPAs sold by the Bank as underlying		एनपीए के समर्थन से अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/ एनबीएफसी द्वारा बेचा गया Backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/NBFC		कुल Total	
		2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
प्रतिभूतियों की प्राप्ति में निवेश का बही मूल्य	Book Value of investments in securities receipts	2824.39	2753.06	0.00	0.00	2824.39	2753.06

सी. एनपीए की बिक्री से लाभ

Sr. No.	विवरण	Particular	2015-16	2014-15
1	एनपीए की बिक्री के संबंध में वित्तीय वर्ष 2014-15 में किया गया लाभ	Profit booked in FY 2015-16 in respect of sale of NPA	0.00	15.58*

* वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान एनपीए की बिक्री के कारण ₹ 11.83 करोड़ शामिल हैं

5.4.3 Details of financial assets sold to Securitisation/ Reconstruction Company For Asset Reconstruction

A.

B.

C. Profit from sale of NPA:

* includes ₹ 11.83 on account of Sale of NPA during FY 2013-14.

5.4.4 खरीदी गई/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा (अन्य बैंकों से/को)

ए. *खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा:*

विवरण		Particulars		2015-16	2014-15
1	(क) वर्ष के दौरान खरी दे गए खातों की संख्या	1	(a) No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
	(ख) कुल बकाया		(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL
2	(क) इनमें से वर्ष के दौरान कितने खातों का पुनर्गठन किया गया	2	(a) Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
	(ख) कुल बकाया		(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL

बी. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा:

विवरण	Particulars	2015-16	2014-15
1. बेचे गए खातों की संख्या	1. No. of accounts sold	NIL	NIL
2. कुल बकाया	2. Aggregate outstanding	NIL	NIL
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	3. Aggregate consideration received	NIL	NIL

5.4.4. Details of non-performing financial assets purchased/ sold (from/to other banks)

a. *Details of non-performing financial assets purchased:*

b. *Details of non-performing financial assets sold:*

5.4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान

विवरण	Particulars	As at 31.03.2016	As at 31.03.2015
आरबीआई के अनुसार मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provisions towards Standard Assets held as per RBI Norms	2285.85	2373.50

5.4.5 Provisions on Standard Assets

5.5 कारोबार अनुपात

5.5 Business Ratios

Sr. No.	विवरण	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
(i)	औसत कार्यशील निधियों में ब्याज आय का प्रतिशत	Interest Income as a percentage to average Working Funds	6.49%	6.81%
(ii)	औसत कार्यशील निधियों में गैर-ब्याज आय का प्रतिशत	Non-interest income as a percentage to average Working Funds	0.57%	0.66%
(iii)	औसत कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ का प्रतिशत	Operating Profit as a percentage to average Working Funds	0.94%	1.17%
(iv)	आस्तियों पर प्रतिफल	Return on Assets	-0.94%	0.27%
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि + अग्रिम)	Business per employee (deposits plus advances)	17.96	20.69
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ	Profit per employee	-0.122	0.037

5.6 आस्ति देयता प्रबंधन

आस्तियों एवं देयताओं की कतिपय मदों का परिपक्वता प्रकार यथा 31 मार्च, 2016

5.6 Asset Liability Management

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31st March 2016

विवरण Details	1 दिन Day 1 (01/04/2015)	2 से 7 दिन तक 2 to 7 days (02/04/2015 To 07/04/2015)	8 से 14 दिन तक 8 TO 14 DAYS (08/04/2015 to 14/04/2015)	15 से 28 दिन तक 15 TO 28 DAYS (15/04/2015 to 28/04/2015)	28 दिन से अधिक 3 महीने तक Over 28 days up to 3 months (29/04/2015) to 30/06/2015)	3 महीनों से अधिक एवं 6 महीने तक Over 3 months and up to 6 months (01/07/2015 to 30/09/2015)	6 महीनों से अधिक एवं 1 वर्ष तक Over 6 months and up to 1 year. (01/10/2015 to 31/03/2016)	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्षों तक Over 1 year and upto 3 years. (01/04/2016 to 31/03/2018)	3 वर्षों से अधिक एवं 5 वर्षों तक Over 3 years and up to 5years. (01/04/2018 to 31/03/2020)	5 वर्षों से अधिक Over 5 years (After 31/03/2020)	कुल TOTAL (1 TO 10)
जमाराशियां Deposits	20,372.21	21,303.09	12,195.09	21,663.09	72,096.16	65,130.24	48,779.98	74,427.65	57,489.20	119,547.81	513,004.52
	(18,112.66)	(13,706.78)	(9,288.04)	(36,887.25)	(79,294.73)	(72,329.84)	(56,696.76)	(70,994.66)	(55,937.27)	(118,658.64)	(531,906.63)
अग्रिम Advances	27,047.98	7,613.87	5,899.67	14,138.51	66,557.08	42,577.50	35,190.67	52,309.32	39,407.40	68,446.96	359,188.96
	(32,281.12)	(7,626.26)	(5,952.95)	(10,646.74)	(99,215.82)	(50,016.17)	(41,391.00)	(43,839.89)	(43,112.72)	(67,942.88)	(402,025.55)
निवेश Investments	112.40	14.89	1,920.92	174.00	5,000.59	2,067.69	5,931.52	20,672.81	14,951.37	68,002.72	118,848.91
	(155.29)	(295.47)	(90.82)	(771.70)	(2,772.68)	(1,318.43)	(1,433.71)	(20,128.57)	(24,740.09)	(68,085.29)	(119,792.05)
उधार Borrowings	4,693.25	11,459.27	1,992.79	226.92	5,040.69	2,725.81	208.05	5,784.63	11,951.28	7,000.45	51,083.14
	(458.52)	(5,110.01)	(1,379.33)	(2,119.90)	(6,705.00)	(6,717.61)	(3,221.77)	(3,965.52)	(10,379.02)	(0.46)	(40,057.14)
विदेशी मुद्रा अस्तियां Foreign Currency Assets	6,193.50	3,912.34	4,394.41	11,942.66	24,579.91	21,793.02	21,066.12	16,936.21	11,784.22	8,047.18	130,649.57
	(3,189.74)	(5,478.63)	(3,981.09)	(7,340.12)	(30,964.76)	(21,341.57)	(20,452.88)	(22,742.64)	(15,644.83)	(5,920.11)	(137,056.37)
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	9,480.79	22,421.43	7,508.24	9,748.05	49,709.49	41,298.49	40,094.26	13,600.46	10,499.67	1,808.51	206,169.39
	(4,802.01)	(7,532.77)	(6,063.42)	(10,596.01)	(52,001.86)	(41,213.56)	(38,223.70)	(9,800.79)	(3,124.04)	(1,166.42)	(174,524.58)

5.7 एक्सपोज़र

5.7.1 रियल इस्टेट क्षेत्र हेतु एक्सपोज़र: प्रबंधन द्वारा यथा समेकित

5.7 Exposures

5.7.1 Exposure to Real Estate Sector: As compiled by the management

Sr. No.		Category	As at 31.03.2016	As at 31.03.2015
a)	प्रत्यक्ष एक्सपोज़र	Direct Exposure	**25900.86**	**35010.19**
i.	आवासीय बंधक	Residential Mortgages	17891.74	24370.20
	जिसमें से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के गृह ऋण	Out of which Priority Sector housing loans	8606.77	12688.53
ii.	व्यवसायिक रियल इस्टेट	Commercial Real Estate	7638.78	10639.39
iii.	गिरवी रखी गयी प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतित एक्सपोजर में निवेश	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised Exposures	370.34	0.00
	क) आवासीय ख) व्यवसायिकरियलइस्टेट	a) Residential b) Commercial Real Estate	46.80 323.54	0.00 0.00
b)	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर	Indirect Exposure	**5477.00**	**12501.18**
	नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसीज्) परनिधि आधारित एवं गैर निधि आधारित एक्सपोजर	Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	5477.00	12501.18
	रियल इस्टेट सेक्टर हेतु कुल एक्सपोजर	**Total exposure to Real Estate Sector**	**31377.86**	**47511.37**

5.7.2 पूंजी बाजार हेतु एक्सपोजर:

5.7.2 Exposure to Capital Market:

Sr. No		Category	31.03.2016	31.03.2015
i)	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फण्ड में निवेश जिनकी आधारभूत निधि केवल कार्पोरेट ऋण में प्रत्यक्ष निवेश नहीं किया गया;	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	969.73	910.47
ii)	शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों/अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित) परिवर्तनीय बॉण्ड/ परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए अग्रिम;	Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	10.89	12.88
iii)	अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिट को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	8.57	4.96
iv)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के समक्ष कंपनियों के लिए पूरक ऋण;	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	49.08	210.80
v)	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers;	2225.69	2569.35
vi)	मार्जिन व्यवसाय हेतु स्टॉक ब्रोकरों के लिए वित्तपोषण;	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new Companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00

Sr. No		Category	31.03.2016	31.03.2015
vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह / निर्गमों के निमित्त कंपनियों के लिए पूरक ऋण	Bridge loans to Companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.00
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
ix)	मार्जिन कारोबार हेतु स्टॉक ब्रोकरों के लिए वित्त पोषण	Financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
x)	उद्यम के लिए पूँजी निधी हेतु सभी एक्सपोज़र (पंजीकृत और अपंजीकृत)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	434.38	592.18
	पूँजी बाजार में कुल एक्सपोज़र	**Total Exposure to Capital Market**	**3698.34**	**4300.64**

5.7.3 जोखिम प्रवर्गवार देश का एक्सपोज़र

5.7.3 Risk Category wise Country Exposure

Sr.No.	जोखिम प्रवर्ग	Risk Category	यथा / As at 31.03.2016		यथा / As at 31.03.2015	
			एक्सपोज़र (निवल) Exposure (Net)	धारित प्रावधान Provision held	एक्सपोज़र (निवल) Exposure (Net)	धारित प्रावधान Provision held
1	नगण्य	Insignificant	42,088.27	49.79	65,483.08	72.96
2	न्यून	Low	26,978.77	40.39	32,375.71	20.80
3	साधारण	Moderate	3,528.22	-	3,510.95	0.00
4	उच्च	High	1,295.97	-	1,282.68	0.00
5	बहुत उच्च	Very High	0.69	-	111.13	0.00
6	प्रतिबंधित	Restricted	-	-	0.36	0.00
7	ऑफ क्रेडिट	Off credit	-	-	12.68	0.00
	कुल	**Total**	**73,891.92**	**90.18**	**1,02,776.61**	**93.76**

5.7.4. यथा 31 मार्च 2016, बैंक द्वारा बढ़ाई गई एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल):

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोज़र सीमा	स्वीकृत सीमा	31.03.2015 को बकाया
1.	एकल उधारकर्ता			
	कोई नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
2.	सामूहिक उधारकर्ता			
	कोई नहीं	शून्य	शून्य	शून्य

आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए गए विवेकाधिकार के अंतर्गत एमएसपीजीसी पर एक्सपोज़र (विवेकाधिकार सीमाओं पर पूँजीगत निधियों का अतिरिक्त 5%)

यथा 31 मार्च 2015, बैंक द्वारा बढ़ाई गई एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल):

क्र. सं.	उधार कर्ता का नाम	एक्सपो. जरसीमा	स्वीकृत सीमा	31.03.2015 को बकाया
1.	एकल उधारकर्ता			
	कोई नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
2.	सामूहिक उधारकर्ता			
	कोई नहीं	शून्य	शून्य	शून्य

नोट:

प्रकटन हर माह के अंत में बकाया स्थिति की बैंक द्वारा निगरानी पर आधारित है। प्रत्येक माह के अंत में सभी उधारकर्ता समूह पर बैंक का एक्स्पोज़र विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतर्गत थे।

5.7.4. Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank as on 31st March, 2016:

Sr. No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling	Limit Sanctioned	Outstanding as on 31.03.2016
1.	Single Borrower			
	None	NIL	NIL	NIL
2.	Group Borrower			
	None	NIL	NIL	NIL

Exposure on MSPGC is within the discretion given to Banks by RBI (additional 5% of capital funds, over prudential limits)

Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank as on 31st March, 2015:

Sr. No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling	Limit Sanctioned	Outstanding as on 31.03.2015
1.	Single Borrower			
	None	NIL	NIL	NIL
2.	Group Borrower			
	None	NIL	NIL	NIL

Note:

Disclosure is based on monitoring by the Bank of outstanding at the end of each month. Exposures on all Borrower groups were within the prudential norms at the end of each month.

5.7.5 गैर-जमानती अग्रिम:

विवरण	2015-16	2014-15
अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेन्स, प्राधिकार आदि के प्रभार पर बकाया अग्रिम की कुल राशि.	1030.55	2, 203.04
ऐसी अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति का अनुमानित मूल्य	706.14	2, 154.53

5.7.6 विविध

5.7.7 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किए प्रावधान की राशि

विवरण	2015-16	2014-15
आयकर के लिए प्रावधान	1615.09	989.48
आस्थागित कर के लिए प्रावधान	(3316.64)	(903.35)
कुल	(1701.55)	86.13

5.8 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगायी गई शास्तियों (पेनल्टीज़) का प्रकटन

विवरण	2015-16	2014-15
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के अंतर्गत लगाई गई शास्तियां (पेनल्टी)	0.17	0.18

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति दि. 29.04.2015 के माध्यम से बैंक को सचेत किया था और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल) से संबंधित उचित उपाय करने तथा भविष्य में इसकी आवश्यकताओं के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु समय समय पर इसकी समीक्षा करने की सूचना दी थी ।

6. लेखांकन मानकों के अनुसार अपेक्षित प्रकटन जहां भारतीय रिज़र्व बैंक ने लेखे पर टिप्पणियों के प्रकटन मदों के विषय पर दिशानिर्देश जारी किए हैं:

6.1 लेखांकन मानक 9 - राजस्व मान्यता

अनुसूची 17: मुख्य लेखांकन नीतियों के लेखांकन नीती सं. 3 के अनुसार आय की कुछ मदों को वसूली के पश्चात स्वीकार किया जाता है। तथापि उक्त आय को मूर्त नहीं माना जाता है

6.2 लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ

5.7.5 Unsecured Advances:

Particulars	2015-16	2014-15
Total amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as the rights, licenses, authority, etc.	1030.55	2203.04
Estimated value of such intangible collateral securities	706.14	2154.53

5.7.6 Miscellaneous:

5.7.7 Amount of Provisions made for Income-tax during the year

Particulars	2015-16	2014-15
Provision for Income Tax	1615.09	989.48
Provision for Deferred Tax	(3316.64)	(903.35)
Total	**(1701.55)**	**86.13**

5.8 Disclosures of Penalties imposed by RBI & Other Regulators

Particulars	2015-16	2014-15
Penalty imposed under Section 46(4) of The Banking-Regulation Act, 1949	0.17	0.18

The RBI vide press release dated 29.04.2015 have cautioned the bank and asked that appropriate measures on Know Your Customer (KYC)/Anti Money Laundering (AML) be put in place and reviewed from time to time to ensure strict compliance of the requirements in future.

6. Disclosure requirements as per Accounting Standards (AS) where RBI has issued guidelines in respect of disclosure items for Notes to Accounts:

6.1 Accounting Standard 9 – Revenue recognition

Certain items of income are recognised on realisation basis as per Accounting Policy no. 3 of Schedule 17: Significant Accounting Policies. However, the said income is not considered to be material.

6.2 Accounting Standard 15 – Employee Benefits

Sr. No.	विवरण	Particulars	2015-2016		2014-2015	
			ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension
(i)	प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक पूर्वानुमान :	**Principal actuarial assumptions used:**				
	छूट दर	Discount Rate	8.01%	8.06%	7.96%	7.95%
	आयोजन आस्तियों पर प्रतिफल दर	Rate of Return on Plan Assets	8.79%	8.94%	8.38%	8.61%
	वर्तमान वेतन वृद्धि	Salary EscalationCurrent	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	वर्तमान ह्रास दर	Attrition Rate	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
(ii)	लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शानेवाली तालिका	**Table showing change in benefit obligation:**				
	अवधि के प्रारंभ में देयता	Liability at the beginning of the -				
	ब्याज लागत	period	1311.00	9420.03	1402.55	8038.24
	वर्तमान सेवा लागत	Interest Cost	94.03	715.46	101.37	610.73
	प्रदत्त लाभ	Current Service Cost	93.49	1097.46	73.03	890.30
	दायित्वों % पर बीमांकित (लाभ)/हानि	Benefit Paid	(274.13)	(1086.70)	(258.17)	(712.15)
		Actuarial (gain)/loss on Obligation	146.31	930.23	(7.79)	592.91
	वर्ष के अंत में देयता	**Liability at the end of the year**	1370.70	11076.48	1311.00	9420.03

Sr. No.	विवरण	Particulars	2015-2016		2014-2015	
			ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension
(iii)	प्लान एसेट्स के उचित मूल्य की तालिका : अवधि प्रारंभ में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल अंशदान प्रदत्त लाभ प्लान एसेट्स पर बीमांकित लाभ/(हानि) वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य मानने योग्य कुल बीमांकित लाभ/(हानि)	**Table of Fair value of Plan Assets:** Fair Value of Plan Assets at the Beginningof the period Expected return on Plan Assets Contributions Benefit Paid Actuarial gain/(loss) on Plan Assets Fair Value of Plan Assets at the end of the year **Total Actuarial Gain/(Loss) to be recognised**	 1265.18 111.21 128.01 (274.13) (6.41) 1223.87 (152.71)	 9041.48 808.31 1650.77 (1086.70) 101.74 10515.60 (828.50)	 1316.51 110.32 77.25 (258.17) 19.27 1265.18 (27.05)	 7261.20 625.18 1554.61 (712.15) 312.64 9041.48 280.27
(iv)	संक्रमणकालीन देयता की मान्यता : प्रारंभ में संक्रमणकालीन देयता वर्ष के दौरान पहचानी गई संक्रमणकालीन देयता	**Recognition of Transitional Liability:** Transitional Liability at start Transition Liability recognised during the year **Transition Liability at end**	 0.00 0.00 0.00	 0.00 0.00 0.00	 85.79 85.79 0.00	 442.42 442.42 0.00
(v)	प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल : प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल प्लान एसेट्स पर बीमांकित लाभ/(हानि) प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल	**Actual return on Plan Assets:** Expected Return on Plan Assets Actuarial gain/(loss) on Plan Assets **Actual return on Plan Assets**	 111.21 (6.41) 104.80	 808.31 101.74 910.05	 110.32 19.27 129.59	 625.18 312.64 937.82
(vi)	तुलन पत्र में मान्य राशि : अवधि के अंत में देयता वर्ष के अंत में प्लान एसेट.स का उचित मूल्य मूल्य अंतर अमान्य परिवर्तन देयता तुलन पत्र में मान्य राशि	**Amount recognised in the Balance Sheet:** Liability at the end of the period Fair Value of Plan Assets at the end of the year **Amount Recognised in the Balance Sheet**	 1370.70 1223.87 (146.83)	 11076.48 10515.60 (560.88)	 1311.00 1265.18 (45.82)	 9420.03 9041.48 (378.55)
(vii)	आय विवरण - पत्र में मान्य व्यय : वर्तमान सेवा लागत ब्याज लागत प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल विगत वर्षों के मान्यष व्यय संक्रमण कालीन देयता-मान्य बीमांकिक (लाभ) या हानि लाभ एवं हानि में मान्य व्यय	**Expenses recognised in the Income Statement:** Current Service Cost Interest Cost Expected Return on Plan Assets Expenses recognized relating to prior years Recognition of Transition Liability Actuarial (Gain) or Loss **Expense Recognised in P & L**	 93.49 94.03 111.21 - 0.00 152.71 229.03	 1097.46 715.46 808.31 - 0.00 828.50 1833.11	 73.03 101.37 110.32 - 85.79 (27.05) 122.82	 890.30 610.73 625.19 - 442.42 280.27 1598.53
(viii)	तुलन पत्रसमाधान : प्रारंभिक निवल देयता (तुलन पत्र में मान्य की गई विगत अवधिकी निवल राशि) उपर्युक्त अनुसार व्यय नियोक्ता का अंशदान तुलन पत्र में मान्य राशि	**Balance Sheet Reconciliation:** Opening Net Liability (Last period's net amount recognized in the balance sheet) Expenses as above Employer's Contribution **Amount Recognised in Balance Sheet**	 45.82 229.03 (128.01) 146.83	 378.55 1833.11 (1650.77) 560.88	 0.25 122.82 (77.25) 45.82	 334.63 1598.53 (1554.61) 378.55
(ix)	आस्तियों का प्रवर्ग: भारत सरकार की आस्तियां कार्पोरेट बांड्स राज्य सरकार अन्य कुल	**Category of Assets:** Government of India Assets Corporate Bonds State Government Other **Total**	 90.44 674.79 416.19 42.45 1223.87	 1705.51 5315.28 3217.06 277.75 10515.60	 126.48 681.65 415.24 41.81 1265.18	 1234.6 4277.90 3180.33 348.64 9041.47
(x)	अनुभव समायोजन : प्लान देयता पर (लाभ)/हानि प्लान एसेटपर (हानि)/लाभ	**Experience Adjustment:** **On Plan Liability (Gain)/Loss** **On Plan Asset (Loss)/Gain**	 146.31 (6.41)	 930.23 101.74	 (7.79) 19.27	 592.91 312.65

Other long term employee benefits*

विवरण	Particulars	Liability as on 31.03.2016	वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान Provisions made during the year	Liability as on 31.03.2015	वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान Provisions made during the year
अवकाश नकदीकरण	Leave Encashment	625.41	47.92	577.49	39.45
अवकाश यात्रा छूट	Leave Travel Concession	55.24	2.98	52.26	3.77
पुनर्वास लाभ	Resettlement Benefits	6.63	(0.16)	6.79	0.46
माइलस्टोन अवार्ड	Milestone Awards	3.81	0.90	2.91	0.87
बिमारी छुट्टी	Sick Leave	30.22	30.22	0.00	0.00

* अन्य दीर्घावधि लाभ के लिए वास्तविक अनुमान ग्रेज्यूटी के लिए प्रयुक्त के समान ही है।

बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अंशदान को व्यभय के रूप में माना है। वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसी निधि जो एक परिश्चित अंशदान योजना है, के लिए रू. 84.61 करोड (विगत वर्ष रू. 54.96करोड) का अंशदान दिया है ।

बी) बैंक ने एलआईसी 1994-96 , जिसका कर्मचारी लाभ के संबंध में पिछले वर्ष तक अनुसरण किया जा रहा था, के स्थान पर आईएएलएम 2006 - 08 का लाभ अथवा हानि की सीमाटेबलअपनाने का निर्णय लियाहै। वास्तविक सीमा तक लेखांकन अनुमानों में ऐसे परिवर्तन के असर ने, मृत्युटेबल में परिवर्तन के कारण, इस वर्ष के लिए रू. 909.77 की निवल हानि में अनुवर्ती बढ़ोत्री के साथ रू. (कर असल का निवल) रू. 1391.25 की परिचालन खर्च की वृद्धि हुई है। 6.3 लेखांकन मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग

* The actuarial assumptions for other long term benefits are same which are used for Gratuity.

a The bank has recognised contribution to employees' Provident Fund and defined contribution scheme as an expense. During the year, the bank has contributed ₹ 84.61 (previous year ₹ 54.96) towards such fund which is a defined contribution plan.

b The Bank has decided to adopt IALM 2006-08 table instead of LIC 1994-96 which was followed till last year in respect of employees' benefits. The impact of such change in accounting estimate to the extent of actuarial gain or loss, due to change in mortality table, has resulted in increase in operating expenses by ₹ 1391.25 with consequential increase in Net Loss by ₹ 909.77 (net of tax impact) for the year.

6.3 लेखांकन मानक 17 - खण्ड रिपोर्ट करना
भाग क: कारोबार खण्ड

6.3 Accounting Standard 17 - Segment Reporting
Part A: Business Segment

कारोबार खण्ड Business Segment	कोषागार परिचालन Treasury Operations		थोक बैंकिंग परिचालन Wholesale Banking Operations		खुदरा बैंकिंग परिचालन Retail Banking Operations		अन्य बैंकिंग (*)Other Banking Operations		कुल Total	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
राजस्व Revenue	12,066.32	12,921.95	20,059.30	21,934.90	14,231.44	12,789.01	0.00	0.00	46,357.06	47,645.86
गैर-अंबटित राजस्व Unallocated revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(737.20)	140.50
अंतर खंड राजस्व Inter segment revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(170.85)	(123.75)
कुल राजस्व Total Revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	45,449.01	47,662.61
परिणाम Results	1,002.04	1,509.96	(7,420.77)	750.07	(104.30)	131.79	0.00	0.00	(6523.03)	2,391.82
गैर अंबटित व्यय Unallocated Expenses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(1267.73)	(596.76)
परिचालन लाभ Operating Profit/(Loss)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(7790.76)	1,795.05
आयकर Income Tax	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(1701.55)	86.13
असाधारण लाभ /हानि Extraordinary Profit/ (Loss)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	0.00	0.00
निवल लाभ Net Profit/(Loss)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(6089.21)	1,708.92

कारोबार खण्ड Business Segment	कोषागार परिचालन Treasury Operations		थोक बैंकिंग परिचालन Wholesale Banking Operations		खुदरा बैंकिंग परिचालन Retail Banking Operations		अन्य बैंकिंग (*)Other Banking Operations		कुल Total	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
अन्य जानकारी Other Information :										
खंड अस्तियां Segment Assets	2,01,769.92	1,86,936.02	2,82,837.56	3,17,373.16	1,11,820.01	99,965.15	0.00	0.00	5,96,427.49	6,04,274.33
गैर आंबटित अस्तियां Unallocated Assets	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13,486.44	14,423.42
खंड देयताएं Total Assets	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6,09,913.93	6,18,697.75
खंड देयताएं Segment Liabilities	1,94,677.31	1,79,582.90	2,72,439.64	3,04,581.81	1,08,453.79	96,273.30	0.00	0.00	5,75,570.74	5,80,438.01
गैर आंबटित देयताएं Unallocated Liabilities	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2025.97	6,813.01
कुल Total Liabilities	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5,77,596.71	5,87,251.02

(*) बैंक का कोई अर्थपूर्ण अन्य बैंकिंग परिचालन नहीं है।

(*) The Bank does not have any significant "Other Banking Operations".

भागख : भौगोलिक खण्ड

Part B: Geographical Segment

भौगोलिक खण्ड	Geographical Segments	स्वदेशी / Domestic		अंतर्राष्ट्रीय / International		कुल Total	
विवरण	Particulars	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
राजस्व	Revenue	40363.59	42650.53	5085.42	5012.08	45449.01	47662.61
आस्तियां	Assets	438459.73	455336.49	171454.20	163361.27	609913.93	618697.76

बैंक ने लेखांकन मानक (एएस) 17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्राथमिक रिपोर्टिंग वाले खंडों और गौण खंड के रूप में भौगोलिक खंडों को मान्यता दी है।

प्राथमिक खंड : कारोबारी खंड

क) कोषागार परिचालन:खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु कोषागार में संपूर्ण निवेश संविभाग शामिल हैं जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन में लेनदेन।

ख) थोक बैंकिंग: थोक बैंकिंग में वह सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

ग) खुदरा बैंकिंग: खुदरा बैंकिंग में वह निवेश सम्मिलित हैं जो निम्नलिखित दो मानदंडों को पूर्ण करते हैं:

i) एक्सपोजर :अधिकतम कुल एक्सपोजर ₹ 5 करोड़ तक।

ii) कुल वार्षिक टर्नओवर ₹ 50 करोड़ से कम अर्थात मौजूदा कम्पनियों के मामले में विगत 3 वर्षों का औसत टर्नओवर और नई कम्पनियों के लिए पूर्वानुमानित टर्नओवर है।

अंतरखण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, खुदरा बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की क्षतिपूर्ति जमाराशियों कीऔसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

The Bank has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with Accounting Standard 17.

Primary Segment: Business Segments

a. **Treasury Operations:** 'Treasury' for the purpose of Segment Reporting includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations.

b. **Wholesale Banking:** Wholesale Banking includes all advances which are not included under Retail Banking.

c. **Retail Banking :** Retail Banking includes exposures which fulfil following two criteria:

i. Exposure – The maximum aggregate exposure up to ₹5.

ii. The total annual turnover is less than ₹ 50 i.e. the average turnover of the last three years in case of existing entities and projected turnover in case of new entities.

Pricing of Inter-Segmental transfers

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

लागत का विनियोजन

क) विशेष खण्ड को सीधे प्रदान किए गए व्ययों को संबंधित खण्ड में विनियोजित किया गया है।

ख) विशेष खण्ड को सीधे न प्रदान किए गए व्ययों को कर्मचारियों/संचालित कारोबार की संख्या केअनुपात में विनियोजित किया गया है।

गौण खण्ड : भौगोलिक खण्ड

क) स्वदेशी परिचालन

ख) अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

6.4. लेखांकन मानक 18 संव्यवहारों स संबंधित पक्षकार: प्रबंधन द्वारा संकलित तथा लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया

I) संबंधित पक्षकारों की सूची

(क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

प्रबंधनिदेशक एवं सीईओ:	श्री मेलविन ओ. रेगो (14.08.2015 से)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक:	श्रीमती वी.आर.अय्यर (31.05.2015 तक)
कार्यपालक निदेशक गण:	श्रीबी.पी. शर्मा
	श्री अरूण श्रीवास्तव (14.05.2015 से)
	श्री आर.पी. मराठे
	श्री आर.ए. शंकरनारायण (15.05.2015 से)

(ख) अनुषंगियाँ :

(i) बीओआईशेयरहोल्डिंगलिमिटेड
(ii) बीओआई एएक्सए इनवेस्टमेंट मैनजर्स प्राइवेट लि.
(i) बीओआई एएक्सए ट्रस्टी सर्विसेज् प्राइवेट लि.
(ii) बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि. (31.10.2014 से)
(iii) पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके
(iv) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लि.
(v) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि.
(vi) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगान्डा) लि.
(ix) बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि

(ग) सहायककंपनियां:

(i) एसटीसीआई फाइनैन्स लिमिटेड
(ii) एएसआरईसी(इंडिया) लि.
(iii) इंडो-जाम्बिया बैंक लि.
(iv) बैंक द्वाराप्रायोजित 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
(क) आर्यावर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (पहले आर्यावर्त ग्रामीण बेंक के रूप में जाना जाता था)
(ख) झारखण्डग्रामीणबैंक
(ग) नर्मदाझाबुआ ग्रामीण बैंक
(घ) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक

(घ) संयुक्त उद्यम

(i) स्टार यूनियन दाई ईची जीवन बीमा कंपनी लि.

Allocation of Costs

a. Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment.

b. Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees/business managed.

Secondary Segment: Geographical Segments

a. Domestic Operations

b. International Operations

6.4 Accounting Standard 18 - Related Party Transactions (As compiled by the management and relied upon by the Auditors)

I) List of Related Parties:

a. Key managerial Personnel :

Managing Director & CEO:	Shri Melwyn O. Rego (w.e.f. 14.08.2015)
Chairperson & Managing Director :	Smt.V. R. Iyer (Upto 31.05.2015)
Executive Directors:	Shri B.P.Sharma
	Shri Arun Srivastava (Upto 14.05.2015)
	Shri R. P. Marathe
	Shri R.A.Sankara Narayanan (W.e.f 15.05.2015)

b. Subsidiaries:

a. BOI Shareholding Ltd.
b. BOI AXA Investment Managers Private Limited
c. BOI AXA Trustee Services Private Limited
d. BOI Merchant Bankers Ltd.
e. Bank of India (Tanzania) Limited
f. PT Bank of India Indonesia Tbk
g. Bank of India (New Zealand) Limited
h. Bank of India (Uganda) Limited
i. Bank of India (Botswana) Limited

c. Associates:

a. STCI Finance Limited
b. ASREC (India) Limited
c. Indo-Zambia Bank Limited
d. 4 Regional Rural Banks sponsored by the Bank
   i. Gramin Bank of Aryavart (Formerly known as Aryavart Kshetriya Gramin Bank)
   ii. Jharkand Gramin Bank;
   iii. Narmada Jhabua Gramin Bank
   iv. Vidharbha Konkan Gramin Bank

d Joint Venture:

(i) Star Union Dai–IchiLife Insurance Co. Ltd.

II) ए) संबंधित पार्टियों के साथ संव्यवहार (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित और लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया)

II) a) Transactions with Related Parties (As compiled by Management and relied upon by the Auditors)

विवरण / Particulars	अनुषंगियाँ/ सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम WITH SUBSIDIARIES/ ASSOCIATES/JOINT VENTURES		प्रमुख प्रबंधन Key Management Personnel		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार Relatives of Key Management Personnel		कुल TOTAL	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
संव्यवहार Transactions								
प्राप्त ब्याज Interest Received	9.98	23.66	-	-	-	-	9.98	23.66
प्रदत्त ब्याज Interest Paid	53.96	1.99	0.07	0.03	0.01	0.01	54.04	2.03
लाभांश Dividend	12.55	9.11	-	-	-	-	12.55	9.11
अन्य आय Other Income	62.39	73.73	-	-	-	-	62.39	73.73
सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेज़री विलों /बांडों की बिक्री Sale of Govt. Securities/Treasury Bills	43.50	279.19	-	-	-	-	43.50	279.19
सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेज़री विलों /बांडों की खरीद Purchase of Govt. Securities/Treasury Bills	967.36	1,110.34	-	-	-	-	967.36	1,110.34
कार्पोरेट बॉंड और अन्य मुद्रा बाजारों उपकरणों की ख़रीद Purchase of Corporate Bonds and Other money market instruments	-	10.37	-	-	-	-	-	10.37
जमा Deposits	0.89	7.55	-	-	-	-	0.89	7.55
परिपक्व जमा Matured Deposits	-	11.40	-	-	-	-	-	11.40
प्रदान किए गए ऋण Loans Provided	2,782.77	1,948.68	-	-	-	-	2,782.77	1,948.68
चुकाए गए ऋण Loans Repaid	3,178.94	1,938.07	-	-	-	-	3,178.94	1,938.07
एनपीए की बिक्री Sale of NPA	-	-	-	-	-	-	-	-
निवेश Investments	-	-					-	-
बकाया शेष Outstanding balance								
देय Payable	-	-	-	-	-	-	-	-
जमा Deposits	119.68	67.62	0.99	0.41	0.08	0.15	120.74	68.18
उधार Borrowing	-	-	-	-	-	-	-	-
ऋण Loans	99.76	495.92					99.76	495.92
जमा की नियुक्ति Placement of the Deposits	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य देयताए Other Liabilities	3.80	1.84					3.80	1.84
प्राप्तियाँ (अग्रिम) Receivables (Advances)	-	-	-	-	-	-	-	-
निवेश Investments	297.68	297.69	-	-	-	-	297.68	297.69

विवरण / Particulars	अनुषंगियाँ/ सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम WITH SUBSIDIARIES/ ASSOCIATES/JOINT VENTURES		प्रमुख प्रबंधन Key Management Personnel		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार Relatives of Key Management Personnel		कुल TOTAL	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
गैर वित्तपोषित प्रतिबद्धता Non Funded Commitment	-	-	-	-	-	-	-	-
पट्टे पर/एचपी व्यवस्था का लाभ उठाया गया Leasing / HP arrangements availed	-	-	-	-	-	-	-	-
पटटे पर/एचपी व्यवस्था प्रदान की गयी Leasing / HP arrangements provided	-	-	-	-	-	-	-	-
अचल संपत्तियों की खरीद Purchase of fixed assets	-	-	-	-	-	-	-	-
अंचल संपत्तियों की बिक्री Sale of fixed assets	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य अस्तियाँ Other Assets	6.51	7.98	-	-	-	-	6.51	7.98

बी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक: पारीश्रमिक प्रदत्त (₹ मे)

b) Key Management Personnel: Remuneration Paid (in ₹)

क्र. सं. Sr. No.	नाम	Name	पदनाम / Designation	2015-16	2014-15
1	श्री मेलविन रेगो	Shri Melwyn O Rego	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ / MD & CEO	1,847,503	0.00
2	श्रीमती वी.आर. अय्यर	Smt. V. R. Iyer	पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / Chairperson & Managing Director	7,78,874	26,01,414
3	श्री बि. पी. शर्मा	Shri B. P. Sharma	कार्यपालक निदेशक / Executive Director	20,70,928	21,50,109
4	श्री आर.पी. मराठे	Shri R. P. Marathe	कार्यपालक निदेशक / Executive Director	18,08,012	1,13,939
5	श्री आर.ए.शंकरनारायणन	Shri R.A.Sankar narayanan	कार्यपालक निदेशक / Executive Director	17,04,520	0.00
6	श्री अरुण श्रीवास्तव	Shri Arun Shrivastava	कार्यपालक निदेशक / Executive Director	2,25,656	19,55,812
7	श्री आर.कोटीस्वरन	Shri R. Koteeswaran	कार्यपालक निदेशक / Executive Director	-	15,40,052

सहायक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संव्यवहार राज्य नियंत्रित होने के कारण एएस-18 के पैरा 9 की दृष्टि में प्रकटन नहीं किए गए हैं जोकि आईसीएआई द्वारा संबंधित पार्टी प्रकटन के लिए जारी किए हैं जिसमें इन पार्टियों के दूसरे पक्षकारों के साथ, जो भी राज्य नियंत्रित उद्यम है, संव्यवहारों को प्रकटन न करने की छूट है।

The transactions with the subsidiaries and regional rural banks, being state controlled, have not been disclosed in view of Para 9 of AS-18 on Related party disclosure issued by ICAI exempting 'State controlled enterprises' from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also 'State Controlled Enterprises'.

6.5. लेखांकन मानक 19 - पट्टा वित्तपोषण (मूल बैंक)

पट्टा वित्तपोषण और इसके घटकों में बैंक के निवेश की संविदागत परिपक्वताएं जो अग्रिमों में शामिल की गई हैं का उल्लेख नीचे किया गया है:

6.5 Accounting Standard 19 – Lease Financing

The contractual maturities of the Bank's investment in lease financing and itscomponents,which are included in advances, are set out below:

Sr. No.	विवरण	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
a)	सकल निवेश	Gross Investments	0.00	0.00
b)	प्राप्य पट्टा भुगतान	Lease payment receivables		
	(i) 1 वर्ष से अधिक नहीं	(i) not later than 1 year	0.00	0.00
	(ii) 1 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से अधिक नहीं	(ii) later than 1 year but not later than 5 years	0.00	0.00
	(iii) 5 वर्ष से अधिक	(iii) later than 5 years	0.00	0.00
	कुल	TOTAL	0.00	0.00
c)	अनर्जित वित्त आय	Unearned finance income	0.00	0.00
d)	निवल निवेश ड क - ग .	Net investments [a – c]	0.00	0.00

₹ शून्य की पट्टा आय (पिछले वर्ष ₹ शून्य)अर्जित ब्याज के तहत शामिल की जाती है।

Lease income of ₹ Nil (previous year ₹ Nil) is included under Interest Earned.

6.6 लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर अर्जन

6.6 Accounting Standard 20 - Earnings per Share in ₹

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	2015-16	2014-15
1.	आधारभूत और तनुकृत *(₹) / Basic & Diluted *	(83.01)	26.57

आधारभूत एवं तनुकृत ईपीएस का परिकलन

Calculation of Basic & Diluted E.P.S.

क्र. सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	2015-16	2014-15
(A)	इक्विटी शेयाधारकों को प्रदान करने योग्य वर्ष के लिए निवल लाभ (₹ करोड़) (ए)	Net Profit/(Loss) for the year attributable to Equity Shareholders	(6089.21)	1,708.92
(B)	इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (₹ करोड़)(बी)	Weighted Average Number of Equity shares (in Crores)	73.35	64.31
(C)	मूलभूत प्रति शेयर आय (ए/बी) (₹)	Basic Earnings per Share (A/B) (₹)	(83.01)	26.57
(D)	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

* आधारभूत एवं तनुकृत ई.पी.एस. समान ही है क्योंकि मंदी संभाव्य इक्विटी शेयर नहीं है। .

*Basic & Diluted E.P.S. are same as there are no dilutive potential equity shares.

6.7 लेखांकन मानक 22 - आय पर करों के लिए लेखांकन

आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

6.7 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

The major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
	आस्थागित कर आस्तियां	**Deferred Tax Assets**		
i)	प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण	On account of provision for doubtful debt and advances	4025.32	1083.85
ii)	अन्य प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण	On account of timing difference towards other provisions	138.15	203.85
iii)	विदेशी मुद्रा अनुवाद रिजर्व के कारण (FCTR)	On account of Foreign Currency Translation Reserve (FCTR)	154.11	0.00
iv)	अन्य	Others	307.40	129.92
	कुल आस्थगित कर आस्तियाँ	**Total Deferred Tax Assets**	**4624.98**	**1417.62**
	आस्थगित कर देयता	**Deferred Tax Liabilities**		
i)	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के कारण	On account of Depreciation on fixed assets	120.55	81.18
ii)	निवेश पर मूल्यह्रास के कारण	On account of Depreciation on investment	228.34	345.83
iii)	प्रोदभूत ब्याज जो देय नहीं हैं के कारण	On account of interest accrued but not due	724.30	772.63
iv)	आय कर अधिनियम 1961 की कटौती यू/एस 36(01)(ग्ग) के कारणड	On account of Deduction u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act 1961*	750.99	750.99
iv)	अन्य	Others	23.23	5.04
	कुल आस्थगित कर देयताएं	**Total Deferred Tax Liabilities**	**1847.41**	**1956.18**
	निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)	**Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)**	**2777.57**	**(538.56)**

* ₹ 431.67 अतीत के भंडार से बाहर है और लाभ शेष से बाहर

* ₹ 431.67 out of past reserves and balance out of profit

6.8 लेखांकन मानक 27 - ''संयुक्त उद्यमों में निवेश की वित्तीय रिपोर्टिंग'':

निवेश में शामिल हैं ₹ 120 करोड (पिछल वर्ष ₹ 120 करोड़) निम्नलिखित संयुक्त रूप से नियंत्रित ईकाई में बैंक की ब्याज का प्रतिनिधित्व :-

6.8 Accounting Standard 27 – Investments in Joint Venture

Investments include ₹ 120 (Previous year ₹ 120) representing Bank's interest in the following jointly controlled entity:

क्र.सं. Sr. No.	कंपनी का नाम / Name of the Company	राशि Amount	निवास देश Country of Residence	होल्डिंग % Holding %
1	स्टार यूनियन डाईची जीवन बीमा कंपनी लि.,/ Star Union Dai–Ichi Life Insurance Company Ltd.	₹ 120	भारत / India	48%

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में समूह के निवेश से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्ययों की कुल राशि:

Aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to the group's interest in jointly controlled entities:

विवरण	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
देयताएं	Liabilities		
पूंजी एवं आरक्षितियां	Capital & Reserves	1.73	0.00
जमाराशियां	Deposits	0.00	0.00
उधार	Borrowings	0.00	0.00
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities & Provisions	2768.07	2635.25
कुल	Total	2769.80	2635.25
आस्तियां	Assets		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदीऔर शेष राशियां	Cash and Balances with Reserve Bank of India	3.98	1.35
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्यधन	Balances with Banks and Money at call and short notice	19.00	22.07
निवेश	Investments	2559.06	2461.20
अग्रिम	Advances	4.99	3.51
अचल आस्तियां	Fixed Assets	4.53	3.15
अन्य आस्तियां	Other Assets	178.24	143.97
कुल	Total	2769.80	2635.25
पूंजीगत बाध्यताएं	Capital Commitments	0.00	0.00
अन्य आकस्मिक देयताएं	Other Contingent Liabilities	5.20	1.97
आय	Income		
अर्जित ब्याज	Interest Earned	5.79	5.08
अन्य आय	Other Income	39.39	2.80

विवरण	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
कुल	Total	45.18	7.88
व्यय	Expenditure		
व्यय किया गया ब्याज	Interest Expended	0.00	0.00
परिचालन व्यय	Operating Expenses	32.88	3.94
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions & Contingencies	0.00	0.00
कुल	Total	32.88	3.94
लाभ / (हानि)	Profit / (Loss)	12.30	3.94

6.9. परिसंपत्ति की हानि (लेखांकन मानक 28) : ₹ शून्य

6.10. (लेखांकन मानक 29): ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां''

क. देयताओं हेतु प्रावधानों में उतार चढाव(अन्य के प्रावधानों को निकाल कर)

6.9 Impairment of Assets (Accounting Standard 28): ₹ Nil

6.10 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" (Accounting Standard 29)

A Movement of Provisions for contingent liabilities

विवरण	Particulars	विधिक मामले/आकस्मिकताएं Legal cases/contingencies	
		2015-16	2014-15
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	28.20	26.95
वर्ष के दौरान प्रावधान	Provided during the year	13.48	1.25
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	Amounts used during the year	0.00	0.00
अंतिम शेष	Closing Balance	41.68	28.20
बहिर्गमन का समय/अनिश्चितताएं	Timing of outflow/uncertainties	समझौते / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन Outflow on settlement / Crystallization	समझौते / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन Outflow on settlement / Crystallization

ख. आकस्मिक देयताएं

यथा उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता करने/ न्यायालय के बाहर समझौता, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तें, विकास तथा संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई मांग जैसा भी मामला हो पर क्रमश: निर्भर करता हे। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

B. Contingent Liabilities

Such liabilities are dependent upon, the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

7. अतिरिक्त देयताएं

7.1 प्रावधान और आकस्मिकताएं

लाभ और हानि खाते में दिखाए गए ''प्रावधान और आकस्मिकताएं'' का ब्रेक-अप निम्नानुसार है:

7. Additional Disclosures

7.1 Provisions and Contingencies

The break-up of "Provisions and Contingencies" appearing in the Profit and Loss Account is as under:

विवरण	Particulars	2015-16	2014-15
निवेश के मूल्यह्रास पर प्रावधान	Provision for Depreciation on Investment	350.73	(50.40)
एनपीए हेतु प्रावधान	Provision towards NPA	14,101.92	5,227.43
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	Provision towards Standard Assets	(128.40)	408.60
आयकर के लिए किया गया प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	Provision made towards Income Tax * (including Deferred Tax)	(1,701.56)	86.13
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	**Other Provision & Contingencies**		
• पुनर्गठित खातों में त्याग हेतु प्रावधान	• Provision for Sacrifice in Restructured Accounts	(531.30)	107.96
• देशीय जोखिम हेतु प्रावधान	• Provision for Country Risk	(3.58)	23.59
• अन्य प्रावधान	• Other Provisions	37.02	(24.46)
कुल.	**Total**	**12,124.83**	**5,778.85**

* पिछले वर्ष के लिए ₹ 308.63 प्रावधान शामिल है।

* including ₹ 308.63 towards provision for earlier years.

7.2 अस्थिर प्रावधान (काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर)

विवरण	Particulars	2015-16	2014-15
फ्लोटिंग प्रोविजन खाते में प्रारम्भिक शेष मात्रा	Opening Balance in the floating provisions account	232.22	364.43
लेखाकंन वर्ष में किए गए फ्लोटिंग प्रोविजनस् की प्रमात्रा	The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	100.00
लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन की राशि (ड्रॉ डाउन प्रयोजन, यदि कोई हो, दिया जाए)	Amount of draw down made during the accounting year	0.00	232.21
अस्थिर प्रावधान खाते में अंतिम शेष	Closing Balance in the floating provisions account	232.22	232.22

7.2 Floating Provisions (Countercyclical provisioning buffer)

7.3 रिजर्वस् से ड्रॉ डाउन

वर्ष के दौरान /पिछले वर्ष के दौरान रिजर्वस से कोई ड्रॉ डाउन नहीं किया है।

7.3 Draw Down from Reserves

There is no drawdown from reserves made during the year/previous year.

7.4 शिकायतों का प्रकटन

i) ग्राहकों की शिकायतें: (प्रबंधन द्वारा समेकित)

क्र.सं. Sr. No	विवरण	Particulars	2015-16	2014-15
(a)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	No. of complaints pending at the beginning of the year	110	64
(b)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	No. of complaints received during the year	15085	9757
(c)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	No. of complaints redressed during the year	14976	9711
(d)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	No. of complaints pending at the end of the year	219	110

7.4 Disclosure of complaints

i. Customer Complaints: *As compiled by the management*

ii) एटीएम से संबंधित शिकायतें : (प्रबंधन द्वारा समेकित)

क्र.सं. Sr. No	विवरण	Particulars	2015-16	2014-15
(a)	वर्ष के आरंभ में लम्बित एटीएम से संबंधित शिकायतें	No. of ATMs complaints pending at beginning of the year	4426	2042
(b)	वर्ष के दौरान प्राप्त एटीएम से संबंधित शिकायतें	No. of ATMs complaints received during the year	353698	151435
(c)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	No. of ATMs complaints redressed during the year	352761	149051
(d)	वर्ष के अंत में लम्बित एटीएम से संबंधित शिकायतें	No. of ATMs complaints pending at the end of the year	5363	4426

ii. ATM Complaints: *As compiled by the management*

iii) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय :

क्र.सं. Sr. No	विवरण	Particulars	2015-16	2014-15
(a)	वर्ष के प्रारंभ में लागू नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0	3
(b)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	2	0
(c)	वर्ष के दौरान लागू किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	No. of Awards implemented during the year	2	3
(d)	वर्ष के अंत में लागू नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	No. of unimplemented Awards at the end of the year	0	0

iii. Awards passed by the Banking Ombudsman:

7.5 बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्रों (एलओसीज्) पर प्रकटन (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

चालू वर्ष के दौरान बैंक ने कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किए हैं। वर्ष 2011-2012 के दौरान, बैंक ने अपने पूर्णतया स्वामित्व की सहायक संस्था बैंक ऑफ़ इंडिया (बीटीडब्ल्यू) लि. के लिए गवर्नर, बैंक ऑफ़ बोतस्वाना को वचनपत्र जारी किया है कि वित्तीय वायदा देय होने पर पूरा किया जाएगा।

वर्ष 2010-11 के दौरान, अपने पूर्णतया स्वामित्व की सहायक संस्था बीओआई (न्यूजीलैंड) लि. के लिए न्यूजीलैंड के रॉयल बैंक के पक्ष में बैंक ने वित्तीय वायदा यदि देय होने पर पूरा करने के लिए अभिभावकीय गारंटी जारी किया है।

तथापि यथा 31.03.2016 में उपर्युक्त वायदों में कोई वित्तीय दायित्व नहीं है।

7.5 Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by bank for Subsidiaries (As compiled by the management)

During current year, the bank has not issued any letter of comforts on behalf of Subsidiaries. During the year 2011-12 the bank has issued an undertaking to the governor, Bank of Botswana in respect of its wholly owned subsidiary, Bank of India (Botswana) Ltd., to meet its financial commitments if they fall due.

During the year 2010-11 the bank issued parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand for its wholly owned subsidiary, BOI(New Zealand) Ltd. to meet its financial obligations, if they fall due.

As on 31.03.2016, no financial obligations have arisen on the above commitments.

7.6 प्रावधानीकरण कवरेज़ अनुपात (पीसीआर)

यथा 31 मार्च 2016 को बैंक के सकल अनर्जक आस्तियों पर प्रावधानीकरण51.14% है (पिछले वर्ष: 52.40%)

7.6 Provisioning Coverage Ratio (PCR)

The Provisioning to Gross Non-Performing Assets of the Bank as on 31st March 2016 is 51.14% (Previous year: 52.40%).

7.7 बैंक एश्योरेंस कारोबार से प्राप्त शुल्क, पारिश्रमिक :

7.7 Fees, remuneration received from Bancassurance business:

विवरण	Particulars	2015-16	2014-15
जीवन बीमा पॉलिसी	Life Insurance Policies	60.65	42.22
गैर-जीवन बीमा पॉलिसी	Non-Life Insurance Policies	19.79	17.62
कुल	**Total**	**80.44**	**59.84**

7.8 जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोज़र तथा एनपीए का संकेंद्रण (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

7.8 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

7.8.1 जमाओं का संकेंद्रन

7.8.1 Concentration of Deposits

विवरण	Particulars	2015-16	2014-15
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं का कुल जमा राशियां	Total Deposits of twenty largest depositors	31,771	42,011
बैंक की कुल जमाराशियाँ में से बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	6.19%	7.90%

7.8.2 अग्रिमों का संकेंद्रन

7.8.2 Concentration of Advances

विवरण	Particulars	2015-16	2014-15
बीस सबसे बड़े उधार कर्ताओं का कुल अग्रिम	Total Advances to twenty largest borrowers	54,732	56,378
बैंक के कुल अग्रिमों में सेबी सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	12.22%	11.53%

7.8.3 एक्सपोज़र कासंकेंद्रण:

7.8.3 Concentration of Exposures

विवरण	Particulars	2015-16	2014-15
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	62,529	57,734
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत	Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	11.01%	9.47%

7.8.4 एनपीएसंकेंद्रण (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

7.8.4 Concentration of NPAs

विवरण	Particulars	2015-16	2014-15
चार शीर्ष एनपीए खातों का कुल एक्सपोज़र	Total Exposure to top four NPA accounts	7,593.27	1,895

7.9 क्षेत्रवार एनपीए(प्रुडेन्शियल /तकनीकी राईट ऑफ को शामिल करते हुए) (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

7.9. Sector-wise Advances (Including Prudential/Technical write off) (As compiled by management)

क्र. सं. Sr. No	क्षेत्र	Sector	2015-16			2014-15		
			बकाया सकल अग्रिम O/S Gross Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that Sector	बकाया सकल अग्रिम O/S Gross Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that Sector
A	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	Priority sector						
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	Agriculture & allied activities	39972.63	2636.41	6.60	35942.53	1797.23	5.00
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में पात्र उद्योगों को अग्रिम	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	26263.03	4431.30	16.87	29955.74	3621.81	12.09
3	सेवाएं	Services	16740.69	1680.57	10.04	13860.35	1048.58	7.57
4	व्यक्तिगत ऋण	Personal loans	6256.61	348.22	5.57	5591.68	174.23	3.12
	उप योग (क)	Sub-total (A)	89232.96	9096.50	10.19	85350.28	6641.85	7.78

क्र. सं. Sr. No	क्षेत्र	Sector	2015-16			2014-15		
			बकाया सकल अग्रिम O/S Gross Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that Sector	बकाया सकल अग्रिम O/S Gross Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that Sector
B	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	Non Priority Sector						
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधिया	Agriculture & allied activities	1432.26	118.15	8.25	572.33	64.53	11.28
2	उद्योग	Industry	157087.94	31659.45	20.15	189231.40	16468.15	8.70
3	सेवाएं	Services	64555.91	3751.31	5.81	72774.51	3533.76	4.86
4	व्यक्तिगत ऋण व्यक्तिगत ऋण	Personal loans	45621.24	697.87	1.53	50904.30	432.53	0.85
	उप योग (ख)	Sub-total (B)	268697.35	36226.78	13.48	313482.54	20498.96	6.54
	योग (क+ख)	Total (A+B)	357930.31	45323.28		398832.86	27140.83	

7.10 एनपीए का मूवमेंट

7.10 Movement of NPAs

विवरण	Particulars	2015-16	2014-15
सकल एनपीए यथा 01.04.2015 को (प्रारंभिक शेष)	Gross NPAs as on 01.04.2015 (Opening Balance)	22193.24	11868.60
वर्ष के दौरान (नए एनपीए) परिवर्धन	Additions(Fresh NPAs) during the year	34510.58	16651.47
उप-जोड (ए)	Sub-total (A)	**56703.82**	**28520.07**
घटाएं :-	Less:		
(i) अपग्रेडेशन	(i) Up gradations	1984.41	2380.66
(ii) वसूलीयाँ (अपग्रेडेड खातों से की गई वसूली को छोड़कर)	(ii) Recoveries-excluding recoveries made from upgraded accounts	2511.86	2688.38
(iii) तकनीकि प्रुडेंशियल राईट ऑफ	(iii) Technical/Prudential Write Offs	1206.42	706.92
(iv) बट्टे खाते लिखाई, उक्त 3 के अंतर्गत छोडकर	(iv) Write offs other those under 3 above	1122.00	550.87
उप-जोड (बी)	Sub-total (B)	**6824.69**	**6326.83**
सकल एनपीए यथा 31.03.2016 (अंतिम शेष)(ए-बी)	Gross NPAs as on 31.03.2016 (Closing Balance) (A-B)	**49879.13**	**22193.24**

7.11 तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले खातों का मूवमेंट (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

7.11 Movement of Technical/Prudential written-off accounts

विवरण	Particulars	2015-16	2014-15
तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले खातों में प्रारंभिक शेष	Opening Balance of Technical/prudential written-off accounts	6206.09	6081.22
जोडें : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते लिखाई	Add: Technical/prudential written-offs during the year	1953.23	1312.90
उप-जोड(ए)	Sub-total(A)	8159.32	7394.12
घटाएं:- पूर्व में तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले खातों में की गई वसूली (बी)	Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year(B)	739.59	1188.03
अंतिम शेष (ए-बी)	Closing Balance (A-B)	7419.73	6206.09

7.12 विदेशीआस्तियां, एनपीएतथाराजस्व

7.12 Overseas Assets, NPAs and Revenue

क्र. सं. Sr. No	विवरण / Particulars	2015-16	2014-15
1	कुलआस्तियां / Total Assets	1,71,454.20	1,63,361.27
2	कुलएनपीए / Total NPAs	8,239.85	1,948.28
3	कुलराजस्व / Total Revenue	5,084.21	5,012.08

7.13 एसपीवीज् स्पॉन्सर ऑफ बैलेन्स शीट

7.13 Off-Balance Sheet SPVs sponsored

स्पॉन्सर किए गए एसपीवी का नाम / Name of the sponsored SPV	
स्वदेशीविदेशी / Domestic	विदेशी / Overseas
शून्य Nil	शून्य Nil

7.14 प्रतिभूतिकरण से सम्बद्ध प्रकटन :

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कोई स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) फ्लोट नहीं किया है।

7.15 क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स :

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स के साथ व्यवहार शुरू नहीं किया है।

7.16 इंट्रा-ग्रप एक्स्पोज़र (प्रबंधन द्वारा संकलित और लेखा परीक्षकों द्वारा समर्थित)

7.14 Disclosure relating to Securitisation

The Bank has not floated any Special purpose Vehicle (SPV) during the Financial Year 2015-16.

7.15 Credit Default Swaps

The bank has not yet started dealing in Credit Default swaps.

7.16 Intra-Group Exposures (As compiled by the management and relied upon by the Auditors)

क्र.सं. Sr. No	इकाई का नाम Name of the Entity	अग्रिम Advances				निवेश INVESTMENTS		कुल Total	
		निधी आधारित Fund Based		गैर निधी आधारित NFB					
		Limits	O/s	Limits	O/s	Limits	O/s	Limits	O/s
1	बीओआई शेयर होल्डिंग लि. BOI Shareholding Limited	8.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.10 (0.00)	0.10 (0.00)	8.86 (1.02)	8.86 (1.02)	16.96 (1.02)	8.96 (1.02)
2	पीटी बैंक ऑफ इंडोनेशिया टीबीके PT Bank of India Indonesia TBK	186.50 (156.25)	185.53 (156.26)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	335.15 (335.15)	335.15 (335.15)	521.65 (491.40)	520.68 (491.41)
3	बैंक ऑफ इंडिया(तंजानिया) लिमिटेड Bank of India (Tanzania) Limited	90.26 (55.98)	27.68 (24.87)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	50.12 (50.12)	50.12 (50.12)	140.38 (106.10)	77.80 (74.99)
4	बैंक ऑफ इंडिया (न्यूझिलैंड)लिमिटेड Bank of India (New Zealand) Limited	1 (1)	0.37 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	176.91 (176.91)	176.91 (176.91)	177.91 (177.91)	177.28 (176.91)
5	बैंक ऑफ इंडिया (यूगांडा) लिमिटेड Bank of India (Uganda) Limited	53.61 (31.11)	39.87 (31.11)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	57.74 (57.74)	57.74 (57.74)	111.35 (88.85)	97.61 (88.85)
6	बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना) लिमिटेड Bank of India (Botswana) Limited	21.86 (0.00)	21.86 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	33.82 (33.82)	33.82 (33.82)	55.68 (33.82)	55.68 (33.82)
7	बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेंट लि; BOI Axa Investment Managers Private Limited	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	49.48 (42.70)	49.48 (42.70)	49.48 (42.70)	49.48 (42.70)
8	बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेस प्राइवेट लि. BOI Axa Trustee Services Private Limited	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
9	बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि. BOI Merchant Bankers Limited	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	10.00 (10.00)	10.00 (10.00)	10.00 (10.00)	10.00 (10.00)
10	स्टार यूनियन दाई-ची लाईफ इन्शूनस कं. लि., Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	120.00 (120.00)	120.00 (120.00)	120.00 (120.00)	120.00 (120.00)
11	एसटीसीआई फाईनांस लि. STCI Finance Limited	500.00 (500.00)	99.76 (495.92)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	130.10 (130.10)	130.10 (130.10)	630.10 (630.10)	229.86 (626.02)
12	एएसआरईसी (इंडिया) लि; ASREC (India) Limited	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	27.60 (27.60)	27.60 (27.60)	27.60 (27.60)	27.60 (27.60)
13	इंडो-झांम्बिया बैंक लि; Indo-Zambia Bank Limited	0.00 (18.75)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	47.59 (47.59)	47.59 (47.59)	47.59 (66.34)	47.59 (47.59)
14	ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवरत Gramin Bank of Aryavart	36.50 (30.45)	32.45 (8.2442)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	32.18 (32.18)	32.18 (32.18)	68.68 (62.63)	64.63 (40.42)
15	झारखंड ग्रामीण बैंक Jharkhand Gramin Bank	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	39.44 (39.44)	39.44 (39.44)	39.44 (39.44)	39.44 (39.44)
16	नर्मदा मालवाझाबुवा ग्रामीण बैंक Narmada Malva Jhabua Gramin Bank	394.88 (428)	170.44 (283.2551)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	40.69 (40.69)	40.69 (40.69)	435.57 (468.69)	211.13 (323.94)
17	विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक Vidharbha Konkan Gramin Bank	0.00 (134.1)	0.00 (91.4611)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	42.67 (42.67)	42.67 (42.67)	42.67 (176.77)	42.67 (134.13)
18	अलाईड बैंक ऑफ नायजेरिया लि; Allied Bank of Nigeria Ltd	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	1.87 (1.87)	1.87 (1.87)	1.87 (1.87)	1.87 (1.87)
	इंट्राग्रुप एक्स्पोजर की कुल राशि **Total amount of Intra Group Exposure**	1292.61 (1355.64)	577.96 (1091.12)	0.10 (0.00)	0.10 (0.00)	1204.20 (1189.58)	1204.20 (1189.58)	2496.91 (2545.22)	1782.26 (2280.70)

C.			
	बैंक का कुल एक्सपोजर	Total Exposure of the Bank	898,362.41
	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर कुल एक्सपोजर का इंट्रा ग्रुप एक्स्पोजर में	% of Intra group Exposure to total exposure on Borrowers/Customers	0.28%
D.	यथा 31.03.2016 तक इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर सीमा का उल्लंघन नहीं	There is no breach of intra group exposure limit as on 31.03.2016.	

7.17 जमाकर्ताओं का शिक्षा और जागरूकता फंड में अंतरण (डीईएएफ)

7.17 Transfers to Depositors Education and Awareness Fund (DEAF)

विवरण	Particulars	FY 2015-16	FY 2014-15
डीईएएफ में अंतरित प्रारंभिक शेष राशि	Opening balance of amounts transferred to DEAF	38.54	0.00
जमा : वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरित राशि	Add : Amounts transferred to DEAF during year	75.18	38.54
घटाएं :दावों के तहत डीईएएफ द्वारा राशि कीप्रतिपूर्ति	Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	0.00	0.00
डीईएएफ में अंतरित राशि का अंतिम शेष	Closing balance of amounts transferred to DEAF	113.72	38.54

7.18 अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

7.18 Unhedged Foreign Currency Exposure:As compiled by the management

क्र.सं. Sr. No	विवरण	Particulars	FY 2015-16	FY 2014-15
A	प्रारंभिक शेष प्रावधानों के खाते	Opening balance provisions account	83.20	0.00
B	लेखा वर्षमेंकिए गए प्रावधानोंकी मात्रा	The quantum of provisions made in the accounting year	6.46	83.20
C	लेखा वर्षके दौरानराशिरिवर्स	Amount Reverse during the accounting year	16.08	0.00
D	प्रावधानों केखाते में समापन संतुलन	Closing balance in the provisions account	73.58	83.20

बैंक के पास बोर्ड द्वारा पूर्ण रूप से अनुमोदित 'अनहैज़ करेंसी एक्सपोज़र' वाली संस्थाओं के एक्सपोज़र के लिए पूंजी एवं प्रावधानीकरण आवश्यकतापर नीति है जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीओडी.सं.बीपी. बीसी.85/21.06.200/2013-14 दिनांक जनवरी 15, 2014 और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.116/21.06.200/2013-14 दिनांक 03 जून, 20014 द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरणों पर आधारित है।

तद्नुसार, इस पर ध्यान दिया गया है कि बैंक यूएफसीई की मासिक अंतराल पर और प्रावधानीकरण और पूंजी आवश्यकताओं की तिमाही आधार पर निगरानी कर रहा है। यथा 31.03.2016, उपलब्ध डाटा और उधारकताओंसे जहां-जहां प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर, बैंक ने कुल ₹ 73.58 का प्रावधान किया है। इस एक्सपोज़र पर अतिरिक्त आरडब्ल्यूए रू. 1287.83 है, जोकि अतिरिक्त न्यूनतम पूंजी आवश्यकता ₹ 115.90 के निमित है।

The bank has duly approved policies by the Board on Capital and Provisioning Requirement for exposures to entities with unhedged foreign currency exposure which is based on RBI circular No.DBOD.No.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated January 15, 2014 and clarifications received vide RBI Circular No. DBOD. No.BP.BC.116/21.06.200/2013-14 dated June 03, 2014.

Accordingly, it is envisaged that the Bank monitors UFCE on a monthly interval and provisioning and capital requirements on a quarterly basis. As on 31.03.2016, based on available data and declaration from the borrowers, wherever received, the Bank has created total provision of ₹73.58. The additional RWA on this exposure is ₹ 1287.83, as against this additional minimum capital requirement is ₹ 115.90.

8. चलनिधि कवरेज अनुपात

मात्रात्मक प्रकटन

8. Liquidity Coverage Ratio: As compiled by the management

Quantitative Disclosure

	राशि ₹ करोड़ों में Amount in ₹ Crore	कुलअनिर्धारित मूल्य (औसत)[1] Total Unweighted Value (average)[1]	कुल भारित मूल्य (औसत)[2] Total Weighted Value(average)[2]
	उच्च् स्तरीय परिसंपत्ति आस्तियाँ / HIGH QUALITY LIQUID ASSETS		
1	कुल उच्च् स्तरीय आस्तियां (एचक्यूएलए) / Total High Quality Assets(HQLA)		61,786.45
	नकदी प्रवाह / CASH OUTFLOW		
2	खुदरा जमाराशियां तथा छोटे कारोबारी ग्राहकों की, जिसमें से Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	339,339.09	33,610.35
(i)	स्थिर जमाराशियां / Stable deposits	6,476.05	324.05
(ii)	कम स्थिर जमाराशियां / Less stable deposits	332,863.04	33,286.30
3	अरक्षित थोक निधियां, जिसमें से : / Unsecured wholesale funding of which:	89,564.67	43,561.91
(i)	परिचालनगत जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार) / Operational deposits (all counterparties)	27,838.57	9,585.16
(ii)	गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) / Non -operational deposits (all counterparties)	55,471.05	27,721.70
(iii)	अरक्षित ऋण / unsecured debts	6,255.05	6,255.05
4	जमानती थोक निधियन / Secured wholesale funding		-
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से / Additional requirements, of which	17,928.45	6,209.24
(i)	ब्युत्पन्न एक्सपोज़र से संबंधित बहिर्गमन / Outflows related to derivative exposures and other collateral requirement	581.20	581.20
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन हानि से संबंधित बहिर्गमन Outflows related to loss of funding on debt products	-	-
(iii)	ऋण तथा चलनिधि सुविधाएं / Credit and liquidity facilities	17,347.24	5,628.04
6	अन्य संविदागत निधियन दायित्व / Other contractual funding obligations	8,942.68	7,936.45
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व / Other contingent funding obligations	43,144.31	2,157.22
8	कुल नकदी बहिर्गमन / TOTAL CASH OUTFLOWS		93,475.17
	नकदी आगमन / CASH INFLOW		
9	जमानदी उधार (उदा:रिवर्स रेपो) / Secured lending(e.g. reverse repos)	4,829.40	2,901.55
10	पूर्णतया निष्पादक एक्सपोजर से आगमन / Inflows from fully performing exposures	28,447.53	20,089.11
11	अन्य नकदी आगमन / Other cash inflows	9,808.54	6,428.85
12	कुल नकदी आगमन / TOTAL CASH INFLOWS	43,085.47	29,419.51
			कुल समायोजित मूल्य 3 Total Adjusted Value 3
21	कुल एचक्यूएलए TOTAL HQLA		61,786.45
22	कुल निवल नकदी बहिर्गमन TOTAL NET CASH OUTFLOWS		64,055.66
23	चलनिधि कवरेज अनुपात (%) / LIQUIDITY COVERAGE RATIO(%)		96.46

एलसीआर के संबंध में गुणात्मक प्रकटन

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार प्रभावी तिथि 1ली जनवरी, 2015 तक बैंक ने चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर दिशानिर्देशों को कार्यन्वित किया।

एलसीआरका मानक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक भार-रहित उच्च स्तरीय चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) को यथोचित स्तर पर अनुरक्षित करता है अत्यधिक चलनिधि दबाव परिदृश्य के अन्तर्गत 30 कलेंडर दिन सीमा के लिए चलनिधि आवश्यकता को पूरा करने के लिए एचक्यूएलए को नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{उच्च स्तरीय चलनिधि आस्तियां}}{\text{अगले 30 कलेंडर दिनों तक कुल निवल नकदी बहिर्गमन}}$$

Qualitative disclosures with regard to LCR

W.e.f. 1st January 2015, the Bank has implemented guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) as directed by Reserve bank of India.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. At a minimum, the stock of liquid assets should enable the bank to survive until day 30 under a severe liquidity stress scenario.

$$\text{LCR} = \frac{\text{High Quality Liquid Assets}}{\text{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}}$$

यहाँ,

- एचक्यूएलए लेवल 1 तथा लेवल 2 आस्तियां सम्मिलित हैं, दूसरे शब्दों में यह नकदी हैं या नकदी मदों के करीब हैं जिसे आवश्यकता पड़ने पर बाज़ार में आसानी से उपयोग किया जा सकता है/भुनाया जा सकता है।
- भारिबैं/बासेल द्वारा परिभाषा के अनुसार दबाव की स्थिति के अन्तर्गत कुल बहिर्गमन पर कुल आगमन का निवल नकदी बहिर्गमन अधिक रहता है। निवल नकदी बहिर्गमन पर पहुंचने के लिए, आगमन को पूर्व परिभाषित मार्जिन के साथ लेना चाहिए तथा बहिर्गमन को पूर्व परिभाषित निकालना फैक्टर पर लेना चाहिए।
- प्रभावि तिथि 01.01.2015 से, अविरत आधार पर न्यूनतम एलसीआर को बनाए रखना बैंकों के लिए आवश्यक है।

Here,

- HQLA comprises of level 1 and level 2 assets, in other words these are cash or near to cash items which can be easily used / discounted in the market in case of need.
- Net cash outflows are excess of total inflows over total outflows under stressed situation as defined by BCBS / RBI. While arriving at the net cash outflow, the inflows are taken with pre-defined hair-cuts and the outflows are taken at pre-defined run-off factors.
- In case stressed inflows are more than the stressed outflows, 25% of total outflows shall be taken as total net cash outflows to arrive at the LCR.
- With effect from 01.01.2015, Banks are required to maintain minimum LCR on an on-going basis as given below:

वर्णन / Details	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019
न्यूनतम एलसीआर / Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

एलसीआर का मुख्य संचालक : उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) खुदरा ग्राकों से उच्च निधियन स्त्रोत के न्यून निवल नकदी प्रवाह एलसीआर के मुख्य संचालक हैं। एचक्यूएलए का प्रचुर स्टॉक एलसीआर विकसित करने में बैंक का सहायक होता है क्योंकि अधिक एसएलआर के प्रचुर राशि को बैंक बनाए रखता है।

आंतर अवधि परिवर्तन साथ ही साथ ओवरटाइम परिवर्तन :चालू वित्त वर्ष 2015-16 के लिए ,मासिक एलसीआर स्थिति निम्नवत है :-

Main Drivers of LCR: Main drivers of the LCR is adequacy of High Quality Liquid Assets (HQLA) and lower net cash outflow on account of higher funding sources from retail customers. Adequate stock of HQLA helps the Bank to maintain comfortable LCR position as the Bank maintains significant amount of excess SLR.

Intra-period changes as well as changes over time: For the current financial year 2015-2016, monthly LCR positions were as below:

महीना / Month	एलसीआर प्रतिशत LCR% age	महीना / Month	एलसीआर प्रतिशत LCR% age
अप्रैल'2015 / April'2015	117.01	अक्तूबर'2015 / October'2015	98.32
मई'2015 / May'2015	122.23	नवम्बर'2015 November'2015	96.75
जून'2015 / June'2015	105.70	दिसंबर'2015 / December'2015	82.75
जुलाई'2015 / July'2015	107.13	जनवरी'2016 / January'2016	84.99
अगस्त'2015 / August'2015	75.79	फरवरी'2016 / February'2016	92.56
सितंबर' 2015 / September'2015	80.32	मार्च'2016 / March'2016	111.74

सभी रिपोर्टिंग महीनोंमें, एलसीआर की स्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक की शर्तों के अनुसार थी। अगस्त 2015 माह में एलसीआर स्थिति जुलाई 2015 की 107.13 से गिर कर 75.79% अतिरिक्त एसएलआर की स्थिति और खुदरा जमा में कमी के कारण हुई है, लेकिन यह 60% की नियामक आवश्यकता से अभी भी अधिक था।

फरवरी 2016 के महीने के बाद से एलसीआर में वृद्धि एफएएलएलसीआर के तहत एनडीटीएल के 3% एचक्यूएलए (तरलता कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि लाभ के लिए सुविधा) के कारण है जिसकी अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारादी गयी है और मार्च, 2016 में अतिरिक्त एसएलआरमें वृद्धि हुई है।

एचक्यूएलए की संरचना: उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) की संरचना में प्रमुखतया नकदी शेष, अधिकएसएलआर, अधिक सीआरआर तथा एफएएलएलसीआर (चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि सुविधा प्राप्त करना) प्रमुखतया होता है।

आज की तिथि तक चक्यूएलए संरचना का प्रकटन निम्नलिखित है :

In all the reporting months, LCR positions were within the RBI stipulations. LCR position in the month of August 2015 dropped to 75.79% from 107.13% in July 2015 due to decrease in excess SLR position and retail deposits but the same was still above the regulatory requirement of 60%. The increase in LCR from the month of February 2016 onwards is on account of increase in HQLA by 3% of NDTL under FALLCR (Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio) as allowed by RBI and increase in excess SLR in Mar'2016.

Composition of HQLA: The composition of High Quality Liquid Assets (HQLA) mainly consists of cash balances, excess SLR, excess CRR and FALLCR (Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio).

The composition of HQLA as on date of disclosure is given below:

हाथ में नकदी / Cash in hand	10.26%
अधिक सीआरआर शेष / Excess CRR balance	2.30%
न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता की अधिकता में सरकारी प्रतिभूति / Government securities in excess of minimum SLR Requirement	31.43%

एफएएलएलसीआर (एमएसएफ के लिए अनुमत वर्तमान में एनडीटीएल का 7 प्रतिशत तक) सहित एमएसएफ के अन्तर्गत भारिबैं द्वारा अनुमत अनुसार न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता की अधिकता में सरकारी प्रतिभूतियां Government securities within the mandatory SLR Requirement, to the extent allowed by RBI under MSF including FALLCR (presently to the extent of 10 percent of NDTL as allowed for MSF)	48.84%
बासेल II के मानक दृष्टिकोण के अन्तर्गत 0%, जोखिम के विदेशी सार्वभौम द्वारा जारी या गारंटीकृत प्रतिभूतियां Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk weight under Basel II standardised approach	7.17%

निधियन स्रोत का संकेन्द्रीकरण: बैंक का अधिकांश निधियन स्रोत खुदरा ग्राहकों से है (लगभग 60३) अतएव बहिर्गमन दबाव तुलनात्मक ढंग से कम है। यद्यपि, मियादी जमाराशियों के लिए किसी अप्रतिदेय विकल्प के अभाव में भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार बहिर्गमन अनुभाग के अन्तर्गत लगभग सभी जमाराशियों को बैंक ने गौर किया। किसी महत्वपूर्ण पक्षकार से निधियन सकेन्द्रण बैंक का नहीं था। बैंक के कुल देयताओं का 1% से अधिक के लिए सकल लेखाप्रणाली हेतु संबंधित समूह या सम्बद्ध प्रतिपक्षकारों अथवा कल प्रतिपक्षकार के रूप में एक उल्लेखनीय प्रतिपक्षकार को परिभाषित किया गया है।

व्यत्पन्नी एक्सपोज़र तथा संभाव्य संपार्श्विक कॉल:डेरिवेटिव कारोबार में बैंक का घरेलू परिचालन में बहुत कम क्सपोज़र है। यद्यपि, विदेशी परिचालन में व्यत्पन्नी कारोबार कम है तथा अत्यधिक उल्लेखनीय नहीं है।

एलसीआर में मुद्रा असंतुलन : भारिबैं दिशानिर्देशों के अनुसरण में क महत्वपूर्ण मुद्रा वह है जिसमें उस मुद्रा में कुल मूल्यवर्गित देयताएं बैंक की कुल देयताएं का 5 प्रतिशत या अधिक हो। हमारे मामले में यूएसडी एकमात्र महत्वपूर्ण मुद्रा है अतएव हम एलसीआर का परिकलन येसडी मुद्रा में करते हैं। भारिबैं द्वारा यह विनिर्दिष्ट नहीं है कि हम एलसीआर को एक निश्चित स्तर तक क उल्लेखनीय मुद्रा में ही परिकलित किया जाए। यथा 31 मार्च, 2016 बैंक के यूएसडी मूल्यवर्गित मुद्रामें एलसीआर की स्थिति 2227.32% है।

चलनिधि प्रबंधन के संकेन्द्रीकरण के डिग्री का वर्णन तथा समूह के इकाईयों में पारस्परिक किया : उद्यम स्तर पर बैंक का तरलता प्रबंधन, बोर्ड स्तरीय कार्य है तथा बोर्ड (आर.कॉम) की एक अलग उप-समिति इसपर निगाह रखती है। नियमित अंतराल पर एएलसीओ के चलनिधि प्रबंधन की नियमित निगरानी की जाती है। संपूर्ण चलनिधि प्रबंधन प्रक्रिया बैंक के लएम नीति से शासित होती है।

घरेलू परिचालनों के लिए चलनिधि प्रबंधन के केन्द्रीय कार्य है जो प्रधान कार्यालय स्तर पर प्रबंधित किया जाता है। निगरानी तथा नियंत्रण के लिए तथा स्तानीय विनियामक का अनुपालन भी प्रत्येक केन्द्र के क्षेत्राधिकार अनुसार विदेशी चलनिधि प्रबंधन किया जाता है। बैंक का अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाग विदेशी चलनिधि स्थिति पर निगरानी रखता है तथा प्रधान कार्यालय स्तर पर केन्द्रिक रूप से सम्पूर्ण चलनिधि निगरानी की जाती है।

एलसीआर परिकलन में अन्य आगमन और बहिर्गमन एलसीआर सामान्य टेम्पलेट में अभिग्रहित नहीं होता है किन्तु अपने चलनिधि प्रोफाइल के लिए संस्था इसे उपयुक्त समझती है : ऐसा कोई आगमन और बहिर्गमननहीं है जो तरलता प्रोफाइल के लिए प्रासंगिक माना जा सकता है और पकड़ा नहीं जा रहा है।

Concentration of funding sources: Majority of Bank's funding sources are from retail customers, therefore the stressed outflows are comparatively lower. However, in absence of any non-callable option for term deposits, the Bank has considered almost all deposits under outflow section as per RBI guidelines. Bank also does not have funding concentration from any significant counterparty. A significant counterparty is defined as a single counterparty or group of connected or affiliated counterparties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities.

Derivative Exposures and potential collateral calls: Domestic operation of the Bank has very little exposure in derivative business. However, there is small derivative business in overseas operations but the same is not very significant.

Currency mismatch in the LCR: In terms of RBI guidelines, a significant currency is one where aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the banks total liabilities. In our case, USD is the only significant currency therefore we also calculate LCR in USD currency. There is no such stipulation given by the RBI to maintain the LCR in significant currency up to a certain level. As on 31st March 2016, Bank's LCR position in USD denominated currency is 227.32%.

Description of the degree of centralisation of liquidity management and interaction between the group's units: The liquidity management of the Bank at enterprise level is a Board level function and a separate sub-committee of the Board (R.Com.) keeps close watch on that. The periodical monitoring of the liquidity management is being monitored to the ALCO on regular intervals. The entire liquidity management process of the Bank being governed by ALM Policy of the Bank.

The liquidity management for domestic operations is the central function, being managed at Head Office level. The overseas liquidity management is being handled at each centre jurisdiction wise to keep close monitoring and control and also to comply with the local regulatory requirements as well. International Division of the Bank keep watch on the overseas liquidity position and the overall liquidity monitoring is done at Head Office level centrally.

Other inflows and outflows in the LCR calculation that are not captured in the LCR common template but which the institution considers to be relevant for its liquidity profile: There are no such inflows and outflows which can be considered to be relevant for liquidity profile and not being captured.

9. अन्य नोट

ए) आयकर

I. आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के अंतर्गत ऋण के रूप में दावों की अभिस्वीकृति नहीं ली गई है जिसके अंतर्गत ₹ 555.07 करोड़ (विगत वर्ष में ₹ 961.37 करोड़) की विवादित आयकर/ ब्याज कर देयताएं सम्मिलित हैं। इन दावों के मामलों में पूर्व में अभिनिर्धारित विभिन्न न्यायिक विवादों केआधार पर आवश्यक कर के प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है। इनको अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के अंतर्गत भुगतान/ समायोजित तथा सम्मिलित कर लिया गया है।

II. कतिपय विवादित मामलों में विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर उचित विचार किये जाने के बाद वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान किया गया है।

III. आयकर हेतु ₹ 308.63 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 483.55 करोड़) के प्रावधान को विभिन्न अपील प्राधिकारियों के अनुकूल निर्णयों के आधर पर इस वर्ष के दौरान वापस राइटबैक कर दिया गया है/ अनुमान की समीक्षा विशेषज्ञ की सलाह के आधार पर करें।

बी) भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्रसं.डीबीआर:बीपी:17252:21:04:048:2014-15 दिनांक 13 मई, 2015 के अनुसारण में बैंक द्वारा एआरसी को 26 फरवरी, 2014 और 31 मार्च, 2015 के बीच बिक्री की गई वित्तीय आस्तियोंसे आने वाली कमी का जिस तिमाही में आस्ति बेची गई उससे लेकर8 तिमाहियों की अवधि के दौरान परिशोधन किया जाएगा । तदनुसार बैंक ने वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में ₹ 369.49 करोड़ प्रभारित किया है और ₹ 214.24 करोड़ की शेष राशि का भविष्य अवधि के लाभ और हानि खाते में प्रभारित करने के लिए आगे ले जाया गया है ।

सी) भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं.डीबीआर:सं. बीपी.13018/21.04.048/2015-16 दिनांक 12 अप्रैल, 2016 के अनुपालन में, बैंक ने पंजाब सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए खद्य ऋण के तहत मौजूदा अतिदेय ₹ 2206.11 यथा 31.03.2016 के 7.5३ के रूप में रू.165.40 की राशि प्रदान की है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्देशित, उस तिथिको अतिदेय राशि पर 7.5३ का अतिरिक्त प्रावधान जून, 2016 में किया जाएगा ।

डी) वर्ष 2015-16 के लिए रिवार्ड पॉईंट का मूवमेंट :

9. Other Notes

a. Income Tax:

(i) Claims against the Bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax/interest tax liabilities of ₹ 555.07 (previous year ₹ 961.37) for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions in respect of past assessments on such disputes. Payments/adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).

(ii) Provision for income tax for the year is arrived at after due consideration of the various judicial decisions on certain disputed issues.

(iii) During the year, the Bank has made Provision for Taxation pertaining to earlier years of ₹308.63 (previous yearwrite back of ₹483.55) based on orders of Income Tax Authorities/review of estimates based on the expert's advice.

b. Pursuant to Reserve Bank of India Letter No. DBR:BP:17252:21.04.048:2014-15 dated 13th May, 2015, the bank has amortized the shortfall arising out of sale of financial assets to ARCs, sold between 26th February, 2014 and 31st March, 2015, over a period of 8 quarters from the quarter in which the asset was sold. Consequently, the bank has charged ₹369.49 to Profit & Loss Account for the year and the balance amount of ₹214.24 is being carried forward to be charged to Profit & Loss Account of future periods.

c. In compliance to the RBI Letter No. DBR. No.BP.13018/21.04.048/2015-16 dated 12th April, 2016, the Bank has provided a sum of ₹165.46 being 7.5% of existing outstanding of ₹2206.11 as on 31.03.2016 under food credit availed by Government of Punjab. Additional provision of 7.5% shall be made in June 2016 on the amount outstanding as on that date, as directed by the RBI.

d. Movement of Reward Points for 2015-16:

क्र. सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	डेबिट कार्ड पर रिवार्ड पॉईंट Reward points on Debit Card	डेबिट कार्ड पर रिवार्ड पॉईंट Reward points on Credit Card	कुल Total
1	प्रारंभिक शेष Opening Balance	632492204	37683120	670175324
		(418869252)	(29670338)	(448540290)
2	जोडें: ग्राहकों द्वारा वर्ष वेढ दौरान अर्जित विढए गए रिवार्ड पॉर्इंट Add: Reward points accrued during the Year by Customers	411997684	2833070	414830754
		(327082730)	(43355080)	(370437810)
3	घटाएं: रिवार्ड पॉईंट ग्राहकों द्वारा लाभ उठाया गया Less: Reward Points availed by customers	73830890	2522639	76353529
		(113011373)	(39566921)	(152578294)
4	घटाएं: रिवार्ड पॉइंट की समय सीमा समाप्त (विव 2015-16) Less: Reward Points Expired (FY 2015-16)	128336347	0	128336347
5	अंतिम शेष Closing Balance	842322651	37993551	880316202
		(632941309)	(33458497)	

ई) धोखाधडी के संबंध में प्रकटन :

e. Disclosure regarding frauds:

वित्तीय वर्ष Financial Year	धोखाधडी की संख्य Number of frauds	सम्मिलित राशि Amount involved	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों की मात्रा Quantum of Provision made during the year	अन्य आरक्षित से नामे की गयी असंशोधित प्रावधान की मात्रा Quantum of unamortized provision debited from other reserve
2015-16	171	1217.83	666.98	0

एफ) बैंकिंग विनियमन अधिनियम , 1949 के अनुच्छेद 35 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा(एक्यूआर) के अनुसार बैंक ने कुछ अग्रिमों के संबंध में पुन: वर्गीकरण किया है/अतिरिक्त प्रावधान किया है।

f. Pursuant to the Asset Quality Review (AQR) conducted by the RBI under section 35 of the Banking Regulations Act, 1949, the Bank has reclassified/made additional provisions in respect of certain advances.

जी) भारतीय रिज़र्व बैंक के डीबीआर:बीपी/बीसी/सं.31/21.04.018/2015-16 दिनांक 16 जुलाई, 2015 के अनुसरण में मूल बैंक द्वारा 'अन्य परिसंपत्तियों 'के तहत, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार में कमी के कारण नाबार्ड/सिडबी तथा एनएचबी, के साथ रखे जमा को शामिल किया गया है। इससे पहले, इन्हें 'बैंकों के शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त राशि 'के तहत शामिल किया गया है। इन जमाराशियों पर ब्याज आय 'अर्जित ब्याज -अन्य 'के तहत शामिल किया गया है। पूर्व में, इस तरह की ब्याज आय को 'अर्जित ब्याज - भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य अंतर बैंक निधि के साथ शेष पर ब्याज'के तहत शामिल किया गया था ।

g. Pursuant to RBI Circular No. DBR.BP.BC. No.31/21.04.018/2015-16 dated July 16, 2015, the Bank has included deposits placed with NABARD/SIDBI and NHB, on account of shortfall in lending to priority sector, under 'Other Assets'. Earlier, these were included under 'Balance with Banks & Money at Call & Short Notice'. Interest income on these deposits has been included under 'Interest Earned-Others'. Earlier, such interest income was included under 'Interest Earned – Interest on Balances with Reserve Bank of India & Other Inter Bank Funds'.

एच) 31 दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के दौरान, बैंक ने आगे लाए गए व्यापार घाटे पर ' आस्थगित कर परिसंपत्ति ' को पहचान लिया था। बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों ने आभासी अनिश्चितता के अभाव का हवालादेते हुए एक योग्य निष्कर्ष आज की तारीख में आय की उपलब्धता के बारे में व्यक्त किया है। बैंक ने अपने कर परामर्शदाता की विशेष्ज्ञ सलाह के आधार पर अपने लंबितआयकर मूल्यांकनों की सुक्ष्मता से समीक्षा की और विभिन्न मामलों, जिसमें अशोध्य और संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान, बट्टे खाते लिखे गए अशोध्य ऋण, विदेशी शाखाओं के लाभ का व्यवहार और आयकर अधिनियम, 1961के यू/एस 14 ए का अस्वीकार शामिल है, पर पिछले वित्तीय वर्षों के लिए मौजूदा कर देयता के लिए प्रावधान पुन: निर्धारित किए हैं, परिणामत: पूर्व के वर्षों की मौजूदा करदेयता के प्रति रू.308.63 का अतिरिक्त प्रावधान हुआ है।

h. During the year, the Bank, undertook a thorough review of its pending income tax assessments based on the expert advice of Bank's Tax Consultant and has re-worked provision for Current Tax liability for the past financial years on various issues which inter-alia includes provision for Bad & Doubtful Debts, Bad Debts written off, treatment of profit of foreign branches and disallowance u/s 14A of the Income Tax Act, 1961, which has resulted into additional provision of ₹ 308.63 towards current tax liability of earlier years. Consequent to such review, the bank does not expect to have any carry forward losses/unabsorbed depreciation as per Income Tax Act, 1961, requiring testing of virtual certainty.

आई) उपरोक्त पैरा (एच) में उल्लिखितानुसार पूर्ण समीक्षा के आधार पर, मूल बैंक द्वारा भविष्य के की कर- योग्य आय के खिलाफ अशोध्य एवं संदिग्ध कर्ज के कारण उत्पन्न् होने वाले समय के अंतर को महसूस करते हुए अनुमान लगाया है तथा तदनुसार इस अवधि केदौरान, मूल बैंक ने रू. 3172.65 के आस्थगित कर संपत्ति को मान्यता दी है, ऐसे समय के अंतर पर उचित निश्चितता के आधार पर भविष्य योग्य आय की उपलब्धता के खिलाफ इस तरह की आस्थगित कर संपत्ति को संपादित किया जा सकता है।

i. Based on the thorough review as mentioned in Para h above, the Bank has estimated future taxable income against which timing difference arising on account of provisions for Bad & Doubtful Debts can be realised and accordingly during the year, the Bank has recognised deferred tax assets of ₹ 3172.65 on such timing difference based on reasonable certainty of availability of future taxable income against which such deferred tax assets can be realised.

जे) भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं.डीबीएस:सीओ:एसएसएम:बीओ आई) 14657:13:37:001:2014-15 दिनांक 20 मई, 2015 के अनुसरण में मूल बैंक द्वारा निश्चित एनपीए के संबंध में ₹ 709.31 करोड़ के प्रावधान को आस्थगित कर दिया था तथा मार्च, 2015 से कुछ एनपीए की बिक्री पर ₹ 403.21 करोड़ के नुकसान को जून, 2015 के प्रारंभ होने वाले 3 तिमाहियों की अवधि में परिशोधित किया जाना था। तदनुसार, इस अवधि के दौरान ₹ 709.31 करोड के इस तरह के एनपीए की ओर परिशोधित किया गया था और रू. 403.21 करोड़ ऐसे एनपीए की बिक्री पर नुकसान के रूप में पहचान लिया गया है।

j. Pursuant to RBI Letter No. DBS:CO:SSM:(BOI)14657:13.37.001:2014-15 dated 20th May, 2015, the Bank had deferred provision of ₹ 709.31 in respect of certain NPAs and loss of ₹ 403.21 on sale of certain NPAs from March 2015, to be amortized over a period of 3 quarters commencing from June 2015. Accordingly, during the year ₹709.31 was amortised towards such NPAs and ₹403.21 has been recognised as loss on sale of such NPAs.

के) भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय की उदय योजना (उदय उज्जवल डिस्कॉम एश्योरन्स योजना) के अनुसार, वर्ष 2015-16 के दौरान ऊर्जा संवितरक

k. In accordance with UDAY (Ujwal Discom Assurance Yojana) Scheme of Government of India, Ministry of Power for operational and financial turnaround of Power Distribution Companies (DISCOM) during FY 2015-16, the bank has subscribed to Non-SLR SDL Bonds of Government of Rajasthan (GOR), Government of

कंपनियों (डिस्कॉम)के परिचालन और वित्तीय टर्नअराउंड के लिए बैंक ने राजस्थान सरकार, हरयाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के क्रमश: ₹ 2198.72, ₹ 881.78 और 452.15 राशि के गैर एसएलआर, एसडीएल बांड्स सब्स्क्राइब किए हैं ।

i) ₹ 727.60 के 15% के रूप मे 31 मार्च, 2017तक ऋण /बांड के संबंध में ₹ 109.14 को राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में परिवर्तित करने पर विचार नहीं किया गया है।

ii) ऋण/बांडस के उचित मूल्य में ह्रास के पक्ष में ₹ 24.11।

एल) ₹ 243.86 (पिछले वर्ष ₹ 179.33) की राशि के 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के तहत धारित निवेशों की बिक्री पर लाभ को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है और तत्पश्चात ₹ 159.47 (पिछले वर्ष ₹ 88.78) की राशि को पूंजी आरक्षिती कर के निवलके साथ विनियोजित किया गया है और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुच्छेद 17 के तहत सांविधिक आरक्षिती में अंतरित किया गया है।

10) जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया है विगत वर्ष के आंकडों को पुन:समूहित/ पुन:व्यवस्थित किया गया है।

Haryana (GOH) and Government of Uttar Pradesh (GoUP) amounting to ₹ 2198.72, ₹ 881.78 and ₹ 452.15 respectively. Pursuant to the RBI instructions, the bank has made following provisions:

i. ₹109.14 in respect of loans/bonds not envisaged to be converted into State Development Loans (SDLs) by 31st March 2017 being 15% of ₹ 727.60.

ii. ₹ 24.11 towards diminution in the fair value of loans/ bonds.

l. Profit on sale of Investments held under "Held to Maturity" category amounting to ₹243.86 (previous year ₹179.33) has been taken to the Profit & Loss Account and thereafter an amount of ₹159.47 (previous year ₹ 88.78) has been appropriated to the Capital Reserve, net of taxes and transfer to Statutory Reserve under section 17 of the Banking Regulation Act, 1949.

10. Previous year's figures have been regrouped/rearranged, wherever considered necessary.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,
भारत के राष्ट्रपति,

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट:

1. हमने बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) के यथा 31 मार्च, 2016 की वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है जिसके साथ यथा 31 मार्च, 2016 का तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता, उस समय समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना संलग्न थे। इन वित्तीय विवरणियों में निम्नलिखित विवरणियाँ शामिल हैं :-

   ए. हमारे द्वारा लेखा परीक्षित प्रधान कार्यालय , 20 शाखाएं और ट्रेज़री शाखा ;

   बी. अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 3102 घरेलू शाखाएं , और

   सी. स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 27 विदेशी शाखाएं

   बैंक ने हमारे द्वारा लेखा परीक्षित एवं अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया है सिवाय एक विदेशी शाखा की जिसकी लेखा परीक्षा स्थानीय लेखा परीक्षक द्वारा नहीं की गई जिसका योगदान अग्रिम का 1.38%, जमाराशि का 1.27%, ब्याज आय का 0.45% और ब्याज व्यय का 0.33% है।

   तुलन पत्र एवं लाभ हानि खाते में उन 1893 घरेलू शाखाओं की विवरणियों का भी समावेश है, जो लेखा परीक्षा के अध्यधीन नहीं हैं और एक विदेशी शाखा जिसकी लेखापरीक्षा नहीं हुई है। ये गैर-लेखा परीक्षित शाखाएं 5.20% अग्रिम, 14.03% जमाराशियां, 3.66% ब्याज आय और 13.02% ब्याज व्यय का योगदान करती हैं

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी:

2. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है जो भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकताओं, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों सहित मान्यता प्राप्त लेखांकन प्रथाओं के अनुसरण में तैयार किया जाता है । इन जिम्मेदारियों में धोखाधड़ी या गलती के कारण तात्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त वित्तीय विवरणियों की तैयारी हेतु संगत आंतरिक नियंत्रणों की तैयारी, कार्यान्वयन एवं रखरखाव शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी:

3. हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम इन वित्तीय विवरणों पर आधारित हमारी लेखा परीक्षा पर अपनी राय व्यक्त करें। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानकों के अनुरूप हमने अपना लेखा परीक्षा कार्य किया है। इन मानकों की यह अपेक्षा थी कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखा परीक्षा की योजना इस तरह बनाए एवं उसका क्रियान्वयन इस तरह करें कि हम इस संबंध में इस बात का समुचित आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय विवरण तात्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त हैं।

4. किसी लेखा परीक्षा में, वित्तीय विवरणियों की राशियों और प्रकटनों के

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
The President of India
Report on the Financial Statements:

1. We have audited the accompanying financial statements of Bank of India ("the Bank") as at March 31, 2016, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2016, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of:

   a. The Head Office, 20 branches and Treasury branch audited by us;

   b. 3102 domestic branches audited by other auditors; and

   c. 27 foreign branches audited by local auditors.

   The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India except for a foreign branch not audited by local auditor, which account for 1.38% of advances, 1.27% of deposits, 0.45% of interest income and 0.33% of interest expenses.

   Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 1893 domestic branches which have not been subjected to audit and 1 foreign branch which has not been audited. These unaudited branches account for 5.20% of advances, 14.03% of deposits, 3.66% of interest income and 13.02% of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements:

2. The Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the requirement of Reserve Bank of India, provisions of the Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, recognised accounting practices including the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility:

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those

बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती हैं जिसमें वित्तीय विवरणियों में, धोखाधड़ी या गलती की वजह से, तात्विक अशुद्ध कथनों के जोखिमों का आकलन शामिल है। इन जोखिम आकलनों को करने में, इन परिस्थितियों के लिए समुचित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने हेतु बैंक की तैयारी एवं वित्तीय विवरणियों की न्याय संगत प्रस्तुति हेतु संगत आंतरिक नियंत्रणों पर लेखा परीक्षक विचार करता है न कि बैंक की आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर एक राय व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए। किसी लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों की विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

5. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए उचित आधार प्रदान करते हैं ।

अभिमत:

6. हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों एवं बैंक की बहियों में दर्शाए गए के अनुसार :

अ. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और उस पर टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र आवश्यक विवरणों वाला पूर्ण और उचित तुलन-पत्र है और सही तरीके से तैयार किया गया है ताकि यथा 31 मार्च, 2016 को बैंक की गतिविधियों का भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत हो;

बी. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और उस पर टिप्पणियों के साथ पठित लाभ और हानि खाता, खाते द्वारा कवर किए गए वर्ष के लिए, सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप लाभ का सही तुलन दर्शाता है; और

सी. नकदी प्रवाह विवरण, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही व उचित दृश्य प्रस्तुत करता है।

इस मामले का प्रभाव:

7. हम निम्न की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

ए वित्तीय विवरण का नोट सं.18.4 जो संदिग्ध (प्रतिभूत हिस्सा) के रूप में वर्गीकृत एनपीए के संबंध में प्रावधानीकरण के लिए लेखांकन नीति में परिवर्तन - एक वर्ष से तीन वर्ष से संबंधित है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए एनपीए के लिए प्रावधान में ₹ 2835.68 करोड़ की कमी जिसके फलस्वरूप वर्ष के लिए निवल हानि (कर को घटाकर) में ₹ 1854.31 करोड़ की कमी है;

बी वित्तीय विवरण का नोट सं.18.9 (बी) जो एआरसी को वित्तीय आस्ति की बिक्री पर हानि के आस्थगन से संबंधित है जिसके फलस्वरूप परिचालन व्यय में ₹ 214.24 करोड़ की कमी जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए निवल हानि (कर को घटाकर) में ₹ 140.10 करोड़ की कमी है;

सी वित्तीय विवरण का नोट सं.18.9 (सी) जो आरबीआई परिपत्र 12 अप्रैल 2016 के अनुसार पंजाब सरकार द्वारा लिए गए खाद्य ऋण के संबंध में प्रावधान से संबंधित है;

डी वित्तीय विवरण का नोट सं.18.9 (एफ) जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के अनुसरण में कतिपय अग्रिम के संबंध में पुन:वर्गीकरण और अतिरिक्त प्रावधान से संबंधित है;

ई वित्तीय विवरण का नोट सं.18.9 (आई) जो अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान हेतु आस्थागित कर आस्ति के मान्यता से संबंधित है;

risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion:

6. In our opinion, as shown by books of Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

a. The Balance Sheet, read with significant accounting policies and notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at March 31, 2016 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

b. The Profit and Loss Account, read with significant accounting policies and notes thereon shows a true balance of loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

c. The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter:

7. We draw attention to:

a. Note No.18.4 to the financial statements relating to change in accounting policy for provisioning in respect of NPAs classified as Doubtful (secured portion) – one year to three years resulting in decrease in provision for NPAs for the year by ₹ 2,835.68 Crores with consequential decrease in Net loss for the year (net of tax) by ₹ 1,854.31 Crores;

b. Note No. 18.9(b) to the financial statements regarding the deferment of the loss on sale of financial assets to ARCs resulting in decrease in operating expenses by ₹ 214.24 Crores with consequential decrease in Net loss for the year (net of tax) by ₹ 140.10 Crores;

c. Note No 18.9(c) to the financial statements regarding provision in respect of food credit availed by Government of Punjab, as per RBI Circular dated 12th April 2016.

d. Note No. 18.9(f) to the financial statements regarding reclassification and additional provision in respect of certain advances pursuant to Asset Quality Review conducted by Reserve Bank of India;

e. Note No 18.9(i) to the financial statements regarding recognition of Deferred Tax Asset on account of provisions for Non Performing Assets;

एफ वित्तीय विवरण का नोट सं.18.9(जे) जो वर्ष के दौरान कतिपय एनपीए के बिक्री पर हानि और कतिपय एनपीए के लिए प्रावधान के परिशोधन से संबंधित है, जो मार्च 2015 से आस्थगित किया गया है;

जी वित्तीय विवरण का नोट सं.18.9 (के) जो आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों (अ्ण्ध्) को ऋण/ बाण्ड के संबंध में प्रावधान से संबंधित है।

इन मामलों पर हमारी राय शर्त-मुक्त नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. तुलनपत्र और लाभ और हानि खाता, क्रमश: बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'ए' एवं 'बी' में तैयार किए गए हैं।

9. उक्त पैरा 1 से 5 में उल्लिखित लेखापरीक्षा सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की आवश्यकताओं के अनुसार एवं इसमें अपेक्षित प्रकटन सीमाओं के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

ए हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;

बी बैंक के लेन-देन जो हमारी जानकारी में आए हैं वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के भीतर हैं; और

सी बैंक के कार्यालयों एवं शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पायी गयी हैं।

10. हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

f. Note No. 18.9(j) to the financial statements regarding amortisation of provision for certain NPAs and loss on sale of certain NPAs during the year, which was deferred from March 2015;

g. Note No 18.9(k) to the financial statements regarding provision in respect of loans/bonds of Power Distribution Companies (DISCOM), as per extant RBI guidelines.

Our opinion is not qualified in respect of these matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b. The transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank; and

c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

कृते एम एम निस्सीम एंड कं
For M. M. Nissim and Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 107122 डब्ल्यू) (FRN 107122W)
संजय खेमानी Sanjay Khemani
भागीदार Partner
(एम. नं. 044577) M. No. 044577

कृते जे. पी. कपूर एंड उबेराय
For J. P. Kapur & Uberai
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 000593 एन) (FRN 000593N)
अरूण मॅगॉन Arun Magon
भागीदार Partner
(एम. नं. 093323) M. No. 093323

कृते डी. सिंह. एंड कं.
For D. Singh & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 001351 एन) (FRN 001351N)
सिमरन सिंह Simran Singh
भागीदार Partner
(एम. नं. 098641) M. No. 098641

कृते ग्रोवर लल्ला एण्ड मेहता
For Grover Lalla & Mehta
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 002830 एन) (FRN 002830N)
पंकज बंसल Pankaj Bansal
भागीदार Partner
(एम. क्र. 502661) M. No. 502661

कृते बी रतन अँड एसोशिएटस
For B Rattan & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 011798 एन) (FRN 011798N)
बिशमवर कुमार कर्ण Bishamver Kumar Karn
भागीदार Partner
(एम. क्र. 094790) M. No. 094790

कृते जी डी आपटे अँड कंपनी
For G D Apte & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 100515 डब्ल्यू) (FRN 100515W)
सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe
भागीदार Partner
(एम. क्र. 121546) M. No. 121546

स्थान : मुंबई Place : Mumbai
दिनांक : 24 मई, 2016 / Date : 24th May 2016

यह पृष्ठ खाली छोड़ा गया है
THIS PAGE HAS BEEN LEFT BLANK

बैंक ऑफ़ इंडिया

समेकित तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2016

BANK OF INDIA

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As at 31st March, 2016

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2016

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule No.	यथा As at 31-03-2016 ₹	यथा As at 31-03-2015 ₹
I. पूँजी एवं देयताएं	I. CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी	Capital	1	8,172,916	6,656,476
आरक्षिती एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	2	312,247,233	318,571,975
शेयर आवेदन रकम	Share Application Money		13,036,480	0
अल्पसंख्यक हित	Minorities Interest	2A	979,962	1,679,342
जमाराशियां	Deposits	3	5,157,224,800	5,344,822,977
उधार	Borrowings	4	511,032,719	400,986,867
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other liabilities and provisions	5	163,598,237	180,129,778
कुल	TOTAL		6,166,292,347	6,252,847,415
II. आस्तियां	II. ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	6	342,137,217	274,983,812
बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	Balances with Banks and money at call and short notice	7	652,909,965	457,170,606
निवेश	Investments	8	1,226,209,086	1,231,955,291
अग्रिम	Advances	9	3,613,018,908	4,043,893,520
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	85,728,505	59,144,856
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	246,288,666	185,699,330
कुल	TOTAL		6,166,292,347	6,252,847,415
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	3,541,198,515	3,740,931,223
वसूली के लिए बिल	Bills for collection		269,021,044	264,201,779
विशेष लेखा नितियां	Significant Accounting Policies	17		
लेखे पर नोट	Notes to Accounts	18		

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तूलन-पत्र का अभिन्न अंग है

The schedules referred to above form and integral part of the Balance Sheet.

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तिसरी अनुसूची के फॉर्म ए के अनुसार तुलनपत्र तैयार किया गया है

The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form 'A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

जी पद्मनाभन
G Padmanabhan
अध्यक्ष
Chairman

मेलविन रेगो
Melwyn Rego
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Managing Director & CEO

बि पी शर्मा
B P Sharma
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

आर पी मराठे
R P Marathe
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

आर ए शंकर नारायणन
R A Sankara Narayanan
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

जैन भूषण
Jain Bhushan
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

ऐना रॉय Anna Roy
आर एल बिश्नोई R L Bishnoi

आर सबेस्टीयन R Sebastian
नीरज भाटिया Neeraj Bhatia

हरविंदर सिंह Harvinder Singh
संजीव कुमार अरोड़ा Sanjiv Kumar Arora

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते एम एम निस्सीम एंड कं
For M. M. Nissim and Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 107122 डब्ल्यू) (FRN 107122W)
संजय खेमानी Sanjay Khemani
भागीदार Partner
(एम. नं. 044577) M. No. 044577

कृते जे. पी. कपूर एंड उबेराय
For J. P. Kapur & Uberai
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 000593 एन) (FRN 000593N)
अरूण मॅगॉन Arun Magon
भागीदार Partner
(एम. नं. 093323) M. No. 093323

कृते डी. सिंह. एंड कं.
For D. Singh & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 001351 एन) (FRN 001351N)
सिमरन सिंह Simran Singh
भागीदार Partner
(एम. नं. 098641) M. No. 098641

कृते ग्रोवर लल्ला एण्ड मेहता
For Grover Lalla & Mehta
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 002830 एन) (FRN 002830N)
पंकज बंसल Pankaj Bansal
भागीदार Partner
(एम. क्र. 502661) M. No. 502661

कृते बी रतन अँड एसोशिएटस
For B Rattan & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 011798 एन) (FRN 011798N)
बिशमवर कुमार कर्ण Bishamver Kumar Karn
भागीदार Partner
(एम. क्र. 094790) M. No. 094790

कृते जी डी आपटे अँड कंपनी
For G.D Apte & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 100515 डब्ल्यू) (FRN 100515W)
सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe
भागीदार Partner
(एम. क्र. 121546) M. No. 121546

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 24 मई, 2016 / Date : 24th May 2016

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार समेकित लाभ एवं हानि खाता
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2016

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

	विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule	को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2016 ₹	को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2015 ₹
I.	आय	INCOME			
	अर्जित आय	Interest earned	13	420,928,434	436,848,721
	अन्य आय	Other income	14	36,716,135	42,780,755
	कुल	**TOTAL**		457,644,569	479,629,476
II.	व्यय	EXPENDITURE			
	व्यय किया गया	Interest expended	15	302,453,169	322,200,549
	परिचालगत व्यय	Operating expenses	16	94,250,134	81,934,037
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions & Contingencies	18[8(b)]	124,290,996	58,011,585
	कुल	**TOTAL**		520,994,299	462,146,171
	सहयोगियों में अर्जन/(हानि) का हिस्सा	Share of earnings/(loss) in Associates	16A	590,551	2,664,657
	अल्पसंख्यको के हित की कटौती के पूर्व वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ/(हानि)	Consolidated Net Profit/(Loss) for the year before deducting Minorities' interest		(62,759,179)	20,147,962
	घटाएं: अल्पसंख्यकों का हित	Less: Minorities' Interest		(716,582)	18,912
	वर्ष के लिए समूह के संबंधित समेकित निवल लाभ/(हानि)	Consolidated Net Profit/(Loss) for the year attributable to the group		(62,042,596)	20,129,050
	जोडें: समूह के लिए आगे लाया गया समेकित लाभ/(हानि)	Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		0	0
	कुल	**TOTAL**		(62,042,596)	20,129,050
III.	विनियोग	APPROPRIATIONS			
	सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		-	4,300,000
	निवेश घट-बढ़ आरक्षितियों को अंतरण	Transfer from Investment Fluctuation Reserve		-	-
	राजस्व आरक्षिति को / (से) अंतरण	Transfer to/ (from) Revenue Reserve		-	5,444,040
	पूँजी आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Capital Reserve		1,610,892	887,822
	विशेष आरक्षिति (से)/को अंतरण - करेंसी स्वैप	Transfer (from) / to Special Reserve - Currency Swap		-	-
	अंतरिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Interim Dividend (including dividend tax)		-	-
	अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Final Dividend (including dividend tax)		-	3,997,188
	लाभांश कर - अनुषंगियों के लिए	Dividend Tax - for Subsidiary		-	-
	आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(न्गग) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	Special Reserve u/s Sec 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961		-	5,500,000
	समेकित तुलन-पत्र में आगे लाया गया शेष	Balance carried over to consolidated Balance sheet		(63,653,488)	-
	कुल	TOTAL		(62,042,596)	20,129,050
	विशेष लेखा नितियां	**Significant accounting policies**	17		
	लेखे पर नोट	**Notes to Accounts**	18		
	प्रति शेयर अर्जन (₹)	Earnings Per Share (₹)		-84.58	31.30

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तूलन-पत्र का अभिन्न अंग है

The schedules referred to above form and integral part of the Profit and Loss Account.

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तिसरी अनुसूची के फॉर्म बी के अनुसार तुलनपत्र तैयार किया गया है

The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form 'B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

जी पद्मनाभन	**मेलविन रेगो**	**बि पी शर्मा**	**आर पी मराठे**	**आर ए शंकर नारायणन**	**जैन भूषण**
G Padmanabhan	**Melwyn Rego**	**B P Sharma**	**R P Marathe**	**R A Sankara Narayanan**	**Jain Bhushan**
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chairman	Managing Director & CEO	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

ऐना रॉय Anna Roy
आर एल बिश्नोई R L Bishnoi
आर सबेस्टीयन R Sebastian
नीरज भाटिया Neeraj Bhatia
हरविंदर सिंह Harvinder Singh
संजीव कुमार अरोड़ा Sanjiv Kumar Arora

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते एम एम निस्सीम एंड कं
For M. M. Nissim and Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 107122 डब्ल्यू) (FRN 107122W)
संजय खेमानी Sanjay Khemani
भागीदार Partner
(एम. नं. 044577) M. No. 044577

कृते ग्रोवर लल्ला एण्ड मेहता
For Grover Lalla & Mehta
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 002830 एन) (FRN 002830N)
पंकज बंसल Pankaj Bansal
भागीदार Partner
(एम. क्र. 502661) M. No. 502661

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 24 मई, 2016 / Date : 24th May 2016

कृते जे. पी. कपूर एंड उबेराय
For J. P. Kapur & Uberai
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 000593 एन) (FRN 000593N)
अरूण मॅगॉन Arun Magon
भागीदार Partner
(एम. नं. 093323) M. No. 093323

कृते बी रतन अँड एसोशिएटस
For B Rattan & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 011798 एन) (FRN 011798N)
बिशमवर कुमार कर्ण Bishamver Kumar Karn
भागीदार Partner
(एम. क्र. 094790) M. No. 094790

कृते डी. सिंह. एंड कं.
For D. Singh & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 001351 एन) (FRN 001351N)
सिमरन सिंह Simran Singh
भागीदार Partner
(एम. नं. 098641) M. No. 098641

कृते जी डी आपटे अँड कंपनी
For G D Apte & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 100515 डब्ल्यू) (FRN 100515W)
सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe
भागीदार Partner
(एम. क्र. 121546) M. No. 121546

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2016

(₹ 000' में / ₹ in 000's)

	विवरण		Particulars	वर्षान्त/ Year ended 31-03-2016 ₹	वर्षान्त Year ended 31-03-2015 ₹
क.	**परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**	A.	**Cash Flow from Operating Activities:**		
	कर के पहले निवल लाभ		**Net Profit before taxes**	**-79,058,925**	**21,163,252**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:		**Adjustments for:**		
	निवेशों पर परिशोधन/मूल्यह्रास		Amortisation / Depreciation on Investments	5,825,212	1,637,884
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		Depreciation on Fixed Assets	2,899,643	2,910,815
	आस्तियों की बिक्री पर लाभ		Profit on sale of Assets	(3.960)	-
	एनपीए के लिए प्रावधान		Provision for NPA	144,057,488	52,316,362
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision for Standard Assets	(1,275,492)	4,092,152
	अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision for Other Assets	(4,982,015)	1,072,823
	गौण बांड्स/आईपीडीआई, अपर टियर II, बांड्स पर ब्याज		Interest on Subordinated Bonds, IPDI. Upper Tier II Bonds	11,873,338	10,749,167
	प्राप्त लाभांश		Dividend received	(166,224)	(472,174)
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:		**Adjustments for:**		
	जमाराशियों में बढ़/(घट)		Increase /(Decrease) in Deposits	(187,598,177)	557,872,205
	उधार में बढ़/(घट)		Increase /(Decrease) in Borrowings	86,166,046	(100,568,108)
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में बढ़/(घट)		Increase / (Decrease)in Other Liabilities and Provisions	6,111,909	(24,961,117)
	निवेश में (बढ़)/घट		(Increase) / Decrease in Investments	511,545	(65,561,818)
	अग्रिमों में (बढ़)/घट		(Increase)/ Decrease in Advances	286,817,126	(369,495,279)
	अन्य आस्तियों में (बढ़)/घट		(Increase) / Decrease in Other Assets	(85,008,076)	66,923,273
	प्रत्यक्ष कर (भुगतान)/वापसी		Direct Taxes (Paid)/Refund	(3,061,506)	(11,297,420)
	परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क)		**Net Cash Flow from Operating Activities (A)**	**183,107,931**	**146,382,023**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**	B.	**Cash Flow from Investing Activities :**		
	अचल सम्पत्ति की खरीद		Purchase of Fixed Assets	(5,392,738)	(17,249,667)
	अचल सम्पत्ति की बिक्री		Sale of Fixed Assets	429,571	11,525,514
	प्राप्त लाभांश		Dividend received	166,224	472,174
	अनुषंगियों के समेकन का प्रभाव		Impact of consolidation of subsidiaries	(590,552)	(3,133,924)
	अल्प-संख्यक हित		Minority Interest	(699,380)	839,294
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**Net Cash Flow from Investing Activities (B)**	**(6,086,875)**	**(7,546,611)**
ग.	**वित्तपोषण गतिविधयों से नकदी प्रवाह:**	C.	**Cash Flow from Financing Activities:**		
	शेयर पूंजी		Share Capital	1,516,440	226,455
	शेयर प्रीमियम		Share Premium	26,074,760	6,193,545
	शेयर आवेदन रकम		Share Application Money	13,036,480	-
	आईपीडीआई, गौण बांड तथा अप्पर टियर II बांड (निवल)		IPDI, Subordinated Bonds & Upper Tier II Bonds (Net)	23,879,806	17,279,871
	लाभांश भुगतान		Dividend paid	(3,997,188)	-
	आईपीडीआई, गौण बांड अप्पर टियर छ बांड पर ब्याज भुगतान		Interest Paid on IPDI, Subordinated Bonds, Upper Tier II Bonds	(11,873,338)	(10,749,167)
	वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**Net Cash Flow from Financing Activities (C)**	**48,636,960**	**12,950,703**
	नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (क)+(ख)+(ग)		**Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)**	**225,658,016**	**151,786,115**
	1 अप्रैल को नकदी एवं नकदी समतुल्य का आरंभिक शेष		**Opening Cash and Cash Equivalents as at April 1**	**769,389,166**	**617,603,051**
	31 मार्च को नकदी एवं नकदी समतुल्य		**Cash and Cash Equivalents as at March 31**	**995,047,182**	**769,389,166**

जी पद्मनाभन
G Padmanabhan
अध्यक्ष
Chairman

मेलविन रेगो
Melwyn Rego
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Managing Director & CEO

बि पी शर्मा
B P Sharma
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

आर पी मराठे
R P Marathe
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

आर ए शंकर नारायणन
R A Sankara Narayanan
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

जैन भूषण
Jain Bhushan
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

ऐना रॉय Anna Roy
आर एल बिश्नोई R L Bishnoi

आर सबेस्टीयन R Sebastian
नीरज भाटिया Neeraj Bhatia

हरविंदर सिंह Harvinder Singh
संजीव कुमार अरोड़ा Sanjiv Kumar Arora

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते एम एम निस्सीम एंड कं
For M. M. Nissim and Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 107122 डब्ल्यू) (FRN 107122W)
संजय खेमानी Sanjay Khemani
भागीदार Partner
(एम. न. 044577) M. No. 044577

कृते जे. पी. कपूर एंड उबेराय
For J. P. Kapur & Uberai
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 000593 एन) (FRN 000593N)
अरूण मॅगॉन Arun Magon
भागीदार Partner
(एम. न. 093323) M. No. 093323

कृते डी. सिंह. एंड कं.
For D. Singh & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 001351 एन) (FRN 001351N)
सिमरन सिंह Simran Singh
भागीदार Partner
(एम. न. 098641) M. No. 098641

कृते ग्रोवर लल्ला एण्ड मेहता
For Grover Lalla & Mehta
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 002830 एन) (FRN 002830N)
पंकज बंसल Pankaj Bansal
भागीदार Partner
(एम. क्र. 502661) M. No. 502661

कृते बी रतन अँड एसोशिएटस
For B Rattan & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 011798 एन) (FRN 011798N)
बिशमवर कुमार कर्ण Bishamver Kumar Karn
भागीदार Partner
(एम. क्र. 094790) M. No. 094790

कृते जी डी आपटे अँड कंपनी
For G.D Apte & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 100515 डब्ल्यू) (FRN 100515W)
सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe
भागीदार Partner
(एम. क्र. 121546) M. No. 121546

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 24 मई, 2016 / Date : 24th May 2016

समेकित तुलन पुत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2016 ₹	पर यथा As at 31-03-2015 ₹
अनुसूचि - 1 : पूँजी	SCHEDULE- 1 : CAPITAL		
प्राधिकृत	**AUTHORISED**		
300,00,00,000 (पिछले वर्ष 300,00,00,000) ₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	300,00,00,000 (Previous year 300,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10 each	**30,000,000**	**30,000,000**
जारी एवं अभिदत्त	**ISSUED AND SUBSCRIBED**		
केन्द्र सरकार द्वारा कुल ₹ 555.37 करोड़(पिछले वर्ष समाप्ति पर ₹ 428.37 करोड़) के प्रत्येक ₹ 10 के पूर्ण प्रदत्त 55,53,72,168 इक्विटी शेयर सहित (पिछले वर्ष समाप्ति पर 42,83,67,513) ₹ 10 प्रत्येक के 81,77,29564 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष समाप्ति पर 66,60,85,615)	81,77,29,564 Equity Shares (Previous year ended 66,60,85,615) of ₹ 10 each including 55,53,72,168 Equity Shares (Previous year ended 42,83,67,513) of ₹ 10 each fully paid up amounting to ₹ 555.37 crores (Previous year ended ₹ 428.37 crores) held by Central Government;	8,177,296	6,660,856
कुल	**TOTAL**	**8,177,296**	**6,660,856**
प्रदत्त पूँजी	**PAID-UP CAPITAL**		
पूर्णत: प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 81,65,52,464 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 66,49,08,515)	81,65,52,464 Equity Shares (Previous year ended 66,49,08,515) of ₹ 10 each fully paid-up.	8,165,525	6,649,085
जोडें : जब्त शेयरों की राशि	Add: Amount of shares forfeited	7,391	7,391
कुल	**TOTAL***	**8,172,916**	**6,656,476**
* उपरोक्त में से केन्द्र सरकार द्वारा धारित ₹ 555.37 करोड़ (पिछले वर्ष की समाप्ति पर ₹ 428.37 करोड़) की पूर्णत: प्रदत्त ₹ 10 प्रत्येक के 55,53,72,168 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष की समाप्ति पर	Of the above, 55,53,72,168 Equity Shares (Previous year ended 42,83,67,513) of ₹ 10 each fully paid up amounting to ₹ 555.37 crores (Previous year ended ₹ 428.37 crores) is held by Central Government;		
अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष	SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षितियां :	**I. Statutory Reserve :**		
आरंभिक शेष	Opening Balance	70,868,842	66,568,842
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	0	4,300,000
कुल (I)	**TOTAL**	**70,868,842**	**70,868,842**
II. पूँजी आरक्षितियां :	**II. Capital Reserves :**		
ए) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति :	A) Revaluation Reserve:		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	35,551,465	37,421,818
जोड: परिसर के पुनर्मूल्यांकन परवर्ष के दौरान जोड़े गए	Add : Additions during the year on revaluation of premises	29,007,004	0
घटाएं : संपत्ति का पुनर्मुल्यांकन	Less: Revaluation of Property	154114	0
घटाएं : पुनर्मुल्यांकन के कारण मूल्यह्रास/समायोजन	Less: Depreciation / adjustments on account of revaluation	4,336,725	1,870,353
(ए) का कुल	**Total of (A)**	**60,067,630**	**35,551,465**
बी) अन्य	B) Others:		
i) निवेश की बिक्री पर लाभ उपरिपक्वता तक धारितठ	i Profit on sale of Investments - "Held to Maturity"		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	9,689,485	8,801,663
जोडें : वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the year	1,594,680	887,822
(i) का उप-जोड	Sub-total of (i)	**11,284,165**	**9,689,485**
ii) समेकन पर पूजी आरक्षिती	ii Capital Reserve on Consolidation		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	230,849	230,849
जोडें : वर्ष के दौरान समायोजन	Add: Adjustment during the year	63,887	0
(ii) का उप-जोड	Sub-total of (ii)	**294,736**	**230,849**
iii) विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिती	iii Foreign Currency Translation Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	12,582,789	17,585,896
जोडें/ (घटाएं) :वर्ष के दौरान समायोजन (निवल)	Add/ (Less) : Adjustments during the year (Net)	4,916,179	(5,003,107)
(iii) का उप-जोड	Sub-total of (iii)	**17,498,969**	**12,582,789**
iv) विशेष आरक्षिती - मुद्रा स्वैप	iv Special Reserve - Currency Swaps		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	0	0
जोडें/(घटाएं): वर्ष के दौरान कटौती (iv) का उप-जोड	Add/(Less):Deductions during the year	-	-
	Sub-total of (iv)	0	0
जोड (बी)	**Total of (B)**	**29,077,869**	22,503,123
जोड (II)	**TOTAL (II)**	**89,145,499**	**58,054,588**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2016 ₹	पर यथा As at 31-03-2015 ₹
अनुसूची - 2 : अरक्षितियां एवं अधिशेष (जारी)	**SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS (contd.)**		
III. शेयर प्रिमीयम :	**III. Share Premium :**		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	62,859,011	56,665,466
वर्ष के दौरान परिवर्धन (इक्विटी का अधिमानी निर्गम)	Additions during the year (Preferential Issue of Equity)	26,074,760	6,193,545
जोडें : विलोपित जब्त शेयर	Add: On forfeited shares annulled	0	0
कुल (III)	**TOTAL (III)**	**88,933,771**	**62,859,011**
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां :	**IV. Revenue and Other Reserves :**		
i) राजस्व आरक्षिती:	i) Revenue Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	105,089,534	97,832,692
जोडें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Excess Provision for dividend written back	475	
जोडें/ (घटाएं): समायोजन	Add / (Less): Adjustments	162,601	1,812,802
(i) का जोड	Total of (i)	**105,252,609**	**105,089,534**
ii) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिती	ii) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	21,700,000	16,200,000
जोडें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the year	0	5,500,000
(ii) का कुल	Total of (ii)	**21,700,000**	**21,700,000**
जोड (IV)	**TOTAL (IV)**	**126,952,609**	**126,789,534**
V. समेकित लाभ-हानि खाते में शेष	**V. Balance in Consolidated Profit and Loss Account**	**-63,653,488**	**0**
जोड (I से V)	**TOTAL (I TO V)**	**312,247,233**	**318,571,975**
अनुसूची - 2ए : अल्पसंख्यक हित	**SCHEDULE - 2A : MINORITIES INTEREST**		
उस तारीख को अल्पसंख्यक हित जब मूल कंपनी - सहायक कंपनी संबंध अस्तित्त्व में आए परवर्ती वृद्धि/(कमी)	Minority interest at the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	492,523	535,631
तदनुरुप बढ़ा / (घट)	Subsequent increase / (decrease)	487,439	1,143,711
तुलन-पत्र की तारीख को अल्पसंख्यक हित	Minority interest on the date of Balance sheet	**979,962**	**1,679,342**
अनुसूची - 3 : जमाराशियां	**SCHEDULE - 3 : DEPOSITS**		
ए. I. माँग जमाराशियाँ :	**A. I. Demand Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	5,687,194	4,863,357
ii) अन्य से	ii) From Others	230,778,231	211,973,205
जोड (I)	**TOTAL (I)**	**236,465,425**	**216,836,562**
II. बचत बैंक जमाराशियाँ	**II. Savings Bank Deposits**	**1,093,596,239**	**972,555,343**
III. मियादी जमाराशियाँ:	**III. Term Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	696,470,479	615,401,495
ii) अन्य से	ii) From Others	3,130,692,658	3,540,029,577
जोड (III)	**TOTAL (III)**	**3,827,163,136**	**4,155,431,072**
जोड ए (I to III)	**TOTAL A (I to III)**	**5,157,224,800**	**5,344,822,977**
बी. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	B) i) Deposits of branches in India	3,772,630,091	3,979,601,160
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियाँ	ii) Deposits of branches outside India	1,384,594,710	1,365,221,817
जोड (बी)	**TOTAL (B)**	**5,157,224,800**	**5,344,822,977**
अनुसूची - 4 : उधार	**SCHEDULE - 4 : BORROWINGS**		
I. भारत में उधार:	**I. Borrowings in India:**		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i. Reserve Bank of India	97,550,000	20,816,844
ii) अन्य बैंक	ii. Other Banks		
क. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	6,712,000	6,821,000
ख. अपर टियर II पूँजी	b. Upper Tier II Capital	680,000	680,000
ग. प्रतिभूतिरहित गैर-परिवर्तनीय मोचनीय बंधपत्र (टियर II पूँजी के लिए गौण ऋण)	c. Unsecured Non-convertible Redeemable Bonds (Subordinated for Tier-II Capital)	50,000	510,000
घ. अन्य	d. Others	24,803,580	19,945,712
जोड (ii)	**Total (ii)**	**32,245,580**	**27,956,712**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2016 ₹	पर यथा As at 31-03-2015 ₹
iii) अन्य संस्थाएं और अधिकरण	III) **Other Institutions and Agencies**		
क. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	35,088,000	34,979,000
ख. अपर टियर II पूँजी	b. Upper Tier II Capital	41,640,000	41,640,000
ग. प्रतिभूतिरहित गैर-परिवर्तनीय मोचनीय बंधपत्र (टियर II पूँजी के लिए गौण ऋण)	c. Unsecured Non-convertible Redeemable Bonds (Subordinated for Tier-II Capital)	46,950,000	23,990,000
घ. अन्य	d. Others	6,061,022	53,822,916
जोड (ii)	**Total (iii)**	**129,739,022**	**154,431,916**
जोड (I)	**Total (I)**	**259,534,602**	**203,205,472**
II. भारत के बाहर से उधार	**II. Borrowings outside India**		
क. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	5,661,873	5,323,366
ख. अपर टियर II पूँजी	b. Upper Tier II Capital	15,970,865	14,929,566
घ. अन्य	c. Others	229,865,379	177,528,463
जोड (II)	**Total (II)**	**251,498,117**	**197,781,395**
जोड (I एवं II)	**Total (I & II)**	**511,032,719**	**400,986,867**
ऊपर सम्मिलित प्रतिभूति उधार	Secured borrowings included in above	**97,550,000**	**40,306,953**
अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान	**SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**		
I. देय बिल	I. Bills Payable	11,632,245	11,145,751
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter-office adjustments (net)	-	0
III. उपार्जित आय	III. Interest Accrued	22,888,201	26,863,101
VI. आस्थगित कर देयता	IV. Deferred Tax liability	9,031	6,689,896
VII. अन्य	V. Others	129,068,761	135,431,030
जोड	**TOTAL**	**163,598,237**	**180,129,778**
अनुसूची - 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	**SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**		
I. हाथ में नकदी (विदेशी करेंसी नोट एवं सोने सहित)	I. **Cash in hand** (including foreign currency notes & Gold)	26,507,627	22,890,450
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष:	II. **Balances with Reserve Bank of India : ***		
i) चालू खातों में	i) In Current Account	315,304,346	251,085,533
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Accounts	325,244	1,007,829
जोड (II)	TOTAL (II)	**315,629,590**	**252,093,362**
जोड (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**342,137,217**	**274,983,812**
*** भारत के बाहर केन्द्रीय बैंकों में शेष सहित**	* Including balances with Central Banks outside India		
अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर धनराशि	**SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE**		
I. भारत में :	**I. In India :**		
i) बैंकों में शेष	i) Balances with Banks		
क) चालू खातों में	a) in Current Accounts	2,014,117	4,004,110
ख) अन्य जमाराशि खातों में	b) in Other Deposit Accounts	36,348,666	53,189,126
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धनराशि	ii) Money at call and short notice		
क) बैंकों में	a) With Banks	0	0
ख) अन्य संस्थाओं में	b) With Other Institutions	60,000,000	0
जोड (I)	TOTAL (I)	**98,362,783**	**57,193,236**
II. भारत के बाहर :	**II. Outside India :**		
i) चालू खातों में	i) In Current Accounts	6,150,697	6,518,868
ii) अन्य जमाराशि खातों में	ii) In Other Deposit Accounts	389,936,310	255,184,854
iii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धनराशि	iii) Money at call and short notice	158,460,175	138,273,648
जोड (II)	TOTAL (II)	**554,547,182**	**399,977,370**
जोड (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**652,909,965**	**457,170,606**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2016 ₹	पर यथा As at 31-03-2015 ₹
अनुसूची - 8 : निवेश	SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS		
I. भारत में निवेश:	I. Investments in India :		
i) सरकारी प्रतिभूति	i) Government Securities	1,044,618,276	1,026,975,648
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other approved Securities	1,981,616	1,754,177
iii) शेयर	iii) Shares	16,658,310	20,920,514
iv) डिबेंचर एवं बंधपत्र	iv) Debentures and Bonds	60,148,379	79,926,612
v) सहायक कंपनियों में निवेश	v) Investment in Associates	12,713,686	12,158,099
vi) अन्य	vi) Others	34,954,777	40,588,604
जोड (I)	TOTAL (I)	1,171,075,044	1,182,323,654
II. भारत के बाहर निवेश:	II. Investments outside India :		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (including local authorities)	47,423,960	37,092,824
ii) डिबेंचर एवं बंधपत्र	ii) Debentures & Bonds	0	0
iii) सहायक कंपनियों में निवेश	iii) Investment in Associates	1,146,304	1,111,340
iv) अन्य	iv) Others	6,563,778	11,427,473
जोड (II)	TOTAL (II)	55,134,042	49,631,637
TOTAL (I & II)	TOTAL (I & II)	1,226,209,086	1,231,955,291
III. भारत में निवेश :	III. Investments in India :		
i) निवेश का सकल मूल्य	i) Gross value of Investments	1,179,722,481	1,187,148,886
ii) अवमूल्यन हेतु संकलित प्रावधान	ii) Aggregate provisions for depreciation	8,647,437	4,825,232
iii) निवल निवेश	iii) Net Investments	1,171,075,044	1,182,323,654
IV भारत के बाहर निवेश:	IV. Investments outside India :		
i) निवेश का सकल मूल्य	i) Gross value of Investments	61,081,660	55,490,488
ii) अवमूल्यन हेतु संकलित प्रावधान	ii) Aggregate provisions for depreciation	5,947,618	5,858,851
iii) निवल निवेश	iii) Net Investments	55,134,042	49,631,637
TOTAL (III & IV)	TOTAL (III & IV)	1,226,209,086	1,231,955,291
अनुसूची - 9 : अग्रिम	SCHEDULE - 9 : ADVANCES		
ए. i) क्रीत बिल और बट्टाकृत बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	507,188,765	593,438,553
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	1,456,548,519	1,666,710,513
iii) मियादी ऋण	iii) Term Loans	1,649,281,624	1,783,744,455
कुल (ए)	TOTAL (A)	3,613,018,908	4,043,893,521
बी. अग्रिम का विवरण	B. Particulars of Advances :		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों के निमित्त अग्रिम शामिल है)	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	2,477,587,443	2,864,633,463
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	564,085,027	576,630,755
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	571,346,438	602,629,303
जोड (बी	TOTAL (B)	3,613,018,908	4,043,893,521
सी. अग्रिमों का क्षेत्रववार वर्गीकरण	C. Sectoral Classification of Advances :		
I. भारत में अग्रिम	I. Advances in India		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i) Priority Sector	918,603,215	850,784,313
घटाएं : अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (निवल)	Less: Inter-Bank Participation Certificates (Net)	0	0
निवल	Net	918,603,215	850,784,313
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	321,043,951	498,881,325
iii) बैंक	iii) Banks	1,514,066	6,588,802
iv) अन्य	iv) Others	1,247,842,568	1,452,580,083
कुल (i,ii,iii,iv)	Total (i,ii,iii,iv)	2,489,003,800	2,808,834,523
जोडे/ (घटाए): अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (निवल)	Add / (Less) : Inter-Bank Participation Certificates (Net)	0	0
कुल (I)	TOTAL (I)	2,489,003,800	2,808,834,523
II. भारत के बाहर अग्रिम	II Advances outside India :		
i) बैंकों से देय	i) Due from Banks	354,336,519	289,330,084
II) अन्यों से देय	II) Due from others		
क) क्रीत बिल और बट्टाकृत बिल	a) Bills Purchased and Discounted	101,507,766	208,696,036
ख) समूहनकृत ऋण	b) Syndicated Loans	187,682,606	97,961,129
ग) अन्य	c) Others	480,488,217	639,071,749
जोड (II)	TOTAL (II)	1,124,015,108	1,235,058,998
जोड (सी-I एवं सी-II)	TOTAL (I & II)	3,613,018,908	4,043,893,521

समेकित तुलन पुत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2016 ₹	पर यथा As at 31-03-2015 ₹
अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां	**SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS**		
I. परिसर :	**I. PREMISES :**		
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance at cost	14,976,210	13,754,972
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions /Adjustments during the year	1,368,251	1,269,003
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/ समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	8,268	47,765
उप-जोड	Sub-total	16,336,193	14,976,210
पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में जमा किए गए पुनर्मूल्यन के कारण इस तारीख तक जोड	Addition to date on account of revaluation credited to revaluation reserve	76,065,902	47,212,385
घटाएं : इस तारीख को मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकन के कारण ₹ 15997646 सहित पिछले वर्ष में ₹ 11660921)	Less : Depreciation to date (including ₹ 15997646 on account of revaluation - Previous year ₹ 11660921)	20,396,343	15,522,764
जोड (I)	TOTAL (I)	**72,005,752**	**46,665,831**
II. अन्य अचल आस्तियां	**II. OTHER FIXED ASSETS :**		
(फर्निचर एवं फिक्स्चर सम्मिलित है)	(including Furniture and Fixtures)		
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance at cost	26,406,733	21,731,354
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions /Adjustments during the year	3,239,819	16,280,641
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	543,178	11,605,262
उप-जोड	Sub-total	29,103,374	26,406,733
घटाएं: इस तारीख को मूल्यह्रास	Less: Depreciation to date	17,291,753	15,054,172
जोड (II)	TOTAL (II)	**11,811,621**	**11,352,561**
III. निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य	**III. CAPITAL WORK IN PROGRESS**	**1,911,132**	**1,126,464**
जोड (I से III)	**TOTAL (I to III)**	**85,728,505**	**59,144,856**
अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां	**SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS**		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	I. Inter Office Adjustment (Net)	21,805,737	3,005,556
II. उपचित ब्याज	II. Interest Accrued	26,895,793	25,430,573
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटे गए कर (निवल)	III. Tax paid in advance/tax deducted at source (Net)	39,631,847	53,289,730
IV. लेखन सामग्री और स्टैम्प	IV. Stationery and Stamps	45,407	31,072
V. आस्थगित कर आस्तियां	V. Deferred Tax Assets	27,818,631	1,344,739
VI. अन्य	VI. Others	130,091,251	102,597,659
जोड	**TOTAL**	**246,288,666**	**185,699,330**
अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं	**SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES**		
I. बैंक के विरुद्ध दावें जिन्हे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	11,351,207	11,593,142
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं	II. Liability for partly paid Investments	564,701	1,451,123
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	2,672,463,649	2,703,480,344
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां:	IV. Guarantees given on behalf of Constituents :		
क) भारत में	a. In India	207,067,359	200,028,550
ख) भारत के बाहर	b. Outside India	139,961,685	111,271,166
V. स्वीकार, पृष्ठांकन एवं अन्य दायित्व	V. Acceptances, endorsements and other obligations	222,358,896	390,126,642
VI. ब्याज दर स्वैप	VI. Interest Rate Swaps	283,574,642	288,018,476
VII. अन्य मदे जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप में देनदार है	VII. Other items for which the Bank is contingently liable	3,856,375	34,961,779
जोड	**TOTAL**	**3,541,198,515**	**3,740,931,223**
अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज एवं लाभांश	**SCHEDULE - 13 : INTEREST AND DIVIDENDS EARNED**		
I. अग्रिमों/बिल पर ब्याज/बट्टा	I. Interest/Discount on advances/bills	305,826,699	318,781,822
II. निवेशों पर आय	II. Income on Investments	89,761,413	94,237,520
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों के शेषों पर ब्याज	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	21,792,233	21,743,359
IV. अन्य	IV. Others	3,548,090	2,086,020
जोड	**TOTAL**	**420,928,434**	**436,848,721**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2016 ₹	पर यथा As at 31-03-2015 ₹
अनुसूची - 14 : अन्य आय	**SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME**		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	I. Commission, exchange and brokerage	14,150,729	16,213,736
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ	II. Profit on sale of Investments	7,549,292	9,348,056
घटाएं : निवेशों के विक्रय पर नुकसान	Less : Loss on sale of investment.		
III. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	III. Profit on sale of land, buildings and other assets	3,960	249
घटाएं : अचल आस्तियों के विक्रय पर नुकसान	Less : Loss on sale of fixed assets		
IV. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ - निवल	IV. Profit on exchange transactions - net	6,700,553	6,942,251
घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर नुकसान	Less : Loss on exchange transaction		
V. सहायक कंपनियों/कंपनियों और/अथवा संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	V. Income Earned by way of dividend etc. on subsidiaries/companies and /or/ joint ventures	166,224	472,174
VI. विविध आय	VI. Miscellaneous Income	8,145,378	9,804,289
जोड	**TOTAL**	**36,716,135**	**42,780,755**
अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज	**SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED**		
I. जमाराशियों पर ब्याज	I. Interest on Deposits	270,978,231	290,498,821
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक बैंक उधारों ब्याज	II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	19,207,901	16,194,079
III. गौण ऋणों, आईआरएस इत्यादि पर ब्याज	III. Interest on Subordinated Debts, IRS etc.	12,267,037	15,507,650
जोड	**TOTAL**	**302,453,169**	**322,200,549**
अनुसूची - 16 : परिचालनगत व्यय	**SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES**		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	I. Payments to and provisions for employees	54,035,901	50,312,966
II. किराया, कर एवं बिजली	II. Rent, Taxes and Lighting	6,570,140	6,139,011
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	III. Printing and Stationery	779,307	784,165
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	IV. Advertisement and Publicity	419,881	1,109,425
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन आरक्षितियों पर निवल मूल्यह्रास)	V. Depreciation on Bank's property (Net of Depreciation on Revaluation Reserve)	2,899,643	2,910,815
VI. निदेशकों के भत्ते और व्यय	VI. Directors' fees, allowances and expenses	30,861	23,311
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय)	VII. Auditors' fees and expenses (Including Branch Auditors' Fees & Expenses)	682,731	524,911
VIII. विधि प्रभार	VIII. Law Charges	265,942	311,793
IX. डाक व्यय, तार, टेलिफोन आदि	IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	1,027,318	882,407
X. मरम्मत एवं रखरखाव	X. Repairs and Maintenance	644,200	644,726
XI. बीमा	XI. Insurance	3,722,014	3,282,484
XII. अन्य खर्च	XII. Other Expenditure	23,172,197	15,008,023
जोड	**TOTAL**	**94,250,134**	**81,934,037**
अनुसूची - 16 A : सहयोगी कंपनी में उपार्जन/ हानि का अंश	**SCHEDULE - 16 A : SHARE OF EARNINGS / LOSSES IN ASSOCIATES**		
I. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)	I. Regional Rural Banks (RRBs)	387,685	2,025,808
II. अन्य	II. Others	202,866	638,849
जोड	**TOTAL**	**590,551**	**2,664,657**

अनुसूची -17 :

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1) लेखांकन पद्धति

संलग्न समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) कार्यशील संस्था की विचार धारा का पालन करते हुए, यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो परम्परागत लागत आधार पर तथा भारत में सामान्यत: अपनाए जाने वाले लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) पर तैयार किए गए हैं, जो लागू सांविधिक उपबंधों के अनुरुप भारतीय रिज़र्व बैंक, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंड, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) और निर्णय तथा भारत में प्रचलित लेखा प्रथा के अनुरुप हैं। विदेशी शाखाओं/ कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबंधों तथा लेखांकन पद्धितियों का अनुपालन किया है, सिवाय उनके जिन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट किया गया है।

वित्तीय विवरण को तैयार करने में यह आवश्यक होता है कि वित्तीय विवरण की तिथि को रिपोर्ट किए गये आस्ति तथा देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि और रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट किए गये आय और व्ययों के सुविचारित अनुमानों तथा धारणाओं को प्रबंधन पूरा करे। प्रबंधन यह विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में उपयोग किए गये अनुमान यथोचित तथा ठीक हैं। तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से भिन्न हो सकता है। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को चालू और भविष्य की अवधियों में प्रत्याशित रूप से ध्यान पर लिया गया है।

2) समेकन का आधार

समूह के समेकित वित्तीय विवरण निम्न आधार पर तैयार किए गए हैं:

1. बैंक ऑफ़ इंडिया (मूल बैंक) एवं उसकी अनुषंगियों के वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखागत मानक (एएस) 21 ''समेकित वित्तीय विवरण '' के अनुसार तैयार किए जाते हैं। ऐसा पंक्ति दर पंक्ति आधार पर किया जाता है और उनके साथ ऐसी मदें जैसे आस्तियां, देयताएं, आय और व्यय जोड़ दी जाती हैं और अन्तर ग्रुप संव्यवहारों, शेष राशि बिना वसूले गये लाभ/हानि को उसमें से निकाल दिया जाता है और इसके साथ-साथ ऐसे आवश्यक समायोजन भी किए जाते हैं, जो लेखागत नीति के अनुरुप उन्हें बनाने के लिए आवश्यक हों।

2. अनुषंगियों में निवेश की मूल लागत और अनुषंगियों में इक्विटी के मूल हिस्से के बीच के अंतर को साख/आरक्षित पूंजी के रुप में मान्यता दी जाती है ।यदि कोई साख है तो इसकी मान्यता प्राप्त होने पर तुरंत बट्टे खाते डाल दी जाती है।

3. समेकित वित्तीय विवरण पत्र में अल्पसंख्यक हित अनुषंगियों की निवल इक्विटी में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के शेयर के रुप में है।

4. सहायक कम्पनियों में निवेश का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 23, ''समेकित वित्तीय विवरणपत्रों में सहायक कम्पनियों में निवेश का लेखांकन'' के अनुसार इक्विटी तरीके के तहत किया गया है।

5. संयुक्त उद्यम में निवेशों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 27, ''संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग'' में विहित किए गए ''समानुपात आधार'' पर समेकित है।

SCHEDULE 17:

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1) ACCOUNTING CONVENTION:

The accompanying consolidated financial statements (CFS) have been prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform, to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), Companies Act 2013, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and accounting practices preval in India. In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However actual results can differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

2) BASIS OF CONSOLIDATION:

Consolidated financial statements of the group have been prepared on the basis of:

1. The financial statements of Bank of India (the Parent bank) and its subsidiaries in accordance with Accounting Standard (AS) 21 "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), on a line by line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenses after eliminating intra-group transactions, balances, unrealised profit/loss and making necessary adjustments of material nature wherever required to conform to uniform accounting.

2. The difference between cost to the parent bank of its investment in the subsidiaries and Parent bank's share in the equity of the subsidiaries is recognised as goodwill/ capital reserve. Goodwill, if any, is written off immediately on its recognition.

3. Minority interest in the Consolidated Financial Statement consists of the share of the minority shareholders in the net equity of the subsidiaries.

4. Accounting for Investment in Associate companies is done under Equity method in accordance with Accounting Standard (AS) 23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by ICAI.

5. Accounting for Investments in Joint Venture are consolidated on "Proportionate basis" as prescribed in Accounting Standard (AS) 27, "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by ICAI.

3. राजस्व पहचान

3.1 बैंकिंग कंपनी

(क) सामान्यत: आय/व्यय का लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो। विदेशी कार्यालयों के संबंध में उस मेज़बान देश के स्थानीय कानून के अनुसार आय निर्धारित की जाएगी।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सिवाय अनर्जक आस्तियों पर ब्याज के जिसकी वसूली होने पर निर्धारण किया जाता है, समय अनुपात के आधार पर ब्याज आय का निर्धारण किया जाता है।

(ग) बैंक गारंटी और साख पत्र जारी करने पर कमीशन का उपचय बीजी/एलसी की अवधि पर होता है।

(घ) अन्य सभी कमीशन और विनिमय, ब्रोकरेज, शुल्क तथा अन्य प्रभारों की वसूली होने पर आय के रूप में निर्धारण किया जाता है।

(ङ) ''परिपक्वता तक धारित'' श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज के अलावा) उसके अंकित मूल्य पर प्राप्त छूट पर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :

1. ब्याज देने वाली प्रतिभूतियों पर केवल बिक्री/रीडेम्पशन के समय ही इसका निर्धारण किया जाता है।
2. जीरो-कूपन प्रतिभूतियों पर निरंतर प्रतिफल के आधार पर प्रतिभूति के शेष परिपक्वता काल पर इसका लेखांकन किया जाता है।

(च) निवेशों की बिक्री से हुए लाभ अथवा हानि को लाभ तथा हानि खाते में मान्यता दी जाती है। तथापि 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के तहत निवेशों की बिक्री में लाभ होने की स्थिति में ,करों और सांविधिक राजस्व में अंतरण के लिए आवश्यक राशि को घटाकर, इसके समान राशि को 'पूंजी राजस्व खाते' में विनियोजित किया जाता है।

(छ) लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर लाभांश का निर्धारण किया जाता है।

(ज) मूल्यांकन आदेश पास करने के वर्ष में आयकर- रिफंड पर ब्याज का निर्धारण किया जाता है।

(झ) एनपीए खातों से की गई वसूली का विनियोजन पहले उधारकर्ता के खाते में डेबिट किए गए अप्राप्त ब्याज/आय, किए गए व्यय/आउट ऑफ पॉकेट व्यय उसके बाद बकाया मूलधन और अंत में अप्रभारित ब्याज में विनियोजित की जाती है।

3.2 गैर-बैंकिंग कंपनी:

बीमा

क) प्रीमियम आय :

प्रीमियम (सेवा कर का निवल) जब देय हो तब आय के रूप में पहचानी जाती है। संबद्ध कारोबार के लिए सहायक इकाइयां निर्मित की जाती हैं तब प्रीमियम की पहचान की जाती है। टॉप-अप प्रीमियमों को एकल प्रीमियम के रूप में जाना जाता है।

व्यपगत पालिसियों को प्रीमियम आय के रूप में पहचाना जाता है, जब इस प्रकार की पॉलिसियाँ पुन: प्रारंभ हो जाती हैं।

टॉप अप प्रिमियम को एकल प्रिमियम के रूप में माना गया है और जब सहायक इकाई का सृजन किया जाता है तब इसे आय के रूप में माना जाता है ।

3) REVENUE RECOGNITION:

3.1 Banking Entities:

(a) Income/Expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In respect of foreign offices, income/expenditure is recognised as per local laws of host country.

(b) Interest income is recognised on time proportion basis except (i) interest on Non-performing Assets, which is recognised on realisation, in terms of the RBI guidelines.

(c) Commission on issue of Bank Guarantee and Letter of Credit is accrued over the tenure of BG/LC.

(d) All other Commission and Exchange, Brokerage, Fees and other charges are recognised as income on realisation.

(e) Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:

1. On Interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.
2. On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

(f) Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss account. However, in case of profit on sale of investments under 'Held to Maturity' category, an equivalent amount, net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves, is appropriated to 'Capital Reserve Account'.

(g) Dividend is recognised when the right to receive the dividend is established.

(h) Interest on Income-tax refund is recognised in the year of passing of assessment order.

(i) The recoveries made from NPA accounts are appropriated first towards unrealised interest/income debited to borrowers accounts, expenditure/out of pocket expenses incurred, then principal dues and lastly towards uncharged interest.

3.2 Non Banking entities:

Insurance

a) Premium Income:

Premium for non-linked business is recognised as income when due. Premium for linked business is recognised when the associates units are created. Premium is recognised net of service tax.

Premium on lapsed policies is recognised as income when such policies are reinstated.

Top up premium is considered as single premium and recognised as income when associated units are created.

ख) **परिशोधित आय/लागत :**

असंबद्ध निवेशों से संबंधित ऋण प्रतिभूति/अचल आय प्रतिभूति के संबंध में अधिग्रहण पर प्रीमियम अथवा छूट, जैसा भी मामला हो, परिपक्वता/धारिता की अवधि पर सीधी रेखा आधार (स्ट्रेट लाइन बेसिस) पर परिशोधित किया जाता है और ब्याज आय के निमित्त समायोजित किया जाता है।

ग) **संबद्ध निधियों से आय :**

संबद्ध निधियों से आय वह हैं जिसमें पॉलिसी प्रशासनिक प्रभार, नीति प्रशासकीय प्रभार, मृत्यु दर प्रभार, निधि प्रबंधन प्रभार आदि सम्मिलित हों जिसे जारी नीतियों के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार वसूल किया जाता है और वसूली होने पर उनकी पहचान की जाती है।

घ) **संबद्ध कारोबार हेतु ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ / (हानि) :**

खर्च को अलग करके विक्रय प्रतिफल और बही लागत के बीच की भिन्नता संबद्ध कारोबार के लिए ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ / (हानि) है, जो कि बिक्री की तिथि पर भारित अनुपात आधार पर परिकलित की जाती है।

ङ) **संबद्ध कारोबार हेतु ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ / (हानि) :**

खर्च को अलग करके विक्रय प्रतिफल और परिशोधित लागत के बीच की भिन्नता संबद्ध कारोबार से भिन्न के लिए ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ / (हानि) है, जो कि बिक्री की तिथि पर भारित अनुपात आधार पर परिकलित की जाती है।

च) **इक्विटी शेयर / म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ / (हानि) :**

बिक्री की तिथि पर भारित अनुपात आधार पर परिकलित, खर्च को अलग करके विक्रय प्रतिफल और परिशोधित लागत के बीच की भिन्नता इक्विटी शेयर / म्यूचुअल फंड इकाइयों की बिक्री पर लाभ / (हानि) है।

असंबद्ध कारोबार के संबंध में, लाभ/(हानि) में पिछली बार ''प्रत्यक्ष मूल्य परिवर्तन खाता'' के तहत स्वीकृत उचित मूल्य में जोड़े गए परिवर्तन शामिल हैं।

हालाँकी, जहाँ अंतिम संग्रहणीयता में उचित संभाव्यता की कमी हो, वहाँ राजस्व की स्वीकृति मुल्तवी रखा गया है।

छ) **संबद्ध कारोबार के लिए अप्राप्त लाभ/(हानि) :**

संबद्ध कारोबार के लिए अप्राप्त लाभ और हाँइ संबंधित निधि के राजस्व खाते में प्रस्तुत है।

ज) **प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने से आय :**

प्रतिभूतियां उधार देना और लेना (एसएलबी) मिकेनिज़म के तहत इक्विटी शेयर के उधार पर प्राप्त शुल्क को उधार की अवधि के ऊपर सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया गया है और ब्याज आय के साथ जोड़ा गया है।

झ) **पुनर्बीमा प्रीमियम :**

पुनः बीमाकर्ता के साथ संगत संधिपत्रों के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार प्रीमियम आय की पहचान के समय सत्तान्तरित पुनर्बीमा प्रीमियम का लेखाकरण होता है। पुर्नबीमा पर लगाया गया लाभ कमीशन पुर्नबीमा पर लगाये गये प्रीमियम के निमित्त निवल किया गया है।

b) **Amortised Income/Cost:**

Premium or discount on acquisition, as the case may be, in respect of debt securities/fixed income securities, pertaining to non-linked investments is amortized on straight line basis over the period of maturity/holding and adjusted against interest income.

c) **Income from linked funds:**

Income from linked funds which includes fund management charges, policy administrative charges, mortality charges etc. are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policy and recognised when recovered.

d) **Realized Gain/ (Loss) on Debt Securities for Linked Business:**

Realized gain/(loss) on debt securities for linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the book cost, which is computed on weighted average basis, as on the date of sale.

e) **Realized Gain/ (Loss) on Debt Securities for Non-Linked Business**

Realized gain/(loss) on debt securities for other than linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the amortized cost, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale.

f) **Profit/ (Loss) on sale of Equity Shares/Mutual Fund:**

Profit/(Loss) on sale of equity shares/mutual fund units is the difference between the sale consideration net of expenses & the book cost computed on weighted average basis as on the date of sale.

In respect of non linked business the Profit/(Loss) includes the accumulated changes in the fair value previously recognized under "Fair Value Change Account".

However, revenue recognition is postponed where ultimate collectability lacks reasonable certainty.

g) **Unrealized Gain/ (Loss) for Linked Business:**

Unrealized gains and losses for Linked Business are recognized in the respective fund's revenue account.

h) **Income from Security Lending and Borrowing:**

Fees received on lending of equity shares under Securities Lending and Borrowing (SLB) mechanism is amortized on a straight-line basis over the period of lending and clubbed with the interest income.

i) **Reinsurance Premium:**

Reinsurance Premium ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the terms and conditions of the relevant treaties with the reinsurers. Profit commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

ञ) **प्रदत्त लाभ (दावों सहित) :**

प्रदत्त लाभ में पॉलिसी लाभ तथा दावा समझौता लागत, यदि कोई हो, जुड़ा है।

पॉलिसीधारक से सूचना की प्राप्ति पर मृत्यु, संशोधन तथा अभ्यर्पण दावे लेखाकृत किए जाते हैं। जब सहयोगी इकाइयां निरस्त हो जाती हैं तब संबंधित योजनाओं में पॉलिसी संबद्ध आहरण तथा सुपुर्दगी का लेखाकरण किया जाता है।

देय होने पर उत्तरजीविता लाभ दावे तथा परिपक्वता दावे लेखाकृत किए जाते हैं।

जिस अवधि में दावों का निपटान किया जाता है, उसी में दावों पर पुनर्बीमा वसूलियों का लेखांकन किया जाता है।

दावों पर पुर्नबीमा वसूली को उसी अवधि के लिए माना गया है जिस अवधि से दावा सम्बंधित है।

कानूनी प्राधीकरण के समक्ष उठाए गये अन्य विवादित दावों को प्रबंधन द्वारा जैसा उचित माना जाए, न्यायोचित आधार पर प्रदान किया जाता है।

ट) **अधिग्रहण लागत :**

अधिग्रहण लागत वह लागत है जो मुख्य रूप से बीमा करार के अधिग्रहण से संबंधित होती है और उनके अनुरुप अलग-अलग होती हैं तथा जिस अवधि में उपचित होती है खर्च की जाती है।

प्रथम वर्ष प्रदत्त कमीशन हेतु भविष्य में यदि कोई कर लगाकर वसूली होती है, तो जिस वर्ष में वह वसूल किया जाता है उसी वर्ष में उसका लेखांकन किया जाता है।

ठ) **जीवन बीमा हेतु देयताएं :**

प्रभावी जीवन बीमा पॉलिसियों तथा वह पॉलिसी जिनका प्रीमियम बंद हो चुका है किंतु देयताएं हैं, हेतु बीमांकिक देयताओं का निर्धारण, भारतीय सनदी बीमांकिकी संस्थान के नियमों तथा आईआरडीए विनियम बीमा अधिनियम, 1938 की आवश्यकताओं, स्वीकृत बीमांकिकी व्यवहार्य के अनुसरण में अप्राप्त बीमा आरक्षित प्रणाली समूह कारोबार के मामले में सकल प्रीमियम प्रणाली का उपयोग करते हुए नियुक्त बीमांकिकी द्वारा, किया जाता है।

संबद्ध देयताओं में पॉलिसी के निधि मूल्य दर्शाते हुए इकाई देयता और बीमा दावा इत्यादि के लिए गैर इकाई देयता शामिल है। यह नियुक्त बीमांकिकी द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है।

ड) **ऋण :**

बही मूल्य और पूँजीगत ब्याज के समायोजन पर पॉलीसी के निमित्त ऋण का मूल्यनिर्धारण किया जाता है और वे ह्रास, यदि कोई हो, के अध्यधीन हैं।

j) **Benefits paid (including claims):**

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any.

Death, rider & surrender claims are accounted for on receipt of intimation. Under linked business, surrender also included amount payable on lapsed policies which are accounted for on expiry of lock in period, which is the period after which, policy cannot be revived. Surrenders and terminations are accounted at gross of charges.

Survival, maturity and annuity benefit claims are accounted for when due.

Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as that of the related claims.

Repudiated and other claims disputed before judicial authorities are provided for on prudent basis as considered appropriate by management.

k) **Acquisition Costs**

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

Claw back in future, if any, for the first year commission paid, is accounted for in the year in which it is recovered.

l) **Liability for life policies:**

Actuarial liability for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined by the Appointed Actuary using the gross premium method and in case of group business (except for Credit Life Business and Reverse Mortgage Loan Enabled Annuity where gross premium method is used), the actuarial liabilities have been calculated on the basis of Unearned Premium Reserve method, which is in accordance with accepted actuarial practice standards, requirements of Insurance Act 1938 and the stipulations of the Institute of Actuaries of India from time to time.

Linked liabilities comprise unit liability representing the fund value of policies and non-unit liability for meeting insurance claims, expenses etc. This is based on an actuarial valuation carried out by the Appointed Actuary.

m) **Loans:**

Loans against policies are valued at the aggregate of book values (net of repayments) plus capitalized interest and are subject to impairment if any.

3.3 गैर-बैंकिंग गतिविधियां - म्यूचुअल फण्ड और ट्रस्टी सेवाएं

परिचालनों से राजस्व: म्यूचुअल फण्ड योजना से प्रबंधन शुल्क का लेखांकन निवेश प्रबंधन करार के अनुरूप उपचय आधार पर किया जाता है और वे बीओआई एक्सा म्यूचुअल फण्ड की योजनाओं द्वारा रिकॉर्ड किए अनुसार निवल आस्ति मूल्य पर आधारित होते हैं।

कंपनी और म्यूचुअल फंड के बीच ट्रस्ट डीड के अनुरूप उपचित आधार पर ट्रस्टी शुल्क का परिकलन किया जाता है। ट्रस्टी शुल्क बीओआई एक्सा म्यूचुअल फण्ड की योजनाओं द्वारा रिकॉर्ड किए अनुसार निवल आस्ति मूल्य पर आधारित होते हैं।

अन्य आय : उपचय आधार पर ब्याज आय अंकित की जाती है। निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को, व्यापार की तारीख पर लाभ/हानि खाते में अंकित किया जाता है और एकल प्रतिभूति हेतु भारित औसत आधार पर उसका परिकलन किया जाता है।

4. अग्रिम :

(क) लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसरण में अग्रिम को ''उत्पादक'' और ''अर्नजक अग्रिमों'' (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को आगे अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ग) घरेलू शाखाओं के संबंध में एनपीए से संबंधित प्रावधान बैंक की नीति के अनुसार विशेषकर एनपीए का त्वरित प्रावधानीकरण के अनुसार किया गया है जिसका दर निम्नानुसार है :

3.3 Non-Banking Activities – Mutual Fund and Trustee Services

Revenue from Operations: Management fees from the scheme of mutual fund are accounted on an accrual basis in accordance with the investment management agreement and are dependent on the net asset value as recorded by the schemes of BOI AXA Mutual fund.

Trustee fees are accounted on accrual basis in accordance with trust deed between the Company and the Mutual Fund. Trustee fees are dependent upon the net asset value as recorded by the schemes of BOI AXA Mutual Fund.

Other Income: Profit or loss on sale of investment is recognised in the P&L Account on the trade date and determined on weighted average basis for individual security.

4) ADVANCES:

(a) Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing Advances" (NPAs) in accordance with the applicable regulatory guidelines.

(b) NPAs are further classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets in terms of applicable regulatory guidelines.

(c) In respect of domestic branches, Provisions in respect of NPAs is made as per policy of the bank particularly in accelerated provisioning for NPAs which is at the rate given as under:

एनपीए की श्रेणी	Category of NPAs	निवल बकाया अग्रिम का % % of net outstanding advance
अवमानक आस्ति: *	Sub Standard:*	
क) एक्सपोज़र, जो आरंभ से गैर जमानती है	a) Exposures, which are unsecured ab initio	25%
ख) अन्य	b) Others	15%
संदिग्ध	Doubtful:	
क) जमानती हिस्सा (उस अवधि के लिए जिसके दौरान अग्रिम संदिग्ध श्रेणी में ही रहा)	a) Secured portion (Period for which advance has remained in doubtful category)	
- एक वर्ष तक	- Upto one year	25%
- एक वर्ष से तीन वर्ष तक	- One year to three years	40%
- तीन वर्ष से अधिक	- More than three years	100%
ख) गैर जमानती हिस्सा	b) Unsecured portion	100%
हानि	Loss	100%

* बकाया अग्रिम पर

* on the outstanding advance

(घ) विदेशी शाखाओं के संबंध में, अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण और एनपीए के संबंध में प्रावधान संबंधित विदेशी देश में लागू विनियामक आवश्यकताओं अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार होगी इनमें से जो भी कड़े हो।

(ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार निवल अग्रिम के परिकलन हेतु कुल अग्रिमों में से अनर्जक आस्तियो , अवसूलीकृत ब्याज, इसीजीसी दावा निपटान इत्यादि के संबंध में प्रावधान घटाएं जाते हैं।

(च) पुनर्निधारित/पुन:संरचित खातों के संबंध में विद्यमान मूल्य स्थिति में आकलित पुनर्संरचित अग्रिम के मूल्य में ह्रास के परित्याग के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। निवल अग्रिम के परिकलन हेतु इस प्रावधान को घटाया जाता है।

(d) In respect of foreign branches, classification of advances as NPAs and provision in respect of NPAs is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.

(e) Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims settled, etc., are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.

(f) In respect of Rescheduled/Restructured advances, provision is made for the diminution in the fair value of restructured advances measured in present value terms as per RBI guidelines. The said provision is reduced to arrive at Net advances.

(छ) आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय आस्तियां बेचे जाने के मामले में यदि बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो अतिरिक्त राशि को रखा जाता है और एससी/एआरसी को अन्य वित्तीय आस्तियों की बिक्री में होनेवाली कमी/हानि की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाता है। यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से नीचे है (अर्थात् रखे गए प्रावधान से कम बकाया) तो कमी को लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है। तथापि यदि अतिरिक्त राशि उपलब्ध है तो ऐसी कमी को उसमें खपाया जाएगा। 26.02.2014 को अथवा उसके बाद एनपीए की बिक्री से उत्पन्न किसी भी ऐसी कमी को यदि अतिरिक्त राशि में खपाया नहीं जाता है तो उसे दो वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित किया जाएगा।

एनपीए की बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त प्रावधान को तभी रिवर्स किया जाएगा जब आस्ति का निवल बही मूल्य(एनबीवी) से प्राप्त नकदी (केवल प्रारंभिक प्रतिफल द्वारा/अथवा एसआरएस/पीटीसी का रीडेम्पशन) अधिक होगा। अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी के हद तक सीमित होगी।

(ज) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुन:संरचित अग्रिमों सहित मानक आस्तियों का प्रावधान किया जाता है।विदेशी शाखाओं के मामलों में मानक आस्तियों के लिए प्रावधान, संबन्धित विदेशी देशों में लागू विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार होगी इनमें से जो भी कड़े हों।

(झ) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल निधिक देशी एक्सपोज़र के लिए श्रेणीबद्ध स्केल पर प्रावधान किया जाता है।

5. अस्थायी प्रावधान:

बैंक में अस्थायी प्रावधान का सृजन करने और उसका उपयोग करने की नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सृजित की जाने वाली अस्थायी प्रावधान की प्रमात्रा का निर्धारण किया जाता है। अस्थायी प्रावधान का उपयोग नीति में निर्धारित केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अथवा किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई विशेष अनुमति से ही किया जाता है।

6. डेबिट/क्रेडिट कार्ड रिवार्ड प्वाइंट :

बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में रिवार्ड पॉइंट का प्रावधान बीमांकिक आकलन के आधार किया जाता है और क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट के लिए प्रावधान संचित बकाया पॉइंट के आधार पर किया जाता है।

7. निवेश :

i. सरकारी प्रतिभूतियों में संव्यवहार को मान्यता निपटान तारीख पर दी जाती है और अन्य सभी निवेशों को कारोबार की तारीख पर मान्यता दी जाती है।

ii. निवेशों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 'परिपक्वता तक धारित', 'कारोबार के लिए धारित' और 'बिक्री हेतु धारित' श्रेणियों में किया गया है। भारत में किए गए निवेशों के प्रकटन के उद्देश्य से इन्हें आरबीआई दिशानिर्देशों और बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार छह वर्गों के तहत वर्गीकृत किया जाता है जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य

(g) In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price higher than the NBV, the surplus is retained and utilised to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC. If the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is to be debited to the Profit and Loss account. However if surplus is available, such shortfall will be absorbed in the surplus. Any such shortfall arising due to sale of NPA on or after 26/02/2014 will be amortised over a period of two years if not absorbed in the surplus.

Excess provision arising out of sale of NPA's are reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SRS/ PTC) is higher then the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

(h) Provision for Standard assets, including restructured advances classified as standard, is made in accordance with RBI guidelines. In respect of foreign branches provision for Standard Assets is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.

(i) Provision for net funded country exposures is made on a graded scale in accordance with the RBI guidelines.

5) FLOATING PROVISION:

The bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India or on being specifically permitted by Reserve Bank of India for specific purposes.

6) DEBIT/CREDIT CARD REWARD POINTS:

Provision for reward points in relation to the debit card holders of the bank is provided for on actuarial estimates and Provision for Reward Points on Credit cards is made based on the accumulated outstanding points.

7) INVESTMENTS:

I. Transactions in Government Securities are recognised on Settlement Date and all other Investments are recognised on trade date.

II. Investments are categorised under `Held to Maturity', 'Held for Trading' and 'Available for Sale' categories as per RBI guidelines. For the purpose of disclosure of investments in India, these are classified, in accordance with RBI guidelines & Banking Regulation Act 1949, under six classification viz. Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures and Bonds, Investment in Subsidiaries and Associates

अनुमोदित प्रतिभूतियां, शेयर, डिबेंचर और बॉंड, अनुषंगियों और सहायक कंपनियों और अन्य । भारत के बाहर निवेशों के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार इन्हें तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है जैसे सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित), विदेश में अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम और अन्य निवेश।

(क) वर्गीकरण का आधार

निवेश का वर्गीकरण उसके अर्जन के समय किया जाता है।

i. परिपक्वता पर धारित

इसमें ऐसे निवेश हैं जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है। अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में किए गए निवेश को भी परिपक्वता तक धारित के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

ii. कारोबार के लिए धारित

इसमें ऐसे निवेश है जिन्हें अल्प मियादी मूल्य/ब्याज दर के उतार-चढ़ाव का लाभ लेते हुए कारोबार के इरादे से अर्जन किया जाता है। खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर इसका कारोबार किया जाता है।

iii. बिक्री के लिए उपलब्ध

ऐसे निवेश जिनका वर्गीकरण ''परिपक्वता तक धारित'' अथवा 'कारोबार के लिए धारित' रूप में नहीं किया हैं, उन्हें इस शीर्ष में रखा गया है।

ख) निवेश का अधिग्रहण लागत

i. ईक्विटी निवेश के अर्जन के लिए भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति संव्यवहार कर इत्यादि लागत में शामिल है।

ii. ब्रोकरेज, कमीशन, ऋण निवेश पर भुगतान/प्राप्त किए गए खंडित अवधि के ब्याज को आय/व्यय के रूप में माना गया है और इसे लागत/बिक्री पर विचार करते समय शामिल नहीं किया जाता।

iii. निवेशों के अभिदान पर प्राप्त ब्रोकरेज और कमीशन को लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।

iv. निवेश की लागत भारित औसत लागत पद्धति द्वारा निर्धारित की जाती है।

ग) मूल्यांकन का तरीका

भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और विदेशी शाखाओं में धारित निवेशों का संबंधित विदेशी देश में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार मूल्य से कम पर अथवा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है।

ट्रेज़री बिल और वाणिज्यिक कागजातों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

i) परिपक्वता तक धारित :

क) इस श्रेणी के तहत निवेशों को उनके अर्जन लागत, परिशोधन के निवल, यदि कोई हो, पर लिया गया है। अंकित मूल्य से अधिक अर्जन लागत, यदि कोई हो, को सतत अर्जन पद्धति का उपयोग कर परिपक्वता की शेष बची अवधि में

and Others. In respect of investments outside India, these are classified, in accordance with RBI guidelines, under three categories viz. Government Securities (including local authorities), Subsidiaries/ Joint Ventures abroad and Other Investments.

(a) Basis of categorisation

Categorisation of an investment is done at the time of its acquisition.

i) Held to Maturity

These comprise investments that the Bank intends to hold till maturity. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are also categorised under Held to Maturity.

ii) Held for Trading

These comprise investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. These are intended to be traded within 90 days from the date of purchase.

iii) Available for Sale

These comprise investments which do not fall under in "Held to Maturity" or "Held for Trading" classification.

(b) Acquisition Cost of Investment

i) Brokerage, commission, securities transaction tax etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost.

ii) Brokerage, commission, broken period interest paid/ received on debt investments is treated as income/expense and is excluded from cost/ sale consideration.

iii) Brokerage and Commission received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account.

iv) Cost of investments is determined at weighted average cost method.

(c) Method of valuation

Investments in India are valued in accordance with the RBI guidelines and investments held at foreign branches are valued at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

Treasury Bills and Commercial Papers are valued at carrying cost.

i) Held to Maturity

a) Investments included in this category are carried at their acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortised over the remaining period to maturity using constant yield

परिशोधित किया गया है। प्रीमियम का इस प्रकार परिशोधन आय में 'निवेश पर ब्याज' शीर्ष के तहत समायोजित की जाती है।

ख) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों (भारत और विदेश दोनों में) में निवेश को परंपरागत लागत में मूल्यांकित किया जाता है सिवाय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश के जिन्हें रखाव लागत पर (अर्थात् बही मूल्य) पर मूल्यांकित किया जाता है। अस्थायी को छोड़कर प्रत्येक निवेश के लिए अलग अलग ह्रास (diminutions) के लिए प्रावधान किया जाता है।

ii) कारोबार के लिए धारित/बिक्री के लिए उपलब्ध :

क. इस श्रेणी के तहत निवेशों का मूल्यांकन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार मूल्य अथवा उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में प्रत्येक वर्गीकरण में केवल निवल मूल्यह्रास लगाया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि को ध्यान में नहीं लिया जाता है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान पर मार्किंग टू मार्केट के पश्चात एकल प्रतिभूतियों का बही मूल्य अपरिवर्तित रहता है।

ख. ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' और ''कारोबार के लिए धारित'' श्रेणियों में कोट किए गए निवेश के मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु स्टॉक एक्सचेंज पर बाजार दर/भाव, भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) / निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्ज) संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है। जिन निवेश के लिए ऐसे दर/भाव उपलब्ध नहीं है उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार है -

सरकारी/प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
इक्विटी शेयर्स, पीएसयू और न्यासी शेयर्स	अद्यतन तुलन पत्र (18 महीनों से अधिक पुरानी नहीं) के अनुसार बही मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी ₹ 1
अधिमान्का शेकार्स	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
पीएसयू बॉंड्स	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
म्यूचुअल फंड के यूनिट	अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित एनएवी पर
उद्यम पूँजी निधि (वीसीएफ)	18 महीनों से पुरानी नहीं ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार घोषित एनएवी अथवा ब्रेक अप एनएवी। यदि एनएवी/लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण 18 महीनों से अधिक हेतु उपलब्ध नहीं है तो ₹ 1 प्रति वीसीएफ
प्रतिभूति रसीद	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषणा के अनुसार एनएवी पर

घ) प्रवर्गों के मध्य प्रतिभूतियों का अंतरण

प्रवर्गों के मध्य किसी प्रतिभूति के अंतरण का अंतरण दिवस पर अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य इनमें से जो भी कम है के रूप में लेखा किया जाए। ऐसे अंतरण पर मूल्य-ह्रास, यदि है तो पूर्ण प्रावधान किया गया है।

method. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments".

b) Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at historical cost except for investments in Regional Rural Banks, which are valued at carrying cost (i.e. book value). A provision is made for diminution, other than temporary, for each investment individually.

ii) Held for Trading / Available for Sale

a) Investments under these categories are individually valued at the market price or fair value determined as per Regulatory guidelines and only the net depreciation in each classification for each category is provided for and net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.

b) For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) are used. Investments for which such rates/quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

Government Securities	on Yield to Maturity basis
Other Approved Securities	on Yield to Maturity basis
Equity Shares, PSU and Trustee shares	At break-up value as per the latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise ₹ 1 per company.
Preference Shares	on Yield to Maturity basis
PSU Bonds	on Yield to Maturity basis
Units of Mutual Funds	at the latest repurchase price/NAV declared by the Fund in respect of each scheme
Venture Capital Funds (VCF)	Declared NAV or break up NAV as per audited financials which are not more than 18 months old. If NAV/audited financials are not available for more than 18 months then at ₹ 1/- per VCF.
Security Receipts	At NAV as declared by Securitisation Companies

c) Transfer of Securities between Categories

The transfer of securities between categories is carried out at the least of acquisition cost / book value /market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

ङ) अनर्जक निवेश (एनपीआई) और उसका मूल्यांकन

1. निवेशों को निष्पादित और गैर-निष्पादित में वर्गीकृत किया जाता है जो घरेलू कार्यालयों के मामले में आरबीआई और विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित विनियामक द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर आधारित है।

2. गैर-निष्पादित निवेश के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्य-ह्रास हेतु प्रावधान किया जाता है।

च) रेपो/रिवर्स रेपो

रेपो/रिवर्स रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का लेखांकन संपार्श्विक उधार और उधार लेने के संव्यवहार के रूप में किया जाता है। तथापि सामान्य सीधी बिक्री खरीद संव्यवहार के मामले में प्रतिभूतियों का अंतरण किया जाता है और ऐसी प्रतिभूतियां रेपो/रिवर्स रेपो खातों और दुतरफा प्रविष्टियों के प्रयोग से रिफ्लेक्ट होती हैं। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है। लागत तथा राजस्व का लेखांकन जैसा भी मामला हो ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है। रेपो खाते में शेष को उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया और रिवर्स रेपो खाते में शेष को बैंक में शेष, मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

8) व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)

वर्तमान में बैंक ब्याज दर एवं करेंसी व्युत्पन्न का कार्य देखता है। बैंक द्वारा किया जाने वाला ब्याज दर व्युत्पन्न रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, अग्रणी दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर है। बैंक द्वारा किया जा रहा मुद्रा व्युत्पन्न विकल्प, करन्सी स्वैप तथा करन्सी फ्यूचर है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, व्युत्पन्न को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है:

क) हैज/नॉन हैज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग से रिकार्ड किए जाते हैं।

ख) हैज़िग व्युत्पन्न पर आय/व्यय उपचय आधार पर लेखांकित होती है।

ग) फॉरेक्स फॉरवर्ड संविदाओं को बाजार को चिन्हित किया जाता है और परिणामत: लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है।

घ) व्यापार उद्देश्य से विनिमय व्यापार व्यूत्पन्न के अलावा ब्याज दर व्यूत्पन्न और मुद्रा व्यूत्पन्न को बाजार को चिन्हित (एमटीएम) किया जाता है और परिणामत: हानि, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि में बताया जाता है। लाभ, यदि कोई हो,पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

ङ) व्यापार उद्देश्य से प्रविष्ट विनिमय व्यापार व्यूत्पन्न का विनिमय द्वारा प्रदत्त दरों के आधार पर प्रचलित मार्केट दरों पर मूल्यांकन किया जाता है।

च) ट्रेडिंग स्वैप के निरस्तीकरण से लाभ/हानियों को निरस्तीकरण तिथि में आय/व्यय के रुप में रिकार्ड किया जाता है। स्वैप के निरस्तीकरण पर किसी भी लाभ/हानि का स्थगन स्वैप की शेष अनुबंधित कम अवधि अथवा पदनामित आस्तियाँ/देयताओं की बकाया अवधि से संबद्ध किया जाता है।

छ) विकल्प संविदा के परिपक्वता काल पर विकल्प शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है।

d) Non performing Investments (NPIs) and valuation thereof

1 Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices and respective regulators in case of foreign offices.

2 In respect of non performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.

e) Repo / Reverse Repo

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice.

8) Derivative:

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

(a) The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.

(b) Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis

(c) Forex forward contracts are Marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account

(d) Interest Rate Derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading purpose are marked to market and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss account. Net Profit if any, is ignored.

(e) Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account

(f) Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

(g) Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

9) अचल आस्तियां:

क. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामलों के अतिरिक्त जिन्हें पुनर्मूल्यन रकम पर ही बताया जाता है, अचल आस्तियों को परंपरागत लागत में बताया गया है। पुनर्मूल्यांकन से वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित में जमा किया जाता गया है।

ख. लागत में खरीद की लागत तथा आस्ति के उपयोग के पहले जगह की तैयारी संस्थापना लागत, व्यावसायिक शुल्क इत्यादि जैसे किए गए सभी व्यय शामिल है। उपयोग किए जा रहे आस्तियों पर किए गए उत्तरवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाएगा जब ऐसे आस्तियों से अथवा उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य में लाभ में वृद्धि होती है।

ग. परिसर की लागत में स्वामित्व एवं पट्टाधारी भूमि की लागत दोनों शामिल हैं।

10. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास :

क. आस्तियों पर मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों को मिलाकर) बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर मूल्यह्रासित बही मूल्य पर प्रभारित किया गया है, कम्प्यूटरों को छोड़कर। कम्प्यूटरों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दर से सीधे रेखा पद्धति से मूल्यह्रास लगाया जाता है।

ख. इसमें परिवर्धन का पूर्ण वर्ष के लिए प्रावधान किया जाता है तथा इसमें आस्ति के उपयोग करने की तारीख को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जबकि किसी आस्ति की खरीद/निपटान के वर्ष में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान नहीं किया जाता है।

ग. आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यन आरक्षित के निमित्त समायोजित किया जाता है।

घ. जहाँ भूमि और भवन की लागत अलग-अलग नहीं की जा सकती है, संपूर्ण लागत पर मूल्यह्रास का प्रावधान, भवन पर लागू दर पर किया जाता है।

ङ पट्टाधारित भूमि पर प्रदत्त प्रीमियम, पट्टे की अवधि हेतु परिशोधित की जाती है।

च. घरेलू परिचालन के संबंध में आस्तियों पर मूल्य ह्रास के लिए निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

9) FIXED ASSETS:

(a) Fixed assets are stated at historic cost, except in the case of assets which have been revalued, which is stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

(b) Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, professional fees etc. incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

(c) Cost of premises includes cost of land, both freehold and leasehold.

10) DEPRECIATION ON FIXED ASSETS:

a) Depreciation on assets is charged on the Written Down Value at the rates determined by the Bank, except in respect of computers where it is calculated on the Straight Line Method, at the rates prescribed by RBI.

b) In respect of additions, depreciation is provided for the full year, irrespective of the date on which the assets were put to use whereas, depreciation is not provided in the year of sale/disposal of an asset.

c) Depreciation on the revalued portion of assets is adjusted against the Revaluation Reserve.

d) Where the cost of land and building cannot be separately ascertained, depreciation is provided on the composite cost, at the rate applicable to buildings.

e) Premium paid on leasehold land is amortised over the period of lease.

f) Depreciation on assets in respect of domestic operations are provided as under:

क्र.सं.	विवरण	Sr. No.	Particulars	मूल्यह्रास की दर Rate of Depreciation
1	परिसर	1.	Premises	5.00%
2	अन्य अचल आस्तियां	2.	Other Fixed Assets	
क)	फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	a)	Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipments	10.00%
ख)	एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीनें	b)	Air-conditioning plants, etc. and business machines.	15.00%
ग)	मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें	c)	Motor cars, Vans & Motor cycles	20.00%
घ)	कम्प्यूटर तथा कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर काअंगभूत भाग है।	d)	Computers and Computer Software forming integral part of hardware	33.33%
ङ)	कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अंगभूत भाग नहीं है।	e)	Computer Software, not forming integral part of hardware	100.00%

छ. भारत के बाहर अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान विनियामक की आवश्यकताओं/अथवा संबंधित देशों/उद्यम में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार किया गया है।

g) Depreciation on fixed assets outside India is provided based on the estimated useful life determined by each centre.

11. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध संव्यवहार :

विदेशी मुद्रा वाले संव्यवहारों का लेखांकन, लेखामानक (एएस)11 ''विदेशी विनिमय दरों में प्रभावी परिवर्तन'' के अनुरुप किया गया है

11) TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates".

क) समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:

भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों का वर्गीकरण समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और ऐसे परिचालन के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

i. विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को रिपोर्टिंग मुद्रा में आरंभिक मान्यता पर रिकार्ड किया जाता है जो रीउटर के पृष्ठ में प्रदर्शित साप्ताहिक औसत क्लोजिंग दर पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को विदेशी मुद्रा रकम पर लगाया जाता है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदें जो परम्परागत लागत के अनुसार की जाती है उसे संव्यवहार की तारीख में विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट की जाती हैं।

iv. विदेशी मुद्रा में रखे गए आकस्मिक देयताओं को फेडाई के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती है।

v. बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और कारोबार के लिए धारित वायदा संविदा का निर्धारित परिपक्वता के लिए फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामत: लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

vi. फेडाई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदा जिन पर कारोबार नहीं किया जाएगा,उनका क्लोजिंग स्पॉट दर पर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे वायदा विनिमय संविदा के आरंभ में उत्पन्न प्रीमियम अथवा बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय अथवा आय पर परिशोधित की जाएगी।

vii. मौद्रिक मदों के निपटान में आरंभ में रिकार्ड किए गए दरों से भिन्न दरों के लिए उत्पन्न विनिमय अंतर को उस अवधि के लिए आय के रूप में अथवा व्यय के रूप में माना जाएगा जिस समय यह उत्पन्न हुई।

viii. मुद्रा वादा बाजार में खुली स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसी प्राप्ति/हानि को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

ख) समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:

विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहार को आंतरिक विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके वित्तीय विवरणपत्रों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है:

i. आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दरों के आधार पर स्पष्ट किया जाता है।

ii. आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा सूचित तिमाही औसतन क्लोजिंग दर पर स्पष्ट किया जाता है।

iii. सभी परिणामी विनिमय अंतरों को संबंधित विदेशी शाखाओं में निवल निवेशों के निपटान तक एक अलग

a) Translation in respect of Integral Foreign operations:

Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations and foreign currency transactions of such operations are translated as under:

i) Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the daily closing rate as available from Cogencis/ Reuter's page.

ii) Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot rates.

iii) Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms of historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv) Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v) Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting profit or loss is recognised in the Profit and Loss account.

vi) Outstanding Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading are valued at the closing spot rate as advised by FEDAI. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.

vii) Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

viii) Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognised in the Profit and Loss account.

b) Translation in respect of Non-Integral Foreign operations:

Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

i) Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI.

ii) Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI.

iii) All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign

खाते- ''विदेशी मुद्रा स्पष्टीकरण रिजर्व'' में संचित किया जाता है।

iv. विदेशी कार्यालयों के विदेशी मुद्रा में आस्तियां और देयताएं (विदेशी कार्यालयों के स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) को उस देश में लागू स्पॉट दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में आंका जाता है।

12. कर्मचारी लाभ :

i. अल्पावधि कर्मचारी लाभ :

अल्पावधि कर्मचारी लाभों की अनडिस्काउन्टेड रकम जैसे मेडिकल लाभ आदि का भुगतान कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विनिमय में किया जाता है इसे कर्मचारी द्वारा दी जा रही सेवा की अवधि के दौरान ही मान्यता दी जाएगी।

ii. नियोजन के पश्चात लाभ :

क. परिनिश्चित लाभ योजना

क) उपदान (ग्रैच्युटी)

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रैच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर एक मुश्त भुगतान के रूप में दी जाती है, यह राशि प्रत्येक पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के लिए देय 15 दिनों के बेसिक वेतन के समतुल्य है जो उपदान संदाय अधिनियम 1972 अथवा बीओआई (कर्मचारी) उपदान विनियम में निर्धारित अधिकतम राशि में जो भी अधिक हो के अधीन है। पांच वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर वेस्टिंग होता है। बैंक निधि में आवधिक अंशदान करता है जिसका प्रबंधन ट्रस्ट द्वारा किया जाता है जो वार्षिक रूप में एक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है।

ख) पेंशन

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन देता है। नियत के अनुसार यह लाभ मासिक भुगतान के रूप में होता है और निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर भुगतान किया जाता है।नियमों के अनुसार वेस्टिंग विभिन्न स्तरों पर होती है। बीओआई (कर्मचारी) पेंशन विनियमन के अनुसार बैंक पेंशन निधि में वेतन का 10% मासिक अंशदान करता है। पेंशन की देयता स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है जो वार्षिक रूप में की जाती है और पेंशन विनियमन के तहत भुगतान के लाभों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर निधि में बैंक द्वारा ऐसे अतिरिक्त अंशदान किए जाते हैं।

Currency Translation Reserve' till the disposal of the net investments by the bank in the respective foreign branches.

iv) The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

12) EMPLOYEE BENEFITS:

i. Short Term Employee Benefit:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

ii. Post Employment Benefit:

A. Defined Benefit Plan

a) Gratuity

The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum prescribed as per The Payment of Gratuity Act 1972 or BOI (Employee) Gratuity Regulation whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.

b) Pension

The Bank provides pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contribution to the pension fund at 10% of pay in terms of BOI (Employees) Pension regulations. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out annually and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

ख. परिनिश्चित अंशदान योजना :

क. भविष्य निधि

बैंक एक भविष्य निधि योजना चलाती है। सभी पात्र कर्मचारियों को बैंक के भविष्य निधि योजना के तहत लाभ पाने का हक है। बैंक एक निर्धारित दर (वर्तमान में कर्मचारी के बेसिक वेतन के 10% के साथ पात्र भत्ते) पर मासिक अंशदान करती है। यह अंशदान इस उद्देश्य से स्थापित न्यास को प्रेषित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों को उस संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

ख. पेंशन

दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से बैंक में भर्ती हुए सभी कर्मचारी अंशदायी पेंशन के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारी पेंशन योजना में परिनिश्चित दर पर मासिक अंशदान करते हैं। उक्त पेंशन योजना में बैंक भी परिनिश्चित दर पर मासिक अंशदान करता है। बैंक ऐसी योजना में हुए व्यय को संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है। यह अंशदान राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम न्यास को अंतरित किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे परिनिश्चत अंशदान तक सीमित है।

iii. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

क. छुट्टी नकदीकरण लाभ जो परिनिश्चित लाभ दायित्व है, एएस 15 - कर्मचारी लाभ के अनुरूप बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

ख. अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत, माइलस्टोन एवार्ड, पुनर्स्थापना लाभ, आकस्मिक लाभ इत्यादि परिनिश्चित लाभ दायित्व है जो एएस 15 - कर्मचारी लाभ के अनुरूप बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

ग. विदेशी शाखाओं, कार्यालयों एवं सहायक कंपनियों के मामलों में प्रतिनियुक्तियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के संबंध में लाभों की गणना संबंधित देशों में विद्यमान कानून के आधार पर की जाती है।

13. प्रति शेयर अर्जन :

क. एएस 20 ''अर्जन प्रति शेयर'' के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर बेसिक एवं डायल्यूटेड अर्जन की रिपोर्ट की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन की उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या द्वारा निवल से भाग कर गणना की जाती है।

ख. प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया तरल संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लेकर गणना की जाती है।

B. Defined Contribution Plan:

a) Provident Fund

The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The bank recognises such annual contributions as an expense in the year to which it relates.

b) Pension

All Employees of the bank, who have joined from 1st April, 2010 are eligible for contributory pension. Such employees contribute monthly at a predetermined rate to the pension scheme. The bank also contributes monthly at a predetermined rate to the said pension scheme. Bank recognises its contribution to such scheme as expenses in the year to which it relates. The contributions are remitted to National Pension System Trust. The obligation of bank is limited to such predetermined contribution.

iii. Other Long term Employee Benefit:

a) Leave encashment benefit, which is a defined benefit obligation, is provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

b) Other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone award, resettlement benefits, Sick leave etc. which are defined benefit obligations are provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

c) In respect of overseas branches, offices and subsidiaries, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

13) EARNINGS PER SHARE:

a) Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS 20 "Earnings per share". Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

b) Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

14. आय पर कर :

क. एएस-22 ''आय पर करों के लिए लेखांकन'' के अनुरूप आयकर में वर्ष के दौरान चालू कर प्रावधान और आस्तियों या देयताओं पर आस्थगित कर में निवल परिवर्तन शामिल है। चालू करों का निर्धारण लेखांकन मानक 22 के प्रावधान और विदेशी कार्यालय के करों का लेखा लेते हुए भारत में लागू कर कानूनों पर किया जाता हैं जो संबंधित अधिकार क्षेत्र के कर कानूनों पर आधारित है। आस्थगित कर समायोजन में अवधि के दौरान आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन शामिल है।

ख. आय तथा व्यय की मदें जो एक समय आती है और जो परवर्ती एक या अधिक वर्षों में रिवर्सल की जा सकती है के संबंध में आस्थगित कर के लिए विवेकपूर्ण विचार करने के अध्यधीन मान्यता है।

ग. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का मापन तुलनपत्र की तिथि पर या बाद में लागू किए गए कर दरों और कर कानूनों पर किया जाता है।

घ. आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में मान्यता दी जाती है और पुनर्मूल्यांकन किया जाता है जो वसूली को समुचित रूप से निश्चित माने जाने हेतु प्रबंधन की राय पर आधारित है। आस्थगित कर आस्तियों को आगे लाए गए अनावशोषित मूल्यह्रास और कर हानियों पर केवल तभी मान्यता दी जाती है जब यह पूर्णत: निश्चित हो कि आस्थगित कर आस्तियों की भविष्य में होने वाले लाभ से वसूली हो सकती है।

15. आस्तियों का ह्रास

स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यित आस्तियों सहित) पर ह्रासित हानि यदि कोई हो को एएस 28 ''द्धद्वह्स्द्ग का द्ध॰ह्वद्धद्ग के अनुरूप लाभ और हानि खाते में प्रभारित की जाती है। तथापि पुनर्मूल्यित आस्ति पर ह्रासित हानि को सीधे आस्ति के लिए किसी पुनर्मूल्यन अधिशेष पर मान्यता उस हद तक है जहां तक एक ही आस्ति के पुनर्मूल्यन अधिशेष में रखी गयी रकम ह्रासित हानि से अधिक न हो।

16. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां :

एएस 29 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां'' के अनुसार बैंक प्रावधानों को तभी मान्यता देता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो और यह संभाव्य है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों का बहिर्गमनों की दायित्वों को निपटान करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता हो।

जब तक कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना कम न हो, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसा आय निर्धारण हो सकता है जो कभी भी वसूला न जा सके।

17. शेयर जारी करने हेतु व्यय :

जिस वर्ष में शेयर जारी की जाती है, शेयर जारी करने के व्यय को लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

14) TAXES ON INCOME:

a) Income Tax comprises the current tax provision and net change in deferred tax assets or liabilities during the year, in accordance with AS 22 "Accounting for Taxes on Income". Current taxes are determined in accordance with the provisions of Accounting Standard 22 and tax laws prevailing in India after taking into account taxes of foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdiction. Deferred tax adjustments comprise of changes in the deferred tax assets or liabilities during the period.

b) Deferred Tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent years.

c) Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

d) Deferred tax assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether realisation is considered reasonably certain. Deferred tax assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realised against future profits.

15) IMPAIRMENT OF ASSETS:

"Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with AS 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on a revalued asset is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset."

16) PROVISIONS, CONTINGENT LIABLITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

17) SHARE ISSUE EXPENSES:

Share issue expenses are charged to the Profit and Loss Account in the year of issue of shares.

अनुसूची 18

जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो सभी आंकडे ₹ करोड़ों में हैं। कोष्ठक में दिए आंकडे पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

समेकित वित्तीय विवरणपत्रों के भाग रूप नोट्स

अनुषंगियों (सब्सिडीरिज) के विवरण निम्नानुसार हैं जिनके वित्तीय विवरणपत्र बैंक ऑफ़ इंडिया (मूल बैंक) के एकल वित्तीय विवरण पत्र के साथ समेकित हैं :

अनुषंगियों का नाम	निगमन देश	निगमन देश देश यथा 31.03.2016 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2016 को मूल बैंक के स्वामित्व का अनुपात
स्वदेशी अनुषंगियां :			
क) बीओआई शेकारहोल्डिंग लि.	भारत	**100%**	51%
ख) बीओआई अक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा. लि.	भारत	**51%**	51%
ग) बीओआई अक्सा ट्रस्टी सर्विसेज़ प्रा.लि	भारत	**51%**	51%
घ) बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि.	भारत	**100%**	100%
विदेशी अनुषंगियां:			
क) पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके	इंडोनेशिया	**76%**	76%
ख) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लिमिटेड	तंजानियां	**100%**	100%
ग) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैन्ड) लिमिटेड	न्यूजीलैन्ड	**100%**	100%
घ) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लिमिटेड	कुगांडा	**100%**	100%
ङ) बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लिमिटेड	बोत्स्वाना	**100%**	100%

2. समेकित विवरण पत्रों में विवेचित सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमियों के विवरण इस प्रकार है:

(i) सहयोगी कंपनियां:

सहयोगियों के नाम	निगमन देश	यथा 31.03.2016 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2015 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
क. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			
i) झारखण्ड ग्रामीण बैंक	भारत	**35%**	35%
i) नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक	भारत	**35%**	35%
i) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	भारत	**35%**	35%
i) आर्यवर्त ग्रामीण बैंक	भारत	**35%**	35%
ख. इंडो जाम्बिया बैंक लि.	जाम्बिया	**20%**	20%
ग. एसटीसीआई फैयनांस लिमिटेड	भारत	**29.96%**	29.96%
घ. एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड	भारत	**26.02%**	26.02%

SCHEDULE 18:

All figures are in ₹ Crores unless specifically stated. Figures in Brackets relate to previous year

NOTES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

1. Particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of Bank of India (the Parent Bank) are as under:

Names of Subsidiaries	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2016	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2015
Domestic Subsidiaries:			
a) BOI Shareholding Ltd.	India	100%	51%
b) BOI AXA Investment Managers Pvt Ltd.	India	51%	51%
c) BOI AXA Trustee Services Pvt Ltd.	India	51%	51%
d) BOI Merchant Bankers Ltd	India	100%	100%
Overseas Subsidiaries:			
a) PT Bank of India Indonesia Tbk	Indonesia	76%	76%
b) Bank of India (Tanzania) Ltd.	Tanzania	100%	100%
c) Bank of India (New Zealand) Ltd.	New Zealand	100%	100%
d) Bank of India (Uganda) Ltd.	Uganda	100%	100%
e) Bank of India (Botswana) Ltd.	Botswana	100%	100%

2. Particulars of associates and joint venture considered in the Consolidated Financial Statements are as under :

(i) Associates:

Names of Associates	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2016	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2015
a. Regional Rural Banks			
i) Jharkhand Gramin Bank	India	35%	35%
ii) Narmada Jhabua Gramin Bank	India	35%	35%
iii) VidharbaKonkanGramin Bank	India	35%	35%
iv) Gramin Bank of Aryavart	India	35%	35%
b. Indo Zambia Bank Limited	Zambia	20%	20%
c. STCI Finance Ltd.	India	29.96%	29.96%
d. ASREC (India) Ltd.	India	26.02%	26.02%

(ii) संयुक्त उद्यम:

संयुक्त उद्यमों के नाम	निगमन देश	यथा 31.03.2016 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2015 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
स्टार यूनियन दाई-ईची जीवन बीमा कंपनी लि.	भारत	48%	48%

3. इन अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमियों एवं सहयोगियों के विवरणपत्र जो समेकन में इस्तेमाल किए जाते हैं मूल बैंक की यथा रिपोर्टिंग तारीख अर्थात 31 मार्च, 2016 तक बनाए गए हैं, सिवाय एक सहायक कंपनी - इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड (आईज़ेडबीएल) के। आईज़ेडबील के वित्तीय विवरण 31 दिसंबर, 2015 तक तैयार किए गए थे और 31 मार्च 2016 को समाप्त तिमाही के लिए कोई महत्वपूर्ण संव्यवहार रिपोर्ट नहीं किए गए थे।

4. स्वदेशी अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमियों / सहयोगियों के मामले में, मूल बैंक और अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमियों / सहयोगियों द्वारा अपनाई गयी भिन्न-भिन्न लेखांकन पॉलिसियों के कारण उत्पन्न लेखागत समायोजन अनुषंगियों / संयुक्त उद्यम / सहयोगियों द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के आधार पर किए गए है।

5. समेकित वित्तीय विवरण पत्र निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं :

i) पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके के यथा 31.03.2016 के वित्तीय विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्वतंत्र समीक्षाकर्ता द्वारा समीक्षित हैं और निगमन देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

ii) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) के यथा 31.03.2016 के विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्वतन्त्र समीक्षक द्वारा समीक्षित हैं। बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) के यथा 31.012.2015 के विवरण पत्र निगमन के देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुसार लेखा परीक्षित हैं।

iii) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. के यथा 31.03.2016 के वित्तीय विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्वतन्त्र समीक्षक द्वारा समीक्षित हैं।

iv) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. के यथा 31.03.2016 के विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

v) बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. के यथा 31.03.2016 के विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

vi) बीओआई शेयरहोल्डिंग लि., बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि., बीओआई अक्सा इंवेस्टमेंट मैनेजर प्रा.लि., बीओआई ट्रस्टी सर्विसेज़ प्रा.लि., स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरंस कंपनी लि., एसटीसीआई फाइनैंस लि., झारखंड ग्रामीण बैंक के 31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए और इंडो जांबिया बैंक लि., के 31.12.2015 को समाप्त 9 महीनों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणपत्र हैं।

(ii) Joint Venture:

Names of Joint Venture	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2016	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2015
Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited	India	48%	48%

3. The financial statements of thesubsidiaries, joint ventures and associates which are used in the consolidation have been drawn upto the same reporting date as that of the Parent Bank i.e. 31st March 2016 except for an associate Indo Zambia Bank Limited (IZBL). IZBL's financial statements were prepared up to 31st December 2015 and reported no significant transaction for the quarter ended 31st March 2016.

4. In case of Domestic subsidiaries/joint venture/associates, accounting adjustments arising due to different accounting policies followed by Parent Bank and subsidiaries/joint venture/associates have been carried out on the basis of data provided by subsidiaries/joint venture/associates.

5. The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of :

(i) Financial statements of PT Bank of India Indonesia Tbk as on 31.03.2016 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(ii) Financial statements of Bank of India (Tanzania) Ltd. as on 31.03.2016 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer. The Financial Statements as at 31.12.2015 of Bank of India (Tanzania) Ltd. has been audited as per the local requirements of the country of incorporation.

(iii) Financial statements of Bank of India (New Zealand) Ltd. as on 31.03.2016 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer.

(iv) Financial statements of Bank of India (Uganda) Ltd. as on 31.03.2016 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(v) Financial statements of Bank of India (Botswana) Ltd. as on 31.03.2016 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(vi) Audited financial statements of BOI Shareholding Ltd., BOI Merchant Bankers Ltd., BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd., BOI AXA Trustee Services Pvt. Ltd.,Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd., STCI Finance Ltd.for the financial year ended 31.03.2016 and Indo Zambia Bank Ltd. for the nine months ended 31.12.2015.

vii) एएसआरईसी (इंडिया) लि., विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक और आर्यावर्त ग्रामीण बैं के 31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उनके प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणपत्र हैं।

6. वर्ष के दौरान सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2009 के विनियमन 76(1) के अनुरूप मूल बैंक ने अधिमानी आधार पर अंकित मूल्य रु.10/- प्रति शेयर के 15,16,43,949 इक्विटी शेयर का आबंटन किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

आबंटन की तारीख	शेयर धारक का नाम	इक्विटी शेयर की संख्या	प्रतिशेयर प्रीमियम (₹ में)	राशि
30.09.2015	भारत सरकार	12,70,04,655	**183.30**	**2,455.00**
05.01.2016	भारतीय जीवन बीमा निगम	2,00,00,000	**122.06**	**264.12**
30.03.2016	भारतीय सामान्य बीमा निगम	46,39,294	**76.22**	**40.00**
	कुल	**15,16,43,949**		**2,759.12**

7. वर्ष के दौरान मूल बैंक को अधिमान्य आधार पर इक्विटी शेयर के लिए सदस्यता स्वरूप शेयर आवेदन की राशि के रूप में भारत सरकार द्वारा प्राप्त रू. 1150 तथा भारतीय जीवन बीमा निगम 153.65 प्राप्त हुए हैं जिसका आबंटन 4 मई, 2016 को कर दिया गया है है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.12254/21.01.002/2015-16 दिनांक 30 मार्च, 2016 तथा पत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.12711/21.01.002/2015-16 दिनांक 6 अप्रैल, 2016 के अनुसार सीआरएआर प्रयोजनके लिए सीईटी 1 पूंजी के रूप में माना जाता है।

8. अनुषंगी बही खातों के मूल बैंक के संतुलन के बारे में एवं विदेशी शाखाओं, आंतर कार्यालय खातों एवं नोस्ट्रो खातों और उचंत, संदेय ड्राफ्ट समाशोधन अन्तरों, इत्यादि के साथ शेष राशियों की पुष्टि/समाधान का कार्य सतत आधार पर प्रगति पर है। उपरोक्त का लम्बित अंतिम समाशोधन/समायोजन, विदेशी शाखाओं सहित,खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण होने की सम्भावना नहीं है ।

9. वर्ष के दौरान मूल बैंक ने अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है और संदिग्ध श्रेणी (प्रतिभूतीकृत अंश)) के रूप में वर्गीकृत एनपीए के संबंध में निवल अतिदेय अग्रिम का प्रावधानीकरण - एक से तीन वर्ष के लिए 60% (त्वरित प्रावधान) से 40% (न्यूनतम प्रावधान) जो नियामक न्यूनतम है, किया है। अगर पहले की लेखांकन नीति का पालन किया गया होता तो, एनपीए हेतु प्रावधान ₹ 2835.68 करोड़ अधिक होता और परिणामस्वरूप वर्ष के लिए निवल हानि (कर का निवल) ₹ 1854.31 करोड़ अधिक होती ।

10. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणपत्र के बारे में निम्नलिखित सूचना दी जा रही है:

(vii) Unaudited financial statements of ASREC (India) Ltd.,Vidharbha Konkan Gramin Bank, Narmada JhabuaGramin Bank, Jharkhand Gramin Bank and Gramin Bank of Aryavart for the financial year ended 31.03.2016 certified by their management.

6. During the year, the Parent Bank has made preferential allotment of 15,16,43,949 Equity Shares of ₹ 10 each in accordance with the regulation 76(1) of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, the details of which are as under:

Date of Allotment	Name of the Shareholder	No. of equity shares	Premium per share (in ₹)	Amount
30.09.2015	Government of India	12,70,04,655	183.30	**2,455.00**
05.01.2016	Life Insurance Corporation of India	2,00,00,000	122.06	**264.12**
30.03.2016	General Insurance Corporation of India	46,39,294	76.22	**40.00**
	Total	**15,16,43,949**		**2,759.12**

7. During the year, the Parent Bank has received ₹ 1150 from the Government of India and ₹ 153.65 from the Life Insurance Corporation of India towards share application money for subscription to equity shares on preferential basis, the allotment of which has been made on 4th May, 2016. The same is treated as CET 1 capital for CRAR purpose in accordance with RBI letter No.DBR. No.BP.12254/21.01.002/2015-16 dated 30th March, 2016 and letter No.DBR.No.BP.12711/21.01.002/2015-16 dated 6th April, 2016.

8. In respect of the Parent Bank Balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/reconciliation of balances with foreign branches, Inter-office accounts, NOSTRO Accounts, Suspense, Drafts Payable, Clearing Difference, etc. is in progress on an on-going basis. Pending final clearance/adjustment of the above, the overall impact, if any, on the Financial Statements, in the opinion of the management, is not likely to be significant.

9. During the year, the Parent Bank has changed its accounting policy of provisioning in respect of NPAs classified as doubtful category (Secured Portion) - one year to three years, from 60% (accelerated provision) to 40% (minimum provision) of net outstanding advances which is the regulatory minimum. Had the earlier accounting policy been followed, the provision for NPAs would have been higher by ₹ 2835.68, with consequential increase in Net Loss (net of tax) by ₹ 1854.31 for the year.

10. The following information is disclosed in respect of consolidated financial statements in terms of guidelines issued by Reserve Bank of India:

ए) पूँजी:

क्र.सं.	विवरण	31.03.2016	31.03.2015
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (CET1) (%)		
	बासेल-II	**NA**	NA
	बासेल -III	**8.34%**	7.59%
ii)	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)		
	बासेल -II	**8.06%**	8.71%
	बासेल -III	**9.41%**	8.63%
iii)	टियर II पूंजी अनुपात (%)		
	बासेल -II	**4.51%**	3.24%
	बासेल -III	**2.96%**	2.59%
iv)	कुल पूंजी अनुपात (CRAR) (%)		
	बासेल -II	**12.57%**	11.95%
	बासेल -III	**12.37%**	11.22%
v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	**68.01%**	64.43%
vi)	वर्ष के दौरान प्राप्त इक्विटी पूंजी राशि	**2759.12**	642.00
vii)	शेयर आवेदन राशि आबंटन के लिए लंबित	**1303.65**	0.00
viii)	वर्ष के दौरान टियर-I पूंजी के रूप में प्राप्त राशि (IPDI)	**0.00**	2500.00
ix)	वर्ष के दौरान प्राप्त टियर-II राशि अर्थात डेट कैपिटल इंस्ट्रुमेंट	**3000.00**	0.00

* भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं.डीबीआर.सं. बीपी.12254/21.01.002/2015-16 दिनांक 30.03.2016 तथा पत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी.12711/21.01.002/2015-16 दिनांक 06.04.2016 के अनुसार यह राशि सीआरएआर प्रयोजन के लिए सीईटी 1 पूंजी के रूप में मानी जाती है।

टियर II पूंजी बढ़ाने हेतु लिए गए बकाया नवोन्मेष सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई) के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष में वर्धित	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना
2006-07	आईपीडीआई	566.19 (यूएसडी 85 मिलियन)	339.71
2007-08	आईपीडीआई	655.00	393.00
2008-09	आईपीडीआई	400.00	240.00
2009-10	आईपीडीआई	325.00	195.00
2010-11	आईपीडीआई	300.00	180.00
2014-15	एटी-1	2500.00	2500.00

a) Capital:

	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
i)	Common Equity Tier 1 capital ratio (CET1) (%)		
	Basel- II	NA	NA
	Basel- III	8.34%	7.59%
ii)	Tier I Capital ratio (%)		
	Basel- II	8.06%	8.71%
	Basel- III	9.41%	8.63%
iii)	Tier II Capital ratio (%)		
	Basel- II	4.51%	3.24%
	Basel- III	2.96%	2.59%
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%)		
	Basel- II	12.57%	11.95%
	Basel- III	12.37%	11.22%
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India	68.01%	64.43%
vi)	Amount of Equity Capital raised (in ₹ Crores)	2759.12	642.00
vii)	Share application money pending for allotment*	1303.65	0.00
viii)	Amount of Additional Tier 1 capital raised (in ₹ Crores); i.e. AT-1	0.00	2500.00
ix)	Amount of Tier-II capital raised; (in ₹ Crores) i.e. Debt Capital Instruments	3000.00	0.00

* The amount is treated as CET 1 Capital for CRAR purpose as per RBI letter No.DBR.No.BP.12254/21.01.002/2015-16 dated 30.03.2016 and RBI letter No.DBR. No.BP.12711/21.01.002/2015-16 dated 06.04.2016.

Details of outstanding Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)/AT-1 raised to augment Tier I capital are as under:

Raised in the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2006-07	IPDI	566.19 (USD 85 Million)	339.71
2007-08	IPDI	655.00	393.00
2008-09	IPDI	400.00	240.00
2009-10	IPDI	325.00	195.00
2010-11	IPDI	300.00	180.00
2014-15	AT-1	2500.00	2500.00

टियर II पूंजी बढ़ाने हेतु लिए गए बकाया टियर II लिखतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष में वर्धित	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बासेल III)
2005-06	लोअर टियर II	200.00	0.00
2006-07	अपर टियर II	1,597.09 (यूएसडी 240 मिलियन)	958.25
2006-07	अपर टियर II	732.00	439.20
2008-09	अपर टियर II	500.00	300.00
2009-10	अपर टियर II	2000.00	1200.00
2010-11	अपर टियर II	1000.00	600.00
2013-14	टियर II	1500.00	1500.00
2015-16	टियर II	3000.00	3000.00

i) भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं.डीबीआर.सं. बीपी.13018/21.04.048/2015-16 दिनांक 1 मार्च, 2016 के अनुरूप, बैंक ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात यथा 31 मार्च, 2016 के परिकलन में पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती, विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती और आस्थगित कर पर विचार किया है। तदनुसार, मौजूदा वर्ष के आंकडे/अनुपात की इस संबंध में पिछले वर्ष के आंकडों के साथ तुलना नहीं की जा सकती।

ii) वर्ष के दौरान, बैंक ने अपनी अचल आस्तियों को भागरूप समस्त परिसरों का पुनर्मूल्यांकन किया। ऐसे पुनर्मूल्यांकन से पैदा हुए अधिशेष ₹ 2901 को 'आरक्षिती एवं अधिशेष' के तहत 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती' में क्रेडिट किया गया । भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती को सीईटी-1 पूंजी हेतु माना गया है।

बी) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:

मदें	2015-16	2014-15
एनपीए के लिए प्रावधान	14405.75	5231.64
निवेशों के मूल्य में ह्रास	350.73	(50.40)
कारधान के लिए प्रावधान (आस्थागित कर सहित)	(1722.63)	103.42
मानक आस्तियों पर प्रावधान	(127.55)	409.22
अन्य प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधानों सहित)	(477.20)	107.28
कुल	**12429.10**	**5801.16**

सी) फ्लोटिंग प्रावधानों के ब्यौरे (काउन्टर साइक्लिकल प्रावधानीकरण बफर) - (मूल बैंक)

विवरण	2015-16	2014-15
प्रारम्भिक शेष	232.22	364.43
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	100.00
वर्ष के दौरान कटौती	0.00	232.21
अंतिम शेष	232.22	232.22

Details of outstanding Tier II Instruments raised to augment Tier II capital are as under:

Raised in the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2005-06	Lower Tier II	200.00	0.00
2006-07	Upper Tier II	1,597.09 (USD 240 Million)	958.25
2006-07	Upper Tier II	732.00	439.20
2008-09	Upper Tier II	500.00	300.00
2009-10	Upper Tier II	2000.00	1200.00
2010-11	Upper Tier II	1000.00	600.00
2013-14	Tier II	1500.00	1500.00
2015-16	Tier II	3000.00	3000.00

(i) Pursuant to RBI circular No. DBR. NO.BP.13018/21.04.048/2015-16 dated 1st March 2016, the bank has considered revaluation reserve, foreign currency translation reserve and deferred tax assets in calculation of Capital Adequacy Ratio as on 31st March 2016. As such, figures/ratios of current year are not comparable with the figures of previous year to that extent.

(ii) During the year, bank has revalued all premises forming parts of its fixed assets. Surplus arising on such revaluation aggregating to ₹2901 is credited to 'Revaluation Reserves', under 'Reserves & Surplus'. The Revaluation Reserve has been reckoned for CET I capital as per extant RBI guidelines.

(b) Provisions and Contingencies:

Items	2015-16	2014-15
Provision for NPA	14405.75	5231.64
Depreciation in Value of Investments	350.73	(50.40)
Provision for Taxation (including deferred tax)	(1722.63)	103.42
Provision on Standard Assets	(127.55)	409.22
Other Provisions (including floating provisions)	(477.20)	107.28
Total	**12429.10**	**5801.16**

c) Floating Provisions(Countercyclical Provisioning Buffer) - (Parent Bank)

Particulars	2015-16	2014-15
Opening Balance	232.22	364.43
Additions during the year	0.00	100.00
Reductions during the year	0.00	232.21
Closing Balance	232.22	232.22

डी) आय कर

I) मूल बैंक के संबंध में आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के अंतर्गत ऋण के रूप में अभिस्वीकृत न किए गए बैंक के विभिन्न दावों में ₹ 555.07 करोड़ (₹ 961.37 करोड़) की विवादित आय कर/ब्याज कर देयता शामिल है जिसके लिए ऐसे विवादों पर विगत निर्धारणों के लिए विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है। ऐसे विवादित देयों के विभिन्न भुगतान/समायोजन अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के तहत शामिल हैं।

II) वर्ष के लिए आय कर हेतु प्रावधान कतिपय विवादित मसलों पर विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर समुचित विचार करने के पश्चात हो गए है।

III) वर्ष के दौरान, मूल बैंक ने आयकर प्राधिकरण/ विशेषज्ञों के सलाह के आदेशों के आधार पर ₹ 308.63 करोड़ (पिछले वर्ष के ₹ 483.55 के राइट बैक) के विगत वर्षों के कराधान के लिए प्रावधान कर दिया है।

ई) अनुषंगियों के संबंध में मूल बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (प्रबंधन द्वारा यथा संकलित और लेखापरीक्षकों द्वारा आश्वासित)

वर्ष 2011-12 के दौरान मूल बैंक ने अपनी पूर्णत: स्वामित्व वाली अनुषंगी, बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. के बारे में, उसकी वित्तीय वचनबद्धताओं, यदि कोई होती हैं, को पूरा करने के लिए गर्वनर, बैंक ऑफ़ बोत्स्वाना को एक वचनबंध जारी किया है।

वर्ष 2010-11 के दौरान मूल बैंक ने, रॉयल बैंक ऑफ न्यूज़ीलैंड के पक्ष में, उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बीओआई (न्यूज़ीलैंड) के लिए उसके वित्तीय दायित्वों, यदि वे देय होते हैं, को पूरा करने के लिए पैरेन्टल गारन्टी जारी की है।

यथा 31.03.2016 को उक्त वचनबद्धताओं पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं आया है।

d) Income-Tax:

I. Claims against the Parent Bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax/interest tax liabilities of ₹555.07 (previous year ₹961.37) for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions in respect of past assessments on such disputes. Payments/ adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).

II. Provision for income tax for the year is arrived at after due consideration of the various judicial decisions on certain disputed issues.

III. During the year, the Parent Bank has made Provision for Taxation pertaining to earlier years of ₹ 308.63 (previous year write back of ₹ 483.55) based on orders of Income Tax Authorities/review of estimates based on the expert's advice.

e) Letter of comfort issued by the Parent Bank in respect of subsidiaries (As compiled by Management and relied upon by the Auditors):

During the year 2011-2012, the Parent Bank has issued an undertaking to the Governor, Bank of Botswana in respect of its wholly owned subsidiary, Bank of India (Botswana) Ltd. to meet its financial commitments if they fall due.

During the year 2010-11, the Parent Bank issued parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand, for its wholly owned subsidiary, BOI (New Zealand) Ltd. to meet its financial obligations, if they fall due.

As on 31.03.2016 no financial obligations have arisen on the above commitments.

11. Disclosures in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI):

ए) लेखांकन मानक 15 - 'कर्मचारी लाभ'

A) Accounting Standard 15 – "Employee Benefits" (Parent Bank)

Sr. No.	विवरण	Particular	2015-16		2014-15	
			ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension
(i)	**प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक पूर्वानुमान :**	**Principal actuarial assumptions used :**				
	वर्तमान छूट दर	Discount Rate	8.01%	8.06%	7.96%	7.95%
	आयोजन आस्तियों पर प्रतिफल दर	Rate of Return on Plan Assets	8.79%	8.94%	8.38%	8.61%
	वर्तमान वेतन वृद्धि	Salary Escalation Rate	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	वर्तमान ह्रास दर	Attrition Rate Current	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
(ii)	**लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शानेवाली तालिका**	**Table showing change in benefit obligation :**				
	अवधि के प्रारंभ में देयता	Liability at the beginning of the period	1311.00	9420.03	1402.55	8038.24
	ब्याज लागत	Interest Cost	94.03	715.46	101.37	610.73
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	93.49	1097.46	73.03	890.30
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	(274.13)	(1086.70)	(258.17)	(712.15)
	दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि	Actuarial (gain)/loss on Obligation	146.31	930.23	(7.79)	592.91
	वर्ष के अंत में देयता	Liability at the end of the year	1370.70	11076.48	1311.00	9420.03
(iii)	**प्लान एसेट्स के उचित मूल्य की तालिका:**	**Table of Fair value of Plan Assets :**				
	अवधि प्रारंभ में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the beginning of the period	1265.18	9041.48	1316.51	7261.20
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected return on Plan Assets	111.21	808.31	110.32	625.18
	अंशदान	Contributions	128.01	1650.77	77.25	1554.61
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	(274.13)	(1086.70)	(258.17)	(712.15)
	प्लान एसेट्स पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(6.41)	101.74	19.27	312.64
	वर्ष के अंत में प्लान एसेट् का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1223.87	10515.60	1265.18	9041.48
	मानने योग्य कुल बीमांकिक लाभ/(हानि)	**Total Actuarial Gain/(Loss) to be recognised**	(152.71)	(828.50)	(27.05)	280.27
(iv)	**संक्रमणकालीन देयता की मान्यता :**	**Recognition of Transitional Liability :**				
	प्रारंभ में संक्रमणकालीन देयता	Transitional Liability at start	0.00	0.00	85.79	442.42
	वर्ष के दौरान पहचानी गई संक्रमणकालीन देयता	Transition Liability recognised during the year	0.00	0.00	85.79	442.42
	अंत में संक्रमणकालीन देयता	**Transition Liability at end**	0.00	0.00	0.00	0.00
(v)	**प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल**	**Actual return on Plan Assets**				
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	111.21	808.31	110.32	625.18
	प्लान एसेट्स पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(6.41)	101.74	19.27	312.64
	प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल	**Actual return on Plan Assets**	104.80	910.05	129.59	937.82
(vi)	**तुलन पत्र में मान्य राशि**	**Amount recognised in the Balance Sheet :**				
	अवधि के अंत में देयता वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Liability at the end of the period	1370.70	11076.48	1311.00	9420.03
	अंतर अमान्य परिवर्तन देयता	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1223.87	10515.60	1265.18	9041.48
	तुलन पत्र में मान्य राशि	**Amount Recognised in the Balance Sheet**	(146.83)	(560.88)	(45.82)	(378.55)
(vii)	**आय विवरण-पत्र में मान्य व्यय :**	**Expenses recognised in the Income Statement :**				
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	93.49	1097.46	73.03	890.30
	ब्याज लागत	Interest Cost	94.03	715.46	101.37	610.73
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	111.21	808.31	110.32	625.19
	विगत वर्षों के मान्य व्यय	Expenses recognized relating to prior years	-	-	-	-
	मान्य परिवर्तन देयता	Recognition of Transition Liability	0.00	0.00	85.79	442.42
	बीमांकिक (लाभ) या हानि	Actuarial (Gain) or Loss	152.71	828.50	(27.05)	280.27
	लाभ एवं हानि में मान्य व्यय	**Expense Recognised in P & L**	229.03	1833.11	122.82	1598.53
(viii)	**तुलन पत्र समाधान :**	**Balance Sheet Reconciliation :**				
	प्रारंभिक निवल देयता (तुलन पत्र में मान्य की गई विगत अवधि की निवल राशि)	Opening Net Liability (Last period's net amount recognized in the balance sheet)	45.82	378.55	0.25	334.63
	उपर्युक्त अनुसार व्यय	Expenses as above	229.03	1833.11	122.82	1598.53
	नियोक्ता का अंशदान	Employer's Contribution	(128.01)	(1650.77)	(77.25)	(1554.61)
	तुलन पत्र में मान्य राशि	**Amount Recognised in Balance Sheet**	146.83	560.88	45.82	378.55
(ix)	**आस्तियों का प्रवर्ग :**	**Category of Assets :**				
	भारत सरकार की आस्तियां	Government of India Assets	90.44	1705.51	126.48	1234.60
	कार्पोरेट बांड्स	Corporate Bonds	674.79	5315.28	681.65	4277.90
	राज्य सरकार	State Government	416.19	3217.06	415.24	3180.33
	अन्य	Other	42.45	277.75	41.81	348.64
	कुल	**Total**	1223.87	10,515.60	1265.18	9041.47
(x)	अनुभव समायोजन	**Experience Adjustment :**	146.31	930.23	(7.79)	592.91
	प्लान देयता पर (लाभ)/हानि	**On Plan Liability (Gain)/Loss**				
	प्लान एसेट पर (हानि)/लाभ	**On Plan Asset (Loss)/Gain**	(6.41)	101.74	19.27	312.65

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ*

विवरण	देयता	वर्ष में किया गया प्रावधान	देयता	वर्ष में किया गया प्रावधान
अवकाश नकदीकरण	625.41	47.92	577.49	39.45
अवकाश यात्रा छूट	55.24	2.98	52.26	3.77
पुनर्वास लाभ	6.63	(0.16)	6.79	0.46
माइलस्टोन अवार्ड	3.81	0.90	2.91	0.87
चिकित्सा अवकाश	30.22	30.22	0.00	0.00

* अन्य दीर्घावधि लाभ के लिए वास्तविक अनुमान ग्रेच्यूटी के लिए प्रयुक्त के समान ही है।

ए) बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अंशदान को व्यय के रूप में माना है। वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसी निधि के जो एक परिनिश्चित अंशदान योजना है, के लिए ₹ 84.61 (विगत वर्ष ₹ 54.96 करोड़) का अंशदान दिया है।

बी) बैंक ने एलआईसी 1994-96, जिसका कर्मचारी लाभ के संबंध में पिछले वर्ष तक अनुसरण किया जा रहा था, के स्थान पर आईएएलएम 2006-08 टेबल अपनाने का निर्णय लिया है। वास्तविक लाभ अथवा हानि की सीमा तक लेखांकन अनुमानों में ऐसे परिवर्तन के असर ने, मृत्युदर-टेबल में परिवर्तन के कारण, इस वर्ष के लिए ₹ 909.77 (कर प्रभाव को छोड़कर) की निवल हानि में अनुवर्ती बढ़ोतरी के साथ ₹ 1391.25 की परिचालन खर्च की वृद्धि हुई ।

Other Long term employee benefits*

Particulars	31.03.2016		31.03.2015	
	Liability	Provisions made during the Year	Liability	Provisions made during the Year
Leave Encashment	625.41	47.92	577.49	39.45
Leave Travel Concession	55.24	2.98	52.26	3.77
Resettlement Benefits	6.63	(0.16)	6.79	0.46
Milestone Awards	3.81	0.90	2.91	0.87
Sick Leave	30.22	30.22	0.00	0.00

* The actuarial assumptions for other long term benefits are same which are used for Gratuity.

a. The Parent bank has recognised contribution to employees' Provident Fund/Defined contribution scheme as an expense. During the year, the Parent bank has contributed ₹ 84.61Crores (previous year ₹ 54.96 Crores) towards such fund which is a defined contribution plan.

b. The Parent Bank has decided to adopt IALM 2006-08 table instead of LIC 1994-96 which was followed till last year in respect of employees' benefits. The impact of such change in accounting estimate to the extent of actuarial gain or loss, due to change in mortality table, has resulted in increase in operating expenses by ₹ 1391.25 with consequential increase in Net Loss by ₹ 909.77 (net of tax impact) for the year.

(बी) लेखांकन मानक 17 - खण्ड रिपोर्ट करना

भाग क: कारोबार खण्ड

(B) AS - 17 "Segment Reporting"

Part A: Business Segment

कारोबार खण्ड	Business Segment	कोषागार परिचालन Treasury Operations		थोक बैंकिंग परिचालन Wholesale Banking Operations		खुदरा बैंकिंग परिचालन Retail Banking Operations		कुल Total	
		2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
राजस्व	Revenue	12065.51	12921.95	20059.30	21934.90	14541.37	13057.57	46666.18	47914.42
गैर-आबंटित राजस्व	Unallocated Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-730.87	172.28
अंतर खंड राजस्व	Inter Segment Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170.85	123.75
कुल राजस्व	Total Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45764.46	47962.95
परिणाम	Results	1060.29	1776.43	-7420.77	750.07	-288.84	191.23	-6649.33	2717.73
गैर-आबंटित व्यय	Unallocated Expenses	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1256.56	(601.40)
परिचालन लाभ	Operating profit	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-7905.89	2116.33
आयकर	Income Tax	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1701.63	103.42
असाधारण लाभ/हानि	Extraordinary profit/loss	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0.00	0.00
निवल लाभ	Net Profit	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-6204.25	2012.91
अन्य जानकारी :	**Other Information:**								
खंड आस्तियां	Segment Assets	202795.67	187902.71	282837.56	317373.16	114760.90	102949.21	600394.13	608225.08
गैरआबंटित आस्तियां	Unallocated Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16235.11	17059.66
कुल आस्तियां	Total Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	616629.23	625284.74
खंड देयताएं	Segment Liabilities	194677.31	180549.59	272439.64	304581.81	111395.46	99138.12	578512.42	584269.52
गैर आबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4771.16	8492.38
कुल देयताएं	Total Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	583283.57	592761.90

नोट : गैर बैंकिंग अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों से संबंधित सूचना को अनाबंटित खंड के अंतर्गत शामिल किया गया है।

Note: Information in respect of Non-Banking subsidiaries/joint venture has been included under unallocated segment.

भाग ख : भौगोलिक खण्ड

Part B: Geographical Segment

भौगोलिक खण्ड	Geographical Segments	स्वदेशी Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
		2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
राजस्व	Revenue	40369.10	42682.31	5395.36	5280.64	45764.46	47962.95
आस्तियां	Assets	442167.10	458875.86	174462.13	166408.88	616629.23	625284.74

बीओआई समूह ने एएस-17 के अनुपालन में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, कारोबार खण्ड को प्राथमिक रिर्पोटिंग सेगमेंट और भौगोलिक खण्ड को द्वितीय सेगमेंट माना है।

I. प्राथमिक खंड : कारोबारी खंड

क) कोषागार परिचालन : खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु कोषागार में संपूर्ण निवेश संविभाग शामिल हैं जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियां, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन में लेनदेन।

ख) थोक बैंकिंग : थोक बैंकिंग में वह सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

ग) खुदरा बैंकिंग : खुदरा बैंकिंग में वह निवेश सम्मिलित हैं जो निम्नलिखित दो मानदंडों को पूर्ण करते हैं :

i) एक्सपोजर : अधिकतम कुल एक्सपोजर ₹ 5 करोड़ तक।

ii) कुल वार्षिक टर्नओवर ₹ 50 करोड़ से कम अर्थात मौजूदा कम्पनियों के मामले में विगत 3 वर्षों का औसत टर्नओवर और नई कम्पनियों के लिए पूर्वानुमानित टर्नओवर है।

The BOI group has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary Segment in line with RBI guidelines in compliance with AS-17.

I. Primary Segment: Business Segments

a) Treasury Operations: 'Treasury' for the purpose of Segment Reporting includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations.

b) Wholesale Banking: Wholesale Banking includes all advances which are not included under Retail Banking.

c) Retail Banking: Retail Banking includes exposures which fulfil following two criteria:

i) Exposure – The maximum aggregate exposure up to ₹ 5 Crore

ii) The total annual turnover is less than ₹ 50 crore i.e. the average turnover of the last three years in case of existing entities and projected turnover in case of new entities.

घ) **अंतर खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण:**

खुदरा बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड,

खुदरा बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की क्षतिपूर्ति जमाराशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

ङ) **लागत का विनियोजन :**

- विशेष खण्ड को सीधे प्रदान किए गए व्ययों को संबंधित खण्ड में विनियोजित किया गया है।
- विशेष खण्ड को सीधे न प्रदान किए गए व्ययों को कर्मचारियों/संचालित कारोबार की संख्या के अनुपात में विनियोजित किया गया है।

II. गौण खण्ड : भौगोलिक खण्ड

क) स्वदेशी परिचालन

ख) अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

(सी) लेखांकन मानक 18 संव्यवहारों से संबंधित पक्षकार:

(प्रबंधन द्वारा यथा समेकित एवं लेखापरीक्षकों द्वारा)

I) संबंधित पक्षकारों की सूची

(1) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	:	श्री मेलविन ओ. रेगो (14.08.2015 से)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	:	श्रीमती वी.आर.अय्यर (31.05.2015 तक)
कार्यपालक निदेशक गण	:	श्री बी.पी. शर्मा
		श्री अरूण श्रीवास्तव (11.05.2015 तक)
		श्री आर.पी. मराठे
		श्री आर.ए. शंकरनारायण (15.05.2015 से)

(2) अनुषंगियाँ :

i) बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड
ii) बीओआई अक्सा इनवेस्टमेंट मैनजर्स प्राइवेट लि.
iii) बीओआई अक्सा ट्रस्टी सर्विसेज् प्राइवेट लि.
iv) बीओआई मर्चंट बैंकर्स
v) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंज़ानियां) लि.
vi) पीटी बैंक ऑफ इंडोनेशिया टीबीके
vii) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि.
viii) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगान्डा) लि.
ix) बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.

(3) सहायक कंपनियां :

i. एसटीसीआई फाइनैन्स लिमिटेड
ii. एएसआरईसी (इंडिया) लि.
iii. इंडो-ज़ाम्बिया बैंक लि.
iv. बैंक द्वारा प्रायोजित 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
   क) आर्यावर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
   ख) झारखण्ड ग्रामीण बैंक
   ग) नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक
   घ) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक

d) Pricing of Inter-Segmental transfers:

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

e) Allocation of Costs:

-Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment

-Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees / business managed.

II. Secondary Segment: Geographical Segments

a) Domestic Operations

b) International Operations

(C) AS18 "Related Party Transactions":

I) List of Related Parties:

i. Key managerial Personnel :

Managing Director & CEO:	Shri Melwyn O. Rego
Chairperson	Smt.V. R. Iyer
& Managing Director :	(Upto 31.05.2015)
Executive Directors:	Shri B.P.Sharma
	Shri Arun Srivastava
	(Upto 11.05.2015)
	Shri Ravindra P. Marathe
	Shri R.A.Sankara Narayanan
	(W.e.f 15.05.2015)

ii. Subsidiaries:

a. BOI Shareholding Ltd.
b. BOI AXA Investment Managers Private Limited
c. BOI AXA Trustee Services Private Limited
d. BOI Merchant Bankers Ltd.
e. PT Bank of India Indonesia Tbk
f. Bank of India (Tanzania) Limited
g. Bank of India (New Zealand) Limited
h. Bank of India (Uganda) Limited
i. Bank of India (Botswana) Limited

iii. Associates:

a. STCI Finance Limited
b. ASREC (India) Limited
c. Indo-Zambia Bank Limited
d. 4 Regional Rural Banks sponsored by the Bank
   i. Gramin Bank of Aryavart (Formerly known as Aryavart Kshetriya Gramin Bank)
   ii. Jharkand Gramin Bank;
   iii. Narmada Jhabua Gramin Bank
   iv. Vidharbha Konkan Gramin Bank

(4) संयुक्त उद्यम

(i) स्टार यूनियन दाई ईची जीवन बीमा कंपनी लि.

II) क) संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित एवं लेखापरीक्षकों द्वारा आश्रित)

4. Joint Venture:

a. Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd.

II) a) Transactions with Related Parties (As compiled by Management and relied upon by the Auditors)

विवरण	Particulars	अनुषंगियाँ/ सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम WITH SUBSIDIARIES/ ASSOCIATES/ JOINT VENTURES		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार Relatives of Key Management Personnel		कुल TOTAL	
वर्ष 2015-16 के दौरान संव्यवहार	**Transactions during the year 2015-16**	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
प्राप्त ब्याज	Interest Received	9.98	23.66	-	-	-	-	9.98	23.66
प्रदत्त ब्याज	Interest Paid	53.96	1.99	0.07	0.03	0.01	0.01	54.04	2.03
लाभांश	Dividend	12.55	9.11	-	-	-	-	12.55	9.11
अन्य आय	Other Income	62.39	73.73	-	-	-	-	62.39	73.73
सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेज़री विलों /बांडों की बिक्री	Sale of Govt. Securities/Treasury Bills	43.50	279.19	-	-	-	-	43.50	279.19
सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेज़री विलों /बांडों की खरीद	Purchase of Govt. Securities/Treasury Bills	967.36	1,110.34	-	-	-	-	967.36	1,110.34
कार्पोरेट बॉंड और अन्य मुद्रा बाजारों उपकरणों की खरीद	Puchase of Corporate Bonds and Other money market instruments	-	10.37	-	-	-	-	-	10.37
जमा	Deposits	0.89	7.55	-	-	-	-	0.89	7.55
परिपक्व जमा	Matured Deposits	-	11.40	-	-	-	-	-	11.40
प्रदान किए गए ऋण	Loans Provided	2,782.77	1,948.68	-	-	-	-	2,782.77	1,948.68
चुकाए गए ऋण	Loans Repaid	3,178.94	1,938.07	-	-	-	-	3,178.94	1,938.07
एनपीए की बिक्री	Sale of NPA	-	-	-	-	-	-	-	-
निवेशक	Investments	-	-	-	-	-	-	-	-
पारिश्रमिक/वेतन	Remuneration/Salary	-	-						
बकाया यथा 31.3.2016	**Outstanding as on 31.3.2016**								
देय	Payable	-	-	-	-	-	-	-	-
जमा	Deposits	119.68	67.62	0.99	0.41	0.08	0.15	120.74	68.18
उधार	Borrowing	-	-	-	-	-	-	-	-
ऋण	Loans	99.76	495.92					99.76	495.92
जमा की नियुक्ति	Placement of the Deposits	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य देयताएं	Other Liabilities	3.80	1.84					3.80	1.84
प्राप्तियाँ (अग्रिम)	Receivables (Advances)	-	-	-	-	-	-	-	-
निवेश	Investments	297.68	297.69	-	-	-	-	297.68	297.69
गैर वित्तपोषित प्रतिबद्धता	Non Funded Commitment	-	-	-	-	-	-	-	-
पट्टे पर/एचपी व्यवस्था का लाभ उठाया गया	Leasing / HP arrangements availed	-	-	-	-	-	-	-	-
पटटे पर/एचपी व्यवस्था प्रदान की गयी	Leasing / HP arrangements provided	-	-	-	-	-	-	-	-
अचल संपत्तियों की खरीद	Purchase of fixed assets	-	-	-	-	-	-	-	-
अंचल संपत्तियों की बिक्री	Sale of fixed assets	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य आस्तियाँ	Other Assets	6.51	7.98	-	-	-	-	6.51	7.98

ख) मुख्य प्रबंधन कार्मिक: प्रदत्त पारिश्रमिक

b. KEY MANAGEMENT PERSONNEL: REMUNERATION PAID

(₹ में) / (in ₹)

क्र.सं.	नाम	पदनाम	Particulars	Designation	2015-16	2014-15
1	श्री मेलविन रेगो	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	Shri M.O. Rego	Managing Director & CEO	1,847,503	-
2	श्रीमती वी.आर. अय्यर	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	Smt. V.R. Iyer	Chairperson & Managing Director	778,874	26,01,414
3	श्री अरुण श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	Shri Arun Srivastava	Executive Director	225,656	19,55,812
4	श्री बि. पी. शर्मा	कार्यपालक निदेशक	Shri B.P. Sharma	Executive Director	2,070,928	2,150,109
5	श्री आर.पी.मराठे	कार्यपालक निदेशक	Shri R.P. Marathe	Executive Director	1,808,012	113,939
6	श्री आर.ए. शंकरनारायणन	कार्यपालक निदेशक	Shri R.A. Sankara Narayanan	Executive Director	1,704,520	-
7	श्री आर.कोटीस्वरन	कार्यपालक निदेशक	Shri R. Koteeswaran	Executive Director	-	1,540,052

अनुषंगी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संव्यवहार राज्य नियंत्रित होने के कारण एएस-18 के पैरा 9 की दृष्टि में प्रकटन नहीं किए गए हैं जोकि आईसीएआई द्वारा संबंधित पार्टी प्रकटन के लिए जारी किए हैं जिसमें इन पार्टियों के दूसरे पक्षकारों के साथ, जो भी राज्य नियंत्रित उद्यम है, संव्यवहारों को प्रकटन न करने की छूट है।

(डी) लेखांकन मानक 19 - पट्टा वित्तपोषण (मूल बैंक)

(i) पट्टा वित्तपोषण और इसके घटकों में बैंक के निवेश की संविदागत परिपक्वताएं जो अग्रिमों में शामिल की गई हैं का उल्लेख नीचे किया गया है:

The transactions with the subsidiaries and regional rural banks being state controlled, have not been disclosed in view of Para 9 of AS - 18 on Related Party disclosure issued by ICAI exempting 'State Controlled Enterprises' from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also 'State Controlled Enterprises'.

(D) AS19 "Lease Financing" (Parent Bank)

(i) The contractual maturities of the Parent Bank's investment in lease financing and its components, which are included in advances, are set out below:

विवरण	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
सकल निवेश	Gross Investments	0.00	0.00
प्राप्य पट्टा भुगतान	Lease payment receivables	0.00	0.00
(i) 1 वर्ष से अधिक नहीं	(i) not later than 1 year	0.00	0.00
(ii) 1 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से अधिक नहीं	(ii) later than 1 year but not later than 5 years	0.00	0.00
(iii) 5 वर्ष से अधिक	(iii) later than 5 years	0.00	0.00
कुल	**TOTAL**	**0.00**	**0.00**
अनर्जित वित्त आय	Unearned finance income	0.00	0.00
निवल निवेश (क - ग)	**Net investments [a – c]**	**0.00**	**0.00**

(ई) लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर अर्जन

विवरण	2015-16	2014-15
आधारभूत और तनुकृत * (₹)	(84.58)	31.30

आधारभूत एवं तनुकृत ईपीएस का परिकलन

(E) AS20 "Earnings per Share":

Particulars	2015-16	2014-15
Basic and Diluted * (₹)	(84.58)	31.30

Calculation of Basic & Diluted E.P.S.:

विवरण	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
इक्विटी शेयाधारकों को प्रदान करने योग्य वर्ष के लिए निवल लाभ / (हानि) (₹ करोड़) (ए)	Net Profit/(Loss) for the year attributable to Equity Shareholders (₹ in crore) (A)	(6204.26)	2012.91
इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (₹ करोड़)(बी)	Weighted Average Number of Equity shares (crore) (B)	73.35	64.31
आधारभूत और तनुकृत प्रति शेयर आय (ए/बी) (₹)	Basic & Diluted Earnings per Share (A/B) (₹)	(84.58)	31.30
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	Nominal Value per Equity Share (₹)	10.00	10.00

* आधारभूत एवं तनुकृत ई.पी.एस. समान ही है क्योंकि मंदी संभाव्य इक्विटी शेयर नहीं है। .

* Basic and Diluted E.P.S. are same as there are no dilutive potential equity shares.

(एफ) लेखांकन मानक 22 - आय पर करों के लिए लेखांकन

आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

(F) AS-22 "Accounting for Taxes on Income":

The Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

विवरण	Particulars	31.03.2016	31.03.2015
आस्थागित कर आस्तियां	**Deferred Tax Assets**		
प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण	On account of timing difference towards provisions	4027.78	1291.98
अन्य	Others	601.52	130.22
कुल आस्थगित कर आस्तियां	**Total Deferred Tax Assets**	**4629.30**	**1422.20**
आस्थगित कर देयता	**Deferred Tax Liabilities**		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के कारण	On account of depreciation on fixed assets	121.47	81.20
निवेश पर मूल्यह्रास के कारण	On account of depreciation on investment	228.34	345.83
प्रोदभूत ब्याज जो देय नहीं हैं के कारण	On account of interest accrued but not due	724.30	772.63
आय कर अधिनियम 1961 की कटौती यू/एस 36(01)(viii) के कारण	On account of deduction u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act 1961	750.99	750.99
अन्य	Others	23.24	6.06
कुल आस्थगित कर देयताएं	**Total Deferred Tax Liabilities**	**1848.34**	**1956.71**
निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)	**Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)**	**2780.96**	**(534.51)**

(जी) लेखांकन मानक 27 ''संयुक्त उद्यमों में निवेश की वित्तीय रिपोर्टिंग:

निवेश में शामिल हैं ₹ 120 करोड (पिछल वर्ष ₹ 120 करोड) निम्नलिखित संयुक्त रूप से नियंत्रित ईकाई में बैंक की हित का प्रतिनिधित्व :-

क्र.सं.	कंपनी का नाम	राशि	निवास देश	होल्डिंग %
1	स्टार यूनियन डाईची जीवन बीमा कंपनी लि.,	₹ 120	भारत	48%

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में समूह के निवेश से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्ययों की कुल राशि:

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
देयताएं		
पूंजी एवं आरक्षितियां	1.73	0.00
जमाराशियां	0.00	0.00
उधार	0.00	0.00
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	2768.07	2635.25
कुल	**2769.80**	**2635.25**
आस्तियां		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष राशियां	3.98	1.35
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	19.00	22.07
निवेश	2559.06	2461.20
अग्रिम	4.99	3.51
अचल आस्तियां	4.53	3.15
अन्य आस्तियां	178.24	143.97
कुल	**2769.80**	**2635.25**
पूंजीगत बाध्यताएं	0.00	0.00
अन्य आकस्मिक देयताएं	5.20	1.97
आय		
अर्जित ब्याज	5.79	5.08
अन्य आय	39.39	2.80
कुल	**45.18**	**7.88**

(G) AS-27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures":

Investments include ₹ 120 (Previous year ₹ 120) representing Bank's interest in the following jointly controlled entity:

Sr. No.	Name of the Company	Amount	Country of Residence	Holding %
1	Star Union Dai–Ichi Life Insurance Company Ltd.	₹ 120	India	48%

Aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to the group's interest in jointly controlled entities:

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Liabilities		
Capital & Reserves	1.73	0.00
Deposits	0.00	0.00
Borrowings	0.00	0.00
Other Liabilities & Provisions	2768.07	2635.25
Total	**2769.80**	**2635.25**
Assets		
Cash and Balances with Reserve Bank of India	3.98	1.35
Balances with Banks and Money at call and short notice	19.00	22.07
Investments	2559.06	2461.20
Advances	4.99	3.51
Fixed Assets	4.53	3.15
Other Assets	178.24	143.97
Total	**2769.80**	**2635.25**
Capital Commitments	0.00	0.00
Other Contingent Liabilities	5.20	1.97
Income		
Interest Earned	5.79	5.08
Other Income	39.39	2.80
Total	**45.18**	**7.88**

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	0.00	0.00
परिचालन व्यय	32.88	3.94
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	0.00	0.00
कुल	**32.88**	**3.94**
लाभ / (हानि)	**12.30**	**3.94**

(एच) लेखांकन मानक 29 : ''प्रावधान देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां'' (मूल बैंक) :

क. देयताओं हेतु प्रावधानों में उतार चढाव (अन्य के प्रावधानों को निकाल कर)

विवरण	कानूनी मामले/आकस्मिकताएं	
	2015-16	2014-15
प्रारंभिक शेष	28.20	26.95
वर्ष के दौरान प्रावधान	13.48	1.25
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-
अंतिम शेष	41.68	28.20
बहिर्गमन का समय/ अनिश्चितताएं	समझौते/क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन	समझौते/क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन

ख. आकस्मिक देयताएं

यथा उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता करने/ न्यायालय के बाहर समझौता, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तें, विकास तथा संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई मांग जैसा भी मामला हो पर क्रमश: निर्भर करता है। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

12) अन्य नोट

ए) भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं.डीबीआर: बीपी:17252:21:04:048:2014-15 दिनांक 13 मई, 2015 के अनुसारण में बैंक द्वारा एआरसी को 26 फरवरी, 2014 और 31 मार्च, 2015 के बीच बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों से आने वाली कमी का जिस तिमाही में आस्ति बेची गई उससे लेकर 8 तिमाहियों की अवधि के दौरान परिशोधन किया जाएगा । तदनुसार बैंक ने वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में ₹ 369.49 करोड़ प्रभारित किया है और ₹ 214.24 करोड़ की शेष राशि का भविष्य अवधि के लाभ और हानि खाते में प्रभारित करने के लिए आगे ले जाया गया है ।

बी) भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं.डीबीआर:सं. बीपी.13018/21.04.048/2015-16 दिनांक 12 अप्रैल, 2016 के अनुपालन में, बैंक ने पंजाब सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए खाद्य ऋण के तहत मौजूदा अतिदेय ₹ 2206.11 यथा 31.03.2016 के 7.5% के रूप में ₹ 165.40 की राशि प्रदान की है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्देशित, उस तिथि को अतिदेय राशि पर 7.5% का अतिरिक्त प्रावधान जून, 2016 में किया जाएगा ।

सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुच्छेद 35 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा(एक्यूआर) के अनुसार बैंक ने कुछ अग्रिमों के संबंध में पुन: वर्गीकरण किया है/ अतिरिक्त प्रावधान किया है।

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Expenditure		
Interest Expended	0.00	0.00
Operating Expenses	32.88	3.94
Provisions & Contingencies	0.00	0.00
Total	**32.88**	**3.94**
Profit / (Loss)	**12.30**	**3.94**

(H) AS-29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets": (Parent Bank)

A. Movement of Provisions for liabilities (excluding provision for others)

Particulars	Legal cases/contingencies	
	2015-16	2014-15
Opening Balance	28.20	26.95
Provided during the year	13.48	1.25
Amounts used during the year	-	-
Closing Balance	41.68	28.20
Timing of outflow/ uncertainties	Outflow on settlement / Crystallization	Outflow on settlement / Crystallization

B. Contingent Liabilities

Such liabilities are dependent upon the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

12. Other Notes

(a) Pursuant to Reserve Bank of India Letter No. DBR:BP:17252:21.04.048:2014-15 dated 13th May, 2015, the Parent bank has amortized the shortfall arising out of sale of financial assets to ARCs, sold between 26th February, 2014 and 31st March, 2015, over a period of 8 quarters from the quarter in which the asset was sold. Consequently, the bank has charged ₹ 369.49 to Profit & Loss Account for the year and the balance amount of ₹ 214.24 is being carried forward to be charged to Profit & Loss Account of future periods.

(b) In compliance to the RBI Letter No. DBR. No.BP.13018/21.04.048/2015-16 dated 12th April, 2016, the Parent Bank has provided a sum of ₹ 165.46 being 7.5% of existing outstanding of ₹ 2206.11 as on 31.03.2016 under food credit availed by Government of Punjab. Additional provision of 7.5% shall be made in June 2016 on the amount outstanding as on that date, as directed by the RBI.

(c) Pursuant to the Asset Quality Review (AQR) conducted by the RBI under section 35 of the Banking Regulations Act, 1949, the Parent Bank has reclassified/made additional provisions in respect of certain advances.

डी) भारतीय रिज़र्व बैंक के डीबीआर:बीपी/बीसी/ सं.31/21.04.018/2015-16 दिनांक 16 जुलाई, 2015 के अनुसरण में मूल बैंक द्वारा 'अन्य परिसंपत्तियों 'के तहत, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार में कमी के कारण नाबार्ड/सिडबी तथा एनएचबी, के साथ रखे जमा को शामिल किया गया है। इससे पहले, इन्हें 'बैंकों के शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त राशि' के तहत शामिल किया गया है। इन जमाराशियों पर ब्याज आय 'अर्जित ब्याज -अन्य 'के तहत शामिल किया गया है। पूर्व में, इस तरह की ब्याज आय को 'अर्जित ब्याज - भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य अंतर बैंक निधि के साथ शेष पर ब्याज'के तहत शामिल किया गया था ।

ई) ₹ 243.86 (पिछले वर्ष ₹ 179.33) की राशि के 'परिपक्वता तक धारित ' श्रेणी के तहत धारित निवेशों की बिक्री पर लाभ को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है और तत्पश्चात ₹ 159.47 (पिछले वर्ष ₹ 88.78) की राशि को पूंजी आरक्षिती कर के निवलके साथ विनियोजित किया गया है और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुच्छेद 17 के तहत सांविधिक आरक्षिती में अंतरित किया गया है।

एफ) अत:, मूल बैंक ने अपने कर परामर्शदाता की विशेष्ज्ञ सलाह के आधार पर अपने लंबितआयकर मूल्यांकनों की सुक्ष्मता से समीक्षा की और विभिन्न मामलों, जिसमें अशोध्य और संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान, बट्टे खाते लिखे गए अशोध्य ऋण, विदेशी शाखाओं के लाभ का व्यवहार और आयकर अधिनियम, 1961 के यू/एस 14 ए का अस्वीकार शामिल है, पर पिछले वित्तीय वर्षों के लिए मौजूदा कर देयता के लिए प्रावधान पुन: निर्धारित किए हैं, परिणामत: पूर्व के वर्षों की मौजूदा कर देयता के प्रति ₹ 308.63 का अतिरिक्त प्रावधान हुआ है। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार इस समीक्षा के परिणामस्वरूप बैंक की कोई आगे लाई हानि/ अनवशषित मूल्यह्रास अपेक्षित नहीं है, जिसमें प्रत्यक्ष तथ्य का परीक्षण आवश्यक है।

जी) उपरोक्त पैरा (एफ) में उल्लिखितानुसार पूर्ण समीक्षा के आधार पर, मूल बैंक द्वारा भविष्य के की कर- योग्य आय के खिलाफ अशोध्य एवं संदिग्ध कर्ज के कारण उत्पन्न् होने वाले समय के अंतर को महसूस करते हुए अनुमान लगाया है तथा तदनुसार इस अवधि केदौरान, मूल बैंक ने ₹ 3172.65 के आस्थगित कर संपत्ति को मान्यता दी है, ऐसे समय के अंतर पर उचित निश्चितता के आधार पर भविष्य योग्य आय की उपलब्धता के खिलाफ इस तरह की आस्थगित कर संपत्ति को संपादित किया जा सकता है।

एच) भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं.डीबीएस:सीओ:एसएसएम: बीओआई) 14657:13:37:001:2014-15 दिनांक 20 मई, 2015 के अनुसरण में मूल बैंक द्वारा निश्चित एनपीए के संबंध में रू. 709.31 करोड़ के प्रावधान को आस्थगित कर दिया था तथा मार्च, 2015 से कुछ एनपीए की बिक्री पर ₹ 403.21 करोड़ के नुकसान को जून, 2015 के प्रारंभ होने वाले 3 तिमाहियों की अवधि में परिशोधित किया जाना था। तदनुसार, इस अवधि के दौरान रू. 709.31 करोड के इस तरह के एनपीए की ओर परिशोधित किया गया था और ₹ 403.21 करोड़ ऐसे एनपीए की बिक्री पर नुकसान के रूप में पहचान लिया गया है।

आई) भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय की उदय योजना (उदय उज्जवल

(d) Pursuant to RBI Circular No. DBR.BP.BC. No.31/21.04.018/2015-16 dated July 16, 2015, the Parent Bank has included deposits placed with NABARD/SIDBI and NHB, on account of shortfall in lending to priority sector, under 'Other Assets'. Earlier, these were included under 'Balance with Banks & Money at Call & Short Notice'. Interest income on these deposits has been included under 'Interest Earned-Others'. Earlier, such interest income was included under 'Interest Earned – Interest on Balances with Reserve Bank of India & Other Inter Bank Funds'.

(e) Profit on sale of Investments held under "Held to Maturity" category amounting to ₹ 243.86 (previous year ₹ 179.33)has been taken to the Profit & Loss Account and thereafter an amount of ₹ 159.47 (previous year ₹ 88.78) has been appropriated to the Capital Reserve, net of taxes and transfer to Statutory Reserve under section 17 of the Banking Regulation Act, 1949.

(f) During the year, the Parent Bank has undertaken thorough review of its pending income tax assessments based on the expert advice of Bank's Tax Consultant and has re-worked provision for Current Tax liability for the past financial years on various issues which inter-alia includes provision for Bad & Doubtful Debts, Bad Debts written off, treatment of profit of foreign branches and disallowance u/s 14A of the Income Tax Act, 1961, which has resulted into additional provision of ₹ 308.63 towards current tax liability of earlier year Consequent to such review, the bank does not expect to have any carry forward losses/unabsorbed depreciation as per Income Tax Act, 1961, requiring testing of virtual certainty.

(g) Based on the thorough review as mentioned in Para (f) above, the Parent Bank has estimated future taxable income against which timing difference arising on account of provisions for Bad & Doubtful Debts can be realised and accordingly during the period, the Parent Bank has recognised deferred tax assets of ₹ 3172.65 on such timing difference based on reasonable certainty of availability of future taxable income against which such deferred tax assets can be realised.

(h) Pursuant to RBI Letter No. DBS:CO:SSM:(BOI)14657:13.37.001:2014-15 dated 20th May, 2015, the Parent Bank had deferred provision of ₹ 709.31 in respect of certain NPAs and loss of ₹ 403.21 on sale of certain NPAs from March 2015, to be amortised over a period of 3 quarters commencing from June 2015. Accordingly, during the period ₹ 709.31 was amortised towards such NPAs and ₹ 403.21 has been recognised as loss on sale of such NPAs.

(i) In accordance with UDAY (Ujwal Discom Assurance Yojana) Scheme of Government of India, Ministry of Power for operational and financial turnaround of Power Distribution Companies (DISCOM) during FY 2015-16, the bank has subscribed to Non-SLR SDL Bonds of Government of Rajasthan (GOR),

डिस्कॉम एश्योरन्स योजना) के अनुसार, वर्ष 2015-16 के दौरान ऊर्जा संवितरक कंपनियों (डिस्कॉम)के परिचालन और वित्तीय टर्नअराउंड के लिए बैंक ने राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के क्रमशः ₹ 2198.72, ₹ 881.78 और 457.15 राशि के गैर एसएलआर, एसडीएल बांड्स सब्स्क्राइब किए हैं । आरबीआई के अनुदेशों के अनुसार बैंक ने निम्नलिखित प्रावधान किए हैं;

i) ₹ 727.60 के 15% के रूप मे 31 मार्च, 2017तक ऋण /बांड के संबंध में ₹ 109.14 को राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में परिवर्तित करने पर विचार नहीं किया गया है।

ii) ऋण/बांडस के उचित मूल्य में ह्रास के पक्ष में ₹ 24.11।

13. अतिरिक्त जानकारी मूल बैंक के अलग वित्तीय विवरण में प्रस्तुत की गयी है और सहायक कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण के सही और निष्पक्ष होने पर कोई गलत प्रभाव नहीं होगा और ऐसी मदों से संबंधित जानकारी जो ठोस नहीं है, और न ही समेकित वित्तीय विवरणों में उनका प्रकटन किया गया है।

14. जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया है विगत वर्ष के आंकडों को पुनःसमूहित/ पुनःव्यवस्थित किया गया है।

Government of Haryana (GOH) and Government of Uttar Pradesh (GoUP) amounting to ₹ 2198.72, ₹ 881.78 and ₹ 452.15 respectively. Pursuant to the RBI instructions, the bank has made following provisions:

(i) ₹ 109.14 in respect of loans/bonds not envisaged to be converted into State Development Loans (SDLs) by 31st March 2017 being 15% of ₹ 727.60.

(ii) ₹ 24.11 towards diminution in the fair value of loans/ bonds.

13. Additional information disclosed in the separate financial statements of the Parent bank and the subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material, have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements.

14. Previous year's figures have been regrouped/rearranged, wherever considered necessary.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने बैंक ऑफ़ इंडिया के संलग्न समेकित वित्तीय विवरण (मूल बैंक) और अनुषंगियों, सहायकों और संयुक्त उद्यम, इसके बाद जिसे संयुक्त रूप से 'बोओआई ग्रूप" कहा गया है और समेकित विवरण के साथ 31 मार्च, 2016 के समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ हानि खाता और समाप्त हुए वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचना की लेखा परीक्षा की है। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित पर आधारित है-

   क. हमारे द्वारा लेखा परीक्षित मूल बैंक के वित्तीय विवरण,

   ख. अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परिक्षित चार स्वदेशी अनुषंगी, एक स्वदेशी संयुक्त उद्यम, तीन स्वदेशी सहायक कंपनियाँ, एक विदेशी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण, और

   ग. पांच विदेशी अनुषंगियों के वित्तीय विवरण, जो प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए हैं, जिनकी अन्य लेखा-परीक्षकों ने समीक्षा की है, और

   घ. तीन स्वदेशी सहायक कंपनियों एवं एक विदेशी सहायक कंपनी के अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण।

समेकित विवरण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व मूल बैंक के प्रबंधन का है, ये समेकित वित्तीय विवरण, समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन और आम तौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बीओआई ग्रुप के समेकित नकदी प्रवाह का सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं; इसमें डिजाइन, कार्यान्वयन और वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुति के लिए संबंधित रख-रखाव शामिल हैं, जो सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा तात्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि से हुआ हो।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय अभिव्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षामानकों के अनुसार की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का पालन करें और वित्तीय विवरण पत्र तात्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त हैं, इसके बारे में समुचित एश्योरेंस प्राप्त करने के लिए योजना बनायें और उसका निष्पादन करें।

4. लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य निष्पादन प्रक्रिया शामिल है। चुनी गई प्रक्रिया लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरण के तात्विक अशुद्ध कथनों के मूल्यांकन का जोखिम शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखा परीक्षकने बीओआई समूह के समेकित वित्तीय विवरण के तैयार करने और प्रस्तुति में आंतरिक नियंत्रण संबद्धता का ध्यान रखा है, जो लेखा

REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITORS

To

The Board of Directors of Bank of India

Report on the Consolidated Financial Statements

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of Bank of India ("the Parent Bank") and its subsidiaries, associates and joint ventures collectively hereinafter referred to as "BoI Group" and the consolidated financial statements comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31st March 2016, the Consolidated Statement of Profit and Loss and Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended together with a summary of significant accounting policies and other explanatory information. The consolidated financial statements are based on –

   a) Financial statements of the Parent Bank audited by us;

   b) Financial statements of four domestic subsidiaries, one domestic joint venture, one domestic associates audited by other auditors; and

   c) Financial statements of five overseas subsidiaries prepared by the Management and reviewed by other auditors specifically for consolidation purpose; and

   d) Unaudited financial statements of four domestic associates and one overseas associate.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of BoI Group in accordance with accounting principles generally accepted in India; this includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the BOI Group's preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true

परीक्षा के डिजाइन के लिए सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करता है और जो इन परिस्थितियों में उचित है। लेखा परीक्षा में उपयोग की गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गये लेखा अनुमानों का मूल्यांकन और साथ ही समेकित वित्तीय विवरण की संपूर्ण प्रस्तुति का मूल्यांकन शामिल है।

5. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गये लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारी लेखा राय को उचित आधार प्रदान करते हैं ।

अभिमत

6. हमारी राय और अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गये स्पष्टीकरण और अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों के विचार के आधार पर, यथा नीचे दिए गये, समेकित वित्तीय विवरण आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गये लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं।

   क. समेकित तुलन-पत्र के संबंध में 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार बीओआई ग्रूप के कार्यों की स्थिति,

   ख उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लाभ का समेकित लाभ और हानि खाते की स्थिति और

   ग. उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह के समेकित नकदी प्रवाह विवरण की स्थिति

इस मामले का प्रभाव

7. हम निम्न की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

   ए) समेक्रित वित्तीय विवरण का नोट सं.18.9 जो संदिग्ध (प्रतिभूत हिस्सा) के रूप में वर्गीकृत एनपीए के संबंध में प्रावधानीकरण के लिए लेखांकन नीति में परिवर्तन एक वर्ष से तीन वर्ष से संबंधित है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए एनपीए के लिए प्रावधान में ₹ 2835.68 करोड़ की कमी जिसके फलस्वरूप वर्ष के लिए निवल हानि (कर को घटाकर) में ₹1854.31 करोड़ की कमी है;

   बी) वित्तीय विवरण का नोट सं.18.12 (ए) जो एआरसी को वित्तीय आस्ति की बिक्री पर हानि के आस्थगन से संबंधित है जिसके फलस्वरूप परिचालन व्यय में ₹214.24 करोड़ की कमी जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए निवल हानि (कर को घटाकर) में ₹140.10 करोड़ की कमी है;

   सी) वित्तीय विवरण का नोट सं.18.12 (बी) जो आरबीआई परिपत्र 12 अप्रैल 2016 के अनुसार पंजाब सरकार द्वारा लिए गए खाद्य ऋण के संबंध में प्रावधान से संबंधित है;

   डी) वित्तीय विवरण का नोट सं.18.9 (सी) जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के अनुसरण में कतिपय अग्रिम के संबंध में पुन:वर्गीकरण और अतिरिक्त प्रावधान से संबंधित है;

   ई) वित्तीय विवरण का नोट सं.18.12 (जी) जो अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान हेतु आस्थागित कर आस्ति के मान्यता से संबंधित है;

   एफ) वित्तीय विवरण का नोट सं.18.12 (एच) जो वर्ष के दौरान कतिपय एनपीए के बिक्री पर हानि और कतिपय एनपीए के लिए प्रावधान के

and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the other auditors on the financial statements of the subsidiaries as noted below, the consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India;

   a) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the BoI Group as at 31st March 2016;

   b) in the case of the Consolidated Statement of Profit and Loss, of the loss for the year ended on that date; and

   c) in the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

7. We draw attention to:

   a) Note No.18.9 to the consolidated financial statements relating to change in accounting policy for provisioning in respect of NPAs classified as Doubtful (secured portion) – one year to three years resulting in decrease in provision for NPAs for the year by ₹ 2,835.68 Crores with consequential decrease in Net loss for the year (net of tax) by ₹1,854.31 Crores;

   b) Note No. 18.12(a) to the consolidated financial statements regarding the deferment of the loss on sale of financial assets to ARCs resulting in decrease in operating expenses by ₹ 214.24 Crores with consequential decrease in Net loss for the year (net of tax) by ₹ 140.10 Crores;

   c) Note No 18.12(b) to the consolidated financial statements regarding provision in respect of food credit availed by Government of Punjab, as per RBI Circular dated 12th April 2016.

   d) Note No. 18.12(c) to the consolidated financial statements regarding re-classification and additional provision in respect of certain advances pursuant to Asset Quality Review conducted by Reserve Bank of India;

   e) Note No 18.12(g) to the consolidated financial statements regarding recognition of Deferred Tax Asset on account of provisions for Non Performing Assets;

परिशोधन से संबंधित है, जो मार्च 2015 से आस्थगित किया गया है;

जी) वित्तीय विवरण का नोट सं.18.12 (आई) जो आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों (DISCOM) को ऋण/ बाण्ड के संबंध में प्रावधान से संबंधित है।

इन मामलों पर हमारी राय शर्त-मुक्त नहीं है

अन्य मामले

8. हमने निम्न के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की थी।

क. वे अनुषंगियों जिनके वित्तीय विवरण कुल आस्तियाँ (निवल) ₹ 2937 करोड़, कुल राजस्व (निवल) ₹ 341 करोड़ और निवल नकदी बाह्य प्रवाह की राशि ₹ 3894 करोड़ दर्शाती है,

ख. वे संयुक्त उद्यम जिनका वित्तीय विवरण कुल आस्तियाँ (निवल) ₹ 2732 करोड़, कुल राजस्व (निवल) ₹ 45 करोड़ तथा निवल बाह्य प्रवाह रू.1 करोड़ दर्शाती हैं।

ग. सहायक कंपनियाँ मूल बैंक के निवल लाभ का हिस्सा ₹59 करोड़ दर्शाती हैं।

इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा/समीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्टें हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई हैं और ऐसे वित्तीय विवराण से लिए गए समेकित वित्तीय विवरणों की सीमा तक हमारी राय केवल अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है। इस मामले में हमारी राय साक्षेप नहीं है।

9. हम 06 सहायक कंपनियों के अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों पर निर्भर हैं, जैसा कि हमें मूल बैंक के प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसके आधार पर ₹33 करोड़ के लाभ के हिस्से का समेकन में विचार किया गया है।

10. उपर्युक्त पैराग्राफ 7 और 8 में बताये गये मामलों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना उचित नहीं है।

f) Note No. 18.12(h) to the consolidated financial statements regarding amortisation of provision for certain NPAs and loss on sale of certain NPAs during the year, which was deferred from March 2015;

g) Note No 18.12(i) to the consolidated financial statements regarding provision in respect of loans/ bonds of Power Distribution Companies (DISCOM), as per extant RBI guidelines.

Our opinion is not qualified in respect of these matters.

Other Matters

8. We did not audit the financial statements of –

a) subsidiaries whose financial statements reflect total assets (net) of ₹ 2,937 Crores, total revenues (net) of ₹ 341 Crores and net cash outflows of ₹ 3,894 Crores,

b) joint venture whose financial statements reflect total assets (net) of ₹ 2,752 Crores, total revenues (net) of ₹ 45 Crores and net cash outflows of ₹ 1 Crores,

c) associates reflecting share of net profit of the Parent Bank of ₹ 59 Crores.

These financial statements have been audited / reviewed by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management, our opinion on the consolidated financial statements to the extent they have been derived from such financial statements is based solely on the report of such other auditors. Our opinion is not qualified in the respect of this matter.

9. We have also relied on the un-audited financial statements of six associates as made available to us by the management of the Parent Bank based on which share of profit of ₹ 33 Crores have been considered in the consolidation.

10. Our opinion is not qualified in respect of the matters stated in paragraphs 7 and 8 above.

कृते एम एम निस्सीम एंड कं
For M. M. Nissim and Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 107122 डब्ल्यू) (FRN 107122W)

संजय खेमानी Sanjay Khemani
भागीदार Partner
(एम. नं. 044577) M. No. 044577

कृते ग्रोवर लल्ला एण्ड मेहता
For Grover Lalla & Mehta
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 002830 एन) (FRN 002830N)

पंकज बंसल Pankaj Bansal
भागीदार Partner
(एम. क्र. 502661) M. No. 502661

कृते जे. पी. कपूर एंड उबेराय
For J. P. Kapur & Uberai
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 000593 एन) (FRN 000593N)

अरूण मॅगॉन Arun Magon
भागीदार Partner
(एम. नं. 093323) M. No. 093323

कृते बी रतन अँड एसोशिएटस
For B Rattan & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 011798 एन) (FRN 011798N)

बिशमवर कुमार कर्ण Bishamver Kumar Karn
भागीदार Partner
(एम. क्र. 094790) M. No. 094790

कृते डी. सिंह. एंड कं.
For D. Singh & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 001351 एन) (FRN 001351N)

सिमरन सिंह Simran Singh
भागीदार Partner
(एम. नं. 098641) M. No. 098641

कृते जी डी आपटे अँड कंपनी
For G D Apte & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 100515 डब्ल्यू) (FRN 100515W)

सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe
भागीदार Partner
(एम. क्र. 121546) M. No. 121546

स्थान : मुंबई Place : Mumbai
दिनांक : 24 मई, 2016 / Date : 24th May 2016

बासेल III (स्तंभ3) - प्रकटन (समेकित) मार्च 2016

तालिका डीएफ 1

अनुप्रयोग का कार्यक्षेत्र

समूह में शीर्ष बैंक का नाम जिस पर यह संरचना लागू होती है : बैंक ऑफ़ इंडिया

गुणात्मक प्रकटन

अ. **ऐसे समूह संस्थाओं की सूची जो समेकन में शामिल हैं**

संस्था इकाई का नाम/निगमन देश	क्या इकाई/संस्था लेखा समेकन के दायरे में शामिल है (हां/नहीं)	समेकन की विधि समझाएं	क्या इकाई समेकन के नियामक दायरे के तहत शामिल है हाँ/नहीं	समेकन की विधि समझाएं	समेकन की विधि में अंतर के कारण दें	समेकन के केवल एक दायरे के अंतर्गत समेकित हैं तो कारण दें
बैंक ऑफ़ इंडिया न्यूजीलैंड लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ़ इंडिया (तनज़ानिया) लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ़ इंडिया (बोटस्वाना) लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया स्वदेशी टीबीके इंडोनेशिया	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई शेयर होल्डिंग लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेन्ट मॅनेजरर्स प्रा.लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेस प्रा. लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
स्टार यूनियन दाई-ईची लाईफ इन्श्यूरन्स कं. लि.	हाँ	संयुक्त उद्यम	नहीं	संयुक्त उद्यम	लागू नहीं	बासेल-III के तहत २५०% जोखिम भारांक लागू
एसटीसीआई फायनान्स लि.	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
एएसआरईसी (इंडिया) लि.	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
इंडो-झांबिया बैंक लि.	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी सह आर्यावर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी एसएऍ झारखंड ग्रामीण बैंक	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी एसएच नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं

ख) लेखांकन तथा नियामक समेकन गुंजाईश दोनों के तहत समेकन में शामिल न किए जाने वाले समूह संस्थाओं की सूची-

ऐसी कोई भी समूह संस्था नहीं है जो लेखांकन समेकन गुंजाइश और नियामक समेकन गुंजाइश, दोनों के तहत समेकन में शामिल न हुआ हो।

III. मात्रात्मक प्रकटन:

(ग) ऐसे समूह संस्थाओं की सूची जो समेकन में शामिल हैं

संस्था का नाम/शामिल देश	संस्था की मुख्का गतिविधि	कुल बैलंस शीट इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र में दिए अनुसार) ()	कुल बैलेंस शीट आस्तियां (कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में दिए अनुसार)
बैंक ऑफ़ इंडिया न्यूजीलैंड लि.	बैंकिंग	2408.77	4662.35
बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.	बैंकिंग	540.35	1724.25
बैंक ऑफ़ इंडिया (तनज़ानिया) लि.	बैंकिंग	660.99	3864.72
बैंक ऑफ़ इंडिया (बोटस्वाना) लि.	बैंकिंग	249.36	1305.94
पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया स्वदेशी टीबीके इंडोनेशिया	बैंकिंग	3549.05	27602.18
बीओआई शेयर होल्डिंग लि.	समाशोधन व शेयर बाजार का निपटान	297.62	312.11
बैंक ऑफ़ इंडिया एक्सा इन्वेस्टमेन्ट मॅनेजरर्स प्रा.लि.	आस्ति प्रबंधन	553.15	615.90
बैंक ऑफ़ इंडिया एक्सा ट्रस्टी सर्विसेस प्रा. लि.	ट्रस्टीशिप सेवाएं	0.53	0.74
बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि.	मर्चंट बैंकिंग	116.13	117.06
स्टार यूनियन दाई-ची लाईफ इन्श्यूरन्स कं. लि.	जीवन बीमा	4200.00	58327.78
एसटीसीआई फायनान्स लि.	एनबीएफसी-एनडीएसआई	13,139.17	100,354.63
एएसआरईसी (इंडिया) लि.	आस्ति वसूली कंपनी	1329.78	1668.09
इंडो झांबिया बैंक लि.	बैंकिंग	3908.13	16851.09
आरआरबी विदर्भ कोंकन ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	2135.89	43511.89
आरआरबी आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	14903.38	160851.84
आरआरबी झारखंड ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	1401.48	30654.35
आरआरबी नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	5440.14	64899.50

घ. विनियामक समेकन में शामिल नहीं की गई अनुषंगियों में पूंजीगत भिन्नताओं की कुल राशि, अर्थात जिनकी कटौती की जाती है:

अनुषंगियों में पूंजीगत भिन्नता नहीं है।

ङ बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हित की समग्र राशि (उदाहरणार्थ चालू बही मूल्य) जिन्हें जोखिम आधार पर मापा जाता है:

बिमा कंपनीयों के नाम/निगमन देश	कंपनी की प्रमुख गतिविधि	कुल बैलेंस शीट इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन बैलेंस शीट में कहे अनुसार) राशि मिलियन	कुल इक्विटी में बैंक की हिस्सेदारी का % / मतदान अधिकार का अनुपात	पद्धति बनाम कटौति पद्धती प्रयोग करने पर नियामक पूंजी पर परिणामात्मक प्रभाव दर्शाएं राशि मिलियन
शून्य				

च. बैंकिंग समूह के भीतर धन का हस्तांतरण या पूंजीगत नियंत्रक पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिशासित है।

तालिका डीएफ 2
पूंजी पर्याप्तता

i. गुणात्मक प्रकटन

क. वर्तमान तथा भावी कार्य-कलापों के समर्थन में अपनी पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन के लिए बैंक के दृष्टिकोण की संक्षेप में विवेचना।

1. बैंक ऑफ़ इंडिया

अपने 'जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर)" को समुचित बनाए रखने हेतु बैंक समय-समय पर अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं का नियमित मूल्यांकन करता है। भविष्य में कारोबार वृद्धि, पूंजीगत आवश्यकताएं, नीति दिशा-निर्देश, मेक्रो आर्थिक परिदृश्य एवं जोखिम क्षमता, आदि का ध्यान रखने हेतु पूंजीगत योजना की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है। सभी जोखिमों को व्यापक रूप से देखने हेतु बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) विकसित की है।

2. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

विदेशी मुद्रा व्यापार चलाने के लिय, स्थानीय विनियमन का संदर्भ लें; बैंक का टियर-1 कम-से-कम IDR-1 ट्रिलियन होना चाहिए।

3. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (अनुषंगी) और बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. (अनुषंगी)

पर्यवेक्षण उद्देश्य हेतु बैंक ऑफ़ तंजानिया (बीओटी) और बैंक ऑफ़ युगांडा (बीओयू) द्वारा कार्यान्वित अनुसार, बासेल समिति द्वारा विकसित दिशानिर्देशों पर आधारित तकनीक का प्रयोग करते हुए, बैंक प्रबंधन द्वारा पूंजी पर्याप्तता तथा नियामक पूंजी के प्रयोग की नियमित निगरानी की जाती है। आवश्यक सूचना तिमाही आधार पर बीओटी स्थानीय विनियामक के पास दायर की जाती है।

बैंक की विनियामक पूंजी, जो इसके प्रबंधन द्वारा प्रबंधित है, वह दो टियर में विभाजित है :

टियर 1 पूंजी : - शेयर पूंजी, प्रतिधारित आय तथा प्रतिधारित आय के विनियोजन द्वारा निर्मित आरक्षितियां। टियर-1 पूंजी के परिकलन में पूर्वदत्त व्यय एवं आस्थागित प्रभार काट लिए जाते हैं।

टियर 2 पूंजी : -अर्हक गौण ऋण पूंजी, समेकित क्षतिभत्ता तथा बिक्री हेतु उपलब्ध इक्विटी लिखतों के उचित मूल्यांकन पर अप्राप्त उगाही।

4. बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगी)

पर्यवेक्षण उद्देश्य हेतु रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूजीलैंड (आरबीएनजेड़) के दिशानिर्देशों पर आधारित नियोजित तकनीक पर पूंजी पर्याप्ताता तथा नियामक पूंजी के प्रयोग की निगरानी प्रतिदिन बैंक के प्रबंधन द्वारा की जाती है। आवश्यक सूचना का प्रकटन तिमाही आधार पर सामान्य प्रकटन विवरण द्वारा किया जाता है। बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रबंधित नियामक पूंजी में केवल टियर 1 पूंजी शामिल है।

टियर 1 पूंजी : शेयर पूंजी, प्रतिधारित आय तथा प्रतिधारित आय के विनियोजन द्वारा निर्मित आरक्षितियाँ।

5. बैंक ऑफ़ इंडिया (बोटस्वाना) लि.

बैंक की नियामक पूंजी, जो इसके प्रबंधन द्वारा प्रबंधित है, वह दो टियर में विभाजित है :

टियर 1 पूंजी : शेयर पूंजी, प्रतिधारित आय तथा प्रतिधारित आय के विनियोजन द्वारा निर्मित आरक्षितियां (अनुषंगी के लिए अब हानि)।

टियर 2 पूंजी : अर्हक गौण ऋण पूंजी, समेकित क्षतिभत्ता अर्थात मानक आस्तियों पर प्रावधान तथा बिक्री हेतु उपलब्ध इक्विटी लिखतों के उचित मूल्यांकन पर अप्राप्त उगाही।

	(₹ मिलियन में)
(बी) ऋण जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता :	271,421.78
➢ मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	
➢ प्रतिभूतीकरण जोखिम	
(सी) बाजार जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता : मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण;	17,084.07
➢ ब्याज दर जोखिम	10,300.09
➢ विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण को शामिल कर)	342.12
➢ इक्विटी जोखिम	6,441.86
(डी) परिचालन जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता : मूल संकेतक दृष्टिकोण ➢ मानकीकृत दृष्टिकोण (यदि लागू हो)	23,801.98
(ई) कॉमन इक्विटी टियर १, तथा कुल और टियर १ पूँजी अनुपात : शीर्ष समेकित समूह के लिए; तथा महत्वपूर्ण बैंक अनुषंगी के लिए (किस प्रकार रुपरेखा प्रयुक्त की गई है, उसकी निर्भरता पर (स्टैण्ड अलोन या उप-समेकित)	
➢ कॉमन इक्विटी टियर १ पूंजी (सीईटी १)	8.34%
➢ टियर १ पूंजी (टी १)	9.41%
➢ कुल पूंजी अनुपात	12.38%

तालिका डीएफ 3 - ऋण जोखिम
सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन

क) ऋण जोखिम सहित सामान्य गुणात्मक प्रकटन की आवश्यकता जिसमें सम्मिलित है:

- **पिछले देय तथा अपसामान्य की परिभाषा (लेखांकन प्रयोजन हेतु)**

1.0 बैंक ऑफ़ इंडिया

बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों का अनुपालन करता है, जिसका सारांश निम्नलिखित है:

1.1 अनर्जक आस्तियाँ

- एक पट्टा आस्ति सहित एक आस्ति जब बैंक के लिए आय जनित नहीं करती है तब वह अनर्जक हो जाती है।

- मीयादी ऋण के संबंध 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए मूलधन का ब्याज और/या किस्त अतिदेय रहता है।
- एक ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के सम्बन्ध में, नीचे दर्शाए गए अनुसार ''अनियमित'' हुआ खाता।
- क्रय तथा बट्टागत बिल के मामले में 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहने वाले बिल।
- अल्पावधि फसलों हेतु दो फसली मौसमों के लिए, अतिदेय रहने वाले मूलधन की किस्त अथवा ब्याज।
- दीर्घावधि फसलों हेतु एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहने वाले मूलधन की किस्त अथवा उसपर ब्याज।
- दिनांक 1 फरवरी, 2006 के प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देशों के अनुसरण में किसी प्रतिभूतिकरण लेन देन चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है तो।
- बैंक किसी भी खाते को एनपीए तभी वर्गीकृत करेगा जब ब्याज तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर पूरी तरह से सेवित न होगा।
- बुनियादी/गैर बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण, यदि उसे पुन:संरचित नहीं किया जाता और ''मानक आस्ति'' के रुप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार (90 दिन का अतिदेय होने पर) वाणिज्यिक परिचालन शुरु होने से पहले किसी भी समय एनपीए के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- किसी बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण यदि उसे पुन:संरचित नहीं किया जाता और ''मानक आस्ति'' के रुप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित होने पर भी मूल डीसीसीओ से दो वर्ष के अन्दर वाणिज्यिक परिचालन शुरु करने में असफल रहता है तो उसे एनपीए के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- किसी गैर बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण यदि उसे पुन:संरचित नहीं किया जाता और ''मानक आस्ति'' के रुप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित होने पर भी मूल डीसीसीओ से छ: माह के अन्दर वाणिज्यिक परिचालन शुरु करने में असफल रहता हैं तो उसे एनपीए के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा।

1.2 ''अनियमित'' स्थिति

एक खाता तब ''अनियमित'' माना जाता है जब स्वीकृति सीमा/आहरण शक्ति से ज्यादा बकाया लगातार बना रहे। उन मामलों में जहाँ प्रधान परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृति सीमा/आहरण शक्ति से कम है किन्तु तुलन पत्र की तिथि तक 90 दिनों तक लगातार कोई जमा नहीं है या उस अवधि के दौरान ब्याज नामें करने की राशि न हो तो, इन खातों को ''अनियमित'' खाता माना जाता है।

1.3 ''अतिदेय''

किसी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई राशि तब ''अतिदेय'' होती है जब बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

1.4 अनर्जक निवेश

- प्रतिभूतियों के मामले में, जहाँ ब्याज/मूलधन बकाया है तथा बैंक प्रतिभूतियों पर आय नहीं पाता है तथा निवेशमूल्य में मूल्यहास हेतु यथोचित प्रावधान करता है।
- एक अनर्जक निवेश (एनपीआई) एक अनर्जक अग्रिम (एनपीए) की तरह है जहाँ :
- ब्याज/किस्त (परिपक्वता आगम सहित) देय है तथा 90 दिनों से अधिक तक अदत्त है।
- अधिमानी शेयरों के यथोचित परिवर्तनों सहित जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है।
- इक्विटी शेयरों के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुरुप नवीनतम तुलन पत्र के अनुपलब्धता पर किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य रु. 1 प्रति कंपनी है तो ऐसे इक्विटी शेयर अनर्जक निवेश माने जाएंगे।
- निर्गमकर्ता द्वारा यदि कोई ऋण सुविधा प्राप्त की जाती है जो बैंक की बही में अनर्जक अग्रिम है तब इस निर्गमकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश को अनर्जक अग्रिम माना जाएगा तथा विलोमत:।
- डिबेंचर/बॉड में निवेश, जिसे अग्रिम प्रकृति का समझा जाए वह निवेशों पर लागू अनर्जक अग्रिम के अध्यधीन है।

2.0 पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

ऋण गुणवत्ता का अभिनिर्धारण कारोबार की संभावना, ऋणी का कार्यनिष्पादन और चुकौती क्षमता जैसे तथ्यों के आधार पर किया जाता है। यह प्रत्येक अभिनिर्धारण तथ्य और घटकों तथा संबंधित ऋणी की विशिष्टताओं से संबद्ध अभिनिर्धारण तथ्यो के आधार पर किया जाता है। तदनुसार आस्तियों को चालू, विशेष उल्लेख, अवमानक, संदिग्ध और हानि प्रवर्ग में वर्गीकृत किया जाता हैं।

''आस्तियाँ'' अर्जक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों में वर्गीकृत की जाती हैं। अर्जक आस्तियाँ, राजस्व अर्जित करने के लिए किसी बैंक द्वारा निधियों का प्रावधान है। ''अनर्जक आस्तियाँ'' बैंक की अर्जक आस्तियों के अलावा है जिसमें हानि की संभावना है।

कोई आस्ति अनर्जक तब होती है जब वह बैंक के लिए राजस्व उत्पन्न करना बंद कर देती है। अनर्जक आस्ति ऐसा ऋण या अग्रिम है जहाँ मूलधन और/या ब्याज 90 दिन से अधिक के लिए बकाया है।

गत देय : किसी भी ऋण सुविधा के अन्तर्गत बैंक को देय राशि गतदेय होती है यदि उसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को नहीं किया जाता है।

1 जनवरी, 2010 को पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके ने नई लेखांकन नीति पीएसएके 50 तथा 55 के कार्यान्वयन को आरम्भ किया जो अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक आईएएस 32 तथा 39 के समान है जिसके अनुसार वित्तीय आस्तियों को उचित मूल्य पर प्रस्तुत किया गया। अब हम बैंक के कोर बैंकिंग में समेकित पीएसएके परिकलन में प्रगति दर्शा रहे हैं जो प्रौद्योगिकी उन्नतीकरण के हमारे कारोबारी योजना के समान है।

मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा समीक्षित बकाया ऋण और अग्रिम निम्नानुसार वर्गीकृत किए जाएंगे:

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
91-180	अवमानक	10%
181-270	संदिग्ध	50%
271 और ज्यादा	हानि	100%

3. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. एवं बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. (अनुषंगी)

अगर कोई ग्राहक या किसी वित्तीय लिखत का प्रतिपक्षी अपनी संविदागत दायित्वों की पूर्ति नहीं कर पाता है तो ऋण जोखिम होता है जो बैंक के लिए

वित्तीय हानि का जोखिम होता है और वह प्रमुख रूप से ग्राहकों एवं अन्य बैंकों को बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों एवं अग्रिमों तथा नामे प्रतिभूतियों में निवेश के कारण होता है।

निदेशक मंडल ने अपनी ऋण समिति को ऋण जोखिम की चूक के लिए जिम्मेदारी प्रत्यायोजित की है। ऋण समिति को रिपोर्ट करने वाला ऋण विभाग बैंक के ऋण के जोखिम के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, इसमें निम्नलिखित शामिल है:-

- संपार्श्विक आवश्यकताओं को कवर करते हुए ऋण नीतियों का प्रतिपादन, ऋण निर्धारण, जोखिम ग्रेडिंग तथा रिपोर्टिंग, प्रलेखी तथा विधिक प्रक्रियाएं, विनियामक तथा सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन।
- ऋण सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए प्राधिकृत करने का ढ़ाँचा स्थापित करना। बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ऋण नीति द्वारा ऋण सीमाएँ शामिल होती हैं।
- ऋण जोखिम की समीक्षा एवं अभिनिर्धारण।
- प्रतिपक्षकारों के ऋण जोखिम का संकेन्द्रण, भौगोलिक एवं औद्योगिक (ऋणों एवं अग्रिमों के लिए) प्रतिबंधक करना।

3.1 गत देय एवं अनर्जक की परिभाषा (लेखांकन उद्देश्य के लिए)

ओवरड्राफ्ट एवं अन्य ऋण सुविधा बिना विशिष्ट नियत तारीखों के गत देय माने जाएंगे यदि

- ग्राहक की उधार सीमा से अधिक हो जाए।
- ग्राहक की उधार सीमा समाप्त हो जाए।
- गणना किए गए ब्याज और अवधि के लिए नियत ब्याज को पूरा करने के लिए जमाराशियों का अपर्याप्त होना।
- बिल अनादृत कर दिए गए हों।
- बिल या खाते का भुगतान नियत तारीख पर न किया गया हो।
- ऋण जिनकी चुकौती किस्तों में की जानी होती है, समूचे रुप से गतदेय माने जाते हैं, यदि कोई भी किस्त जो देय हो चुकी है और तीस दिन या ज्यादा अवधि के लिए भुगतान नहीं की गई हो।
- बकाया ऋण और अग्रिमों की समीक्षा मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा कर निम्नानुसार वर्गीकृत की जानी चाहिए:

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
91-180	अवमानक	10%
181-270	संदिग्ध	50%
271 और अधिक	हानि	100%

4 बैंक ऑफ़ इंडिया युगांडा

मात्रात्मक दृष्टिकोण में समीक्षित बकाया ऋण औरअग्रिमों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाएगा।

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
91-179	अवमानक	20%
180-365	संदिग्ध	50%
365 और अधिक	हानि	100%

5. बैंक ऑफ़ इंडिया (बोस्तवाना) लि.

मात्रात्मक दृष्टिकोण में समीक्षित बकाया ऋण और अग्रिमों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाएगा :-

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
९० दिनों से अधिक और १ वर्ष से कम एरिकार	अवमानक	10%
यदि एरियर १ वर्ष से अधिक हैं और पर्याप्त प्रतिभूति है	संदिग्ध	20%+100% से कमी
यदि एरियर २ वर्ष से अधिक से ४ वर्ष तक है और पर्याप्त प्रतिभूति है	संदिग्ध	30%+100% से कमी
यदि एरियर ४ वर्ष से अधिक है और पर्याप्त प्रतिभूति है	संदिग्ध	100%
यदि एरियर १ वर्ष से अधिक है और विर्निदिष्ट खाते को हानिगत आस्ति के रूप में पहचान लिया गया है और पर्याप्त प्रतिभूति नहीं है।	थ्दे	100%

ख) बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा

बैंक ऑफ़ इंडिया

- एक बैंक के पोर्टफोलियों में, एक ग्राहक अथवा प्रतिपक्ष का उधार, व्यापार समझौता और अन्य वित्तीय लेन-देन के प्रतिबद्धता को पूर्ण करने की अक्षमता या अनिच्छा से अथवा ऋण नीति में वास्तविक या महसूस किए गए ह्रास से पोर्टफोलियों के बढ़ते मूल्य की एकमुश्त चूक से हानि उत्पन्न होती है।
- इन कमियों के विरुद्ध बैंक के दीर्घावधि वित्तीय स्वास्थ्य के लिए एक दृढ़ जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। ऋण जोखिम प्रबंधन में पहचान, मापन, निगरानी तथा ऋण जोखिम नियंत्रण सम्मिलित है।
- ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में सामान्य स्तर पर बैंक ने विभिन्न प्रकार के ऋण जोखिम की पहचान की है। उत्पाद/प्रक्रियाओं के स्तर पर अधिक कणिकामय पहचान होती है। नए उत्पादों/प्रक्रियाओं को आरम्भ करने से पहले विभिन्न जोखिमों का आकलन किया जाता है, जिसे जोखिम दृष्टिकोण से जोखिम रहित किया जाता है।
- ऋण जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क में तीन विशिष्ट खण्डों को इसकी नीति में समाहित किया गया है जो है- नीति एवं कार्यनीति, संस्थागत ढ़ांचा और परिचालन/प्रणाली।

i) नीति और कार्यनीति

बैंक संतुलित जोखिम दर्शन को अपनाता रहा है, जिससे कठिन समय में भी बैंक अपने संतुलन को बनाए रहा। यद्यपि नए तथा अनछुए क्षेत्रों के संबंध में बैंक की एक खुली नीति रही है तथा नए अवसरों को बैंक ने हमेशा पहचाना है। इस दर्शन के महत्वपूर्ण पक्षों को परिपत्रों में दर्शाया गया है तथा आवधिक तौर पर अनुदेश पुस्तिका रूप में विधिबद्ध किया गया है।

लाभप्रदता, सामना किए जानेवाले विभिन्न जोखिमों के स्तर, पूँजी स्तर, बाजार परिदृश्य तथा प्रतियोगिता को दृष्टिगत रखते हुए बैंक के कारोबारी उद्देश्यों और कार्यनीतियों का निर्णय लिया जाता है। बैंक की सोच हमेशा आस्ति गुणवत्ता तथा अर्जन पर रहती है अतएवं वह विवेकपूर्ण ढ़ंग से जोखिम नियंत्रण सहित लाभप्रदता वृद्धि का मेल करता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति तथा सार्थक ऋण जोखिम संबंधी नीति जैसे ऋण नीति तथा ऋण अनुप्रवर्तन नीति का अनुमोदन होता है तथा आवधिक तौर पर निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाती है। ऋण नीति अपने में विभिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित करती है जैसे ग्राहक, विपणन, उधार के क्षेत्रवार अभिगम, ऋण सुपुर्दगी, ऋण महत्व, ऋण अवधि, ऋण अर्जन, ऋण निर्धारण (जोखिम स्वीकार मानदंड सहित), मूल्य, ऋण मूल्यांकन, ऋण निर्धारण, ऋण जोखिम मानदंड, उद्योग मानदंड, संपार्श्विक और मार्जिन, रिश्तों की समीक्षा, प्रत्यायोजन कर योजना सांविधिक तथा अन्य नियंत्रण तथा प्रलेखीकरण। अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों हेतु ऋण नीति है और प्रत्येक केन्द्र की अपनी क्रेडिट नीति है जो मुख्य नीति से मेल खाती है। ऋण मामले में शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए एक अलग नीति है। इसके अतिरिक्त ऋण जोखिम की पहचान तथा निगरानी ऋण अनुप्रवर्तन नीति के अंतर्गत की जाती है। पुनर्गठन नीति, बैंक जोखिम नीति, देश जोखिम नीति तथा ऋण लेखापरीक्षा नीति भी तैयार है। निवेश समिति द्वारा अनुमोदन के बाद तथा निवेश नीति में दिए गए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश अनुबंधित होता है।

ii) संस्थागत ढांचा

ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य हेतु बैंक के संस्थागत ढांचे में शीर्ष स्तर पर निदेशक मंडल है जो जोखिम प्रबंधन पर व्यापक दृष्टिकोण रखता है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर कॉम) जो कि बोर्ड की उप-समिति है तथा जिसके अध्यक्ष बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं और इसके सदस्य के रुप में ऋण, बाजार और परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति के प्रमुख हैं जो ऋण जोखिम सहित समेकित जोखिम प्रबंधन की नीति और कार्यनीति निधारित करते हैं। परिचालनात्मक स्तर पर ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) ऋण जोखिम का दायित्व संभालते हैं। इसके मुख्य कार्यों में बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति का कार्यान्वयन, बृहत आधार पर बैंक के ऋण जोखिम की निगरानी, ऋण प्रत्यायोजन, बृहत ऋण जोखिम पर विवेकपूर्ण सीमा, पोर्टफोलियों प्रबंधन आदि सहित ऋण मामलों से संबंधित सभी नीतियों का बोर्ड से अनुमोदन हेतु अनुशंसा है।

जोखिम प्रबंधन विभाग महाप्रबंधक पद के मुख्य जोखिम अधिकारी के देखरेख में कार्यरत है जो जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड द्वारा निर्धारत सीमाओं के अंदर बृहद आधार पर ऋण जोखिम का मापन, नियंत्रण तथा प्रबंधन करता है तथा बोर्ड/आर कॉम/सीआरएमसी द्वारा तय जोखिम मानदंडों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करता है। महाप्रबंधक के अंतर्गत कार्यरत ऋण निगरानी विभाग ऋण पोर्टफोलियों का अनुप्रवर्तन करता है, समस्याओं की पहचान है तथा कमियों को दूर करने का उपाय करता है। ऋण लेखापरीक्षा कार्य द्वारा ऋण समीक्षा/ऋण लेखापरीक्षा की जाती है।

iii) परिचालन/प्रणाली/प्रक्रिया

बैंक सक्रिय ऋण जोखिम प्रबंधन पहल करता है, जैसे ऋण प्रदान करने के लिए निरंतर एक मानकता, तुलन पत्र में शामिल न होनेवाली मदों सहित सभी ऋण जोखिमों का अनुरक्षण तथा प्रलेखीकरण, आवधिक व्यक्तिगत बाध्यताधारी समीक्षा, आवधिक निरीक्षण तथा संपार्श्विक प्रबंधन प्रणाली।

ऋण जोखिम सीमा में उद्योग द्वारा बाध्यताधारी सीमा व संकेन्द्रण सीमा, ग्राहकों के वित्तीय कार्यनिष्पादन हेतु प्रणाली व प्रक्रिया हेतु निगरानी तथा सीमा में बकाया नियंत्रण सम्मिलित है। ऋण विस्तार हेतु जांच तथा अधिशेष है यथा ऋण स्वीकृति से ऋण जोखिम प्रबंधन को अलग करना, सीआरएमसी द्वारा जोखिम दृष्टिकोण से नए उत्पादों तथा प्रणाली का पुनरीक्षण, बहु ऋण अनुमोदक, जोखिम निर्धारण करने की प्रणाली, ग्राहक के जोखिम ग्रेडिंग पर आधारित कीमत सुविधाओं की प्रणाली, जोखिम दृष्टिकोण से ऋण प्रस्तावों के पुनरीक्षण हेतु ऋण जोखिम मूल्यांकन समिति, ऋण प्रक्रिया लेखापरीक्षा, स्वीकृति पूर्व संवितरण पूर्व समीक्षा तथा स्वीकृति पूर्व समीक्षा प्रणाली तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षा व जोखिम समीक्षा कार्य निवेशों हेतु प्रस्ताव ऋण जोखिम विश्लेषण, विस्तृत मूल्यांकन तथा क्रम निर्धारण के अध्यधीन है। प्रवेश स्तर के मामले में, न्यूनतम क्रमनिर्धारण/गुणवत्ता मानक, उद्योग, परिपक्वता, अवधि, निर्गम अनुसार मामले निवेशों हेतु विनिर्धारित किए गए हैं जिससे कि तरलता के जोखिम तथा संकेन्द्रण के विपरीत प्रभाव को कम कर सकता है। अन्य बैंकों पर सकल जोखिम पर केन्द्रीयकृत परिदृश्य प्रदान करने हेतु एक उचित फ्रेमवर्क तथा अर्धवार्षिक समीक्षा की गई है। देश के जोखिम का अनुप्रवर्तन अर्धवार्षिक आधार पर होता है।

जोखिम आस्तियों के विविधतापूर्ण पोर्टफोलियों का अनुरक्षण किया जाता है तथा पोर्टफोलियों के नियमित विश्लेषण करने की एक प्रणाली है जिससे कि जोखिम संकेन्द्रण के जोखिम नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके। अनर्जक अग्रिमों के संबंध में एक संतुलित नीति प्रक्रियागत है। ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली के आरम्भ सहित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) उन्नतिशील किया गया है जिससे कि बैंक की क्षमताएं बढ़ेगी तथा तुलन पत्र में न आनेवाली, अनिवाली सभी गतिविधियों के ऋण जोखिम का बैंक प्रबंधन करेगा।

iv) ऋण जोखिम प्रबंधन/न्यूनीकरण हेतु निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया जाता है -

- **ऋण अनुमोदित करनेवाला अधिकारी-अधिकारों का प्रत्यायोजन**

बैंक में बहु स्तरीय जोखिम आधारित अनुमोदित प्रणाली वाली सुस्पष्ट प्रत्यायोजन अधिकार की योजना है जिसकी आवधिक समीक्षा की जाती है और कारोबार के वातावरण की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए जब एवं जैसा आवश्यक होता है, उसे संशोधित किया जाता है। अधिकारियों का प्रत्यायोजन उधारकर्ताओं के रेटिंग के साथ लिंक की हुई है जहां बेहतर रेटवाले ग्राहकों को उच्चतर सीमा की मंजूरी देने का अधिकार है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार अधिकारों के प्रत्यायोजन के लिए विभिन्न प्रशासनिक स्तरों में मंजूरी प्राधिकार के साथ गाइडलाइन्स ऋण समिति बनाई गई है। वर्तमान में, महाप्रबंधक के प्रत्यायोजन अधिकार के परे आने वाले सभी ऋण प्रस्तावों में गोचर जोखिमों का ऑफ साइट मूल्यांकन किया जाए। महाप्रबंधक, जोखिम प्रबंधन विभाग(समिति का सदस्य है जिनके पास मात्रा या लाभ का लक्ष्य नहीं है। प्राप्त अनुभवों के आधार पर, महाप्रबंधक के प्रत्यायोजन अधिकारों तक के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए प्रधान कार्यालयस्तर पर एक और समिति बनाई गई है। जेडएलसीसी और एनबीजीएलसीसी में प्रस्ताव अनुमोदन के लिए आंचलिक कार्यालय में भी ऐसी समिति बनाई गई है।

- **विवेकपूर्ण सीमाएँ**

विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं के लिए ऋण/निवेश के विविध पहलुओं जैसे एकल/समूह उधारकर्ता सीमाओं के संबंध में उपयुक्त विवेकपूर्ण सीमाएँ हैं।

- **जोखिम श्रेणी निर्धारण/मूल्य निर्धारण**

काऊन्टर पार्टी के विभिन्न जोखिम घटकों के लिए एकल बिन्दु इन्डीकेटर तथा क्रेडिट तथा मूल्य निर्धारण में सहायता हेतु बैंक ने विभिन्न खण्डों में श्रेणी निर्धारण माडल आरंभ किया है।

- **ऋण लेखा परीक्षा/ऋण समीक्षा व्यवस्था (एलआरएम)**

ऋण लेखा परीक्षा/ऋण समीक्षा व्यवस्था ऋण बही की गुणवत्ता के लगातार मूल्यांकन करने और ऋण प्रबंध में गुणात्मक सुधार लाने हेतु एक प्रभावी साधन है।

v) **विशलेषण के माध्यम से संविभाग प्रबंधन**

विभिन्न ऋण पोर्टफोलियों एवं निवेशों की समग्र संरचना और गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक उपयुक्त प्रणाली होना भी महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य से शुरुआत के लिए बैंक ने एक सरल पोर्टफोलियों निगरानी फ्रेमवर्क प्रारंभ किया है। आगे चलकर बैंक और अधिक परिष्कृत पोर्टफोलियों प्रबंधन मॉडल तैयार करेगा। ₹ 10 लाख और इससे अधिक वाले खातों में रेटिंग माइग्रेशन छ:माही किया जा रहा है और बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट साफ्टवेयर (सीआरएमएस) चरणबद्ध रुप से कार्यान्वित किया जा रहा है। बैंक एडवांस एप्रोच को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहा है।

vi) **जोखिम मापांकन**

वर्तमान में ऋण जोखिम का निर्धारण जोखिम श्रेणी निर्धारण व्यक्तिश: स्तर पर करने और पोर्टफोलियो स्तर पर आस्तियों के भारांक एवं जोखिम भारांको के आधार पर रखी गई पूँजी के माध्यम से किया जाता है। 31 मार्च 2008 से प्रभावी नवीन पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल घ्) के अन्तर्गत बैंक ने मानक दृष्टिकोण को अपना लिया है।

vii) **जोखिम रिपोर्टिंग प्रणाली**

सभी ऋण संबंधी नीतियाँ अनुमोदन के लिए उचित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले सीआरएमसी (जो ऋण जोखिम के लिए परिचालन स्तर की समिति है) द्वारा अनुमत की जाती है। उचित निगरानी करने के लिए विभिन्न ऋण संबंधी सूचनाएँ सीआरएमसी को प्रस्तुत की जाती है।

viii) **जोखिम समीक्षा**

लेखापरीक्षा-ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली एवं साधन भी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा के अध्यधीन हैं।

ख. **पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)**

पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी) ने संपूर्ण जोखिम प्रबंधन को स्वीकृत लक्षित, समन्वित और सतत बनाने की आशा से जोखिम जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) तथा जोखिम प्रबंधनइकाई (आरएमयू) स्थापित की है जो परिचालन इकाई और आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई (''आंतरिक लेखा परीक्षा) से स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त आरएमसी और आरएमयू के कार्यों के कार्यान्वयन के प्रभाव की निगरानी के लिए बैंक ने जोखिम निगरानी समिति बनाई है जो सीधे बोर्ड ऑफ कमीशनर्स को उत्तरदायी है।

बैंक ऑफ इंडोनेशिया के अनुसार बैंक ने 8 (आठ) प्रकार के जोखिमों को संभाला है। ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, अनुपालन जोखिम, विधि जोखिम, जोखिम के साथ संभाव्य जोखिम वाली गतिविधियाँ जो बैंक की कारोबार निरन्तरता को खंडित करती है । जोखिम प्रकार का आकलन किसी भी कार्यात्मक गतिविधि (निहित जोखिम) और जोखिम नियंत्रण प्रणाली में निहित जोखिमों का संयोजन है।

बैंक नए ऋणों का अनुमोदन करने में चयनात्मक है और नियामक द्वारा आवश्यक ऋण के प्रावधान से अधिक बनाए रखता है। संपार्श्विक आधारित उधार में, संपार्श्विक के मूल्य पर हेयरकट लगाई जाती है। बैंक को जोखिम अधिकारी निदेशक अनुपालन को रिपोर्ट करता है। ज़ोखिम प्रबंधन इकाई (आरएमयू) ऋण अनुमोदन प्रक्रिया की देखभाल/निगरानी रखते हैं।

ग. **बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. एवं बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. (अनुषंगी), बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लि. और बैंक ऑफ़ इंडिया (बोटस्वाना) लि.**

मासिक आधार पर ब्याज लगाया जाना, मानक आस्तियों में संभाव्य ऋण चूक या व्यतिक्रम से निपटने का एक उपयोगी साधन बन गया है। आस्ति की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु बैंक ने निम्नलिखित नीति अपनाई है जिस पर शाखाओं को तुरंत अमल करना चाहिए और :-

i) उधारकर्ता के साथ सक्रिय अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से अतिदेय या कम से कम संकटपूर्ण राशि को वसूल करना।

ii) अस्थायी बेमेल रोकड़ प्रवाह के मामलों में खातों में परिचालन को बनाए रखना।

iii) अपेक्षित नकदी प्रवाह के अनुसार चुकौती मीयाद को पुनर्निर्धारित करना।

iv) पुनर्रचना नीति में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार नकदी प्रवाह में यदि कोई अंतर हो तो अपेक्षित नकदी प्रवाह को दृष्टिगत रखते हुए देय राशि की पुनर्रचना की जाए।

एनपीए होने से पहले खातों में बैंक द्वारा उपरोक्त में एक या अधिक कार्रवाई की गई है।

- **विशेषकर उल्लिखित खाते/एनपीए खातों के अनुवर्तन हेतु उपाय**

एनपीए की निगरानी/निवारण हेतु सामान्यत: बैंक में उपलब्ध विभिन्न उपाय नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं :-

I. एनपीए होने से पहले खाता ड(विशेष रूप से उल्लिखित खाता (एसएमए).

क. आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्वीकृत अवधि के अनुपालन हेतु सघन निगरानी।

ख. जहाँ भी अनियमितताएँ पाई गई है वहां तत्परता से अनुस्मारकों का भेजा जाना।

ग. एनपीए प्रवर्ग में खाते का न जाना सुनिश्चित करने हेतु तुरंत अतिदेयों की वसूली करना।

घ. वित्तीय डाटा के विश्लेषण के साथ इकाई का आवधिक निरीक्षण एवं आस्ति प्रभार।

ङ. खातों को एनपीए होने से पहले प्राप्य राशियों को पुनर्संरचित करना, अधिस्थगन अवधि, ब्याज निधि एवं किश्तों के आस्थगन की वृद्धि सहित सुधारात्मक कार्रवाई।

II. एनपीए होने के बाद खाता बैंक की प्राप्य राशियों की वसूली हेतु निम्न उपाय किए जाने चाहिए।

एनपीएज़् के समाधान हेतु निम्नलिखित उपायों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए :-

क. बकाया को कम करने हेतु अर्थ सुलभ प्रतिभूतियों (टीडीआर, शेयर, मार्जिन राशि आदि) एवं गिरवी वस्तुओं का विनियोजन

ख. उधारकर्ताओं के सहयोग से अन्य प्रतिभूतियों का निपटान

ग. समझौता वार्ता के माध्यम से प्राप्य राशियों का समझौता निपटान

घ. अग्रिम को रीकॉल करना

ङ. अदालत में मुकदमा दाखिल - डिक्री निष्पादन

च. अंत में, प्राप्य राशियों की वसूली हेतु सभी उपाय करने के पश्चात्, हम शेष प्राप्य राशियों को बट्टे खाते डाल सकते हैं। एनपीएज़् के समाधान हेतु इन सभी उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

मात्रात्मक प्रकटन:-

ए. **कुल सकल ऋण जोखिम निम्नानुसार है:**

प्रवर्ग	राशि मिलियन रुपयों में
निधि आधारित	3,931,438.28
गैर-निधि आधारित *	711,904.73

* क्रेडिट छोड़कर डेरिवेवस के समतुल्य

बी. **जोखिम का भौगोलिक वितरण:**

(₹ मिलियन में)

	स्वदेशी	विदेशी
निधि आधारित	2,772,488.70	1,158,949.58
गैर-निधि आधारित	644,850.18	67,054.55

सी. उद्योगवार जोखिम का वितरण निम्नलिखित है :

उद्योग का नाम	निधि आधारित (बकाया राशि) राशि मिलियन में	गैर निधि आधारित (बकाया राशि) राशि मिलियन में
कोयला	1,679.05	40,125.05
खदान	31,641.06	-
लौह एवं इस्पात	1,34,562.81	4,660.95
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	33,986.09	8,980.69
सभी इंजीनियरिंग	16,627.62	9,353.54
जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	2,315.34	2,390.53
विद्युत	3,03,486.56	-
सूती वस्त्र उद्योग	49,545.02	6,113.09
जूट वस्त्र उद्योग	1,405.94	557.69
अन्य वस्त्र उद्योग	51,645.51	6,073.97
चीनी	24,435.98	1,588.40
चाय	18.99	34.89
खाद्य प्रसंस्करण	24,667.50	5,881.18
वनस्पति तेल एवं वनस्पति	6,277.91	19,952.31
तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	10,241.89	753.44
पेपर एवं पेपर उत्पाद	14,180.03	1,339.49
रबर एवं रबर उत्पाद	22,370.86	17,734.72
केमिकल, डाई, पेंट्स आदि	48,869.35	17,079.51
जिसमें से फर्टिलाइजर्स	4,889.00	1,611.21
जिसमें से पेट्रोकेमिकल्स	12,663.53	6,549.41
जिसमें से ड्रग्ज और फार्मास्युटिकल्स	15,211.42	4,112.42
सीमेंट	15,507.35	834.92
चर्म एवं चर्म उत्पाद	3,678.99	763.74
रत्न एवं आभूषण	95,358.20	7,062.25
निर्माण	32,917.34	20,409.78
पेट्रोलियम	41,135.83	18,819.60
ऑटोमोबाइल्स, ट्रक सहित	32,293.58	5,138.53
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर		-
आधारभूत संरचना	4,60,905.35	1,01,926.96
जिसमें से पॉवर	3,03,719.76	53,288.44
जिसमें से दूरसंचार	9,144.35	162.23
जिसमें से सड़के और पत्तन	1,06,792.25	28,784.53
अन्य उद्योग	87,485.79	1,59,869.89
शेष अन्य अग्रिम (सकल अग्रिमों सहित तुलन के लिए)	26,90,000.26	2,56,850.13
कुल	**39,31,438.28**	**7,11,904.73**

- को एक्सपोज़र कुल निधि आधारित अग्रिम के 5% से अधिक है
- को एक्सपोज़रकुल गैर-निधि आधारित बकाया के 5% है

डी. आस्तियों का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण निम्नलिखित है:

(₹ मिलियन में)

	अग्रिम *	निवेश (सकल)	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ *
अगले दिन	1,71,533.90	2,34,662.04	58,937.90
2 - 7 दिन	97,532.90	20,993.89	35,326.58
8 - 14 दिन	83,468.70	31,503.18	42,376.74
15 - 28 दिन	1,34,524.92	18,025.31	1,18,679.53
29 दिन - 3 माह	3,28,500.66	75,372.52	2,59,343.09
>3 माह - 6 माह	3,08,406.80	77,687.08	2,26,529.86
>6माह - 1 वर्ष	3,05,779.04	68,393.38	1,93,963.73
>1 वर्ष - 3 वर्षे	4,47,077.64	1,79,394.86	1,82,087.13
>3 वर्षे - 5 वर्षे	4,27,487.76	1,46,562.90	1,17,227.24
>5 वर्षे	13,42,099.11	3,60,369.17	75,524.60
कुल	**36,46,411.43**	**12,12,964.35**	**13,09,996.40**

*** आँकड़े निवल आधार पर दर्शाए गए हैं।**

ई. सकल एनपीए इस प्रकार हैं -

प्रवर्ग	**(₹ मिलियन में)**
अवमानक	143,956.20
संदिग्ध - 1	149,760.43
संदिग्ध - 2	165,429.06
संदिग्ध - 3	19,299.63
हानि	24,331.01
कुल	**5,02,776.33**

एफ. निवल एनपीए की राशि ₹. 2,79,963.90 मिलियन है।.

जी. एनपीए अनुपात निम्नानुसार है :

- सकल अग्रिमों पर सकल एनपीए : 13.07%
- निवल अग्रिमों पर निवल एनपीए : 7.79%

एच. सकल एनपीए का उतार चढ़ाव निम्नप्रकार है :

(₹ मिलियन में)

i)	वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष	222,120.72
ii)	वर्ष के दौरान किया गया परिवर्धन	390,162.54
iii)	वर्ष के दौरान की गई कटौती	109,507.09
iv)	वर्षान्त मे इतिशेष (i+iii-iii)	502,776.17

आई. एनपीए हेतु प्रावधानों का उतार चढ़ाव निम्नानुसार है : (रु. मिलियन में)

(₹ मिलियन में)

i)	वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष (फ्लोटिंग प्रावधान को छोड़कर)	74,463.36
ii)	वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	166,403.01
iii)	अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन/बट्टे खाते में डालना	37,921.58
iv)	वर्षान्त मे इतिशेष (i+iii-iii)	202,944.79

जे. अनर्जक आस्ति निवेश की राशि रू 7653.02 मिलियन है।

के. अनर्जक आस्ति निवेश हेतु किए गए प्रावधान की राशि रू 6543.78 मिलियन है।

एल. निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का उतार चढ़ाव निम्न प्रकार है :

(₹ मिलियन में)

i)	वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष	10654.99
ii)	वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	5960.26
iii)	अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन/बट्टे खाते में डालना	2452.96
iv)	वर्षान्त में इतिशेष (i+iii-iii)	415.40
v)	वर्ष के अंत में शेष (i+ii-iii+iv)	14577.69

तालिका डीएफ-4

ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

i. गुणात्मक प्रकटीकरण

क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभागों के लिए

- किसी भी परिवर्तन हेतु कारणों सहित, उपयोग की गई ऋण श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों का नाम
- ऋण जोखिम के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेन्सी का उपयोग किया गया है; एवं
- बैंकिंग बही में लोक निर्गम श्रेणी निर्धारण का तुलनीय आस्तियों में अंतरण हेतु प्रयुक्त की गई प्रक्रिया का वर्णन।

ए. बैंक ऑफ इंडिया

1. बैंक ने सीआरएआर गणनाओं हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए निम्नलिखित ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसियों की सामान्य श्रेणी निर्धारण के उपयोग किए जाने हेतु अनुमोदन किया है। स्वदेशी दावों के लिए सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग्स, ब्रीकवर्क, एसएमईआरए एवं सीएआर्रतथा अनिवासी कार्पोरेट्स, विदेशी बैंको एवं विदेशी प्रभुसत्ता पर दावों के लिए एस एंड पी, फिच एवं मूडी। एसएमई श्रेणी निर्धारण का उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

2. इन सभी एजन्सियों के श्रेणी निर्धारण का उपयोग, बासेल-II के अंतर्गत सीआरएआर गणनाओं हेतु मानकीकृत दृष्टिकोणान्तर्गत, श्रेणीकरण के अधीन समस्त ऋण जोखिमों के जोखिम भार प्रयोजनार्थ किया जा रहा है।

   बैंकिंग बही में तुलनीय आस्तियों पर सार्वजनिक निर्गम श्रेणी निर्धारण अंतरण हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया आरबीआई की नियामक आवश्यकताओं के अनुसार है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित की गई लोक श्रेणी निर्धारण इस प्रयोजनार्थ उपयोग की गई है। श्रेणी निर्धारण जो केवल संबद्ध श्रेणी निर्धारण एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार प्रभावी है एवं पूर्व 15 महीनों के दौरान कम से कम एक बार पुनरीक्षित की गई है, का उपयोग किया जाता है।

   विशेष दूसरे पक्ष पर समस्त ऋण जोखिमों के लिए बैंक द्वारा श्रेणी निर्धारण के लिए केवल एक ही एजेन्सी का प्रयोग किया जाता है, यद्यपि इस अपवाद सहित कि जहाँ केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा ऋण जोखिमों का एक से अधिक बार श्रेणी निर्धारण किया जाता है।

3. जोखिम भार प्रयोजनार्थ पात्रता के लिए, यह सुनिश्चित किया जाता है कि, बाह्य ऋण निर्धारण पर विचार किया जाता है एवं बैंक द्वारा भुगतान की गई संपूर्ण ऋण राशि के संबंध में ऋण जोखिम को प्रतिबिंबित करें। एक ही पार्टी के दूसरे पक्ष को किसी अन्य ऋण जोखिम के लिए विशिष्ट श्रेणी निर्धारण एक निर्गमकर्ता या निर्गम को विस्तारित करते समय, यह ऋण जोखिम एक्सपोजर की संपूर्ण राशि के लिए विस्तारित की जाती है, अर्थात दोनों मूल राशि एवं ब्याज हेतु। एक कार्पोरेट समूह के अंतर्गत एक कंपनी के बाह्य निर्धारण का उपयोग जोखिम भार हेतु उसी समूह की अन्य कंपनियों के लिए नहीं होता है।

4. उन आस्तियों के लिए जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष से कम या एक वर्ष के बराबर होती है, अल्पावधि श्रेणी निर्धारण का उपयोग किया जाता है, जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण प्रयोग की जाती है। नकद उधार एक्सपोज़र के लिए दीर्घ अवधि श्रेणी निर्धारण ली जाती है।

5. जहाँ एक जारीकर्ता की बाह्य दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण सहित दीर्घावधि एक्सपोज़र है जो 150% जोखिम भारिता का समर्थन करता है, तथा उसी काउन्टरपार्टी के सभी अमूल्यांकित दावे चाहे वह अल्पावधि की हो अथवा दीर्घावधि की हो, भी 150% जोखिम भारिता वहन करती है, सिवाय उसके जहाँ ऋण जोखिम घटाव तकनीक इन दावों के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्पावधि श्रेणी निर्धारण के मामले भी एकसमान होंगे ।

6. दीर्घावधि एक्सपोज़र हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भारिता का सीधा आकलन अनुमोदित रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण समनुदेशित किया जाता है। इसके विपरीत, प्रतिपक्ष का अमूल्यांकित अल्पावधि दावा उसके प्रतिपक्ष के मूल्यांकित अल्पावधि दावो पर लागू जोखिम भारिता से कम से कम एक स्तर ज्यादा जोखिम भारिता वहन करता है। बैंकों तथा निगमों के विरुद्ध मूल्यांकित सुविधा से उत्पन्न दावों हेतु जोखिम भारिता निर्गम विशिष्ट अल्पावधि मूल्यांकन जनित है जो अमूल्यांकित दीर्घावधि दावों हेतु जोखिम भारिता का समर्थन नहीं करता है।

7. यदि योग्य ऋण निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दो निर्धारण दिए जाते हैं जो विभिन्न ऋण भारिता दर्शा रहा है तो वहाँ उच्च जोखिम भारिता लागू होगा। यदि योग्य ऋण निर्धारण एजेंसियों द्वारा तीन या उससे अधिक मूल्यांकन विभिन्न जोखिम भारिता दर्शा रहे हैं तब दो न्यूनतम जोखिम भारिता का परवर्ती मूल्यांकन संदर्भित किया जाता है तथा उन दोनों जोखिम भारिताओं में से उच्च जोखिम भारिता लागू होता है यथा द्वितीय न्यूनतम जोखिम भारिता ।

8. निवेश दावे का आर डब्ल्यू चयनित ऋण निर्धारण एजेन्सी द्वारा विशिष्ट श्रेणी निर्धारण पर आधारित होता है, जहाँ एक विशिष्ट निर्धारित निर्गम में दावा एक निवेश नहीं होता है:

   i) विशिष्ट उधार (जहाँ जोखिम भार में श्रेणी निर्धारण का आकलन, जो अमूल्यांकित दावे पर लागू से कम हो) पर लागू श्रेणी निर्धारण बैंक के केवल अनिर्धारित दावे पर लागू होती है। यदि यह दावा समरूप श्रेणी अथवा सभी दृष्टि से विशेष दर आधारित उधार से वरीय हो एवं जहाँ दर आधारित दावा लघु अवधि दायित्व होता है, को छोड़कर अनिर्धारित दावे की परिपक्वता, दर आधारित दावे की परिपक्वता के बाद न आती हो।

   ii) यदि निर्गमकर्ता अथवा एकल निर्गम की श्रेणी निर्धारित की गई हो, जो गैर निर्धारित दावों पर लागू की जाती है, के जोखिम भार के बराबर हो अथवा उच्चतर हो, वही दूसरे पक्ष पर गैर निर्धारित दावे, वही जोखिम भार का निर्धारण किया जाता है, जैसा कि दर आधारित एक्सपोज़र में लागू होता है, यदि सभी दृष्टि से यह दावा दर आधारित ऋण जोखिम से समरूप या कनिष्ठ श्रेणी का हो।

वी. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

देश में मौजूदा मानदंडो के अनुसार कोई भी बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा क्रेडिट रेटिंग किया जाना अपेक्षित नहीं है।

सी. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लि. बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि तथा बैंक ऑफ इंडिया (बोतस्वाना) लि.

देश में मौजूदा मानदंडो के अनुसार कोई भी बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा क्रेडिट रेटिंग किया जाना अपेक्षित नहीं है। देश में कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी परिचालन /कार्यरत नहीं है।

डी. बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगी)

आवश्यक्तानुसार तिमाही के आधार पर सामान्य प्रकटीकरण विवरणी द्वारा ऋण जोखिम का प्रकटीकरण किया जाता है ।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ मिलियन में)

मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम के कम होने के पश्चात एक्सपोज़र की राशि के लिए बैंक की बकाया राशि (दर आधारित एवं गैर दर आधारित) निम्नलिखित तीन बृहत जोखिम क्षेत्रों एवं जिनकी कटौती की जाती है उन क्षेत्रों; का मात्रात्मक प्रकटीकरण किया जाता है।	
बैंक का (मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन) बीओआई सोलो का कुल ऋण (बाजार से संबद्ध तुलन पत्र मदों को छोड़कर) जोखिम के अंतर्गत वर्गीकृत प्रमुख जोखिम क्षेत्र निम्नानुसार है:-	
100% जोखिम भार से कम	4,744,605.58
100% जोखिम भार	1,457,145.22
100% से अधिक जोखिम भार	619,838.45
कटौती	

तालिका डीएफ-5
ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन

(क) ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकताओं में यह शामिल है:

क) ऑन एंड ऑफ बैलेन्स शीट नेटिंग के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ और बैंक द्वारा इंका किस हद तक प्रयोग किया जाता है उसका संकेत ;

- संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन हेतु नीतियाँ एवं प्रक्रियाएं;
- बैंक द्वारा लिए गए संपार्श्विक के प्रमुख प्रकारों का विवरण;
- गारंटी कर्ता काउंटर पार्टी के प्रमुख प्रकार और उनकी ऋण पात्रता; एवं
- लिए गए न्यूनीकरण के भीतर (बाजार अथवा ऋण) जोखिम केंद्रीकरण के बारे में सूचना

क. बैंक ऑफ़ इंडिया

1. ऋण जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधन का एक अनुकूल साधन है, जो अच्छे एवं बुरे दोनों समय में राजस्व हानि से कंपनी का रक्षण करता है। बैंक उसके दैनिक परिचालनों में आने वाले ऋण जोखिम के प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न पद्धति और तकनीक अपनाता है। ऐसी प्रक्रिया को ऋण जोखिम न्यूनीकरण का नाम दिया गया है और ऋण जोखिम न्यूनीकरण के कुछ तकनीक को पर्यवेक्षकों द्वारा मूल्य, मुद्रा असंतुलन और परिपक्वता असंतुलन के लिए समायोजन के पश्चात पूंजी प्रभार कटौती करने हेतु उपयोग करने की अनुमति दी गई हैं। नयी पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल ।।) के अंतर्गत पहचाने गए विभिन्न ऋण जोखिम प्रशामक (सीआरएम) निम्नानुसार है:

(1) संपार्श्विकृत संव्यवहार

(2) ऑन - बैलन्स शीट नेटिंग

(3) गारंटियाँ

2. **पात्र वित्तीय संपार्श्विक**

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी संपार्श्विकों को ऋण जोखिम प्रशामक के रूप में स्वीकारा नहीं गया है। निम्नलिखित वित्तीय संपार्श्विक को स्वीकार किया गया है:

i. नकदी एवं जमाराशियाँ विदेशी मुद्रा की जमाराशियों सहित

ii. स्वर्ण : 99.99% शुद्धता वाले बेंचमार्क सहित

iii. केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ

iv. किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र

v. जीवन बीमा पॉलिसियाँ

vi. ऋण प्रतिभूतियाँ- श्रेणीकृत शर्तों के अध्यधीन

vii. ऋण प्रतिभूतियाँ-गैर श्रेणीकृत, बैंकों द्वारा जारी, शर्तों के अध्यधीन

viii. म्यूचुअल फंडों की यूनिट शर्तों के अध्यधीन

संपार्श्विक संव्यवहारों के लिए पूंजी सहायता उपलब्ध करने हेतु कतिपय अतिरिक्त मानदंड हैं, जिनका संपार्श्विक के प्रबंधन पर प्रत्यक्ष वहन है और संपार्श्विक प्रबंधन के दौरान इस पहलू का ध्यान रखा जाता है।

3. **तुलन पत्र नेटिंग पर**

ऑन बैलेंस शीट नेटिंग को ऋणों/अग्रिमों (एक्सपोजर के रूप में माने गए) और जमाराशियों (संपार्श्विक के रूप में) तक सीमित रखा जाए, जहाँ पर दस्तावेजो के सबूतों के साथ विशिष्ट ग्रहणाधिकार सहित बैंक का कानूनी प्रवर्तनीय नेटिंग व्यवस्था है और जिसका नेट आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

4. **गारंटियाँ**

जहाँ प्रत्यक्ष, निर्धारित, अविकल्पी और बिना शर्त गारंटियाँ हो, बैंक पूँजी आवश्यकताओं की गणना करने हेतु ऐसे ऋण संरक्षण को मान सकता है। पात्र गारंटीदाताओं/काउंटर गारंटीदाताओं की श्रेणी में ये शामिल हैं:

i. शासक, शासकीय संस्था (बीआईएस, आइएमएफ, यूरोपियन सेन्ट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ-साथ कतिपय विनिर्दिष्ट एमडीबी, ईसीजीसी और सीजीटीएसएमई), बैंक और काउंटर पार्टी से अन्य निम्न जोखिम भार सहित बैंक और प्राथमिक व्यापारी;

ii. एए अथवा उससे बेहतर श्रेणी की अन्य संस्थाएं

5. बैंक की सुपरिभाषित संपार्श्विक प्रबंधन नीति है जो संपार्श्विक के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रित फ्रेमवर्क प्रदान करती है। यह उधार में अंतर्निहित ऋण जोखिम के न्यूनीकरण का प्रमुख घटक है। बैंक मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार करता है। मूर्त प्रतिभूतियाँ या तो भौतिक स्वरूप की होती है अथवा अन्य सामग्री प्रारूप में जैसे कि नकद मार्जिन, बैंक के पास जमाराशियाँ, स्वर्ण अथवा अन्य मूल्यवान धातु, शेयर्स, एनएससी/केवीपी/जीवन बीमा पॉलिसियाँ। अमूर्त प्रतिभूतियाँ हैं - बैंक गारंटियाँ/साख पत्र, बही ऋण, आश्वासन पत्र, नकारात्मक पुनर्ग्रहणाधिकार पत्र, अपंजीकृत प्रभार इत्यादि। उधार दिए गए धन हेतु प्रतिभूति प्राप्त करने के सामान्य तरीके हैं - बंधक, गिरवी, दृष्टिबंधक और पुनर्ग्रहणाधिकार पत्र। बैंक द्वारा ऋण एक्सपोजर से सृजित की गई संपत्ति पर प्रथम प्रभार/अथवा समरूप आधार पर सामान्य नियम के अनुसार बैंक का प्रभार दर्ज किया जाए।

सामान्यत जब भी लागू हो/अनुमत होने पर गारंटी का आग्रह किया जाए। गारंटीकर्त्ता के प्रमुख प्रकार हैं:-

i) केंद्र/राज्य सरकार और डीआईसीजीसी, सीजीटीएमएसई और ईसीजीसी जैसी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एजेन्सियाँ

ii) कारपोरेट्स के प्रोमोटर/प्रमुख स्वामी

ii) व्यक्तियों के मामले में रिश्तेदारों की व्यक्तिगत गारंटी

6. **संपार्श्विक प्रबंधन के विभिन्न पहलू इस प्रकार हैं -**

संपार्श्विक को स्वीकार करने हेतु न्यूनतम शर्तें: संपार्श्विक को वैध और प्रवर्तनीय बनाने के लिए बैंक यह सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक के रूप में स्वीकार की गई आस्तियाँ बिक्री योग्य, कानूनी प्रवर्तनीय और आवश्यकता पड़ने पर उसको नियंत्रण में लिये जा सकने योग्य है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आस्ति का बाजार मूल्य सहज निर्धारण योग्य हो अथवा उसे उचित रूप से स्थापित और सत्यापित किया जा सके। आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्य से संपार्श्विक के रूप में स्वीकार्य आस्तियों के प्रकार और प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली इन प्रत्येक आस्तियों के मूल्य अनुपात के अधिकतम ऋण की सूची बैंक के पास है। संपार्श्विक लेते समय बैंक सांविधिक बाध्यताओं का भी ध्यान रखता है।

क) संपार्श्विक की वैधता

i) प्रवर्तनीयता;

बैंक सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक के समर्थन में ऋण दस्तावेजीकरण सभी संबंधित क्षेत्राधिकारों में कानूनी रूप से प्रवर्तनीय हो और उधारकर्ता की बाध्यताओं को विमुक्ति हेतु निर्बाध रूप से संपार्श्विक को लागू करने हेतु बैंक को अधिकार देता हो।

ii) हक और स्वामित्व;

बैंक हमेशा संपार्श्विक के रूप में आस्ति को स्वीकार करने से पूर्व उसके अस्तित्व तथा स्वामित्व का सत्यापन करता है और सुनिश्चित करता है कि किसी अन्य पक्ष का कथित संपार्श्विक पर कोई पूर्व दावा नहीं है। ऋण सुविधा के ड्रॉ डाउन से पूर्व ही बैंक संपार्श्विक के नियंत्रण को सुरक्षित करता है। ऋण जोखिम के प्रबंधन के सरलीकरण के लिए शीर्ष प्रबंधन को संपार्श्विक पर सूचना आवधिक रूप से दी जाती है। संपार्श्विक पर प्रभार तत्परता से, जहाँ भी लागू है, संबंधित प्राधिकारियों के पास पंजीकृत किए जाते हैं।

ख) लोन टू वैल्यू अनुपात

बैंक ने प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में स्वीकार की जाने वाली प्रमुख आस्तियों के लिए अधिकतम लोन टू वैल्यू अनुपात (मार्जिन) निर्धारित किया है। ऐसे अनुपात आस्ति के संबंधित जोखिम के आनुपातिक होते हैं और संपार्श्विक की वसूली के समय होनेवाली संभाव्य हानि के विरूद्ध पर्याप्त बफर प्रदान करते हैं।

ग) मूल्यांकन;

बैंक के एक्सपोजर हेतु स्वीकार की गई संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए बैंक की बोर्ड अनुमोदित नीति है जिसमें मूल्यांकन का आधार, मूल्यांकक की अर्हता और पूनर्मूल्यांकन की बारंबारता बैंक में अनुपालन हेतु निर्धारित की गई है।

घ) संपार्श्विक को सुरक्षित रखना तथा उसमें पहुँच का नियंत्रण;

संपार्श्विक के स्वीकारने, निगरानी अथवा सुरक्षित अभिरक्षा के अनुमोदन का प्राधिकार और उत्तरदायित्व संबंधित व्यक्तियों और विभागों को दिया गया है।

ङ) संपार्श्विक का प्रतिस्थापन/अतिरिक्त संपार्श्विक :

अतिरिक्त संपार्श्विक के अनुरोध की कार्यविधि का स्पष्ट दस्तावेजीकरण किया गया है।

च) बीमा;

सभी पात्र संपार्श्विक, जिन्हे विशेष रूप से छूट दी गई है उन्हें छोड़कर, संबंधित जोखिम हेतु बीमा द्वारा संरक्षित हैं और इसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

छ) संपार्श्विक की बिक्री;

संपार्श्विक के समय पर परिसमापन के लिए बैंक की सुस्पष्ट और सख्त कार्यविधि है।

ख. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

संपार्श्विक मूल्यांकन हेतु पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके की नीति एवं कार्यविधि है जो बैंक ऑफ़ इंडोनेशिया विनियमन और बंधक ऋण हेतु राष्ट्रीय विवेक पर आधारित है। यदि संपार्श्विक का मूल्य ₹.2.79 करोड़ से अधिक है तो संपार्शिक का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाता है। संपार्श्विक के स्वरूप पर आधारित परिसमापन मूल्य की गणना की जाती है। संपार्श्विक मूल्य की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है। भूमि एवं भवन के रूप में प्रमुख रूप से संपार्श्विक स्वीकार किया जाता है। सामान्यता व्यक्तिगत एवं अन्य पक्ष गारंटी नहीं ली जाती। केंद्रीकरण हेतु उधार देने की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित की जाती है। बैंक को संपार्श्विक अथवा ऋण जोखिम शामकों की प्रमुख जोखिम की चिंता नहीं है।

ग वैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. और वैंक ऑफ़ इंडिया (न्यू. जीलैण्ड) लि. (अनुषंगियाँ)

बैंक के स्वयं की मीयादी जमाराशि रसीदों; अचल संपत्ति पर विधिक बंधक, कंपनी की चल संपत्ति पर दृष्टिप्रबंधक प्रभार, शेयर इत्यादि को गिरवी रखकर आदि संपार्श्विक प्राप्त किया जाता है।

नियामक की आवश्यकताओं के अनुसार एकल उधारकर्ता/समूह को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर सीमा निम्नानुसार है।

संपार्श्विक स्थिति		सीमा (कोर पूँजी के % के रूप में)
1)	संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूति जिसका मूल्य कम से कम हो	
क)	उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव का 125% (पूर्णत: प्रतिभूत)	25
ख)	संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत जिसका मूल्य उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% से कम है (आंशिक रूप से प्रतिभूत)	10
ग)	अप्रतिभूत	5

घ. बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.

बैंक के स्वयं की मीयादी जमाराशि रसीदों; अचल संपत्ति पर विधिक बंधक, कंपनी की चल संपत्ति पर दृष्टिप्रबंधक प्रभार, शेयर इत्यादि को गिरवी रखकर आदि संपार्श्विक प्राप्त किया जाता है।

नियामक की आवश्यकताओं के अनुसार एकल उधारकर्ता/समूह को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर निम्नानुसार है।

संपार्श्विक स्थिति	सीमा (कोर पूँजी के % के रूप में)
1) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूति जिसका मूल्य कम से कम हो	
क) उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव का 125% (पूर्णत: प्रतिभूत)	25
ख) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत जिसका मूल्य उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% से कम है (आंशिक रूप से प्रतिभूत)	25
ग) अप्रतिभूत	25

ङ. बैंक ऑफ़ इंडिया (बोटस्वाना) लि.

बैंक के स्वयं की मीयादी जमाराशि रसीदों, अचल संपत्ति पर विधिक बंधक, कंपनी की चल संपत्ति पर दृष्टिबंदक प्रभार, शेयर इत्यादि को गिरवी रखकर आदि संपार्श्विक प्राप्त किया जाता है।

नियामक की आवश्यकताओं के अनुसार एकल उधारकर्ता/समूह को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर निम्नानुसार हैं:-

संपार्श्विक स्थिति	सीमा (कोर पूँजी के % के रूप में)
1) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूति जिसका मूल्य कम से कम हो	
क) उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव का 125% (पूर्णत: प्रतिभूत)	30
ख) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत जिसका मूल्य उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% से कम है (आंशिक रूप से प्रतिभूत)	30
ग) अप्रतिभूत	30

मात्रात्मक प्रकटन :

(₹ मिलियन में)

(क) पृथक रूप से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल एक्सपोज़र (जहां लागू के बाद ऑन ओर ऑफ बैलेन्स शीट नेटिंग) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर की गई है : मार्जिन (हेयर कट) लागू करने के बाद। (बीओआई सोलो)	350,465.12
(ख) पृथक रूप से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल एक्सपोज़र (जहां लागू के बाद ऑन ओर ऑफ बैलेन्स शीट नेटिंग) जो गारंटी/क्रेडिट व्युत्पन्न (जब कभी आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई है) द्वारा कवर की गई है। (बीओआई सोलो)	193,798.10

तालिका डीएफ-6

प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन

समेकित स्तर पर यथा 30.09.2015 बैंक का कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं है।

ii. मात्रात्मक प्रकटन :-

लागू नहीं

तालिका डीएफ-7

लेन-देन बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटन

(क) मानक दृष्टिकोण को कवर करते हुए पोर्टफोलियों को शामिल करते हुए बाजार जोखिम हेतु सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता

ए: बैंक ऑफ़ इंडिया

लेन-देन बही में बैंक निवेशों के ''लेन-देन हेतु धारित'' (एचएफटी) एवं बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) पोर्टफोलियों को धारित करता है। शेष आस्तियों- अर्थात परिपक्वता हेतु धारित पोर्टफोलियों और अग्रिमों के अंतर्गत निवेशों को बैंकिंग बही के रूप में माना जाता है। नीचे बाजार जोखिम प्रबंधन प्रयोजन एवं नीतियों का संक्षिप्त ब्योरा दिया गया है।

(i) कार्यनीतियाँ एवं प्रक्रियाएं :

बाजार जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम एवं इक्विटी कीमत जोखिम की निगरानी की जाती है। बैंक वर्तमान में जिन्स (कमाडिटी) में लेन-देन नहीं कर रहा है।

ए. चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम की निगरानी के लिए गैप विश्लेषण का पाक्षिक आधार पर पालन किया जाता है। संचयी गैप से संचयी आउटफ्लो का प्रतिशत निकालने के लिए विवेकपूर्ण सीमा का उपयोग किया जाता है- 28 दिनों तक के अल्पावधि बकेट के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अध्यधीन निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार उधार -दैनिक एवं औसत मांग उधार, आंतर बैंक देयताएं, खरीदी गयी नीधियां आदि के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं काम करती हैं।

ऊँचे मूल्य की एकमुश्त जमाराशियों की निगरानी साप्ताहिक आधार पर की जाती है। अल्पावधि डायनामिक चलनिधि विवरण चलनिधि स्थिति का आकलन करने के लिए पाक्षिक आधार पर तैयार की जाती है जो व्यवसाय वृद्धि को ध्यान में रखकर चलती है। एक आकस्मिक निधि योजना तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गयी है। योजना का तिमाही आधार पर परीक्षण किया जाता है। चलनिधि संकट के समय और आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए यदि बाजार से निधि उठाई जानी हो तो बैंक की संभावित हानि का आकलन करने के लिए तिमाही आधार पर स्ट्रेस परीक्षण भी किया जाता है।

बी. ब्याज दर जोखिम

पिछले 12 माह के दौरान एवं अगले वित्तीय वर्ष तक बैंक की निवल ब्याज आय पर प्रभाव का आकलन करने के लिए गैप विश्लेषण उपयोग में लिया जाता है। बैंक ड्यूरेशन गैप विश्लेषण का भी उपयोग करता है। देयताओं की अवधि के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं नियत की गयी हैं। बैंक के निवेश पोर्टफोलियों की ड्यूरेशन आधार पर निगरानी की जाती है।

एसएलआर एवं गैर एसएलआर (घरेलू) विवेकपूर्ण सीमाओं के अंतर्गत दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए वीएआर पद्धति अपनायी जाती है क्योंकि वीएआर के लिए विवेकपूर्ण सीमा नियत की गयी है एवं दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है एवं उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट की जा रही है। दिनांकित प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश सामान्यतया हैज किए जाते हैं एवं ब्याज दर जोखिम निम्नतम है। विदेशी मुद्रा विनिमय स्थिति में भी वीएआर सीमा नियत की गई है।

इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का आकलन स्ट्रेस टेस्टिंग से किया जाता है, यह जिसमें 200 बेसिस पाईंट के बाजार दर में परिवर्तन का सॉक लगाकर किया जाता है।

सी. विदेशी विनिमय जोखिम

बैंक ने यूएसडी के साथ अन्य मुद्राओं में एग्रीगेट गैप लिमिट नियत की है । बैंक के विभिन्न मुद्राओं में विदेशी विनिमय एक्सपोजर के लिए अधिकतम डेलाइट एवं ओवरनाइट एक्सपोजर नियत किया है। हमने अवधि वार इंडिविजुअल करेंसी वाइस गैप लिमिट भी नियत किया है इसके अलावा, नुकसान रोक सीमा, लाभ सीमा लेना एवं एकल व्यवहार सीमाएं डीलरों के फोरेक्स परिचालनों पर निगरानी रखने के लिए बनायी गयी हैं।

नेट ओपन पोजीशन हेतु विवेकपूर्ण सीमा नियत करके डेरिवेटिव संव्यवहार की निगरानी की जाती है और बकाया डेरिवेटिव पर पीवी 01 का केप रखा जाता है।

डी. इक्विटी कीमत जोखिम

बैंक की घरेलू निवेश नीति के इक्विटी डीलरों के लिए नुकसान रोक सीमाएं नियत की हैं। कोषागार की दैनिक सीमा, अधिकतम निवेश सीमा, ईक्विटी संविभाग (ट्रेडिंग) के लिए धारण अवधि के संव्यवहारों की उच्चतम प्रबंधन को दैनिक आधार पर रिपोर्टिंग की जाती है।

(ii) बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य का ढ़ाँचा एवं संगठन:

जोखिम प्रबंधन बोर्ड संचालित कार्य है जिसे तीन स्तरों पर सपोर्ट किया जाता है: देखभाल करने एवं निर्देश जारी करने के लिए बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, जहाँ कहीं आवश्यक हो/जोखिम प्रबंधन नीतियां आदि अनुमोदित करने के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) जो नीति विषयों पर विचार करती है एवं एएलएम कक्ष के साथ जमीनी स्तर पर सपोर्ट प्रदान करती है। आस्ति देयता प्रबंधन समितियां विदेशी केन्द्रों में भी परिचालन में हैं।

(iii) जोखिम रिपोर्टिंग का स्कोप एवं प्रकृति और/अथवा मापांकन प्रणाली

स्वदेशी कारोबार के संबंध में बाजार जोखिम का प्रबंधन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है - जैसे कि मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण तैयार किया जाना-दैनिक आधार पर लेन-देन बही में निवेशों का अवधि विश्लेषण-दैनिक आधार पर वीएआर लेन-देन बही निवेश ईक्विटी पोर्टफोलियों को छोड़कर-तिमाही आधार पर तरलता जोखिम/बाजार जोखिम के लिए स्ट्रेस परीक्षण करना, स्वदेशी तुलन पत्र का अवधि विश्लेषण और इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर तिमाही आधार पर प्रभाव पर समीक्षा की जाती है और एएलसीओ द्वारा कार्पोरेट स्तर पर तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।एएलसीओं द्वारा मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा की जाती है।

बाजार उधार लेन-देन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानर्देशों के अनुरूप तरलता जोखिम की निगरानी के लिए विभिन्न विवेकपूर्ण उपाय किए गए हैं। मासिक आधार पर ढांचागत तरलता विवरणी तैयार की जाती है और पाक्षिक आधार पर अल्पावधि डायनमिक तरलता विवरणी तैयार की जाती है और उच्च प्रबंधन/ एएलसीओं को रिपोर्ट की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों की ढांचागत तरलता कार्पोरेट स्तर पर तिमाही आधार पर की जा रही है।

स्ट्रेस परीक्षण एवं इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का परिणाम एएलसीओ को रिपोर्ट किया जाता है। लेन-देन बही स्थिति ड्यूरेशन एवं वीएआर दैनिक आधार पर उच्चतम प्रबंधन को रिपोर्ट किया जाता है।

(iv) हैजिंग/अथवा जोखिम न्यूनीकरण के लिए नीतियां :

आस्ति देयता प्रबंधन एवं बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित विस्तृत नीतियां कार्यरत हैं जो बाजार जोखिम की निगरानी के लिए विभिन्न रणनीतियों एवं प्रक्रियाओं पर विस्तार से प्रकाश डालती है।

(v) पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

वाणिज्यिक बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता से संबंधित बैंक इंडोनेशिया के विनियमन के अनुसार, पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के परिकलन हेतु बाज़ार जोखिम के मापन के लिए अनिवार्य श्रेणी में बैंक शामिल नहीं है। यह इसलिए है कि बैंक विदेशी विनिमय बैंक है जिसके ट्रेडिंग बुक में प्रतिभूतियों और/अथवा डेरिविटिव संव्यवहार के रूप में वित्तीय लिखत आईडीआर 20 बिलियन (यूएसडी 1.7 मिलियन अनुमानित) से कम की रकम है।

बी. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (अनुषंगी) बीओआई (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगी), बीओआई (युगांडा) लि. और बीओआई (बोटस्वाना) लि.

क) बाज़ार जोखिम के सामान्य गुणात्मक प्रकटन की आवश्यकता जिसमें मानकीकृत दृष्टिकोण के संविधान भी शामिल है।

i. बाजार जोखिम: ब्याज दर, मुद्रा तथा इक्विटी उत्पाद में खुली स्थिति से बाजार जोखिम उत्पन्न होती है। बोर्ड सीमा निर्धारित करता है तथा जो स्वीकार की जा सकती है, नियमित अंतराल पर उसकी समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त दैनिक आधार पर एक्सपोजर की निगरानी की जाती है।

ii. तरलता जोखिम: ओवरनाइट जमा से नकदी संसाधन, चालू खाते, परिपक्व जमाराशियां, ऋण आहरण और गारंटियों से उपलब्ध नकद स्त्रोतों से दैनिक मांग के लिए तथा मार्जिन और अन्य नकद समझौतों पर मांग से बैंक को नकद आरक्षित रखना पडता है। ऐसे मांग की पूर्ति करने के लिए परिपक्व निधि के उपलब्ध अंश के आधार पर बोर्ड ने उनके अनुभव पर सीमा निर्धारित की है और अंतर बैंक तथा अन्य उधार सुविधा के न्यूनतम स्तर पर जो मांग की अपेक्षित आहरण को कवर कर सके।

iii. ब्याज दर जोखिम- बैंक को उसकी वित्तीय स्थिति तथा नकदी प्रवाह पर प्रचलित बाजार ब्याज दर में उतर चढाव के परिणाम के साथ जुड़ी विभिन्न जोखिमों को उठाना पड़ता है। बैंक को जमा राशि ऋण तथा बाजार प्रवृत्ति के परिवर्तन के अनुरूप दरों को परिवर्तित करने का विवेकाधिकार है। यह उपाय ब्याज दर जोखिम को बैंक एक्सपोजर न्यूनतम रखते है।

iv. मुद्रा जोखिम : बैंक को विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव की जोखिम उठानी पड़ती है। बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में केवल जितनी आवश्यक मुद्रा की खरीदी तथा बिक्री के आधार तक शामिल रहती है। बैंक विदेशी मुद्रा वायदा बाजार में शामिल नहीं होता है और इस प्रकार जोखिम सीमित हो जाती है।

मात्रात्मक प्रकटन

(₹ मिलियन में)

निम्नलिखित के लिए पूंजी आवश्यकता	
ब्याजदर जोखिम	9,155.63
ईक्विटी स्थिति जोखिम एवं	304.11
विदेशी विनिमय जोखिम	5,726.10

तालिका डीएफ-8

परिचालनात्मक जोखिम

I. गुणात्मक प्रकटन

साधारण गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता के अतिरिक्त जिसके लिए बैंक अर्हता प्राप्त है उस परिचालन जोखिम पूंजी मूल्यांकन हेतु बैंक का (के) दृष्टिकोण ।

ए. बैंक ऑफ़ इंडिया

बैंक जोखिम प्रबंधन की सर्वोत्कृष्ट प्रक्रिया अपनाता है। बैंक कारोबार की विभिन्न पद्धतियों के तहत समस्त आर्थिक उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के परिचालन जोखिम का सतत निर्धारण और अभिनिर्धारण करता है। समस्त नये उत्पाद, गतिविधियाँ और प्रणालियाँ पहले नया उत्पाद समूह और फिर परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (सीओआरएम) के माध्यम से कार्यान्वित होती है। सभी नीतियां बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर.काम) द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद ही बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है। मुख्य जोखिम अधिकारी, आरकॉम के निदेशों को कार्यान्वित करते है और दिन-प्रतिदिन के परिचालन गत जोखिम प्रबंधन की देखभाल करते है।

जोखिम प्रबंधन विभाग, कारोबार परिचालन जोखिम प्रबंधकों (बीओआरएम) तथा परिचालनगत जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ (ओआरएमएस) के नज़दीकी सहयोग से कार्य करता है। बीओआरएम तथा ओआरएमएस की समिति परिचालनगत ज़ोखिम प्रबंधन प्रभाग को आवधिक आधार पर जोखिम और नियंत्रण निर्धारण करना, हानि की रिपोर्टिंग करना तथा की मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआर्इ) में सहायता करता है।

अर्धवार्षिक आधार पर लॉस डेटा विश्लेषण के रूप में जोखिम रिपोर्टिंग की जाती है जिससे उच्च जोखिम प्रवणता वाले उत्पाद और कारोबार लाइन का निर्धारण किया जा सके और न्यूनीकरण उपाय अपनाए जा सके। शाखा स्तर के केआरआई और बैंक स्तर के केआरआई को तिमाही आधार पर ट्रैक किया जाता है।सभी बैंक के उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए वार्षिक आधार आरसीएसए कार्रवाई की जाती है।

बैसिक इंडिकेटर दृष्टिकोण द्वारा ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज की गणना की जाती है। वर्तमान में बैंक ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज के परिकलन के लिए उन्नत मापन के प्रयास अपना रहा है। परिचालन जोखिम पूंजी प्रभार की गणना के लिए समानान्तर रन के लिए बैंक को द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच(टीएसए) में माइग्रेट करने के लिए अनुमोदन मिला है । वर्तमान में ये विचार विमर्श स्टार पर है।

बी. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

कार्यों का पृथक्करण, प्रशिक्षण, स्पष्ट रूप से निर्धारित कार्यवाहियां, इत्यादि जैसे परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक ने श्रेष्ठ प्रक्रिया अपनाई है।

परिचालन जोखिम के प्रबंधन में, नितियों और कार्यविधियों के नियंत्रण और रूटिन पर्यवेक्षण के संदर्भ में प्रत्येक इकाई जिम्मेदार है। अपरिहार्य परिस्थितियों से बचने प्रणाली के लिए उत्पाद का विकास, प्रणाली, मानव संसाधन और " अपने ग्राहक को जानिये से संबंधित क्षेत्र शामिल है।

परिचालन जोखिम को कम करने के लिए बैंक ने संव्यवहार प्रोसेसिंग में नियंत्रण कार्य को बढ़ा दिया है जिसमें संव्यवहार के समय के अंदर पूरा करना, लागू मानकों के अनुवाद लेखांकन पद्धति का समायोजन,ठीक ढ़ग से रिकार्ड का अनुरक्षण, आस्ति तथा डेटा के लिए सुरक्षित ऐक्सेस क्रियान्वित करने हेतु कार्य विधि सुनिश्चित करना है। आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई का कार्य जो परिचालन गतिविधियों की नियमित जांच करती है, आवश्यक सुधार को बेहतर बना रही है। बैंक परिचालन जोखिम के परिकलन के लिए हॉसिक इंडिकेटर एप्रोच इन रिस्क वेटेड एसेट्स (एटीएमआर) का प्रयोग कर रही है।

बैंक में एक आंतरिक नियंत्रण इकाई भी है जो सुनिश्चित करता है कि सभी कारोबार इकाई बैंक की प्रक्रिया का और साथ ही स्थानीय सरकार के विनियमों का भी अनुपालन करते हैं।

सी. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (अनुषंगी), बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैण्ड) लि. (अनुषंगी), बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. और बीओआई (बोत्स्वाना) लि.

परिचालनात्मक जोखिम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हानि का जोखिम है जो विभिन्न कारणों से उत्पन्न होती है जो बैंक की प्रक्रिया, कार्मिक, प्रौद्योगिकी और आधार संरचना से संबद्ध है और क्रेडिट, बाजार, तरलता जोखिम छोड़कर बाह्य कारक जैसे विधिक और विनियामक जरूरतों और कारपोरेट व्यवहार के आम स्वीकृत मानकों से उत्पन्न होते है। परिचालनात्मक जोखिम बैंक की सभी गतिविधियों से उत्पन्न होती है।

वित्तीय हानि एवं कुल लागत प्रभावशीलता सहित बैंक की प्रतिष्ठा धूमिल होने से बचाव को संतुलित करने और नियंत्रण कार्रवाई जो पहल एवं रचनात्मकता को सीमित करती है, से बचाव के लिए परिचलनात्मक जोखिम का प्रबंध करना बैंक का उद्देश्य है।

परिचालनात्मक जोखिम का ध्यान रखने के लिए प्रबंधन विकास एवं कार्यान्वयन हेतु प्राथमिक उत्तरदायित्व प्रत्येक शाखा स्तर पर वरिष्ठ प्रबंधन हेतु निर्धारत किया गया है। परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन हेतु कुल मानकों के विकास उत्तरदायित्व में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायक है :-

- संव्यवहार के स्वतंत्र प्राधिकार सहित कार्य के उचित पृथक्करण की आवश्यकता;
- संव्यवहार के समाधान एवं निगरानी की आवश्यकता;
- नियामक एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं सहित अनुपालन;
- नियंत्रण एवं प्रक्रिया का प्रलेखीकरण;
- महसूस किए गए परिचालनात्मक जोखिमों के निर्धारण की आवश्यकता तथा पहचान किए गए जोखिमों का ध्यान रखने के लिए नियंत्रण एवं प्रक्रिया की पर्याप्तता;
- परिचालनात्मक हानि की रिपोर्टिंग एवं प्रस्तावित निवारणात्मक कार्रवाई की आवश्यकता;
- आकस्मिकता योजना का विकास;
- प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक विकास;
- नैतिक एवं कारोबार मानक;
- बीमा सहित जोखिम कमी, जहां यह प्रभावी है।

तालिका डीएफ-9
बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटन

(क) साधारण गुणात्मक प्रकटन अपेक्षा में आईआरआरबीबी और प्रमुख धारणाओं के ऋण भुगतान और अ-परिपक्व जमा का परिचालन संबंधी धारणाओं का स्वरूप तथा आईआरआरबीबी मापने की बारंबारता शामिल है।

ए. बैंक ऑफ़ इंडिया

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम की आम तौर पर तिमाही आधार पर गणना की जाती है। बैंकिंग बही में परिपक्वता हेतु धारित (एचटीएम) संविभाग में धारण किए सभी अग्रिम और निवेश सम्मिलित है।

कार्यनीति और प्रणालियाँ/संरचना और संगठन/जोखिम रिपोर्टिंग संबंधी कार्यक्षेत्र और स्वरूप/नीतियों आदि वही हैं जो टेबल डीएफ-7 के तहत रिपोर्ट की गई है।

आईआरआरबीबी मेजरमेंट की प्रणाली और प्रमुख धारणाएँ निम्नानुसार है;

अग्रिमों तथा जमा राशियों, जो बैंक का 100% कारोबार कवर करती है, की शेष परिपक्वता पर नेटवर्क की शाखाओं से प्राप्त मासिक सूचना के आधार पर विभिन्न समय बकेट के साथ ब्याज दर संवेदनशील और विभिन्न आस्तियों व देयताओं की शेष परिपक्वता को ध्यान में लेते हुए संवेदनशीलता विवरण तैयार किया जाता है।

प्रत्येक आस्ति एवं देयता की अवधि, प्रत्येक टाईम बकेट के मध्यबिंदु को परिपक्वता दिनांक के रूप में एवं औसत प्राप्ति को कूपन के रूप में तथा भुनाई प्रयोजन के लिए बाजार दर को लेकर परिचालित की जाती है। निवेशों के लिए, वास्तविक अवधि ली जाती है, जैसा कि डाटा संपूर्ण ब्योरों सहित उपलब्ध रहता है। निवेशों के संबंध में इस प्रयोग के लिए एएफएस एवं एचएफटी संविभागों को अलग रखा जाता है, जैसा कि बैंकिंग बही में आईआरआर पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

उक्त के उपयोग से, प्रत्येक बकेट के लिए देयताओं और आस्तियों की आशोधित अवधि परिकलित की जाती है और ब्याज दर में 1% से परिवर्तन के लिए उनके मूल्य पर प्रभाव माना जाता है। उसमें जोड़कर निवल स्थिति परिकलित की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि है या अन्यथा।

धारणाएँ :

i. समस्त टाईम बकेट और समस्त आस्तियों के लिए ब्याज दर सभी समान रूप से चालित होता है।

ii. मांग जमा राशियों-बचत तथा चालू के संदर्भ में इसे भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसरण में स्ट्रेस परीक्षण पर विभाजित किया जाता है।

iii. आम तौर पर, बैंक आईआरआरबीबी की गणना करते समय कूपन दर/भुनाई दर का चयन/परिपक्वता तारीख के रूप में प्रत्येक टाईम बकेट के मध्यबिंदु, को लेना आदि सहित रिज़र्व बैंक के तनाव परीक्षा संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करता है।

iv. बीपीएलआर लिंकड अग्रिमों/ हॉस रेट के पुनर्मूल्य निर्धारण को 3 से 6 माह के बकेट में लिया गया है।

बी. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी) तथा बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि., बीओआई (न्यूजिलैंड) लि. (अनुषंगियां) तथा बैंक ऑफ इंडिया युगांडा लि.

बैंक अपनी वित्तीय स्थिति एवं नकदी प्रवाह पर बाजार ब्याज दरों के वर्तमान स्तरों में अस्थिरता के प्रभाव सहित शामिल विभिन्न जोखिमों से युक्त है। बाजार प्रवृत्ति में परिवर्तन के साथ-साथ बैंक को जमा राशियों, ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज दर में संशोधन करने का विवेकाधिकार है। इन उपायों के कारण बैंक के ब्याज दर जोखिम का क्षेत्र कम होता है।

II. मात्रात्मक प्रकटन

आईआरआरबीवी मापने के लिए प्रबंधन की प्रणाली के अनुसार उर्ध्वमुखी और अधोमुखी रेट शॉक के लिए उपार्जन और आर्थिक मूल्य (अथवा प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त संबद्ध उपाय) में वृद्धि (ह्रास), मुद्रा द्वारा खंडित (जहां कुल पण्यावर्त के 5% से अधिक पण्यावर्त होता है)

बैंकिंग वही में ब्याज दर जोखिम (बीओआई सोलो)

(₹ मिलियन में)

	कुल	जिसमें से, यूएसडी में (जहाँ कारोबार कुल कारोबार के 5% से अधिक है)
1. जोखिम पर अर्जन (एनएनआई)		
1 वर्ष के लिए 0.50% परिवर्तन	3434.04	445.95
2. जोखिम पर ईक्विटी का आर्थिक मूल्य		
200 हॉसिक पॉईंट शॉक	11425.06	-11576.05
%ता के रूप में इक्विटी मूल्य में कमी	5.32%	-5.39%

तालिका - डीएफ 10 -
प्रतिपक्षी ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोज़र के लिए सामान्य प्रकटन

I गुणात्मक प्रकटन

बैंक तुलन पत्र की मदों के साथ प्रतिपक्षी कारोबार के उद्देश्य से हैजिंग के लिए व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करता है। व्युत्पन्न परिचालन के जोखिम प्रबंधन के शीर्ष में वरिष्ठ कार्यपालक रहते हैं जो उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट करते है, यह लाइन कार्यों से स्वतंत्र है। ट्रेडिंग की स्थिति दैनंदिन आधार पर बाज़ार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है (मार्कड टू मार्केट)

जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा व्युत्पन्न नीति बनाई जाती है जिसमें ऋण जोखिम और बाजार जोखिम को आंकना शामिल है।

तुलन पत्र प्रबंधन के लिए हैज़ संव्यवहार किया जाता है जोखिमों के सही रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए उचित प्रणाली है।

हैजिंग की नीति और उसकी निगरानी की प्रक्रिया भी उसी प्रकार से है।

हैज तथा गैर-हैज़ संवयवहारों को रिकार्ड करने के लिए लेखांकन नीति है जिसमें आय, प्रीमियम और छूट का निर्धारण शामिल है। बकाया संविदा, प्रावधानीकरण, संमार्श्विक और जोखिम न्यूनीकरण का मूल्यांकन किया जा रहा है।

कंरट एक्सपोज़र मेथोडोलज़ी (सीईएम) के अनुरूप क्रेडिट समतुल्य अथवा ईएडी परिकलित की गई है। संभाव्य एक्सपोज़र का परिकलन क्रेडिट कनव. र्जन फैक्टर के साथ कल्पित मूलधन को गुणा करके किया जाता है। प्रतिस्थापन लागत सकारात्मक बाजार मूल्य है। चालू एक्सपोज़र प्रतिस्थापन लागत के समान है। क्रेडिट समतुल्य अथवा ईएडी संभाव्य एक्सपोज़र और चालू एक्सपोज़र का जोड़ है।

II गुणात्मक प्रकटन

संविदाओं का सकल सकारात्मक उचित मूल्य,लाभ की निवल राशि, चालू ऋण एक्सपोज़र की निवल राशि, धारित संपार्श्विक (यथा नकदी,सरकारी प्रतिभूतियां आदि प्रकार सहित) और निवल व्युत्पन्न ऋण एक्सपोज़र । इसमें चूक वाले एक्सपोज़र के लिए उपाय की रिपोर्ट अथवा सीईएम के तहत एक्सपोज़र राशि भी है। ऋण व्युत्पन्न हेज़ की कल्पित शून्य और ऋण एक्सपो. जर के प्रभार द्वारा चालू ऋण एक्सपोज़र का वितरण।

ऋण व्युत्पन्न संव्यवहार जो सीसीआर (कल्पित मूल्य) में एक्सपोज़र सृजित करती है, संस्था के अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो के साथ प्रयोग किए गए क्रेडिट व्युत्पन्न उत्पादों के वितरण सहित उसकी मध्यवर्ती गतिविधियों के बीच पृथक किया जाता है, जिसे आगे प्रत्येक उत्पाद समूह के मध्य खरीदे और बेचे गए संरक्षण में विखंडित किया जाता है।

(₹ मिलियन में)

काउंटर पार्टी ऋण जोखिम (सीसीआर)	
कल्पित मूलधन रकम	855,667.09
संभाव्य एक्सपोज़र	16,944.55
प्रतिस्थापन लागत	13,510.33
चालू एवमसपोज़र	13,510.33
क्रेडिट समतुल्य अथवा ईएडी	30,454.89
आरडब्ल्यूए	7,310.97
पूँजी प्रभार	584.88

(₹ मिलियन में)

मदें	कल्पित रकम	चालू ऋण एक्सपोज़र	क्रेडिट समतुल्य
मुद्रा विकल्प	80.95	23.45	25.07
क्रॉस सीसीवाई ब्याज दर स्वैप	19,715.33	362.28	2,107.51
वायदा दर करार			
ब्याज दर भविष्य			
ऋण चूक स्वैप			
एकल सीसीवाई ब्याज दर स्वैप	29,187.09	5,696.95	7,157.94
कुल	48,983.37	6,082.68	9,290.51

तालिका डीएफ -11
पूंजी का विन्यास

(₹ मिलियन में)

	बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट जिनका प्रयोग विनियामक समायोजन में परिवर्तन के दौरान किया जाएगा (अर्थात 1 अपैल 2013 से 31 दिसम्बर 2017 तक)	₹ मिलियन में
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत तथा आरक्षित	
1	प्रत्यक्ष जारी विशेषक सामान्य शेयर पूंजी के साथ संबंधित अतिरिक्त स्टॉक (शेयर प्रीमियम)	179259.69
2	प्रतिधारित उपार्जन	117412.06
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षितियां)	0.00
4	*सीईटी 1 से फेस आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी (केवल गैर- संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए लागू)*	
	सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी लगाना जिसकी देखरेख 1 जनवरी 2018 तक की जाएगी	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी और थर्ड पार्टियों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (ग्रूप सीईटी 1 में अनुमत रकम)	979.96
6	**विनियामक समायोजन के पहले सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी**	**297651.71**
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	
9	बंधक सर्विसिंग अधिकारों को छोड़कर अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)	2,142.37
10	आस्थगित कर आस्तियां	3282.11
11	नकदी प्रवाह हैज आरक्षित	
12	अपेक्षित हानि के प्रावधान में कमी	
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ	
14	उचित मूल्य देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानियां	
15	परिनिश्चित- लाभ पेंशन फंड निवल आस्तियां	
16	अपने शेयरों में निवेश (रिपोर्ट की गई तुलन-पत्र में यदि पहले ही प्रदत्त पूंजी समायोजित न किया गया हो)	
17	सामान्य इक्विटी में पारस्परिक क्रॉस-धारिता	1720.95
18	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी शेयर पूंजी के अधिकतम 10% का स्वामित्व बैंक का है (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	
19	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के कॉमन स्टाक में महत्वपूर्ण निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	
21	अस्थायी अंतरों से उभरे आस्थगित कर आस्तियां (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि, कर देयता से संबंधित का समायोजन)	
22	15% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि	
23	जिसमें से: वित्तीय संस्थाओं के कॉमन स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	
24	जिसमें से : बंधक सर्विसिंग अधिकार	
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरो से उभरे आस्थगित कर आस्तियां	
26	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन ((26ए + 26बी + 26सी + 26डी)	
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों के इक्विटी पूंजी में निवेश	960.00
26बी	जिसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों के इक्विटी पूंजी में निवेश	0
26सी	जिसमें से: बहुलांश स्वामित्व वित्तीय संस्थाएं जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है के इक्विटी पूंजी में कमी	0

बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट जिनका प्रयोग विनियामक समायोजन में परिवर्तन के दौरान किया जाएगा (अर्थात 1 अपैल 2013 से 31 दिसम्बर 2017 तक)		₹ मिलियन में
26डी	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय पूर्व बासेल III व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में सामान्य इक्विटी टियर 1 पर लगाएं गए विनियामक समायोजन।	
	जिसमें से: *समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.*	
	उदाहरण के लिए: एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर अप्राप्त हानियों को फिल्टर किया जाना (भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोई संबंध नहीं)	
	जिसमें से: समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.	
	जिसमें से : समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें .	
27	कटौतियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टियर 1 पर लगाए गए विनियामक समायोजन	
28	**सामान्य इक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन**	**8105.42**
29	**सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1)**	**289546.29**
	अतिरिक्त इक्विटी टियर 1 पूंजी: लिखतें	
30	प्रत्यक्ष जारी सापेक्ष अतिरिक्त टियर 1 लिखतें के साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष (31 + 32)	25000.00
31	जिसमें से: लागू लेखांकन मानको के तहत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमियादी असंचयी अधिमानी शेयर)	
32	जिसमें से: लागू लेखांकन मानक के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (बेमियादी ऋण लिखत)	
33	अतिरिक्त टियर 1 से फेज़ आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखतें	13477.12
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखतें (और सीईटी 1 लिखत जो रो 5 में शामिल नहीं) (ग्रूप एटी 1 में अनुमत रकम)	
35	*जिसमें से: अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें जो फेज़ आउट के अधीन है।*	
36	**विनियामक समायोजन के पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	**38477.12**
	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन	
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस धारिता	1285.62
39	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी सामान्य शेयर पूंजी के अधिकतम 10% का स्वामित्व बैंक का है (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	120.00
40	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र अधिविक्रय स्थिति को घटाकर)10	
41	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन (41ए + 41बी)	
41ए	असमेकित बीमा अनुषंगियो के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	
41बी	बैंक में समेकित न किए गए बहुलांश स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी।	
	पूर्व-बासेल III व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में अतिरिक्त टियर 1 पर लगाए गए विनियामक समायोजन	
	जिसमें से: समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें यथा डीटीए.	0.00
	जिसमें से: समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें जैसे वर्तमान समायोजन जो टियर 1 से 50% पर कटौती की जाती है)	
	जिसमें से: समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.	
42	कटौतियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 में लगाए गए विनियामक समायोजन	
43	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी पर कुल विनियामक समायोजन**	**1405.62**
44	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1)**	**37071.51**
44ए	पूंजी पर्याप्तता 11 के लिए माना गया अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	**37071.51**
45	**टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44ए)**	**326617.80**

	बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट जिनका प्रयोग विनियामक समायोजन में परिवर्तन के दौरान किया जाएगा (अर्थात 1 अपैल 2013 से 31 दिसम्बर 2017 तक)	₹ मिलियन में
	टियर 2 पूंजी: लिखते एवं प्रावधान	
46	प्रत्यक्ष जारी पात्र टियर 2 लिखतों के साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष	45000.00
47	टियर 2 से फेज़ आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखत	34974.52
48	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्ष द्वारा धारित (ग्रूप टियर 2 में अनुमत राशि) टियर 2 लिखते (और रो 5 अथवा 34 में शामिल न किए गए सीईटी 1 ओर एटी 1 लिखतें)	
49	*जिसमें से: फेज़ आउट के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें*	
50	प्रावधान	23,703.40
51	**विनियामक समायोजन के पहले टियर 2 पूंजी**	**103677.92**
	टियर 2 पूंजी: विनियामक समायोजन	
52	अपने टियर 2 लिखतों में निवेश	
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस-धारिता	689.62
54	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी सामान्य शेयर पूंजी के अधिकतम 10% का स्वामित्व बैंक का है(10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	
55	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र अधिविक्रय की स्थिति को घटाकर)	120.00
56	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन (56ए + 56बी)	
56ए	*जिसमें से:* असमेकित अनुषंगियों के टियर 2 पूंजी में निवेश	
56बी	*जिसमें से:* बैंक में समेकित न किए गए बहुलांश स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में कमी।	
	पूर्व बासेल III व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में टियर 2 पर लगाए गए विनियामक समायोजन	
	जिसमें से: (समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें यथा वर्तमान समायोजन जो 50% पर टियर 2 से कटौती की जा रही है)	
	जिसमें से: (समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें)	
57	**टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	809.62
58	**टियर 2 पूंजी (टी 2)**	**102868.30**
58ए	पूंजी पर्याप्तता 14 के लिए माना गया टियर 2 पूंजी	102868.30
58बी	**एएक्सेस अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जिसे टियर 2 पूंजी माना जाता है।**	**0**
58सी	**पूंपूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी (58ए** + 58बी)	**102868.30**
59	**कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58सी)**	**429486.10**
	पूर्व **बासेल III व्यवहार** के अधीन रकम के संबंध में जोखिम भारित आस्तियां	
	जिसमें से: डसमायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.	
	जिसमें से: %	
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)**	**3470090**
60ए	*जिसमें से:* **कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां**	
60बी	*जिसमें से:* **कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां**	
60सी	*जिसमें से:* **कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां**	
	पूंजी अनुपात	

	बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट जिनका प्रयोग विनियामक समायोजन में परिवर्तन के दौरान किया जाएगा (अर्थात 1 अपैल 2013 से 31 दिसम्बर 2017 तक)	₹ मिलियन में
61	सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	8.34
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.41
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.38
64	संस्था निर्दिष्ट बफ़र आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता के साथ पूंजी संतुलन और प्रतिचक्रीय बफ़र आवश्यकता, जोखिम धारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	
65	*जिसमें से:* **पूंजी संतुलन बफर आवश्यकता**	
66	*जिसमें से:* **बैंक निर्दिष्ट प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता**	
67	*जिसमें से:* **जी-एसआईबी बफर आवश्यकता**	
68	बफर को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम धारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में)	
	राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बासेल III से भिन्न है)	
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न है)	5.5%
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न है)	7%
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल ध्ध्ध न्यूनतम से भिन्न है)	9%
	कटौती के लिए थ्रेसहोल्ड से कम रकम (जोखिम भारिता के पहले)	
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश	
73	वित्तीय संस्थाओं के कॉमन स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता से घटाकर)	
75	अस्थायी अंतरो से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता से घटाकर)	
	टियर 2 में प्रावधान को शामिल करने पर लागू सीमा	
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोज़र के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने के पहले)	29517.38
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधान शामिल करने की सीमा	
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोज़र के संबंध में टियर-2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने के पहले)	
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधान शामिल करने के लिए सीमा	
	फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखत (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू)	
80	*फेज़ आउट व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी 1 लिखतों पर वर्तमान सीमा*	
81	*सीमा के कारण सीईटी 1 से निकाली गई रकम (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा से अतिरिक्त)*	
82	*फेज़ आउट व्यवस्थाओं के अधीन एटी 1 लिखतों पर चालू सीमा*	13477.12
83	*सीमा के कारण एटी 1 से निकाली गई रकम (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा से अतिरिक्त)*	0.00
84	*फेज़ आउट व्यवस्थाओं के अधीन टी 2 लिखतों पर चालू सीमा*	34974.52
85	*सीमा के कारण टी 2 से निकाली गई रकम (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा से अतिरिक्त)*	0.00

तालिका डीएफ-12
पूंजी की संरचना- समाधान संबंधी आवश्यकताएं

(₹ मिलियन में)

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलनपत्र
		यथा रिपोर्टिंग तारीख	यथा रिपोर्टिंग तारीख
ए	**पूंजी एवं देयताएं**		
i	प्रदत्त पूंजी	8,172.92	8,172.92
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	312,247.23	312,229.98
	अल्प संख्यक हित	979.96	979.96
	कुल पूंजी	**321,400.11**	**321,382.86**
ii	जमाराशियां	**5,157,224.80**	**5,157,401.09**
	जिसमें से : **बैंकों से जमाराशियां**	702,157.67	702,157.67
	जिसमें से : **ग्राहकों से जमाराशियां**	4,455,067.13	4,455,243.42
	जिसमें से : **अन्य जमाराशियां (कृ. उल्लेख करें)**	-	-
iii	उधार	**511,032.72**	**511,032.72**
	जिसमें से : **आरबीआई से**	97,550.00	97,550.00
	जिसमें से : **बैंकों से**	24,803.58	24,803.58
	जिसमें से : **अन्य संस्थाओं एवं एजेन्सियों से**	6,061.02	6,061.02
	जिसमें से : **अन्य (कृपया उल्लेख करें)**	229,865.38	229,865.38
	जिसमें से : **पूंजी लिखत**	152,752.74	152,752.74
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	**176,634.72**	**148,954.02**
	कुल	**6,166,292.35**	**6,138,770.69**
बी	आस्तियां		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	342137.22	342,097.43
	बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	652909.96	652,896.24
ii	निवेश:	**1226209.09**	**1,200,618.52**
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	1092042.24	1,083,285.73
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	1981.62	0.00
	जिसमें से : शेयर	16658.31	8,828.79
	जिसमेंसे : **डिबेंचर एवं बॉंड**	60148.38	55,140.38
	जिसमें से :**अनुषंगियां**/संयुक्त उद्यम/**सहयोगी कंपनियां**	13859.99	15,059.99
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक कागज़ात, म्यूचुअल फण्ड इत्यादि)	41518.56	38,303.63
iii	ऋण एवं अगिखम	**3613018.91**	**3,612,969.01**
	जिसमें से : **बैंकों को ऋण एवं अग्रिम**	355850.59	355,850.59
	जिसमें से : **ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम**	3257168.32	3257118.43
iv	अचल आस्तियां	**85728.51**	**85,683.22**
v	अन्य आस्तियां	**246288.67**	**244,506.27**
	जिसमें से : सद्भाव एवं अमूर्त आस्तियां	-	-
	जिसमें से : आस्थगित कर देयता	27818.63	27,818.63
vi	समेकन पर सद्भाव	-	-
vii	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	-	-
	कुल आस्तियां	**6166292.35**	**6138770.69**

चरण -2

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलनपत्र
		यथा रिपोर्टिंग तारीख	यथा रिपोर्टिंग तारीख
ए	**पूंजी एवं देयताएं**		
i	प्रदत्त पूंजी	8,172.92	8,172.92
	जिसमें से : सीईटी 1 हेतु पात्र राशि		
	जिसमें से : एटी 1 हेतु पात्र राशि		
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	312,247.23	312,229.98
	अल्प संख्यक हित	979.96	979.96
	कुल पूंजी	321,400.11	321,382.86
ii	जमाराशियां	5,157,224.80	5,157,401.09
	जिसमें से : **बैंकों से जमाराशियां**	702,157.67	702,157.67
	जिसमें से : **ग्राहकों से जमाराशियां**	4,455,067.13	4,455,243.42
	जिसमें से : **अन्य जमाराशियां** (कृपया उल्लेख करें)	-	-
iii	उधार	511,032.72	511,032.72
	जिसमें से : आरबीआई से	97,550.00	97,550.00
	जिसमें से : बैंकों से	24,803.58	24,803.58
	जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेन्सियों से	6,061.02	6,061.02
	जिसमें से : अन्य (कृपया उल्लेख करें)	229,865.38	229,865.38
	जिसमें से : पूंजी लिखत	152,752.74	152,752.74
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	176,634.72	148,954.02
	जिसमें से : सद्भाव से संबंधित डीटीएल		0.00
	जिसमें से : अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल		0.00
	कुल **आस्तियां**	6,166,292.35	6,138,770.69
i	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष		
	बैंकों में शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	342137.22	342097.43
ii	निवेश:	652909.96	652896.24
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	1226209.09	1200618.52
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	1092042.24	1083285.73
	जिसमें से : शेयर	1981.62	0.00
	जिसमेंसे : **डिबेंचर एवं बॉंड**	16658.31	8828.79
	जिसमें से : **अनुषंगियां**/संयुक्त उद्यम/**सहयोगी कंपनियां**	60148.38	55140.38
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक कागज़ात, म्यूचुअल फण्ड इत्यादि)	13859.99	15059.99
iii	ऋण एवं अग्रिम	41518.56	38303.63
	जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	3613018.91	3612969.01
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	355850.59	355850.59
iv	अचल आस्तियां	3257168.32	3257118.43

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलनपत्र
		यथा रिपोर्टिंग तारीख	यथा रिपोर्टिंग तारीख
v	अन्य आस्तियां		
	जिसमें से:सद्भाव एवं अमूर्त आस्तियां	85728.51	85683.22
	जिसमें से :	246288.67	244506.27
	सद्भाव		
	(अन्य अमूर्तियाँ (एमएसआरएस को छोड़कर)		
	आस्थिगित करदेयता		
vi	समेकन पर सद्भाव		
vii	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	27818.63	27818.63
	कुल आस्तियां		

चरण -3

	आम इक्विटी टियर 1 पूंजी :लिखत एवं आरक्षितियां		
		बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया विनियामक पूंजी का अंश	चरण 2 से विनियामक के समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलन पत्र के संदर्भ संख्या/पत्रों पर आधारित स्रोत
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी किए गए पात्र आम शेयर (और गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी तथा साथ में संबंधित स्टॉक अधिशेष	179259.69	ई
2	प्रतिधारित अर्जन	117412.06	
3	संचित अन्य समेकित आय (एवं अन्य आरक्षितियां)	0.00	
4	सीईटी 1 से फेस आउट की शर्त के अध्यधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी (केवल संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं थर्ड पार्टियों द्वारा धारित आम शेयर पूंजी(ग्रूप सीईटी 1 में अनुमत राशि)		
6	विनियामक समायोजनों से पूर्व आम इक्विटी टियर 1 पूंजी	979.96	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन		
8	सद्भाव (संबंधित कर देयता का निवल)	297651.71	ए-सी

तालिका डीएफ-13

विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया
2	यूनीक आईडेन्टिफायर (इझ्द्ध निजी प्लेस्मेंट के हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग आईडेन्टिफायर)	INE084A09126	INE084A09134	INE084A09142	INE084A09167	INE084A09191	INE084A09225	INE084A08052
3	लिखत के शासी निकाम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम
	विनियामक व्यवहार							
4	संक्रामणकालीन बासेल III नियम	एटी 1	एटी 1	एटी 1	एटी 1	एटी 1	एटी 1	एटी 1
5	संक्रामणकाल- उपरांत बासेल III नियम	एटी 1	एटी 1	एटी 1	एटी 1	एटी 1	एटी 1	एटी 1
6	सोलो/ग्रुप/ग्रुप एवं सोलो में पात्र	सोलो और ग्रुप	सोलो और ग्रुप	सोलो और ग्रुप	सोलो और ग्रुप	सोलो और ग्रुप	सोलो और ग्रुप	सोलो और ग्रुप
7	लिखत प्रभार	सर्वकालिक ऋण	सर्वकालिक ऋण	सर्वकालिक ऋण	सर्वकालिक ऋण	सर्वकालिक ऋण	सर्वकालिक ऋण	सर्वकालिक ऋण
8	विनियात्कम पूंजी में मान्य की गई राशि (₹ मिलियन में, यथा सबसे हाल की रिपोर्टिंग तारीख)	2,800	700	1,085	2,800	2,275	2,100	25000
9	लिखत का सममूल्य (₹ मिलियन)	4,000	1,000	1,550	4,000	3,250	3,000	25000
10	लेखांकन वर्गीकरण उधार	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार
11	जारी किए जाने की मूल तारीख	27.07.2007	27.09.2007	11.10.2007	10.02.2009	09.12.2009	09.09.2010	08.08.2014
12	दिनांकित का सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक
13	मूल परिपक्वता तारीख	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक
14	के पहले इश्यूअर कॉल	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
15	मूल कॉल तारीख, आयस्मिक कॉल तारीख और मोचन	कॉल ऑपशन की तारीख 27.07.2017 मोचन समतुल्य पर	कॉल ऑपशन की तारीख 27.09.2017 मोचन समतुल्य पर	कॉल ऑपशन की तारीख 11.10.2017 मोचन समतुल्य पर	कॉल ऑपशन की तारीख 10.02.2019 मोचन समतुल्य पर	कॉल ऑपशन की तारीख 09.12.2019 मोचन समतुल्य पर	कॉल ऑपशन की तारीख 09.09.2020 मोचन समतुल्य पर	कॉल ऑपशन की तारीख 08.08.2024 मोचन समतुल्य पर
16	तदुपरांत की कॉल तारीखें, अगर लागू हों	वर्ष गांठ पर 27.07.2017	वर्ष गांठ पर 27.09.2017	वर्ष गांठ पर 11.10.2017	वर्ष गांठ पर 10.02.2019	09.12.2019 के	27.07.2017 के	08.08.2024 के
	कूपन/डिविडेंड	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन
17	स्थिर या फ्लोटिंग / कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित इंडेक्स	कॉलसेपहले 10.55% कॉल के प्रयोग न होने पर 11.05%	कॉल से पहले 10.45% कॉल के प्रयोग न होने पर10.95%	कॉल से पहले 10.40% कॉल के प्रयोग न होने पर10.90%	कॉल से पहले 8.90% कॉल के प्रयोग न होने पर9.40%	कॉल से पहले9.00% कॉल के प्रयोग न होने पर 9.50%	कॉल से पहले 9.05% कॉल के प्रयोग न होने पर 9.55%	
19	डिविडेन्ड स्टॉपर की उपलब्धता	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
20	पूर्णत: विवेकपूर्ण, आंशिकरूप से विवेकपूर्ण या अनिवार्य	आंशिक रूप से विवेकाधीन	आंशिक रूप से विवेकाधीन	आंशिक रूप से विवेकाधीन	ईृंत्त्ब अेमूग्द लागू नहींब	आंशिक रूप से विवेकाधीन	आंशिक रूप से विवेकाधीन	पूर्ण रूप से विवेकाधीन
21	मोचन हेतु स्टेप अप या अन्य किसी प्रोत्साहन की उपलब्धता	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	
22	गैर-संचयी या संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	अगर परिवर्तनीय हो तो, कन्वर्ज़न ट्रिगर्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	अगर परिवर्तनीय हो तो, पूर्णत: या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	अगर परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

27	अगर परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन अनिवार्य है या वैकल्पिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	अगर परिवर्तनीका हो तो, किसी पखकार वेढ लिखत में परिवर्तन किसर जाएगा उल्लेख करें।लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	अगर परिवर्तनीय हो तो, जिस लिखत में परिवर्तित होगा उसके जारी कर्ता का उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशेषता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
31	अगर राइट डाउन हो तो, राइट डाउन ट्रिगर्स।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	इश्न्ड ऊगी
32	अगर राइट डाउन हो तो, पूर्णत: है या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	ॅहब
33	अगर राइट डाउन हो तो, वह स्थायी है या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	झीर्स्हाहू
34	अगर राइट डाउन हो तो, राइट अप तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	पोजीशयन इन सबऑर्डिनेशन हाइरार्कि (लिखत के प्रकार का तत्काल उल्लेख करें)	सर्वकालिक ऋण	सर्वकालिक ऋण	सर्वकालिक ऋण	सर्वकालिक ऋण	सर्वकालिक ऋण	सर्वकालिक ऋण	सर्वकालिक ऋण
36	गैर-अनुपालित पारगमन विशेषता	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
37	अगर हाँ, तो कृपया गैर-कम्प्लायंट विशेषताओं का उल्लेख करें	कोई हानि समावेश नहीं विशेषता	कोई हानि समावेश नहीं विशेषता	कोई हानि समावेश नहीं विशेषता	कोई हानि समावेश नहीं विशेषता	कोई हानि समावेश नहीं विशेषता	कोई हानि समावेश नहीं विशेषता	लागू नहीं

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया
2	यूनीक आईडेन्टिफायर (इ्ड्द्धङ् निजी प्लेस्मेंट के हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग आईडेन्टिफायर)	INE084A01016	INE084A09100	INE084A08060
3	लिखत के शासकीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम
	विनियामक व्यवहार			
4	संक्रामणकालीन बासेल III नियम	सीईटी 1	टियर 2	टियर 2
5	संक्रामणकाल- उपरांत बासेल III नियम	सीईटी 1	अपात्र	पात्र
6	सोलो/ग्रूप/ग्रूप एवं सोलो में पात्र	सोलो और ग्रूप	सोलो और ग्रूप	सोलो और ग्रूप
7	लिखत प्रभार शेयर	सर्वकालिक ऋण	लोअर टियर 2 लिखत	टियर 2 ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में मान्य की गई राशि (₹ मिलियन में, यथा सबसे हाल की रिपोर्टिंग तारीख)	6649	400	30,000
9	लिखत का सममूल्य (रु.मिलियन)	लागू नहीं	2,000	30,000
10	लेखांकन वर्गीकरण इक्विटी शेयर	इक्विटी शेयर	उधार	उधार
11	जारी किए जाने की मूल तारीख विभिन्न	विभिन्न	20/03/2006	31/12/2015
12	दिनांकित काा सर्वकालिक	सर्वकालिक	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तारीख	लागू नहीं	20/06/2016	31/12/2025
14	पर्यवेक्षी अनुमोदन के पहले इश्काूअर कॉल	नहीं	नहीं	नहीं
15	मूल कॉल तारीख, आयस्मिक कॉल तारीख और मोचन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
16	तदुपरांत की कॉल तारीखें, अगर लागू हों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

	कूपन /डिविडेंड	लाभांश कूपन	वूढपन कूपन	कूपन
17	स्थिर या फलोटिंग लाभांश /कूपन	लागू नहीं	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित इंडेक्स	लागू नहीं	8.00%	8.52%
19	डिविडेन्ड स्टॉपर की उपलब्धता	लागू नहीं	हाँ	हाँ
20	पूर्णत: विवेकपूर्ण, आंशिकरूप से विवेकपूर्ण या अनिवार्य	लागू नहीं	अनिवार्य	इल्त्त्ठ अ्रेंमुद लागू नहींॅ
21	मोचन हेतु स्टेप अप या अन्य किसी प्रोत्साहन की उपलब्धता	नहीं	नहीं	नहीं
22	गैर-संचयी या संचयी	गैर संएेंकाीसंचयी	संएेंकाीगैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	लागू नहीं	अपरिवर्तनीय	गैर-ण्दहनूंत
24	अगर परिवर्तनीय हो तो, कन्वर्ज़न ट्रिगर्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	अगर परिवर्तनीय हो तो, पूर्णत: या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	अगर परिवर्तनीका हो तो, परिवर्तन दरलागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	अगर परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन अनिवार्य है या वैकल्पिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	अगर परिवर्तनीय हो तो, किसी प्रकार के लिखत में परिवर्तन का उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	अगर परिवर्तनीय हो तो, जिस लिखत में परिवर्तित होगा उसके जारीकर्ता का उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशेषता	नहीं	नहीं	हाँ
31	अगर राइट डाउन हो तो, राइट डाउन ट्रिगर ।	लागू नहीं	लागू नहीं	आरबीआई द्वारा निर्णय लिया गया
32	अगर राइट डाउन हो तो, पूर्णत: है या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	आरबीआई द्वारा निर्णय लिया गया
33	अगर राइट डाउन हो तो, वह स्थायी है या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	आरबीआई द्वारा निर्णय लिया गया
34	अगर राइट डाउन हो तो, राइट अप तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	पोजीशयन इन सबऑर्डिनेशन हाइरार्कि (लिखत से तुरंत वरिष्ठ लिखत के प्रकार का उल्लेख करें।	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता और लेनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता और लेनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता और लेनदार
36	गैर-अनुपालित पारगमन विशेषता	नहीं	हाँ	संकलित
37	अगर हाँ, तो कृपया गैर-कम्प्लायंट खूबियों का उल्लेख करें	लागू नहीं	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता और लेनदार	--

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया
2	विशिष्ट अभिज्ञापक(उदा. निजी स्थापन के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा ब्लूमबर्ग अभिज्ञापक)	INE084A09118	INE084A09159	INE084A09175	INE084A09183	INE084A09209	INE084A09217
3	लिखत का शासी विधिभारतीय विधि	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम
	नियामक संसाधन						
4	परिवर्ती पूर्ण हॉसल III नियम	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5	परिवर्ती पूर्ण हॉसल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल/समूह/समूह और एकल पात्रएकल और समूह	सोलो और ग्रूप	सोलो और ग्रूप	सोलो और ग्रूप	सोलो और ग्रूप	सोलो और ग्रूप	सोलो और ग्रूप
7	लिखत प्रकार	अपर टियर 2 पूंची लिखत	अपर टियर 2 पूंची लिखत	अपर टियर 2 पूंची लिखत	अपर टियर 2 पूंची लिखत	अपर टियर 2 पूंची लिखत	अपर टियर 2 पूंची लिखत

8	नियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि में रु मिलीयन में)	5,124	3,500	3,500	3,500	7,000	7,000
9	लिखत का सममूल्य(रु मिलीयन में.....	7,320	5,000	5,000	5,000	10,000	10,000
10	वर्गीकृत लेखांकन (रु.मिली.)	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	31/07/2006	16/10/2008	28/07/2009	28/08/2009	20/01/2010	11/06/2010
12	बेमियादी काा दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	परिपक्वता की मूल तिथि	31/07/2021	16/10/2023	28/07/2024	28/08/2024	20/01/2025	10/06/2025
14	पर्यवेक्षकीय एवं अनुमोदन के अध्यधीन जारीकर्ता बोली	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
15	वैकल्पिक बोली तिथि आकस्मिक बोली तिथी तथा प्रतिदान राशि	31/07/2016	16/10/2018	28/07/2019	28/08/2019	20/01/2020	11/06/2020
16	यदि लागू हो तो, अनुवर्ती बोली तिथि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन/लाभांश	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूची	9.35%	11.15%	8.45%	8.50%	8.54%	8.48%
19	लाभांश रोधक की स्थिति	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
20	पूर्ण विवेकाधीन आंशिक विवेकाधीन अथवा अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	संरचना की स्थिति अथवा अन्य प्रोत्साहन मोचन	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	संचयी	संचयी	संचयी	संचयी	संचयी	संचयी
23	परिवर्तनीय का अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतया या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनाय है तो, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवतर्जन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार को स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनाय लिखत जारीकर्ता को स्पष्ट करें जिसमें यह परिवर्तन होगा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशिष्टताएं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि राइट डाउन हैं तो, राइट डाउन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि राइट डाउन है तो पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि राइट डाउन है तो स्थायी या अस्थाई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी राइट डाउन तो लेखन प्रणाली का वर्णन-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	ऋणमुक्ति में अधीनस्थ तारतम्यता की स्थिति (लिखत प्रकार को तत्काल वरिष्ठ को स्पष्ट करें)	जमाकर्ता और लेनदार बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार	जमाकर्ता और लेनदार बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार	जमाकर्ता और लेनदार बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार	जमाकर्ता और लेनदार बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार	जमाकर्ता और लेनदार बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार	जमाकर्ता और लेनदार बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार
36	गैर-अनुपालित पारगमन विशिॉताएं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
37	यदि हां तो गैर-अनुवर्ती विशेषताओं को स्पष्ट करें	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं

1	जारीकर्ता बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया
2	विशिष्ट अभिज्ञापक (उदा.निजी स्थापन के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा ब्लूमबर्ग अभिज्ञापक)	INE084A08037	INE084A08045
3	लिखत का शासी विधि भारतीय विधि	भारतीय नियम	भारतीय नियम
	नियामक प्रबंध्		
4	परिवर्ती पूर्ण हॉसल ।।। निकाम टियर 2	ऊगे 2	ऊगे 2
5	परिवर्ती पूर्ण हॉसल ।।। निकाम पात्रता	पात्रता	पात्रता
6	एकल/समूह/समूह और एकल पात्र सोलो व ग्रुप	सोलो और ग्रूप	सोलो और ग्रूप
7	लिखत पखकार टियर2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत
8	नियामक पूंजी में स्वीकृत राशि(अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि में रू. मिलीयन में)	10,000	5,000
9	सममूल्य के लिखत (रु. मिलीयन)	10,000	5,000
10	वर्गीकृत लेखांकन	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	25/09/2013	30/09/2013
12	**वेमियादी या दिनांकित**	दिनांकित	दिनांकित
13	**परिपक्वता की मूल तिथि**	25/09/2023	30/09/2023
14	पर्यवेक्षकीय पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन जारीकर्ता बोली	नहीं	नहीं
15	वैकल्पिक बोली तिथि आकस्मिक बोली तिथी तथा प्रतिदान राशि	लागू नहीं	लागू नहीं
16	**यादि लागू हो तो, अनुवर्ती बोली तिथि**	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन/लाभांश	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/कूपनस्थित	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूची	9.80%	9.80%
19	लाभांश रोधक की स्थिति	हाँ	हाँ
20	**पूर्ण विवेकाधीन आंशिक विवेकाधीन अथवा अनिवार्य**	पूर्ण विवेकाधीन	पूर्ण विवेकाधीन
21	संरचना की स्थिति अथवा प्रोत्साहन मोचन	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	गैर- संचयी	गैर- संचयी
23	परिवर्तनाय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतया या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार को स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, लिखत जारीकर्ता को स्पष्ट करें जिसमें यह परिवर्तन होगा	लागू नहीं	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशिषताएं	हाँ	हाँ
31	यदि राइट डाउन हैं तो, राइट डाउन ट्रिगर	आरबीआई द्वारा निर्णय लिया गया	आरबीआई द्वारा निर्णय लिया गया
32	यदि राइट डाउन है तो पूर्ण या आंशिक	आरबीआई द्वारा निर्णय लिया गया	आरबीआई द्वारा निर्णय लिया गया
33	यदि राइट डाउन है तो स्थायी या अस्थाई	आरबीआई द्वारा निर्णय लिया गया	आरबीआई द्वारा निर्णय लिया गया
34	यदि अस्थायी राइट डाउन तो लेखन प्रणाली का वर्णन-	लागू नहीं	लागू नहीं
35	ऋणमुक्ति में अधीनस्थ तारतम्यता की स्थिति	बैंक के अन्य सभी लेनदार और देनदार	बैंक के अन्य सभी लेनदार और देनदार
36	गैर-अनुवर्ती परिवर्तन विशिष्टतायें	हॉसल III	हॉसल III
37	यदि हां तो गैर - अनुवर्ती विशिष्टताओं को स्पष्ट करें	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं

विनियामक पूंजी लिखत की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेंप्लेट		
1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ़ इंडिया, थ्दहदहॅहम्
2	यूनीक आईडेन्टिफायर (जैसे - निजी प्लेसमेंट के हेतुसीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग आईडेन्टिफायर)	XS0268226536
3	लिखत के शासी नियम	अंगरेजी
	विनियामक व्यवहार	
4	संक्रामणकालीन बासेल III नियम	टियर 2
5	संक्रामणकाल- उपरांत बासेल III नियम	पात्रता
6	सोलो/ग्रूप/ग्रूप एवं सोलो में पात्र	सोलो एवं ग्रुप
7	लिखत प्रभार	अपर टियर 2
8	विनियामक पूंजी में मान्य की गई राशि (रु. मिलियन में, यथा सबसे हाल की रिपोर्टिंग तारीख)	यूएसडी 216 मिलियन
9	लिखत का सममूल्य (रु.मिलियन)	यूएसडी 216 मिलियन
10	लेखांकन वर्गीकरण	**डऋण.**
11	जारी किए जाने की मूल तारीख	**14 सितम्बर 2016**
12	दिनांकित काा सर्वकालिक दिनांक	**दिनांक**
13	मूल परिपक्वता तारीख	**22 सितम्बर 2021**
14	के पहले इश्यूअर कॉल	**हां**
15	मूल कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख और मोचन	**22 सितम्बर 2016**
16	तदुपरांत की कॉल तारीखें, अगर लागू हों	**22 सितम्बर 2016 के बाद प्रत्येक कूपन की तारीख एाज 2016**
	कूपन/डिविडेंड	
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित इन्डेक्स	6.625%
19	डिविडेन्ड स्टॉपर की उपलब्धता	लागू नहीं
20	पूर्णत: विवेकपूर्ण, आंशिकरूप से विवेकपूर्ण या अनिवार्य	आंशिकरूप से विवेकपूर्ण
21	मोचन हेतु स्टेप अप या अन्य किसी प्रोत्साहन की उपलब्धता	आगे आना
22	गैर-संचयी या संचयी	संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	अगर परिवर्तनीय हो तो, कन्वर्ज़न ट्रिगर्स	लागू नहीं
25	अगर परिवर्तनीय हो तो, पूर्णत: या आंशिक	लागू नहीं
26	अगर परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन दरलागू नहीं	लागू नहीं
27	अगर परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन अनिवार्य है या वैकल्पिक	लागू नहीं
28	अगर परिवर्तनीय हो तो, किसी पखकार वेढ लिखत में परिवर्तन किसर जाएगा उल्लेख करें।	लागू नहीं
29	अगर परिवर्तनीय हो तो, जिस लिखत में परिवर्तन होगा उसे जारीकर्ता का उल्लेख करें।	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशेषता	लागू नहीं
31	अगर राइट डाउन हो तो, राइट डाउन ट्रिगर।	लागू नहीं
32	अगर राइट डाउन हो तो, पूर्णत: है या आंशिक	लागू नहीं
33	अगर राइट डाउन हो तो, वह स्थायी है या अस्थायी	लागू नहीं
34	अगर राइट डाउन हो तो, राइट अप तंत्र का विवरण	लागू नहीं
35	पोजीशयन इन सबऑर्डिनेशन हाइरार्कि (लिखत के प्रकार का तत्काल उल्लेख करें)	अधिमान एवं इक्विटी शेयर होल्डर
36	गैर-अनुपालित पारगमन विशेषता	हाँ
37	अगर हाँ, तो कृपया गैर-कम्प्लायंट विशेषताओं का उल्लेख करें	1. कॉल तारीख पर स्टेप अप शामिल 2. कूपन आस्थगित और संचयी है 3. पीओएनवी पर प्रमुख हानि खपाना शामिल है

तालिका डीएफ -14
विनियामक पूंजी लिखतों के सम्पूर्ण निबंधन एवं शर्तें

हमारे वेबसाइट पर विनियामक प्रकटन खंड के अंतर्गत पृथक प्रकटन ।

तालिका डीएफ : -15
परिश्रमिक के लिए प्रकटन की आवश्यकता

निदेशक मण्डल और उच्चतम कार्यपालको के पारिश्रमिक का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। इसके अतिरिक्त पुर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना है। यह योजना स्टेटमेन्ट ऑफ इन्टेन्ट (एसओआई) के आधार पर बनाई गई है जो भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित है।

तालिका डीएफ: -16
बैंकिंग बहियों के लिए इक्विटी का प्रकटन

(₹ मिलियन में रकम)

	गुणात्मक प्रकटन	
1.	इक्विटी जोखिम से संबंधित सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता (इस अनुलग्नक का पैरा 2.1 जिसमें शामिल है :)	
	धारित जिस पर अभिलाभ अपेक्षित है और वे जो अन्य उद्देश्यों के लिए गए है के बीच अंतर जिसमें संपर्क और कार्यनीतिक कारण शामिल हैं, और	बैंकिंग बही में सभी इक्विटी निवेश अनुषंगी/संयुक्त उद्यम और सहयोगियों में किए गए हैं।
	बैंकिंग बही में इक्विटी धारिता के मूल्यांकन और लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों पर विचार विमर्श। इसमें प्रयोग लेखांकन तकनीक और मूल्यांकन पद्धति शामिल है साथ ही मुख्य धारणाएं और मूल्यांकन प्रभावित करने वाली पद्धति के साथ इन पद्धतियों में परिवर्तन भी शामिल है।	'परिपक्वता पर धारित" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश मार्कड टू मार्केट होने की आवश्यकता नहीं है और अंकित मूल्य से अधिक न होने पर इसे अधिग्रहण लागत पर लिया जाएगा,जिसमें प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाना चाहिए। चूंकि बैंक लगातार लेखांकन के लिए भारित औसत लागत की पद्धति का प्रयोग कर रहा है, डब्ल्यूएसी सिफ्टिंग के प्रयोजन हेतु अधिग्रहण लागत और साथही परिशोधन के लिए प्रीमियम की गणना है। बैंक अस्थायी को छोड़कर परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत निवेश के मूल्य पर किसी भी ह्रास को मान्यता दे रहा है और उपलब्ध करवा रहा है। ऐसा ह्रास प्रत्येक निवेश के लिए एक-एक करके निर्धारित किया जाएग।
	मात्रात्मक प्रकटन	
1.	निवेश के तुलन पत्र में प्रकट किए गए मूल्य के साथ-साथ उन निवेशों का उचित मूल्य, उद्धृत शेयर मूल्य से तुलना जहां शेयर मूल्य भौतिक रूप से उचित मूल्य से भिन्न है।	
	निवेश का बही मूल्य	12,053.00
	तुलन पत्र के अनुसार बही मूल्य	12,034.40
2.	निवेश के प्रकार और प्रकृति, जिसमें निम्नानुसार श्रेणीकृत की जाने वाली राशि शामिल है :	
	- सार्वजनिक रूप से व्यापार ;	
	- निजी रूप से धारित	12,034.40
3.	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री और परिसमापन से उत्पन्न संचयी प्राप्त लाभ (हानि).	
4.	कुल अप्राप्य लाभ (हानि) 13	
5.	कुल प्रकट पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानि)14	
6.	उपरोक्त में से कोई राशि टियर 1 और/या टियर 2 पूंजी में शामिल	
7.	उचित इक्विटी ग्रूपिंग द्वारा विघटित पूंजी आवश्यकताएं, बैंक की पद्धति के साथ समनुरूप के साथ-साथ संकलित राशि और इक्विटी निवेशों का प्रकार बशर्ते कि पर्यवेक्षी ट्रैन्जिशन या विनियामक पूंजी आवश्यकताओं से संबंधित प्रावधान की देखभाल.	लागू नहीं

तालिका डीएफ 17
लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र उपाय का सारांश

	मद	(₹ मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल समेकित आस्तियसां	6166292.35
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा और वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेशके लिए समायोजन जिसका लेखांकन उद्देश्य के लिए समेकन किया जाता है लेकिन विनियामक समेकन की सीमा के बाहर है।	(-) 7368.70
3	परिचालन लेखा फ्रेमवर्क के अनुसरण में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन लेकिन लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र उपाय में शामिल नहीं	
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	30,460
5	प्रतिभूतियों के वित्तपोषण संव्यवहार के लिए समायोजन (अर्थात रेपो और समान प्रतिभूत उधार)	
6	तुलन पत्र बाहय मदों के लिए समायोजन (अर्थात् तुलन-पत्र बाहय एक्सपोजर के क्रेडिट समतुल्य राशि में परिवर्तन)	618630
7	अन्य समायोजन	0.00
8	**लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र**	6808013.65

तालिका डीएफ -18
लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटन टेम्प्लैट

	मद	लीवरेज अनुपात फ्रेमवर्क (₹ मिलियन में)
	तुलन पत्र के एक्पोज़र	
1	**तुलन पत्र के अंदर के मद (डेरिवेटिव और एसएफटी छोड़कर, लेकिन संपार्श्विक शामिल)**	6166292.35
2	**(बासेल III टियर 1 पूंजी निर्धारण में आस्ति रकम घटाया गया)**	(-) 7368.70
3	**तुलन-पत्र पर कुल एक्सपोज़र (डेरिवेटिव और एसएफटी छोड़कर) (पंक्ति 1 और 2 का जोड़)**	6158923.65
	डेरिवेटिव एक्सपोज़र	
4	**सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों के साथ सम्बद्ध प्रतिस्थापन लागत (अर्थात योग्य नकद अंतर मार्जिन का निवल)**	13,510
5	**सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों के साथ सम्बद्ध पीएफई के लिए एड ऑन रकम**	16,950
6	**परिचालन लेखा फ्रेमवर्क के अनुसरण में तुलन-पत्र आस्ति से घटाये जाने पर दिए गए डेरिवेटिव संपार्श्विक के लिए ग्रॉस अप**	
7	**(डेरिवेटिव संव्यवहार में दिए गए नकद अंतर मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों में कमी)**	
8	**(ग्राहक का छूट प्राप्त सीसीपी लेग - स्पष्ट व्यापार एक्सपोज़र)**	
9	**लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव से समायोजित प्रभावी अनुमानित रकम**	
10	**(लिखत क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित ऑफ सेट और एड ऑन घटाना)**	
11	**कुल डेरिवेटिव एक्सपोज़र (लाइन 4 से 10 का जोड़)**	30,460
	संव्यवहार एक्सपोज़र वित्तपोषित प्रतिभूतियां	
12	**सकल एसएफटी आस्ति (नेटिंग को मान्यता दिए बिना), बिक्री लेखा संव्यवहारो के लिए समायोजन के बाद**	
13	**(सकल एसएफटी आस्तियों के नकद देय और नकद प्राप्य का निवल रकम)**	
14	**एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोज़र**	
15	**एजेंट संव्यवहार एक्सपोज़र**	
16	**कुल प्रतिभूति वित्तपोषित संव्यवहार (पंक्ति 12 से 15 का जोड़)**	
	अन्य तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोज़र	
17	**सकल अनुमानित रकम पर तुलन पत्र बाह्य एक्सपोज़र**	618630
18	**(क्रेडिट समतुल्य रकम के परिवर्तन के लिए समायोजन)**	
19	**तुलन पत्र बाह्य मदें (पंक्ति 17 और 18 का जोड़)**	618630
	पूंजी और कुल एक्सपोज़र	
20	**टियर 1 पूंजी**	326620
21	**कुल एक्सपोज़र (पंक्ति 3, 11, 16 और 19 का जोड़)**	6808013.65
	लीवरेज अनुपात	
22	**बासेल III लीवरेज अनुपात**	4.80%

Basel III (Pillar 3) - Disclosures (Consolidated) March, 2016

Table DF 1

Scope of Application

Name of the top bank in the group to which the Framework applies- BANK OF INDIA

Qualitative Disclosures

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity/Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the Method of consolidation	Whether the Entity is included under regulatory scope of consolidation yes / no)	Explain the Method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Bank of India New Zealand Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Bank of India(Uganda) Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Bank of India(Tanzania) Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Bank of India (Botswana) Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
PT Bank of India Swadeshi TBK Indonesia	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Shareholding Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Axa Investment Managers PVT Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Axa Trustee Services Pvt Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Merchant Bankers Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd	Yes	Joint Venture	No	Joint Venture	NA	Deducted from capital for capital adequacy purposes
STCI Finance Ltd	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
ASREC (India) Ltd	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
Indo Zambia Bank ltd	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB Vidharbha Konkan Gramin Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB SH Aryavart Kshetriya Gramin Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB SH Jharkhand Gramin Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB SH Narmada Jhabua Gramin Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

There are no group entities that are not considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

III. Quantitative Disclosures:

(c) List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) (Equity + Reserve) (Rs Mn)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) (Rs Mn)
Bank of India Newzealand LTD	Banking	2408.77	4662.35
Bank of India(Uganda) LTD	Banking	540.35	1724.25
Bank of India(Tanzania) LTD	Banking	660.99	3864.72
Bank of India (Botswana) LTD	Banking	249.36	1305.94
PT Bank of India Swadeshi TBK Indonesia	Banking	3549.05	27602.18
BOI Shareholding LTD	Clearing & Settlement of Stock Exchange	297.62	312.11
BOI Axa Investment Managers PVT LTD	Assets Management	553.15	615.90
BOI Axa Trustee Services PVT LTD	Trusteeship Services	0.53	0.74
BOI Merchant Bankers Ltd	Merchant Banking services	116.13	117.06
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company LTD	Life Insurance	4200.00	58327.78
STCI Finance LTD	NBFC- NDSI	13,139.17	100,354.63
ASREC (India) LTD	Assets Recovery Company	1329.78	1668.09
Indo Zambia Bank LTD	Banking	3908.13	16851.09
RRB Vidharbha Konkan Gramin Bank	Banking	2135.89	43511.89
RRB Gramin Bank of Aryavart	Banking	14903.38	160851.84
RRB Jharkhand Gramin Bank	Banking	1401.48	30654.35
RRB Narmada Jhabua Gramin Bank	Banking	5440.14	64899.50

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

There is no capital deficiency in the subsidiaries.

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total Balance Sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) Rs Mn	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method (₹ Mn)
NIL				

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group are as governed by RBI.

Table DF - 2
Capital Adequacy

Qualitative disclosures

a. A summary discussion of the bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities.

A. BANK OF INDIA

The Bank carries out regular assessment of its Capital requirements from time to time to maintain a comfortable Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR). The capital plan is reviewed on an annual basis to take care of the future growth in business, capital requirements, policy guidelines, macro-economic scenarios, risk appetite etc. The Bank has also developed Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to comprehensively address all risks and maintain necessary additional capital.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

Refer to the local regulation, in order to run foreign exchange business; Bank's Tier-1 should be minimum IDR 1 trillion.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd (Subsidiary) and Bank of India (Uganda) Ltd (subsidiary)

Capital adequacy and the use of regulatory capital are monitored regularly by the Bank's Management, employing techniques based on the guidelines developed by the Basel Committee, as implemented by the Bank of Tanzania (BOT) and Bank of Uganda (BOU), for supervision purposes. The required information is filed with the BOT and BOU, the local regulators on a quarterly basis.

The bank's regulatory capital as managed by its management is divided into two tiers:

Tier 1 capital: - Share capital, retained earnings and reserves created by appropriation of retained earnings. Prepaid expenses and deferred charges are deducted in arriving at Tier 1 Capital.

Tier 2 capital: - Qualifying subordinate loan capital, collective impairment allowances and unrealized gains arising on the fair valuation of equity instruments held as available for sale.

D. Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiary)

Capital adequacy and the use of regulatory capital are monitored regularly by the Bank's Management, employing techniques based on the guidelines of the Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), for supervision purposes. The required information is disclosed in General Disclosure Statement on quarterly basis. The bank's regulatory capital as managed by its management solely consists of Tier 1 Capital

Tier 1 capital: - Share capital, retained earnings and reserves created by appropriation of retained earnings

E. Bank of India (Botswana) Ltd

The bank's regulatory capital as managed by its management is divided into two tiers:

Tier 1 Capital: - Share capital, retained earnings and reserves (now loss for the subsidiary) created by appropriation of retained earnings. Prepaid expenses and deferred charges are deducted in arriving at Tier 1 Capital.

Tier 2 Capital: -Qualifying subordinate loan capital, collective impairment allowances i.e, provision on standard assets and unrealized gains arising on the fair valuation of equity instruments held as available for sale.

		Amount in ₹ Mn.
(b)	Capital requirements for credit risk:	271,421.78
➢	Portfolios subject to standardised approach	
➢	Securitisation exposures	
(c)	Capital requirements for market risk: Standardised duration approach;	17,084.07
➢	Interest rate risk	10,300.09
➢	Foreign exchange risk (including gold)	342.12
➢	Equity risk	6,441.86
(d)	Capital requirements for operational risk: Basic Indicator Approach	23,801.98
➢	The Standardised Approach (if applicable)	
(e)	Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios: For the top consolidated group; and For significant bank subsidiaries (stand alone or sub-consolidated depending on how the Framework is applied)	
➢	Common Equity Tier 1 Capital (CET 1)	8.34%
➢	Tier 1 Capital (T 1)	9.41%
➢	Total Capital Ratio	12.38%

Table DF 3 - Credit risk
General disclosures for all banks

Quantitative disclosures:

a. The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk, including:

- **Definition of past due and impaired (for accounting purposes)**

1. BANK OF INDIA

The Bank follows Reserve Bank of India regulations, which are summed up below:

1.1 Non-performing Assets

- An asset, including a leased asset, becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank.
- A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where;
- Interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- the account remains 'out of order' as indicated below, in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,

- The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.
- The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1, 2006.
- Bank should classify an account as NPA only if the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.
- A loan for infrastructure/non-infrastructure project will be classified as NPA during any time before commencement of commercial operations as per record of recovery (90 days overdue) unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"
- A loan for an infrastructure project will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within two years from original DCCO, even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"
- A loan for a non-infrastructure project will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within twelve months from original DCCO, even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"

1.2 'Out of Order' status

An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

1.3 Overdue

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

1.4 Non Performing Investments

- In respect of securities, where interest/ principal is in arrears, the Bank does not reckon income on the securities and makes appropriate provisions for the depreciation in the value of the investment.
- A non-performing investment (NPI), similar to a non-performing advance (NPA), is one where:
- Interest/ installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- This applies mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re.1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with the Reserve Bank of India instructions, those equity shares are also reckoned as NPI.
- Any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer is treated as NPI and vice versa.
- The investments in debentures / bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are subjected to NPI norms as applicable to investments.

2.0 PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

The Credit Quality is assessed based on the factors such as business prospects, performance of the debtor and repayment capacity. It is undertaken depending upon the materiality and significance of each assessment factor and components and the relevance of the assessment factors and components to the characteristics of the debtor concerned. Accordingly, the assets are classified into current, special mention, sub-standard, doubtful and loss category.

"Assets" are classified into Earning Assets and Non-earning Assets. Earning Assets are provision of funds by a bank to earn revenues. "Non-Earning Assets" are assets of the Bank other than Earning Assets with potential for Loss.

An asset becomes non-performing when it ceases to generate revenue for the bank. A non-performing asset is a loan or an advance where the arrears in principal and / or interest exceed 90 days.

Past due: Any amount due to the bank under any credit facility is "past due" if it is not paid on the due date fixed by the bank.

On 1st January 2010, PT Bank of India Indonesia Tbk started implementation of the New Accounting Policy i.e. PSAK 50 & 55 which is similar to the International Accounting Standards IAS 32 & 39 according to which the financial asset must be presented at the fair value. We are now in progress to integrate PSAK calculation into bank's core banking, which is in line with our business plan that is up-gradation technology.

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach should be classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
91-180	Substandard	10%
181-270	Doubtful	50%
271 and More	Loss	100%

3. Bank of India (Tanzania) Ltd & Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiaries)

Credit risk is a risk of financial loss to the bank, if a customer or counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations and arises principally from the bank's loans and advances to customers and other banks, and investment debt securities.

The Board of Directors has delegated responsibility for the oversight of credit risk to its Credit committee. The credit department of the bank, reporting to the Credit committee is responsible for management of the bank's credit risk, including:-

- Formulating credit policies covering collateral requirements, credit assessment, risk grading and reporting, documentary and legal procedures, and compliance with regulatory and statutory requirements.
- Establishing the authorization structure for approval and renewal of credit facilities. The credit limits are governed by the Credit policy, as approved by the board.
- Reviewing and assessing credit risks.
- Limiting concentrations of exposure to counterparties, geographies and industries (for loans and advances).

3.1 Definitions of past due and impaired (for accounting purposes)

Overdrafts and other credit facilities without specific due dates shall be considered past due if:

- Exceeds the customer's borrowing limit.
- Customers borrowing limit is expired.
- Deposits are insufficient to cover the interest calculated and due for the period
- Bill has been dishonored
- Bill or account is not paid on due date
- Loans which are payable in installments are considered as past due in their entirety. If any of the installments have become due and unpaid for thirty days or more.
- Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach should be classified as follows

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
91-180	Substandard	10%
181-270	Doubtful	50%
271 and More	Loss	100%

4 Bank of India Uganda

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach should be classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
91-179	Substandard	20%
180-365	Doubtful	50%
365 and more	Loss	100%

5. Bank of India (Botswana) Ltd.

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach should be classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
Arrears more than 90 days and less than 1 year	Substandard	10%
If arrears more than 1 year and have adequate security	Doubtful	20%+100% of shortfall
If arrears more than 2 years to 4 years and have adequate security	Doubtful	30%+100% of shortfall
If arrears more than 4 years and have adequate security	Doubtful	100%
If arrears more than 1 year and specific accounts identified as loss assets and have inadequate security	Loss	100%

b. Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy

A. BANK OF INDIA

- In a bank's portfolio, losses stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions or from reduction in portfolio value arising from actual or perceived deterioration in credit quality.
- Against this backdrop a robust risk management framework is necessary for the long-term financial health of a bank. Credit Risk Management encompasses identification, measurement, monitoring and control of the credit risk exposures.
- The Bank has identified various types of credit risk at a generic level in the Credit Risk Management policy. More granular identification is done at the product /process level. Various risks are looked into before introducing new products/processes, which are cleared from the risk angle.
- The Credit Risk Management framework outlined in the policy is built on three distinct building blocks namely Policy & Strategy, Organizational Set up and Operations/Systems.

i) Policy and Strategy

The Bank has been following a conservative risk philosophy, which has steered the bank through difficult times. However the Bank has an open policy regarding new and unexplored areas and new opportunities are not lost sight of. The important aspects of this philosophy are embodied in the circulars and are periodically codified in the form of Manual of Instructions.

The business objectives and the strategy of the Bank is decided taking into account the profit considerations, the level of various risks faced, level of capital, market scenario and competition. The Bank is always conscious of its asset quality and earnings and hence judiciously matches profit maximization with risk control.

The Credit Risk Management policy and significant credit risk related policies like Credit Policy, and Credit Monitoring Policy are approved and periodically reviewed by the Board of Directors. The Credit Policy covers various areas of credit like Clientele, Marketing, Segmented Approach to Lending, Credit Delivery, Credit Thrust, Tenure of Credit, Credit Acquisition, Risk Rating (including risk acceptance criteria), Pricing, Credit appraisal, Assessment of Limits, Exposure Norms, Industry Norms, Collateral and Margins, Review of Relationship, Scheme of Delegation, Statutory and other Restrictions and Documentation. Credit Policy for International Operations is in place and each center has its own credit policy dovetailed to the main policy. The delegation of powers for credit matters is covered by a separate policy. In addition Credit Risk is tracked and monitored as per the Credit Monitoring Policy. Restructuring Policy, Write Off and Recovery Policy, Asset Classification and Provisioning Policy, Bank Exposure Policy, Country Risk policy and Credit Audit Policy are also in place. Investments are contracted as per the policy guidelines laid down in the Investment Policy and after clearance by the Investment Committee.

ii) Organizational Set up

The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex levels that have the overall oversight of management of risks. The Risk Management Committee of the Board (R. Com) which is the sub-committee of the Board headed by the Chairman & Managing Director and whose members also include heads of Credit, Market & Operational Risk Management Committees, devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk. At is the operational level the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main functions includes implementation of credit risk management policy approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit matters including delegation of credit, prudential limits on large credit exposures, portfolio management, etc.

The Risk Management Department headed by the Chief Risk Officer of General Manger rank, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/R. Com/M.Com. The Credit Monitoring Department headed by a General Manager, monitors the quality of loan portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

iii) Operations/Systems/Processes

The Bank has proactive Credit Risk Management practices like consistent standards for the credit origination, maintenance and documentation for all credit exposures including off balance sheet items, periodic individual obligor reviews, periodic inspections and collateral management systems.

Credit risk limits including obligor limits and concentration limits by industry, systems and procedures for monitoring financial performance of customers and for controlling outstanding within limits are followed. Checks and balances are in place for extension of credit viz. separation of credit risk management from credit sanction, vetting of new products and systems from risk angle by the CRMC, multiple credit approvers, system of assigning risk rating, vetting of ratings, mechanism to price facilities depending on the risk grading of the customer, Credit Risk Evaluation committee for vetting credit proposals from risk angle, credit process audit, post sanction pre disbursement review and post sanction review systems and an independent audit and risk review function. Proposals for investments are subjected to credit risk analysis, detailed appraisal and rating. As a matter of entry level, minimum ratings/quality standards, industry, maturity, duration, issue-wise limits are stipulated for investments to mitigate the adverse impact of concentration and risk of liquidity. Investment exposure is taken into consideration while computing exposure to a customer/group. A suitable framework is in place to provide a centralized overview on the aggregate exposure on other banks and half-yearly reviews are undertaken at a single point. The country exposures are monitored on half yearly basis.

A diversified portfolio of risk assets is maintained and a system to conduct regular analysis of the portfolio so as to ensure ongoing control of risk concentrations is in place. A conservative policy for provisioning in respect of non-performing advances is followed. Management Information System (MIS) is being upgraded with introduction of Credit Risk Management System, which would enhance the capabilities of the bank to manage and measure the credit risk inherent in all on- and off-balance sheet activities.

iv) The following tools are used for credit risk management/ mitigation –

- **Credit Approving Authority – Delegation of Powers**

The Bank has a well-defined scheme of risk based delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment. The delegation of powers is linked to the rating of the borrower with powers for sanction of higher limits to better-rated customers. At present, all credit proposals falling within the delegated authority of the General Manager and above are being routed through the "Credit Risk Evaluation Committee (CREC)" to bring in an element of independence and off-site evaluation of risks perceived in credit proposals. The General Manager, Risk Management Department, who has no volume or profit targets, is mandatory member of the CREC.

As per Ministry of Finance Guidelines, Credit Committees with sanctioning powers have been formed at various administrative levels to exercise delegation of powers. At Head Office level, three Credit Committees (GMLCC, EDLCC and CAC) are functioning to deal with proposals falling beyond the delegated powers of the field functionaries. Such Credit Committees (SZLCC/ZLCC/ NBGLCC) have also been set-up at Zonal Office/NBG office for considering the credit proposals falling within their powers.

- **Prudential Limits**

Prudential limits on various aspects of credit/investment like Single/Group borrower limits for various types of borrowers are in place.

- **Risk Rating/Pricing**

The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.

- **Credit Audit/Loan Review Mechanism (LRM)**

Credit Audit/LRM is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration

v) Portfolio Management through analysis

It is also important to have in place a system for monitoring the overall composition and quality of various credit portfolios and investments. With this objective, to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management

model. Rating Migration of accounts with Rs. 10 lacs and above is being done on half yearly and submitted to Board. Credit Risk Management Software (CRMS) is being implemented phase-wise. Bank is getting prepared for adopting Advanced Approaches.

vi. Risk Measurement

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights. The Bank has migrated to the Standardized approach under the New Capital Adequacy Framework (Basel II), effective 31st March 2008.

vii. Risk Reporting System

All credit related policies are cleared by the CRMC (which is the operational level committee for credit risk) before submission to the appropriate authorities for approval. Various Credit Related reporting's submitted to CRMC to enable proper monitoring.

viii. Risk Review

Audit –Credit Risk Management Systems procedures and Tools are also subjected to internal audit for ensuring effectiveness.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

PT Bank of India Indonesia Tbk has established a Risk Management Committee (RMC) and the Risk Management Unit (RMU) which is independent of the Operational Unit and the Internal Audit Unit ("Internal Audit") in the hope of overall risk management can be integrated, targeted, coordinated and sustainable. Furthermore, to monitor the effectiveness of implementation of tasks RMC and RMU, the Bank established a Risk Monitoring Committee which is directly responsible to the Board of Commissioners.

The Bank has managed 8 (eight) types of risk according to Bank of Indonesia which are credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputation risk and strategic risk. Banks also create risk profiles which can broadly map the activity that has risks as well as potential risks that disrupt the Bank business continuity. Assessment of risk type is a combination of the risks inherent in any functional activity (inherent risk) and risk control systems.

The Bank is selective in approving new credits and maintains higher loan provisions than that required by the Regulator. In collateral based lending, hair cut is applied to the value of collateral. The Risk Manager of the bank reports to the Director Compliance. Risk Management Unit (RMU) supervises/ has oversight of the credit approval process.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd , Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiaries), Bank of India (Uganda) Ltd and Bank of India (Botswana) Ltd

Monthly interest application has become a useful tool to tackle potential delinquencies or defaults in standard accounts. To retain the asset quality, the Bank has adopted the following policy, Branches should promptly act and:-

i. Recover the overdues or at least the critical amount through active follow up with borrowers;

ii. Put the accounts under holding on operations in case of temporary cash flow mismatches;

iii. Reschedule the repayment terms as per expected cash flows;

iv. Restructure the dues in keeping with the expected cash flows and gaps in cash flows, if any as per guidelines given in the restructuring policy.

v. Any one or more of the above actions are taken by the Bank before the account becomes NPA.

vi. Measures for follow up of Special Mention Accounts (SMA) / NPA Accounts

vii. The various means of monitoring / resolving NPAs generally available to the Banks are listed below:-

I. Before the account becoming NPA [Special Mention A/c (SMA)]

a. Close monitoring for compliance of sanction terms to maintain asset quality.

b. Reminders to be sent promptly whenever irregularities are observed.

c. To recover overdues quickly to ensure account does not slip to NPA category

d. Periodic inspection of the unit and charged assets along with analysis of financial data.

e. To restructure the dues before accounts become NPAs. Remedial action includes enhancement of moratorium period, funding of interest, and deferment of installments.

II. After the account becoming NPA – following measure to be initiated for recovering Bank's dues. The following means have to be effectively pursued for resolution of NPAs.

a. Appropriation of liquid securities (TDR, shares, margin money etc.) and pledged goods, to reduce outstanding

b. Disposal of other securities, with the co-operation of borrowers.

c. Compromise settlement of dues through negotiation

d. Re-calling the advance

e. Filing suit in Court– Execution of decree

f. Lastly, after all the chances of recovery of dues are exhausted, we may resort to writing off of the balance dues. All these means have to be effectively pursued for resolution of NPAs.

Quantitative Disclosures:-

a. The total gross credit exposures is:

(₹ In Mn)

Category	Amount
Fund Based	3,931,438.28
Non Fund Based*	711,904.73

*Excluding Credit Equivalent of Derivatives

b. The geographic distribution of exposure is:

(₹ In Mn)

	Domestic	Overseas
Fund Based	2,772,488.70	1,158,949.58
Non Fund Based	644,850.18	67,054.55

c. Industry type distribution of exposure (Fund Based & Non Fund Based) is as under:

Industry Name	Fund Based (Outstanding) ₹ in Mn.	Non Fund Based (Outstanding) ₹ in Mn.
Coal	1,679.05	40,125.05
Mining	31,641.06	-
Iron & Steel	1,34,562.81	4,660.95
Other Metal & Metal Products	33,986.09	8,980.69
All Engineering	16,627.62	9,353.54
Of which Electronics	2,315.34	2,390.53
Electricity	3,03,486.56	-
Cotton Textiles	49,545.02	6,113.09
Jute Textiles	1,405.94	557.69
Other Textiles	51,645.51	6,073.97
Sugar	24,435.98	1,588.40
Tea	18.99	34.89
Food Processing	24,667.50	5,881.18
Vegetable Oil & Vanaspati	6,277.91	19,952.31
Tobacco & Tobacco Products	10,241.89	753.44
Paper & Paper Products	14,180.03	1,339.49
Rubber & Rubber Products	22,370.86	17,734.72
Chemical, Dyes, Paints etc.	48,869.35	17,079.51
Of which Fertilisers	4,889.00	1,611.21
Of which Petro-chemicals	12,663.53	6,549.41
Of which Drugs & Pharmaceuticals	15,211.42	4,112.42
Cement	15,507.35	834.92
Leather & Leather Products	3,678.99	763.74
Gems & Jewellery	95,358.20	7,062.25
Construction	32,917.34	20,409.78
Petroleum	41,135.83	18,819.60
Automobiles including Trucks	32,293.58	5,138.53
Computer Software		-
Infrastructure*	4,60,905.35	1,01,926.96
Of which Power	3,03,719.76	53,288.44
Of which Telecommunications	9,144.35	162.23
Of which Roads & Ports	1,06,792.25	28,784.53
Other Industries	87,485.79	1,59,869.89
Residuary Other Advances (to balance with Gross Advances)	26,90,000.26	2,56,850.13
Total	**39,31,438.28**	**7,11,904.73**

- Exposure to Infrastructure Sector at 11.72% exceeds 5% of total fund based advances
- Exposure to Infrastructure Sector at 14.32% of total non-fund based outstanding.

d. The residual contractual maturity break down of assets is:

(₹ in Mn)

	Advances	Investments (gross)	Foreign Currency Assets
Next day	1,71,533.90	2,34,662.04	58,937.90
2 – 7 days	97,532.90	20,993.89	35,326.58
8 –14 days	83,468.70	31,503.18	42,376.74
15 – 28 days	1,34,524.92	18,025.31	1,18,679.53
29 days – 3 months	3,28,500.66	75,372.52	2,59,343.09
>3 months – 6 months	3,08,406.80	77,687.08	2,26,529.86
> 6months – 1 year	3,05,779.04	68,393.38	1,93,963.73
>1 year – 3 years	4,47,077.64	1,79,394.86	1,82,087.13
> 3 years – 5 years	4,27,487.76	1,46,562.90	1,17,227.24
> 5 years	13,42,099.11	3,60,369.17	75,524.60
Total	**36,46,411.43**	**12,12,964.35**	**13,09,996.40**

***Figures are shown on net basis**

e. The gross NPAs are:

Category	(₹ in Mn)
Sub Standard	143,956.20
Doubtful – 1	149,760.43
Doubtful – 2	165,429.06
Doubtful – 3	19,299.63
Loss	24,331.01
TOTAL	**5,02,776.33**

f. The amount of net NPAs is Rs. 2,79,963.90Mn.

g. The NPA ratios are as under:

- Gross NPAs to Gross Advances : 13.07%
- Net NPAs to Net Advances: 7.79%

h. The movement of gross NPA is as under:

(₹ in Mn)

i) Opening balance at the beginning of the year	222,120.72
ii) Additions during the year	390,162.54
iii) Reductions during the year	109,507.09
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	502,776.17

i. The movement of provision for NPAs is as under:

(₹ in Mn)

i) Opening balance at the beginning of the year	74,463.36
ii) Provisions made during the year	166,403.01
iii) Write-off/write-back of excess provisions	37,921.58
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	202,944.79

j. The amount of non-performing investment is Rs.7653.02 Mn.

k The amount of provision held for non-performing investment is ₹ 6543.78. Mn.

l The movement of provisions for depreciation on investments is as under

(₹ in Mn)

i) Opening balance at the beginning of the year	10654.99
ii) Provisions made during the year	5960.26
iii) Write-off/write-back of excess provisions	2452.96
iv) Exchange Difference	415.40
v) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii+iv)	14577.69

Table DF-4

Credit Risk: Disclosures For Portfolios Subject To The Standardised Approach

Qualitative Disclosure

a. For portfolios under the standardized approach:

- Names of Credit Rating agencies used, plus reasons for any changes
- Types of exposure for which each agency is used; and
- A description of the process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book;

A. BANK OF INDIA

1. The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, INDIA RATINGS, BRICKWORK, SMERA, and CARE for domestic claims and S&P FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns. SME ratings are not being used, as they are not approved by RBI.
2. The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II. The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used. For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.
3. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it. Even while extending an issuer or an issue specific rating to any other exposure on the same counterparty it is extended to the entire amount of credit risk exposure i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.
4. For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.
5. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except in cases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.
6. The long-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardized Approach for long-term exposures. On the contrary, the unrated short-term claim on counter-party attracts a risk weight of at least one level higher than the risk weight applicable to the rated short-term claim on that counter-party. Issue-specific short-term ratings are used to derive risk weights for claims arising from the rated facility against banks and a corporate's short-term rating is not used to support a risk weight for an unrated long-term claim.
7. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.
8. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:

   i. The rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un- assessed claim only if this claim ranks pari passu or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, except where the rated claim is a short term obligation.

   ii. If either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks pari passu or junior to the rated exposure in all respects.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

As per prevailing norms in the Country credit rating is not required to be done by any external credit rating agency.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd, Bank of India (Uganda) Ltd) and Bank of India (Botswana) Ltd.

As per prevailing norms in the Country credit rating is not required to be done by any external credit rating agency. There is no credit rating agency operating/working in the Country.

D. Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary)

Credit risk is disclosed through General Disclosure Statement on quarterly basis as per the requirements.

Quantitative Disclosures

(₹ in Mn)

For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, amount of a bank's outstanding (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted;	
The total credit exposure of the bank (subject to standardized approach), are classified under major risk buckets are as under: -	
Below 100 % risk weight:	4,744,605.58
100 % risk weight:	1,457,145.22
More than 100 % risk weight:	619,838.45
Deducted	

Table DF-5 Credit Risk Mitigation Disclosures For Standardised Approaches

i. Qualitative Disclosures

a. The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including:

Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on- and off-balance sheet netting;

- policies and processes for collateral valuation and management;
- a description of the main types of collateral taken by the bank;
- the main types of guarantor counterparty and their credit worthiness; and
- information about (market or credit) risk concentrations within the mitigation taken

A. BANK OF INDIA

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to protect entity's earnings from loss both in good and bad times. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Such a process is termed as credit risk mitigation and some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. The Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) are as follows:

1. Collateralized transactions
2. On-balance-sheet-netting
3. Guarantees

2. Eligible Financial Collateral:

All collaterals are not recognized as credit risk mitigants under the Standardized Approach. The following are the financial collaterals recognized.

i. Cash and Deposits including deposits in foreign currency.

ii. Gold: benchmarked to 99.99% purity.

iii. Securities issued by Central and State Governments

iv. Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates

v. Life insurance policies

vi. Debt securities -Rated subject to conditions.

vii. Debt securities not rated issued by banks subject to conditions

viii. Units of mutual funds subject to conditions

There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. On-balance-sheet-netting

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

4. Guarantees

Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors/ counter guarantors includes:

ix. Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as certain specified MDBs, ECGC and CGTSME), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;

x. Other entities rated AA or better.

5. The Bank has a well-defined Collateral Management policy, which provides the controlling framework to ensure collateral is used optimally. This is a key component in mitigating the credit risks inherent in lending. The Bank accepts both tangible and intangible securities. Tangible Securities are either in physical form or such other material form like cash margin, Deposits with Banks, Gold or such other precious metals, Shares NSC/KVP/ Life Insurance Policies. The intangible securities are – Bank Guarantees / Letters of Credit, book debts, Letter of Comfort, Letter of Negative Lien, Unregistered Charge etc. The common ways for obtaining security for moneys lent are Mortgage, Pledge, Hypothecation and lien The assets created out of the bank's credit exposure are as a general rule charged to the bank by way of first charge on pari-passu basis.

Guarantees are normally insisted upon whenever available/permissible.

The main type guarantors are:

i. Central/State Government and Central Government sponsored agencies like DICGC, CGTMSE, and ECGC.

ii. Promoters/Major owners of corporates.

iii. Individual Guarantees of relatives in case of individuals

6. The various aspects of collateral management are: -

Minimum conditions for the acceptance of collateral: For collateral to be valid and enforceable the bank ensures that the assets accepted as collateral are marketable, legally enforceable and can be taken control of if necessary .It is also ensured that the market value of the asset is readily determinable or can be reasonably established and verified. For internal control purposes, the bank has a list of types of assets acceptable as collateral and the maximum loan to value ratio for each of these assets taken as primary security. The bank also takes into account statutory restriction while taking collaterals.

a) Validity of collateral;

i) Enforceability

Bank ensures that credit documentation supporting the collateral, is legally enforceable in all relevant jurisdictions and empowers the Bank to apply the collateral freely to discharge the borrower's obligations.

ii) Title and ownership

Bank always verifies the existence and ownership of the assets being received as collateral before acceptance and ensures that there is no prior claim by any other party on the said collateral. Bank secures its control of the collateral prior to the drawdown of credit facilities. Information on collaterals is provided to Top Management periodically to facilitate management of credit risk. Charges on collaterals are promptly registered with the relevant authorities wherever applicable.

b) Loan-to-value ratios

Bank has specified the maximum loan-to-value ratio (margin) for major types of asset to be accepted as primary security. Such ratios are commensurate with the relative risk of the assets and should be able to provide an adequate buffer against potential losses in realizing the collateral

c) Valuation

Bank has a Board approved policy in place for valuation of properties accepted for bank's exposures, where Basis of valuation, Qualification of Valuer and Frequency of revaluation are laid down for compliance across the bank.

d) Safe Keeping Of Collateral And Control To Their Access

Authority and responsibility has been delegated to relevant individuals and departments for approving the acceptance, monitoring or safe custody of collaterals

e) Additional / Replacement of Collateral;

Procedures for requesting additional collateral are clearly documented

f) Insurance;

All eligible collaterals except those specially exempted are covered by insurance for relevant risks and detailed guidelines for the same are in place

g) Sale of Collateral;

The Bank has clear and robust procedure for the timely liquidation of collateral.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

PT Bank of India Indonesia Tbk has policy and processes for collateral valuation, based on Bank of Indonesia Regulation and national discretions for mortgage loan. Independent appraisal of the collateral is made if the sanction limit of the loan is above Rs. 2.79 Crores. Liquidation value is calculated based on type of collateral. Collateral value is reviewed every year. The main type of collateral taken is Land & Buildings. Generally personal or third party guarantee is not taken. Sectoral caps in lending are in place to take care of concentrations. The Bank has no major risk concentrations of collaterals or credit risk mitigants.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd and Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiaries)

The collaterals are obtained in the form of Bank's own Term Deposit receipts, Legal Mortgage over Immovable properties, Hypothecation charge over movable assets of the company, Pledge of shares etc.

As per regulatory requirements maximum exposure limits on single borrower/group are as detailed under

Collateral position		limit (as % of core capital)
1)	Secured by collateral the value of which is at least	
a)	125% of the credit accommodation secured by it (fully secured)	25
b)	Secured by collateral the value of which is less than 125% Of the credit accommodation secured by it (partly secured)	10
c)	Unsecured	5

D. Bank of India (Uganda) Ltd.

The collaterals are obtained in the form of Bank's own term deposit receipts, Legal mortgage over immovable properties, Hypothecation charge over movable assets of the company, pledge of shares etc.

As per regulatory requirements maximum exposure limits on single borrower/ group as per detailed under.

Collateral position		limit (as % of core capital)
1)	Secured by collateral the value of which is at least	
a)	125% of the credit accommodation secured by it (fully secured)	25
b)	Secured by collateral the value of which is less than 125% Of the credit accommodation secured by it (partly secured)	25
c)	Unsecured	25

E. Bank of India (Botswana) Ltd.

The collaterals are obtained in the form of Bank's own Term Deposit receipts, Legal Mortgage over Immovable properties, Hypothecation charge over movable assets of the company, Pledge of shares etc.

As per regulatory requirements maximum exposure limits on single borrower/group are as detailed under

	Collateral position	limit (as % of unimpaired capital)
1)	Secured by collateral, the value of which is at least	
a)	125% of the credit accommodation secured by it (fully secured)	30
b)	Secured by collateral the value of which is less than 125% Of the credit accommodation secured by it (partly secured)	30
c)	Unsecured	30

Quantitative Disclosures

(Amount in Rs. Mn)

(a)	For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on – or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral: after the application of haircuts. (BOI Solo)	350,465.12
(b)	For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on – or off balance sheet netting) that is covered by guarantees/ credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI). (BOI Solo)	193,798.10

Table DF - 6

Securitisation Exposures :- Disclosure for Standarised Approach

i. Qualitative Disclosures:-

On consolidated level the Bank has no Securitization Exposure as on 30.09.2015

ii. Quantitative Disclosures :-

Not Applicable.

Table DF - 7

Market Risk in Trading Book

Qualitative Disclosures

a. The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardized approach.

A. Bank Of India

In Trading book the Bank holds" Held for Trading"(HFT) and "Available for Sale" (AFS) portfolios of investments. The rest of the assets–i.e. Investments under Held to Maturity portfolio and advances-are treated as Banking Book. Given below is brief description of the Market Risk Management objectives and policies.

(i) Strategies and Processes

Under Market Risk Management Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Foreign Exchange Risk, and Equity Price risk are monitored. Bank is not currently trading in commodities.

a. Liquidity Risk

Gap analysis is followed for monitoring Liquidity risk on a fortnightly basis. Prudential limit-for percentage of cumulative gap to cumulative outflow-based on Reserve Bank of India guidelines for the short-term buckets up-to 28 days is monitored. Besides, prudential limits are in place for market borrowing– Daily and average call borrowing–Inter Bank Liabilities, Purchased funds etc.

High value bulk deposits are monitored on a weekly basis. Short-term dynamic liquidity statement is prepared on a fortnightly basis to assess the liquidity position, which takes in to account the business growth. A contingency funding plan is in place to meet the emergencies. The plan is tested on a quarterly basis. Stress Testing is also done on a quarterly basis to assess possible loss to Bank if there is any liquidity crisis and if funds are to be raised from the market to meet the contingencies.

b. Interest Rate Risk

Gap analysis is used to assess the impact on the Net Interest Income of the bank for the next 12 months and till the next financial year. The Bank also uses duration gap analysis. Prudential limits have been fixed for duration of liabilities. Bank's investments portfolio is monitored on basis of duration analysis.

VaR methodology is followed for dated securities under SLR and Non-SLR(Domestic) Prudential limits for VaR have been fixed and daily monitoring is being done and reported to Top Management. Foreign investments in dated securities are normally hedged and the interest rate risk is minimal. VaR limits are also fixed for Foreign Exchange position.

Stress Testing is done to assess the impact on Economic Value of Equity by infusing a shock of change in market rate by 200 basis points.

c. Foreign Exchange Risk

The Bank has fixed Aggregate Gap Limit in USD as well as in other currencies, Maximum Aggregate daylight and overnight exposure limits for foreign exchange exposure in various currencies. We have also fixed period-wise Individual Currency-wise Gap Limits. Stop loss limits, take profit limit and single deal limits are in place for monitoring the forex operations of the dealers.

Derivative transactions are monitored by fixing prudential limit for net open position and a cap for PV01on the outstanding derivatives.

e. Equity Price Risk

The bank's domestic investment policy has fixed stop loss limits for equity dealers. Daily Limits to Treasury, Maximum Investment Limit, Holding Period for Equity Portfolio (Trading). Daily reporting is done to Top Management on the transactions.

(ii) Structure and Organization of Market Risk Management function:

Risk Management is a Board driven function supported by three levels-.Risk Management Committee of the Board for overseeing and issuing directions, wherever necessary/approving Risk Management Policies etc. ,Asset Liability Management Committee(ALCO) who consider policy issues and with ALM Cell providing support at the ground level. Asset Liability Management Committees are operational at foreign centers also.

(iii) Scope and nature of risk reporting and/ or measurement systems:

In respect of domestic business the guide lines stipulated by RBI for managing Market Risk is followed such as– Preparation of Interest Rate Sensitivity statement on a monthly basis–Duration analysis of investments in the Trading book on a daily basis–VaR calculation of trading book investments on a daily basis excepting the equity portfolio–conducting stress test for liquidity risk/market risk on a quarterly basis.–Duration analysis of global balance sheet and impact on the Economic Value of Equity on a monthly basis. Interest Rate sensitivity is reviewed on a monthly basis by ALCO.

Various prudential measures have been put in respect to market borrowing and lending in conformity with RBI guidelines for monitoring liquidity risk. Structural Liquidity statement is prepared on daily basis and Short Term Dynamic Liquidity statement on a fortnightly basis and reported to Top Management / ALCO. Structural liquidity of international operations is being done on a quarterly basis at the corporate level.

The results of the Quarterly study on Stress-Testing and Impact on Economic Value of Equity is reported to ALCO. Trading book position–Duration and VaR is reported daily to Top Management.

(iv) Policies for Hedging and / or Mitigating Risk

Detailed policies are operational for Asset Liability Management and Market Risk Management, which deal in detail the various strategies and processes for monitoring Market Risk.

B. PT Bank of India IndonesiaTbk (Subsidiary)

In accordance with Regulation of Bank Indonesia regarding Minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Bank, Bank is not included in the mandatory category for measuring the market risk in the calculation of the value of capital adequacy ratio (CAR). This is due to Bank is a foreign exchange Bank with financial instrument position in the form of securities and/or derivative transaction in the form of a Trading Book with amount below IDR 20 billion (USD 1.7 Million approximately).

C. Bank of India (Tanzania) Ltd. (Subsidiary), Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary), Bank of India (Uganda) Ltd. & Bank of India (Botswana) Ltd.

(a) The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardized approach.

i. Market risk: Market risk arises from open positions in interest rate, currency and equity products. The board sets limits and reviews it at regular interval on the risk that may be accepted. Further the exposure is monitored on daily basis.

ii. Liquidity risk: The bank is exposed to daily calls on its available cash resources from overnight deposits, current accounts, maturing deposits, loans drawn and guarantees, from margin and other calls on cash settlement. The board has set limit based on their experience of the minimum proportion of maturing funds available to meet such calls and on the minimum level of inter-bank and other borrowing facility that should be in place to cover withdrawals at unexpected levels of demand.

iii. Interest rate risk: The bank is exposed to various risks associated with the effect of fluctuation in the prevailing levels of market interest rates on its financial position and cash flow. The bank has the discretion to change the rates on deposits, loans and advances in line with changes in market trend. These measures minimize the bank's exposure to interest rate risk.

iv. Currency risk: The bank is exposed to the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign exchange rate. The bank is involved in foreign currency market only to the extent of buying and selling to the extent of required currency. The bank is not involved in foreign currency forward contracts and thus the risk is limited.

Quantitative Disclosure :-

(Rs in Mn)

The capital requirements for	
Interest rate risk	9,155.63
Foreign exchange risk (including gold)	304.11
Equity risk	5,726.10

Table DF – 8 Operational Risk

I. Qualitative Disclosures

In addition to the general qualitative disclosure requirement, the approach(es) for operational risk capital assessment for which the bank qualifies.

A. BANK OF INDIA

The Bank adopts best practices in Risk Management. The Bank assesses and identifies operational risks inherent in all the material products, processes and systems under different Business Lines on an ongoing basis. All new products, activities and systems are being first routed through the New Product Group Committee and then through Committee on Operational Risk Management (CORM). All policies related to Risk Management are approved by the Board only after clearance by the Risk

Management Committee of the Board (R Com). The Chief Risk Officer implements the directives of R.Com and overseas day-to-day Operational Risk Management functions.

Risk Management function works in close coordination with the committee of Business Operational Risk Managers (BORM) and Operational Risk Management Specialists (ORMS). The committee of BORM and ORMS assists the Operational Risk Management Division in undertaking the Risk and Control Self-Assessments (RCSA), reporting Operational Risk Losses and tracking Key Risk Indicators (KRIs) on a periodical basis.

Risk reporting in the form of Loss Data Analysis is done on half yearly basis to assess the high-risk prone product and business lines and mitigation measures are adopted. Branch levels KRIs and Bank Level KRIs are tracked on a quarterly basis. RCSA exercise is undertaken for all the Bank's products and processes on an annual basis.

Operational Risk Capital Charge is calculated through Basic Indicator Approach. At present, the Bank is in the process of moving towards Advanced Measurement Approaches for computation of Operational Risk Capital Charge. The Bank has already got parallel run approval for migration to The Standardised Approach (TSA) for calculation of Operational Risk Capital Charge. Recently BCBS has released a consultative document on Standardised Measurement Approach. The same is in the discussion stage presently.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

Bank adopts best practices in operational risk management, like segregation of duties, trainings, clear laid down procedures etc.

In managing operational risk, each unit is responsible for the risks in its daily operations by referring to policies and procedures, control and routine supervision. Managing operational risks also include areas related to product development, system, human resources and "know your customer" principles to prevent unavoidable circumstances.

To minimize the operational risk, the bank has increased the control function in the transaction processing which conducted among others by implementing the procedures to ensure timely completion of the transaction, adjustment the accounting method to the applied standards, maintain records in orderly, secure access to the asset and data. Function of the Internal Audit Unit who conducts regular checks to the operational activities is also adding value to the improvement needed. Bank use Basic Indicator Approach in Risk Weighted Assets (ATMR) calculation for Operational Risk.

Bank also has Internal Control unit which has job to ensure all business unit comply to bank procedure and local government regulation as well.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd. (Subsidiary), Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary), Bank of India (Uganda) Ltd.& Bank of India (Botswana) Ltd.

Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a variety of causes associated with the bank's processes, personnel, technology and infrastructure, and from external factors other than credit, market, liquidity risks such as those arising from legal and regulatory requirements and generally accepted standards of corporate behavior. Operational risk arises from all the bank's activities.

The bank's objective is to manage the operational risk so as to balance the avoidance of financial losses and damage to the bank's reputation with overall cost effectiveness and to avoid control procedures that restrict initiate and creativity.

The primary responsibility for the development and implementation of controls to address operational risk is assigned to the senior management at each branch level. The responsibility is supported by the development of overall standards for management of operational risks in the following areas:-

- Requirements for appropriate segregation of duties, including the independent authorization of transactions;
- Requirements for the reconciliation and monitoring of transactions;
- Compliance with regulatory and other legal requirements;
- Documentation of controls and procedures;
- Requirements for the periodic assessment of operational risks faced, and the adequacy of controls and procedures to address the risks identified;
- Requirements for the reporting of operational losses and proposed remedial action;
- Development of contingency plans;
- Training and professional development;
- Ethical and business standards;
- Risk mitigation, including insurance where this is effective

Table DF-9
Interest Rate Risk In The Banking Book (IRRBB)

Qualitative Disclosures

a. The general qualitative disclosure requirement, including the nature of IRRBB and key assumptions, including assumptions regarding loan prepayments and behavior of non-maturity deposits, and frequency of IRRBB measurement.

A. BANK OF INDIA

Interest Rate Risk in banking book is calculated generally on a quarterly basis. Banking book includes all advances and investments held in Held to Maturity (HTM) portfolio.

The strategies & processes /structure & organization / scope and nature of risk reporting/ policies etc. are the same as reported under Table DF –7.

The methodology and key assumptions made in the IRRBB measurement are as follows:-

Based on monthly information from data centre on the residual maturity of the advances and the deposits covering around 100% of bank's business, Interest Rate Sensitivity statement is prepared with various time buckets, having regard to the rate sensitivity as well as residual maturity of different assets and liabilities.

The duration for each asset and liability is arrived at taking the midpoint of each time bucket as the maturity date and the average yield as coupon and taking the market rate for discounting purpose. For investments, the actual duration is taken, as data is available with full particulars. In respect of investments, the AFS and HFT portfolios are excluded for this exercise as the focus is on IRR in the Banking Book.

Using the above, Modified duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 1% is reckoned By adding up, the net position is arrived at to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.

Assumptions:

i. The interest rate moves uniformly across all time buckets and for all assets.

ii. In respect of demand deposits – savings and current – the same are distributed as per their behavioral analysis as suggested by RBI.

iii. Generally the bank follows RBI guidelines on stress testing while calculating the IRRBB including selection of coupon rate / discount rate / taking midpoint of each time bucket as the maturity date etc.

iv. Re-pricing of Base Rate/BPLR linked advances has been taken in the 3 to 6 months bucket.

v. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary),Bank of India (Tanzania) Ltd, Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiaries) and Bank of India Uganda Ltd

vi. The bank is exposed to various risks associated with the effect of fluctuation in the prevailing levels of market interest rates on its financial position and cash flow. The bank has the discretion to change the rates on deposits, loans and advances in line with changes in market trend. These measures minimize the bank's exposure to interest rate risk.

Quantitative Disclosures

The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, broken down by currency (where the turnover is more than 5 per cent of the total turnover)

INTEREST RATE RISK IN BANKING BOOK (BOI SOLO)

(₹ in Mn)

	Total	Of which in USD (where turnover is more than 5% of total turnover)
1. Earnings At Risk (NII)		
At 0.50% change for 1 year	3434.04	445.95
2. Economic Value of Equity at Risk		
200 basis point shock	11425.06	-11576.05
Drop in equity value in %age terms	5.32%	-5.39%

Table –DF 10
General Disclosure For Exposures Related To Counterparty Credit Risk

i. Qualitative Disclosure

The bank uses derivatives products for hedging its own balance sheet items as well as for trading purposes. The risk management of derivative operation is headed by a senior executive, who reports to top management, independent of the line functions. Trading positions are marked to market on daily basis.

The derivative policy is framed by the Risk Management Department, which includes measurement of credit risk and market risk.

The hedge transactions are undertaken for balance sheet management. Proper system for reporting and monitoring of risks is in place.

Policy for hedging and processes for monitoring the same is in place.

Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions are in place, which includes recognition of income, premiums and discounts. Valuation of outstanding contracts, provisioning, collateral and risk mitigation are being done.

Credit equivalent or EAD has been computed in accordance with the Current exposure methodology (CEM). Potential exposure is computed by multiplying Credit conversion factor to Notional principal. Replacement cost is the positive market value. Current exposure is the same as the replacement cost. Credit equivalent or EAD is the sum of potential exposure and current exposure.

ii. Quantitative Disclosure

Gross positive fair value of contracts, netting benefits, netted current credit exposure, collateral held (including type, e.g. cash, government securities, etc.), and net derivatives credit exposure. Also report measures for exposure at default, or exposure amount, under CEM. The notional value of credit derivative hedges, and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure

Credit derivative transactions that create exposures to CCR (notional value), segregated between use for the institution's own credit portfolio, as well as in its intermediation activities, including the distribution of the credit derivatives products used, broken down further by protection bought and sold within each product group

(₹ in Mn)

Counter Party Credit Risk (CCR)	
Notional Principal Amount	855,667.09
Potential Exposure	16,944.55
Replacement Cost	13,510.33
Current Exposure	13,510.33
Credit Equivalent or EAD	30,454.89
RWA	7,310.97
Capital Charge	584.88

(₹ in Mn)

Item	Notional Amount	Current Credit Exposure	Credit equivalent
Currency Option	80.95	23.45	25.07
Cross CCY Interest Rate Swaps	19,715.33	362.28	2,107.51
Forward rate agreements			
Interest rate future			
Credit default swaps			
Single CCY interest Rate Swaps	29,187.09	5,696.95	7,157.94
Total	48,983.37	6,082.68	9,290.51

Table DF -11
Composition of Capital

(₹ in Mn)

	Basel III common disclosure template to be used during the transaction of regulatory adjustments (i.e. from April 1,2013 to December 31,2017)	Amount in Mn
	Common Equity Tier 1 Capital : Instruments and Reserves)	
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	179259.69
2	Retained earnings	117412.06
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	0.00
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies) Public sector capital injections grandfathered until January 1, 2018	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	979.96
6	**Common Equity Tier1 capital before regulatory adjustments**	**297651.71**
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments	
7	Prudential valuation adjustments	
8	Goodwill (net of related tax liability)	
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	2,142.37
10	Deferred tax assets	3282.11
11	Cash-flow hedge reserve	
12	Shortfall of provisions to expected losses	
13	Securitisation gain on sale	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	
15	Defined-benefit pension fund net assets	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	1720.95
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)3	
20	Mortgage servicing rights4 (amount above 10% threshold)	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences5	
22	(amount above 10% threshold, net of related tax liability)	
23	Amount exceeding the 15% threshold6	
24	of which: significant investments in the common stock of financial entities	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	
26	National specific regulatory adjustments 7 (26a+26b+26c+26d)	
26a	of which:Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	960.00
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries8	0
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank9	0
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	
	For example: filtering out of unrealised losses on AFS debt securities (not relevant in Indian context)	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	**8105.42**
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**289546.29**
	Additional Tier 1 capital: instruments	
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	25000.00

	Basel III common disclosure template to be used during the transaction of regulatory adjustments (i.e. from April 1,2013 to December 31,2017)	Amount in Mn
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	13477.12
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**38477.12**
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments	
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	1285.62
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	120.00
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)10	
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	
	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. DTAs]	0.00
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%]	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	**1405.62**
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	**37071.51**
44a	**Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy11**	**37071.51**
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)**	**326617.80**
	Tier 2 capital: instruments and provisions	
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	45000.00
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	34974.52
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	
50	Provisions	23,703.40
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**103677.92**
	Tier 2 capital: regulatory adjustments	
52	Investments in own Tier 2 instruments	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	689.62
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	120.00
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%]	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT	

	Basel III common disclosure template to be used during the transaction of regulatory adjustments (i.e. from April 1,2013 to December 31,2017)	Amount in Mn
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	809.62
58	**Tier 2 capital (T2)**	**102868.30**
58a	Tier 2 capital reckoned for capital adequacy14	102868.30
58b	**Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital**	**0**
58c	**Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a+58b)**	**102868.30**
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)**	**429486.10**
	Risk Weighted Assets in respect of Amounts Subject to Pre Basel III Treatment	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	
	of which: …	
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	**3470090**
60a	of which: total credit risk weighted assets	
60b	of which: total market risk weighted assets	
60c	of which: total operational risk weighted assets	
	Capital ratios	
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.34
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	9.41
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	12.38
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	
65	of which: capital conservation buffer requirement	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	
67	of which: G-SIB buffer requirement	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	
	National minima (if different from Basel III)	
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.5%
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7%
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9%
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)	
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2	
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	29517.38
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	
	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)	
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	13477.12
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	34974.52
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00

Table DF-12
Composition of Capital- Reconciliation Requirements

(₹ in Million)

		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on reporting date	As on reporting date
A	**Capital and Liabilities**		
i	Paid-up Capital	8,172.92	8,172.92
	Reserves & Surplus	312,247.23	312,229.98
	Minority Interest	979.96	979.96
	Total Capital	**321,400.11**	**321,382.86**
ii	Deposits	**5,157,224.80**	**5,157,401.09**
	of which: Deposits from banks	702,157.67	702,157.67
	of which: Customer deposits	4,455,067.13	4,455,243.42
	of which: Other deposits (pl. specify)	-	-
iii	Borrowings	**511,032.72**	**511,032.72**
	of which: From RBI	97,550.00	97,550.00
	of which: From banks	24,803.58	24,803.58
	of which: From other institutions & agencies	6,061.02	6,061.02
	of which: Others (pl. specify)	229,865.38	229,865.38
	of which: Capital instruments	152,752.74	152,752.74
iv	Other liabilities & provisions	**176,634.72**	**148,954.02**
	Total	**6,166,292.35**	**6,138,770.69**
B	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	342137.22	342,097.43
	Balance with banks and money at call and short notice	652909.96	652,896.24
ii	Investments:	**1226209.09**	**1,200,618.52**
	of which: Government securities	1092042.24	1,083,285.73
	of which : Other approved securities	1981.62	0.00
	of which: Shares	16658.31	8,828.79
	of which: Debentures & Bonds	60148.38	55,140.38
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	13859.99	15,059.99
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	41518.56	38,303.63
iii	Loans and advances	**3613018.91**	**3,612,969.01**
	of which: Loans and advances to banks	355850.59	355,850.59
	of which: Loans and advances to customers	3257168.32	3257118.43
iv	Fixed assets	**85728.51**	**85,683.22**
v	Other assets	**246288.67**	**244,506.27**
	of which: Goodwill and intangible assets	-	-
	of which: Deferred tax assets	27818.63	27,818.63
vi	Goodwill on consolidation	-	-
vii	Debit balance in Profit & Loss account	-	-
	Total Assets	**6166292.35**	**6138770.69**

Step -2

		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on reporting date	As on reporting date
A.	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	8,172.92	8,172.92
	of which: Amount eligible for CET1		
	of which: Amount eligible for AT1		
	Reserves & Surplus	312,247.23	312,229.98
	Minority Interest	979.96	979.96
	Total Capital	321,400.11	321,382.86
ii	Deposits	5,157,224.80	5,157,401.09
	of which: Deposits from banks	702,157.67	702,157.67
	of which: Customer deposits	4,455,067.13	4,455,243.42
	of which: Other deposits (pl. specify)	-	-
iii	Borrowings	511,032.72	511,032.72
	of which: From RBI	97,550.00	97,550.00
	of which: From banks	24,803.58	24,803.58
	of which: From other institutions & agencies	6,061.02	6,061.02
	of which: Others (pl. specify)	229,865.38	229,865.38
	of which: Capital instruments	152,752.74	152,752.74
iv	Other liabilities & provisions	176,634.72	148,954.02
	of which: DTLs related to goodwill		0.00
	of which: DTLs related to intangible assets		0.00
	Total	6,166,292.35	6,138,770.69
i	Cash and balances with Reserve Bank of India		
	Balance with banks and money at call and short notice	342137.22	342097.43
ii	Investments	652909.96	652896.24
	of which: Government securities	1226209.09	1200618.52
	of which: Other approved securities	1092042.24	1083285.73
	of which: Shares	1981.62	0.00
	of which: Debentures & Bonds	16658.31	8828.79
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	60148.38	55140.38
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	13859.99	15059.99
iii	Loans and advances	41518.56	38303.63
	of which: Loans and advances to banks	3613018.91	3612969.01
	of which: Loans and advances to customers	355850.59	355850.59
iv	Fixed assets	3257168.32	3257118.43
v	Other assets		
	of which:Goodwill and intangible assets	85728.51	85683.22

		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on reporting date	As on reporting date
	Out of which:	246288.67	244506.27
	Goodwill		
	(Other intangibles (excluding MSRs)		
	Deferred tax assets		
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account	27818.63	27818.63
	Total Assets		

Step -3

	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
		Component of regulatory capital reported by bank	**Source based on reference numbers/letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2**
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	179259.69	e
2	Retained earnings	117412.06	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	0.00	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non- joint stock companies)	0	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	979.96	
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill (net of related tax liability)	297651.71	a-c

Table DF-13

Main Features of Regulatory Capital Instruments

1	Issuer	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A09126	INE084A09134	INE084A09142	INE084A09167	INE084A09191	INE084A09225	INE084A08052
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment							
4	Transitional Basel III rules	AT 1	AT 1	AT 1	AT 1	AT 1	AT 1	AT 1
5	Post-transitional Basel III rules	AT 1	AT 1	AT 1	AT 1	AT 1	AT 1	AT 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	2,800	700	1,085	2,800	2,275	2,100	25000
9	Par value of instrument (Rs. in million, as of most recent reporting date)	4,000	1,000	1,550	4,000	3,250	3,000	25000
10	Accounting classification	Borrowing	Borrowing	Borrowing	Borrowing	Borrowing	Borrowing	Borrowing
11	Original date of issuance	27.07.2007	27.09.2007	11.10.2007	10.02.2009	09.12.2009	09.09.2010	08.08.2014
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Call Option Date 27.07.2017 Redemption at Par	Call Option Date 27.09.2017 Redemption at Par	Call Option Date 11.10.2017 Redemption at Par	Call Option Date 10.02.2019 Redemption at Par	Call Option Date 09.12.2019 Redemption at Par	Call Option Date 09.09.2020 Redemption at Par	Call Option Date 08.08.2024 Redemption at Par
16	Subsequent call dates, if applicable	On Anniversary Date after 27.07.2017	On Anniversary Date after 27.09.2017	On Anniversary Date after 11.10.2017	On Anniversary Date after 10.02.2019	after 09.12.2019	after 27.07.2017	After 08.08.2024
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/ coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Before Call 10.55% if call not exercised 11.05%	Before Call 10.45% if call not exercised 10.95%	Before Call 10.40% if call not exercised 10.90%	Before Call 8.90% if call not exercised 9.40%	Before Call 9.00% if call not exercised 9.50%	Before Call 9.05% if call not exercised 9.55%	11% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Full Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible	Non Convertible	Non Convertible	Non Convertible	Non Convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
30	Write-down feature	No	No	No	No	No	No	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PONV Trigger
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Any
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No
37	If yes, specify non-compliant features	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	NA

1	Issuer	Bank of India	Bank of India	Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A01016	INE084A09100	INE084A08060
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	CET 1	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	CET 1	Ineligible	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Common Shares	Lower Tier 2 Instruments	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	6649	400	30,000
9	Par value of instrument (Rs. Mn)	NA	2,000	30,000
10	Accounting classification	Equity Share Capital	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	Various	20/03/2006	31/12/2015
12	Perpetual or dated	Perpetual	Dated	Dated
13	Original maturity date	NA	20/06/2016	31/12/2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA	NA	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA	NA
	Coupons / dividends	Dividend	Coupon	Coupon

17	Fixed or floating dividend/coupon	NA	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	NA	8.00%	8.52%
19	Existence of a dividend stopper	NA	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	NA	Mandatory	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-Cumulative	Cumulative	Non-Convertible
23	Convertible or non-convertible	NA	Nonconvertible	Non-Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30	Write-down feature	NO	No	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	Decided by RBI
32	If write-down, full or partial	NA	NA	Decided by RBI
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	Decided by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	No	Yes	Compiled
37	If yes, specify non-compliant features	NA	No Loss Absorption Feature	--

1	Issuer	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A09118	INE084A09159	INE084A09175	INE084A09183	INE084A09209	INE084A09217
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment						
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	5,124	3,500	3,500	3,500	7,000	7,000
9	Par value of instrument (Rs. Mn)	7,320	5,000	5,000	5,000	10,000	10,000
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	31/07/2006	16/10/2008	28/07/2009	28/08/2009	20/01/2010	11/06/2010
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	31/07/2021	16/10/2023	28/07/2024	28/08/2024	20/01/2025	10/06/2025

14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	31/07/2016	16/10/2018	28/07/2019	28/08/2019	20/01/2020	11/06/2020
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.35%	11.15%	8.45%	8.50%	8.54%	8.48%
19	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA	NA	NA	NA
30	Write-down feature	No	No	No	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA	NA	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA	NA	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank Bank Bank	All other depositors and creditors of the Bank Bank Bank	All other depositors and creditors of the Bank Bank	All other depositors and creditors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption	No Loss Absorption	No Loss Absorption	No Loss Absorption	No Loss Absorption

1	Issuer	Bank of India	Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A08037	INE084A08045
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	10,000	5,000
9	Par value of instrument (Rs. Mn)	10,000	5,000
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	25/09/2013	30/09/2013
12	Perpetual or dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	25/09/2023	30/09/2023
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.80%	9.80%
19	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA
30	Write-down feature	Yes	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	Decided by RBI	Decided by RBI
32	If write-down, full or partial	Decided by RBI	Decided by RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Decided by RBI	Decided by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Basel III	Basel III
37	If yes, specify non-compliant features	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments		
1	Issuer	Bank of India, London Branch
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	XS0268226536
3	Governing law(s) of the instrument	English
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo & group
7	Instrument type	Upper Tier 2
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	USD 216 million
9	Par value of instrument	USD 240 million
10	Accounting classification	[Debt]
11	Original date of issuance	14 Sep 2016
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	22 Sep 2021
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	22 Sep 2016
16	Subsequent call dates, if applicable	Every coupon date after 22 Sep 2016
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	6.625%
19	Existence of a dividend stopper	NA
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Step up
22	Noncumulative or cumulative	Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA
25	If convertible, fully or partially	NA
26	If convertible, conversion rate	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA
30	Write-down feature	NA
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA
32	If write-down, full or partial	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Preference and equity shareholders
36	Non-compliant transitioned features	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	1. Includes step up on call date. 2. Coupons are deferred and cumulative. 3. Principal loss absorption at PONV not included

Table DF 14 :
Full terms and Condition of Regulatory Capital Instrument

Disclosed separately under Regulatory Disclosure Section on our website.

Table DF :15
Disclosure Requirement for Remuneration

The remuneration of Board of Directors and Top executives are decided by the Government of India. In addition to that there is one performance linked Incentive Scheme for whole time directors. The scheme is formulated on the basis of Statement of Intent (SOI) which is signed by the Government of India.

Table DF :16
Equities Disclosure for Banking Books

	Qualitative Disclosure	
1.	The general qualitative disclosure requirement (Para 2.1 of this annex) with respect to equity risk, including:	
	Differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under other objectives including for relationship and strategic reasons; and	All equity investment in Banking Books is in Subsidiaries /Joint venture and Associates. These are strategic in nature.
	Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the banking book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices.	Investments classified under Held to Maturity category need not be marked to market and will be carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium should be amortized over the period remaining to maturity. Since the Bank has consistently been following the Weighted Average Cost (WAC) method of accounting, the WAC will be the acquisition cost for the purpose of shifting and also for the calculation of premium for amortization. Bank is recognizing any diminution, other than temporary, in the value of their investments in subsidiaries/ joint ventures, which are included under Held to Maturity category and provide there for. Such diminution is determined and provided for each investment individually.
	Quantitative Disclosures	
1.	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments; for quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value	
	Book value of investment	12,053.00
	Value as per Balance sheet	12,034.40
2.	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as:	
	• Publicly traded;	
	• Privately held	12,034.40
3.	The cumulative realized gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	
4.	Total unrealized gains (losses)13	
5.	Total latent revaluation gains (losses)14	
6.	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital.	
7.	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements	N.A.

Table DF 17
Summary Comparison of Accounting Assets vs. Leverage Ratio Exposure Measure

	Item	(₹ in Million)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	6166292.35
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	(-) 7368.70
3	Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	
4	Adjustments for derivative financial instruments	30,460
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	618630
7	Other adjustments	0.00
8	Leverage ratio exposure	6808013.65

Table DF-18:
Leverage Ratio Common Disclosure Template

	Item	Leverage ratio framework (Rs. in million)
	On-balance sheet exposures	
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	6166292.35
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(-) 7368.70
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	6158923.65
Derivative exposures		
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	13,510
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	16,950
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	30,460
Securities financing transaction exposures		
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	
14	CCR exposure for SFT assets	
15	Agent transaction exposures	
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	
Other off-balance sheet exposures		
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	618630
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	618630
Capital and total exposures		
20	Tier 1 capital	326620
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	6808013.65
Leverage ratio		
22	Basel III leverage ratio	4.80%

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

प्रधान कार्यालय : स्टार हाऊस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

Head Office : Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai-400 051

सूचना

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की बीसवीं वार्षिक आम बैठक गुरूवार,14 जुलाई 2016 को सायं 03.00 बजे बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई -400 051 में निम्नलिखित कारोबार करने के लिए की जाएगी:

मद संख्या 1

यथा 31 मार्च 2016 के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता, लेखा में कवर की गई अवधि हेतु बैंक के कार्य तथा गतिविधियों पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और तुलन पत्र तथा लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन तथा अंगीकार करना ।

बोर्ड के आदेशानुसार

(मेलविन रेगो)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 14.06.2016

प्रबंध निदेशक तथा सीईओ

टिप्पणियां:

1. **परोक्षी की नियुक्ति**

   बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के हकदार शेयरधारक अपने स्थान पर भाग लेने तथा मतदान हेतु एक परोक्षी नियुक्त कर सकते हैं। परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित फार्म उसमें निर्धारित स्थान पर वार्षिक आम बैठक के कम से कम 4 (चार) दिन पूर्व अर्थात दिनांक 08 जुलाई, 2016 को या उससे पहले बैंक के कारोबार के समय के समाप्त होने से पहले अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

2. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

   कोई भी व्यक्ति, जो किसी ऐसी कंपनी या अन्य किसी निकाय-कंपनी जो बैंक का शेयरधारक है, का विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि है, द्वारा आम बैठक के दिनांक से 4 (चार) दिन पहले, अर्थात दिनांक 08 जुलाई, 2016 को या उससे पहले बैंक के कारोबार के समय के समाप्त होने से पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में, जिस बैठक में उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में नियुक्त करने का संकल्प पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा उक्त संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि यदि प्रस्तुत नहीं की जाती है तो उसे बैठक में उपस्थित रहने का, मत देने का अधिकार नहीं होगा।

3. **लेखाबंदी**

   शेयरधारकों का रजिस्टर, एवं बैंक का शेयर अंतरण रजिस्टर वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से सोमवार, 11 जुलाई, 2016 से गुरूवार 14 जुलाई, 2016 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा।

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Twentieth Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of India will be held on Thursday, July 14, 2016 at 03.00 p.m. at Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai – 400 051 to transact the following business:

Item No. 1

"To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March 2016, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2016, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts"

By order of the Board

(Melwyn Rego)
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : 14.06.2016

Notes.

1. **APPOINTMENT OF PROXY**

   A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON HIS/HER BEHALF. The Proxy form, in order to be effective, must be received at the place specified in the Proxy form not later than 4(four) days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the close of banking hours of 8th July 2016.

2. **APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE**

   No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a Company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than 4 (four) days before the Annual General Meeting on or before the close of banking hours of 8th July 2016 .

3. **BOOK CLOSURE**

   The Register of the Shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Monday, July 11th 2016 to Thursday 14th July, 2016 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting,

4. पते में परिवर्तन

जिन शेयरधारकों के पास शेयर डिमेट स्वरुप में हैं उन्हें अपने पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसकी सूचना उनसे संबंधित सहभागी निक्षेपागार को देनी चाहिए। जिनके पास शेयर प्रत्यक्ष रुप में हैं, उन्हें अपने पते में परिवर्तन की सूचना बैंक के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर देनी चाहिए:

मेसर्स बिगशेयर सर्विसेस प्रा.लि.
युनिट : बैंक ऑफ़ इंडिया
ई-2 अनसा औद्योगिक एस्टेट
साकीविहार रोड, साकीनाका,
अंधेरी (पूर्व), 400 072.
फोन - 022-40430200
फैक्स- 022-28475207
ई मेल : investor@bigshareonline.com

5. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/परोक्षियों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र सुपुर्द कर दें। शेयरधारक के परोक्षी/प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र में "परोक्षी" अथवा "प्रतिनिधी" में से वह जिस रुप में उपस्थित हो रहे हों उसका उल्लेख कर देना चाहिए।

6. अदावाकृत लाभांश यदि कोई हो

वे शेयरधारक जिन्होंने अपने लाभांश वारंट अभी तक नहीं भुनाए हैं / उन्हें पहले की अवधि के कोई वारंट अभी तक नहीं मिले हैं तो उनसे अनुरोध है कि वे वारंट की अनुलिपि जारी करने के लिए अंतरण एजेंट से संपर्क करें। बैंककारी कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 बी के अनुसार लाभांश की सात वर्ष तक अदत्त राशि या अदावाकृत राशि कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 205-सी/125 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड(आईईपीएफ़) में अंतरित करनी होती है।

7. संपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट

जो शेयरधारक संपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट चाहते हैं वे हमारी वेबसाइट www.bankofindia.com से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा investor@bigshareonline.com पर मेल कर सकते हैं अथवा कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ इंडिया, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई-400 051 को पत्र लिख सकते हैं।

8. ई-वोटिंग

सूचना में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने हेतु बैंक के शेयरधारकों के लिए बैंक ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है। निष्कपट एवं पारदर्शी रूप से ई-वोटिंग प्रक्रिया का आयोजन करने के लिए बैंक ने श्री एस.एन.अनंतसुब्रमनियन एण्ड कं., कंपनी सचिव को परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। ई वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारकों/लाभार्थी मालिकों के ई-वोटिंग अधिकारों को इस हेतु निर्दिष्ट अंतिम तारीख 07 जुलाई 2016 को उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। कट ऑफ डेट में बैंक के शेयर प्रत्यक्ष अथवा डीमैट रूप में धारण करने वाले शेयर धारक अपना वोट इलेक्ट्रानिक के माध्यम से डाल सकते हैं।

4. CHANGE OF ADDRESS

Shareholders holding shares in dematerialized form should communicate the change of address, if any, to their Depository Participant. Shareholders who hold shares in physical form should communicate the change of address to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address

M/s. Bigshare Services Pvt. Ltd.,
Unit: Bank of India
E-2, Ansa Industrial Estate,
Sakivihar Road, Sakinaka
Andheri (E)- 400072

Tel : 22-40430200
Fax : 22 - 28475207
E mail : investor@bigshareonline.com

5. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry pass is annexed to this Report. Shareholders/ Proxy holders/ representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the Attendance slip- cum-Entry pass at the venue. Proxy/ Representative of a shareholder should state on the Attendance slip-cum-Entry pass "Proxy" or "Representative" as the case may be.

6. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received for previous periods, if any, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for issue of duplicate. As per the Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 205C/125 of the Companies Act, 2013.

7. FULL ANNUAL REPORT

Shareholders desirous to have a full Annual Report can download it from our website www.bankofindia.com or send email to investor@bigshareonline.com or letter to the Company Secretary, Bank of India, C-5, `G' Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051

8. E-VOTING

The Bank is pleased to provide e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. The Bank has appointed M/s S N Ananthasubramanian & Co., Company Secretary as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on 07th July 2016 being the Cut-off date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically.

9. ई-वोटिंग अनुदेश

(i) शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार इस उद्देश्य से नियत यथा 07 जुलाई 2016 (कट-ऑफ तारीख) को बैंक के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के अनुपात में उनके द्वारा धारित शेयर के आधार पर होगा।

(ii) वोटिंग अवधि 11 जुलाई 2016 के सुबह 10.00 बजे आरंभ होगी और 13 जुलाई 2016 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। सीडीएसएल द्वारा उसी दिन शाम 5.00 बजे ई-वोटिंग मोड्यूल को डिसेबल कर दिया जाएगा।

(iii) शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com. पर लॉग-ऑन करना होगा।

(iv) Shareholders पर क्लिक करें।

(v) अब अपने यूज़र आईडी की प्रविष्ट करें।

(ए) सीडीएसएल के लिए : 16 डिजिट की बेनिफिशिएरी आईडी

(बी) एनएसडीएल के लिए : 8 कैरेक्टर का डीपीआईडी और उसके बाद 8 डिजिट का क्लायंट आईडी

(सी) जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों उन्हें बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर की प्रविष्टि करनी होगी।

(vi) इसके बाद डिस्प्ले किए गए वेरिफिकेशन इमेज की प्रविष्ट करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

(vii) यदि आपके पास डीमैट स्वरूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन किया हो और किसी कंपनी/निकाय पर वोट किया हो, तब आप अपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।

(viii) यदि आप पहली बार उपयोगकर्ता हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

डीमैट और भौतिक स्वरूप में शेयरधारक सदस्यों के लिए	
पीएएन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक पीएएन की प्रविष्टि करें (डीमैट एवं भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए लागू) • जिन सदस्यों ने बैंक/डिपॉजिटरी प्रतिभागी में अपना पीएएन अपडेट न किया हो उनसे अनुरोध है कि वे अपने नाम के पहले के दो अक्षर और अपने पीएएन के 8 अंकों का सीक्वेन्स नंबर सूचित करें। • यदि सीक्वेन्स नंबर, 8 अंकों से कम अंकों का हो तो नाम के पहले दो अक्षरों (बड़े अक्षरों में) के बाद उस नंबर से पहले आवश्यक संख्या में 0 जोड़ें। अर्थात यदि आपका नाम रमेश कुमार है और सीक्वेन्स नंबर 1 है तो पीएएन फील्ड में RA0000001 लिखें।
जन्मतिथि	कथित डीमैट खाते या फोलियो के लिए dd/mm/yyyy प्रारूप में आपके डीमैट या बैंक अभिलेख में उल्लिखितानुसार जन्म तिथि की प्रविष्टि करें।

9. E-Voting Instructions

(i) The voting rights of Shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on 07th July 2016 (Cut-off Date) fixed for the purpose.

(ii) The voting period will commence at 10.00 a.m. on 11th July 2016 and will end at 5.00 p.m. on 13th July 2016. The e-voting module shall also be disabled by CDSL at 5.00 p.m. on the same day.

(iii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

(iv) Click on shareholders

(v) Now enter your User ID

(a) For CDSL: 16 digit beneficiary ID

(b) For NSDL: 8 Character DPID followed by 8 Digit Client ID

(c) Members holding shares in physical form should enter Folio number registered with the Bank.

(vi) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vii) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company/ entity, then your existing password is to be used.

(viii) If you are a first time user follow the steps given below:

For Members holding shares in Demat and Physical Form	
PAN	Enter your 10 digit alpha numeric `PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Members who have not updated their PAN with the Bank/ Depository Participant are requested to us the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN Held. • In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two character of the name in CAPITAL letters. Eg, if your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA0000001 in the PAN field.
DOB	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.

लाभांश बैंक विवरण	आपके डीमैट खाते में या बैंक अभिलेख में कथित डीमैट खाते या फोलियो हेतु रिकॉर्ड किए गए लाभांश बैंक ब्यौरों की प्रविष्टि करें। • लॉगिन करने के लिए कृपया डीओबी या लाभांश बैंक ब्यौरों की प्रविष्टि करें। यदि ब्यौरे डिपॉजिटरी या बैंक में ब्यौरे रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं तो, कृपया अनुदेशों (v) में उल्लिखितानुसार लाभांश बैंक ब्यौरों के फील्ड में मेम्बर आईडी/फोलियो नंबर का उल्लेख करें।

(ix) इन ब्यौरों की उचित प्रविष्टि के पश्चात `SUBMIT' पर क्लिक करें।

(x) जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों वे सीध बैंक चयन स्क्रीन पर पहुंचेंगे। तथापि, डीमैट स्वरूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब `पासवर्ड निर्माण' मेन्यू में पहुंचेंगे जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अनिवार्य रूप से अपना लॉग इन पासवर्ड डालना होगा। कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों को किसी अन्य कंपनी/निकाय के संकल्प हेतु वोटिंग करने के लिए भी इसी पासवर्ड का प्रयोग करना होगा बशर्ते वह कंपनी/निकाय सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से - ई-वोटिंग का विकल्प चुने। विशेष रूप से यह सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी और को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।

(xi) जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों, उन ब्यौरे का उपयोग केवल इस नोटिस में दिए गए संकल्प पर ई-नोटिंग हेतु किया जा सकता है।

(xii) संगत <कंपनी का नाम> जिस पर आप वोट करना चाहें, हेतु इवीएसएन पर क्लिक करें।

(xiii) वोटिंग पृष्ठ पर आपको ` संकल्प विवरण' दिखेगा और उसी विकल्प के सामने वोटिंग हेतु `हाँ / नहीं' दिखेगा। इच्छानुसार `हाँ / नंहीं' विकल्प चुनें। हाँ विकल्प चुनने से तात्पर्य है कि आप इस संकल्प से सहमत हैं और नंही विकल्प मतलब आप इस संकल्प से सहमत नहीं हैं।

(xiv) यदि आप संकल्प के पूर्ण ब्यौरे देखना चाहें तो "संकल्प फाईल लिंक" पर क्लिक करें।

(xv) आप ने जिस संकल्प पर वोट करने का निर्णय लिया है उसका चयन करने के पश्चात `SUBMIT' पर क्लिक करें। एक 'confirmation box' प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहें तो 'ठीक' पर क्लिक करें अन्यथा आपका वोट बदलने के लिए `रद्द' पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।

(xvi) संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करने पर आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।

(xvii) आपके द्वारा की गई वोटिंग का प्रिंट आउट निकालने हेतु आप वोटिंग पेज पर `मुद्रित करने के लिए क्लिक करें' विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं।

(xviii) यदि डीमैट खाता धारक पासवर्ड भूल गया हो तो यूजर आईडी और इमेज वेरिफिकेशन कोड की प्रविष्टि करें और पासवर्ड भूल गए पर क्लिक करें और सिस्टम जो ब्यौरे मांगे उनकी प्रविष्टि करें।

- गैर-एकल शेयरधारक और कस्टोडियन के लिए नोट
- गैर एकल शेयर धारक (अर्थात एकल व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) और कस्टोडियन को www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना होगा और कॉरपोरेट के रूप में पंजीकृत करना होगा।

Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio. • Please enter the DOB or Dividend Bank Details in order to login. If the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id/ folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v)

(ix) After entering these details appropriately, click on `SUBMIT' tab.

(x) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach `password creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company / entity on which they are eligible to vote, provided that company / entity opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(xi) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolution contained in this notice.

(xii) Click on the EVSN for the relevant < Company Name> on which you choose to vote.

(xiii) On the voting page, you will see `Resolution Description' and against the same the option `Yes/ No' for voting. Select the option Yes or No as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiv) Click on the "RESOLUTION FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on `SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on `CANCEL' and accordingly modify your vote.

(xvi) Once you `CONFIRM' your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvii) You can also take out print out of the voting done by you by clicking on the `Click here to print' option on the Voting page.

(xviii) If Demat account holder has forgotten the same password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

- Note for Non- Individual Shareholders and Custodians
- Non Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.

- संस्था का स्टाम्प और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia-com को ई मेल की जानी चाहिए जिसकी प्रतिलिपि scrutinizer@snaco.net को भेजी जाए।
- लॉग इन ब्योरा प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लॉगइन और पासवर्ड का प्रयोग करके एक अनुपालन यूजर सृजित करना होगा। अनुपालन यूज़र उन खातों को लिंक कर सकेगा जिसके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
- खाते की सूची helpdesk.evoting@cdslindia-com को मेल की जाए और खातों के अनुमोदन होने पर वे अपना वोट दे सकेंगे।
- उनको कस्टोडियन के पक्ष में जारी बोर्ड संकल्प और पॉवर ऑफ अटर्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो, पीडीएफ फॉर्मेट में सिस्टम में लोड करना होगा ताकि स्क्रूटिनाइजर इसकी जांच कर सके।

(xix) ई-वोटिंग के संबंध में यदि कोई प्रश्न या समस्या है तो आप अक्सर पूछे गए प्रश्न (एफएक्यू) और www.evoting.com में उपलब्ध हेल्प खण्ड के तहत ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk@deslindia.com को ई मेल लिख सकते हैं।

(xx) बहु फोलियो/डीमैट खाता धारित शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए पृथक रूप से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे। तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के अनुसार भारत सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के वोटिंग अधिकार का प्रयोग नही कर सकता है।

(xxi) रिमोट ई-वोटिंग के परिणाम की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।

(xxii) कृपया नोट करें कि एक बार वोट देने के बाद आप उसे बदल नहीं सकते या असाधारण आम बैठक में वोट नहीं दे सकते हैं। तथापि आप बैठक में उपस्थित रह सकते हैं और विचार-विमर्श, यदि कोई हो, में सहभागिता कर सकते हैं।

(xxiii) आप फोलियो में यूज़र प्रोफाइल ब्योरे में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतित कर सकते हैं जिसका उपयोग भविष्य में संसूचनाएं भेजने के लिए किया जाएगा।

10. सभा में मतदान

कार्यसूची मद पर चर्चा के पश्चात, अध्यक्ष कार्यसूची की मद के संबंध में मतदान का आदेश देंगे। बैठक में उपस्थित सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए उनका वोट नहीं दिया है वे बैठक में मतदान के जरिए अपने मतदान अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस प्रयोजन हेतु नियुक्त किए जाने वाले जांचकर्ताओं के पर्यवेक्षण में मतदान होगा। मतदान के पश्चात अध्यक्ष बैठक की समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं।

11. मतदान के परिणाम के साथ संकलित ई-वोटिंग के परिणामों की घोषणा बैंक अपने वेबसाइट पर करेगा और उसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को देगा।

निदेशक मंडल के आदेश से

एम ओ रेगो

(मेलविन रेगो)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 14.06.2016

- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and signature of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and CC to scrutinizer@snaco.net
- After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the accounts(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

(xix) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk@deslindia.com.

(xx) Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folios / demat account. However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.

(xxi) The results of remote e-voting will be announced by the Bank at its website and also informed to the stock exchanges.

(xxii) Kindly note that once you have cast your vote you cannot modify or vote on voting at the Extraordinary General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.

(xxiii) You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

10. Voting at the Meeting

After the agenda item has been discussed, the Chairman will order Voting in respect the item on the agenda. Members attending the meeting and who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their voting right at the meeting through Voting. Voting will be conducted and supervised under Scrutinizer appointed for the purpose. After conclusion of the Voting, the Chairman may declare the meeting as closed.

11. The Results of the Poll aggregated with the results of e-voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the stock exchanges and the CDSL, the evoting agency.

By order of the Board

(Melwyn Rego)
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : 14.06.2016

यह पृष्ठ खाली छोड़ा गया है
THIS PAGE HAS BEEN LEFT BLANK

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

प्रधान कार्यालय : स्टार हाऊस, सी - 5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाए)

फोलियो नं. _____ डी. पी. आईडी नं _____

(यदि अपूर्तीकरण न किया गया हो) ग्राहक आईडी नं _____ (यदि अपूर्तीकरण किया गया हो)

मैं/हम _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ बैंक ऑफ़ इंडिया का/के शेयरधारक हूं/हैं और मैं/हम एतदद्वारा

श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____

को या उनके उपस्थित न होने पर श्री/श्रीमती _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ को मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से गुरुवार दिनांक 14 जुलाई 2016 को आयोजित बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में और संबंधित बैठक के स्थगन की स्थिति में मतदान के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करता हूं/करते हैं।

माह _____ की _____ 2016 को हस्ताक्षरित।

परोक्षी के हस्ताक्षर _____

नाम: _____

पता: _____

_____

Revenue Stamp

_____

प्रथम /एकमात्र शेयर धारक के हस्ताक्षर

परोक्षी फार्म पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने संबंधी अनुदेश

1. कोई परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह,
   - क. एकमात्र शेयरधारक व्यक्ति के मामले में शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगी।
   - ख. संयुक्त धारकों के मामले में यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हों।
   - ग. निगमित निकाय के मामले में लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अधिकारी या अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगी।
2. परोक्षी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होनी चाहिए किन्तु किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उनके अंगूठे का निशान वहां लगा है तो वह निशान न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, एश्युरेंस रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ़ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित (अटेस्टेड) होना चाहिए।
3. कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगा जब तक उस पर विधिवत रसीदी टिकट न लगा हो और उसे निम्नलिखित पते पर वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम **एक दिन** पहले जमा नहीं कराया गया हो। उसके साथ उस पॉवर ऑफ़ अटर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो या उस पॉवर ऑफ़ अटर्नी की प्रति या अन्य प्राधिकार जिसे नोटरी अथवा न्यायधीश ने सत्य प्रति के रुप में प्रमाणित किया हो, को बैंक में निम्न पते पर पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो : बैंक ऑफ़ इंडिया, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, 8 वीं मंजिल, स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051.
4. बैंक के पास जमा की गयी परोक्षी की लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी।
5. विकल्प में दो व्यक्तियों के पक्ष में प्रदत्त परोक्षी की लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
6. परोक्षी की लिखत को निष्पादित करने वाले शेयरधारक वार्षिक असाधारण आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
7. किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो।

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

Head Office : Star House, C-5, 'G' Block, BandraKurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Folio No._____ DP ID No._____

(If not dematerialized)

Client ID _____

(if dematerialized)

I/We, _____ resident of in the district of _____ in the disctric of state of_____ in the state of _____being a shareholder/ shareholders of Bank of India, hereby appoint Shri/Smt_____,resident of _____ in the district of _____in the state of _____ or failing him/ her Shri/Smt. _____resident of_____in the district of_____ in the state of _____as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Meeting of the shareholders of Bank of India to be held on Thursday,14th July, 2016 and at any adjournment thereof.

Signed this _____day of _____2016.

Signature of Proxy _____

Name _____

Address _____

_____

_____

Revenue Stamp

_____

Signature of first named/sole shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by his/her attorney, duly authorised in writing.
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of India.
3. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank at **Bank of India, Investor Relation Department Head Office, 8th Floor Star House, C-5, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051.**
4. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
6. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting.
7. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or employee of the Bank.

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India

उपस्थिति पर्ची - सह - प्रवेश - पत्र - सह - ई-मतदान पर्ची
वार्षिक आम बैठक

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM-E POLLING SLIP
ANNUAL GENERAL MEETING

दिनांक : गुरुवार, 14 जुलाई, 2016, दोपहर 03.00 बजे

Date : Thursday, 14th July 2016, 03.00 P.M.

बैंक के ऑडिटोरियम में, बैंक ऑफ इंडिया, स्टार हाऊस, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051

At the Bank's Auditorium, Bank of India, C-5, G Block, Bandra-Kurla Complex, Mumbai - 400 051

उपस्थिति पर्ची

(प्रवेश के समय जमा करने हेतु)

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry)

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) (सदस्य / परोक्षी / एआर) NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/AR)	फोलियो क्र. ग्राहक आईडी नं. डीपी आईडी नं. FOLIO NO./DPID No./ CLIENT ID NO.	शेयरों की संख्या No. of Shares

उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present

प्रवेश पत्र

(पूरी बैठक के दौरान अपने पास रखा जाए)

ENTRY PASS

(to be retained throughout the meeting)

वार्षिक आम बैठक दिनांक : गुरुवार, 14 जुलाई, 2016, दोपहर 03.00 बजे

ANNUAL GENERAL MEETING Date: Thursday, 14th July 2016, 03.00 P.M.

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) (सदस्य / परोक्षी / एआर) NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/AR)	फोलियो क्र. ग्राहक आईडी नं. डीपी आईडी नं. FOLIO NO./DPID No./ CLIENT ID NO.	शेयरों की संख्या No. of Shares

NOTES

NOTES

NOTES

बैंक ऑफ़ इंड़िया
Bank of India

हमारा दृष्टिकोण

''कंपनियों, मध्यम श्रेणी व्यापारियों और दूरदाराज के छोटे आम ग्राहकों का मनपसंद बैंक बनना, छोटे व्यापारियों, ग्रामीण बाजारों और सामान्य बाजार को लागत प्रभावी विकासमान बैंकिंग प्रदान''।

Our Vision

"To become the bank of choice for corporates, medium businesses and upmarket retail customers and to provide cost effective developmental banking for small business, mass market and rural markets".

हमारा लक्ष्य

''सर्वश्रेष्ठ और व्यावहारिक बैंकिंग भूमंडलीय बाजारों में प्रदान करने के लिए एक विकास बैंक की भूमिका निभाते हुए लागत प्रभावी और दायित्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करना और ऐसा करते हुए हमारे पूंजी निवेशकों की अपेक्षाओं को पूरा करना''।

Our Mission

"To provide superior, proactive banking services to niche markets globally, while providing cost-effective, responsive services to others in our role as a development bank, and in so doing, meet the requirements of our stakeholders".

हमारी गुणवत्ता नीति

हम, बैंक ऑफ़ इंडिया को पसंदीदा बैंक बनाने हेतु अपने ग्राहकों और सरंक्षकों को, **उत्कृष्ट, व्यवहार्य, नवोन्मेषी, अत्याधुनिक** बैंकिंग सेवाएं तत्परता और शालीनता से प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं।

Our Quality Policy

We, at Bank of India, are committed to become the Bank of Choice by providing SUPERIOR, PROACTIVE, INNOVATIVE STATE OF THE ART Banking Services with an attitude of Care and Concern for the Customers and Patrons.

महत्वपूर्ण सूचना

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 के संपूर्ण वर्णन को प्राप्त करने हेतु बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट **www.bankofindia.com** का अवलोकन करें।

बैंक की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले शेयरधारक **investor@bigshareonline.com** पर ई-मेल कर ऑर्डर कर सकते हैं।

शेयरधारकों से यह भी अनुरोध है कि ई मेल के जरिए जल्द नोटिस, सूचना आदि प्राप्त करने के लिए अपना ई मेल आई डी **headoffice.share@bankofindia.co.in,** पर सूचित करें

IMPORTANT NOTICE

Shareholders are requested to visit Bank of India website **www.bankofindia.com** to get the full version of Annual Report 2015-16.

Shareholders desirous of having a copy of Bank's Annual Report may order for it by sending email to **investor@bigshareonline.com**

Shareholders are requested to register their E-mail ID, with the Bank at headoffice.share@bankofindia.co.in, for quick/early receipt of Notice, information, communication through E-mail.

Instant Money Transfer

withdraw cash without card

BOI

1ST PSU BANK'S INITIATIVE

Now instantly transfer money through ATM/Internet for your dear ones to withdraw it at ATM without card

In just three easy steps money is transferred instantly

1. Register the recipient by SMS or Internet Banking
2. Send the IMT through bank's IMT enabled ATMs or Internet Banking
3. Issuance of IMT confirmed to sender & recipient on SMS, then recipient can walk to bank's IMT enabled ATM & withdraw IMT without card

Mobile phones are mandatory for this service.*

IMT

For further details visit your nearest branch or call **1800 103 1906**, **1800 220 229** (Toll free) or visit **www.bankofindia.co.in** | follow us at

Bank of India

Relationship beyond banking